(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या : 6

गुरुवार;

16 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौन सब डिवीजन में भयंकर बाढ़ आ गई, कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था। वहां का बांध टूटने जैसा हो रहा है, खतरे के निशान पर चल रहा है। चार लोगों का पता नहीं है, कल भी मैंने आपसे कहा था, वे बाढ़ में बह गए। मेरे नादौती क्षेत्र में कम से कम नहीं तो 20 गांव इससे प्रभावित हो गए जिनको जिला प्रशासन ने आज तक भी नहीं सम्भाला, सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं। जन-धन पशुओं की हानि हुई है, लोग मर रहे हैं। लोग पानी में चारों तरफ तबाही से घिरे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल भी मेरी किसी ने भी नहीं सुनी और पूरे अखबारों के फर्स्ट पेज पर यह सारा मामला भरा पड़ा है। सारे क्षेत्र में त्राहि मची हुई है...।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, श्री रामस्वरूपजी, यह प्रश्नकाल है। माननीय सदस्य, मैंने आपको हर समय अवसर दिया है, आप विराजें। श्री हरजीरामजी बुरडक।

श्री रामस्वरूप मीणा : कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा क्षेत्र में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस मुद्दे पर ध्यान दें, पहले इसके बारे में विचार किया जाए। क्या किया सरकार ने हमारे लिए ?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल उप मुख्य मंत्रीजी द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ सदन में कुछ अपशब्द कहे गए थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को आप एक्सपंज करने की कृपा करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : लोग मर रहे हैं वहां पर (व्यवधान)... आज तक कलेक्टर तक नहीं गया वहां पर, लोग मर रहे हैं वहां पर...।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामस्वरूपजी, आप मेरे चैम्बर में आइए। श्री हरजीरामजी बुरडक।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : हमारी अध्यक्षा के विरुद्ध जो कहा गया है उसको आप वापस लें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : राजस्थान में आज भी लोग मर रहे हैं। आप चैम्बर में बुलाइए मंत्री महोदय को (व्यवधान)। आप चैम्बर में बुलाकर हमारी बात करवाइए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप उन शब्दों को एक्सपंज करने की कृपा करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल शाम को उप मुख्य मंत्रीजी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के विषय में कुछ अपशब्द कहे गये हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप उनको एक्सपंज कराने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें । यह प्रश्नकाल है, जीरो आवर में कोई बात आएगी तो देख लेंगे (व्यवधान) ...माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात नहीं करें । आपस में बात करने का यह तरीका ठीक नहीं है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : +++

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : +++

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : दो हजार साल पहले कौन कहां से आया, पांच हजार वर्ष पहले कौन कहां से आया इसका स्पष्टीकरण कोई नहीं दे सकता । सभी विदेशी मूल के हैं, सारे आर्य लोग हमारे हिन्दुस्तान के बाहर से आए हुए हैं । घनश्यामजी तिवाड़ी अपने को आर्य कहते हैं, ये विदेश से आए हुए हैं । मेहरबानी करके आपसे निवेदन करूंगी, कौन विदेशी है कौन स्वदेशी है, इसकी चर्चा यहां पर न करें ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम): +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने प्रश्नकाल ले लिया है । कोई बात कहना चाहते हैं तो जीरो आवर आ रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए । हरजीरामजी ।

विभागों द्वारा स्वीकृत बजट से अधिक व्यय

27. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 में कई विभागों में स्वीकृत बजट से अधिक राशि व्यय की गई, जिसके कारण वित्त विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस विभाग के कौन-कौन से अधिकारियों के विरुद्ध ? अधिकारियों के नाम व विभाग सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वित्त विभाग की उक्त सिफारिश के आधार पर सम्बन्धित विभागों द्वारा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य (वित्त) मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1) जिन विभागों ने वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों के विरुद्ध एक करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का अधिक व्यय किया था उन विभागों से वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से, अधिक व्यय किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने हेतु लिखा गया था । ऐसे 11 विभागों में से (सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है ।) 2 विभागों (समाज कल्याण विभाग एवं गृह विभाग) के प्रकरणों पर विचार कर उन्हें समाप्त कर दिया गया है तथा एक विभाग (जन

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) के सम्बन्ध में संशोधित अनुमानों की तुलना में अधिक व्यय करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु प्रशासनिक विभाग को लिखा गया है। शेष प्रकरण विचाराधीन हैं।

(2) सम्बन्धित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपने उत्तर दिया उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आपका वित्तीय प्रबन्धन कैसा है। करीब 253 करोड़ रुपये आपने पिछले साल में संशोधित बजट अनुमानो से ज्यादा खर्च किए। जिन विभागों की आपने सूची दी है उनमें कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने 65–66 करोड़ रुपये तक की राशि अधिक खर्च की है और आप कह रहे हैं कि अभी यह मामला विचाराधीन है और एक करोड़ से कम जो अभी खर्च कर चुके उनको आपने छूट दे दी। तो फिर आपको यह वित्तीय प्रबन्धन और सशोधित बजट अनुमान स्वीकृत कराने का क्या मायना? यह राशि कहीं से उठाकर तो लाये नहीं यह आपके विभाग को दी है। आपके विभाग में ट्रेजरी है तो ट्रेजरी लेवल पर यह क्यों नहीं देखा गया? अब साल भर से आप विचार कर रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करें। उनमें भी जिन्होंने थोड़ी राशि ज्यादा खर्च की उनके खिलाफ तो आपने लिख दिया और पी. डब्ल्यू. डी. जैसा विभाग जहां 66 करोड़ से अधिक की राशि आपके बजट अनुमानों से ज्यादा खर्च की है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। इस प्रकार से आपके वित्तीय प्रबन्धन और प्रशासनिक प्रबन्धन, दोनों के मामले में प्रश्नचिन्ह लगा रहा है आपका यह उत्तर।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग अन्य विभागों पर मोनीटरिंग कर समय-समय पर इस बात की जानकारी लेता रहा है कि किस विभाग ने रिवाइज एस्टीमेट से अधिक खर्च किया। वैसे यह बजट का मामला नहीं है, बजट से अधिक खर्च करने की जांच तो पी.ए.सी. करेगी। यह तो हमारा जो रिवाइज एस्टीमेट है उसमें हमने उनसे 10 प्रतिशत की कटौती करने को कहा था कि आप अपने खर्चे में 10 प्रतिशत की कटौती करके खर्च करें। जिन्होंने कटौती नहीं की और अधिक खर्च किया, यह वह मामला है। इन मामलों की वित्त विभाग जिस तरह से जांच कर रहा है, यह तो कुशल वित्तीय प्रबन्धन का उदाहरण है कि वित्त विभाग इतनी नजर रखता है एक-एक विभाग पर। हमारे द्वारा दिए गए डायरेक्शन को नहीं मानते, हम कहते हैं कि खर्च कम करो और वह खर्च कम नहीं करके उसको नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की कार्यवाही हम कर रहे हैं। उनका जवाब ले रहे हैं और जहां हमको संतोष हो गया, जैसे समाज कल्याण विभाग है, उनका जवाब आया कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि जो केन्द्र से 75 रुपये मिलती है उसमें 25 रुपये हमको देने पड़ते हैं इसलिए केन्द्र ने जो राशि दी उसकी मैचिंग ग्रांट हमने 25 रुपये देनी थी अधिक खर्च करना पड़ा, इसको मान लिया है, वह पैसा देना ही

(५)

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

था। तो इस तरह के जो कारण बताए गए हैं, जो जरूरी खर्चा है, जिसको अवोइड नहीं किया जा सकता, वह मान लेंगे और जिसने नहीं किया है उसकी जांच होगी, उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।

श्री हरजीराम बुरडक : सर्वप्रथम आपके विभाग के ध्यान में कब आया? यह जो मामले दिए हैं, यह सबसे पहले आपके ध्यान में कब आया? आज तक आपने किस-किस विभाग के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की? आप कह रहे हैं कि हमने विभागों को लिखा है कि उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, कब लिखा, कब कार्यवाही की? आपने इतने समय तक क्या किया और इसका अंतिम रूप से फैसला कब तक कर देंगे?

श्री हरिशंकर भामड़ा : यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसकी कोई एक तारीख निर्धारित नहीं कर सकते। वित्त विभाग समय-समय पर इस बात की जांच करता रहता है जब बात ध्यान में आती है।

श्री हरजीराम बुरडक : जांच की, उनकी ही तो पूछ रहा हूं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : बता रहा हूं, तसल्ली से सुन लीजिए। मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा, सब बताऊंगा। इसकी कोई एक तारीख आप निश्चित नहीं कर सकते। अलग-अलग विभागों में मैं एक-एक का बता देता हूं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में हमारे जो संशोधित अनुमान थे उनकी तुलना में अधिक व्यय किया गया, जिसका उन्होंने विवरण दिया है। विवरण इस प्रकार दिया है कि 4.55 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुडको तथा जीवन बीमा निगम को ऋणों का पुर्नभुगतान हेतु किया गया जो जरूरी था। 31.23 करोड़ रुपये का अधिक व्यय वेतन, मजदूरी तथा बिजली के बिलों के भुगतान हेतु किया गया जो मेंटीनेंस व पानी सप्लाई के लिए जरूरी था। 4.8 करोड़ रुपये का अधिक व्यय रसायनों, वितरण प्रणाली में सुधार तथा पम्पों व मोटरों की मरम्मत के लिए किया गया। ऋणों के पुर्नभुगतान, वेतन, मजदूरी तथा बिजली के बिलों के भुगतान सम्बन्धी व्यय को अपरिहार्य मानते हुए विभाग का तर्क स्वीकार करते हुए शेष जो 4.8 करोड़ रुपया अधिक खर्च हुआ है उसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित करने के निर्देश जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी को दिए हैं। यह सम्बन्धित विभाग देखेगा।

समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया अधिक व्यय वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित था और अपरिहार्य था, अतः प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

गृह विभाग ने संशोधित अनुमानों की सूचना में किये गये अधिक व्यय का विवरण निम्नानुसार दिया है :– 80.57 लाख रुपये सर्विस लैंडों का महा लेखाकार द्वारा समायोजन। यह समायोजन हुआ है 50 लाख रुपये का वेतन व भत्तों के भुगतान हेतु, 19 लाख रुपया नल, बिजली व टेलीफोन के बिलों के भुगतान हेतु। उपरोक्त व्ययों को अपरिहार्य मानते हुए इस प्रकरण को भी समाप्त कर दिया गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग–इस विभाग द्वारा सर्वाधिक अधिक व्यय किया गया।

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

इस प्रकरण के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित की गई, क्योंकि यह बहुत लम्बा चौड़ा विभाग है। किस जूनियर इंजीनियर ने या किस इंजीनियर ने या किस एक्स. ईएन. ने कहां पर कितना ज्यादा खर्च किया इसकी जांच करने के लिए विभाग की एक कमेटी होगी। उसकी जांच चल रही है और जांच के बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा।

खनिज विभाग–इसका प्रकरण भी विचाराधीन है। हमने जवाब मांगा है, जवाब आने पर इस पर भी कुछ निर्णय देंगे।

इसी प्रकार से उद्योग विभाग–इस सम्बन्ध में भी हमने जवाब–तलब किया है। एक करोड़ रुपये का मामला है इसलिए उसको भी हम देखेंगे।

राजस्व विभाग–इसका प्रकरण अभी विचाराधीन है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से आंशिक उत्तर प्राप्त हुआ है। जो अपरिहार्य थे, वे हमने मान लिये हैं, जो अपरिहार्य नहीं है उनका विचार हो रहा है। सिंचाई विभाग से अभी हमको उत्तर नहीं मिला है। न्याय विभाग से उत्तर नहीं मिला। भू–जल विभाग से उत्तर नहीं मिला। उनका उत्तर शीघ्र लेने की कार्यवाही और निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : पी. डब्ल्यू. डी. ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : बता दिया सार्वजनिक निर्माण विभाग का।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, विभागों द्वारा करोड़ों रुपये बजटरी एस्टीमेट से ज्यादा खर्च करना निश्चित रूप से आपकी कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबन्धन ...

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं कहूंगा, यह बजट एस्टीमेट नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : रिवाइज्ड एस्टीमेट्स पर ज्यादा खर्च करना आपके वित्तीय प्रबन्धन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने इस उत्तर को समझने की कोशिश की ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सुन लिया।

श्री उपाध्यक्ष : जो उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया वह सुन लिया ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : जी, सुन लिया। मैं यही पूछना चाहता हूं कि आपने इतने समय तक उन पर कार्यवाही नहीं की, यह आपकी इनकांपीटेंस को दर्शाता है। अब आप कब तक उन पर कार्यवाही करेंगे और क्या इनके मोनिटरिंग सिस्टम को आप सुधारने का प्रयास करेंगे ? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : एक–एक का जवाब ठीक है। मैं कण्फ्यूज हो जाऊंगा। मैं कम समझदार हूं, मुझ में अकल कम है। मैं एक–एक का जवाब देता हूं। माननीय सदस्य ने जो मेरी इनकांपीटेंस बताई है वह मुझे स्वीकार है, लेकिन वे जो प्रश्न नहीं समझे इसकी इनकांपीटेंस को वे भी स्वीकार कर लें।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने कहा है यह बजट अनुमानों का सवाल नहीं है,

(6)

(श्री हरजीराम बुरडक)

बजट अनुमानों में 10 परसेंट तक कटौती का सवाल है । आप अपने उत्तर की फर्स्ट लाइन को पढ़िए–"जिन विभागों ने वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों के विरुद्ध एक करोड़ रुपये से ज्यादा राशि का अधिक व्यय किया था उन विभागों से वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से अधिक व्यय किये जाने के कारणों को स्पष्ट करने हेतु लिखा गया था ।" आपने साफ लिया है बजट से अधिक किया ।....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जो वित्त विभाग ने संशोधन किया और उसमें जो कटौती की वही संशोधित अनुमान है ।

श्री हरजीराम बुरडक : कटौती कहां हुई ? इसमें साफ लिखा हुआ है....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं कटौती के बारे में आपको बता रहा हूं ।....(व्यवधान)

मैं उसका स्पष्टीकरण कर रहा हूं इसलिए कि आप समझ जाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरिसिंह ।

राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की सूची

28. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों की सूची तैयार करवाई गई है ? यदि हां, तो किस प्रकार की और नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त सूची में किस–किस वर्ग में कितने शिक्षित बेरोजगार सूचीबद्ध हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उन्हीं सूचियों में से नियुक्तियां देती है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस वर्ग के अभ्यार्थियों को नियुक्तियां दी गई ?

राज्य मंत्री, नियोजन (श्री दलीचंद) : (1) जी, नहीं । राज्य सरकार द्वारा रोजगार विभाग से शिक्षित बेरोजगारों की अलग से कोई सूची तैयार नहीं कराई गई है । रोजगार कार्यालयों द्वारा सभी इच्छुक शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार आशार्थियों का पंजीयन किया जाता है तथा उनसे सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन किया जाता है ।

(2) ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की जाती है ।

(3) इस प्रकार की सूची तैयार नहीं की जाती है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार पर स्पष्ट आरोप है, क्योंकि राजस्थान

श्री उपाध्यक्ष : आपका सवाल स्पष्ट नहीं है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं मेरी बात निवेदन कर दूं । मैं सरकार पर इस बात का स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि क्योंकि राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है इसलिए सरकार जान-बूझकर शिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध में सदन के पटल पर सूचना

(श्री हरिसिंह)

नहीं रखना चाहती। मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों की कोई सूची रखती है ? आपके उत्तर में है–हां, पंजीयन कार्यालय में बेरोजगारों की सूची रखी जाती हैं। पंजीयन कार्यालय में शिक्षित बेरोजगारों के नाम भी होते हैं, अशिक्षित के भी होते हैं। इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उनमें कौन कितना शिक्षित है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है यह बात लिखी जाती है तो सरकार तो उन नियोजन कार्यालयों की सूची से यह बताना चाहती कि राजस्थान में कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीबद्ध हैं, किस प्रकार के कितने तकनीकी शिक्षित हैं, कितने अतकनीकी शिक्षित हैं, कितने स्नातक हैं, कितने स्नातक नहीं हैं। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार का एक विभाग है जनशक्ति निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। मेरे पास इसका 1997–98 का प्रगति प्रतिवेदन है। इसमें ये खुद लिखते हैं कि वर्ष 1997–98 में 1 अप्रेल, 97 से 31 जनवरी, 98 तक जनशक्ति निदेशालय के माध्यम से 389 अभियांत्रिकी स्नातकों एवं 127 डिप्लोमाधारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है। सूची है मेरे पास। मैन पावर के अन्दर कितने आई.टी.आई. वाले हैं, कितने डिग्री होल्डर हैं, कितने डिप्लोमा होल्डर हैं, सबकी सूची है इनके पास, तो क्यों नहीं सरकार इसका जवाब देना चाहती है ? अगर प्रश्न का जवाब देने को तैयार नहीं तो समय ले लेते आप। लेकिन यह राजस्थान का कितना बड़ा मसला है ? फिर उसके अलावा आप सर्वे भी करते हैं। आप इस बात की योजना भी तैयार करते हैं और विभाग में मांग करते हैं कि आने वाले समय में कितने रोजगार उपलब्ध होंगे आपने इस बात का सर्वे भी कराया अलवर में कराया तथा और भी कई जगह सर्वे कराया है कि कितने लोग बेरोजगार आने वाले समय होंगे और कितनों को रोजगार मिल सकेगा कितनों को स्वरोजगार मिल सकेगा। इसकी आप योजना बनाते। आपका विभाग क्या करता है ? आप क्यों नहीं पूरी योजना लेकर आते ? मैंने बताया सरकार के पास सूचना है, कितने शिक्षित बेरोजगार हैं, किस प्रकार के शिक्षित बेरोजगार हैं ये सब सूचनाएं इनके पास हैं, ये देना क्यों नहीं चाहते, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षित बेरोजगारों का सवाल है, शिक्षित की परिभाषा का जहां तक सम्बन्ध है इसका मायना अक्षर ज्ञान से या हस्ताक्षर से है। परन्तु माननीय सदस्य के प्रश्न की जो भावना है उसके अनुसार माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब प्रस्तुत किया है, रोजगार कार्यालयों में शिक्षित और अशिक्षित के हिसाब से पंजीकरण नहीं होता। फिर भी जो लोग मैट्रिक से कम पढ़े–लिखे हैं या मैट्रिक हैं, हायर सैकण्डरी हैं, ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं इस तरह से 31 दिसम्बर, 1997 तक राजस्थान के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में लगभग 8.84 लाख बेरोजगार नवयुवक पंजीकृत हुए हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसीलिए तो छुपा रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : छुपाने की कोई बात नहीं, पंजीकृत हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जो जवाब भेजा है उसमें गोल कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : ये जवाब दे रहे हैं, आप बीच–बीच में बोल रहे हैं । कृपया विराजें ।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो पंजीकृत आशार्थी हैं उनमें से 1,40,093 अनुसूचित जाति के हैं, 63,367 अनुसूचित जनजाति के हैं, 92,825 महिला आशार्थी हैं और बाकी सामान्य वर्ग के हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा रोजगार विभाग से साक्षात्कार के लिए 1995 में 17841 नाम मांगे और रोजगार विभाग द्वारा 14620 आशार्थियों को इण्टरव्यू के लिए भेजा गया इस तरह से तीनों साल 1995, 96 और 97 में नाम भेजे गये । मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैट्रिक से कम पढ़े–लिखे थे उनमें से 1995 में 1351, 1996 में 2425 और 1997 में 2030 लोगों को रोजगार दिया गया । मैट्रिक पास जो आशार्थी थे उनमें 1995 में 570, 1996 में 848 और 1997 में 514 लोगों को नियुक्त किया गया । हायर सैकण्डरी के 1995 में 1623, 1996 में 5289 और 1997 में 1556 लोगों को नियुक्ति दी गयी । स्नातक जो थे उनमें 1995 में 4833, 1996 में 5989 और 1997 में 5087 तथा स्नातकोत्तर और ऊपर के जो हैं उनमें 1995 में 406, 1996 में 872 और 1997 में 676 लोगों को रोजगार दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, रोजगार कार्यालय का काम रोजगार के अलावा स्वरोजगार उपलब्ध कराना भी है । ट्राइसम योजना के अन्तर्गत आई.टी.आई. तथा मिनी आई.टी.आई. के जरिये ऐसे अस्यार्थी जो स्वेच्छा से रोजगार की ओर जाना चाहते हैं, अपना स्वयं का धंधा करना चाहते हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है ताकि वे स्वरोजगार के जरिये अपनी उदरपूर्ति कर सकें, अपना जीवनयापन कर सकें ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट प्रश्न यह था कि जनशक्ति निदेशालय में जो सूचीबद्ध होते हैं सरकार उनमें से लेती है या उनसे बाहर लेती है ? इसमें लिखा हुआ है कि जनशक्ति विभाग में उपलब्ध रोस्टर पर 8619 बेरोजगार अभियांत्रिकी पंजीकृत थे, तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार के पास में मैन पावर क्वालिफाइड लोगों की है तो फिर उससे बाहर सरकार नियोजन करती है, उससे बाहर नियुक्ति देती है अथवा इन्हीं में से ही देते हैं ? अगर बाहर देते हैं तो उसके क्या कारण हैं, सरकार यह बताए ।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल सीधा है शिक्षित बेरोजगारों के बारे में । यदि टैक्नीकल एजुकेशन का यहां प्रश्न उठता तो उसकी संख्या अलग से दी जा सकती थी । मैं समझता हूं कि इस सवाल के साथ में यह जुड़ा हुआ नहीं है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ऐसा नहीं है । मेरा प्रश्न सरकार से है कि टैक्नीकल अन-एम्प्लायड हैं या शिक्षित अन-एम्प्लायड हैं या अशिक्षित अन-एम्प्लायड हैं ? इससे

(श्री हरिसिंह)

अलग नहीं जा सकते। यह तो कोई पालिसी मैटर भी नहीं है। स्पष्ट सरकार को जानकारी होनी चाहिए। आप मनमाने तरीके से लोगों को नियुक्ति क्यों देते हैं? या तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्ति दीजिये। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन से आप नियुक्ति नहीं देते हैं तो जो आपके यहां पर मैन पावर में लोग 4–4, 5–5, 6–6, 8–8 साल से हैं उनको छोड़कर अन्य को क्यों अपाइंटमैंट देते हैं। इसका उत्तर दे दीजिये मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सीधा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन जो रोजगार विभाग में होता है....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : रोजगार नहीं, मैं मैन पावर की पूछ रहा हूं। जो आपकी सूची है।

श्री नन्दलाल मीणा : उसका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे आर एस.ई.बी. के जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, डिप्लोमाधारी होते हैं, सर्टिफिकेटधारी होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है। सीधा नाम उनका होता है जो मैन पावर में होता है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह आपके पास में होता है?

श्री नन्दलाल मीणा : नहीं, वह मैन पावर होता है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने अभी आई टी.आई. और मिनी आई.टी.आई. के बारे में जिक्र किया, मैं जानना चाहूंगा कि आई.टी.आई. और मिनी आई.टी.आई. से जो ट्रेनिंग करते हैं उनको किसी तरह का रोजगार दिया जाता है क्या? सुविधा दी जाती है या उसके बाद 6 महीने, साल भर की जो ट्रेनिंग होती है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग से प्रश्न है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : आई टी. आई., मिनी आई टी.आई. का जिक्र किया है मंत्री महोदय ने।

श्री उपाध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह : अभी जिक्र किया है, साहब। अभी मंत्रीजी ने आई टी.आई. और मिनी आई.टी.आई. का जिक्र किया है। आप मंत्रीजी से पूछ लीजिये। सीधा आरोप है कि (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, 'हां पक्ष' की तरफ भी गर्दन घुमाया करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। यह अलग से प्रश्न है। मैंने इस पर व्यवस्था दे दी कि यह अलग से प्रश्न है।

श्री रघुवीर सिंह : न उनको किसी तरह से नौकरी दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि यह रोजगार से सम्बन्धित मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर नहीं आएगा, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह : अभी जिक्र किया है, साहब। आप मंत्रीजी से पूछ तो

(श्री रघुवीर सिंह)

लीजिये। अभी जिक्र किया है आई. टी. आई. और मिनी आई. टी. आई. का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कैसे स्थिति पूछूं। यह अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : अभी उत्तर में इन्होंने जिक्र किया है। आई. टी. आई. से सम्बन्धित है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षित बेरोजगारों की समस्या एक भयानक रूप ले चुकी है और विकास में सबसे बड़ी बाधक है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने की योजना रखती है कि शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए ? क्या सरकार इस वर्ग के लोगों को रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रयास करना चाहती है ? मान्यवर, प्रांत के बाहर भी बहुत से....

श्री उपाध्यक्ष : यह नीति से सम्बन्धित प्रश्न आप पूछ रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं मैं सीधा पूछ रहा हूं क्या भत्ता देना चाहती है ? मान्यवर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस सरकार का ट्रैक रिकार्ड यह रहा है कि जहां केन्द्र ने पैसा दे दिया और कहा कि आप इन लोगों को एजुकेट करके एम्प्लायमैंट दो, वह शिड्यूल्ड कास्ट के 46 हजार लोगों को 5 साल में नहीं दे पायी। यह सी. ए. जी. की रिपोर्ट में है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस प्रकार की योजना है? और क्यों नहीं इन शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए ? यदि यह सरकार इतना कुछ कर रही है तो शिक्षित बेरोजगारों की समस्या की ओर भी कुछ तो ध्यान दिया जाए। यह मेरा प्रश्न है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक प्रश्न पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया है, आप विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, जवाब तो देने दीजिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि क्या ऐसे कोई नियम हैं कि प्रत्येक विभाग में जो टैक्नीकल वैकेन्सी निकलती है उन विभागों के लिए अनिवार्य है कि मैन पावर से लिस्ट मांगें ? यदि हां, तो फिर जिन विभागों में सीधी भर्ती से पहले भर्ती की है और भर्ती करने वाले टैक्नीकल डिपार्टमेंट हैं, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. हो, इरिगेशन हो, पी.एच.ई.डी. हो, इस तरह सीधे वहां से नाम लेकर भर्ती करते हैं तो क्या उन विभागों के खिलाफ आप कुछ कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इन्दिरा जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना है क्योंकि एक तो पूछ लिया

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

भाई साहब ने जो कि मैं पूछ रही थी। यह पुलिस में भर्ती होती है और जिसकी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें होती हैं, वह भर्ती क्या रोजगार विभाग के द्वारा होती है या सीधे ही कर ली जाती है? अगर ऐसा किया जाता है तो रोजगार विभाग के द्वारा क्यों नहीं की जाती? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कहते हैं कि इतने-इतने रुपये लिये बिना नहीं लिये जाते? इसलिए मैं यह जानकारी करना चाहती हूं कि पुलिस विभाग में जो सिपाहियों की भर्ती की जाती है वह रोजगार विभाग के द्वारा की जाती है या सीधी?

श्री उपाध्यक्ष : ये तीनों ही अलग से प्रश्न हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप विराज जाए। श्री शिवनाथ सिंह।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह अलग से कहां हैं? रोजगार विभाग से लिये जाएंगे या नहीं, यह प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दे दी है उसका चैलेंज करने का आप कुप्रयास न करें।

पुस्तकालयाध्यक्षों/शारीरिक शिक्षकों के वेतनमान

29. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुस्तकालयाध्यक्षों/शारीरिक शिक्षकों की योग्यता, नियुक्ति एवं पदोन्नति के तरीके समान हैं? यदि हां, तो इन दोनों के वेतनमान में भिन्नता के क्या कारण हैं? क्या सरकार इस असमानता को दूर करने का विचार रखती है?

(2) क्या सभी विद्यालयों में स्तरानुसार पुस्तकालयाध्यक्षों के पद सृजित हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या पुस्तकालयों के सम्बन्ध में कोई कानून है? यदि नहीं, तो क्या सरकार कानून बनाने का विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) जी, नहीं। पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षकों की योग्यता अलग-अलग है जो कि इस तालिका से स्वतः स्पष्ट है :-

	पुस्तकालयाध्यक्ष	शारीरिक शिक्षक
योग्यता/पात्रता	प्रथम श्रेणी	प्रथम श्रेणी
नियुक्ति (सीधी)	—	50 प्रतिशत
पदोन्नति	100 प्रतिशत	50 प्रतिशत

द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षक के पदों पर नियुक्त एवं पदोन्नति की प्रक्रिया समान है तथा प्रथम श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने तथा प्रथम श्रेणी शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम में समग्र दृष्टि से संशोधन के प्रस्ताव देने हेतु एक समिति गठित की थी। समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

(शिक्षा मंत्री)

उक्त पदों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर नवीन वेतनमान दिये जा चुके हैं। समकक्ष पदों के वेतनमान शिक्षकों के बराबर रखने की मांग सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी, नहीं। सन् 1992-93 तक माध्यमिक विद्यालयों में एक तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष का पद स्वीकृत किये जाने का प्रावधान था उसके पश्चात् यह पद स्वीकृत किया जाना बन्द कर दिया गया। राज्य के सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में स्तरानुसार पुस्तकालयाध्यक्षों के पद स्वीकृत हैं।

(3) जी, नहीं। पुस्तकालय अधिनियम न बनाकर, पुस्तकालय नीति बनाने का निर्णय लिया गया है।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय मंत्रीजी भी अटक रहे थे, मैं उनकी दुविधा को जानता हूं। शिक्षकों के प्रति वे बहुत सद्भावी हैं। मेरा प्रश्न बहुत साफ था कि पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक शिक्षकों की योग्यता, नियुक्ति और पदोन्नति के क्या तरीके हैं। मुझे जो उत्तर दिया गया है उसमें इनकी योग्यता कहीं भी अंकित नहीं की गई है कि इनकी क्या योग्यता है दोनों की। मेरा प्रश्न यह है कि दोनों की समान योग्यता है, उसमें योग्यता आपने इस तालिका में कहीं नहीं दी। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह कागज नहीं लगा है पीछे ?

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, आपने पढ़ा भी नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं, है जरूर।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, दूसरा प्रश्न था, इनकी दोनों की पदोन्नति समान है। ये कहते हैं, नियुक्ति तृतीय श्रेणी में बराबर है, पदोन्नति में फर्क है तो दोनों मामलों में पदोन्नति जो होती है, वह अलग पद है लेकिन नियुक्ति का समान तरीका है और इनकी योग्यता समान है। तो मेरा प्रश्न पूछने का अर्थ यह है कि इन दोनों के वेतनमानों में विसंगतियां क्यों हैं? यह, उपाध्यक्षजी, बहुत स्पष्ट है (व्यवधान) मैं शिक्षा मंत्रीजी का बड़ा सम्मान करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी को जो उत्तर दिया है विभाग ने उसमें एक गलती रह गई। माननीय मंत्री महोदय, आप तो यह बताएं कि दोनों की योग्यता क्या है? उसके बाद में मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष जी, वह एक कागज सप्लीमेंट्री इनके साथ और था, वह शायद आपके उत्तर में लगा नहीं। उसमें डिटेल बहुत था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा।

तृतीय श्रेणी में जो शारीरिक शिक्षक है उसकी योग्यता है सीनियर हायर सैकण्डरी और समकक्ष तथा सी. पी. एड। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड है उसकी सीनियर हायर सैकण्डरी और सी. लिब.। सैकिण्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए बी.ए. और उसके साथ डी.पी.एड. या सैकण्डरी प्लस चार वर्षीय डिग्री कोर्स हैं सी. लिब.। इसी तरह फर्स्ट ग्रेड के शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति है, उसके लिए बी.ए. प्लस डी पी.एड. हैं। पी. टी. आई. के पद पर सात वर्ष का अनुभव,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बी.ए. प्लस एम.पी.एड है और तीन वर्ष का अनुभव। प्रथम श्रेणी का जो लाइब्रे-रियन लगता है उसका सीधी भर्ती का नहीं है। 100 प्रतिशत सैकिण्ड ग्रेड से प्रमोट होता है और शारीरिक शिक्षक फर्स्ट ग्रेड में डाइरेक्ट पोस्टिंग भी है और 50 प्रति-शत नीचे से पदोन्नति भी है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपा-ध्यक्षजी इसमें मेरा सप्लीमैंट्री अब आता है।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों अलग-अलग हैं, अलग-अलग।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, अब आता है। इन्होंने अब उत्तर दिया है पूरा।

उपाध्यक्षजी, थर्ड ग्रेड की बेसिक योग्यता सीनियर हायर सैकण्डरी है और यही सैकण्ड ग्रेड में है। दोनों की बेसिक योग्यता बी.ए. भी है, थर्ड ग्रेड में भी बी.ए. है। आगे वाली सी.पी.एड और वह जो है, भिन्न-भिन्न कामों के लिए अलग-अलग ट्रेनिंग्स हैं लेकिन बेसिक योग्यता दोनों में सीनियर हायर सैकण्डरी और बी.ए. और एम.ए. है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब ऐसा है, उसके बाद में दोनों के वेतनमानों में भिन्नता क्यों है और उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यह पहला सप्लीमैंट्री है।

दूसरा, बी पार्ट मैंने यह पूछा है कि विद्यालयों में सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पहले थे, उसको आपने समाप्त कर दिया। सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी के ज्यादातर स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। शहरी क्षेत्रों में बालकों को लाइब्रेरी की सुविधा बहुत है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी सुविधा लाइब्रेरी की इन बच्चों को नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का मनोवैज्ञानिक बढ़ावा हो, उनकी शिक्षा में वृद्धि हो, उस दृष्टि से आपने 1992–93 के बाद से बन्द कर दिया है, क्या सरकार इस पर भी थिंकिंग करेगी और वहां पुस्तकालयाध्यक्षों की नई नियुक्ति करेगी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों के वेतनमान में अन्तर है लाइब्रेरियन और शारीरिक शिक्षक में। शारीरिक शिक्षक को शिक्षक की ग्रेड में माना हुआ है इसलिए जो भी केन्द्र का वेतनमान है वह शिक्षक के हिसाब से उसको मिला। पुस्तकालयाध्यक्ष शिक्षक से भिन्न है, जैसे एल.डी.सी. और बाकी लोग हैं। उसके हिसाब से थर्ड ग्रेड पे–स्केल में उन्होंने उसको रखा है, इसलिए वह 3050 के अन्दर रहा। यह विसंगति जब हमारे ध्यान में आई तो इसको सिसोदिया कमेटी के पास रैफर किया। सिसोदिया कमेटी ने अपनी रिकमंडेशन के साथ इसको भेजा। लाइब्रेरियन हाई कोर्ट में भी गये इस बात को लेकर कि शारीरिक शिक्षकों के और हमारे वेतनमान में अन्तर क्यों है। हाई कोर्ट ने इसको देखकर वापस केस हमारे पास भेजा कि आप इस विषय पर विचार करके जो भी उचित हो, निर्णय करें क्योंकि अभी यह विचाराधीन है। विचाराधीन में उसका फैसला होने के बाद ही क्या निर्णय होगा, यह फाइनल होगा। लेकिन यह कोई ड्रॉप नहीं किया है, निश्चित रूप से इस विषय में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समानता के बारे में विचार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। हम उसी तरफ बढ़

(14)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रहे हैं लेकिन जब तक निर्णय नहीं हो, तब तक मैं यहां पर कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं।

आपका दूसरा बिन्दू है कि सैकण्डरी स्कूल में लाइब्रेरियन की पोस्ट थी वह आपने क्यों बन्द की। हमने इस बात का प्रयास किया है कि लाइब्रेरियन के पद हमको मिलें, माननीय सदस्य को अच्छी तरह से मालूम होगा कि पहले सैकण्डरी स्कूल में सब्जैक्ट का बाइफर्केशन हो जाता था नाइंथ से ही और फैकल्टी बन जाती थी आर्ट्स, वाणिज्य और विज्ञान, लेकिन बाद में सारा मिलाकर एक साथ हो गया और एक सामान्य मिडिल स्कूल की तरह से सैकण्डरी तक की पढ़ाई का स्तर बन गया। इस बात को इन्होंने सोचा कि इसके कारण से जो टीचर्स के पद हमने दे रखे हैं सैकण्डरी में ये बहुत अधिक पद हैं, एक हैड मास्टर है, छह सैकण्ड ग्रेड हैं, तीन थर्ड ग्रेड हैं, एक लाइब्रेरियन है, एक एल. डी. सी., एक यू.डी.सी. है, तीन पीग्रोन हैं और क्लासें मात्र पांच हैं छठी, सातवी, आठवीं, नवीं, दसवीं। उसके बाद आर्थिक उपलब्धता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यह सच है हालांकि कड़वा जरूर है कि 2000 की तो किताबें हैं या 5000 की तो किताबें हैं और 75,000 की तनख्वाह का एक आदमी है सालाना। यह किसी भी दृष्टि से, मैं सोचता हूं राज्य के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने खुला रखा है वहां, जहां बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है, जहां लाइब्रेरी ठीक प्रकार से स्ट्रेंथ हो जाती है, जहां उसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। कोई कानून बनाकर पदों को तोड़ा नहीं है, हमने पदों को रखा है और आगे वे पद रहेंगे लेकिन आवश्यकता को ध्यान में रखकर। अगर उनकी उपयोगिता होगी तो वे पद रहेंगे, मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, सैकण्ड सप्लीमैंट्री। सरकार ने पिछला अनुभव देखा है, अध्यापकों का आन्दोलन देखा है। हम भी दुःखी हैं, आप भी दुःखी हैं और बच्चे भी बहुत दुःखी हैं। आपके पास कमेटी की रिपोर्ट आ गई, सरकार के विचाराधीन है, जैसा कि आपने जवाब दिया। इस मामले में सम्बन्धित शिक्षकों को आन्दोलन का रास्ता नहीं लेना पड़े, कितनी समयावधि में सरकार इसका निर्णय कर लेगी ताकि बच्चों का भी भविष्य नहीं बिगड़े, सरकार को पीड़ा नहीं हो और अपना काम करती रहे? कितनी अवधि आप सोचते हैं सरकार को विचार करने के लिए चाहिए? या अगली आने वाली सरकार पर ही छोड़ना चाहते हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि समिति की रिपोर्ट बहुत जल्दी अपने अंतिम रूप में आने वाली है। संभव है 10–15 दिन में भी आ जाए, महीना भर से ज्यादा लगने वाला नहीं है। लेकिन इसमें पद दिए जाएंगे, वह विषय नहीं है। दोनों की पे-स्केल में अन्तर क्यों है इसके ऊपर उनकी रिपोर्ट आनी है, उनका जो निर्णय होगा, उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

पंचायत समिति, जहाजपुर के मकानों/दुकानों से आय

30. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, जहाजपुर की निजी आय के मकान/दुकानें जहाजपुर तथा ऊंचा शरहद में स्थित हैं ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में किस-किस क्वार्टर/दुकान का कितना किराया नीलामी से निर्धारित होकर किसके द्वारा कब-कब जमा कराया गया तथा किस-किस में कितना बाकी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि निजी आय के मकान/दुकान तथा छत के कमरे, हॉल का किराया, नल, बिजली के बिल बराबर जमा हुए या नल, बिजली का किरायेदारों द्वारा सीधा भुगतान किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सही है कि विकास अधिकारी की लापरवाही से पंचायत समिति को किराया बराबर नहीं मिला ?

(4) क्या यह भी सही है कि नल–बिजली का खर्चा प्रत्येक मकान, हॉल, ऑफिस, दुकान का प्रत्येक किरायेदार ने जमा कराया अथवा पंचायत समिति कोष से जमा हुआ ?

राज्य मंत्री, पंचायती राज (श्री नाथूसिंह गुर्जर) : (1) जी हां। वर्ष 1981–82 से 1997–98 तक क्वार्टर/दुकानों से प्राप्त किराया एवं किराये की बकाया राशि का विवरण संलग्न है।

श्री उपाध्यक्ष : जोर से बोलें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : चूंकि पूर्व में प्राप्त प्रश्न में 1981–82 से 1997–98 तक की सूचना चाही गई थी, जो प्राप्त की गई है। अल्प अवधि में, मुद्रित प्रश्नावली में 5 वर्षों की सूचना चाही गई है जिसे अलग किया जाना सम्भव नहीं है इसलिए 17 वर्ष की सूचना दी गई है।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : सुनाई नहीं दे रहा।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी, जोर से बोलो।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : (2) जी हां। किरायेदारों द्वारा नल, बिजली के बिलों का भुगतान सीधे ही सम्बन्धित विभागों को किया गया है। आवास सं. 15 का नल–बिजली का भुगतान पूर्व प्रधान श्री कल्याणमल मीणा की अवधि में 8/90 से 6/95 तक का बकाया आवास खाली करने पर विभागों द्वारा निकाले जाने से राशि रुपये 3164/– पंचायत समिति, जहाजपुर द्वारा जमा कराई थी; जिसकी वसूली की कार्यवाही जारी है तथा 9/95 से 10/97 तक की अवधि में उक्त आवास का 2/3 हिस्सा पंचायत समिति के अधीन रहा तथा 1/3 हिस्सा वर्तमान प्रधान श्री शिवजीराम मीणा द्वारा उपयोग में लिया गया। लेकिन अधिकांश भाग पंचायत समिति के उपयोग में आने से सम्पूर्ण आवास का नल-बिजली का खर्चा रुपये 1568/– पंचायत समिति द्वारा जमा कराया गया है जिसकी 1/3 राशि रुपये 525/– श्री शिवजीराम मीणा प्रधान द्वारा पंचायत समिति में जमा करा दिया गया है।

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

(3) जी नहीं। विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार किराया बराबर वसूल किया जाता रहा है।

(4) जी हां। सभी मकान, हॉल, ऑफिस, दुकान का नल–बिजली का खर्चा एवं जमा कराने का विवरण बिन्दु संख्या 2 के प्रत्युत्तर के अनुसार है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न इतना साफ होते हुए भी जो उत्तर दिया गया वह बहुत ही अस्पष्ट है। प्रश्न के भाग संख्या 1 के बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं, सूचना से सम्बन्धित है। भाग संख्या 2 के बारे में मुझे निवेदन करना है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि राजस्थान पंचायत अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने हुए नियमों में किसी प्रधान को आवास गृह के लिए राजकीय सुविधा निर्धारित किराये पर या किसी प्रकार से देने के कोई प्रावधान हैं? तो तीन वर्ष से लगातार जिस क्वार्टर का किराया असैसमैंट से हजारों रुपया बनता है उस पर काबिज होकर जब कार्यवाही चली तो प्रशासन स्थायी समिति जिसका स्वयं प्रधान अध्यक्ष होता है, उसमें एक ऐसा निर्णय कर लिया कि दो सौ रुपये महीने में तो प्रधान रहेगा और बाकी क्वार्टर में सदस्य और सरपंच जब आएंगे ठहरेंगे। मेरा इसमें अनुरोध है कि सरपंच और सदस्यों के ठहरने के लिए वैसे तो अलग से अतिथि गृह बना हुआ है, उसके बावजूद भी नियमों में प्रावधान नहीं है। जैसे प्रजातंत्र में पार्टी होती है, ग्रुपबाजी होती है, प्रधान जब एक क्वार्टर पर कब्जा करके रखेगा तो दूसरे लोग कहां ठहरने जाएंगे? पंचायत समिति यह रिकार्ड प्रस्तुत कर दे कि वहां कौन-कौन कब-कब ठहरता है, उसका मेंटीनेंस कैसे होता है। केवल किराये से बचने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव पास किया गया। स्वयं प्रधान वहां पर अध्यक्षता करता है, इसमें उसका आर्थिक हित निहित है। पंचायत एक्ट में इस प्रकार के प्रावधान हैं कि जिसका आर्थिक हित निहित हो वह सदस्य उसमें बैठ नहीं सकता, निर्णय नहीं कर सकता। उसके बावजूद दो सौ रुपये माह में पूरा क्वार्टर, जो कि निजी आय से 15 साल पहले, 20 साल पहले बना था और जिसकी पहले भी इसमें काफी कार्यवाही, ऑडिट एतराज वगैरह हुए हैं, वह सारी कार्यवाही गलत ढंग से हुई। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा इसकी जांच, सी. ओ. से करवाई गयी थी पहले शिकायत पर। जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि उस रिपोर्ट को भी आप इस अवसर पर बताने का कष्ट करेंगे जिसमें काफी गम्भीर अनियमितता मानी है, अनधिकृत प्रयास और पद का दुरुपयोग माना है। इसके साथ दुकानों के किराये के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह नियम आपके 96 में बने....

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक साथ दे देंगे जवाब, मैं एक साथ पूछ रहा हूं। या अलग-अलग पूछता ही रहूंगा, बहुत लम्बा मामला है। आप तो यह बता दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 525 रुपये का मामला है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में स्पष्ट प्रावधान हैं, निजी आय के जितने भी क्वार्टर्स, दुकानें बनती हैं वहां हमने समिति बना रखी है। वह समिति नीलामी के द्वारा पट्टे जारी करती है। तीन साल की अवधि के लिए देती है, उसके बाद बढ़ा भी सकती है। इस तरह का नियमों में प्रावधान है। ये जो दुकानें नीलामी पर दी गई हैं या आवास दिये गये हैं, इनका किराया भी वसूल किया गया है समय–समय पर। नल–बिजली–पानी का जो भी खर्चा था वह भी वसूल किया गया है खाली जो क्वाटर्स, दुकानें हैं, उनको देने का नियमों में प्रावधान हैं, वह समिति दे सकती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि जब 1993–94 में यह विभाग मेरे पास आया, वर्षों से कई कर्मचारी और अवैध लोग पंचायत समितियों के क्वार्टर्स पर, आवासों पर कब्जा जमाए हुए थे, जमीनों पर कब्जा जमाए हुए थे, मैंने तो इतना किया है .

श्री उपाध्यक्ष : अवैध लोग थोड़े ही थे? अवैध रूप से जो लोग थे .

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अवैध रूप से। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आते ही सारे क्वार्टर्स खाली करवाये, दुकानें खाली करवाई, जमीनें खाली करवाई। उस समय सब को बाहर निकाला। अभी भी हमने नियमों में सख्त प्रावधान डाल रखा है, एक समिति बना रखी है। वह समिति बाकायदा नीलामी के द्वारा इन दुकानों, आवासों को किराये पर देती है ताकि वे फालतू खाली नहीं रहें और उनकी इनकम पंचायत समिति और पंचायतों को आए। इस तरह की व्यवस्था की गई है। अब इसमें प्रति माह, ज्यादातर कर्मचारी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, खाली रहा तो वे लोग भी रहे हैं। इन्होंने वहां पर प्रस्ताव पास कर यह भी कहा कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वे आकर उसमें ठहर सकते हैं एक निश्चित किराया देकर। तो यह व्यवस्था की है, उस समिति ने ही यह किया है। इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा कुछ किया गया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह जानना चाहूंगा कि समिति ने ये दुकानें कब नीलाम कीं? वह आप रख दीजिये। इस समिति का गठन होने के बाद नीलामी ही नहीं हुई। एक वर्ष की अवधि के लिए नीलाम की है, उपाध्यक्ष महोदय। जो नीलामी की शर्त थी उसमें एक वर्ष के लिए थी, उसको प्रधान और बी.डी.ओ. ने उन पार्टियों से मिलकर पांच वर्ष कर दिया। जनरल हाउस ने उसको अस्वीकार कर दिया। राज्य सरकार ने मेरे पिछले प्रश्न में यह कहा है कि यह गलत कार्यवाही की गई है और एक वर्ष वापस किराया करने के निर्देश दे दिये गये हैं। उस आदेश की पालना आज तक बी.डी. ओ. ने नहीं की। उसे प्रति वर्ष, यह दुकान नम्बर आप देख लीजिये, 6 का 1705 रुपये किराया है—

श्री मदन दिलावर : ये प्रधान से ज्यादा दुःखी हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं तो दुःखी किसी से नहीं हूं, मैं तो नियमों से से दुःखी हूं। पंचायत समिति को दो लाख रुपये साल का नुकसान हो गया, पांच साल में दस लाख का नुकसान हो गया। यह आपकी पार्टी के ब्लाक अध्यक्ष ने

(श्री रतनलाल ताम्बी)

नीलामी में ली है 1705 रुपये में। बाद में झगड़ा होने पर नीलामी कार्यवाही कराई 1705 में। उससे आगे की महत्वपूर्ण दुकानें 200–250 रुपये महीने में दे दीं एक साल के लिए और उसको पांच साल कर दिया। यह बहुत बड़ी अनियमितता हुई है। इसकी आपने पहले मेरे प्रश्न के जवाब में जांच करवाई। जांच करने पर सी.ई.ओ. भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को राज्य सरकार दबाकर बैठी है। उससे पंचायत समिति को दो लाख रुपये प्रति वर्ष का नुकसान नियमित रूप से हो रहा है यदि ओपन नीलाम होती हैं वे दुकानें तो डेढ़ हजार और दो हजार रुपये से ऊपर किराये पर जाएगी, कम नहीं जा सकतीं। एक वर्ष की शर्त पर आपने नीलाम कर दी तो उसको आपने पांच वर्ष कैसे कर दिया? कहां अधिकार है आपको बढ़ाने का? जो आपने शर्तें तय की हुई हैं उन शर्तों के विपरीत काम कैसे हो गया? एक चीज। दूसरे, प्रधान मैं भी रहा हूं, दूसरे भी रहे हैं, प्रधान कोई क्वार्टर का एन्टाइटल्ड नहीं है। उसने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया और दो–ढाई साल रहता रहा। जनरल हाउस ने तय करने के बाद एक प्रस्ताव पास कर दिया कि आधे में प्रधान रहेगा दो सौ रुपये महीने में और बाकी में सदस्य ठहरेंगे। वहां आज तक कोई सदस्य ठहरा नहीं, और पूरे क्वार्टर पर कब्जा करके बैठे हैं। असैसमैंट से हुआ नहीं। प्रधान स्वयं स्थायी समिति का मैम्बर होता है, जिसका आर्थिक हित निहित है। प्रधान का ऐसा प्रस्ताव करना पद का खुला दुरुपयोग करना है। आपके नियमों में प्रावधान है कि जिसका आर्थिक हित निहित हो उसमें नहीं बैठेगा, उसकी अध्यक्षता करने वाला प्रधान स्वयं ही अपने हित में फैसला करवा रहा है। तो यह बहुत गम्भीर मामला है और इसमें लाखों रुपयों का नुकसान पंचायत समिति को प्रति वर्ष हो रहा है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, ताम्बी साहब खुद प्रधान रहे हैं और कई वर्षों तक रहे हैं। इन्होंने क्या किया इसकी भी जांच इसके साथ ही करवा ली जाए। इन्होंने कितने वर्षों तक कब्जा रखा, कितने प्रबंध काम किये और कितने गलत काम किये, उसकी भी जांच सारी करवा ली जाए। ये तो प्रिजुडिस होकर ...

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं जिन्दगी में सरकारी क्वार्टर में एक दिन भी रहा हूं तो मैं विधान सभा में घोषणा करता हूं कि मैं इस्तीफा दूंगा।

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, ताम्बीजी प्रिजुडिस होकर यह प्रश्न पूछ रहे हैं। वह प्रधान इनकी पार्टी का नहीं है और बीजेपी का बन गया तो इनको खटक रहा है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैंने एक दिन भी पंचायत समिति के क्वार्टर में कभी आवास किया हो और एक दिन भी मैं उसमें रहा हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को कहां तक बचाओगे? ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप मंत्री महोदय को भी सुन लीजिये।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय श्री तांबी, कृपया विराजें । मंत्री महोदय ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रधान ताम्बीजी की पार्टी का नहीं है । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ताम्बीजी किस पार्टी के हैं ? या इन्हीं से पूछ लें, किस पार्टी के हैं ताम्बी जी । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी के।

श्री रतनलाल ताम्बी : ये प्रधान का जिक्र करें, प्रधान कौन है ? कांग्रेस टिकट पर जीता हुआ आदमी है । खरीद-फरोख्त से बीजेपी का बाद में बनाया गया है, इसको भी आप जानते हैं । कांग्रेस के टिकट पर हाथ के निशान पर जीत गया था वह पंचायत समिति प्रतिनिधि ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या प्रधान ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा इसलिए ये पूछ रहे हैं ?....(व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये समय खराब कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य । आप कुछ कहना चाहते हैं, मंत्री महोदय ?

श्री रतनलाल ताम्बी : हां, इसका जवाब तो पूरा आया नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप बिराजिये न ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है । जिला परिषद के कुछ विशेष अधिकार हैं, पंचायत समितियों के कुछ विशेषाधिकार हैं । वहां समितियां बनाई हुई हैं वे प्रस्ताव लाकर निजी इनकम की जो भी उनकी असैट्स होती हैं उनके बारे में फैसला लेती हैं और फिर जनरल हाउस में फैसले के उस प्रस्ताव को रखा जाता है । फिर भी यदि सरकार के पास ऐसे कुछ मामले आते हैं जिनमें एक्ट या नियमों के अनुसार नहीं होता है तो सरकार उन प्रस्तावों को निरस्त कर वापस सी.ई.ओ. से रिपोर्ट मांगती है । इस सम्बन्ध में यदि ऐसा है जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जनरल हाउस में इस तरह का एक प्रस्ताव ले लिया ऐसा ले लिया तो समय-समय पर सरकार के पास इस तरह के प्रस्ताव आते हैं, सरकार उनको निरस्त भी करती है, रिपोर्ट भी प्राप्त करती हैं । जो मेरे पास सूची हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कई एक्स प्रधान हैं, एक प्रधान भी हैं, कर्मचारी भी है और 1995-96 की ऑडिट हुई है उस ऑडिट के अनुसार हमने वसूली भी की है इसलिए ऐसा कोई मुझे लगता नहीं हैं कि कोई बहुत बड़ा घपला हो गया या कुछ हो गया हो । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : वह आडिट लेते समय क्यों नहीं हुई उसमें? (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आडिट की व्यवस्था है, हर साल आडिट होती है ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ. जितेन्द्र ।

श्री रतनलाल ताम्बी : साहब, मैं अभी और पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न समाप्त । डॉ. जितेन्द्र सिंह ।

खालों के निर्माण के लक्ष्यों की प्राप्ति प्रकरण

31. डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) एवं श्री हरिन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1992-93 से 1995–96 में खालों के निर्माण के कुल लक्ष्य से 56,077 हैक्टेयर की लक्ष्य में कमी हुई है ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त कमी के लिए कौन–कौन अधिकारी दोषी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकारियों के गलत निर्णय एवं दोषपूर्ण कार्य-शैली के कारण सरकार की लगभग 43.60 करोड़ रुपयें के खाले बनाने के लिए भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने एवं मरु क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ा और खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी आई ?

(3) क्या यह भी सही है कि 52 स्वीकृत ईंट भट्टों को दिनांक 26 फरवरी 1993 को बन्द कर दिया गया था, जिनमें से 15 ईंट भट्टों को उसी दर एवं शर्तों पर पुन: शुरू करवाया गया, जिसके कारण ईंट की लागत राशि में वृद्धि हुई ? यदि हां, तो इस अधिक लागत के कौन–कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास (श्री रामप्रताप कासनियां) : (1) जी, हां। इस अवधि में लक्ष्यों के विरुद्ध कम उपलब्धि के अनेक कारण थे। शहीद बीरबल शाखा एवं सागरमल गोपा शाखा के क्षेत्र में आबंटियों की बसावट बहुत कम होने के कारण वर्ष 1992–93 एवं 1993–94 में इन क्षेत्रों में कार्य स्वीकृत नहीं किये गये अथवा रोक दिये गये थे। वर्ष 1993–94 में यह भी निर्णय लिया गया कि खालों का निर्माण पूर्व प्रचलित पद्धति "लेबर रेट सिस्टम" के स्थान पर "ग्रॉस रेट सिस्टम" के आधार पर करवाया जाए। इस निर्णय का भी खालों के निर्माण पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा यह प्रभाव वर्ष 1995–96 तक जारी था। वर्ष 1995–96 में प्रारम्भिक लक्ष्य 60,000 हैक्टेयर को बढ़ाकर 80,000 हैक्टेयर किया गया था। बढ़े हुए लक्ष्य के अनुपात में पदों व वाहनों का सृजन तो हुआ लेकिन सृजित पदों पर पदस्थापन न हो सका और वाहन भी क्रय नहीं किये जा सके। इसके अलावा माह नवम्बर, 1993 में विधान सभा चुनाव, माह जनवरी व फरवरी, 1995 में पंचायत चुनाव तथा माह दिसम्बर, 1995 व जनवरी, 1996 में इन्दिरा गांधी मुख्य नहर में बन्दी के कारण भी उपलब्धियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कम उपलब्धि के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं।

(2) जी नहीं। खालों का निर्माण केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत करवाया जाता है जो कि एक सतत् योजना है। प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा खालों के निर्माण पर व्यय की गई राशि के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण किया जाता है। परियोजना क्षेत्र गैर आबाद होने के कारण तथा खालों का निर्माण पूर्ण होने के 8 से 15 वर्ष पश्चात् तक पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त होने के

(सिंचित ग्रामीण विकास मंत्री)

कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी का ग्राकलन सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। न तो 52 स्वीकृत भट्टों को बन्द करने के आदेश दिये थे ग्रौर न हीं 15 भट्टों को पुनः शुरू ही करवाया गया था।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेशानुसार केवल दो सप्लीमैंट्री पूछूंगा इसके अलावा बहस नहीं करूंगा। ग्रापसे मेरी प्रार्थना है कि दो सप्लीमैंट्री ग्राप सुन लें ग्रौर उनका प्रोपर जवाब दिलवा दें। मैं जो सप्लीमैंट्री पूछता हूं वे उनका जवाब नहीं देकर इधर-उधर गोल–मोल करते हैं। उनकी समझ में नहीं ग्राता है ब्रीफ करते हैं .

श्री उपाध्यक्ष : वे भी इस विषय में एक्सपर्ट हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : नहीं ब्रीफ गलत करते हैं अधिकारी।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपर्ट हैं ग्रौर मिनिस्टर हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : ब्रीफ गलत करते हैं इसलिए जवाब प्रोपर आए। जवाब गलत देते हैं या फिर वे जवाब देते नहीं। जैसा ग्रफसर ब्रीफ करते हैं वैसा जवाब ग्राता है। इसलिए ग्राप सुन लें मेरे प्रश्न, आप जवाब दिलवा दें ग्रौर ग्राप संतुष्ट हो जाएं तो मैं बैठ जाऊंगा। मैंने पूछा है कि लेबर रेट के बजाय ग्रू रेट करने से काम कम हुआ, पैसा ज्यादा खर्च हुआ, वेस्टेज हुआ, गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया का ग्रसिस्टेंस नहीं मिला। इसके जवाब में इन्होंने एक लाइन खुद ने लिखी है कि वर्ष 1993–94 में यह भी निर्णय लिया गया था कि खालों का निर्माण पूर्व प्रचलित पद्धति लेबर रेट सिस्टम के स्थान पर ग्रू रेट सिस्टम के ग्राधार पर कराया जाए। इस निर्णय का खालों के निर्माण पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा यह प्रभाव वर्ष 1995-96 तक जारी रहा। माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) **:** यह है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : एक सैकिण्ड सुनिये ग्राप। यह स्वीकार किया है तो इस पर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि कम उपलब्धि के लिए कोई ग्रधिकारी दोषी नहीं है। एक तरफ तो यह मान रहे हैं कि प्रभाव पड़ा दूसरी तरफ यह मान रहे हैं कि कोई ग्रधिकारी दोषी नहीं है। इसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन यह करना है कि क्या .

श्री उपाध्यक्ष : इसके क्या कारण हैं?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : नहीं–नहीं, कारण नहीं। इस सम्बन्ध में ए जी. की ग्राडिट रिपोर्ट में जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, मंत्री जी के पास भी होगी, ए.जी. ने 81 लाख 61 हजार की हानि मानी है। इस सम्बन्ध में मैंने मुख्य मंत्री जी को शिकायत दिनांक 10–10–95 को की थी जिसकी जांच के बाद कितनी जांच हुई, मुझे पता नहीं, तत्कालीन मंत्री ज्ञानसिंह जी चौधरी ने मुख्य मंत्री को इन ग्रधिकारियों को दोषी मानते हुए लिखा है, क्या यह सही है? एक प्रश्न।

दूसरा, मेरा निवेदन था कि क्या यह सही नहीं है, ग्रापने प्रश्न के जवाब में यह

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

कहा है, जी नहीं, न तो 52 स्वीकृत भट्टे बन्द करने के ग्रादेश दिये गये न 15 भट्टों को पुन: शुरू करवाया गया। मेरी जानकारी के अनुसार 26.2.93 को 52 भट्टों को बन्द किया गया ग्रौर 15 भट्टे 9 माह बाद प्रारम्भ किए गये। गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया से इनको 9600 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से पैसा मिलता था, प्रति हैक्टेयर के हिसाब से जो होता था उसका 50% मिलता था। इनके लक्ष्य 29200 हैक्टेयर कम होने के कारण गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया से 14 करोड़ की ग्रसिस्टेंस इनको कम मिली है। इस बात को ये स्वीकार नहीं करते। दो स्पेसिफिक प्रश्न मैंने पूछे हैं उनका जवाब दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई, इस बात को मैंने स्वीकार किया है। इसके पीछे जो कारण यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि लेबर रेट पद्धति के ऊपर ये कार्य करवाये जाते थे। जो 50 भट्टों की चर्चा ग्रायी है इन भट्टों पर ठेकेदारों ने मिट्टी व कोयला जरूरत से ज्यादा ढुलाई करके उसका पेमेन्ट सरकार से उठा लिया। तो तत्कालीन ग्रायुक्त ने निरीक्षण किया ग्रौर यह पाया कि ग्रनावश्यक रूप से राज्य सरकार की राशि ब्लाक हो जाती है ग्रौर कार्य करने के लिए पैसा नहीं बचता। मौके पर जो मिट्टी ग्रौर कोयला पड़ा था हमारा, उस कोयले ग्रौर मिट्टी से हमारे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ईंटें बनाई जा सकती थीं। हमने भट्टों को बन्द नहीं किया हमने कोयले ग्रौर मिट्टी की ढुलाई पर पाबंदी लगायी है। इसके ग्रलावा उस क्षेत्र में काश्तकार बसे हुए नहीं थे। पूर्व में जो खाले बनाये, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहें तो मैं स्वयं मौके पर चलने के लिये तैयार हूं, काश्तकार वहां बसे नहीं ग्रौर ग्रांधियां चलने से कुछ खाले तो मिट्टी से भर गये ग्रौर कुछ खाले हवा चलने से मिट्टी कटाव होकर गिर गये। इसलिए जरूरत से ज्यादा, खालों का निर्माण करना तत्कालीन ग्रायुक्त ने उचित नहीं समझा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी चर्चा की गई कि केन्द्र सरकार से जो राशि मिलती है उसमें राज्य सरकार को बहुत बड़ा घाटा हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई, कमी ग्राई।

(12.00 बजे)

परन्तु पंचवर्षीय योजना के ग्रनुसार हमारा लक्ष्य 2 लाख हैक्टेयर का था जिसमें से हमने 1.98 लाख के लक्ष्य की पूर्ति कर ली। इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि हमें नुकसान हुग्रा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें कोई नुकसान नहीं हुग्रा। जितना भी काम हम करते हैं उसके ग्रनुपात में केन्द्र सरकार हमें 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध करवाती है। 2 लाख हैक्टेयर का हमारा लक्ष्य पंचवर्षीय योजना के हिसाब से था ग्रौर हमने 1.98 लाख के लक्ष्य की पूर्ति की है। हमारा जो पैसा है वह हमें मिल गया, कोई भी नुकसान नहीं हुग्रा। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है। दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड मेरी बात सुन लें आप। मैंने जो पूछा था उसका जवाब ये नहीं देने वाले हैं, यह मैंने पहले ही निवेदन किया है। मैंने यह नहीं कहा है कि आपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की। ईयरवाइज लक्ष्यों की पूर्ति होती तो पहली साल में जो काम सौ रुपये में होता था वह सौ रुपये में हो जाता। दूसरी साल वह काम सवा सौ में हुआ, तीसरी साल वह काम डेढ़ सौ में हुआ। लक्ष्यों की पूर्ति बाद में आपने कर ली लेकिन वह महंगा पड़ता चला गया। ए.जी. की रिपोर्ट में 81 लाख 61 हजार का नुकसान बताया गया है, मैंने यह स्पेसीफिक पूछा है। दूसरा मैंने पूछा है कि मेरी शिकायत पर मुख्य मंत्री जी ने जांच करवायी। उसके आधार पर ज्ञानसिंह जी ने मुख्य मंत्री जी को क्या लिख कर दिया अधिकारियों के बारे में? ए.जी. आफिस की जांच रिपोर्ट के ऊपर आपने क्या किया? मैं यह पूछ रहा हूं, उसको आप दबा रहे हैं?

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दबा नहीं रहा हूं। प्रश्न से सम्बन्धित सवाल ये नहीं पूछ रहे हैं। प्रश्न में कहीं भी आपने इस बात को अंकित नहीं किया, मैं प्रश्न से बाहर जाकर कैसे उत्तर दे दूं?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मैं प्रश्न की बात पूछ रहा हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां : आपने जो प्रश्न में जानकारी मांगी है वह जानकारी मैंने दी है। प्रश्न से हटकर जानकारी नहीं दे सकता।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : ए. जी. की रिपोर्ट रैफर कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न से कैसे अलग है? खालों की कमी के कारण ए. जी. आफिस की रिपोर्ट दिखा कर आपको इसी से सम्बन्धित पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। मंत्री महोदय, बिराजें। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ए. जी. की रिपोर्ट इसी प्रश्न से सम्बन्धित है। शिकायत इस प्रश्न से सम्बन्धित है। जांच, इस प्रश्न से सम्बन्धित है। ज्ञानसिंह चौधरी, मंत्रीजी ने दोषी माना है, इसी प्रश्न से सम्बन्धित है, इसी खाले से सम्बन्धित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमाल है! 81 लाख 61 हजार रुपये का चूना लगा गवर्नमेंट को प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रश्न से सम्बन्धित पूछ रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मतलब एक तरफ भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर छतरी तान रखी है। यह कैसा भ्रष्टाचार मिटाने का तरीका है?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : सीनियर अफसरों को बचाने के लिये मंत्रीजी जवाब नहीं देना चाहते। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं वे जवाब नहीं देंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपका मुंह मीठा कर दिया है क्या, आप तो यह बताओ? दोषी अधिकारियों को क्यों बचा रहे हो? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : ए.जी.आफिस की रिपोर्ट आपके पास है इसी प्रश्न से संबंधित है मेरी स्वयं की शिकायत है मुख्य मंत्रीजी

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

नेजांच करवायी है । तत्कालीन कृषि मंत्री ने मुख्य मंत्रीजी को लिखा है, केवल उसका पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कर्मचारियों से विभिन्न मदों में सरकार को प्राप्त राशि

32. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि, दुर्घटना बीमा व पेंशनर्स मेडिकल रिलीफ फण्ड से 1997–98 में कुल कितनी राशि सरकार को प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि, दुर्घटना बीमा व पेंशनर्स मेडिकल रिलीफ फण्ड से 1997–98 में कुल प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

योजना का नाम	प्राप्त राशि
1. राज्य बीमा योजना	112.17 करोड़ रु.
2. सामान्य प्रावधायी निधि योजना	402.27 करोड़ रु.
3. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	3.11 करोड़ रु.
4. पेंशनर्स मेडिकल रिलीफ फण्ड	301.55 लाख रु.

प्रश्न संख्या–33

(स्थगित)

सामान्य सेवाओं पर व्यय में कटौती

34. श्री वीरेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1995 से पूर्व प्रदेश में सामान्य सेवाओं पर व्यय कितने प्रतिशत था और अब सामान्य सेवाओं पर व्यय कितने प्रतिशत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में सामान्य सेवाओं पर व्यय 38% से बढ़कर 53% हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इसमें कटौती करने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1988–89 में राज्य में कुल व्यय 4596.83 करोड़ रुपये था । जिसमें से सामान्य सेवाओं पर व्यय 819.52 करोड़ रुपये हुआ था । इस प्रकार सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय कुल व्यय का 17.83 प्रतिशत था । वित्तीय वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमानों में कुल व्यय 16276.10 करोड़ रुपये था, जिसमें से सामान्य सेवाओं हेतु 3666.88 करोड़ रुपये था जो कुल व्यय का 22.53 प्रतिशत है ।

(उप मुख्य (वित्त) मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्ष 1993–94 में कुल व्यय रुपये 7444.35 करोड़ था तथा सामान्य सेवाओं पर 2071.05 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जो 27.82 प्रतिशत था। वर्ष 1997–98 (संशोधित अनुमान) में कुल व्यय 16276.10 करोड़ रुपये आंका गया था जिसमें सामान्य सेवाओं पर व्यय 3666.88 करोड़ रुपये था जो 22.53 प्रतिशत था। इस प्रकार गत पांच वर्षों में सामान्य सेवाओं का व्यय, कुल व्यय का 27.82 प्रतिशत से घटकर 22.53 प्रतिशत रह गया है।

(3) राज्य सरकार अपरिहार्य राजकीय व्यय में कमी करने के प्रति सदैव प्रयासरत रही है। इस हेतु समय समय पर राजकीय विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यकलापों की समीक्षा की जाती है।

जिला झुन्झुनू में मदिरा विक्रय

35. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)**: क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला झुन्झुनू में वर्तमान में किन-किन स्थानों पर किस-किस के मकान/दुकानों में देशी/विदेशी मदिरा विक्रय हेतु दुकानें स्वीकृत हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में झुन्झुनू जिले में कौन-कौन ठेकेदार अधिकृत हैं तथा कितने-कितने रुपये में ये ठेके दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) जिला झुन्झुनू में देशी/विदेशी मदिरा के विक्रय स्थलों तथा मकान मालिक की सूची संलग्न परिशिष्ट (अ) अनुसार है।

(2) वर्तमान में झुन्झुनू जिले के देशी/विदेशी मदिरा अनुज्ञाधारी निम्न हैं :–

1– श्री बन्नाअली पुत्र चांद खां
2– श्री गिरधारीसिंह पुत्र आसूसिंह
3– श्री सदरूदीन पुत्र नत्थू खां
4– श्री मोहनलाल पुत्र रामेश्वरलाल
5– श्री शैलेन्द्रसिंह पुत्र ठा. गोवर्धनसिंह
6– श्रीमती फुलीदेवी पत्नी श्री लालमोहम्मद
7– श्रीमती नीलम पत्नी श्री राजू खां
8– श्री फिरोजअली पुत्र श्री बाबूलाल
9– श्री फुलचन्द पुत्र श्री घासीराम
10– श्री किशोरसिंह पुत्र नाथूसिंह
11– श्री रणजीतसिंह पुत्र मदनसिंह
12– श्री रिछपालसिंह पुत्र मंगेजसिंह
13– श्री शिवप्रसाद पुत्र सोहनलाल
14– श्री रीछपाल सैनी पुत्र कालूराम
15– श्रीमती मैना पत्नी यासिन खां
16– श्री ठा. गोरधनसिंह पुत्र भवानीसिंह
17– श्री धर्मवीरसिंह पुत्र कानाराम

झुन्झुनू जिला का ठेका वर्ष 1997–98 के लिए रुपया 2179.90 लाख में स्वीकृत किया गया था। वर्ष 1998–99 के लिए उक्त राशि में 15% वृद्धि की जाकर रुपया 2505.85 लाख में चल रहा है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

(26)

मैसर्स सुपर स्पन इण्डिया लि. को भूमि आवंटन प्रकरण

36. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम महलां में मैसर्स सुपर स्पन इण्डिया लि. को उद्योग लगाने हेतु भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कब एवं कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उद्यमियों को आवंटित भूमि पर उद्योग लगाने एवं समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई समय सीमा तय कर रखी है ? क्या इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्म द्वारा आवंटित भूमि में से नियम विरुद्ध कुछ भूमि का हस्तान्तरण/बेचान भी किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस को ? क्या सरकार द्वारा मैसर्स सुपर स्पन इण्डिया लि. के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। मैसर्स सुपर स्पन इण्डिया लि. को उद्योग लगाने हेतु दिनांक 20.6.94 को ग्राम महलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर में 105 बीघा राजकीय भूमि आवंटित की गई है।

(2) जी हां। भूमि का कब्जा प्राप्त करने, लीज डीड निष्पादन/पंजीयन कराने, ले-आउट प्लान अनुमोदन कराने हेतु 3 माह की समय सीमा निर्धारित की गई थी जिसे कम्पनी के निवेदन पर दिनांक 15.1.95 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति दी गई थी। आवंटन पत्र एवं समय अवधि बढ़ाने सम्बन्धी पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। उक्त कम्पनी द्वारा आवंटित भूमि में से भू-भाग के हस्तानान्तरण/बेचान करने की जानकारी सरकार को नहीं है, लेकिन कम्पनी के प्रवर्तक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने में तकनीकि कठिनाई के कारण मूल इकाई मैसर्स सुपर सिंकोटेक्स (इण्डिया) लि. की एक इकाई "सुपर स्पन" के नाम परिवर्तित करना प्रस्तावित किया गया है, प्रस्ताव राज्य सरकार और जिला कलक्टर, जयपुर के विचाराधीन है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

गौशाला दौसा की भूमि का बेचान प्रकरण

37. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) एवं श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पिंजरापोल गौशाला, दौसा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है ? यदि हां, तो उसका पंजीयन कब हुआ ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस गौशाला की भूमि को बेचने की अनुमति कब-कब दी गई ? अनुमति की प्रति मय नक्शे के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, पिंजरापोल गौशाला, दौसा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास नहीं है।

(2) राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा उक्त गौशाला की कोई भूमि बेचान की कोई स्वीकृति नहीं दी गई।

जब गौशाला की भूमि बेचने की अनुमति ही नहीं दी गई तो उसके नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मन्दिर श्री सीतारामजी (कानरपुरा) जयपुर को वार्षिक वृत्ति की स्वीकृति

38. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मंदिर श्री सीतारामजी विराजमान ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर की वार्षिक वृत्ति स्वीकृति का मामला आयुक्त देवस्थान, उदयपुर के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में कलक्टर (जागीर), जयपुर ने फार्म 12(ए) जारी कर दिया है और अब प्रपत्र 12(ख) जारी किया जाना शेष है ? यदि हां, तो कब तक जारी कर दिया जावेगा ?

(3) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण का शीघ्र निपटारा कराना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वार्षिकी भुगतान की स्वीकृति का प्रकरण इस कार्यालय में 13.11.96 से विचाराधीन है।

(2) जी हां। प्रपत्र 12(ख) जारी किये जाने के सम्बन्ध में कलक्टर (जागीर), जयपुर से इस प्रकरण में तहसील आमेर के स्थान पर तहसील चौमूं का नाम परिवर्तन किस आधार पर किया गया, की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(3) जी हां। कलक्टर (जागीर), जयपुर से तहसील परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट होते ही प्रपत्र 12(ख) जारी कर दिया जावेगा।

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निवाई एवं टोंक में सड़क निर्माण कार्य

39. **श्री बनवारीलाल बैरवा** (निवाई): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी के माध्यम से निवाई व टोंक में सड़कों का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1993 से जनवरी, 1998 तक उक्त क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को देती है ? यदि हां, तो अप्रेल, 1997 से मार्च, 1998 तक कितनी कितनी राशि दी गई व उसे

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

किस-किस स्थान पर कितना-कितना व्यय किया गया ? ठेकेदार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1993 से जनवरी, 1998 तक निवाई एवं टोंक क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से निर्माण कराई गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) जी हां । भविष्य में पूर्व निर्मित सड़कों के रख-रखाव हेतु पी.डब्ल्यू.डी. को मय मरम्मत राशि के हस्तान्तरित की गई है । अप्रेल, 97 से मार्च, 98 तक राशि पी.डब्ल्यू.डी. को दी गई तथा पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा व्यय की गई राशि मय ठेकेदार का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	पी.डब्ल्यू.डी को दी गई कुल राशि	नाम सम्पर्क सड़क	व्यय राशि लाखों में	नाम ठेकेदार
1	2	3	4	5
कृषि उपज मण्डी समिति, निवाई				
1. 29.4.97	9.25	1. स.स. बहड़ से जामडोली	4.86	श्री महावीर जैन, निवाई
2. 18.3.98	2.00	2. स.स. बहड़ से सिरोही	1.25	,,
		3. स.स. बहड़ से पलेई	1.36	,,
कृषि उपज मण्डी समिति, टोंक				
1. 24.4.97	5.25	1. स.स. टोंक से लोकमपुरा वजीरपुर	2.85	मै. मार्बल सन्स कं. टोंक
		2. स.स. मण्डी यार्ड से ककाली माता मन्दिर तक	1.29	,,
		3. स.स. टोंक झिराना रोड से टोटी से छोटी हाडी तक	0.47	,,

(विवरण के लिए परिशिष्ट 4 देखें ।)

फव्वारा सिंचाई योजना हेतु अनुदान

40. श्री अमराराम (धोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार की फव्वारा एवं बून्द-बून्द सिंचाई योजनाओं पर अनुदान देने की क्या योजना है ?

(2) किसान द्वारा अनुदान के लिए आवेदन करने के कितने समय बाद अनुदान प्राप्त हो जाता है ?

(3) जिला सीकर में वर्ष 1995-96 से आज तक कितने किसानों ने आवेदन किया उनमें से कितनों को अनुदान मिला और कितनों को नहीं ? अनुदान नहीं मिलने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या ऐसे प्रकरण भी हैं जिनमें अनुदान अधिकारियों की गलती के कारण नहीं मिला है ? क्या सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जिले में कब तक के आवेदन-कर्ताओं को अनुदान दिया जा चुका है तथा शेष को कब तक दे दिया जावेगा ?

(6) जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर में डिग्गी एवं फव्वारा हेतु कितना अनुदान देय है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1997–98 से फव्वारा सिंचाई योजनान्तर्गत सामान्य कृषक को नाबार्ड द्वारा निर्धारित फव्वारा सैट की इकाई लागत का 50 प्रतिशत या 7000/- रुपये तथा लघु/सीमान्त/अजा/अजजा/महिला कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत या 10,000/– रुपये प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो, अनुदान देय है। अनुदान की अधिकतम सीमा एक हैक्टेयर मात्र है।

बून्द-बून्द सिंचाई योजनान्तर्गत अनुदान भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सामान्य कृषकों को निर्धारित इकाई लागत का 70 प्रतिशत या रु. 25000/– प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो, तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, लघु एवं सीमान्त कृषकों को निर्धारित इकाई लागत का 90 प्रतिशत या 25000 रु. प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो अनुदान के रूप में देय है। कृषक, विभाग द्वारा पंजीकृत ड्रिप निर्माताओं के सैट नकद क्रय कर विभाग से अनुदान प्राप्त कर सकता है एवं भूमि विकास बैंक से भी ऋण के साथ ड्रिप सैट स्थापित करने पर अनुदान देय है। योजनान्तर्गत अनुदान की भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत राशि वहन करने का प्रावधान है।

(2) कृषक द्वारा फव्वारा संयंत्र के अनुदान के लिए आवेदन पत्र का कृषि विभाग में पंजीयन होने के उपरान्त संबंधित बैंक द्वारा ऋण वितरण करने के बाद कृषि विभाग द्वारा सामान्यतः एक माह की अवधि में अनुदान राशि का भुगतान सम्बन्धित बैंक को करते हैं। बैंक द्वारा अनुदान राशि यथाशीघ्र ही कृषकों के खाते में समायोजित की जाती है।

किसान द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई योजना के अनुदान के लिए विभाग की शर्तों के अनुसार समस्त कागजात प्रस्तुत करने,

(कृषि मंत्री)

पौधरोपण एवं विभाग द्वारा स्वीकृत ड्रिप निर्माता से ड्रिप संयंत्र स्थापित करवा लेने व यह संतुष्टि होने पर कि सही प्रकार से कार्य कर रहा है, धनराशि उपलब्ध होने की दशा में सामान्यतया: 17 दिवस के अन्दर अनुदान उपलब्ध करा दिया जाता है ।

(3) सीकर जिले में फव्वारा सिंचाई योजना में वर्ष 1995–96, 96–97 व 97–98 में क्रमश: 3202, 1458 व 1923 कुल 6583 कृषकों के आवेदन करने पर लक्ष्यों के अनुसार पंजीयन किया गया, जिसमें से विभागीय निर्देशानुसार 3677 कृषकों को अनुदान से लाभान्वित किया गया एवं भूमि विकास बैंक को 2455 कृषकों को अनुदान से लाभान्वित करने हेतु पंजीकृत पत्रावलियां भिजवाई गईं । 147 कृषकों को बजट अभाव में अनुदान नहीं मिला, पत्रावलियां सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) सीकर के यहां लम्बित हैं । शेष 304 पत्रावलियां विभागीय दिशा निर्देश मापदण्डों के अनुसार नहीं पाए जाने पर निरस्त की गई । वर्ष 1995–96 से 97–98 तक संकलित विवरण निम्न अनुसार है :–

1–	कुल पंजीयन पत्रावलियां	6583
2–	अनुदान स्वीकृत कृषि विभाग द्वारा	3677
3–	(1) अनुदान हेतु भूमि विकास बैंक को भिजवाई गई पत्रावलियां	2455
	(2) भूमि विकास बैंक द्वारा पत्रावलियों पर अनुदान स्वीकृत सं.	1998
	(3) भूमि विकास बैंक में लम्बित पत्रावलियां	457
4–	कृषि विभाग में लम्बित पत्रावलियां	147
5–	निरस्त पत्रावलियां	304

जिला सीकर में वर्ष 1995–96 से अब तक 235 किसानों ने बून्द-बून्द सिंचाई योजना में आवेदन किया गया, इनमें से 159 किसानों को अनुदान मिला एवं 76 किसानों को अनुदान नहीं मिलने के प्रमुख कारण निम्न रहे :–संयंत्र स्थापित न होना, फिटिंग कार्य अपूर्ण होना, फलदार पौधों का रोपण न होना, बजट राशि का अभाव आदि है ।

(4) जी नहीं ।

(5) सीकर जिले में फव्वारा सिंचाई योजना में वर्ष 1997–98 की 147 कृषकों की पंजीकृत पत्रावलियां बजट अभाव में शेष रही. 1998–99 में बजट प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुदान दे दिया जावेगा ।

सीकर जिले में बून्द-बून्द सिंचाई योजना में वर्ष 1996–97 से पूर्व के सभी आवेदनकर्ताओं को अनुदान दिया जा चुका है तथा वर्ष 1996–97 में 14 किसानों एवं वर्ष 1997-98 में 34 किसानों को इस वर्ष 98-99 में भुगतान कर दिया जावेगा । शेष 28 किसानों ने बिना ड्रिप सैट लगाये नकद पर पत्रावलियों का पंजीकरण करा लिया गया था, इनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया । जिनको भुगतान नहीं किया गया है ।

(6) जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर में विभाग द्वारा डिग्गी फव्वारा

(कृषि मंत्री)

कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को 12.00 लाख लीटर क्षमता की डिग्गी बनाने पर अधिकतम रुपये 50,000/– (पचास हजार) का अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। डिग्गी निर्माण हेतु कृषकों को 40,000/– फव्वारा सेट हेतु 7000/– एवं डीजल पम्प सेट हेतु 3000/– का अनुदान दिया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर की सड़कें

41. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य की स्वीकृतियां अभी तक विचाराधीन हैं ? ऐसी कौन-कौनसी सड़कें हैं जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों की हालत जीर्ण-शीर्ण है ? अब सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1998 में कौन-कौनसी नई सड़कें मंजूर हुई हैं तथा उनका निर्माण कार्य कब तक शुरू करवा दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर का मण्डी समिति द्वारा प्रेषित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को मय मरम्मत राशि के हस्तान्तरण कर दी गई है। सड़कों की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाना है।

(3) वर्ष 1998 में गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में अभी तक कोई नवीन सड़कें स्वीकृत नहीं हुई है।

चक 6 पी. बी. (खाजूवाला) का आबादी भूमि में परिवर्तन

42. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चक 6 पी. बी. तहसील खाजूवाला के मु. नं. 6/20 व 6/19 के कौने पर 60 घर 20 वर्षों से आबाद है तथा उनको पेयजल की आपूर्ति के लिये डिग्गी भी बनाई गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मुरब्बों को आबादी भूमि घोषित कराने हेतु सम्बन्धित काश्तकार लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र को कब तक आबादी क्षेत्र घोषित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) चक 6 पी. बी. के मुरब्बा नं. 6/19 व 6/20 में करीब 40 घर बसे हुए हैं। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा वर्ष 1995–96 में इस चक में डिग्गी का निर्माण कराया गया था।

(2) जी, नहीं। राजस्व अभिलेख के अनुसार मुरब्बा नं. 6/20 वन विभाग के नाम व 2.10 बीघा गैर मुमकिन सड़क दर्ज है जबकि मुरब्बा नं. 6/19 सन्तोष पत्नि बैरीसाल सिंह मजबी सिख को विशेष आवंटन के तहत आवंटित है। ऐसी स्थिति में उक्त क्षेत्र को आबादी घोषित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

भाषायी अकादमियों में कार्यरत श्रमिकों की समस्यायें

43. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार जिस संस्थान में इन्डस्ट्री चलाई जाती है वही संस्थान, औद्योगिक संस्थान की परिभाषा में आता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार के शिक्षा विभाग ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ. 16(2) शिक्षा–3/87, दिनांक 22 सितम्बर, 1990 से राजस्थान की भाषायी अकादमियों में श्रमिक कार्यरत न होने से इन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम से मुक्त करने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार के स्पष्ट निर्णय के अभाव में अकादमियों के विभिन्न कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर श्रम विभाग में शिकायतें करना शुरू कर दिया है और इससे अकादमियों के शैक्षणिक अनुसंधान आदि कार्यों में बाधा आ रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अधिसूचना कब तक जारी कर दी जावेगी?

(4) क्या यह भी सही है कि श्रम विभाग ने दिनांक 23-10-90 को साहित्य अकादमी, उदयपुर को लिखा है ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि श्रम आयुक्त के उक्त निर्देश के बाद भी श्रम विभाग, उदयपुर ने अकादमी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार नहीं किया है ? यदि हां, तो ऐसे प्रकरण कौन–कौन से हैं।

उत्तर

(1) जी, हां। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–2 (ञ) के अनुसार औद्योगिक संस्थान या उपक्रम का अर्थ है एक संस्थान या उपक्रम जिसमें कोई उद्योग संचालित किया जाता हो.।

(2) जी, हां। शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 22–10–90 द्वारा श्रम कानूनों के अतिरिक्त भाषायी अकादमियों में श्रमिक की परिभाषा वाला कोई कर्मचारी व अधिकारी नहीं होने के कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम से मुक्त करने के लिए श्रम विभाग को लिखा गया था। श्रम विभाग द्वारा राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर को पत्र दिनांक 23–10–90 द्वारा यह अवगत कराया गया था कि इस संबंध

(राज्य मंत्री, श्रम)

में उनके पत्र पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

(3) जी, नहीं। राजस्थान साहित्य अकादमी के मात्र एक कर्मचारी द्वारा सेवा मुक्ति का विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उदयपुर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में समझौता न होने पर असफल वार्ता प्रतिवेदन श्रम आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया गया। वर्तमान में राज्य सरकार के पास अधिनियम से छूट प्रदान करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(4) जी, हां। पत्र दि. 23-10-90 की प्रति संलग्न है।

(5) जी, नहीं। श्रम विभाग, उदयपुर में दिनांक 23-10-90 के पत्र के प्रस्ताव राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के एक कर्मचारी द्वारा सेवा मुक्ति का प्रकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था जिस पर विधिवत समझौता कार्यवाही के उपरान्त असफल वार्ता प्रतिवेदन श्रम आयुक्त कार्यालय को भेजा गया है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

शिक्षाकर्मी योजना में पं. स. लाडनूं व डीडवाना का चयन

44. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनूं और डीडवाना जिला नागौर की शिक्षाकर्मी योजना चालू करने के लिये चयनित किया गया था? यदि हां, तो, कब से तथा इन पंचायत समितियों ने कौन कौन से गांव व ढाणियों में उक्त योजना के अन्तर्गत विद्यालय खोलने का निर्णय लिया? गांवों व ढाणियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन गांवों के लिये स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है उनमें अध्यापकों का चयन भी किया गया था? यदि हां, तो कहां-कहां पर किस-किस का और कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या उक्त गांवों में विद्यालय चालू किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पर, कब से तथा चालू नहीं किया तो कब तक चालू कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1997-98 में प्रायोजना हेतु इन पंचायत समितियों को पहचाना गया था। इस हेतु पं. स. लाडनूं एवं डीडवाना में चयन कार्य दिनांक 28-6-97 से 2-7-97 तक के लिए तिथियां निर्धारित कर सम्बन्धित जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी एवं पंचायत समिति प्रधान को सूचित किया गया था। पंचायत समितिवार स्थिति निम्नानुसार है :-

1. पंचायत समिति लाडनूं में चयन दल के बोर्ड प्रतिनिधि पहुंचे तो उनकी जानकारी में यह आया कि ग्रामों/ढाणियों का सर्वे नहीं हुआ, चयन हेतु कोई सूचना नहीं भिजवाई गई एवं गांवों में ढूंढी भी

(34)

(शिक्षा मंत्री)

नहीं पिटवाई गई है। इसके अभाव में चयन कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः किसी भी गांव/ढाणी में विद्यालय खोलने का निर्णय नहीं हुआ।

2. पं. स. डीडवाना में चयन दल द्वारा दिनांक 28–6–97 से 2–7–97 तक चयन कार्य किया गया, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि, विकास अधिकारी प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य साथ थे। 15 ग्रामों का भ्रमण कर निम्नांकित तीन ग्राम परियोजना नियमान्तर्गत पाये जाने के कारण चयन किया गया :–

अ केरपुरा ब. निमाणा की ढाणी स. रामसर की ढाणी पंचायत समिति की मांगानुसार इसके पश्चात् चयन हेतु दिनांक 10–11–97 से 13–11–97 तक की तिथियां निर्धारित कर चयन कार्य चयन दल द्वारा किया गया। इसमें 9 गांवों का भ्रमण कर परियोजना नियमों में आने वाले 4 ग्रामों का चयन किया गया, जिनके नाम निम्नानुसार हैं :–

1. बालाजी की ढाणी
2. पाराणी तलाई नुक्का
3. पिडवा का स्टेशन
4. भूरजी की ढाणी।

(2) पं.स. लाडनूं में कोई स्कूल खोलने का निर्णय नहीं हुआ था। पं.स. डीडवाना में 7 गांवों का चयन हुआ था जिनके लिए प्रत्येक में दो–दो शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण हेतु चयन किए गए थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पं.स.	गांव/ढाणी	चयन तिथि	चयनित प्राशार्थी
1.	डीडवाना	केरपुरा	28–6–97 से 2–7–97	संतोष कुमारी पीठाराम
2		नीमणा की ढाणी	"	भंवरलाल शिव कुमार
3.		रामसर की ढाणी	"	सीताराम अमराराम
4.		बालाजी की ढाणी	10–11–97 से 13–11–97	जगदीश सारण किस्तूर चन्द
5.		पिडवा स्टेशन	"	गौरीशंकर नारायणराम
6.		पाराणी की तलाई नुक्का	"	नेकाराम शर्मा सीताराम
7.		भूरजी की ढाणी	"	भागीरथ राम धनीराम

(शिक्षाकर्मी परियोजना में अध्यापकों का चयन नहीं किया जाता है)

(शिक्षा मंत्री)

(3) उक्त 7 ग्राम/ढाणियों में से 2 (बालाजी की ढाणी एवं पिडवा स्टेशन) में विद्यालय खोलने की स्वीकृति दिनांक 16–3–98 को जारी की गई। प्रशिक्षण में सफल हुए आशार्थियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

1. पत्र क्रमांक शिकबो/जय/फा-166बी दि. 1-1-98 के द्वारा दि. 10-1-98से उरमूल सीमान्त बज्जू बीकानेर में क्र.4 से 7 तक के ग्रामों के चयनित 8 आशार्थियों को 37 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण में भिजवाया गया, जिनमें से श्री नेकाराम शर्मा एवं श्री सीताराम ने प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया। शेष 3 ग्रामों के आशार्थियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया उनमें से भागीरथ राम असफल रहा। इस कारण दो ही ग्राम बालाजी की ढाणी एवं पिडवा स्टेशन में शिक्षाकर्मी विद्यालय खोलने की स्वीकृति जारी की जा सकी।

2. क्रम संख्या 1 से 3 तक के ग्रामों के लिए चयनित 6 शिक्षाकर्मियों को आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भिजवाया जा सकेगा। प्रशिक्षण उपरान्त जो परिणाम प्राप्त होंगे उसके आधार पर विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

रा.उ.मा. विद्यालय, खाजुवाला में नवीन संकायों की स्वीकृति

45. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाजूवाला में कामर्स व साइंस के विषयों के अध्यापन की स्वीकृति हेतु पिछले दो वर्षों से जनता द्वारा बराबर मांग की जा रही है ? क्या सरकार उक्त विषयों की स्वीकृति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, हां, गांव की जनता द्वारा अभिभावक संघ के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, खाजूवाला में कला एवं वाणिज्य (कामर्स) वर्ग के विषयों के छात्रों को अध्यापन वर्तमान में करवाया जा रहा है। प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत मानदण्ड की पूर्ति करने वाले तथा गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जाकर अतिरिक्त विषय एवं वर्ग खोले जाते है।

राज्य में अध्यापकों के रिक्त पद

46. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कनिष्ठ व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों, वरिष्ठ अध्यापकों एवं सामान्य अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि, हां, तो कुल कितने ?

(2) क्या सरकार उक्त सभी रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में संकलित सूचना के आधार पर व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापकों के पद निम्नानुसार रिक्त हैं :–

1.	व्याख्याताओं	2104
2.	शारीरिक शिक्षक I ग्रेड	36

(शिक्षा मंत्री)

3. वरिष्ठ अध्यापक	1409
4. शारीरिक शिक्षक II ग्रेड	95
5. अध्यापक–III ग्रेड	1829
6. शारीरिक शिक्षक III ग्रेड	95

(2) जी, हां। वर्तमान द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। व्याख्याताओं के पद लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने तथा विभाग द्वारा आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की पूर्व में आयोजित बैठक के पुनरावलोकन के पश्चात ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। कुछ समय पूर्व राज्य कर्मचारियों की सेवा नियुक्ति तथा भरती की अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दिये जाने के कारण सम्भावित रिक्तियों की पुनः गणना करनी होगी जिसमें कुछ अतिरिक्त समय लगेगा।

जिला करौली में अध्यापकों के रिक्त पद

47. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला करौली के विभिन्न उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के अध्यापक एवं व्याख्याताओं के पद कब से रिक्त हैं ? इन पदों को कब तक भर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला करौली में संचालित उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। व्याख्याताओं के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

उच्च प्राथमिक शाला खटवा (लालसोट) का क्रमोन्नयन

48. श्री हीरालाल (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार दौसा जिले में लालसोट तहसील की उच्च प्राथमिक शाला खटवा को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालय क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मापदण्ड, क्षेत्र भौगोलिक स्थिति, भवन एवं गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत करती है। चालू वित्तीय वर्ष में लालसोट तहसील के गांव खटवा के उ.प्रा.वि. को क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

पुरातात्विक इमारतों की जीर्णोद्धार व्यय

49. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री गोपीराम जाट)

(1) वर्ष 1994–95 से 1997–98 तक आमेर के महलों के रख–रखाव पर कितनी राशि किस–किस कार्य हेतु व्यय की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि आमेर के महलों के क्षेत्रान्तर्गत पत्थर के चौके हटवाकर उस पर सीमेंट का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो इस मद में कितनी राशि व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार ने उक्त चौको को नीलाम किया है अथवा वे वहीं पर सुरक्षित हैं ? यदि नीलाम किया है तो नीलामी फर्द की प्रति और यदि स्टाफ में हैं तो स्टाक रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि जगत शिरोमणि मार्ग पर चौकों के स्थान पर सीमेंट कार्य पुरातत्व के भवनों में फेर–बदल नहीं होने का आधार मानकर रुकवाया गया था ? यदि हां, तो फिर महलों में यह कार्य क्यों कराये गये ?

(5) पुरातत्व के भवनों में फेर–बदल अथवा उनकी सुरक्षा के लिए क्या निर्देश/नियम निर्धारित हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 से 1997–98 तक आमेर महलों के रख-रखाव एवं जिन कार्यों पर राशि व्यय की गई, उसका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :–

		(राशि लाखों में)			
		94–95	95–96	96–97	97–98
1.	दीवार मरम्मत कार्य मानसिंह महल	0.16	—	—	—
2.	विशेष मरम्मत कार्य शीश महल	0.75	—	—	—
3.	फर्श कार्य स्टोन फ्लोरिंग जलेब चौक	—	1.40	—	—
4.	फर्श कार्य स्टोन फ्लोरिंग जलेब चौक	—	—	0.93	—
5.	मरम्मत कार्य दलाराम बाग आमेर	—	—	0.20	—
6.	कन्जरवेशन वर्क आमेर महल आमेर	—	—	—	13.03
7.	गणेश पोल के भित्ती चित्रों का संरक्षण रसायनिक उपचार	—	—	—	1.79
8.	आमेर महल के भित्ती चित्रों का रसायनिक उपचार	—	—	—	7.00
		0.91	1.40	1.13	21.82

(पुरातत्व मंत्री)

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) जगत शिरोमणी मार्ग पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित नहीं है।

(5) पुरातत्व के भवनों में फेर-बदल सम्बन्धी कोई नियम बने हुए नहीं है। सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की प्रति संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां

50. श्री गोपीराम जाट (आमेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी है? उक्त जिले में वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक किस–किस तहसील की किस-किस समितियों में कितनी–कितनी राशि का गबन हुआ?

(2) क्या यह सही है कि एक ही व्यवस्थापक को 5 साल से एक ही समिति में कार्यरत रखा गया है? यदि हां तो किन–किन समितियों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि व्यवस्थापक का अधिक समय तक एक ही स्थान पर रहना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है? क्या सरकार उक्त पदों की स्थानान्तरण नीति में बदलाव लावेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समितियों की कुल संख्या 296 है। इस जिले में वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक तहसीलवार समितियों में हुए गबन की सूचना संकलित करवाई जा रही है। जिसे प्राप्त होते ही शीघ्र प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(2) जी, हां। 5 वर्ष या इससे अधिक एक ही व्यवस्थापक के कार्यरत वाली समितियों की सूची परिशिष्ट–एक पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में व्यवस्थापकों के सेवा नियमों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के यथास्थिति रखने के आदेश हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मंडी खाजूवाला व पूंगल में अध्यापकों का पदस्थापन

51. श्री सोमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि वर्ष 1997–98 में मण्डी खाजूवाला एवं पूंगल में कन्या प्राथमिक शालाओं की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो उक्त शालाओं में अध्यापकों के पदस्थापन की क्या व्यवस्था की गई?

उत्तर

जी, नहीं। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(1) शिक्षा-1/95/पार्ट दिनांक 22–10–97 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्तर तक छात्र–छात्रा विद्यालय का अन्तर समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अतः विभाग के आदेश क्रमांक 1537 दिनांक 10–9–97 द्वारा खाजूवाला मण्डी एवं पूंगल में कन्या प्राथमिक विद्यालय न खोले जाकर सामान्य (बालक–बालिकाओं दोनों के लिए) विद्यालय स्वीकृत किये गये थे। पूंगल में एक अध्यापक की नियुक्ति की जाकर विद्यालय प्रारम्भ किया जा चुका खाजूवाला मण्डी में स्वीकृत विद्यालय प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसके लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति बीकानेर का स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

पं. स. माण्डल व सुवाणा (भीलवाड़ा) में विद्यालयों की स्वीकृति

52. श्री कालूलाल गूजर (माण्डल): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला भीलवाड़ा की माण्डल एवं सुवाणा पंचायत समितियों में ऐसे राजस्व गांव हैं जिनमें पाठशालाएं नहीं है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सभी गांवों में पाठशालाएं खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या उक्त पंचायत समितियों में पाठशालाएं खोलने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए है? यदि हां, तो गत 4 वर्षों में कितने प्रस्ताव किन–किन गांवों में पाठशालाएं खोलने हेतु मिले और सरकार ने अब तक इन पर क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

(2) जी नहीं। सूची में अंकित राजस्व ग्रामों की जनसंख्या निर्धारित मापदण्ड 250 से कम है। वर्ष 1991 की जनगणना में घोषित राजस्व ग्राम जिनकी जनसंख्या 250 से अधिक हो ऐसे विद्यालय विहीन राजस्व ग्रामों से प्राथमिक विद्यालय खोलने की नीति रही है।

(3) वर्ष 1991 की जनगणना में घोषित विद्यालय विहीन राजस्व ग्राम जिनकी जनसंख्या 250 से अधिक थी ऐसे समस्त राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये हैं। अब 1991 की जनगणना में 250 से अधिक जनसंख्या वाला कोई विद्यालय विहीन राजस्व ग्राम शेष नहीं है।

अब नवीन प्राथमिक विद्यालय गैर राजस्व ग्राम ढाणी/मजरे जिनकी आबादी 300 से अधिक है, एवं उस ढाणी/मजरे के 3 किलोमीटर क्षेत्र में शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी ढाणियों/मजरों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की नीति है।

पंचायत समिति सुवाणा एवं माण्डल में गैर राजस्व ग्राम, ढाणी, मजरों में नवीन

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

प्राथमिक विद्यालय खोलने के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं जहां प्राथमिक विद्यालय खोले गये उनकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–2)

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

पंचायत समिति टोडारायसिंह के सरपंचों के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें

53. श्री बनवारी लाल (निवाई): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति टोडारायसिंह (टोंक) के सरपंचों के पास निर्धारित नियमों से अधिक राशि रखी जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या उक्त प्रकरण में दोषी सरपंचों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची संलग्न है।

(2) विकास अधिकारी पंचायत समिति, टोडारायसिंह द्वारा आरोपी सरपंचों से नियमानुसार राशि मय दण्डनीय ब्याज के वसूल करने की कार्यवाही जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

पंचायत समिति बुहाना (झुन्झुनूं) का भुगतान प्रकरण

54. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं की पंचायत समिति बुहाना द्वारा बैंक से रुपये निकालने हेतु दिये गये चैकों पर प्रधान पंचायत समिति के स्थान पर सी.ई.ओ. जिला परिषद् द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने चैक कुल कितनी राशि के एवं किन के भुगतानार्थ ?

(2) जिन तारीखों में चैक दिए गये हैं क्या उस अवधि में प्रधान पंचायत समिति बुहाना अपने पद पर कार्यरत थे ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति बुहाना द्वारा दिनांक 13.4.98 को जारी किये गये चैक नं. ए. 6057897 व ए/6057898 पर सी.ई.ओ. जिला परिषद्, झुन्झुनूं द्वारा नियमानुसार दिनांक 23.4.98 को हस्ताक्षर किये गये हैं। कुल दो चैक राशि 2,31,442/– के, ग्राम पंचायत पचेरी खुर्द एवं धूलवा को जारी किये गये।

(2) जी हां।

ग्राम कानरपुरा (चौमूं) के आयुर्वेदिक औषधालय की मरम्मत

55. श्री मोहनलाल मोदी (श्रीमाधोपुरा): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर के आयुर्वेदिक औषधालय की छत की मरम्मत एवं चारदीवारी का निर्माण कार्य पंचायत

(श्री मोहनलाल मोदी)

के कोष से किया जाना था ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति गोविन्दगढ़ ने उक्त कार्य हेतु कोई स्वीकृति जारी की है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब उक्त कार्य को प्रथम वरीयता के आधार पर कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह निर्माण कार्य मार्च, 98 तक कराया जाना था।

(2) जी नहीं। सरपंच ग्राम पंचायत धिनोई का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण प्रस्ताव पंचायत से प्राप्त नहीं हो पाये एवं स्वीकृति जारी नहीं हो सकी।

(3) जी हां। पंचायत के प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति जारी की जावेगी एवं कार्य पूर्ण कराया जावेगा।

ग्राम पंचायत सेवा, मौजमाबाद तथा नरेना के सरपंचों के विरुद्ध लम्बित जांच

56. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत सेवा, मौजमाबाद एवं नरैना के विरुद्ध गबन, घोटाले एवं अनियमितताओं सम्बन्धी जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अब भी किसी सरपंच के विरुद्ध जांच कार्यवाही लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों एवं उसके लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार द्वारा दोषी जांच अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार दोषी सरपंच एवं जांच अधिकारी के विरुद्ध अब भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच, ग्राम पंचायत मौजमाबाद की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जो सदन के पटल पर रख दी गई है। ग्राम पंचायत सेवा एवं नरैना की विस्तृत जांच रिपोर्ट (डी.ई.) प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। सरपंच, सेवा एवं नरैना के विरुद्ध जांच प्रक्रिया जारी है।

(II) सरपंच मौजमाबाद के अन्य दो प्रकरणों में विस्तृत जांच (डी.ई.) क्रमशः अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर एवं सहायक अभियन्ता, जिला परिषद्, जयपुर के यहां लम्बित है। जांच रिपोर्ट शीघ्र ही अपेक्षित है।

(3) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सरपंच मौजमाबाद की एक

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

विस्तृत जांच रिपोर्ट (डी.ई.) प्राप्त हो गई है, जिसमें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही जारी है।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)।

पर्यटन के साहित्य का प्रकाशन

57. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1997 में पर्यटन से सम्बन्धित साहित्य एवं प्रकाशन सामग्री का प्रकाशन कराया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या? साहित्य एवं प्रकाशन सामग्री की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकाशन पर कितना-कितना खर्च आया तथा इसको छपवाने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया गया तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में क्या योजना है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1997–98 में प्रकाशित पर्यटन साहित्य की सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्न है। प्रकाशित पर्यटन साहित्य की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त प्रकाशित साहित्य पर वर्ष 1997–98 में रु. 1.05 करोड़ व्यय किये गये। पर्यटन साहित्य को छपवाने में खुली निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है। वर्ष 1998-99 में प्रस्तावित प्रकाशनों की सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(प्रतियों के लिए परिशिष्ट 9 देखें।)

पंचायत मुख्यालय चक 2 डब्ल्यू एम हेतु निगम बस सेवा

58. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चक 2 के. डब्ल्यू. एम. पंचायत मुख्यालय के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बसें के संचालन की कोई सुविधा नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार रोडवेज की एक बस का रात्रि ठहराव व 2 के डब्ल्यू. एम. में करने व प्रातः लगभग सात बजे वहां से खाजूवाला प्रस्थान करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। चक 2 के. डब्ल्यू. एम. पंचायत मुख्यालय खाजूवाला से पश्चिम में 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, जो पूर्णतया अराष्ट्रीयकृत मार्ग है। निगम द्वारा इस मार्ग पर बस सेवा संचालन का कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं।

निगम की बसों में विकलांगों को सुविधायें

59. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा रात्रि में संचालित बसों में विकलांगों को किसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम विकलांग रियायती यात्रा विनियमों के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को राजस्थान राज्य में विभिन्न मार्गों पर संचालित बसों में 75 प्रतिशत रियायती यात्रा सुविधा उपलब्ध है । इन विनियमों में रात्रिकालीन बसों में विकलांगों को रियायती यात्रा सुविधा देय नहीं होने के कारण रात्रि बसों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा

60. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) एवं **श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न श्रेणियों की बसों में स्वतन्त्रता सेनानियों को निःशुल्क यात्रा करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या 1 जनवरी, 1998 से 20 फरवरी, 1998 तक निगम की बसों में पूर्व आरक्षण कराने के बाद भी स्वतन्त्रता सेनानियों को बसों से मार्ग में उतारने की शिकायतें निगम को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब-कब तथा किस-किस के विरुद्ध ? प्राप्त शिकायतों की प्रतियां एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या 11 फरवरी, 1998 को इसी प्रकार की जयपुर में हुई घटना की शिकायत निगम को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किस स्वतन्त्रता सेनानी द्वारा किसके विरुद्ध ? निगम द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ? प्राप्त शिकायत की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त घटना में किन्हीं निगम कर्मियों को दोषी मानती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । तत्सम्बन्धी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट 1 से 4 पर है ।

(2) जी हां । दिनांक 18.2.98 को श्री कृष्णचन्द्र, स्वतन्त्रता सैनानी, निवासी ब्रह्मपुरी जयपुर–2 द्वारा निगम के केन्द्रीय बस स्टेण्ड, सिन्धी कैम्प, जयपुर स्थित डीलक्स प्लेट फार्म पर उपलब्ध शिकायत पुस्तिका में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके अनुसार उक्त स्वतन्त्रता सैनानी दिनांक 11.2.98 को जयपुर–दिल्ली मार्ग

44

(राज्य मंत्री, यातायात)

की 13.00 बजे वाली सुविधा वाहन में सीट नम्बर 5 व 6 आरक्षित कराकर यात्रा कर रहे थे। जब उक्त वाहन नारायण सिंह सर्किल पहुंची तो वहां निरीक्षण अधिकारी ने उनसे निवेदन किया कि वे डीलक्स बस में यात्रा करने हेतु अधिकृत नहीं हैं क्योंकि उनके पास उपलब्ध परिचय पत्र में सुविधा वाहन में यात्रा हेतु अधिकृत होने का अंकन नहीं था। परिचय-पत्र पुराने छपे हुए थे, जबकि डीलक्स/सेमी डीलक्स बसों में यात्रा करने हेतु निगम आदेश दिनांक 13.1.88 के हैं। श्री कृष्ण चन्द द्वारा दर्ज शिकायत की छाया प्रति परिशिष्ट–5 पर है। शिकायत के प्राप्त होने पर जांच के पश्चात् निम्न कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. स्वतन्त्रता सैनानियों को जारी सभी पुराने परिचय-पत्रों को नष्ट कर नये परिचय-पत्र छपवाने का निर्णय।

2. समस्त मुख्य प्रबन्धकों को निर्देश दिये जा रहे हैं कि वे परिचय-पत्र धारक स्वतन्त्रता सैनानियों को पत्र जारी कर पुराने परिचय-पत्र जमा करवा लें एवं नये परिचय-पत्र उन्हें जारी कर दिये जावें। श्री कृष्ण चन्द्र को हुई असुविधा के लिए निगम ने पत्र लिख कर खेद व्यक्त किया है।

3. जिस अधिकारी द्वारा उक्त स्वतन्त्रता सेनानी को सुविधा वाहन से उतारा गया था, उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाकर भविष्य में ऐसे प्रकरणों में सतर्कतापूर्वक कार्य करने हेतु चेतावनी दी गई है।

4. निरीक्षणकर्त्ताओं को दोषारोपण पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

(3) जी, हां। उक्त शिकायत श्री कृष्ण चन्द्र, स्वतन्त्रता सैनानी निवासी ब्रह्मपुरी, जयपुर–2 द्वारा निगम के निरीक्षण दल के विरुद्ध की गई थी, जिनके द्वारा उन्हें नारायण सिंह सर्किल पर बस से उतार दिया गया था, शिकायत की प्रति परिशिष्ट–5 पर है। निगम द्वारा इस प्रकरण में की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्न के भाग–2 के उत्तर में अंकित कर दिया गया है।

(4) जी, हां। इस घटना में निरीक्षण दल के प्रभारी अधिकारी को स्वतन्त्रता सैनानियों को देय निःशुल्क यात्रा के नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं होने का दोषी मानते हुए, उन्हें भविष्य के लिए ऐसे मामलों में सचेत रहने हेतु चेतावनी दी गई है। निरीक्षणकर्त्ताओं को दोषारोपण पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

(5) जी, हां। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाये गये कदमों का विवरण प्रश्न के भाग–2 के उत्तर में अंकित कर दिया गया है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

आगार प्रबन्धक, अहमदाबाद के विरुद्ध जांच प्रकरण

61. श्री भोमराज मीणा (बासपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भीमराज मीणा)

(1) क्या यह सही है कि अहमदाबाद आगार में पदस्थापित निगम के प्रबंधक की लापरवाही से गुजरात राज्य में चलने वाली विभिन्न आगारों की बसों का जुर्माना निगम को भरना पड़ा है ? यदि हां, तो कितना-कितना ? वर्ष 1996 से 97 तक का विवरण मय प्रबंधक के नाम, राशि का ब्यौरा और वाहन कितने समय तक जब्त रहे आदि दर्शाते हुए का सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि अहमदाबाद आगार में मुख्य प्रबंधक का पद समाप्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) प्रबन्धक की नियुक्ति के उपरांत (अहमदाबाद आगार में) प्रबन्धक द्वारा कितनी राशि टी.ए.डी.ए., टेलीफोन खर्च, टैक्सी खर्च आदि के रूप में उठाई गई ? उक्त प्रबन्धक ने चैकिंग के दौरान कितने भ्रष्टाचार के मामले पकड़े ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) अहमदाबाद (सी. बी. एस.) प्रबंधक के विरुद्ध कितनी शिकायतों की जाच चल रही है ? उनमें से कितनी प्रमाणित हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, नही । अनुज्ञा-पत्र की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर संचालन की जिम्मेदारी संचालन करने वाले आगार के मुख्य प्रबंधक की है । गुजरात राज्य में चलने वाली विभिन्न आगारों की 14 बसों पर बिना वैद्य अनुज्ञा-पत्र के संचालन के कारण गुजरात राज्य के परिवहन विभाग द्वारा अधिभार एवं प्रशमन राशि वसूल की गई है । वर्ष 1996 एवं 1997 की अवधि में वसूल की गई अधिभार एवं प्रशमन राशि का ब्यौरा परिशिष्ट-1 पर संलग्न है । इन 14 वाहनों में से 5 वाहनें जब्त की गई थी । शेष 9 बसों पर केवल प्रशमन राशि वसूल की गई ।

(2) जी, हां । अहमदाबाद एक छोटी इकाई होने एवं वहां पर कार्यरत स्टाफ की संख्या कम होने के कारण मुख्य प्रबंधक पद का औचित्य न होने से मुख्य प्रबन्धक का पद समाप्त कर इकाई प्रभारी, अहमदाबाद का नाम प्रबन्धक सी बी. एस. अहमदाबाद किया गया है ।

(3) अहमदाबाद बस स्टेण्ड पर प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति दिनांक 9.6.97 से की गई है । जून, 97 से मई, 98 तक अहमदाबाद बस स्टेण्ड पर कार्यरत प्रबन्धक को टी.ए./डी.ए. के रूप में कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

टेलीफोन खर्च के रूप में उक्त अवधि में 11784/– रु. एवं टैक्सी किराया खर्च के रूप में 10,979/– रु. का भुगतान किया गया है ।

प्रबन्धक, अहमदाबाद द्वारा माह जनवरी, 97 से फरवरी, 98 तक कुल 18 दिवस निरीक्षण कार्य सम्पन्न किया गया है, इस दौरान 155 निगम वाहनें निरीक्षित की गई है तथा बिना टिकट यात्रा के 6 मामले पाये गये हैं, जिनकी किराया राशि 1228/– रु. है ।

(4) प्रबन्धक, सी.बी.एस., अहमदाबाद के विरुद्ध 13 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें

(राज्य मंत्री, यातायात)

से 6 शिकायतों पर प्रारम्भिक जांच की जाकर प्रबन्धक, सी. बी. एस. अहमदाबाद का स्पष्टीकरण चाहा गया है। उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। शेष 7 शिकायतों पर प्रारम्भिक जांच चल रही है। विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

आयुर्वेद कर्मियों द्वारा परिवार नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति

63. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आयुक्त एवं शासन सचिव, आयुर्वेद एवं परिवार कल्याण ने एक परिपत्र दिनांक 19-11-96 को जारी कर समस्त राजस्थान के आयुर्वेद औषधालयों को वर्ष 1996–97 के लिए नसबन्दी एवं आई. यू. टी. का लक्ष्य निर्धारित किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक/कर्मचारियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने का भी आदेश जारी किया गया था ?

(3) क्या जोधपुर जिले के किसी भी औषधालय ने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस-किस औषधालय के किन-किन चिकित्सकों/कर्मचारियों ने कितना-कितना लक्ष्य प्राप्त किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त लक्ष्य की प्राप्ति में जोधपुर जिले के चिकित्सकों/कर्मचारियों ने उत्कृष्ट कार्य कर लक्ष्य से अधिक की उपलब्धि अर्जित की थी ? यदि हां, तो इन्हें राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के अन्तर्गत विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पुरस्कृत करने से क्यों वंचित रखा गया ?

(5) जोधपुर जिले के आयुर्वेद चिकित्सक/कर्मचारियों को उक्त सम्मान समारोह से वंचित रखने हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(6) क्या जोधपुर जिले में आयुर्वेद चिकित्सक/कर्मचारियों ने परिवार कल्याण हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया था ? यदि हां, तो क्या जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित करने हेतु परिपत्र के आधार पर अलग से प्रस्ताव भिजवाये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। आयुक्त एवं शासन सचिव परिवार कल्याण व आयुर्वेद ने पत्रांक प. 17 (4) चिकि/5/96 दि. 19.11.96 द्वारा विशेष सघन अभियान के तहत नसबन्दी व आई. यू. डी. के स्वलक्षित पद्धति अनुसार मानदण्ड निर्धारित किए थे। यह दिनांक 15.12.96 से 28.2.97 के सघन अभियान हेतु निर्धारित किये गये थे। बाद में इस अभियान की अवधि 31 मार्च 97 तक बढ़ा दी गई थी।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) जी, हां।

(3) जोधपुर जिले में आयुर्वेद विभागान्तर्गत संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों में कार्यरत जिन कर्मचारियों ने लक्ष्य से अधिक उपलब्धि अर्जित की थी उनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नसबंदी केसेज	आईयूडी केसेज
1. श्री नगेशचन्द्र कल्ला आयुर्वेद चिकित्सक राज. आयु. औषधालय गजानंद चौक, जोधपुर।	14	32
2. श्रीमती कान्ता पुरोहित नर्स राज. आयु. औषधालय, गजानंद चौक जोधपुर।	13	12
3. श्रीमती शान्तिदेवी नर्स राज आयु. औषधालय, साथिन।	13	—
4. श्री भेराराम चौधरी कम्पाउण्डर राज. आयु औष. चाबा।	13	—

(4) प. क. के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आयुर्वेदिक कर्मियों के पुरस्कार हेतु प्रस्ताव निदेशक, आयुर्वेद से चाहे गये थे। निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर ने उनके पत्रांक सांख्यिकी/1/पक/97/27578 दिनांक 3.7.97 द्वारा 50 आयुर्वेद कर्मियों, 2 होम्योपैथिक एवं 2 यूनानी कुल 54 व्यक्तियों के प्रस्ताव प्रेषित किए थे। जिनमें जोधपुर जिले के निम्न नाम सम्मिलित थे–

1. श्री नगेशचन्द्र कल्ला–आयुर्वेद चिकि. राज. आयु. औषधालय, जोधपुर
2. श्रीमती कान्ता पुरोहित–नर्स राज. आयु. औषधालय, जोधपुर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत पुरस्कारों के चयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा जिला आयुर्वेद से प्राप्त सूची पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि जिन आयुर्वेद कर्मियों ने 25 से ज्यादा नसबंदी केस वर्ष 1996-97 में प्रेरित किए है, उन्हें ही राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जावे। निदेशक, आयुर्वेद विभाग से प्राप्त सूची में 35 आयुर्वेद कर्मियों एवं 2 यूनानी कुल 37 अधिकारी/कर्मचारियों का चयन उपरोक्त आधार पर किया गया था। जोधपुर जिले से प्राप्त प्रस्ताव में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी ने 25 केस प्रेरित नहीं किए हैं, अतः पुरस्कार हेतु चयन नहीं किया गया।

(5) जोधपुर जिले से किसी कर्मचारी के चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं किया है इसलिए चयन नहीं किया गया। अतः किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं है।

(6) जी, हां। प्रश्न के बिन्दु संख्या 3 में जिन 13 चिकित्सकों/कर्मचारियों के नाम दिए गए हैं, उन्हीं के नामों का प्रस्ताव जिला आयुर्वेद अधिकारी, जोधपुर द्वारा भेजा गया था।

राज्य में यूनानी पद्धति के संचालित महाविद्यालय

64. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भीखा भाई)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में 3 यूनानी पद्धति के कॉलेज संचालित हैं और उनमें से किसी को भी इस वर्ष छात्र भर्ती करने की स्वीकृति नहीं दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजपूताना कॉलेज, जयपुर सबसे समृद्ध कालेज है परन्तु सरकार द्वारा इसके लिए विश्वविद्यालय को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य के तीनों यूनानी पद्धति के कॉलेजों द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं किए जाने के कारण इस वर्ष प्रथम वर्ष में छात्रों को प्रवेश नहीं दिए गए हैं।

(2) जी, नहीं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण इस कॉलेज का अनापत्ति प्रमाण-पत्र राजस्थान विश्वविद्यालय को जारी नहीं किया गया है।

राज्य में प्रस्तावित आयुर्वेदिक औषधालय

65. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत चार वर्षों में सरकार द्वारा कितने आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में इतने कम औषधालय खोलने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार प्रशिक्षित आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर व वैद्यों को रोजगार देने के लिए नवीन औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों में 20 आयुर्वेद औषधालय खोले गए हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वित्तीय संसाधनों के अभाव में नवीन औषधालय नहीं खोले जा रहे हैं।

(3) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

विधानसभा क्षेत्र बामनवास में भू–संरक्षण कार्य

66. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या कृषि (भू–संरक्षण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994–95 से मार्च, 1998 तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास में भू–संरक्षण के कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भू–संरक्षण कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

49

उत्तर

(1) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, खण्ड सवाईमाधोपुर द्वारा विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बामनवास में राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्र माबरा एवं पं. स. बौली के अन्तर्गत शिशीलाव जलग्रहण क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्यों का सम्पादन कराया गया है। इस प्रकार तीन कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क्र.सं.	पंचायत समिति	स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र का नाम
1.	बामनवास	माबरा (विस्तार क्षेत्र) नवीं पंचवर्षीय योजना
2.	बौली	शिशीलाव (8 वी. पंचवर्षीय योजना)
3.	बौली	मित्रपुरा (9 वी. पंचवर्षीय योजना)

(2) उक्त भू-संरक्षण कार्यों में से एक कार्य पूर्ण कर दिया गया हैं तथा दो कार्य अपूर्ण है जिनकी कार्य अवधि 1997-98 से 2002–03 तक है। उक्त दोनों कार्य प्रगति पर है। कार्यों की सूची निम्नानुसार है :–

क्र.सं	कार्य का नाम	पूर्ण/अपूर्ण
1.	माबरा	अपूर्ण
2.	शिशीलाव	पूर्ण
3.	मित्रपुरा	अपूर्ण

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री रामस्वरूप मीणा एवं 3 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा नर्सरी योजना खतम करने एवं प्रति पोल रुपये 9,000/– के स्थान पर रुपये 12,000/- करने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री आर. पी. शर्मा एवं एक अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर शहर के मध्य स्थित सुजान गंगा-नहर में फैल रहे प्रदूषण एवं गंदगी के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिसिंह (महुआ) एवं एक अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से गुर्जर छात्रावास, मोती डूंगरी, जयपुर को पड़ोस के भूखण्ड से अलग करने हेतु बनायी गई दीवार से गुर्जर समाज में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य, कृपया बात न करें। श्री मोहन जी मोदी विराजें।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(4) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं एक अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से कुम्हेर नगर पालिका के चुने गये एक सदस्य का निलम्बन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री भगराज चौधरी एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से मण्डल कमीशन की रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा लागू करने एवं क्रीमीलेयर बाबत दिशा-निर्देश जिला कलक्टर्स को नहीं भिजवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(6) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के गांवों में पेयजल की अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से आम जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। मुख्य प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

(8) श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा राज्य के डेयरी फैडरेशन एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों का प्रबन्ध राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दिनांक 14 जुलाई, 1998 को तारांकित प्रश्न के माध्यम से सदन में चर्चा हुई है जिसमें यह विषय भी सम्मिलित था, अतः पुनः इस पर चर्चा की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा एवं 9 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की जिला परिषदों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु एक जिले से दूसरे जिले में गये अभ्यर्थियों के साथ कथित दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इस विषय पर भी दिनांक 14 जुलाई, 1998 को माननीय सदस्य श्री गोविन्दसिंह गुर्जर ने आसन की अनुमति से सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया है, अतः पुनः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेत्तर यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

श्री खेतसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान में पिछले दिनों आये चक्रवाती तूफान एवं तत्पश्चात् हुई वर्षा से हुई जन-धन की हानि के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान से मुख्य रूप से राज्य के तीन जिलों बाड़मेर, जालौर व जोधपुर में जन-धन की क्षति हुई। इस क्षति की सूचना एकत्रित करने पर राज्य में 12 व्यक्तियों की मृत्यु होना पाया गया है जिसमें से 9 व्यक्ति बाड़मेर व 3 व्यक्ति जालौर जिले के हैं। इन जिलों में कुल 59827 भेड़-बकरियां, 1916 गाय व बैल, 89 भैंसें, 97 ऊंट व 55 गधों की इस आपदा में मृत्यु हुई है। 38 पक्के व 1136 कच्चे मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए है तथा 541 पक्के और 49985 कच्चे मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके साथ ही सार्वजनिक सम्पत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है।

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्य में चक्रवाती तूफान के कारण हुए नुकसान से प्रभावित परिवारों को सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर मानदण्डों के अनुसार सहायता प्रदान की जा रही है। मृतकों के आश्रितों को कुल एक लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करायी गई है जिसमें 20,000/– रुपये आपदा राहत कोष से, 50,000/- प्रधान मंत्री सहायता कोष से एवं 30,000/– रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष से उपलब्ध कराये गये हैं। भवनों की क्षति पर मानदण्ड के अनुसार सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। इसके साथ ही पशुओं की क्षति पर भी इकाई लागत के आधार पर प्रति मवेशी निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा पशुधन क्षति पर सभी श्रेणी के काश्तकारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए उक्त मानदण्डों में शिथिलता प्रदान की गई है। अभी तक जनहानि पर 11.00 लाख रुपये, पशुधन क्षति पर 113.25 लाख रुपये व मकानों की क्षति पर 267.79 लाख रुपये की सहायता राशि का वितरण जिला कलक्टर्स द्वारा किया गया है।

जोधपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में कुल 3 पक्के व 9 कच्चे मकान पूर्ण रूप से एवं 95 पक्के व 818 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए है एवं कुल 19,200 पशुधन की क्षति हुई है। जोधपुर जिले की जोधपुर तहसील को 0.22 लाख रुपये, फलौदी तहसील को 0.11 लाख रुपये, ओसियां तहसील को 13.00 लाख रुपये, शेरगढ़ तहसील को 27.00 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जो क्षति होने वाले व्यक्तियों को राजस्व अधिकारियों द्वारा वितरित करायी जा रही है।

इसके अतिरिक्त राज्य के जिला बाड़मेर एवं जालौर में भी सहायता राशि का वितरण कराया जा चुका है। चक्रवाती तूफान से जिलों में जो जन–धन की हानि हुई है उसका अविलम्ब ही सर्वे कराया जा कर सहायता राशि वितरण के लिए जिला कलक्टर्स को निर्देश दे दिये गये हैं। अगर कोई तूफान से प्रभावित परिवार सर्वे में आने से किसी कारणवश रह गया है तो ऐसे परिवार की जानकारी मिलने पर यथाशीघ्र सहायता दिलाने की कार्यवाही की जाएगी।

मेरी राय में राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर पर्याप्त है। अतः स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री रामनारायण चौधरी : इस पर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आना चाहिए।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष :

(1) श्री आर. पी. शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर में नुमाइश से कुम्हेर गेट मार्केट वाली सड़क की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहन लाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर की

52

[redacted]

(श्री उपाध्यक्ष)

तहसील जायल के ग्राम ढेहरी से अड़बड़ की 33 के. वी. लाइन को पूरा करवाने के सम्बन्ध में ।

(3) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगापुर सिटी में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड की दुर्दशा के सम्बन्ध में ।

(4) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन क्षेत्र में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के अनियमित संचालन के सम्बन्ध में ।

(5) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर जिले के ग्राम लमाना में रैगर समाज की बारात को घोड़ी–बाजे के साथ नहीं निकलने देने की कथित घटना के सम्बन्ध में ।

(6) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उप तहसील बिजोलिया को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में ।

(7) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर की मण्डोर तहसील में ब्राह्मणों का टांका पर स्थित शिव मन्दिर व सार्वजनिक विश्राम गृह को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़कर साम्प्रदायिकता फैलाने के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था । डेयरी संघ को एन. डी. डी. बी. को दिया जा रहा है, एक तो यह सवाल था । मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं । प्रश्न में तो प्रश्न-कर्ता और अन्य एकाध पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि ....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में निवेदन कर दिया है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, उसमें आपने यह फरमा दिया कि इस पर चर्चा हो चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई सदस्य, विधान सभा ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : चर्चा तो प्रश्न के माध्यम से हुई है, कोई विस्तृत चर्चा थोड़े ही हुई है । बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इस पर चर्चा हो चुकी । इस पर एक प्रश्न के माध्यम से चर्चा हो चुकी है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्रश्न के माध्यम से तो प्रश्नकर्ता और कोई दूसरे पूछते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब प्रश्न उसमें थोड़े ही आते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं जानते हैं, जिस प्रश्न पर सदन में चर्चा हो जाती है उस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा नहीं होती ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : चर्चा अगर विस्तृत हो जाए, प्रश्न देखो ।

श्री उपाध्यक्ष : उसी सत्र में उस पर दुबारा चर्चा नहीं होती।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न में चर्चा नहीं की जा सकती, वह तो एक माननीय सदस्य पूछते हैं और मंत्री जी जवाब देते हैं। एक सीमित दायरा होता है। यह बहुत विस्तृत है इसलिए कृपया आप सरकार से जवाब दिलाएं। बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप और मैं मेरे वेश्म में विचार कर लेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, कल सोनिया गांधी जी पर भामड़ा साहब, उप मुख्य मंत्रीजी की जो टिप्पणी हुई थी उसके लिए उनको खेद प्रकट करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : भामड़ा जी ने सोनिया जी के लिए जो कहा उसके लिए उनको हाउस के अन्दर माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान) ... उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी को यहां पर माफी मांगनी चाहिए। उप मुख्य मंत्रीजी को सोनिया गांधी के मामले में माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उप मुख्य मंत्रीजी को कोई शोभा नहीं देता। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सोनिया गांधी को उन्होंने जो शब्द कहे हैं, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उप मुख्य मंत्री महोदय को माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस पर लांछन लगाया है, उस पर माफी मांगें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उनको + + + आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उप मुख्य मंत्रीजी माफी मांगें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : उनको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : देश से प्रेम है तो वे अपने द्वारा किये हुए व्यवहार पर खेद व्यक्त करें....(व्यवधान)....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस को उसकी + + + बतायी गयी है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उप मुख्य मंत्री माफी मांगें सदन के सामने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। यह सदन है, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। आप विराजें, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं कुछ व्यवस्था दे रहा

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(54)

(श्री उपाध्यक्ष)

हूं । आप विराजें, बैठें आप । बैठिये । सब की बात एक साथ कैसे सुनेंगे? आप बिराजे, आप बैठें । सब की बात एक साथ नहीं होगी, आप विराजें तो सही । मैं निवेदन कर रहा हूं, सुन भी रहा हूं, आप विराजें । माननीय सदस्य, सदन में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास न करें । आप विराजें, मैं सुन रहा हूं । आप विराजें । माननीय सदस्य, आप विराजें ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारे)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : × × ×

श्री टीकमचन्द कान्त : × × ×

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, मैं आपको सुनना चाहता हूं, आप अपने स्थान पर जाइये और फिर अपनी बात कहिये .. (व्यवधान) आप अपने स्थान पर जाएंगे तब ही बात होगी ।

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : × × ×

श्री कमल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहिये, मैं मना कहां कर रहा हूं ? (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : × × ×

श्री कमल : × × ×

श्री किशनाराम नाई : × × ×

श्री शंकरलाल अहारी : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

(प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(सत्तापक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सुनिये न, ये क्या कह रहे हैं । माननीय भामड़ा साहब स्पष्टीकरण दे रहे हैं, वित्त मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दे रहे हैं । आप अपने–अपने स्थान पर पधारें ।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री): मैं स्पष्टीकरण देता हूं ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री शंकरलाल अहारी : ×××

श्रीमती मीना अग्रवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, एक मिनट आप सुनिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजें। कृपया आप सुन तो लें, सुनें आप। (व्यवधान) आप सुनिये तो सही, मैं क्या कर रहा हूं। (व्यवधान) नहीं, मैं बाध्य नहीं हूं इस बात के लिये। आप पहले मेरी बात सुनें। आप सुनिये तो सही।

कल माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण के दौरान सोनियाजी के बारे में कोई बात अगर कही है, पहले सुनिये आप, उस कार्यवाही को मैं देख लूंगा और यदि कोई असंसदीय भाषा होगी तो उसको मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा। विराजें।

श्रीमती मीना अग्रवाल : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं आप अपने-अपने स्थान पर पधारें। माननीय भामड़ा जी अपना कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। आप विराजें, अपने-अपने स्थान पर जाइए। हां, वे बोलना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ×××

(प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन-कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित की जाती है, 10 मिनट के लिये।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.29 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित हुई।)

(पुनः समवेत होने पर)

(12.41 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : कल वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण के अन्तिम छोर में सोनिया गांधीजी के बारे में असंसदीय शब्द की परिभाषा में कोई बात कही है वह और वित्त मंत्री महोदय के बारे में ना पक्ष की तरफ से जो असंसदीय बात कही गयी है, उसको मैं कार्यवाही से निकालता हूं.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : असंसदीय क्या हुआ ? असम्मानजनक शब्द हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उप मुख्य मंत्रीजी को क्षमा मांगनी चाहिए।.... (व्यवधान) खेद व्यक्त करना चाहिए।.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : असम्मानजनक शब्द हैं उन पर आपत्ति हमारी (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

वह सब-स्टेण्डर्ड कमेंट्स नहीं करें भविष्य में और भविष्य में सब-स्टेण्डर्ड कमेंट्स करने से+++(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : +++

श्री जगदीप धनखड़ : +++ (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। श्री हरिसिंह जी कुम्हेर, आप इधर देख लिया करें कभी-कभी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी कुम्हेर

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : +++ (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : +++ (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : +++

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) कृपया विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें, माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : +++

श्री हरिसिंह (महुआ) : +++ (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : +++ (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : +++

एक माननीय सदस्य : +++

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। (व्यवधान) कृपया बैठें। (व्यवधान) कृपया विराजें अब आप (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रावत साहब कृपया विराजें। कृपया विराजें, माननीय सदस्य (व्यवधान) आदरणीय आडवाणी जी के बारे में अगर ना पक्ष की तरफ से कोई असंसदीय शब्द आएं तो उनको भी मैं निकालता हूं। श्री हरिसिंह जी कुम्हेर।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में आ जाए, वह प्रोसिडिंग्स भी आप पढ़ लें, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह क्या है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जरूरत नहीं है पढ़ने की। वह आवश्यक नहीं है। (व्यवधान) आप विराजें, माननीय सदस्य। आप विराजें, उप नेता महोदय। उप नेता महोदय, आसन पैरों पर है। श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार जो.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उसके सम्बन्ध में मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी कुम्हेर नगरपालिका के एक सदस्य को इन्होंने महज एक असत्य शिकायत के आधार पर आज छह महीने से निलम्बित कर रखा है। कानून यह कहता है कि अगर कोई शिकायत आती है तो सरकार अन्तिम फैसला लेने से पहले उस मामले को जुडीशियल आफिसर के पास भेजेगी। डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक के आफिसर के वहां मामला भेजा, धर्मेन्द्र के खिलाफ उस जुडीशियल आफिसर ने वर्डिक्ट दिया कि यह आदमी निर्दोष है, इसके खिलाफ जो शिकायत आयी है वह असत्य शिकायत आयी है। आज इस फैसले को आए, श्रीमान, तीन महीने हो चुके हैं। डायरेक्टर, लोकल बॉडीज ने 23.3.98 को आपको पत्रावली भेजी कि इस आदमी के पक्ष में जुडीशियल आफिसर ने फैसला दे दिया है इसलिए इसको बहाल किया जाए। सैक्रेटरी लोकल सैल्फ ने यह रिपोर्ट की कि इसको बहाल किया जाए। आप तीन महीने से उस पत्रावली को लेकर बैठे हैं, तीन महीने से हमारी म्युनिसिपैलिटी के सदस्य के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। पार्टीबंदी के आधार पर वहां पर चेयरमैन को अपने बहुमत में रखने के लिए यह सब कार्यवाही कर रहे हैं। मैंने ऐसा अन्याय कभी देखा नहीं। इस प्रकार से किसी आदमी के जो चुना हुआ मैम्बर है म्युनिसिपैलिटी का, अधिकारों का हनन किया जा रहा है। श्रीमान्, मैं सरकार से जवाब चाहता हूं इस बात का कि अगर आपके किसी सदस्य को किसी बात के लिए सस्पैंड कर दिया जाए तो आप कब तक इस पर चुपचाप बैठे रहेंगे ? आपको फैसले के खिलाफ कोई रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। फैसले के बाद कोई अपील करने का अधिकार नहीं है। आप हाईकोर्ट गए नहीं, आप जा नहीं सकते। अन्तिम वर्डिक्ट होने के बाद भी आप फैसले को दाबे बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मेन्द्र नाम का हमारी म्युनिसिपैलिटी का जो सदस्य है, उसको अविलम्ब आप बहाल करिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान) देख लेंगे, कर देंगे। आपको इतने जोश की जरूरत नहीं थी इसमें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : बहाल कर दो । आप तो बहुत सज्जन हैं, बहाल कर दो । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह जोश नहीं, आपको तीन महीने से निवेदन कर रहा हूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : आप चार्ज लगा रहे हैं. अब मुझे कहने दीजिए । मुझे चार्ज कर रहे हो आप जरा सुन लीजिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मामला यह है कि धर्मेन्द्र कुमार निर्दलीय सदस्य है, किसी पार्टी का नहीं है । निर्दलीय होने के बाद इनके चार सन्तानें हो गयीं । नियम यह है कि चुनाव के बाद यदि दो सन्तान से अधिक हो जाती है तो उसको सदस्यता से हटा दिया जाता है । जब यह रिपोर्ट हमारे पास आयी तब इसको जांच के लिए भेजा कि जुडीशियल इंक्वायरी करें कि इनके चुनाव के बाद कोई सन्तान हुई है कि नहीं हुई । यह मामला जब वहां गया तो मैं उन पर तो कमैंट्स नहीं करूंगा, लेकिन जो तथ्य दिया है उसके अनुसार जो न्यायिक अधिकारी हैं उन्होंने हमारी कोई एवीडेंस नहीं ली । जो पक्ष, जिसने चार्ज लगाया था कि इनके एक बच्चा अधिक हो गया, उसकी कोई एविडेंस नहीं ली और.. (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एविडेंस थी ही नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात सुनो आप । अब एविडेंस नहीं तो यह तो रिकार्ड पर था । किसी का बयान नहीं लिया । किसी को यह देखने का मौका नहीं दिया कि वास्तव में बच्चा हुआ कि नहीं हुआ और अपने विवेक से तय कर दिया कि नहीं, इनके बच्चा नहीं हुआ । जो दूसरे पक्ष थे, उन्होंने आकर हम से यह शिकायत की कि साहब, हमारा न बयान हुआ, न इसकी जांच हुई । ये ऐसे तथ्य हैं जिनकी जांच आसानी से हो सकती है, बच्चा हुआ था या नहीं हुआ था । कोई ऐसी छिपी हुई बात नहीं है, यह हो सकती थी । तो उनको मौका नहीं दिया गया ।

अब सवाल यह है कि जो आप कर रहे हो वह ठीक है कि जुडीशियल अधिकारी अगर कोई निर्णय करता है तो सरकार उसके लिए बाध्य है, वह चाहे कैसा भी फैसला दे दे । यह हम करते रहे हैं । अभी तक जितने भी निर्णय होते थे वे हमारे लिए बाध्यकारी होते हैं । लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि कोई व्यक्ति हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि यह जुडीशियल इंक्वायरी जो आती है यह सरकार पर बाइंडिंग नहीं है । सरकार उस रिपोर्ट को माने उसके पहले अपना माइंड एप्लाई करना चाहिए उसको । किसी के साथ न्याय-अन्याय हो गया है यह देखे और देखने के बाद फिर निर्णय करे । कानून में यह स्थिति आज तक क्लीयर नहीं है मेरे सामने, कि हम इसको दुबारा रिमाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते । इसलिए हमने इसमें एडवोकेट जनरल से राय मांगी है । ये मामले रोज आते हैं । यदि हम दो बार रिमाइंड कर सकते हैं तो अपना माइंड एप्लाई करने के बाद जो निर्णय दिया है वह न्यायोचित है । ठीक है कि नहीं है यह मैं आपको देख कर बता दूंगा । मैंने आपसे भी निवेदन किया है कि जो हाईकोर्ट का निर्णय है वह अभी तो मेरे पास नहीं है,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मैं कल उसकी नकल आपको दे देता हूं और जो जुडीशियल अधिकारियों ने जांच की है वह भी निर्णय आपको देता हूं। फिर आप खुद मुझे परामर्श दे दीजिये कि हम इसको रिमाइण्ड कर सकते हैं। हम बाध्य हैं कि नहीं, इतना निर्णय करना बाकी है, इसलिए रुका हुआ है यह। हमने अपने एडवोकेट से राय मांगी हैं, अब आप भी एडवोकेट जनरल से कम नहीं हो, आप राय दे देना मेरे को। दैट्स आल।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मगराज चौधरी।

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में राज्य सरकार द्वारा जिस तरह से उपेक्षित बर्ताव किया जा रहा है और जिसके कारण से उन्हें राज्य सरकार की मंशा होने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा है, उसके बारे में मैं आपके मार्फ़त सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के बारे में और इसके बाबत अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य और केन्द्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण का लाभ देने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जस्टिस एन. प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिन्होंने लाभ देने के समय कुछ गाइड लाइन्स दी हैं। उन गाइड लाइन्स के आधार पर सारे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये, चाहे वे स्वयं राजकीय सेवा में ही क्यों न हों। पर उसके आधार पर वे क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। क्रीमी लेयर का निर्धारण तो अभ्यर्थी के माता-पिता की राजकीय सेवा में क्या हैसियत है, उसके आधार पर किया जाता है। यदि अभ्यर्थी के माता अथवा पिता दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति प्रथम श्रेणी की राज्य अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में हो तो उन्हें लाभ नहीं मिलता है, वे क्रीमी लेयर में आते हैं। या दूसरी श्रेणी में उनके माता एवं पिता, दोनों ही एक साथ राजकीय सेवा में हैं और एक जो ग्रेड फिक्स की गयी है 1640 से 2900 रुपये की, या नये पे स्केल के आधार पर जो भी रिवाइज्ड पे बनती है, उसके आधार पर यदि दोनों एक साथ हैं तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को लाभ नहीं मिलता है। मगर दुर्भाग्य से इस प्रकार के स्पष्ट आदेश राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर्स को नहीं दिये जाने के कारण से तहसीलदार ओ. बी. सी. के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र देने में ठीक ढंग से इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं और बिना राजकीय सेवा में होते हुए भी, या अभ्यर्थी के माता अथवा पिता दोनों में से केवल एक ही मान लो कि छोटी सेवा में हैं, तब भी उन्हें क्रीमीलेयर में आना मानकर अन्य पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी होने का प्रमाण-पत्र नहीं दे रहे हैं। इस कारण से राजस्थान के अन्दर विभिन्न सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों अभ्यर्थी राजकीय सेवा से वंचित रह गये हैं और वंचित रह रहे हैं। यह बहुत ही अहम मुद्दा है इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जस्टिस एन. प्रसाद की गाइडलाइन्स हैं उनके आधार पर स्पष्ट रूप से जिला कलक्टर्स की मार्फत तहसीलदारों को समस्त राजस्थान के अन्दर सर्कुलर भेजें, दिशा निर्देश भेजें, जिससे कि

(श्री मगराज चौधरी)

उनको क्रीमी लेयर में नहीं आते हुए भी प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है वह स्थिति टल सके और उनको राजकीय सेवा में जाने का मौका मिल सके। यह मेरी मंशा है, मैं मानता हूं कि इसके बारे में राज्य सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल मीणा।

श्री भीमराज भाटी : मेरे भी दस्तखत हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हमारा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।.... (व्यवधान) श्री भाटी जी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ओ बी.सी. के मामले में एजुकेशनल इंस्टीट्यूसंस में कुछ भी रिजर्वेशन नहीं है। हम पिछले पांच साल से लगातार झगड़ रहे हैं यहां पर, विधान सभा में अपनी आवाज उठा रहे हैं लेकिन अभी तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गयी। जो अलग से बोर्ड बनाने की बात थी वह भी इस राज्य सरकार ने नहीं बनाया। उपाध्यक्ष महोदय, और तो और, जो ओ. बी. सी. के बच्चे सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तहसीलदार के पास, एस. डी. ओ. के पास, तो उनको सर्टिफिकेट देने में भी वहां के तहसीलदार और एस. डी. ओ. कुछ न कुछ नखरे दिखाते हैं और उनको सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार को बाध्य करें कि वह ओ बी. सी. के बच्चों को सर्टिफिकेट देने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जहां तक सवाल है, जब तक एजुकेशनल इस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक ओ. बी. सी. के लिए जो रिजर्वेशन का प्रोवीजन किया है उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जो सम्बन्धित मंत्री महोदय हैं वे इस सदन को इसके बारे में कोई निश्चित आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह जी। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से असफल हुई है। इस राज्य में ओ. बी. सी. को 21 प्रतिशत का रिजर्वेशन राष्ट्रपति शासनकाल में दिया गया था। आज देश के दो राज्यों को छोड़कर करीब-करीब 25-26 राज्यों में शैक्षणिक संस्थाओं के अन्दर वह रिजर्वेशन है। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ओ. बी. सी. के छात्रों में जो बार्डर डिस्ट्रिक्ट के छात्र हैं सिर्फ उन्हीं को छात्रवृत्ति दी जा रही है, उन्हीं को फैसीलिटी दी जा रही है। इस सरकार को ओ.बी.सी. के सम्पूर्ण राजस्थान के छात्रों को फैसीलिटी देनी चाहिये।

एक बिन्दु और निवेदन करना चाहता हूं कि ओ.बी.सी. के गरीब लोगों को ऋण देने के लिए फीनेलाइजिंग एजेन्सी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब डवलपमेंट कारपोरेशन है। लेकिन तीन वर्षों के अन्दर ओ. बी. सी. के किसी भी व्यक्ति को एस. सी., एस. टी. कारपोरेशन के माध्यम से

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

ऋण नहीं दिया गया है । इसके लिए राष्ट्रपति शासनकाल में एक प्रस्ताव आया था कि बैकवर्ड क्लास डवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना की जाए । उसकी हम पुरजोर मांग करते हैं । बैकवर्ड क्लास डवलपमेंट कारपोरेशन में 80 प्रतिशत तो केन्द्र सरकार से पैसा प्राप्त होगा और 20 प्रतिशत राशि ही राज्य सरकार को देनी पड़ेगी । इसमें दो लाख तक का ऋण देने का प्रावधान है जिसमें कि सिर्फ 6 प्रतिशत ब्याज लगता है । इसलिए इस सरकार को बैकवर्ड क्लास डवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना करनी चाहिये और शैक्षणिक संस्थाओं के अन्दर जैसे आई. टी. आई., मेडिकल कालेज इत्यादि हैं, वहां ओ. बी. सी. के छात्रों का आरक्षण करना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ नौकरियों में अभी जो रोस्टर प्रणाली में पांचवें नम्बर पर रखा गया है ओ. बी. सी. को, थर्ड और फोर्थ पर जनरल हैं, फर्स्ट पर एस.टी. है और सैकिण्ड पर एस. सी. है, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन थर्ड एण्ड फोर्थ पर जनरल हैं, उसमें से थर्ड या फोर्थ स्थान पर ओ. बी. सी. को रखा जाए, यही मेरी पुरजोर मांग है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल जी ।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार से....(व्यवधान) ..

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, दोबारा नहीं । श्री हीरालालजी को बोलने दें ।...(व्यवधान) ....मैं सरकार से बात नहीं कर पाऊंगा । इस मामले में इस प्रस्ताव के जरिये मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता, मान्यवर । आप विराजें । श्री हीरालाल जी ।

श्री भगराज चौधरी : नहीं, बाध्य तो नहीं कर सकते मगर पहले भी आपके द्वारा इस प्रकार का निर्देश दिया गया है । यदि कोई मामला इतने महत्व का आया हैं तो कम से कम राज्य सरकार को आप निर्देश दें कि इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष : वह मैं अपने विवेक से सोचूंगा, आप विराज जाएं ।

श्री भगराज चौधरी : यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और प्रांत की कम से कम 60 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी से सम्बन्धित मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजें । आप दूसरे माननीय सदस्य का समय ले रहे हैं ।

श्री भगराज चौधरी : नहीं, समय नहीं ले रहा हूं मैं । कम से कम थोड़ा निर्देश तो दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये । मैं जितना आप से प्रभावित हो सकता हूं हो चुका । श्री हीरालाल जी ।

श्री हीरालाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में मजरों और ढाणियों में पेयजल की व्यवस्था हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी और शासन सचिव द्वारा हमें भी एक लैटर भेज कर

(श्री हीरालाल)

कहा गया था कि क्षेत्र के गांवों, मजरों और ढाणी में पेयजल की व्यवस्था हेतु हैण्डपम्पों का सर्वे कर हमें भिजवाया जाए। हमारे क्षेत्र बामनवास के अन्दर मजरों और ढाणियों में सारा क्षेत्र बसा हुआ है, कोई भी बड़ा गांव ऐसा नहीं है जिसमें 500 घरों की बस्ती एक जगह हो। कई जगह पांच घर हैं, कई जगह दस घर हैं, कई जगह पच्चीस घर हैं तो कई जगह दो घर है, उन ढाणियों में पानी पिलाने के लिए हमने सर्वे करके भेजा। श्राप के अधिकारी कहते हैं कि उन मजरों और ढाणियों को पानी पिलाया जाएगा जिनमें डेढ़ किलोमीटर की परिधि के अन्दर कोई हैंडपम्प संचालित नहीं हो। क्या डेढ़ किलोमीटर से पानी लाकर हमारा काश्तकार या मजदूर खुद पानी पीए और पशुओं को भी पिलाए? तो क्या वह रोजगार नहीं करेगा? मैं मंत्रीजी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। केन्द्र सरकार से पैसा मिल रहा है। बार बार हमें भी कहते हो कि सर्वे करके भिजवाम्रो ढाणियों का, पानी पिलाना चाहते हैं, कैसे पानी पिलाना चाहते हैं उनको? अगर डेढ़ किलोमीटर से एक आदमी पानी लाकर मनुष्यों को या जानवरों को पिलाएगा तो क्या वह धन्धा नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा, मजदूरी के लिए नहीं जाएगा? मैं तो मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे रूल्स नहीं बनाए कि जहां केन्द्र सरकार पैसा दे रही है और पानी पिलाना चाहती है उसके बीच में रोड़ा अटका कर उसको पानी नहीं पिलाना चाहते।

दूसरा, एक प्रश्न मेरा यह हैं कि आज से चार साल के बीच में हमारे क्षेत्र में पेयजल की जो स्कीम्स संचालित हैं, उन स्कीम्स में जो गांव सम्मिलित किये गये थे उनको आज तक पानी नहीं पिलाया जा रहा है। तीन तीन साल से टंकियां बनी हुई पड़ी हैं लेकिन उनके अन्दर आज तक पानी नहीं पहुंचा है। क्या सरकार उस पैसे का दुरुपयोग इनको कमीशन खिलाने के लिए कर रही है? अधिकारी कमीशन खा लेते हैं उनको तो पूर्ण करा लेते हैं लेकिन इनको चालू करने में अधिकारियों को और कर्मचारियों को मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार वे पानी से वंचित हैं और यहां रिकार्ड में देखें तो हमारी स्कीम बनी हुई है, हमारी स्कीम चालू है, हमारी स्कीम की टंकी बनी हुई है, उस गांव को लाभान्वित कर दिया गया है, उस ढाणी को लाभान्वित कर दिया गया है। इस बात का सर्वे करवाया जाए कि आपने कितनी स्कीम मंजूर की हैं, कितनी स्कीम वहां चालू हैं और कौन-कौनसे गांव सम्मिलित किये गये थे, उन गांवों को आज पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिन मजरों और ढाणियों का सर्वे करके हमने भेजा है उनमें पेयजल उपलब्ध है कि नहीं है, पहले कोई हैंडपम्प है कि नहीं है। इनको तो पानी पिलाया जाए, बीच में कोई रोड़ा नहीं अटकाया जाए। दो साल हो गये ढाणियों को पानी नहीं दिया। जीवाली के अन्दर एस. सी. और एस. टी. को पानी नहीं मिल रहा जबकि लोगों के खेतों में होकर पानी जा रहा है लेकिन उसमें से पाइप काटकर लोगों को पानी नहीं दे रहे हैं।

(13.00 बजे)

श्री हरिसिंह (महुआ) : चोखी ढाणी का भी उल्लेख कर दीजिये।

श्री हीरालाल (बामनवास) : सभी ढाणियां है, एक ढाणी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें ।

श्री हीरालाल (बामनवास) : पूरे बामनवास विधान सभा क्षेत्र का सर्वे करके भेजा है हमने । मैं मंत्रीजी और सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे बीच में रोड़ा नहीं अटकाएं । शहर वालों को तो चार मीटर की दूरी पर से भी पानी नहीं लाना पड़ता, तीसरी मंजिल से भी पानी नीचे लेने नहीं आते और उनको एक हैण्डपम्प भी मुहैया नहीं कराना चाहते । सरकार इस तरह पानी की व्यवस्था करे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मजरे और ढाणियों में जहां-जहां हैण्डपम्पस की व्यवस्था नहीं है वहां-वहां तुरन्त हैण्ड-पम्प लगाये जाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंहजी गुर्जर ।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा रखा है इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि 1.6 किलोमीटर का जो डिसटेंस भारत सरकार द्वारा रखा हुआ है उसकी बाबत पूर्व में भी भारत सरकार को हमने लिखा था । उन्होंने आश्वासन दिया था राज्य सरकार को भेजा था । कस्बों के अन्दर दो कदम पर भी पानी नहीं लेने जाते और गांव के लोगों को 1.6 किलो-मीटर जाना पड़ता हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें । इस पर भाषण नहीं दे सकते । माननीय सदस्या, आप नियमों से परिचित हैं ।

श्रीमती कमला : इसलिए आप यहां से लिखकर भेजें भारत सरकार को कि इस डिसटेंस को कम करें ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं ...

श्रीमती शशि दत्ता (टी. बी.) : यह सरकार तो सो रही है ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर :....कि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है वह असहनीय होती जा रही है । आज 10 प्रतिशत मूल्य सूचकांक बढ़ चुका । 55 प्रतिशत सब्जियों के भाव बढ़ चुके हैं । जो गेहूं हमसे लिया था 550 रुपये का वह 650 रुपये पहुंच गया है और अंदेशा यह है कि विधान सभा का सत्र खतम होगा तब तक 750 हो जाएगा । चावल सरप्लस हैं लेकिन उसके भी भाव बढ़ रहे हैं । दूसरी और भी चीजें हैं, बीज हैं, अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं, सबके भाव निरन्तर केवल यह कहकर बढ़ाये जा रहे हैं कि बाजार में उनकी खरीद नहीं है । लोगों ने होर्डिंग कर रखी है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकार का बिलकुल ध्यान नहीं है । न तो कन्ट्रोल आर्डर काम में ले रहे हैं, न ही असेंशल कमोडिटीज एक्ट को काम में ले रहे हैं और न ही प्रिवेंशन आफ होर्डिंग एण्ड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट जो बना हुआ है उसके प्राव-धानों को काम में ले रहे हैं । बल्कि यहां तक कर दिया है, दिल्ली की सरकार ने इनको बिलकुल नपुसंक बना दिया है कि ये कोई कार्यवाही कर भी नहीं सकते हैं । असेंशल कमोडिटीज एक्ट में जो प्रावधान

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

थे चैकिंग करने के, उन प्रावधानों को भी वापस ले लिया गया है। अब आप मजिस्ट्रेट की परमीशन के बगैर कोई चीज नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मजिस्ट्रेट की परमीशन लेने जाएंगे तो आप जानते हो, कितना समय लगता है। इसलिए मैं खाद्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, और मीटिंग बुलाएं व्यापारियों से बात करें, उपभोक्ताओं से बात करें ताकि सस्ती चीज उपलब्ध हो, चाहे आपकी सस्ते मूल्य की दुकानें हैं उनसे हो, चाहे बाजार से हो चाहे कोआपरेटिव सोसायटी हैं उनकी मार्फत हो। इसकी व्यवस्था कीजिये। कुछ नहीं होगा चुप रहने से तो या यह कहने से कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं हैं। जो उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं उनको राहत दिलाने के लिए बहुत जल्दी अगर कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। इस सम्बन्ध में खाद्य मंत्री महोदय, मैं तो चाहता था कि तत्काल वक्तव्य दें, इस सदन को विश्वास में लें और उसके बाद कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़, पश्चिमी राजस्थान में चक्रवाती तूफान।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, एक विषय मेरा भी है। आपको रिक्वेस्ट कर रही हूं। शून्यकाल के बीच।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : जरूर-जरूर, आप बोलिये। मेरे बाद में आपकी बारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमैंट तो यहां पर आपने पढ़कर सुना दिया। माननीय मंत्री महोदय यहां पर होते तो और अच्छा होता। सांवरलालजी हैं इसमें मंत्री, जो इससे ताल्लुक रखते हैं। (व्यवधान) आप जवाब दे देंगे तो बहुत खुशी की बात है। मैं एक तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने शेरगढ़ तहसील को 27 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने की बात कही थी। अभी वहां एक पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, आज सुबह ही मैंने बात की थी। यह 27 लाख रुपया ट्रैजरी में है, या यहीं पर है, या यह वक्तव्य में ही है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मंत्रीजी ने तो यह वक्तव्य पढ़ा नहीं है आपको ही इत्ला दे दी है और आपने यहां करवा दिया। मेरा ऐसा खयाल है कि अभी यह रुपया कहीं गया है नहीं, ये भारत सरकार से या तो कोई मदद की इन्तजार कर रहे हैं या कोई और इसके परेशानी है। और आपसे यह कहलवा दिया कि हम मुआवजा दे रहे हैं, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कर रहे हैं। मिनिस्टर यहां से गायब हो गये, आपको यह स्टेटमैंट देकर चले गये। अब मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं, थोड़ा–सा मुझे विश्वास हुआ है। मुख्य मंत्रीजी ने इन इलाकों का दौरा किया लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने पूरे इलाकों का दौरा नहीं किया। जोधपुर जिले में मुख्य मंत्रीजी नहीं आये। वे सांचोर गये थे, धोरीमन्ना गये थे, बाड़मेर गये थे और चौहटन गये थे। इन इलाकों में ही ज्यादा नुकसान हुआ है, यह मैं मानता हूं। उन इलाकों में आप जाकर आये और गुजरात के मुख्य मंत्री से भी आप एक्टिव रहे उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद

(श्री खेतसिंह राठौड़)

इस बात के लिए नहीं है कि आप जोधपुर जिले में नहीं आये। जोधपुर जिले में भी बहुत नुकसान हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जोधपुर जिले के एम.एल.ए. ने कोई सूचना ही नहीं दी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक-एक बात सुनिये। जोधपुर जिले की सूचना देने का कर्तव्य तो कलक्टर का था, कलक्टर ने नहीं दी या कमिश्नर ने नहीं दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको खुद को ही पता नहीं था कि साइक्लोन आया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : किसको पता नहीं था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो वहीं थे। आप भी कमाल की बात कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो जोधपुर शहर में थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो हरेक बात ऐसे अन्दाज से कह देते हैं जैसे कि हमको हमारी कांस्टीट्यूएंसी का कोई मालूम ही नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : खेतसिंह जी, मैं कह रहा हूं कि कलक्टर को हमने चिट्ठी लिखी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, खेतसिंहजी बोल रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, लेकिन पहले मुझे बोल लेने दीजिये बाद में आपकी बारी है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं। अभी आपने स्वयं ने यह स्टेटमैंट में फरमाया है कि 27 लाख रुपये शेरगढ़ तहसील को मुआवजे के तौर पर दिये हैं। मैं सही और ईमान से कहता हूं कि मैं खुद गांवों में गया हूं। हमारे 237 गांव रेवेन्यू विलेज हो गये हैं। इस तहसील में करीब-करीब सभी गांवों में, कोई पांच-सात गांवों को छोड़कर हर गांव के अन्दर कहीं 50, कहीं 100 और कहीं 125 भेड़-बकरी मरी हैं। गायें भी बहुत बड़ी तादाद में मरीं, ऊंट-ऊंटनियां भी मरीं, हिरण भी बहुत तादाद में मरे और पक्षी भी बहुत मरे। हवा बहुत ठण्डी थी, तेज थी और रातभर चली, उससे यह सारा बहुत भारी नुकसान हुआ। क्योंकि पहले साल कोई ज्यादा चारा हुआ नहीं था, जानवर कमजोर पड़े हुए थे। उसके ऊपर यह ठण्डी हवा जो रातभर चली, उससे वे सारे के सारे मर गये। कोई जानवर जिसको किसी मकान में या झुंपे में डाल दिया वह तो जिन्दा रह गया। जो बाहर था या खुले बाड़े में था वह ज्यों की त्यों वहीं खतम हो गया बहुत भारी नुकसान हुआ और उसकी रिपोर्ट हमने कलक्टर साहब को दी। मैं खुद गया, गांवों में घूमकर आया। मैंने जिलाधीश से कहा। उन्होंने एस.डी.ओ. साहब को भेजा। एस.डी.ओ. साहब ने जांच भी की। उन्होंने फिगर कुछ कम दिया, कोई बात नहीं लेकिन उन्होंने भी यह माना है कि 14 हजार भेड़-बकरी अकेली शेरगढ़ तहसील के अन्दर मरी हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि करीब 500

(श्री खेतसिंह राठौड़)

से ऊपर गायें मरी हैं, 300 से ऊपर ऊंट–ऊंटनियां मरे हैं और हिरण बेहद तादाद में मरे हैं। लेकिन अभी तक मुआवजे के नाम पर एक पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है। काफी समय गुजर गया। अब तक आपका मुआवजा वहां मिल जाना चाहिए था या शुरू हो जाना चाहिए था। इसलिए खास तौर से मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज ही आदेश दिलावें, मुआवजे की राशि जब मंजूर हो चुकी तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं की ? अगर यहां से मंजूर नहीं हुई तो कृपापूर्वक वित्त डिपार्टमेंट से कहें। ऐसे मामलों के अन्दर जहां बाढ़ से क्षति हुई है और जहां पर भू-चाल से भारी क्षति हुई है, वहां लोगों का बहुत बुरा हाल है, उन लोगों को सहायता देने के लिए जल्दी से जल्दी आप आदेश दीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले वरिष्ठ विधायक बिलकुल सही फरमा रहे हैं। मेरी तो सरकार से एक ही रिक्वैस्ट है कि

श्री उपाध्यक्ष : नहीं–नहीं, आपका तो इसमें नाम ही नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बाढ़ पीड़ितों की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा नियमों का भी ध्यान रखें। इसमें नाम नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मुख्य मंत्रीजी आ गये। खेतसिंहजी पधारते हैं तब मुख्य मंत्रीजी यहां पर आ जाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह प्यार है क्या?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कोई एतराज नहीं है। आपको कोई है क्या ? मैं तो सरकार का ध्यान आकर्षण सिर्फ इस तरफ करवाना चाहता हूं कि आंकड़ों में, आंकड़ों की गिनती में बड़ी हेराफेरी हुई है। ओसिया तहसील, ओसियां विधान सभा क्षेत्र का मुझे ध्यान है कि 8–9 हजार जानवरों की मृत्यु का आंकलन हुआ था। तहसीलदार ने एस.डी.ओ. को और कलक्टर को भेज दिया। कलक्टर साहब की इम्पैच्योरिटी इतनी रही, मुख्य मंत्रीजी, कि उन्होंने बार-बार यह कहा कि ये आंकड़े ज्यादा हैं, कम करो इनको तो आठ हजार से पांच हजार पर आये और पांच हजार से तीन हजार पर आये। अब यह तो एटीट्यूड है। जो एक्चुअल डैमेज हुआ है, जो एक्चुअल जानवर मरे हैं उनकी संख्या सही रूप से मिल जाए तो, खेतसिंह जी जैसा फरमा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी आप इनको राहत दिलवाइये धन्यवाद।

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप सांचोर पधारे थे। आनन-फानन में पधारे और जल्दी पधारे। उसके पहले राजकीय अधिकारियों ने पूरा सर्वे करवाये बिना संक्षेप में कुछ गांवों की सूची बनायी थी। मेरा निवेदन यह है कि सांचोर के नहरी क्षेत्र के अन्दर बहुत सारे गांव जो ढाणियों में बसे हुए हैं, वहां पर बड़ी भारी तादाद में मकानों के छप्परों का, चाहे सीमेंट के छप्पर हों, चाहे लोहे के हो, चाहे केलू के हो, नुकसान हुआ है। पर,

(श्री मगराज चौधरी)

उनका पूरा आकलन नहीं किये जाने के कारण अभी तक उनको मुआवजा देने के बारे में किसी प्रकार का जिला प्रशासन ने दिमाग नहीं बनाया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हमने उनसे सम्पर्क किया था उसके पश्चात् उन्होंने दुबारा सर्वे करवाया या नहीं करवाया। पर जैसी भी स्थिति है कम से कम इस बारे में आप देखें कि प्रत्येक व्यक्ति का नुकसान हुआ है उसको कुछ न कुछ राहत आपकी तरफ से मिलनीचाहिये। आप ऐसी घोषणा करके आये भी हैं। जो भी मापदण्ड आप स्वीकृत करते हैं, समुद्र में एक बूंद के समान आपकी सहायता नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। इस टॉपिक का अन्त नहीं होगा। आप विराज जाएं। मैंने आपको समय दे दिया यह बहुत है, आप विराजें। जवाब आने दीजिये। मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, शेरगढ़, ओसियां और आहोर से आने वाले माननीय सदस्यों ने साइक्लोन के सम्बन्ध में बातें कही हैं। राज्य सरकार की ओर से साइक्लोन के आने के पूर्व जिस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, ईश्वर की कृपा से हम सब लोग बच गये। गुजरात में जिस प्रकार की स्थिति हुई है उस प्रकार की स्थिति हमारे यहां नहीं हुई। यह बात सही है कि कई क्षेत्रों में तेज हवा चली जिसके कारण पेड़-पौधे टूट गये, मकान भी क्षतिग्रस्त हुए और मवेशी भी मारे गये।। इसका हमने तत्काल सर्वे करवाया, जिस समय साइक्लोन चला गया उसी दिन से सर्वे का काम प्रारम्भ कर दिया गया। उसके बाद जहां-जहां से भी सूचनाएं आयीं, जो निर्धारित क्षतिपूर्ति करनी थी वह सरकार की तरफ से की गयी। अभी ओसियां वालों ने और आपने बताया कि हमारा क्षेत्र उसमें शामिल नहीं है, मैं इसको दिखवा लेऊंगा और यह आपको विश्वास से कहता हूं कि और जहाँ भी क्षति हुई है, निश्चित रूप से निर्धारित मापदण्डों के आधार पर सरकार क्षतिपूर्ति करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा। नियम 295।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान की जनता के हित का मामला आपको प्रस्तुत किया है, कृपया मुझे दो मिनट का समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा धैर्य रखें, इन्तजार करें। विराजें। श्री आर. पी. शर्मा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

भरतपुर शहर में कुम्हेर गेट ऑटोमोबाइल मार्केट सड़क की मरम्मत

श्री आर पी. शर्मा (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। पांच माह पूर्व जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा नुमाइश से कुम्हेर गेट ऑटोमोबाइल मार्केट वाली सड़क पर पाइप लाइन डालने हेतु खुदाई की गयी थी तथा सड़क को पूर्ण रूप से खोद दिया गया। इसके उपरान्त समय-समय पर सभी जन प्रति-

(श्री आर. पी. शर्मा)

निधियों एवं व्यापारीगण के आग्रह एवं ज्ञापन देने के बाद भी आज तक उस सड़क की मरम्मत नहीं गयी है जिसके कारण सड़क पर यातायात दुष्कर हो गया है। वाहन फंस जाते हैं एव यातायात जाम हो जाता है। व्यापारियों के व्यापार पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गयी है, किन्तु न तो जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग और न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग या नगर परिषद् इस ओर कोई ध्यान दे रही है।

अतः सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर आग्रह है कि उक्त सड़क की अविलम्ब मरम्मत करवाने की व्यवस्था करायी जाए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी' भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, बरसात हो रही है तो मैटल तक तो अभी ठीक हो जाएगी और बरसात के तुरन्त बाद उसको डामर करवा दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल बारूपाल।

जायल तहसील के ग्राम अड़वड़ से ढेहरी 33 के.वी. लाइन

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत जायल तहसील के गांव अड़वड़ से ढेहरी तक 33 के.वी. लाइन पूरी करने बाबत लोक महत्व के प्रस्ताव का उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, ग्राम ढेहरी तहसील जायल जिला नागौर का 33 के.वी. सब स्टेशन व 12 किलोमीटर अड़वड़ से ढेहरी लाईन जोड़ने का कार्य दो वर्ष से स्वीकृत है एवं जॉब आर्डर को निकले एक साल बीत चुका है। फिर भी आज तक सिर्फ खम्भे ही खड़े किये गये हैं बाकी काम चालू नहीं किया गया है। सिर्फ 15 दिन पूरे कार्य में लगेंगे, जो शीघ्र कराएं। इसके साथ के कार्य पहले ही सम्पूर्ण किये जा चुके हैं जबकि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अतः इस कार्य को लम्बित करने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाकर उचित कार्यवाही की जाए।

अब इस सम्बन्ध में मैं नये विद्युत मंत्री जी को एक कविता सुनाना चाहता हूं, एक महात्मा जी कहते हैं—

"धनपत धरम न करे और
नरपत करे नी न्याय,
भजन करे नहीं भक्त होसी
कीजे कोन उपाय ।
कीजे कोन उपाय सलाह एक
मानो म्हारी ।
जा बैती के माँय जबे
नदी आवे भारी ।
जाय गड़ीदा खावता पड़िया टिके ना ठाँय ।
धनपत धरम नहीं करे,
नरपत करे न न्याय ।"

श्री उपाध्यक्ष : हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

गंगापुर सिटी में बस स्टैण्ड की दुर्दशा

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत माननीय यातायात राज्य मंत्री का ध्यान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

स्टैण्ड गंगापुर की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1990-91 में श्री सत्यनारायण पुत्र श्री गोविन्द सहाय जी से उनकी जमीन किराये पर ली गयी थी। एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखा है कि चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल, समतल जमीन, बुकिंग कार्यालय, लैट्रीन-बाथरूम, यूरिनल्स का निर्माण जमीन मालिक करेगा लेकिन आज तक एग्रीमेंट के अनुसार किसी का भी निर्माण नहीं किया गया। आज बस स्टैण्ड की स्थिति यह है कि बस स्टैण्ड पर एक भी बस खड़ी नहीं होती है, बाहर सड़क पर खड़ी रहती है। बस स्टैण्ड में पानी भरा रहता है, कीचड़ बदबू मारता है। यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हो रही है।

माननीय यातायात मंत्री जी, 1995-96 में तारांकित प्रश्न विधान सभा में रखा था, उसके जवाब में बताया कि एग्रीमेंट के मुताबिक समस्त निर्माण कर दिये गये। इस सम्बन्ध में मैंने एक पत्र आपको लिखा था, आपने जांच का आश्वासन भी दिया था लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी। क्या मंत्री महोदय स्वयं मौके पर जाकर अवलोकन करेंगे? स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल।

परिवहन निगम की बसों का अनियमित संचालन

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के अनियमित संचालन एवं अधिकारियों द्वारा आदेशों की पालना न करने बाबत परिवहन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन क्षेत्र में निगम की बसों में अनियमितता होने से जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

(1) कोटा एवं विभिन्न डिपो की बसें जो कोटा से जयपुर, कोटा से इन्द्रगढ़, कोटा से सवाईमाधोपुर चलाई जा रही हैं वे बसें केशवरायपाटन एवं लाखेरी नगरों में नहीं जाकर बाहर से ही निकाली जा रही हैं, जिससे विशेषकर रात्रि में दस बजे एवं प्रातः 5 से 7 बजे किसी वाहन के न चलने से यात्रियों को भारी परेशानी होती है। केशवरायपाटन पांच किलोमीटर एवं लाखेरी तीन किलोमीटर दूर होने से एवं कोई वाहन न मिलने से यात्रियों को भारी परेशानी होती है।

(2) कोटा-जयपुर एक बस टौंक डिपो की संचालित की जा रही है जो महीने में 10 से 15 दिन ही चलाये जाने से यात्रियों को भारी परेशानी होती है। इस विषय को लेकर जयपुर में एम.डी. महोदय एवं अध्यक्ष महोदय से मिलने के बाद आदेश करने पर भी स्टाफ किसी भी आदेश की पालना नहीं करता है।

(3) कोटा एवं बूंदी डिपो की बसें भी जब मर्जी हो बंद कर दिये जाने से यात्रियों को असुविधा होती है। इन बसों को केशवरायपाटन एवं लाखेरी नगरों में जाने के कई बार उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश भी किये गये। कोटा सम्भागीय आयुक्त ने

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कुछ दिनों के लिये केशवरायपाटन शुगर मिल चौराहे पर पुलिस भी लगाकर बसों को नगर में आने जाने की व्यवस्था की, वह भी बाद में स्टाफ की मनमर्जी से फिर नहीं जाने लगी।

(4) बूंदी डिपो की भी बसें बूंदी–लाखेरी, बूंदी–कापरेन समय-समय पर बंद करने से नगर एवं ग्रामीण जनता को भारी परेशानी होती है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि :–

1. बसों को लाखेरी एवं केशवरायपाटन में नगरों में आने–जाने के आदेश करें।

2. कोटा–जयपुर बस को नियमित करें और इस मार्ग पर (केशवरायपाटन, कापरेन, लाखेरी, इन्द्रगढ़, उनियारा) दो और बसें चलायी जाएं।

3. बूंदी डिपो की बसों को कापरेन नगर एवं वांछित ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाये जाने के आदेश करें।

आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

उप तहसील बिजोलिया की तहसील में क्रमोन्नति

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अतिरिक्त तहसील बिजौलिया को तहसील में क्रमोन्नति करने हेतु राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बिजोलिया मेवाड़ का एक प्रमुख ठिकाना रहा है। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्टेट टाइम में यहां पर मुन्सिफ कोर्ट व तहसील थी। आजादी के बाद यहां से उक्त दोनों हटा दिये गये। उसके बाद सन् 1977 में जब जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी तब मुन्सिफ कोर्ट तो खोल दी गयी, परन्तु तहसील नहीं बनायी गयी। काफी लम्बे समय से क्षेत्र के निवासी बिजोलिया को तहसील का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। बिजोलिया में वर्तमान में अतिरिक्त तहसील है। यहां पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, खनिज अभियन्ता कार्यालय, सहायक अभियन्ता आर.एस.ई.बी. कार्यालय, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय पी.एच.ई.डी., सीनियर हायर सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल, कई बैंक, बड़ौदा बैंक, राजस्थान बैंक, को-आपरेटिव बैंक आदि हैं। समाज कल्याण विभाग का छात्रावास है।

राजस्व की दृष्टि से भी बिजोलिया पीछे नहीं है। यहां की जमीन जहां काफी उपजाऊ है वहीं विपुल खनिज सम्पदा, इमारती पत्थर भी प्रचुर मात्रा में यहां पर है। करोड़ों टन पत्थर यहां से प्रति वर्ष बाहर जाता है तो करोड़ों का अनाज भी प्रतिवर्ष यहां से बाहर जाता है। राज्य सरकार को प्रति वर्ष करोड़ों की आय यहां से होती है। स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगांठ पर बिजोलिया को तहसील का दर्जा देना उन स्वतन्त्रता सैनानियों विशेषकर प्रातः स्मरणीय विजय सिंह पथिक का सच्चा सम्मान होगा।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

राज्य सरकार बिजोलिया को तहसील का दर्जा देने की अविलम्ब घोषणा करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी ।

ग्राम लमाना (अजमेर) में रेंगर समाज की बारात घोड़ी व बेंड बाजों के साथ गांव में नहीं निकलने देने बाबत

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): विधान सभा के प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के कारण ग्राम लमाना (अजमेर) में रेंगर समाज (अनुसूचित जाति) की बारात को घोड़ी व बेंड बाजों के साथ गांव में नहीं निकलने देने के सम्बन्ध विशेष उल्लेख प्रस्ताव ।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में अरविन्द कुमार सिवासीया के शिकायती पत्र एवं दैनिक भास्कर में छप रहे समाचारों के आधार पर अजमेर जिले के ग्राम लमाना में दिनांक 5.6.98 को इसी ग्राम के श्री पूसाराम सरोया (रेंगर) जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं, की सुपुत्री संतोष किरण का विवाह डिग्गी बाजार, रेंगर मौहल्ला, अजमेर निवासी श्री राधेश्याम सिवासिया, व. लि. के पुत्र अरविन्द कुमार के साथ होना तय हुआ था चूंकि गांव में अभी भी सामन्तवाद हावी है तथा आजादी के 50 वर्षों के बाद भी गांवों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को वह दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है जो कि अन्य जातियों को हैं ..

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं माननीय सदस्य को कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारात में थे ? आप तो उपाध्यक्ष रह चुके हैं और सभापति के पैनल पर भी हैं, आपने प्रारम्भ ही यहां से किया कि अखबार के आधार पर ।

श्री किशन मोटवानी : आपने आगे सुना नहीं ना । आपकी तो सिर्फ एक शब्द पर नजर गयी, आगे सुना नहीं । मैंने कहा शिकायती पत्र ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : बारात में तो गये होंगे आप ?

श्री किशन मोटवानी : जरूरी था क्या ? क्या हमारा काम सिर्फ हर बारात में जाने का है और कोई आधार हमारे को सूचना का नहीं है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने तो केवल पूछा है । पूछा है केवल आपसे ।

श्री किशन मोटवानी : आप कैसे जन प्रतिनिधि हैं ?

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : मान्यवर, इससे तो वह स्थिति भी क्लीयर नहीं है, आपने जो व्यवस्था दी थी कि महावीरजी जब भी खड़े होकर बोलें, उनका अंकित नहीं किया जाए । वे भी आज तक ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये अभी न तो सभापति हैं और न कोई व्यवस्था दी हैं ।

श्री किशन मोटवानी : आगे सुनिये, आगे सुनिये ।

(श्री किशन मोटवानी)

इसी आशंका को मद्देनजर रखते हुए श्री पूसालाल, लेखाकार ने दिनांक 29.5.98 को जिला कलक्टर करणीसिंह राठौड़, पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण मीणा, उपखण्ड अधिकारी और सम्बन्धित थाना प्रभारी मांगलियावास को पूर्व में ही लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने की मांग की थी।

लेकिन उक्त शिकायत को सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गम्भीरता से नहीं लेने का परिणाम यह हुआ कि ज्यों ही बारात तय कार्यक्रमानुसार लमाना बस स्टेण्ड से घोड़ी, बैंड बाजों के साथ रवाना होकर गांव में गुर्जरों की हताई के सामने आम रास्ते से वधु पक्ष के घर तक जा रही थी कि उक्त गांव के गुर्जर एवं रावत समुदाय के लोगों ने दूल्हे को यह कहते हुए घोड़ी से उतार दिया कि तुम नीच जात के, लोग घोड़ी पर नहीं बैठ सकते। साथ ही बैंड बाजों को बन्द करवा दिया तथा बारात को गांव के मुख्य मार्ग की सड़क पर धकेल कर रोक दिया। जिसके कारण बाराती (अनुसूचित जाति) के लोग भी इस भेदभाव पूर्ण हरकत के कारण तैश में आ गये। तब बारातियों एवं गांव की प्रभावशाली जातियों के व्यक्ति हथियार ले लैस होकर आमने-सामने हो गये। इस घटना की सूचना वधु पक्ष ने मांगलियावास थाने को जाकर तुरन्त दी। जब तक पुलिस बल मौके पर पहुंचा तब तक आसपास की ढाणियों तथा गांवों से प्रभावी जातियों के लोग लमाना में मय हथियारों के हेड़ा चढ़ाकर आ डटे और बारात को गांव की सरहद से आगे नहीं बढ़ने दिया। बारात व दूल्हे को मुख्य मार्ग से नहीं जाने देने वाले निम्नलिखित मुख्य अभियुक्तगण हैं :–

(1) मोकमसिंह पुत्र हरीसिंह जाति रावत ग्राम लमाना,

(2) पूसा पुत्र भारमल जाति गुर्जर ग्राम लमाना,

(3) पूसा पुत्र हालू जाति गुर्जर, ग्राम लमाना,

(4) छाला पुत्र भेरूं जाति गुर्जर, ग्राम लमाना,

(5) काना पुत्र छोगा जाति गुर्जर, ग्राम लमाना,

(6) मेवा पुत्र नन्दा गुर्जर, लमाना,

(7) सुवा पुत्र सुजा गुर्जर, लमाना,

(8) छोराज पुत्र देवा गुर्जर, लमाना,

(9) बीरम पुत्र पन्ना रावत, लमाना,

(10) प्रभु पुत्र बुद्धा मेहरात, लमाना,

(11) ओंकर पुत्र मन्ना रावत, लमाना,

(12) बीरम पुत्र जग्गा रावत, लमाना,

(13) मंगला पुत्र गोला रावत, लमाना,

(14) देवा पुत्र भक्ता गुर्जर, लमाना,

(15) प्रताप पुत्र कज्जा गुर्जर, लमाना,

(16) हेमा पुत्र अन्ना रावत, लमाना।

नतीजतन हालात खून-खराबे तक आ पहुंचे। मौके पर बिगड़ते हालात देखकर क्षेत्रीय थानाधिकारियों ने तुरन्त पुलिस के उच्चाधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), एल. एल. मोदी, पुलिस उप-अधीक्षक इन्द्रजीत सिंह, भाटी तथा अतिरिक्त कलक्टर एल. एन. शर्मा, तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे। लेकिन सायं 6.30 बजे से रात 12.00 बजे तक पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की निष्क्रियता के

(73)

(श्री किशन मोटवानी)

कारण जिला प्रशासन अनुसूचित जाति की बारात को ग्राम के मुख्य मार्ग से गन्तव्य तक मय बैंड बाजों के साथ पहुंचाने में नाकामयाब रहा व मूक दर्शक बनकर देखता रहा। आखिरकार अनुसूचित जाति वर्ग को अपनी बारात ग्राम के बाहर श्मशान के रास्ते वधु के दरवाजे तक लेकर जानी पड़ी जो कि धार्मिक दृष्टि से अपशकुन माना जाता है। भारत में यह वर्ष आजादी की स्वर्ण जयन्ती के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जबकि भारत में ऐसे अमानवीय कृत्य अभी भी हो रहे हैं जो कि सामन्तवादी व्यवस्था एवं जंगलराज की संज्ञा में आता है।

इसमें दो मिनट मुझे अगर उपाध्यक्ष जी दें, यह बड़ा सीरियस मैटर है। इसमें हुआ क्या? जब उसने पूर्व में सूचना दी तो कोई अधिकारी नहीं आया। जब घटना घटी और अधिकारियों को सूचना दी, तब अधिकारी आए, किन्तु वह असहाय की सी स्थिति में रहे और कोई पुख्ता कार्यवाही नहीं कर पाए उसके बाद जो मारपीट हुई है, उसका जो केस दर्ज करने की बात आती है, वह दर्ज तक नहीं किया। मैं जब मय डेपुटेशन के एस.पी साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास लिखित में रिपोर्ट चाहिये। मैंने कहा कि जब आपके पूरे अधिकारी वहां उपस्थित थे और वहां काग्निजेबल आफेन्स घटित हो रहा था तो आपको काग्निजेन्स नहीं लेने की और उसमें रिपोर्ट लिखने की क्या आवश्यकता थी? आपको काग्निजेन्स लेना चाहिये था। यह तो ऐसा कृत्य था जो स्पेशल एक्ट में आता है। अंत में यही कहना चाहता हूं कि आज भी, केस दर्ज होने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसकी मैं भूरि-भूरि निन्दा करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : मैं अजमेर पश्चिम से आने वाले माननीय विधायक का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। आपने शायद उस समय भी टेलीफोन किया था। अजमेर से भी टेलीफोन आये थे। आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस गांव में आजादी के बाद पहली बार रैगर समुदाय के लोगों ने साहस किया कि हम घोड़ी पर बैठें। आपके शासन में तो साहस भी नहीं कर सके थे। उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार घोड़ी पर बैठे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी जी हां कर दें या गृह मंत्रीजी ना कर दें, लेकिन इस राजस्थान में जातिवादी दुराग्रहों और पूर्वाग्रहों की जो मानसिकता थी, कांग्रेस ने अपने 40 साल के शासन में उस मानसिकता को खतम करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में वह कदम उठा रही है कि आज शिड्यूल्ड कास्ट के लोग साहस के साथ, हिम्मत के साथ घोड़ी पर भी बैठते हैं....

श्री किशन मोटवानी : आप तो यह बताएं कि आपने क्या कार्यवाही की है। आप तो खामख्वाह प्रवचन करने लग गये। आप तो बताएं क्या कार्यवाही की है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कांग्रेस के शासन में एक ही.. (व्यवधान) अमराराम जी ..

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल किसी शासन का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपने सम्मान किया है उन प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का, जिनको सूचना देने के बाद भी बारात में दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया और आप कहते हैं कि उनको सस्पैंड कर देंगे।

श्रीमती शशीदत्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह वक्तव्य बिलकुल गलत है। आप बताएं (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : आज कैलाश मेघवालजी, गृह मंत्री पद पर हैं और आप उस सीट के ऊपर हो, यह कांग्रेस की देन है। गृह मंत्री जी आज उस पद पर बैठे हैं, यह कांग्रेस ने ही रिजर्वेशन दिया है, उसी की बनिस्पत आप इस सीट पर बैठे हैं... (व्यवधान) यह कांग्रेस की देन है कि कैलाशजी आज गृह मंत्री हैं और आप उपाध्यक्ष हैं। यह कांग्रेस की देन है न कि भारतीय जनता पार्टी की देन है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन में सिर्फ (व्यवधान) घोड़ी पर नहीं बैठे हैं.... (व्यवधान) और कहीं नहीं बैठे हैं (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कभी घोड़ी पर नहीं बैठा हूं .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : गृह मंत्री जी, न्याय की मांग करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : गृह मंत्री जी, आप क्यों रह गये? आप घोड़ी पर कब बैठेंगे? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : कैलाश मेघवालजी गृह मंत्री के पद पर हैं, उनके समय में एस. सी. और एस. टी. के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और ये मूकदर्शक बने हुए देख रहे हैं (व्यवधान) यह कांग्रेस की देन है (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, ये डायलाग के द्वारा सारी घटनाओं पर पर्दा डाल रहे हैं। डायवर्ट करने का यह गैर जिम्मेदाराना जवाब है। इस प्रकार के जवाब देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से विमुख होना चाहती है। गरीबों पर जो अत्याचार हुए हैं उसकी समय पर कार्यवाही नहीं होना और इस प्रकार की बात कहकर सारे मामले पर पर्दा डाल देना कहां तक उचित है ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब गृह मंत्रीजी ने यह देखा कि कांग्रेस के राज में एस. सी. के व्यक्ति का घोड़ी पर बैठना नामुमकिन है तो गृह मंत्रीजी ने... (व्यवधान) विचार ही त्याग दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : गृह मंत्रीजी, आप कब घोड़ी पर बैठेंगे, यह बता दीजिये। आप आज तक नहीं बैठे।....

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी, कृपया आप शांति से सुनें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आज इसलिए अपनी बात कह देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री कैलाश मेघवाल)

कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर यहां रखने की स्थिति नहीं आनी चाहिये। इस प्रकरण में माननीय मोटवानी साहब मेरे से सहमत होंगे कि गांव के बड़े-बूढ़े, बुजुर्ग सब वहां एकत्रित हुए। ये दोनों ही शिक्षित लोग हैं और शिक्षित होकर पहली बार उन्होंने हिम्मत की कि हम घोड़ी पर बैठाकर ले जाएंगे। पुरानी पीढ़ी के लोग आपस में झगड़ा आज भी नहीं करना चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज 50 साल के बाद भी गांवों में एक दूसरे का लिहाज करके शिड्यूल्ट कास्ट के जो लोग हैं वे आज भी यही सोच रखते हैं कि अपने जैसा चलता है वैसा ही चलने दो। अवरोध पैदा नहीं करना चाहते। जागृति भी आयी है और समझदारी भी आयी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसा हुआ है। कई जगह लोगों ने नये रूप से सोचना चालू किया है, नये ढंग से विचार बने हैं। गांवों के सवर्ण जातियों में राजपूतों, जाटों और गुर्जरों में....

श्रीमती शशीदत्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या जवाब है? (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : ये तो खुद उकसाते हैं। धोद से आने वाले माननीय विधायक की राजनीति ही यह है कि ये खुद उकसाते हैं, खुद झगड़ा करवाते हैं और खुद वहां पर अवरोध पैदा करके अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं।.. मैं गया हूं इनके गांव में (व्यवधान) मैं गया हूं, मैं गया हूं। मैंने देखा है. (व्यवधान) इन्होंने अपने लोग भेजकर (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सामंती तत्वों की मदद करने के लिए इस सरकार के पांच मंत्री गये। उनको मदद करने के लिये... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) नहीं, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : आपकी पुलिस की आवश्यकता नहीं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं। मंत्री महोदय बोल रहे हैं, आप व्यवधान नहीं डालें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं उस गांव में भी गया हूं जिस गांव का....

श्री किशन मोटवानी : आप तो मेरी बात का जवाब दीजिये कृपा करके। आप यह तो बताएं कि आखिर आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपकी बात पर ही हूं। यह सही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, आप सुनिये, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : यह समझौता हुआ कि गांव में आज तक इस मुख्य रास्ते से बारात नहीं गयी है। अवरोध हो गया तो शिड्यूल्ड कास्ट के पंच, सवर्ण जाति के पंच, गांव के सरपंच सबने मिलकर यह कहा कि भाई देखें, पहली बार हो रहा है, यह रास्ता बदल कर निकल जाओ। मैं इसको स्वीकार करता हूं, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा। मैंने एस.पी. को

(श्री कैलाश मेघवाल)

भी निर्देश दिये, डी.आई.जी. को भी निर्देश दिये और स्वयं फरियादी मेरे पास आया था, मैंने उनको निर्देश दिये कि इसमें विधिवत, नियमानुसार कार्यवाही होगी और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैं आज भी आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री किशन मोटवानी : आप तो सहृदय हैं, आपने तो कार्यवाही के लिये कह दिया परन्तु मैं तो आपसे यह पूछ रहा हूं, भाषण नहीं चाह रहा हूं कि क्या कार्यवाही हुई अब तक? कोई गिरफ्तारी हुई?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2-3 दिन में इसमें आवश्यक कानूनी कार्यवाही होकर के मैं इसी सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री किशन मोटवानी : अब बैठ जाएं आप। बस बैठ जाए, एनफ. ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, बैठे-बैठे न बोलें। सूर्यकान्ता जी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय शांति कुमार धारीवाल जी से निवेदन करूंगा कि मुझे भी घोड़ी पर बिठाने का इंतजाम वे कर देंगे तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। उनको बड़ी पीड़ा है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता इसमें गृह मंत्रीजी, आपने यह कहा क्या आप यह चाहते हैं कि आज ये लोग घोड़ी पर नहीं बैठने का मन बनाएं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन मोदी?

श्री मोहनलाल मोदी : इनको कोई उकसाता है? आज हर व्यक्ति का अधिकार है। क्या हरिजनों को अधिकार नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दूसरे माननीय सदस्य को पुकार लिया। आप विराज जाएं।

श्री मोहनलाल मोदी : ... कि वे घोड़ी पर बैठे? कहां बैठने दिया? दूसरे रास्ते से निकाल दिया। आप यह भी देखें कि कौन लोग रोकते हैं इनको घोड़ी पर बैठने से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह प्रश्न समाप्त। इस पर कोई चर्चा अब नहीं होगी। कृपया विराजें, मोदी जी।

श्री मोहनलाल मोदी : एक विशेष जाति इनको रोकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आदरणीय मोदी जी, कृपा आप विराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : इस प्रश्न को आप सही ढंग से टेकल करिये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी अब उत्तर नहीं देंगे आपकी बात का। आप विराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

मण्डोर (जोधपुर) में बालूरणों के टांके पर स्थित शिव मन्दिर व विश्रामगृह की असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर की मण्डोर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

तहसील के खसरा नं. 5 में ब्राह्मणों के टांके पर लगभग 125 वर्ष पुराना शिव मन्दिर सार्वजनिक विश्राम गृह एवं सार्वजनिक टांका बना हुआ है। यह स्थान जोधपुर के प्रसिद्ध मण्डलनाथ मन्दिर जाने के परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। तीर्थ यात्री जोधपुर से ब्राह्मणों के टांके के मार्ग से पंचकुण्डा तीर्थ जाकर, स्नान कर मण्डलनाथ के दर्शन करते रहे हैं। इस स्थान एवं पंचकुण्डा तीर्थ का रख-रखाव श्री बलदेव ऋषि ट्रस्ट आश्रम जो कि एक पंजीकृत संस्थान है, करता है।

यह स्थान जोधपुर की प्रसिद्ध पत्थरों की खानों के बीच में स्थित है, अतः खान माफिया इस स्थान पर वर्षों से आंख गढ़ाये बैठे हैं। इस स्थान के नीचे स्थित बेशकीमती पत्थरों को निकालने के लालच में समय–समय पर यहां खान आवंटित करवाने के प्रयास होते रहे हैं। मई, 1979 में कोई अजयसिंह ने यहां खान आवंटन हेतु आवेदन किया था परन्तु खान विभाग ने मंदिर एवं विश्राम गृह होने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया था। फिर सन् 1982 में अल्लारखा ने उक्त भूमि को अपने नाम रूपांतकरण करवाने का आवेदन दिया था जिसे उप खण्ड अधिकारी ने जांच के पश्चात् सन् 1983 में यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि यहां सार्वजनिक मन्दिर, विश्रामालय आदि हैं और प्रार्थी का किसी भी प्रकार का स्वयं का मकान नहीं है। उक्त आदेश की प्रति संलग्न है। इसके उपरांत भी इस अल्लारखा ने उक्त खसरे एवं टांके के पास स्थित खान संख्या 37 झूठे हलफनामे के आधार पर अपनी पत्नी श्रीमती अजीमा के नाम से आवंटित करवा ली। हालांकि ट्रस्ट द्वारा किए गए एतराज पर अतिरिक्त निदेशक, खान ने अपने 31.12.85 के आदेश में खनिज अभियन्ता, जोधपुर को निर्देश दिए कि उक्त मन्दिर, विश्रामालय, टांका आदि स्थानों के सुरक्षित क्षेत्र से उचित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करवाएं।

मान्यवर, खान अधिनियम के अन्तर्गत उक्त सुरक्षित क्षेत्र को 500 मीटर में परिभाषित किया गया है, अतः इस स्थान के 500 मीटर में खनन कार्य वर्जित है। परन्तु उक्त अल्लारखा द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना जारी रखी गयी। ट्रस्ट एवं अन्य व्यक्तियों के एतराज पर खनिज अभियन्ता, जोधपुर ने अतिरिक्त खान निदेशक, खान के सुरक्षित क्षेत्र को अपने आदेश दिनांक 10.3.95 को केवल 50 फीट कर दिया। लेकिन खान माफिया ने इस दूरी को भी नहीं माना एवं जगह–जगह पर मन्दिर एवं अन्य इमारतों के पास खनन कार्य जारी रखा। न केवल यही बल्कि 9.7.98 को उन्होंने उक्त मन्दिर व विश्रामालय को क्षति पहुंचा कर तोड़ने की कोशिश की जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट ट्रस्ट के सचिव द्वारा मण्डोर थाने में एफ.आई.आर. नं. 107 के रूप में दर्ज करवाई गयी।

मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह एवं खान मंत्रीजी से अनुरोध है कि नियम विरुद्ध आवंटित उक्त खान नं. 37 का आबंटन तुरन्त रद्द किया जाए एवं इस प्रकरण की पूरी जांच करवाई जाए कि राजस्व विभाग के स्पष्ट आदेशों के पश्चात् भी यह खान कैसे आवंटित हुई? साथ ही

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

इस तोड़-फोड़ के पूरे प्रकरण की भी जांच करवाई जाए जिससे ग्रसामाजिक तत्वों को साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने से रोका जा सके।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायिका ने इस बिन्दु की ग्रोर मेरा ध्यान ग्राकर्षित किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायिका को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ग्रगर सिविल पापुलेशन की सुरक्षा में इस खान से कोई खतरा ग्रा रहा है ग्रौर ग्रगर नियमों के विपरीत, राजस्व विभाग के ग्रौर खान विभाग के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के विपरीत ग्रगर यह खान दी गई है, लीज दी गई है तो इस पर नियमानुसार कार्यवाही करके पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। मैंने ग्राज ही ग्रधिकारियों को निर्देश दिया है कि सारी वस्तुस्थिति की जानकारी करके मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : माननीय मंत्री महोदय, विधायिका तो लैजिस्लेटिव बॉडी को कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी महुआ, आप आसन को बार–बार बाइपास करते हैं। श्रीमती तारा भण्डारी।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के फर्जी डाक्टर्स द्वारा जनता के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उस ग्रोर चिकित्सा मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी ग्रौर सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से ग्रच्छे–ग्रच्छे ग्रखबारों में जो मान्यता प्राप्त हैं, ग्राकर्षक विज्ञापन देकर ये डाक्टर्स दमा दूर करने के लिए, श्वास रोग ठीक करने के लिए ग्रौर न जाने कौन–कौनसे रोगों को ठीक करने के लिए मछली में दवाई देते हैं, केले में दवाई देते हैं ग्रौर जनता को लूट रहे हैं। इससे जनता के जान–माल का नुकसान हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई एक शहर का मामला नहीं, पूरे राजस्थान में एक-एक दिन में छह–छह जिलों में, छह–छह शहरों में एक साथ इस प्रकार की चिकित्सा की जा रही है। मुझे समझ नहीं ग्राता कि सरकार क्या रही है ? एक दिन में एक डाक्टर छह शहरों में कैसे पहुंच जाता है ? इसका मतलब है, सब फर्जी डाक्टर्स हैं जो मछली में दवाई देकर जनता को ठगना चाहते हैं। इस दवाई पर हैदराबादी दवाई का नाम लिखा गया है क्योंकि हैदराबाद में कोई डाक्टर लोगों को दमा दूर करने के लिए मछली में दवाई देता हैं। इसमें साथ-साथ यह भी लिखा है कि ग्रगर कोई मछली में दवाई नहीं ले तो केले में भी देंगे, यानि सारी जनता को ही ठगेंगे। इस प्रकार से जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनके साथ ठगी हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगी कि ग्रच्छे–ग्रच्छे ग्रखबारों में ये विज्ञापन कैसे छप जाते हैं ? जन सम्पर्क मंत्रीजी यहां नहीं हैं, उनको भी ग्रंकुश लगाना होगा कि मान्यता प्राप्त ग्रखबारों में, दैनिक भास्कर का मैं दिखाना चाहती

(श्रीमती तारा भण्डारी)

हूं, एक-एक दिन में छह-छह जिलों में, छह-छह शहरों में, इन डाक्टर्स ने कैम्प किए। कहीं पर तो लिखता हैं डाक्टर वी. एस. राव, फोटो छपवाता है ए. एस. बागला। राम जाने क्या-क्या नाम और कौन-कौनसे डाक्टर। अगर वी. एस. राव अकेला हो तो छह जगह कैसे जाता है? और ए. एस. बागला हो तो अकेला छह जगह कैसे जाता है? इसका मतलब है, एक गैंग है और यह पूरी गैंग राजस्थान को तबाह करने पर तुली हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल यही प्रकरण नहीं है, और भी फर्जी डाक्टर्स है और अनेक जिलों में बैठकर ऐसे-ऐसे प्रकरण कर रहे हैं। सिरोही जिले में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे कलक्टर और सी. एम. एच.ओ. को जिन्होंने पिछले दिनों कई ऐसे फर्जी डाक्टरों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करवाई। चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, आयुर्वेद मंत्रीजी यहां नहीं हैं, यह प्रकरण आयुर्वेद के नाम पर ठगी का हो रहा है और आयुर्वेद के नाम से इनको मान्यता प्राप्त डाक्टर बताया गया है। आखिर में यह सब क्या है? इस बारे में मैं चाहूंगी कि सरकार इस पर पूरा ध्यान दे और ऐसे फर्जी डाक्टर्स को गिरफ्तार करके जनता को सुरक्षित करे। हमारे जनहित का मामला है यह। मैं तो यहां पर यह भी बताना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र अलवर में भी ऐसे-ऐसे डाक्टर्स हैं। हमारे माननीय सभापतिजी जा रहे हैं, इनके क्षेत्र में भी ऐसे-ऐसे डाक्टर्स हैं जो पहले कोई पुड़िया देने का काम करते थे। अब वे थानागाजी क्षेत्र में और न जाने कहां-कहां बड़े डाक्टर बनकर पुड़िया देते हैं। और पुड़िया किसको? बकरी की भी वही दवा करे, गाय की भी दवा करे, जच्चा की भी करे, बच्चा की भी करे, आदमी की भी करे और औरत की भी करे, सब की दवा करे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको अचरज होगा, आप हंसें नहीं, आपके घरों में भी पहुंचेंगे वे डाक्टर। एक प्रकार की पुड़िया देते हैं और सबको ठीक करते है। एक पुड़िया में, मेरा यह मानना है कोई मीठा जहर होता है जो एक बार तो कोई मरीज लेता है तो जैसे कहना चाहिए कुछ सहम होता हैं और कुछ अच्छी अनुभूति होती है और धीरे-धीरे यह मीठा जहर उसकी जान ले लेता है। सभापति महोदय,

(13.46 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आपके विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसे-ऐसे डाक्टर हैं। सरकार कृपया जवाब दे कि सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की? अखबारों में आ रहा है, फर्जी डाक्टर्स यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, सरकार ने क्या किया? मैं चाहूंगी कि सरकार इस विषय को गम्भीरता से ले और राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ होने से रोके। अब तक क्या कार्यवाही की, यह भी बताएं सदन को। (व्यवधान) दोनों हैं, आयुर्वेद भी है और ये भी हैं। यह तो चिकित्सा का मामला है, किसी वैद्य या एलोपैथी से बन्धा हुआ नहीं है, सरकार जवाब दे।

श्री अचलाराम मेघवाल (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने बताया है कि आयुर्वेद में ये

(श्री अचलाराम मेघवाल)

रजिस्टर्ड हैं। हमने भी आज सुबह देखा है कि कोई मिस्टर खन्ना करके हैं जो हैदराबादी मछली में दवा डाल कर कोई दवाई देते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन अगर फर्जी है तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह अगर और मगर क्या है ? इसके लिए तो सरकार को चिन्तित होना चाहिए कि ये कैसी दवाई दे रहे हैं, कौनसी मछली लाकर जनता का धर्म बिगाड़ रहे हैं।

श्री सभापति : चिकित्सा मंत्रीजी को सुनिए।

श्री अचलाराम मेघवाल : हमारे पास ऐसी कोई लैब नहीं है कि हम उसकी जांच करवा सकें। हम माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ऐसी कोई फर्जी दवाई दे रहे हैं तो वे जांच करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : सभापति महोदय, यह सही है कि राजस्थान के ग्रामीण अंचल में और कई स्थानों पर जिन चिकित्सकों के पास योग्यता नहीं वे भी चिकित्सा का काम करते हैं। इसके अलावा जो हैदराबादी मछली की बात कही गई है, वास्तव में समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवा कर राजस्थान के 15–16 शहरों में इस तरह की कार्यवाही की गई। यह तथ्य जब ध्यान में आया तो बीकानेर, गंगानगर, सिरोही और माउण्ट आबू, इन चारों स्थानों पर जहां कैम्प लगे हुए थे, वहां तत्काल छापे लगाए गए। बीकानेर में 2, गंगानगर में 1, सिरोही और माउण्ट आबू में 2–2 गिरफ्तार हुए है।

इसके अलावा पिछले वर्ष क्वैक्स, नीमहकीम और ++ + चिकित्सों के विरुद्ध विभाग ने अभियान चलाया था। पूरे राजस्थान में इस तरह के लगभग 220 अयोग्यताधारी चिकित्सकों के विरुद्ध मामले बने थे और उनके खिलाफ कार्यवाही भी हुई थी। परन्तु यह समस्या नयी नहीं है। जहां शिक्षा कम हो वहां व्यक्ति देखता है कि जो भी व्यक्ति मेरा इलाज जल्दी कर दे, नजदीक हो, उससे इलाज कराते हैं। गांवों में अभी भी झाड़–फूंक की बात कहीं–कहीं देखने को मिलती है। परन्तु उसके पश्चात् भी पूरा प्रयास है और हमने एक कानून बनाया है, मंत्रिमण्डलीय ज्ञापन बन गया है, "एंटी क्वैकरी एक्ट"। मैं समझता हूं जब वह कानून आ जाएगा उसके पश्चात् कार्यवाही हो सकेगी। हालांकि अभी भी आई. पी. सी. के तहत भी उनके खिलाफ कार्यवाही होती है, ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही होती है और मेडिकल कौंसिल के एक्ट 15(3) के तहत भी कार्यवाही होती है। मैं समझता हूं माननीय सदस्या ने जो चिन्ता व्यक्त की है, निश्चित तौर पर सरकार उसके प्रति गम्भीर है। इसके अलावा पूरे मामले में जो दवाईयां जब्त हुई हैं ये दवाइयां जब्त होकर इनके नमूने का परीक्षण तो पूरा नहीं हुआ लेकिन मुझे जो जानकारी दी है, इसमें स्ट्राइड्स जैसी चीज है जो खाने से एक बार व्यक्ति को लगता है कि वह ठीक हो रहा है लेकिन उसके दूरगामी परिणाम

++ + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अमलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़)

काफी गम्भीर रहते हैं। मैं समझता हूं इसके अन्दर गिरफ्तारी हो चुकी है परन्तु मुख्य रूप से डा० राव और डा० बागला जो दो नाम आए हैं, मैं गृह मंत्रीजी से मिलकर भी निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें और यदि राजस्थान में इस तरह का अभियान चलाने की आवश्यकता पड़े तो अभियान चलाएं।

श्री सभापति : माननीय श्री शैलेन्द्र जी जोशी।

श्री ओगेश्वर गर्ग (जालौर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी इस सदन को अवगत कराया। मैं आपसे सहमत हूं। ताराजी ने जिस ग्रुप की शिकायत की है वह ग्रुप अभी जालौर में आया था। पुलिस और आपके विभाग ने दोनों ने सक्रियता से उनकी तलाश की। वे भाग गए और सिरोही में जाकर पकड़े गए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूर-दराज के जो गांव हैं, जहां आम तौर पर आपके सी.एम.एच.ओ. या ड्रग इंस्पेक्टर या दूसरे लोग नहीं बैठते हैं, वहां पर हर गांव में एक–दो डाक्टर बैठते हैं, वे नीमहकीम हैं, उनके पास डिग्री या डिप्लोमा कुछ नहीं है। वे आपकी एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। उनसे कई लोग मरते हैं (व्यवधान)....उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ने कह दिया, वे स्वयं चिन्तित हैं। माननीय शैलेन्द्र जोशी। (व्यवधान)....माननीय श्री जोशी जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के स्वतन्त्रता सैनानियों को दी जाने वाली सम्मानजनक पेंशन जो मात्र एक हजार रुपये है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने 25.6.97 को जयपुर में पांच राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा था कि हम राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानी जिनकी संख्या 2500 है, उनको सम्मान पेंशन देंगे। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि वर्तमान में राजस्थान में एक हजार रुपया स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन के रूप में दिया जाता है, जबकि राजस्थान में एक अकुशल मजदूर को 1300 रुपये महीना दिया जाता है, राजस्थान में कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 1500 रुपये है। इसके अतिरिक्त 25.6.97 को जयपुर में पांच राज्यों के जो मुख्य मंत्री आए थे उन्होंने राजस्थान से जाकर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में दो हजार रुपये, उत्तर प्रदेश में 2250 रुपये प्रतिमाह, मध्य प्रदेश में तीन हजार रुपये प्रतिमाह स्वतन्त्रता सैनानियों के लिए सम्मान पेंशन की है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों को मात्र एक हजार रुपया मासिक देकर हम उनका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि एक हजार रुपये की राशि बहुत न्यूनतम है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानी जिनकी संख्या मात्र 2500 है, वे इस समय 70 से लेकर 85 साल तक की उम्र के हैं और ऐसी अवस्था में उनके बेटे-पोते जो इस तरह

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

की स्थिति में नहीं है कि उनकी परवरिश करें, उनके सम्मान के लिए सम्मान राशि बढ़ाकर 2500 या 3000 की जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री जितेन्द्र निनामा।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान माही डैम की समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। माही डैम को बने हुए कई साल हो गए। 122 गांव उससे उजड़ गए। जो गांव उजड़े उनके बाल-बच्चे, घर-बार सब कुछ नष्ट हो गया और आज तक वहां के लोग इस गांव से उस गांव को भटक रहे हैं। उन्हें स्थापित नहीं किया गया। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करूंगा कि माही डैम के कारण 122 गांवों के लोग, जो आज भी भटक रहे हैं, जिनको जमीन नहीं मिली है उनको सरकार बसाए और कहीं जमीन दे। इसी के साथ दूसरी समस्या भी माही डैम से सम्बन्धित है....

श्री सभापति : संक्षेप में कहें। मेरे पास बहुत पर्चियां हैं।

श्री जितेन्द्र नीनामा : मैं आज ही बोला हूं। मैं तो कभी बोलता ही नहीं, पहली दफे ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, दूसरी समस्या माही डैम की यह है कि जबसे यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तबसे हमारे माही बजाज सागर में नाम-मात्र का बजट देते हैं। इतनी बड़ी सागर परियोजना है, जिसकी नहरें कांग्रेस के राज में बनीं, आज उनसे कुछ नहीं निकल रहा है। मेंटीनेंस का पैसा नहीं है। कच्ची नहरों का पानी काश्तकारों को दिया जा रहा है जिससे सारा सीपेज हो रहा है और काश्तकारों के अनेक खेत सीपेज से बिगड़ गए हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इतने बड़े सागर की मेंटीनेंस के लिए पर्याप्त बजट दें।

श्री सभापति : माननीय श्री दीपेन्द्र सिंह जी... (व्यवधान)....जल्दी करिए, यह लम्बा विवाद नहीं है। यह तो आधा मिनिट में बोलने की बात है। विशेष उल्लेख है। आपकी बात समझ में आ गयी।

श्री जितेन्द्र नीनामा : सभापति महोदय, मेरी तीसरी समस्या यह है कि तीन–चार साल से माही डैम की नहरें खुदी पड़ी हैं। उन नहरों में काश्तकारों के घर, कुएं, खेती आये हैं, लेकिन उन्हें मुआवजे के लिए कोई व्यवस्था आज तक सरकार ने नहीं की है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या पर सरकार तत्काल ध्यान दे।

श्री सभापति : माननीय श्री शेखावत जी। अति संक्षेप में।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): यह मेरे लिए लागू है ?

श्री सभापति : सबके लिए है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अब तक नहीं था।

श्री सभापति : इतनी सारी पर्चियां हैं, फिर वाद-विवाद में 11 बजेंगे। यह विशेष उल्लेख है, इसमें लम्बी चर्चा की बात नहीं है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, सन् 1971 में जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ी तो पाकिस्तान के कुछ नागरिक हिन्दुस्तान में आए थे। उन्होंने हमारी भारतीय सेना को पाकिस्तान के अन्दर घुसकर लड़ाई करके विजय प्राप्त करने में रास्ता भी दिखाया था और पाकिस्तानी सीमा में मदद भी की थी। उन नागरिकों को जान का जोखिम भी था, उस बात को लेकर वे लोग हिन्दुस्तान के बाहर नहीं जाकर हिन्दुस्तान में किसी तरह रहकर अपने जीवन की सुरक्षा चाहते थे। इस सन्दर्भ में तत्कालीन भारतीय जनसंघ के नेता और वर्तमान प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक आंदोलन छेड़ा। उस आन्दोलन का नेतृत्व राजस्थान में अटल जी के साथ वर्तमान मुख्य मंत्री आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने किया था। उस वक्त माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने गडरा रोड व शिमला समझौते के विरोध में इन नागरिकों को हिन्दुस्तान की नागरिकता दी जाए, इस बात को लेकर गिरफ्तारी दी थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व० इन्दिरा गांधी ने उन नागरिकों को हिन्दुस्तान में रहकर यहां का नागरिक मानने की स्वीकृति प्रदान की थी। उन्हें उस जमाने में आठ वर्षों तक शरणार्थी कैम्पों में हमारे देश में रखा गया था। 70 से 80 हजार तक लोग उस वक्त यहां आए। उन लोगों को 177-78 में नागरिकता दिये जाने का फैसला भी हो गया और आज वे भारत में सम्मानजनक नागरिक हैं, किन्तु उनकी समस्याओं के प्रति अब किसी प्रकार ध्यान राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार नहीं दे रही है। आज सैकड़ों की तादात मे वे पाकिस्तान के विस्थापित नागरिक राजस्थान की विधान सभा के बाहर अपनी बात कहने के लिए आए हैं। मैं आपसे चंद शब्दों में उनकी समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से पैसे लेकर उनको बसाने के लिए राजस्थान में जमीन लेने का फैसला किया था और उनका पुनर्वास भी किया। पुनर्वास के वक्त पर आपकी जानकारी में भी है कि कुछ लोगों को रोजी-रोटी के लिए जमीन अलॉट की गई। उस रोटी-रोजी के लिए अलॉट की गई जमीन के बदले 30 हजार रुपये मुरब्बा के हिसाब से उनसे चार्ज किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पुनर्वास विभाग, राजस्थान और केन्द्र सरकार के बीच में कुछ शर्तों के अनुरूप कुछ पैसों की लेन-देन की बात थी उन शर्तों के अनुसार जो वसूली उनसे की जानी थी आज तक उनको पता नहीं है और इसी बीच ये फाइलें चल रही है। कुछ लोगों को जमीन का डबल अलॉटमेंट हो गया और कुछ लोगों को अलॉटमेंट हुआ था उन्हीं नम्बरों का अलॉटमेंट फिर उनको कर दिया गया जिससे वे दर-दर भटक रहे हैं, उनको जमीन का कब्जा नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करूंगा. कुछ जगह पोंग डैम और महाजन फायरिंग रेंज की जमीने थीं वे आरक्षित की गई थीं, लेकिन इनके लिए कोई आरक्षण नहीं किया। उसकी मजबूरी में जो गलत अलॉटमेंट हो गया, वेलोग आज भी घूमते फिर रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि 5-7 हजार नागरिक तो अभी नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। 10 वर्षों से अधिक समय से वे हिन्दुस्तान में रह रहे हैं।

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

(14.00 बजे)

मैं एक तथ्य और देना चाहता हूं, उन लोगों के राशन कार्ड बन गए थे। जब वे यहां आए थे और 8हजार शिविरों में उनको रखा गया। उस वक्त एक भ्रांति रही। उस वक्त उनको कहा गया कि जिसका राशन कार्ड बनेगा उसी को हम यहां पर स्थापित करेंगे। उन राशनकार्डों के आधार पर उनको रोज पुलिस में हाजिरी देनी पड़ती थी। 20–20 परिवारों का एक ही राशन कार्ड बनाकर एक व्यक्ति को मुखिया माना। वह व्यक्ति हाजिरी करने चला जाता और बाकी लोगों को नहीं जाना पड़ता, इस मजबूरी में उन्होंने यह व्यवस्था की थी। लेकिन आज उन्हीं राशन कार्ड के आधार पर मेरी उम्र की तीसरी पीढ़ी वहां उनकी मौजूद है, उस एक राशन कार्ड के आधार पर सारे परिवारों को, जो नाम लिये गये थे, आज भी माना जा रहा है। इस पर दुबारा विचार नहीं किया गया।

दूसरा, जहां जहां इन लोगों को बसाया....

श्री सभापति : समाप्त करें, कृपया।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : एक मिनट। जहां-जहां इन लोगों को बसाया गया, निश्चित रूप से सी. ए. डी. मे पैसा खर्च किया है लाखों की तादाद में लेकिन आज वहां स्कूल नहीं हैं, आज चिकित्सालय नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, अनाज के भरोसे पड़े हैं। इसलिए उनको सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए।

दूसरा, बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है इसमें। माननीय सभापति महोदय, 1971 की वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं थे क्योंकि नाम हो भी नहीं सकते थे, वे लोग 1978 में आये थे। इंदिरा गांधी नहर के इलाके में जो बस गये, उन्होंने प्राइवेट जमीनें खरीदना शुरू किया। वहां एक निषेध बना दिया राजस्थान सरकार ने कि पाकिस्तान के जो विस्थापित आकर वहां बसेंगे और वे जमीन यहां अपने पैसे से खरीदकर रजिस्ट्री करायेंगे चाहेंगे तो उनका 1971 की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। वे 1971 की वोटर लिस्ट के समय यहां नहीं थे, नागरिकता उनको 1978 में मिली, उनको 1978 में नागरिक बनाया गया। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है, मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनको इस बात की स्वीकृति दी जाए कि जो लोग ...

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय लक्ष्मीनारायण जी बैरवा।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : जो यहां आ गये और जो स्थापित हो गये, 10 वर्षों से यहां रह रहे हैं, नागरिकता उनको मिल गयी, कम से कम उनको इस प्रतिबन्ध को हटाकर जमीन खरीदने की सुविधा दी जाए।

श्री सभापति : कृपया विराजिये। इतना लम्बा था तो 131 में ध्यानाकर्षण करते। स्पेशल मेन्शन को एक मिनट में कर दें। धन्यवाद।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मैं स्पेशल मेन्शन ही कर रहा हूं। बहुत-से हरिजन परिवार हैं जो अपनी व्यथा के लिए राज-स्थान सरकार के सामने....

श्री सभापति : बात आ गयी समझ में।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, आज देश के प्रधान मंत्री अटल जी हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री आज भैरोंसिंह जी शेखावत हैं, उन्होंने उनके लिए आन्दोलन किया था लेकिन उनकी व्यथा को सुनने वाला आज राजस्थान में कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय लक्ष्मीनारायण जी। विराजिये। श्री खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मेरा संक्षेप में इतना ही निवेदन है कि ये, सब हिन्दू परिवार हैं और इन सबको बसाने में मुख्य मंत्री जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। इनके आश्वासन से ही ये यहां आये थे, नहीं तो ये वापस चले जाते। बड़ी तादाद में इनमें मेघवाल हैं, दूसरे सोडा राजपूत हैं। ये लोग यहां बसाये गये। उनकी फैमिली में 100–100 मैम्बर हो गये हैं और राशन कार्ड इनके पास 15–20 का ही है, इनके उस वक्त के बने हुए राशन कार्ड में। दूसरों के राशन कार्ड थे में जोड़ नहीं रहे हैं इसलिए इनको भोजन में और धान लेने में बहुत मुसीबत आ गयी है। किसी प्रकार इनको जो अलाटमैंट हुआ उस अलाटमैंट को डबल आदमियों को दे दिया गया। कहीं पर अलाटमैंट को दूर दिया गया जहां ये पहुंच नहीं पाये। ये सारा का सारा मामला मुख्य मंत्रीजी के नोटिस में होते हुए भी इनकी परेशानियां बेहद हैं और निश्चित तौर पर बिठाकर, सुनकर इनकी समस्या का समाधान करना आवश्यक है।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीनारायण जी। कृपया विराजें। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय मुख्य मंत्रीजी आ गये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : इस बारे में राजस्थान सरकार को विचार करना चाहिए। उनको आबंटन नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये। आपका नाम नहीं था। आप बीच में खड़े हो गये। आप विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने पाक विस्थापितों के सम्बन्ध में यहां बड़ी चिन्ता प्रकट की है। माननीय खेतसिंह जी जानते होंगे कि कुछ विस्थापित तो 1965 की लड़ाई के हैं और कुछ 1971 की लड़ाई के हैं। पहले समस्या यह थी कि इनको नागरिकता के अधिकार दिये जाएं या नहीं दिये जाएं या इनको वापस खदेड़ा जाए। आपको शायद ध्यान होगा कि उस समय की सरकार ने यह फैसला किया था कि इनको वापस खदेड़ा जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 1965 में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1971 में। यह फैसला हुआ था कि इनको वापस खदेड़ा जाए और 65 में भी फैसला हुआ था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : खदेड़ा जाए नहीं, वापस भेजा जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह एक ही है। वापस भेजा जाए। इनको नागरिकता के अधिकार नहीं दिये गये। हमारी पार्टी ने वहां आन्दोलन किया।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्राप मुखिया थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनो तो सही । वही तो कह रहा हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर ग्राप बसा दो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वहीं तो कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं समाधान । ग्राप सुन तो लो ।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्राप समां बांध रहे हो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समां नहीं बांध रहा हूं, ग्राप सुन तो लो । (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा निवेदन है कि व्यवधान नहीं डालें । समस्या का समाधान हो जाएगा, कृपया व्यवधान नहीं डालें ।

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवधान कहां है ।

श्री सभापति : सुन तो लें, सुनिये तो सही तारतम्य से सुनेंगे तो सारी बात समझ में ग्रा जाएगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, ऐसी स्थिति ग्रा गयी थी कि गांवों में इन लोगों को इकट्ठा किया गया । पुलिस ने इस बात की कोशिश कि इनको निकाल दिया जाए । उस समय हमने ग्रान्दोलन किया ग्रौर खेतसिंह जी को मालूम होगा कि ग्रान्दोलन का नेतृत्व वर्तमान प्रधान मंत्री श्री ग्रटलबिहारी जी बाजपेयी ने किया । साथ में हम भी थे ग्रौर ग्राप दूर से देख रहे थे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वे बहुत दुःखी हैं ग्रापसे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रब उस समय इनको रोका । रोकने के बाद में 1977 में ज्यों ही मैं मुख्य मंत्री बना, पहला मैंने यह काम किया कि इन लोगों को नागरिकता के अधिकार दिलाएं । नागरिकता के ग्रधिकार दिलाये, 1965 में जो लोग ग्राये थे उनको भी नागरिकता के ग्रधिकार दिये ।

दूसरा, प्रश्न ग्राया कि इनका किस प्रकार से रीहैबिलिटेशन किया जाए, रीहैबिलिटेशन के लिए जमीनें कहां-कहां उपलब्ध हैं ग्रौर किस प्रकार से जमीन दी जाए । मुझे ध्यान है ये सारी पत्रावलियां । इनको हमने नहरी क्षेत्र में जमीन देने की बात की । उस समय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के आधार पर यह सोचा गया कि इन लोगों में इस बात की जांच की जाए, पूरा वैरीफिकेशन किया जाए कि इन लोगों में कहीं पाकिस्तान के गुप्तचर तो नहीं हैं । उनको निकालने के बाद में जो बचते हैं उन लोगों को भूमि का ग्राबंटन कर दिया जाए । भूमि के ग्राबंटन के सम्बन्ध में पहले इनको जमीन दी गयी । जमीन देने के बाद कमांड ग्रौर ग्रनकमांड का झगड़ा फैला । यह झगड़ा हमारे काल में नहीं, ग्रापके काल में उठा था । मुझे डेफिनिट याद नहीं है पर 1986 या 87 में यह मामला उठा था । कमांड एरिया से ग्रनकमांड में ग्रौर ग्रनकमांड से कमांड में, इस कारण से इनको जमीन उपलब्ध नहीं हो पायी ।

ग्रभी-ग्रभी इस सम्बन्ध में हमने विचार किया है, मैं परसों स्वयं जैसलमेर जा रहा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं, ये लोग भी वहां उपस्थित होंगे और किस प्रकार से इनका रीहैबिलिटेशन हो सके, उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे ।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मी नारायण जी । माननीय भाटी जी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइन्ट ग्राफ इन्फार्मेशन । सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर ।

श्री सभापति : ग्राप पहले विराजिये, ग्रापका भी करा देंगे । बैठिये । नहीं, एक–एक करके । कितनी जल्दी है ? आपको गाड़ी पकड़नी है क्या ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छे ढंग से विवरण दे दिया इनके आन्दोलन का, इस सब घटना का कि कितनी मदद हुई इत्यादि । मैं तो सिर्फ ध्यानाकर्षण ग्रापके माध्यम से

श्री सभापति : ग्राप पाइंट ग्रॉफ आर्डर बता रहे हैं या ध्यानाकर्षण कर रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बता रहा हूं । 1971 वार का जो हीरो था और छाचरो को जिसने कैप्चर किया, उसकी इनके मुख्य मंत्री काल में, कर्नल भवानीसिंह जी की जमीन, यह राजमहल की जमीन किस हिसाब से ली ग्रौर उनको कितना दर्द पहुंचाया, उसके कारण से उनके पैरालेसिस ग्रटैक हुआ ? ये वे मुख्य मंत्रीजी हैं ।

श्री सभापति : माननीय, कोई व्यवस्था का प्रश्न है उसे पाइंट ऑफ ग्रार्डर कहते हैं । कोई व्यवस्था, नियम की बात बोलियेगा । पाइंट ग्रॉफ ग्रार्डर के नाम से हरेक ग्रादमी खड़ा हो जाता है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइंट ग्रॉफ इन्फार्मेशन । सभापति महोदय, मेरा ग्रापके माध्यम से विनम्र निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, हमारे हिण्डौन उपखण्ड के ग्रन्दर भयंकर वृष्टि हुई है, इतनी बाढ़ ग्रायी है जिसके कारण पांचना बांध टूटने की संभावना हो गयी है ।

श्री सभापति : माननीय, विराजें, यह ग्रंकित नहीं हो रहा है । माननीय लक्ष्मी-नारायण जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसका जवाब ग्रापको कल दे दूंगा ।

श्री सभापति : माननीय चतुर्वेदी जी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन । माननीय सभापति महोदय, ग्रागरा–भरत–पुर–जयपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 के 91 किलोमीटर पर हलैना ग्राम के नजदीक भारी वर्षा के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग में सड़क धंसने के कारण ग्राज प्रातः काल 2 बजे कुछ वाहन फंस गये थे । भरतपुर से सूचना प्राप्त होते ही सुधार के लिए ग्रधिशासी ग्रभियन्ता खण्ड–4, जयपुर ग्रौर सहायतार्थ भरतपुर ग्रधिशासी ग्रभि-यन्ता मौके पर पहुंच गये । सड़क के सुधार का काम चालू कर दिया है, कार्य प्रगति पर है ग्रौर सायंकाल 6–7 बजे तक उस सड़क के ठीक हो जाने की सम्भावना है ।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा ।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : माननीय सभापति महोदय, पिछले 2–3 दिन से हो रही भारी वर्षा के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र की तहसील चाकसू और फागी में कुछ बांध और तालाब टूट गये हैं। फागी में मांखरोटा, दोसरा, कंटका बेड़ा, मदकरिया, बींची, हिड़ावता, मालमन तथा चाकसू में मोजाड़ा, माधोसिंहपुरा, ईटपुरा, रामपुरा और खेजड़ी का बांध टूट गया है जिससे गांवों में पानी भर गया है, पशुधन की हानि हुई है, लोगों के घर-बार बह गये है बहुत सारे खेत कट गये हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे समय में उन गांवों के व्यक्तियों को खाद्य के सामान की पूर्ति करवाएं और चिकित्सा एवं आवास की सुविधा भी उनको दिलवाई जाए। साथ ही जो सड़कें टूट गई हैं, इससे गांवों का सम्पर्क कट गया है, उन सड़कों को भी ठीक करवाकर आवागमन जारी करें। मैं राहत मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको तुरन्त सहायता की व्यवस्था करें। आगे वर्षा के आने की आशंका बनी हुई है और तालाब और बांध टूटने की आशंका है, उसका पुख्ता इन्तजाम करें।

श्री सभापति : माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्रीमती शशि दत्ता : माननीय सभापति महोदय....

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय ...

श्री सांवरलाल जाट : सभापति महोदय

श्री शिवनाथ सिंह : सबका साथ में दे दें।

श्री सभापति : नहीं, माननीय मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं, दे देने दीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : सबका साथ ही दे दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या हो गया?

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, कुछ नहीं हुआ? अभी तक पूंछ लगनी बाकी है, पूंछ लगनी बाकी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराजिये। मत्रीजी जवाब दे रहे हैं। उनका अधिकार है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और आप लंका में रहते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, सहायता) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में विगत कुछ दिनों से मानसून की अच्छी बरसात हो रही है। कुछ स्थानों पर ज्यादा बरसात होने की वजह से तालाबों का, सड़कों का या जान-माल का भी कुछ नुकसान हुआ है, मकान वगैरह की क्षति हुई है। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने सभी जिला कलक्टर्स को निर्देश दे दिये हैं, सभी विभागों को आवश्यक राशि का आवंटन कर दिया गया है। जहां तत्काल सहायता की आवश्यकता होगी या तत्काल कहीं सड़कों की, तालाबों को ठीक करने की आवश्यकता होगी, सम्बन्धित विभाग को राशि का आवंटन करवा दिया गया है और उन्हें निर्देश दे दिये गये हैं कि तत्काल यह सारी व्यवस्था करे ताकि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ न हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : माननीय श्री शिवनाथ सिंह जी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : माननीय श्री शिवनाथ सिंह जी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये । (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : आपको कोई बात कहनी है, आपको नोटिस देना चाहिए था । (व्यवधान) विराजिये आप ।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : आपको नोटिस देना चाहिए, चाहे जब खड़े हो जाते हैं आप । (व्यवधान) माननीय रामस्वरूप जी, मैं आपका नाम ले रहा हूं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : आप विराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह तरीका नहीं है । आपको कुछ बात कहनी थी तो आपको नोटिस देना चाहिए । विराजिये आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : विराजिये आप । माननीय शिवनाथ सिंह जी ।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापतिजी, . . .

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, राजस्थान के भिन्न-भिन्न भागों में....

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, मैं दुबारा आपका नाम ले रहा हूं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × × (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा आपसे नम्र निवेदन है, मैं आपका नाम ले चुका हूं । विराजिये ।

श्री टीकमचन्द कांत : सभापति महोदय, सारी विधान सभा का समय इनके नाम ही लिख दो ना ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : माननीय शिवनाथ सिंह जी, आप बोलें अपनी बात वरना मैं अगला नाम बोलूंगा ।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : तो मैं क्या करूं ? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बोलिये ना अपनी बात। इतनी पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, इनको निपटाना है कि नहीं ?

श्री शिवनाथ सिंह : आप भी अपना दायित्व निभाइये। हाउस को, सदन को आर्डर में लीजिये। माननीय सभापति महोदय, सदन को आर्डर में लीजिये। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। यह काम आपका है, मेरा नहीं हैं। मैं तो बोलना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : आप बोलिये, वे लिख रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, सब सदन सुन रहा है। आप बोलिये ना आगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं और मैं चेतावनी दे रहा हूं, आप विराजें। विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री शिवनाथसिंह : माननीय सभापति महोदय, ..

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इनके यहां चार आदमी मरे हैं, इनको बोलने का समय दे दीजिये। इनको बोलने का समय दे दीजिये ना।

श्री सभापति : ये जो बोल रहे हैं या अब तक बोला है, वह कार्यवाही से निकाल दिया जाए, आगे अंकित नहीं किया जाए। ये बिना आज्ञा के बोले हैं। ये जो बोले हैं, वह सब कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले दिनों भिन्न–भिन्न स्थानों पर वर्षा हुई है और इस बरसात से जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। मेरे भी निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3–4 दिनों से भारी वर्षा हुई है। उस भारी वर्षा से काटली नदी जो सीकर और झुन्झुनूं जिले के बीच में बहती है, उसमें उफान आया और जगह–जगह पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गये, रेल मार्ग अवरुद्ध हो गया। माननीय सभापति महोदय, सीकर से दिल्ली जाने वाली शेखावाटी एक्सप्रेस का रास्ता बदलना पड़ा, जयपुर से लुहारू जाने वाली गाड़ी को रोकना पड़ा। यह तो रेल का काम है। माननीय मी. कल्लू डी. मंत्रीजी अभी चले गये हैं, हमारे यहां बागोली, पापड़ा, ककराणा और अन्य स्थानों पर 5–6 जगह यह काटली नदी जिले को क्रास करती है, वहां पड़ने वाली सभी सड़कों को वह बहा ले गई। आवा–गमन अवरुद्ध हो गया और हमारे जिले का सीकर जिले के नीमकाथाना से सम्पर्क टूट गया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, बागोली, परिया ऐसा

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

है जहां कम से कम 200-300 ट्रक रोजाना बजरी के उठते हैं, वे सब कहीं फंसे हुए हैं रास्ते ठीक नहीं होने के कारण से। इसलिए माननीय पी. डब्ल्यू. डी. मंत्रीजी जो अभी यहां से निकल गये, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से उनसे कि इन रास्तों को जो बरसात से पिछले दिनों प्रभावित हुए हैं, ठीक किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, गुढ़ा मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय है, वहां 4–4, 5–5 फीट पानी भरा हुआ है। राजमार्ग जो झुन्झुनूं, सीकर, जयपुर इन तीन जिलों को क्रोस करता हुआ आ रहा है, उस पर चार फीट पानी भरा हुआ है। उधर से जो बसें आती हैं, वे सब बन्द हो गई। अभी पम्पों से पानी निकाला जा रहा है लेकिन उसकी कोई समुचित व्यवस्था जब तक नहीं होगी, आइन्दा फिर पानी आने से रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन रास्तों को जो बरसात से प्रभावित हुए हैं, ठीक करवाया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान पंचायती राज विभाग की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय तो फिल्मों में व्यस्त रहते हैं लेकिन विभागीय अधिकारी क्या–क्या कारनामे करते हैं, वह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी एक सरपंच को नोटिस जारी किया, उस नोटिस में लिखा है कि 25.6.98 तक आपको निश्चित रूप से जवाब देना है नहीं तो एक तरफा कार्यवाही की जाएगी। सरपंच, ग्राम पंचायत रताऊ। यह नोटिस डिस्पैच हुआ है 27.6.98 को। जो इन्होंने अन्तिम तारीख दी जवाब देने की उसके दो दिन बाद तो डिस्पैच हुआ है। इसमें आरोप आप देखें। आरोप यह लगाया है कि आपने म्यूटेशन ठीक से तस्दीक नहीं किया है।

आपको यह जानकारी है कि म्यूटेशन का काम एक न्यायिक प्रक्रिया में आता है। रेवेन्यू कोर्टस् के अधिकार तहसीलदार को थे, रेवेन्यू कानून के तहत उनको अधिकार प्रदान किया है। (व्यवधान) अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो पार्टी अपील करे। मान लो, तहसीलदार इस जगह पर कोई म्यूटेशन तस्दीक करता है और वह म्यूटेशन खारीज होता है तो क्या तहसीलदार से चार्जशीट मिलती? मुन्सिफ का फैसला उठ जाता है सैशन में से तो क्या उस पर चार्जशीट मिलती? यह न्यायिक प्रक्रिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अचानक कोई परिस्थिति पैदा हो जाए, उसी का स्पेशल मेंशन आता है। इस प्रकार के विषय पर नोटिस देकर, उस पर समय लेकर चर्चा करें तो आपका निर्णय हो जाएगा।

श्री हरजीराम बुरडक : एक मिनट, आप सुनिये तो सही। इस विशेष उल्लेख में क्या है ?

श्री सभापति : विशेष उल्लेख में जिसका आप समय पर नोटिस नहीं दे सके,

(श्री सभापति)

आज ही अचानक कोई दुर्घटना, घटना हो गई हो, उसके बारे में यहां पर बोलना चाहते हैं, उस काम के लिए विशेष उल्लेख है।

श्री हरजीराम बुरड़क : इतनी देर से मैं सुन रहा हूं। सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या बोल रही थीं कि डाक्टर दवाई दे रहे हैं इतने वर्ष से, वह अचानक हो गई। उनको तो आप सारा टाइम दे दें और वह यह नहीं हुआ? वह कोई जरूरी है? फिर क्या हुआ?

श्री सभापति : खैर, समाप्त कीजिये कृपया। मैंने आपको इजाजत दी है तो समाप्त कीजिये। मेरा निवेदन है, आप समाप्त कीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : उनको तो आप पूरा समय देते हैं और हमारा पूरा एक्सपंज कर दें।

श्री हरजीराम बुरड़क : सवाल यह है कि मैं अपनी बात तो पूरी करूं।

श्री सभापति : वह बिना नोटिस के था। (व्यवधान) नहीं, वे दूसरी बात कह रहे हैं धनखड़ साहब, उनको जवाब दिया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अब इससे और ज्यादा क्या धांधली होगी कि जिस नोटिस के जवाब की तारीख 25 है, वह नोटिस इश्यू किया है 27 तारीख को, दो दिन बाद में।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह है हमारी सरकार की गतिशीलता।

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरी बात यह है माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज विभाग में पंचायत मंत्रीजी के आदेश दी हुई फाइलें साल भर से पड़ी हुई हैं, उनकी कोई तामील नहीं और हमारे नागौर जिले की कम से कम पचास फाइलें ...

श्री सभापति : ये बातें आप अनुदान की मांगों पर खूब विस्तार से बोलना, इस समय इन सब बातों की चर्चा का

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं विस्तार से तो कभी बोलता ही नहीं। आप जो ज्यादा बोलें, उनको कुछ कहे नहीं....

श्री सभापति : नहीं–नहीं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं....

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं कुछ कह रहा हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई....

श्री सभापति : खूब बात लम्बी बोलना न इस वक्त के अन्दर।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, तो क्या तरीका हुआ? यह क्या तरीका हुआ? एक मिनट से ज्यादा मैं बोला नहीं।

श्री सभापति : अच्छा, बोलिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस समय तत्काल कोई समाधान, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है .. (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, जिसका हो गया क्या बाकी तो

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, मैं बात कर रहा हूं

श्री हरजीराम बुरडक : आप सारा टाइम हाउस का ऐसे खराब कर देते हैं, बिना मतलब कर देते हैं, कोई समझ में तो आता नहीं।

श्री सभापति : तो आप काहे को व्यवधान डालते हैं, विराजिये न आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं नियमों से कह रहा हूं यह.... (व्यवधान)

श्री सभापति : तो मैं कह रहा हूं न, यह काम मेरा है, यहां पर बैठ करके बोलने का।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष ने; सभापति ने इतना प्रताड़ित किया है फिर भी आप में अनुशासन नहीं आया।.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको यहां से निकाल दिया गया, +++ उसके बाद भी समझ में नहीं आया।

श्री सभापति : कृपया शांति रखिये।

श्री हरजीराम बुरडक : आप क्यों टाइम खराब कर रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : टाइम तो आप खराब कर रहे हैं...

श्री हरजीराम बुरडक : सभापति महोदय, नागौर जिले की पचास फाइलें ऐसी हैं सरपंचों, प्रधानों के खिलाफ कार्यवाही की हुई जो आज तक इन्होंने दबा रखी हैं, वे वापस नहीं हुई।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती इन्दिराजी।

श्री हरजीराम बुरडक : यह नोटिस की कॉपी मैं आपको जानकारी के लिए दे रहा हूं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (पंचायती राज. राज्य मंत्री) : इन्दिराजी, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अभी माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह रेगुलर प्रक्रिया है....

श्री हरजीराम बुरडक : क्या ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : नीचे पंचायत समिति में शिकायत होती है, वहां से जांच होकर सी. ई. ओ. के थ्रू विभाग में आती है। विभाग में डिप्टी कमिश्नर के लेवल से ही नोटिस जाता है, सुनवाई होती है। जिस केस का ये जिक्र कर रहे हैं इन्होंने कल मुझे भी बताया था। मैंने कहा, आप लिख कर दे दीजिये। अभी वह डिसाइड ही नहीं हुआ है विभाग की तरफ से और यह बीच में ही कह रहे हैं कि आरोप क्या है। आरोप सही है या गलत है, यह तो जब विभाग डिसाइड करेगा तब तय होगा कि **what is right and what is wrong.**

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये कह रहे हैं, यह फर्स्ट टाइम है। इस सरकार में पिछले तीन साल से, जब से विभाग मेरे पास आया, ढ़ाई हजार से लेकर तीन हजार तक इंक्वायरीज पेंडिंग थीं, जो 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थीं। मैंने उनको पूरा करके लगभग दो

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

करोड़ रुपये वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराये हैं, ब्याज सहित । सभापति महोदय, यह हिन्दुस्तान की किसी सरकार ने नहीं किया । हिस्टोरिकल....

श्री हरजीराम बुरडक : यह भी रिकार्ड है आपका कि 25 तारीख को जवाब मांगा और 27 को डिस्पैच किया । यह भी आपका रिकार्ड है । (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : यह हिस्टोरिकल कदम हमारी सरकार ने उठाया है और ये कह रहे हैं कि पैंडिंग पड़ी हैं विभाग में । सभापति महोदय, हमने आदेश दे रखे हैं कि एक महीने में....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मंत्री जी, दूदू के प्रधान को बचाने के लिए रातों रात आपने सस्पैंशन किया है । क्या बात कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप तो वकील थे, आपको बोलना ही नहीं चाहिए उस विषय पर । आप उसमें वकील थे । आप नोटिस लाकर पूछो विधान सभा में, मैं जवाब दूंगा । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ :....बचाने के लिए किया है, इससे ज्यादा भ्रष्ट (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप तो वकील हो, आपको नैतिकता के आधार पर उस सवाल को यहां उठाना ही नहीं चाहिए । आप उस केस के वकील थे हाई कोर्ट में (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापति जी, एक निवेदन करूं आप से । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : कानून की कहां बातें (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : कि आडूका पंचायत में माननीय मंत्रीजी ने सरपंच महोदय को सस्पैंड किया है टर्मिनेट किया है और सरकार के दबाव में आकर पांच दिन के अन्दर उसको बहाल कर दिया । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, हमने आदेश दे रखे हैं कि एक महीने में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी ।.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कुछ मत बोलिये, मंत्रीजी बोल रहे हैं । आप सुनना तो चाहते नहीं हैं, फिर क्यों प्रश्न उठाते हैं ? अगर प्रश्न उठाते हैं तो मंत्री का जवाब भी सुनना चाहिए आप लोगों को । (व्यवधान) ... सुनिये न आप उनकी बात ।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री सभापति : श्रीमती मायाराम ।

श्री जगदीप धनखड़ : पाइंट आफ आर्डर ।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, आडूका पंचायत में माननीय मंत्रीजी ने 18 हजार रुपये के गबन में सरपंच को सस्पैण्ड किया (व्यवधान)

श्री समापति : कृपया विराजें । मैं एक–एक को चांस दे सकता हूं । सब बोलेंगे तो किसी को चांस नहीं है । बोलते चले जाइये ग्राप सब लोग, मतलब कुछ निकलेगा नहीं ।

श्री श्रवण कुमार : माननीय समापति जी, बात सुनो । माननीय मंत्री ने ग्राडूका पंचायत

श्री समापति : ग्राप क्यों बोल रहे हैं ? आपने पर्ची दी है कोई ? आपका कोई नोटिस है ? मर्जी ग्राये तब खड़े हो गये । ऐसे कैसे चलेगा सदन ?

श्री नरेन्द्रसिंह माटी : पाइंट ग्राफ ग्रार्डर ।

श्री श्रवण कुमार : नोटिस से तो ग्राप बोखलाना नहीं चाहते हैं

श्री समापति : कोई आपका नोटिस हो तो बात समझ में ग्रा सकती है ।

श्री श्रवण कुमार : लेकिन यह जो सरकार को सफाई देने (व्यवधान)

श्री समापति : ग्रापके हस्ताक्षर नहीं हैं । आपका नोटिस नहीं है । शून्यकाल चल रहा है, जिनके नोटिस हैं....

श्री श्रवण कुमार : 18 हजार रुपये के गबन में सरपंच को टर्मिनेट किया ग्रौर पांच दिन में उसको बहाल कर दिया। ग्राप समझने की कोशिश करिये, सरकार ने इतने बड़े गबन को छिपाया । 18 हजार रुपये के गबन को छिपा कर

श्री समापति : उन सब का नाम ले रहा हूं मैं । कृपया विराजें । माननीय माटी जी, ग्राप विराजें ।

श्री श्रवण कुमार : सदन को गुमराह किया जा रहा है ...

श्री समापति : बिना ग्रनुमति नहीं बोलें ग्रौर बिना ग्रनुमति के बोलेंगे तो ग्रंकित नहीं होगा भविष्य में, सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं ।

श्री नरेन्द्रसिंह माटी : पाइंट ग्राफ आर्डर, समापति महोदय । मुख्य मंत्री ग्रौर मंत्री लोग खड़े होकर यह विवरण दे देते हैं कि दस–पन्द्रह साल की पैण्डिग इन्क्वायरीज तीन तीन हजार थीं । मैं चैलेंज करता हूं नाथू सिंहजी को । यह इनका ग्रारोप है हम लोगों पर । हम भी मंत्री रह चुके हैं । झट से खड़े हो गये जैसे कोई सभा में भाषण दे रहे हों कि, साहब, तीन-तीन हजार फाइलें पैण्डिग पड़ी हैं । ग्राप प्रूव करिये । ग्राप ग्रगर प्रूव कर दें, नाथू सिंह जी... (व्यवधान) Then I am prepared to resign.

श्री समापति : विराजिये, वाद-विवाद नहीं है यह । माननीय माटीजी, यह वाद-विवाद नहीं है, कृपया विराजें । जो प्रश्न ग्राया था उसका जवाब दे दिया ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माटी साहब, ग्राप मेरे आफिस में ग्रा जाइये, ग्रापको सारा रिकार्ड बता दूंगा ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय समापतिजी, मंत्री महोदय को भी बैठाएं । उनको भी बैठाएं कि वाद–विवाद नहीं करें । (व्यवधान)

श्री समापति : बगैर नोटिस के यही जवाब होता है, डिटेल में जवाब नहीं दिया जा सकता इसका । (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको शायद याद होगा कि आपका विभाग मैंने भी सम्भाला था....

श्री सभापति : विशेष उल्लेख का जवाब पूरा नहीं दिया जा सकता । (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप मेरे आफिस में आ जाइये, ढाई हजार से ज्यादा फाइलें पैण्डिंग थीं, मैं आपको सारा रिकार्ड दे दूंगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप प्रूव कर दीजिये (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजिये । माननीय श्रीमती इन्दिरा मायाराम । आप बोलिये, नहीं तो मैं अगला नाम बोलता हूं ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि अत्यधिक बारिश होने के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र की हालत बहुत खराब हो गई है । मैं पिछले तीन वर्षों से बराबर पत्रों द्वारा, असैम्बली में भी मिलकर भी यह बताती रही हूं । गोनेर में जो नाला है, उसमें रैगरों के मोहल्ले में हालत खराब है, वह कीचड़-पानी से भरा रहता है । वहां से बरसात के दिनों में लाश को भी नहीं ले जा सकते, और कोई रास्ता भी नहीं है । यही हालत वाटिका की है । उसके बावजूद भी मंत्री महोदय ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया । आज यह हालत हो गई है कि वहां से बीमार आदमी भी नहीं जा सकते, लाश भी नहीं आ सकती, निकल नहीं पाते है । दो दिन से वहां भयंकर पानी बह रहा है, सड़ा हुआ पानी सारे मकानों में ।

दूसरी बात यह है कि अभी जो बहुत वृष्टि हुई है उसके कारण मेरे चाकसू में जिसमें आकोड़िया भी है, शील की डूंगरी है, शिव की डूंगरी है, वहां मन्दिर हैं बहुत पुराने–पुराने, और गोनेर में भी सबसे पुराना जगदीश जी का मन्दिर है, इन जगहों के मन्दिरों के लिए, भगवान के लिए आपकी बहुत भक्ति है, उन्हीं स्थानों पर पानी के कारण टूटने की स्थिति बनी हुई है ।

श्री सभापति : धन्यवाद । माननीय श्री कमल । बात आपकी आ गई है । पानी बहुत भरा हुआ है, नाले की बात है, समझ ली उन्होंने, करेंगे ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, आपने सबको टाइम दिया, मैंने तो बहुत ही .

श्री सभापति : नहीं, आपकी बात आ गई, कोई बात होगी तो बता दीजिये ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पर मैंने वही बात कही जो आप कहते हैं कि जब हालत अति खराब हो, बोलना चाहिए । उसके बाद मुझे पूरा क्यों नहीं बोलने दिया ? आप नहीं बोलने देंगे तो....

श्री सभापति : नहीं, आप बोलिये न तो । कोई बात आगे....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, मैं बैठ जाती हूं पर आपको इस तरह से बीच में बोलना नहीं चाहिए ।

श्री सभापति : माननीय श्री कमल ।

श्रीमती यशोदत्ता : सभापति महोदय, हमने भी दिया है नाम ।

श्री कमल (हिण्डौन) : सभापतिजी, पिछले दिनों से जो भारी बरसात हो रही है उससे करौली जिले में काफी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण कई छोटे-मोटे बांध टूट गये हैं और एक-दो बांध बड़े जो हैं वे भी टूटने की स्थिति में आ गये हैं । मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शीघ्र कोई व्यवस्था करके राहत पहुंचाए और वहां पर जान-माल की जो हानि हुई है या होने जा रही है, उसको बचाने के प्रयास करें । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री रामचन्द्र रावत ।

श्रीमती यशोदत्ता : सभापतिजी, एक हमने भी दे रखा है ।

श्री सभापति : आ जाएगा, अगर दे रखा है तो कहीं नहीं छिपेगा । अभी तो इतने सारे हैं ।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र कोटपूतली के उन गांवों का जिक्र करना चाहूंगा जिनके अन्दर आज पानी पीने के लिए नहीं है । करीब दो साल से धीरे-धीरे वहां पानी इतना खराब और इतना खारा हो गया है कि उस पानी को कोई पी नहीं सकता । अगर उस पानी को पिया जाता है तो दांत खराब हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है और शरीर दुबला पड़ जाता है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि, तहसील कोटपूतली के ऐसे आठ गांव हैं । जिनके नाम मैं आपको गिनाना चाहता हूं–पीपाड़ गांव है, कल्याण पुर कलां है, सरूण्ड है, खड़ब है, कंवरपुरा है, उनकी स्कीम हमने बनवाकर गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों को भिजवा दी मगर वह स्कीम दो साल से पैण्डिंग पड़ी हुई है और आज स्थिति यह है कि उन गांवों में पीने के लिए पानी नहीं है, उन गांवों के वासी दूसरे गांव से पानी लाकर पीते हैं मैं हमारे मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई फाइलें हैं उन गांवों का पुनः सर्वे करवाकर उन गांवों में पानी पिलाने की व्यवस्था करें ।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल जी मीणा ।

श्री हीरालाल (बामनवास) : सभापति जी, दो तीन दिन से लगातार बरसात होने से मेरे क्षेत्र की तहसील बामनवास के ग्राम की खेल्ली ढाणी में प्राथमिक विद्यालय की पट्टियां टूट जाने से एक बच्चे की मृत्यु हो गई और उसके पिता जख्मी हो गए । दूसरा, सपीकपुरा विद्यालय में कमरे की पट्टियां टूट जाने से दो महिलाए जख्मी हो गई । मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसकी जानकारी ले तथा कितने और जन–धन की हानि हुई, उसके बारे में ध्यान दे ।

श्री सभापति : माननीय श्री गोविन्द सिंह जी ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर की डेयरियों में जो घी पुराना इकट्ठा हो गया है, जिसको खाने के लायक नहीं माना गया है उस घी को, सभापति महोदय, ताजा घी में

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

मिलाकर बेचने की तैयारी डेयरियां कर रही हैं। करीब ढाई करोड़ का इस तरह का घी वहां इकट्ठा हो गया है, जो अखाद्य है खाने के लायक नहीं है उसको मिला कर बेचने की वे कोशिश कर रहे हैं।

यह मैं एक नमूना भी लेकर आया हूं, इसकी जांच करा लें। यह ढाई करोड़ का घी अगर राजस्थान के या हिन्दुस्तान के दूसरे लोगों को दिया गया खाने के लिए दूसरे में मिला कर तो इससे बहुत नुकसान होगा। इसको रोका जाए और इसके सैम्पल की जांच कराके फूड एडल्टरेशन एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति : ठीक है, किया जाएगा। माननीय श्री हरिनारायण जी बैरवा।

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : माननीय सभापति महोदय, 8 जुलाई, 1998 को ग्राम कुस्तला के लोगों ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर को अवगत कराया कि यहां पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जहरीला दाना डालकर मोरों की हत्या कर दी गई है। ए.डी.एम. साहब ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहां से 7 मरे हुए मोरों को वे लेकर आ गये और उनका पोस्टमार्टम भी करवाया, किन्तु जो जहरीला दाना था उसको उन्होंने नष्ट नहीं किया जिसके कारण 9 तारीख को 5 मोरों की मृत्यु हो गई, 2 मोरों को 10 तारीख के दिन मृत्यु हुई तथा 4 मोर 11 तारीख को मरे हुए मिले।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग के जिन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ये जो मोर मारे गये हैं, उनको दण्डित किया जाए। वहां पर जो मोर मरे हैं इनकी हत्या की गई है। वहां पर कुछ लोगों को एक राजदूत मोटर साइकिल लेकर मंडराते हुए देखा गया है, किन्तु गांव वालों के डर के कारण वे मोरों को उठाने में असफल रहे, उठाकर नहीं ले गये। इन दिनों में कुस्तला और नीमली के आसपास मोरों की हत्या होती है। एक जाति विशेष के लोग मोरों की हत्या करके इन दिनों उनका मांस खाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हत्यारों को पकड़ा जाए और उन वन विभाग के कर्मचारियों को दण्डित किया जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री जगदीप जी धनखड़।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : कोई भी विषय बोल दो, मालूम तो है नहीं।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं कोई सरकार का मंत्री नहीं हूं जो चाहे जैसे बोल दूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान राजस्थान में कार्यरत 1500 से लेकर 2000 गोपालों की ओर आकर्षित कर रहा हूं। 6-7 वर्ष पूर्व जब यह योजना शुरू की गई थी तो इसका उद्देश्य था कि ये लोग पशुपालकों की मदद करेंगे। इनके माध्यम से सरकार पशुपालकों को सहायता देती थी। इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई परन्तु इन लोगों को बहुत ही साधारण स्टाइफंड दिया

(श्री जगदीप धनखड़)

गया। जब ये कार्यरत रहे, पशुपालकों से इन्होंने सम्बन्ध अच्छे स्थापित किए और स्कीम का अच्छा नतीजा भी आया। राजस्थान में पशुधन का भी इनसे विकास हुआ और लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी। सरकार ने निश्चित रूप से कहा कि पशुधन सहायक के पद पर इनको 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह निर्णय 1977 में हुआ परन्तु मान्यवर, इन लोगों को एक दैनिक मजदूर की भी मजदूरी नहीं दी जाती है। अब सरकार ने निर्णय ले लिया, 6 जुलाई, 1998 को पशुपालन सचिव ने कह दिया कि हमारा कोई इरादा अब आपको आरक्षण देने का नहीं है पशुधन सहायक के पद पर।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत 1500 से लेकर 2000 गौ-पालों के लिये, जो सरकार की योजना के अन्तर्गत कार्यरत थे, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, सरकार को एक ऐसी योजना विकसित करनी चाहिए जिससे इनको पशुधन सहायक के पद पर तो आरक्षण मिले ही, साथ ही इनसे कुछ ऐसे भी काम लिये जा सकें जो पंचायत क्षेत्र में ग्राम सेवक से लेते हैं या अन्यत्र लेते हैं। यदि मान्यवर, इनका उपयोग नहीं किया गया तो ये पूरी तरह से बेरोजगारी का शिकार हो जाएंगे और पशुधन पालकों को जो मदद मिल रही थी और जो ये कड़ी थी, महत्वपूर्ण कड़ी थी, वह टूट जाएगी।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय श्री हरिसिंह जी (महुआ)।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, करौली सम्भाग में और डिस्ट्रिक्ट में

श्री सभापति : आपने तो जम्मू कश्मीर सीमा पर कुछ कहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, उसके पहले गौ-पालों पर बोलेंगे, साहब।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, साहब।

श्री सभापति : जम्मू है, यह लिखा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हिण्डौन है, पांचना बांध पर....

श्री सभापति : सॉरी, ठीक है। क्षमा करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पिछले तीन दिन से भारी बरसात हो रही है। करौली से जो बरसाती पांच नदियां हैं वे इकट्ठी होकर पांचना में आती है जहां पांचना डैम बना हुआ है। चिन्ता का विषय यह है, सभापति महोदय, कि यह पूरा का पूरा बांध मिट्टी से बना हुआ है। सभापति महोदय, आपको स्वयं जानकारी है व्यक्तिशः इसकी कि कॉफर डैम खतरे में आ चुका है। बांध की जो भरवा क्षमता है वह खतरे के बिन्दु से ऊपर जा चुकी है। अगर यह बांध टूटता है तो हिण्डौन, टोडाभीम तहसील, बयाना और रूपवास तहसील और उसके बाद भरतपुर में भयंकर तबाही होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं कि वाकई अगर डैम खतरे में है तो लोगों को इसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिए और वहां पर एहतियात के तौर पर जो कुछ भी प्रिकॉशन जान-माल की

(श्री हरिसिंह)

सुरक्षा के लिए हो सकते हैं, वे सरकार को अभी से करने चाहिए।

इसके साथ ही, रूपवास में नदी का ज्यादा भराव हो जाता है। बयाना और रूपवास से आगे जाकर अगर गांव में यह बांध टूटा तो 256 मीटर पानी की जाल कहां जाएगी, आप अन्दाजा कर लें। इसलिए कॉफर डैम की सुरक्षा का भी इन्तजाम किया जाए। व्यवस्था यह की जाए कि यह बांध न टूटे। अभी तक ये संकेत मिल रहे हैं मौसम विभाग के एवं उत्तरी-पूर्वी राजस्थान पर भयंकर बारिश होने का उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है। ऐसी हालत में मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि जो कुछ भी समय रहते सरकार बांध की सुरक्षा के लिए और लोगों के बाढ़ से बचाव के लिए कर सकती है, वह करे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल ताम्बी। अनुपस्थित।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती शशी दत्ता। एक मिनट। It can wait.

श्रीमती शशीदत्ता (टीबी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी क्योंकि कल बजट लगभग तय हो चुका। मेरे इलाके में सेम की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने विधान सभा के हर सत्र में इस समस्या को उठाया और इसी समस्या का समाधान न होने के कारण, हल न होने के कारण दुःखी होकर मैंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

माननीय सभापति महोदय, आज मेरे इलाके के हजारों लोग इस विधान सभा पर प्रदर्शन करने आये हैं। यह सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने वर्षों पुराने खालों की किश्तें माफ कर दीं। मैं कहती हूं, आज पलायन कर रहे हैं हजारों लोग, इस जमीन से बेघर हो गये हैं। लाखों हैक्टेयर भूमि सेम की समस्या से ग्रसित है, खराब हो गई है।

मैं आपके मध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को यह अल्टीमेटम देना चाहती हूं कि अगर माननीय गृह मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने मेरी सेम की समस्या का समाधान नहीं किया तो 29 तारीख को मैं इसी सदन में आत्मदाह कर लूंगी। इसकी आपको मैं सूचना दे रही हूं और मैं माननीय गृह मंत्री जी को भी कह रही हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री अमरराम जी। विराजिए, हो गई बात।

श्री हीरालाल इन्दोरा : मामला बहुत गम्भीर है।

श्री सभापति : बिना अनुमति नहीं बोलें, कृपया।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्या आत्मदाह की बात कर रही है। अति गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री अमरा-रामजी, आप बोल रहे है कि नहीं? मैं अगला नाम बोलूं? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, एक आदमी आत्मदाह कर चुका है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बोल रहा हूं।

श्री सभापति : बोलिये तो आप (व्यवधान) जो अंकित हो रहा है वही बोलिये आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो आत्मदाह की चेतावनी दी है उस पर ध्यानपूर्वक गौर किया जाए। बहुत ही गम्भीर मामला है। आत्मदाह का मामला है, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री सभापति : माननीय श्री अमरा-राम जी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, जो बरसात आई

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, आप भी तो कुछ बोलिये इस पर।

श्री सभापति : मैं बोलूंगा, पहले अमराराम जी को सुनो। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अमराराम जी तो सदा ही कहते हैं, आज भी कहेंगे। आपके क्या विचार हैं इस मामले पर?

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह छोटी बात नहीं है।

श्री सभापति : सुन ली बात। उनकी बात मंत्रीजी ने सुन ली, समय पर जवाब देंगे। आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्रीजी ने तो सुन ली लेकिन सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है। हर आचरण के लिये आप जिम्मेदार हैं। (व्यवधान) आप अपनी राय दीजिए। आपकी क्या राय है इस पर?

श्री सभापति : पूरा ध्यान रखा जाएगा। माननीय श्री अमराराम जी। (व्यवधान) अमराराम जी नहीं बोल रहे हैं। माननीय श्री श्रवणकुमार जी।

श्री अमराराम(धोद): बोल रहा हूं मैं तो।

श्री सभापति : तो बोलिये ना, वे बाद में बैठ जाएंगे। आप बोलिये। मेरा निवेदन है, कृपया व्यवस्था बनाये रखे। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय मंत्री महोदय से तो कुछ कहलवाइये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपको इन को मरवाना चाहते हो क्या? आपने नीयत बना ली कि इनको मरवाना है। आपकी नीयत अगर यह है कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजें। आसन पांवों पर है। आप बोलना नहीं चाहते? मैं आगे की व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैं खड़ा हूं।

श्री सभापति : बोलिये, नहीं तो मैं आगे की व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पहले आप यह व्यवस्था तो दिलवाओ माननीय मंत्री महोदय से, नहीं तो ये मर जाएंगी+++

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

29 तारीख को। (व्यवधान) ये कहें तो सही कि सेम की समस्या को हल कर देंगे।

श्री ग्रमराराम (धोद) ; सभापति महोदय, ग्रतिवृष्टि से जो राणोली नदी में ग्राई, एक साल पहले उसमें अतिवृष्टि से....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, विषय की गम्भीरता को समझिये। इस वक्त को टालिये मत। ये हादसे गंगानगर में हो चुके हैं ग्रौर जिस महिला सदस्या ने यह उठाया हैं, ये ग्रादतन जिद्दी भी हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, ग्रॉन ए पाइंट ग्रॉफ ग्रार्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, गृह मंत्री ग्रनुसूचित जनजाति विरोधी हैं। ग्रनुसूचित जनजाति की ग्राई हुई महिला के पक्ष में इनका वो भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा निवेदन है, कृपया व्यवस्था बनाये रखें। ग्राप सबके हित में है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मंत्रीजी मौजूद हैं, ग्राप कहलवा दें।

श्री सभापति : माननीय, विराजिये। मंत्री जी बोलना चाहेंगे तो ग्रवश्य मैं निवेदन कर दूंगा उनसे, पर ग्राप विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ग्राप ग्रादेश तो दीजिए उन्हें।

श्री सभापति : मैं ऐसा ग्रादेश नहीं दे सकता यहां से। कृपया विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी घटना (व्यवधान)

श्री सभापति : समझ लिया मैंने घटना को आप विराजिये। नियमानुसार कार्य हो रहा है, ग्राप विराजिये। माननीय श्री राधेश्याम जी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : 10 हजार ग्रादमी खड़े हैं नीचे

श्री सभापति : माननीय श्री राधेश्याम जी जो बोल रहे हैं वह ग्रंकित नहीं हो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री सभापति : ग्राप तो बोल रहे हैं वह ग्रंकित नहीं हो रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री सभापति : मैंने सुन लिया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री सभापति : हो गई बात। ग्रापकी बात नैसेसरी क्वार्टर्स तक पहुंच चुकी है। जो व्यवस्था होगी, हो जाएगी। माननीय श्री ग्रमराराम जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ग्राप कम से कम मंत्रीजी से यह तो कहिये... (व्यवधान)

××× ग्रध्यक्षपीठ के आदेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : माननीय श्री अमरा-राम जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्रीमती बीना काक : माननीय सभापति महोदय, क्या आत्मदाह की व्यवस्था हो जाएगी ? कि उठवाई की व्यवस्था हो जाएगी ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी बात अंकित नहीं हो रही है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री सभापति : देखिए, आप कार्यवाही नहीं चलने देंगे। इस सदन के आप बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं आप जो चाहेंगे सो करेंगे मैं तो आपको रोक नहीं सकता। जो आप करना चाहें, करें। मैं नहीं मानता, सदन को चलाना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री सभापति : सुन लिया, गम्भीर है। आप अपनी बात कह चुके, इसके बाद में कोई तो अन्त आना चाहिये इसका।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री रामप्रताप कासनियां : यह 20-25 वर्ष से है, तब आप कहां गये थे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : राधेश्याम जी, मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं, आप कृपया विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां : 25–30 वर्ष से सेम की समस्या थी, तब आप कहां गये थे ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री सभापति : इस विषय पर कोई चीज अंकित नहीं होगी।

श्री रामप्रताप कासनियां : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री सभापति : आप विराजिये, धनखड़ जी का पाइंट आफ आर्डर है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री सभापति : देखिये तो सही, आप विराजिये। आप एक मिनट क्या, बहुत देर से बोल रहे हैं आप तो। इनका पाइंट आफ आर्डर है। आप इनकी तो कम से कम सुनिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा निवेदन है कि यह मामला बड़ा सीरियस है। आप जहां जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप हमारे रक्षक हैं और रक्षक के सामने एक महिला विधायक ने जो बात रखी है उसको आपने सीरियसली नहीं लिया। मेरी इतनी शिकायत है।

श्रीमती बीना काक : ×××

श्री सभापति : माननीय श्री धनखड़ जी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न है इधर।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ×××

श्रीमती बीना काक : ×××

श्री सभापति : माननीय धनखड़ जी, बोलिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ×××

श्रीमती बीना काक : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, इस सरकार की पूर्व मंत्री और कमजोर तबके की महिला विधायक....

श्री सभापति : यह क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जगदीप धनखड़ : तो मैं नाम भी नहीं लूं ?

श्री सभापति : नाम लीजिये पर व्यवस्था की बात करिये। आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं कानून-व्यवस्था के बारे में।

श्री जगदीप धनखड़ : ऐसी अनप्रिसिडेंटेड सिचुएशन यहां डिस्पोज हुई है। यदि यही बात माननीय सदस्या बाहर कहतीं तो भारत के कानून का उल्लंघन माना जाता। यहां यह कह रही हैं और आपके माध्यम से राजस्थान....(व्यवधान) और माननीय सदस्य इस पर चुप बैठे हैं। इस सारे सदन की क्या प्रासंगिकता रह गई है? इतनी भयंकर स्थिति है, इसको आप समझिये।

श्री सभापति : आप विराजिये। मैं इस मामले पर (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री सभापति : मेरा आपसे निवेदन है कि आप विराजें और इस सदन को आगे चलने दें। नहीं, विराजें तो आपकी मर्जी की बात है। मैं नहीं कह सकता इस पर। नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं। ऐसे तत्काल कोई बात यहां आती है? (व्यवधान) अचानक कोई बात आए, उसका जवाब दें....

श्रीमती बीना काक : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम जी, आप बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते? बोलिये आप।

श्रीमती बीना काक : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री हीरालाल इन्दौरा : ×××

श्री सभापति : कुछ अंकित नहीं होगा।

श्रीमती बीना काक : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री सभापति : मैं अध्यक्षीय व्यवस्था दे रहा हूं।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

प्रक्रिया

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्रीमती बीना काक : राधेश्यामजी, आसन पैरों पर है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री सभापति : इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए कटौती प्रस्तावों में से उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती रही है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत कर दिये जाते है। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि... (व्यवधान).... माननीय राधेश्याम जी, आपका भाषण अंकित नहीं हो रहा है, आप इस प्रकार से बोल रहे हैं।

उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अनुदान की मांग संख्या प्रस्तुत करें।

श्रीमती बीना काक : गृह मंत्री जी, थोड़ी संवेदनशीलता रखिये आप।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन करना है।

श्री सभापति : कल, कल।

श्री अमराराम (धोद) : मेरे को ध्यान आकर्षित करना है, बस एक मिनट में बता दूंगा।

श्री सभापति : अब मैं नाम बोल चुका, आपसे क्षमा चाहता हूं।

श्री श्रवण कुमार : बोल क्या दिया? हमारा नाम क्यों नहीं आया आज? हमने नाम दे दिया और क्यों नहीं आया?

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : आज मैंने क्या बोला सदन में, मुझे तो यह बता दो आप।

श्रीमती बीना काक : गृह मंत्रीजी, आप हमारी महिला सदस्यों को थोड़ा आश्वासन दीजिये, थोड़ी कृपा कीजिये।

श्री श्रवण कुमार : अमरा राम जी का ही, मेरा आपने नाम बोला क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : राजस्थान की जनता पर थोड़ी कृपा कीजिये।

श्री सभापति : एक मिनट, इसकी सुन लीजिये। हां, माननीय अमराराम जी।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, पिछले साल सीकर जिले में जो रानोली नदी है उसमें अतिवृष्टि से बाढ़ की स्थिति बनी थी। रेवासा में सैकड़ों नमक प्लांट्स थे जो तबाह हो गये, सैकड़ों किसानों के कुएं बरबाद हो गये, हजारों किसानों की जमीन बरबाद हो गयी और दो किसान उस बाढ़ के अन्दर बह गये जिनके शव भी प्राप्त नहीं हुए। परसों जब दुबारा बाढ़ आयी उनके कंकाल मिले हैं और उस बाढ़ में पांच लोग फिर बह गये हैं।

सभापति महोदय, इसकी समुचित व्यवस्था के लिए एक साल पहले उस नदी पर बांध बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाकर सिंचाई विभाग के पास भेजा गया, आज तक वह स्वीकृत नहीं हुआ। अगर स्वीकृत होकर बांध बन जाता तो वही बांध सिंचाई का काम करता, यह तबाही का काम न करके लोगों को खुशहाल करने का काम करता, लेकिन सरकार की नेग्लीजेंस से दो लोगों की पिछले साल हानि हुई, पांच की इस साल हो गयी और अभी अतिवृष्टि और होगी उससे पता नहीं, कितनी होगी। जिन लोगों की जान-माल की पिछले साल हानि हुई उनको [illegible] की सहायता दी गयी। मेरा यह निवेदन है कि पिछले साल और इस साल जो हानि हुई है, उनको मुआवजा एक लाख रुपये दिया जाए और जो बांध स्वीकृति के लिए सिंचाई विभाग के पास है उसको स्वीकृत करके तुरन्त अब निर्माण करवाएं जिससे आने वाले समय में जन-धन की हानि नहीं हो। यही बात मुझे कहनी है।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी।

श्री जगदीप धनखड़ : I am on a point of order which is very important.

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, आपने मेरा नाम नहीं लिया था, मना कर दिया। अमरारामजी जोर से बोल गये तो उनको बोलने का मौका दे दिया। यहां जोर से बोलते हैं उनको मौका देते हैं। गृह मंत्री जी को बाद में सुन लेना।

श्री सभापति : मैंने आपका नाम लिया था, आप बोले क्यों नहीं।

श्री श्रवण कुमार : आपने अमराराम जी का नाम लिया था, आपने मेरा बाद में लिया था।

श्री सभापति : साहब इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं ? मैं बुलवा देता हूं, आपको, बिराजिये ।

श्री श्रवण कुमार : हां, तो मौका दो न ।

श्री सभापति : आप विराजिये, इनके पाइंट आफ इन्फार्मेशन के बाद में आपको बुला देता हूं ।

श्री श्रवण कुमार : इनका आर्डर है क्या ? हमारा आर्डर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको चांस दे रहा हूं, आप विराजिये तो सही ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16—पुलिस की प्रस्तुति

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16—पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,97,02,32000 (पांच अरब सत्तानवे करोड़ दो लाख बत्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर आ गया है तो उनका सुन लीजिए, पाइंट आफ आर्डर क्या है ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने मुझे बुलाया हैं।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा ।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, भारत के संविधान में व्यवस्था है 10वीं अनुसूची के माध्यम से कि कोई भी निर्दलीय विधायक यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा । इसमें कोई विवाद नहीं है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, बुलेटिन-भाग दो, नम्बर 58 जो विधान सभा ने जारी किया 15 जुलाई, 98 को, उसमें यातायात मंत्री रोहिताश्व कुमार शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य दर्शाया गया है । मान्यवर, विधान सभा द्वारा जारी हर बुलेटिन अन्तिम है जब तक कि इसके बारे में माननीय मंत्री कोई स्पष्टीकरण नहीं देते । आज के दिन, मान्यवर, स्थिति क्या है ? माननीय यातायात मंत्री जो निर्दलीय बानसूर से निर्वाचित हुए थे विधान सभा में....

श्री सभापति : इसके मामले में नियमों में प्रक्रिया है, उसको फालो कीजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : नियमों की प्रक्रिया क्या करेगी ? आपको बता रहा हूं ।

श्री सभापति : मैं जानता हूं नियम, आटोमेटिक कुछ नहीं होता है । माननीय श्री श्रवणकुमार जी ।

श्री जगदीप धनखड़ : विधान सभा का बुलेटिन है तो माननीय यातायात मंत्री, नहीं, ..

श्री सभापति : विराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : विधान सभा के सचिवालय का परिपत्र है ।

श्री सभापति : इनका सुन लिया.... (व्यवधान)... जहां के नियम हैं, उन नियमों का पालन कीजिये....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : He is a disqualified Member today. विधान सभा सचिवालय ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। He cannot remain here.

श्री सभापति : ऐसा नहीं है, पिटिशन प्रस्तुत कीजिये। ऐसा नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : यह पिटिशन तो तब प्रस्तुत होती जब करना नहीं होता है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापति जी, आज पिलानी विधान सभा क्षेत्र के चिड़ावा कस्बे में सड़कों की बड़ी दयनीय हालत है। माननीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी 12 महीने पहले हमारे क्षेत्र में पधारे थे। उन्होंने एक बात कही थी कि ललितकिशोर चतुर्वेदी मीन्स 'विकास' और 'विकास मीन्स जो बोलता हूं वह करता हूं।' लेकिन आज चिड़ावा की सड़कों की दयनीय स्थिति देखकर आपको इस बात की शर्म आएगी। न तो उस पर आदमी चल सकता है, न गाड़ियां चल सकती हैं। ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने यह बात कही थी, ललित किशोर चतुर्वेदी जो बोलता है वह करता है, 15 दिन का नाम लिया था लेकिन आज 12 महीने तक वहां एक रुपया भी इन सड़कों पर नहीं लगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की इतनी दयनीय और जर्जर हालत है कि वहां आदमियों का चलना मुश्किल हो रहा है और शहर में पानी इतना भर जाता है कि आदमियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। यह तो श्रीमान से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार के इतने सीनियर मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी, विकास के मिनिस्टर चतुर्वेदी जी जो बोलते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार : इससे बड़ी +++ की बात और कोई भी नहीं हो सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी 12 महीने पहले जो बोलकर आये थे तो उन शब्दों की पालना करें वरना भविष्य में कभी असत्य* नहीं बोलें।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल जल्दी समाप्त करे। लास्ट है ये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नगर पालिका, गंगापुर के चुनावों को इस प्रप्रस्त के अन्दर तीन साल पूरे हो जाएंगे लेकिन आज तक नगरपालिका, गंगापुर ने अपनी कमेटियों का गठन नहीं किया है और कमेटियों का गठन नहीं करने के कारण से एक छत्र राज चल रहा है। मैं इसका सही उदाहरण बता सकता हूं लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज गंगापुर सिटी की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि अगर नगरपालिका की जगह इसको नरकपालिका कहा जाए तो ठीक होगा।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री सभापति : धन्यवाद ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : एक सैकिण्ड सर । मैं आपको निवेदन करूं कि राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो ने नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ जांच की और एफ.आई.आर. लॉज करायी, हरिजनों की नियुक्ति के मामले में । मैं जहां तक समझता हूं, आपके पास भी उसकी इतनी शिकायतें आ चुकी हैं लेकिन न जाने क्यों आप उसका बचाव कर रहे हैं । मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आज अपनी जो समितियां हैं उनका गठन करा लीजिये, गठन करने के बाद वे गंगापुर की व्यवस्था पूर्ण रूप से सम्भाल लेंगे । यही आपसे मेरा निवेदन है ।

(15.00 बजे)

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां)

1. प्रदेश में महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामलों में लिप्त अधिकारियों और राजनेताओं पर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

2. प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामलों की पुलिस द्वारा उच्च स्तर के आदेशों से कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

3. पुलिस थानों में दर्ज मामलों को निपटाने में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

4. पुलिस थानों में अपराध के दर्ज होने वाले मामलों को निष्पक्षता से नहीं निपटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

5. प्रदेश में भू-माफियों के मामलों पर पुलिस द्वारा भेदभाव पूर्ण तरीके से कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

6. थानेदार लाडनूं द्वारा ग्राम खोखरी थाना क्षेत्र लाडनूं में रात्रि के समय घरों में घुसकर मारपीट एवं लोगों को प्रताड़ित करने की शिकायत एस.पी नागौर को किये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

7. थाना छापर जिला चूरू में हत्या का दर्ज मामला संख्या 72/98 में स्थानीय पुलिस द्वारा अपराधियों को नाजायज संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

8. नागौर जिले के लाडनूं क्षेत्र के शराब के ठेकेदार को स्थानीय पुलिस द्वारा नाजायज संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

9. थाना लाडनूं जिला नागौर में पुलिस निरीक्षक का पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

10. ग्राम रायधना व सांवरदा के थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर में दर्ज मामलों पर वर्षों से चालान पेश नहीं किए जाने पर चर्चा के लिए ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

11. छतरगढ़ थानान्तर्गत मंडी आर.

(श्री भीमसेन चौधरी)

1995 में माह मार्च से जून के मध्य हुई चोरियों का माल बरामद करने एवं मुल्जिमों को गिरफ्तार करने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर)

12. धौलपुर जिले में धारा 109, 110 में बेकसूर लोगों को पुलिस द्वारा थानों पर बुलाकर परेशान करना, गिरफ्तार कर झूठे चालान करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

13. शस्त्र लाइसेंसधारी मृतकों की बन्दूकें एवं अन्य हथियारों को जमा करने एवं उनके आश्रितों को लाइसेंस नहीं देने से हथियार बेकार हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

14. धौलपुर शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों के बाद भी पुलिस की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. धौलपुर जिले में अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों में निरन्तर वृद्धि तथा उनकी रोकथाम में पुलिस की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

16. धौलपुर शहर में बढ़ रही मवेशी चोरी की रोकथाम पर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

[illegible] (अलवर)

17. अलवर शहर में पुलिस कर्मियों की कमी से बढ़ रही चोरियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

18. बून्दी जिले में ग्राम कापरेन में पुलिस थाना भवन न होने से विभागीय कर्मचारियों एवं ग्राम जनता को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. पुलिस विभाग में नियमानुसार अनुसूचित जाति, जन जाति के स्वीकृत कोटे को पूरा न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

20. केशवरायपाटन पुलिस थाने के तहत चंडीगांव के रमेश मेघवाल एवं हीरालाल बैरवा के हत्यारों को गिरफ्तार न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. हाड़ौती सम्भाग में पुलिस की अकर्मण्यता एवं शिथिलता से हत्या, लूट एवं बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. पुलिस विभाग में वांछित पदों के लिए नई भर्ती न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई):

23. टोंक जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या के मुल्जिमों की पुलिस द्वारा अब तक शिनाख्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

24. टोंक जिले में विभिन्न स्थानों में हुई चोरी के एक भी अभियुक्त को पुलिस द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

25. बालीथल तहसील–उनियारा जिला टोंक में मजिस्द में नमाज पढ़ने पर विघ्न डालने पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

26. डिग्गी कल्याणजी मन्दिर में हुई डकैती के सभी अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

27. निवाई–टोंक में अस्पताल में परिवार नियोजन कैम्प में लापरवाही के कारण एक औरत के मरने एवं सम्बन्धित डाक्टर की पुलिस द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (कपासन)

28. हत्या का मुकदमा नं. 132/97 थाना कुंवारया (राजसमन्द) में अभी तक मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से व्याप्त जनाक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

29. राजस्थान में पुलिस फोर्स की समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था तथा आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. राजस्थान में पुलिस अमले की सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

31. झुन्झुनूं जिले में उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में नया पुलिस स्टेशन खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. झुन्झुनूं जिले के गुढ़ा पुलिस थाने के तत्कालीन थानाधिकारी श्री मीणा द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए आने वाले पीड़ितों की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

33. झुन्झुनूं जिले के गुढ़ागौड़जी पुलिस थाने के तत्कालीन थानाधिकारी श्री मीणा के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

34. झुन्झुनूं जिले में बढ़ रहे अपराधों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन में सुधार एवं अधिक थाने खोलने व पुलिस बल बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

35. झुन्झुनूं जिले में कत्ल, डकैती, चोरी तथा अन्य प्रकार के अपराधों में हो रही बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

36. बूंदी जिले के थानों का सीमांकन कर नई चौकियां खोलने एवं सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शांतिलाल चोईवाल (राजसमन्द)

37. उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में कांस्टेबल्स

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

की भर्ती में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पूर्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

38. श्री भंवराराम रेगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराकर विक्रयनामा का पंजीयन से जमीन हड़पने एवं पुलिस थाना राजनगर में दर्ज एफ.आई.आर. के सम्बन्ध में कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

39. राजसमन्द जिले में केलवा में नया थाना स्थापना के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

40. नीमकाथाना में हाल में हुई जीप दुर्घटना में मरे लोगों को राहत देने एवं जीप ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़)

42. ग्राम खातीबास पुलिस थाना दांतारामगढ़ जिला–सीकर में हुई डकैती के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

43. पुलिस स्टेशनों से बार–बार थानेदारों के स्थानान्तरण के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

44. जोधपुर जिले में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार व बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली)

45. प्रदेश के महानिदेशक, महानिरीक्षक तथा उप महानिरीक्षक के पदों में कमी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

46. जोबनेर तथा सदर थाना, जयपुर में मूर्ति चोरी गिरोह में लिप्त उप निदेशक राज्य बीमा को पुलिस द्वारा बचाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांसीकुई)

47. दौसा जिले में बढ़ती चोरियां एवं कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

48. किसानों की भेड़ बकरियों की चोरियों पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

49. राज्य में महिला अत्याचारों की रोकथाम हेतु पुलिस विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

50. सीकर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर हुए अत्या-

(श्री अमराराम)

चारों पर पुलिस विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

51. सीकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई हत्या एवं डकैती की विभिन्न घटनाओं में लिप्त मुल्जिमों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

52. ग्राम लोसल थाना सीकर के मुकदमा संख्या 7/98 में पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण किसान (फुलेरा)

53. जयपुर जिले में थाना रेनवाल के अन्तर्गत बधाल चौकी को थाना में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

54. पुलिस थानों में खराब जीपों एवं कई थानों में वाहन नहीं होने के कारण थानों का कार्य सुचारू रूप से नहीं चलने तथा अपराधों के बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

55. पुलिस थानों में पर्याप्त संख्या में सिपाहियों के नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. भीलवाड़ा जिले में पुलिस प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रिश्वत लेने वालों को ट्रेप करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. भीलवाड़ा जिले में विभिन्न थानों में दर्ज कराये गये गबन एवं घोटाले एवं सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में पुलिस द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

58. भीलवाड़ा नगर एवं जिले में बढ़ती हुई चोरियों, डकैतियों एवं लूटपाट के मामलों की रोकथाम में पुलिस प्रशासन द्वारा बरती जा रही लापरवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

59. सदर कोतवाली पाली में अस्थाई तौर पर बन्द मुल्जिमों की दयनीय दशा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

60. मण्डियां निवासी जिला–पाली ढ़गलाराम सिरवी की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

61. बोकदड़ा निवासी लूम्बाराम सीरवी जिला–पाली की हत्या के प्रकरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

62. विजयनाड़ी मन्दिर (ग्राम रामपुरा तहसील–पाली) से जोगमाया की मूर्ति चोरी एवं मानपुरा भाकरी पर जगदम्बा की मूर्ति के आभूषण चोरी से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिए।

63. वायद एवं जैतपुर पंचायत रोहट जिला–पाली के ग्रामों में पुलिस चौकी स्थापित करनी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)

64. बस्सी (चित्तौड़गढ़) में थाना

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

खोलने एवं मातृकुण्डिया में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

65. राज्य में गत 5 वर्ष में विधायकों को पीटे जाने व उन पर हुए आक्रमणों बाबत अन्वेषण में विलम्ब एवं चार्जशीट प्रस्तुत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

66. अजमेर जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम में पुलिस विभाग की अकर्मण्यता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

67. पुलिस विभाग पर विश्वास नहीं होने के कारण कतिपय जातियों द्वारा जातीय पंचायतें कर अपराधी प्रकरणों में जातीय फैसले लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

68. अजमेर जिले में गत एक वर्ष में हुए बलात्कार की घटनाओं में मुल्जिमों को गिरफ्तार करने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिए।

69. अजमेर जिले में हत्याओं के प्रकरणों में गत एक वर्ष में अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने में पुलिस विभाग की विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

70. थाना वल्लभनगर, जिला–उदयपुर में माह जनवरी, 1998 से 30 जून, 1998 तक दर्ज हुई प्राथमिकीयों पर पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्र की जनता में जनाक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

71. भरतपुर जिले में गत दो वर्षों में अपराधों की संख्या में वृद्धि से समाज में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

72. भरतपुर जिले में पुलिस हिरासत से फरार मुल्जिमों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

73. राज्य में पुलिस हिरासत में हुई मौतों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

74. राज्य में बढ़ती बलात्कार, लूटमार, डकैती, चोरी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

75. राज्य में पुलिस थानों की बढ़ोत्तरी विशेष कर भरतपुर जिले में पुलिस थानों की और स्थापना करने एवं पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरतसिंह (खानपुर)

76. सत्ता पक्ष के लोगों पर लगे अपराधिक प्रकरणों को वापस लेने सम्बन्धी निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. कोटा संभाग में बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

78. पर्यटन पर आने वाले यात्रियों

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

को डेम्पों वाले तथा दुकानों द्वारा ठगने की घटनाओं पर चर्चा के लिए ।

79. उदयपुर में महिलाओं की सड़कों व अन्य रास्तों पर आते व जाते समय चैन छीनने की बढ़ती हुई घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

80. महिलाओं की कड़िया प्राप्त करने के लिए उनके पैर काटने की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम में पुलिस की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

81 उदयपुर जिले में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

82. उदयपुर में जगदीश सोनी का अपहरण कर उसको मारने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

83. थाना नादौती में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

84. राज्य के थानों में पुलिस कर्मचारियों की संख्या व सुविधा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

85. टोडाभीम क्षेत्र में नांगल शेरपुर में नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

86. उप अधीक्षक का कार्यालय टोडाभीम में बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

87. टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के कस्बा टोडाभीम में थाने की जर्जर व्यवस्था को देखते हुये नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया (सादुलपुर)

88. पुलिस थाना राजगढ़ (चूरू) में हो रही चोरियों एवं गुण्डागर्दी की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

89. पुलिस थाना हमीरवास, राजगढ़ (चूरू) के थानाधिकारी की मिली भगत से डोडा पोस्त की अवैध निकासी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

90. पुलिस थाना राजगढ़ (चूरू) में स्वयं विधायक की सूचना देने के बावजूद पुलिस की लापरवाही के कारण विधायक के घर में घुसा हुआ अपराधी भागने में सफल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

91. थाना हमीरवास के ग्राम कालाजा टीबा में हुई हत्या के अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये जाने से व्याप्त जनाक्रोश पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

92. राज्य में बढ़ती अपराधवृत्ति की रोकथाम में राज्य सरकार की विफलता एवं जहाजपुर क्षेत्र में सी. ओ. कार्यालय, खजूरी, पंडेर, टीकड़ में नये पुलिस स्टेशन खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

93. श्री ग्रजनेश्वर ग्राश्रम, नई सड़क/ग्रजनेश्वर मार्ग जोधपुर पर स्थाई रूप से पुलिस चौकी कायम करने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. प्रत्येक थानों/चौकियों के क्षेत्र-फल व ग्राबादी के अनुरूप कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. पुराने व जीर्णशीर्ण पुलिस थानों/चौकियों की मरम्मत कराने के लिये बजट राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में सिवाची गेट पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. पुलिस थानों में स्टेशनरी की कमी दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

98. मेहन्दवास थाने को सी. ओ. सर्किल टौंक से नहीं जोड़ने से उत्पन्न जना-क्रोश की स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. निवाई जिला टौंक, में सी. ग्रो. सर्किल नहीं खोलने से जनता में उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

100. एफ. आई. ग्रार नं. 15/97 थाना बरौठा वृताधिकारी, उनियारा में कत्ल के मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करने व मुलजिमों को बचाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

101. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यव-स्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. दौसा जिले में रामगढ़–पंचवारा व मण्डावरी में नये थाने खोलने की ग्राव-श्यकता पर चर्चा के लिये।

103. प्रदेश में महिलाग्रों के ग्रपहरण व बलात्कार की घटनाएं बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. दौसा में कैलाश सैनी हत्या-काण्ड की जांच ठीक नहीं होने से क्षेत्र में व्याप्त जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

105. बार्डर इंटेलिजेन्स के ए. एस. ग्राई. व ग्रन्य सभी स्तर के अधिकारियों के विशेष भत्ते में वृद्धि की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

106 माह नवम्बर, 1993 में थाना बज्जू के ग्रन्तर्गत पाकिस्तान से तस्करों द्वारा लाये गये विदेशी हथियार गोला–बारूद जो पंजाब के खतरनाक ग्रातंकवादी ग्रुप को जाने थे उन्हें बरामद करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने, पदोन्नति नहीं देने से पुलिस कर्मियों में व्याप्त ग्रसं-तोष पर चर्चा के लिये।

श्री कमल (हिण्डौन)

107. राज्य के थानों में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. हिण्डौन में ग्रतिरिक्त पुलिस

(श्री कमल)

अधीक्षक कार्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में सदर थाना तथा जगर में पुलिस चौकी नहीं खोलने से व्याप्त जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में अपराधों में हो रही दिनों–दिन वृद्धि पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

112. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजावास पंचायत मुख्यालय पर पुलिस चौकी, ब्यावर आवासन कोलोनी साकेत नगर में पुलिस चौकी एवं ब्यावर पुलिस थानों में स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)

113. पुलिस कर्मचारियों को और अधिक सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

115. राज्य में पुलिस हिरासत में हुई मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

116. राज्य में पुलिस की कार्य पद्धति में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

117. खैरवाड़ा बस स्टेण्ड पर पुलिस चौकी कायम करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. परसाद में पुलिस स्टेशन खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. ऋषभदेव में उप अधीक्षक का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सभापति : माननीय श्री श्रीकिशन सोनगरा, कारागार राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 17–कारागार विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 17–कारागार की प्रस्तुति

श्री श्रीकिशन सोनगरा (राज्य मंत्री कारागार) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,59,52,000 (छब्बीस करोड़

(118)

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

उनसठ लाख बावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जाए।

मांग संख्या–17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:–

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ग्रोसियां)

1. जेल विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

2. प्रदेश में कैदियों की अवस्था सुधारने के लिए सुधार कार्यक्रम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धोलपुर)

3. धौलपुर जिले की जेलों में बन्द कैदियों की दशा सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. धौलपुर जेल में वाहन नहीं होने से कैदियों को तारीख पेशी व उपचार हेतु अस्पताल लाते व ले जाते समय आने वाली जोखिमों पर चर्चा के लिये।

5. धौलपुर जेल में बन्द कैदियों को दिये जाने वाले राशन के अपर्याप्त व दोषपूर्ण होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. धौलपुर जेल में बन्द कैदियों से सामर्थ्य से अधिक लिये जा रहे कार्य व उन पर किये जा रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

7. प्रदेश में समय-समय पर कैदियों के भागने, जैल तोड़कर भागने से विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. बून्दी कारागार की पुराने भवन की मरम्मत प्राथमिकता से करने या अन्यत्र नया भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. प्रदेश की जेलों में आवश्यक सुविधायें मुहैय्या न कराने से कैदियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. कारागार विभाग में नियमानुसार अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षित कोटे को पूरा न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. कारागारों में लम्बे समय से विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर हर तीन महिनों में समीक्षा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

12. झुन्झुनू जिले के उदयपुरवाटी तथा नवलगढ़ में जुडिशियल लॉकअप भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

13. झुन्झुनूं कारागार में सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. झुन्झुनूं कारागार में घटित हो रही आपराधिक वारदातों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. झुन्झुनूं कारागार की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. राजस्थान के कारागारों में सुधार लाने तथा सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शांतिलाल चपलोत (राजसमंद)

17. कारागार विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)
श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली)

18. जेलों में मादक द्रव्य की पहुंच से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

19. जेलों में बन्द कैदियों के संबंध में सुधार कार्यक्रमों को चालू करने तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण सुविधा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

20. बांदीकुई में उप जिला स्तर के अनुसार कारागार न होने एवं कारागार में हो रही अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

21. सीकर जिले के सीकर, नीमकाथाना, फतेहपुर कारागृहों की अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

22. कारागारों की इमारतों की पूर्ण मरम्मत एवं सुरक्षात्मक प्रबंधों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. पाली सेन्ट्रल जेल में बन्द कैदियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

24. कारावास की अवधि में छूट की शर्तें एवं मानदण्डों का पालन न कर मनमानी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

25. जेल विभाग में सलाहकार समिति की बैठकों को नियमित रूप से नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

26. कारागार विभाग में नियुक्त महिला जेलर व अधिनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर उनका शोषण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

27. जेलों में न्यायिक हिरासत में रखे गये व्यक्तियों को पर्याप्त सुविधाएं न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

28. काफी संख्या में जेल अधिकारियों के वर्तमान में निलम्बित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

29. कारागारों में कैदियों से दरी आदि बनाने के कार्य में हो रही अनियमितताओं के उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

30. राज्य के कारागारों की व्यवस्था में समुचित सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

31. राजस्थान के कारागारों में वर्तमान व्यवस्था में सुधार तथा परामर्शदात्री समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

32. 1993 में केन्द्रीय जेल बीकानेर में कैदी की हत्या एवं तत्सम्बन्धी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री सभापति : पुलिस एवं कारागार विभाग की मांगों पर विचार प्रकट करने के लिए मैं माननीय श्री नरेन्द्र सिंह जी भाटी को निवेदन कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय धनखड़ साहब ने विधान सभा के सचिवालय द्वारा जारी एक परिपत्र की यहां पर सदन में चर्चा की। अपने नियमों के अन्तर्गत विधान सभा द्वारा जारी या सचिवालय के किसी परिपत्र की यहां पर चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको देख लें और वह उचित नहीं हो तो उसको सदन की कार्यवाही से निकालें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): सभापति महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा नगर निगम में महापौर के दफ्तर में महापौर नहीं विराजतीं। जब लोग वहां पर जाते हैं उनको तलाश करने के लिये या अपनी किसी समस्या का निराकरण करवाने के लिये तो....(व्यवधान)....

श्री सभापति : अभी आपका नाम अनुदान की मांगों में आ रहा है, उस समय विस्तार से बोल देना। (व्यवधान) बस, बात तो आ गयी समझ में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जीरो आवर में बोल रहा हूं। (व्यवधान) तो ध्यान आकर्षण, एक सैकण्ड की बात है, साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, तो बोलिये, बोलिये खतम करिये, आप इनकी बात मत सुनिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, तो बात खत करम रहा हूं ना।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : उप महापौर के कार्यालय में तोड़फोड़(व्यवधान)करवायी है। (व्यवधान)

श्री समापति : कृपया व्यवस्था बनाए रखें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : महापौर महोदया को तलाश करने जब लोग जाते हैं तो नतीजा यह होता है कि वहां मिलती नहीं हैं और फिर वहां तोड़फोड़ होती है । यही हाल उप महापौर का है । (व्यवधान)

श्री समापति : आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, उधर मत बोलिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उप महापौर के दफ्तर में उप महापौर नहीं मिली तो कल भी वहां पर तोड़फोड़ हुई है ।

श्री मदन दिलावर : समापति महोदय कोटा उप महापौर के कार्यालय में (व्यवधान) कल ही तोड़फोड़ करवाकर आये हैं । (व्यवधान)

श्री समापति : ठीक है । माननीय श्री माटीजी, कृपया प्रारम्भ करें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो क्या उनको आप दफ्तर में बैठने के लिये (व्यवधान) समस्याओं को सुलझाने के लिये अपना दफ्तर करें । (व्यवधान)

श्री समापति : माननीय श्री माटी जी ।

श्री नरेन्द्रसिंह माटी (ओसियां) : समापति महोदय, आपको धन्यवाद । लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नियमों की बुक को क्योंकि हम जैसे लोग मुख्य मंत्री के खिलाफ और आपकी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हमें बोलने की परमिशन नहीं मिलती है ।

श्री समापति : आसन की कोई सरकार नहीं होती है ।

श्री नरेन्द्रसिंह माटी : मैं तो इन नियमों को धन्यवाद दे रहा हूं, समापतिजी आपको तो दे चुका हूं । थोड़ा बोलने में डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि उस हादसे में थोड़ी-सी चोट आ गयी थी दांत पर ।

गृह मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं जो मैंने 5 कटमोशंस दिये हैं उनके बारे में । लेकिन अभी यह जोधपुर की घटना जिसके बारे में अखबारों में भी बहुत आया है, आपके बी.जे.पी. के दफ्तर से भी काफी पर्चे आए हैं, मैं सिर्फ इस ज्वलंत घटना को आपको बता देना चाहता हूं कि वास्तव में क्या झगड़ा हुआ, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी । आपकी पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज कर दी हमारे आदमियों की भी कर दी और गांव वाले आदमियों की भी कर दी । बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया, लेकिन उस कार्य के लिये आपके डी.जी. को ऊपर से हस्तक्षेप करना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा, तब लोकल पुलिस एक्टिव हुई । अब, गृह मंत्रीजी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह घटना हुई क्यों ।

श्री मदन दिलावर : अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन पर कब्जा किया इसलिए यह घटना हुई । (व्यवधान)

श्री समापति : कृपया व्यवधान नहीं करें, उचित नहीं है । (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप व्यवधान नहीं करें, आप विराजिए । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन पर (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : जब वक्त आए, तब आप बोलिएगा । आप चुपचाप बैठ

(श्रीमती बीना काक)

जाइये अभी । (व्यवधान) आपका वक्त आए, तब आप बोलिएगा । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनको बोलने का अधिकार नहीं है । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठ जाएं । मैं बोल तो रहा हूं यह बात । (व्यवधान) आप क्यों व्यवधान कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आप का वक्त आए, तब आप बोलिएगा, बैठ जाइये अभी आप ।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, इन मंत्रियों को (व्यवधान) मंत्री सफल नहीं हुए... (व्यवधान) अगर आप मंत्रियों को....

श्रीमती बीना काक : अपनी कुछ जिम्मेदारी समझिये । (व्यवधान) मंत्री बनाया है आपको मंत्री + + +

श्री सभापति : कृपया विराजिए । (व्यवधान) आप भी अच्छी बात कर रहे हैं (व्यवधान) और खड़े हो गये, आप भी खड़े हो गये । (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । मैंने कह दिया तो आप विराजिए ना । (व्यवधान) आप क्यों करने लग गये ?

श्रीमती बीना काक : मंत्रियों को तो नियंत्रित कर नहीं सकते हैं । (व्यवधान) इन मंत्रियों को भी जरा बाहर निकालिये । (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्री दखल दें तब फैसला हो गया । (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिए, आप, माननीय मोदीजी, विराजिए ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापतिजी, आज से कोई 27 साल पहले कुछ...

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को (व्यवधान) एट्रोसिटीज में गिरफ्तार करना चाहिए । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, व्यवधान नहीं करें । मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं ।

श्रीमती बीना काक : मंत्री व्यवधान डालते हैं । (व्यवधान) जिम्मेदारी समझिये, मंत्रीजी, नहीं तो बाहर निकालिये आप भी । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए । (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आपको गृह मंत्री बनाएं तब आप बोलिएगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक मिनट । (व्यवधान) आज से 27 साल पहले कुछ खातेदारों ने और महाराजा जोधपुर ने, खातेदारों में मैं भी शामिल था... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, यहां महाराजा का नाम लेने की क्या जरूरत है? महाराजा का क्या लेना देना

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

इस सदन के अन्दर ? इन्होंने कैसे महाराजा साहब का नाम ले लिया ? सभापति महोदय, यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे । (व्यवधान) गलती ये लोग करते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट को परेशान करते हैं, मीलों को परेशान करते हैं और नाम महाराजा का ले रहे हैं । यह कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम तो बिलकुल नहीं करेंगे । यह शब्द महाराजा का नाम हटाइए महाराजा के नाम से क्या लेना-देना ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए । गृह मंत्रीजी जवाब दे देंगे ।

श्रीमती बीना काक : भाटीजी के बोलते ही ये सब क्यों बोलने लग गये ? भाटीजी के बोलने से पहले ही सब चालू हो गये, क्या बात है ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, रोकिये इनको । (व्यवधान) मीलों के बारे में दुआ देने वाली बातें, लम्बी, लम्बी... (व्यवधान) नहीं, ये महाराजा का नाम कैसे ले लेते ?... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : भाटीजी बोलना शुरू नहीं कर रहे हैं और पहले ही+++ लग गये सब लोग । बोलने तो दो । (व्यवधान)

श्री सभापति : इनको बोलने की स्वतंत्रता है, इनकी बात सुनिये । फिर जवाब देना होगा तो माननीय मंत्रीजी जवाब दे देंगे । (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : बात ही इस तरीके की की है, क्या सुनें इनकी बात? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : बोलने तो दो इनको । (व्यवधान) बोलने तो दो थोड़ा ।

श्री सभापति : कृपया विराजिए ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह मेरा अधिकार है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : महाराजा रहे नहीं, खतम हो गये राजघराने सब ।

श्री सभापति : माननीय भाटीजी, कृपया आसन को सम्बोधित कीजिए ।

श्रीमती बीना काक : अब फिर सब उठेंगे ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : गृह मंत्रीजी, मेरे बहनोई जसवंतसिह जी ने, मैंने और मेरे स्वर्गीय पिताजी कर्नल मोहनसिंहजी, जिसकी ओबिचुअरी उनके साथी मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिहजी शेखावत इस सदन में देना भूल गये और उनको रिमाइंड करना पड़ा कि आप ओबिचुअरी देना भूल गये हो, हम लोगों ....

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय आपकी अनुमति से निवेदन कर रहा हूं कि किस प्रकार के अत्याचार अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर, हमारे लोगों पर कराए हैं । (व्यवधान) इनको अरेस्ट करना चाहिए । ये सदन में कैसे हैं ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप संवधान 3 में अन्दर रहे हो . (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्रीमती बीना काक : आपका नाम पुकारें तब बोलना। (व्यवधान) अनुसूचित जाति की बात, नम्बर आए तब बोलना।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी सोच रहे हैं (व्यवधान) किस तरह से बोलते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : हर एक मामले में खड़े होकर दखल देते हैं। आखिर यह मंत्रियों का आचरण है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्रीमती बीना काक : आप से ये मंत्री नहीं सम्भलते हैं। (व्यवधान)+++ (व्यवधान)

श्री सभापति : आपके भाटीजी बोल रहे हैं, आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? (व्यवधान) उनको बोलने दीजिए।

श्री मदन दिलावर : मंत्रियों का आचरण यह भी है....(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : व्यवधान तो मंत्रीजी डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं क्या?

श्री सभापति : मैंने निवेदन कर दिया आप भी व्यवधान डाल रहे हैं उनके सामने।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं कहां डाल रहा हूं ? मैं तो बोल रहा हूं. मैं मेरे काम की (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : उनको तो आप ही नजर आओगे, वे थोड़े ही नजर आएंगे।

श्री सभापति : मै आपसे नहीं, उनसे कह रहा हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापतिजी, मैं नियमों के तहत चलता हूं। मैंने आपको एड्रेस किया, गृह मंत्रीजी को एड्रेस किया परन्तु किसी मंत्री को नहीं किया। मुख्य मंत्रीजी को किया है। अब मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं, सभापतिजी, कि 45 बीघा जमीन आज से 27 साल पहले जब जसवंतसिंहजी निजी सचिव थे महाराजा साहब के, हमने सामूहिक रूप से, अपनी मर्जी से इस गांव के लिए, बाबूपुरा गांव के लिये, जो अभी तक अनियमित है, 45 बीघा जमीन छोड़ी थी। (व्यवधान) आप सुनो तो सही मेरी बात....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पट्टे हैं पट्टे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : आप मंत्रीजी को पाबन्द कीजिए, नहीं तो दूसरा व्यवहार लेना पड़ेगा। हम यहां धरना दे देंगे अगर आप बोले तो। यह क्या बात हुई ? (व्यवधान) एक आप ही हैं क्या यहां पर ? (व्यवधान)+++ऐसे ही। (व्यवधान) बीच-बीच में बोलते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, आप मंत्री महोदय को प्रताड़ना दें कि वे बारबार बोलें नहीं, सदन की गरिमा बनाए रखें। (व्यवधान) आपको प्रीमियम बोनस नहीं मिला हुआ है। आप सदाचार से बात कीजिए, बीच-बीच में इंटरवीन मत कीजिए माननीय सदस्य बोल लें....

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय सभापति महोदय, क्या इन लोगों ने ही अनुसूचित जाति का+++ले रखा है, बी.जे.पी. वालों ने ? क्या+++है. बारबार उठते हैं ये लोग। (व्यवधान) कोई मतलब नहीं है इनका। (व्यवधान) ये कोई ठेकेदार नहीं हैं अनुसूचित जाति के।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : यह जिम्मेदारी है (व्यवधान) अनुसूचित जाति को संरक्षण देते हैं । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सारी जाति का ठेका आपने ले लिया है ?

श्रीमती शशीदत्ता : क्या मतलब हुआ ये बार बार खड़े हो जाते हैं ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : शालिनी शर्मा को किसने रिकमण्ड किया था समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के लिये ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : गृह मंत्रीजी ... (व्यवधान) शशीजी (व्यवधान) मैं, गृह मंत्रीजी, आपको बताना चाहता हूं कि पट्टे हैं, लीगल या इल्लीगल, आपकी पुलिस जांच कर ले। मेरे को उससे एतराज नहीं । मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जसवन्तसिंह जी से पूछ लें कि उन्होंने डोनेट की है या नहीं की है । आप दूसरे खातेदारों से पूछ लें । मैंने लिखित में जवाब दिया है । हमने गलती की । क्या की ? कि उस गांव के लिये, सार्वजनिक काम के लिये 45 बीघा, जो आज करोड़ों की जमीन हैं, दी । हम भी अगर स्वार्थी होते तो उस पर अतिक्रमण कर सकते थे । लोभी हम कौनसे नहीं हैं ? लेकिन आपके जसवन्तसिंह जी ने, महाराजा साहब ने और मैंने तथा दूसरे 2–3 खातेदारों ने वापस उस जमीन को लेने का न तो कभी विचार है, और आपको इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि न ही मैं सोचता हूं । चूंकि सगे बहनोई हैं, और उनकी थोड़ी–बहुत ध्यान में जो आती है, उससे मैं जानता हूं, वे बिलकुल ही नहीं चाहते कि यह जमीन वापस किसी रूप में गांव से ली जाए । यह तो हुई बात ।

अब घटना क्यों हुई ? पुलिस ने हमारी एफ आई.आर. दर्ज कर ली और गांव वालों की एफ.आई.आर. दर्ज कर ली । घटना यों हुई, इसमें साजिश की बात तो मैं आपको बाद में कहूंगा । मुझे पता है, इसमें एफ. आर. लगनी हैं भले ही मेरे कितनी चोट आ गयी हो । मैंने पहले कहा था, उसका आगे विवरण दूंगा । अब घटना यों हुई, गृह मंत्रीजी, कि पिछले एक से डेढ़ महीने में इसमें कुछ अतिक्रमण शुरू हो गया और उस एरिये में शुरू हुआ हैं, 632/5 खसरा नम्बर में और 632/6 खसरा नम्बर में । अब 632/5, 632/4 के खातेदार हैं सुगन कंवरजी, जिन्होंने कुछ जमीन आर्मी को बेच दी, जिसका राजेन्द्रजी चौधरी ने कुछ उठाया था । अब 632/5 खसरा नम्बर है आपके प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन माननीय जसवन्तसिंहजी का । जो गांव के लिये जमीन छोड़ दी, उसके अलावा में वे आजकल पोलो फील्ड बना रहे हैं। हिज-हाइनेस, जोधपुर और जसवन्तसिंह जी मिलकर बना रहे हैं । अच्छा, आप कहेगे कि तेरी क्या पंचायती । मैं यह कहूंगा, गृह मंत्रीजी, आपके 39 के सी.आर.पी.सी. के तहत आज अपन कार्य करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिये, अपनी जनता के लिये, तो अतिक्रमण जो हो रहा था, मैंने सुना कि साहब हमारा मार्ग रूक गया । तीन जुलाई तक मेरा दौरा चल रहा था कांस्टीट्यूएंसी का, अशोक जी के बाद में इन अतिक्रमणों का थोड़ी–बहुत सुराग मिला । मैंने कहा, समझा देंगे, यह कोई नई बात नहीं हैं. 25–30 साल से समझा रहे हैं । हम आराम से बैठे हैं, हमें

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

दूसरों की पंचायती की जरूरत नहीं है। हम आराम से वहां पर बैठे हैं। कभी स्वार्थ से, सेल्फिशनेस से कोई अतिक्रमण हो जाता है, गृह मंत्रीजी, तो हम मिलकर उसको रोक देते हैं कि भाई, निजी प्लाट के लिये आप अतिक्रमण मत करो। गांव ने रिक्वेस्ट की कि साहब, हमको स्कूल के लिए जमीन चाहिये, हमने कहा बना लो। गांव ने कहा कि सार्वजनिक जिम्नेजियम के लिये आर्य वीर दल वालों को जमीन चाहिये, हमने कहा बना लो। आप और वे मौजूद हैं। वहां पर आपकी पुलिस ने देख ली, आपके कमिश्नर ने देख ली, ऑन माई रिक्वेस्ट। अब क्या होता है, गृह मंत्रीजी, कि भंवरलाल नाम के नायक एक सोसाइटी बनाते हैं। भू-माफिया से आप परिचित हैं। जिस रूप से आप की पुलिस ने आज से डेढ़ साल पहले इधर तो हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ और सात सौ आठ सौ पुलिस वाले विद कलक्टर एण्ड एस पी., उन्होंने जो सूरज फार्म मुझे लीज पर दिया गया था उसका कब्जा ले लिया। तो थोड़े-से उनके हौसले बढ़े कि अब भाटी पिटा और अब भाटी बोल नहीं सकेगा। उसके तुरन्त बाद में एक और केस हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको पहले रिमाइंड किया था। उसके लिये मैं आपको अभी बता दूंगा। अब वह भंवरलाल नायक क्या करता है, गृह मंत्रीजी, कि भंवरलाल नायक और उसके कुछ साथी, भले ही वह रामदीन हो, उसी गांव का रहने वाला, भले ही एक पार्षद हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, भले ही कुछ और लोग हो, इस सर्जिकल में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वे लोग सौ प्लाट काट देते हैं। वे काटते हैं इन तीन खसरों में ही, मेरे वाले में नहीं काटते हैं क्योंकि वो खसरा पहले जब मेरे यहां पर जो मैंने जमीन छोड़ी थी, उसमें अतिक्रमण हुआ था तो मैंने हटा दिया। आपकी पुलिस ने मेरे खिलाफ एफ.आई.आर. कर दी। आपके सी.एम. के आफिस के फैक्सेज चले गये जिसकी कापी मेरे पास है। चलिये, वह बात छोड़िये। उसमें आपकी ही सरकार की पुलिस ने एफ.आर. दे दी।

व्यवस्था का प्रश्न

व्यक्तिगत प्रकरण पर चर्चा नहीं

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाईंट आफ आर्डर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप अगर पढ़ना चाहें, सभापति महोदय....

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि अपने प्रक्रिया नियमों में यह प्रावधान है कि जिसमें अपना, व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित निहित हो, ऐसे मामले सदन में नहीं उठाये जाएंगे, एक।

दूसरा, यह भी अपने यहां पर नियमों में प्रावधान है कि जो सदस्य यहां पर विधान सभा में उपस्थित नहीं हैं, जो उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, ऐसे किसी मामले को यहां पर नहीं उठाया जा सकता। यह विशेषाधिकार यहां पर एम.एल.एज. को प्राप्त है और उस विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हुए इस सदन का उपयोग

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इसलिए किया जाए कि व्यक्तिगत हित के मामले यहां उठाकर किसी पर आरोप लगा दिया जाए और वह कोई जवाब भी नहीं दे सके, अतः मेरा आपसे निवेदन है। आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। समय–समय पर आसन से व्यवस्थाएं दी गयी हैं और प्रक्रिया और नियमों में भी यह प्रावधान है।

आपके मार्फत व्यक्तिगत रूप से भी मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि ये कोई भी मामले हो, कोर्ट खुली हुई है, उसमें जा सकते हैं और जो भी कार्यवाही है वे कर सकते हैं। वे गरीब आदमी जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, वे तो इस सदन में मौजूद नहीं है, अब उनके ऊपर किसी प्रकार के आरोप–प्रत्यारोप लगाकर इस सदन का दुरुपयोग किया जाए, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं रहेगा। आप भी नियमों से भली-भांति परिचित है। इतना ही नहीं आप इस हाउस के वरिष्ठ सदस्य भी रहे हैं और प्रभावशाली भी हैं। उन छोटे-छोटे व्यक्तियों का मामला यहां विधान सभा में उठाकर, मतलब उस जमीन के आप मालिक है, नहीं हैं या आप किस हैसियत से वहां पर गये थे, आपकी जमीन भी वहां थी या नहीं थी, या किसी लोगों ने आपको बता रखी थी और उसकी देखभाल करने के लिये गये थे, किसी ने आपको नियुक्त कर रखा था ....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, यह क्या पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर है, यह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पाइंट आफ आर्डर है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइंट आफ आर्डर है या भाषण है ?

श्री सभापति : यह पाइंट आफ आर्डर है। कृपया विराजिये। पाइंट आफ आर्डर है यह। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइंट आफ आर्डर इस तरह से होता है ?

श्रीमती बीना काक : यह पाइंट आफ आर्डर है कि जनजाति और सब लोगों के हितों की बात होने वाली है ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह पाइंट आफ आर्डर का तरीका है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह डेफिनिट पाइंट आफ आर्डर है।

श्रीमती बीना काक : वे एक कहानी सुना रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और .. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है और माननीय सदस्यों से भी निवेदन है कि अपने इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं करें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : उनको क्यों नहीं कहेंगे ? सभापति महोदय, वे तो बोल लें और हम .. (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप नियमों से चलाना चाहते हैं ? किस तरीके से आप सदन को चलाना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : मुख्य सचेतक और वे कल्याण मंत्रीजी को बाहर करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन :....और शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकार का दुरुपयोग नहीं होने दें। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय भाटी जी से निवेदन है कि ...

श्रीमती बीना काक : सदुपयोग ही होगा। सदुपयोग ही होगा।

व्यवस्था

व्यक्तिगत प्रकरण पर चर्चा नहीं

श्री सभापति : कृपया, विराजिये। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय भाटी जी से निवेदन है कि व्यक्तिगत प्रकरण को अपनी चर्चा के अन्दर नहीं लाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लॉ एण्ड आर्डर का सवाल है।

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी कि यदि व्यक्तिगत प्रकरण है तो इस समय न लाए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसका मतलब किसी सदस्य के ऊपर कोई असत्य केस दायर कर दिया जाए (व्यवधान)....

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी है उस पर आप नहीं बोलें, यह मेरा आपसे निवेदन है। मैंने यह कहा कि यदि यह व्यक्तिगत प्रकरण है तो इस पर न लाएं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो वह उठाएगा नहीं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप अपनी ऐसी, सभापति महोदय .

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप अपनी ऐसी पैरवी करने (व्यवधान) ...

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकरण की चर्चा की जा रही है वह जांच के अधीन है एवं लोकल पुलिस जांच कर रही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कांग्रेस को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी है, अब आप विराजिये। हर जगह क्यों व्यवधान कर रहे हैं ? यदि व्यक्तिगत प्रकरण है तो मैंने आपसे निवेदन किया है कि उसको अवॉइड करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उनको बोलने से रोका जाए।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ठीक है, ठीक है।

श्री सभापति : आगे जनरल बोलें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : व्यक्तिगत नहीं है, यह लोक-महत्व का है।

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : गृह मंत्री जी, मेरी तो आपको एक रिक्वेस्ट है। आपके ही मैम्बर, आपकी पार्टी के ही मैम्बर हैं, अगर वे अतिक्रमण उस जमीन में चाहते हैं, जसवन्तसिंह जी, तो होने दीजिये। मेरी तो

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

कोई पंचायती नहीं है । वे रूल्स भी जानते हैं, वे नियम भी जानते हैं और अगर वे यह कह दें कि उस सार्वजनिक जमीन पर सार्वजनिक काम के लिये जो जमीन हमने छोड़ी हैं, उस पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिये तो इस सरकार की हैल्प उसमें मिलनी चाहिये । तो मेरे एक–दो सुझाव हैं । यह झगड़ा मिटाओ, मेरे को कोई न आप, मेरे को नायकों के पास रहना है, वे मेरे साथ रहते हैं । हमारे भाईचारे के सम्बन्ध हैं, पीढ़ियों से हम साथ हैं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजा और नायक का तो साथ है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : राठौड़ साहब, क्यों ? (व्यवधान) Please, don't intervence., अभी कोई और कह दें कि आप राजपूतों को सपोर्ट कर रहें हो । थोड़े अड़े ही रहो आप । तो मेरा इस घटनाक्रम के इन्ट्रोडक्शन का सिर्फ एक मकसद है । मैं आपसे एक मदद चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, एक सैकिण्ड....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप कहेंगे कि राजपूत, राजपूत का सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं मानेगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, मैंने यह जरूर कहा है, घनश्यामजी, क्योंकि इन्होंने, आपके मुख्य मंत्रीजी के व्यक्तिगत रूप से रंजिश रख ली है, तब मैंने कहा कि मेरे उनसे मधुर सम्बन्ध नहीं हैं, जब भंवरलाल जी ने पिछली बार पूछा था ।

श्री मदन दिलावर : बहन से भी नहीं हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : किससे ?

श्री सभापति : अब आप आगे बढ़िये । कोई बात नहीं है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अब आप इसमें, आपसे रिक्वेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन करवा लें । प्राब्लम क्या आएगी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं । अतिक्रमण हुआ है । जमीन किसी और के खाते में हैं. गृह मंत्रीजी । कल जिन नायकों, एस.सी. और एस.टी. के आदमियों ने तीन-तीन हजार रुपये दिये हैं और तीन लाख रुपये कलेक्ट हुए हैं, इस वहम में दिये हैं कि, साहब, हमको टाइटल मिल जाएगा । वह टाइटल मिलने वाला नहीं है क्योंकि जमीन न केवल दूसरे के खाते में है, बल्कि ग्रीन-बैल्ट में है 'बिलकुल ग्रीन-बैल्ट में है । आपको उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा । अब वह तीन–तीन हजार रुपये जिसने लिये हैं और जिसने धोखाधड़ी की है, गांवों वालों के साथ, मैं नहीं चाहूंगा कि वह फ्री जाए । मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि वह पैसा हमको मिले । वह पैसा कलेक्ट करे पुलिस एण्ड गवर्नमेंट और उसको सार्वजनिक काम के लिये, उसी गांव के लिये काम में लें ।

अब मैं और आगे चलता हूं कि मैंने जो उत्तर दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट ने एक मुझे सात तारीख को चिट्ठी लिखी....

श्री सभापति : अब इस प्रकरण को छोड़ें, कृपया । मेरा निवेदन है कि आप पुलिस की मांगों पर जनरल बात करें । यह प्रकरण आपसे व्यक्तिगत सम्बन्धित है इसलिए इस पर बात हो गयी । चर्चा काफी है । अब आप इसको छोड़ें ।

130

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : व्यक्तिगत नहीं है। आपको मैंने जो सुझाव दिये न ...

श्री सभापति : कृपया इस प्रकरण को छोड़े, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अब पुलिस डिमाण्ड पर आ जाता हूं। सभापति महोदय.... (व्यवधान) अब मैं बोलूंगा तो आप फिर इनको टोकने मत देना। अब मैं डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट पर आ रहा हूं सीधा।

सभापति महोदय, मैं पूर्व में कह चुका हूं कि इस सदन में न केवल एम,एल.एज. बल्कि यहां पर बैठे हुए वरिष्ठ आफिसर्स, राजस्थान की जनता जितनी दुःखी हुई है आपके + + +से, मेरा खयाल है इण्डिया में बहुत कम उदाहरण मिलेंगे आपको।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : क्या बोल रहे हैं, सभापति महोदय ?

श्री सभापति : आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर : ब्लैकमैलिंग यह क्या होता है ?

श्री सभापति : आप विराजिए। क्या बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए न। उसका निर्णय आप करेंगे क्या ?

श्री मदन दिलावर : सोच-समझकर तो बोलें, माननीय।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आप विराजें, व्यवधान नहीं करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ब्लैकमेलिंग वह वही होता है, सभापति महोदय, जो आपके मुख्य मंत्रीजी ने अजमेर ब्लैकमेलिंग काण्ड कहकर पुकारा, वह ब्लैकमेलिंग होता है। + + +वह होता है कि आपके एम.एल. एज. को पीटा जाता है फॉल्स केसेज लगाए जाते हैं। यहां बैठे हैं राधेश्यामजी, 18 साल पहले का केस लेकर इन पर चार्ज शीट हो रही है। एम.एल.ए. की हैसियत से, सभापति महोदय, मैंने क्या गलती की? मेरी गलती सिर्फ यही है कि 119 नियम के तहत मैंने मुख्य मंत्रीजी को नोटिस दिया उनके दामाद को नोटिस दिया। उस पर स्पीकर साहब ने निर्णय दे दिया। ठीक है, खतम हुई। लेकिन उसके बाद में, सभापति महोदय, 34 केसेज सरकार के और मेरे बीच में हैं। 70 कैविएट्स मेरे खिलाफ। 3 एंटीसिपेटरी बेल्स मेरे खिलाफ अभी भी लागू हैं। भले ही वह आबू की हो। आबू का केस तो विचित्र है। सभापति महोदय, फोरेंसिक रिपोर्ट से फोटो स्टेट कॉपी पर निर्णय लिखवाते हैं। आपने कभी सुना ही नहीं होगा। फोटो स्टेट कॉपी पर फोरेंसिक रिपोर्ट लेकर नरेन्द्रसिंह भाटी के खिलाफ 120 बी फोर्जरी और पता नहीं 8-10 धाराएं और, भला हो जुडीशियरी का, सभापति महोदय .(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जैसा करम करेगा वैसा फल देगा भगवान।

श्री मोहनलाल मोदी : आपके कर्म तो देखो। यह राजस्थान की सारी जनता जानती है। + + +फिर आप बोल रहे हो। + + +(व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : + + + तो आपने मचाई थी ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, और तो और .. (व्यवधान) आप इनको क्यों नहीं बोलते हैं ?

श्री मदन दिलावर : आप मेरे पास आए थे क्योंकि समाज कल्याण के नौ छात्रावास ऐसे चलाए हुए थे जिनका पैसा ये उठा रहे थे और उनको मैंने पिछले वर्ष ही बन्द करा दिया । ये सामग्री घर ले जाते थे इसलिए माननीय सदस्य मेरे ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं कभी इनके पास नहीं गया । ये क्या बात करते हैं ? मेरा जैसा आदमी, मैं आज तक किसी मंत्री के पास नहीं गया । क्या ऐसी + + + करते हो ? यह जांच करा लो, अगर यह सही हो कि मैं इनके पास गया हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या ये इस्तीफा दे दें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिए । मामला पुलिस का चल रहा है ।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या, सभापति महोदय, ये ऐसी बात कर रहे हैं । मैं किस मामले में गया था, मुझे यह तो बताओ जरा ।

श्री सभापति : आप विराजिए ।

श्री मोहनलाल मोदी : आपको पता भी है कि नहीं ? चाहे जो बात उठा देते हो ।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : आप किस पर आरोप लगा रहे हो ? गरिमा तो देखो ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप जानते हो, ये कितने वरिष्ठ सदस्य हैं । + + + (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य........ (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : बताओ, पहले तो + + + एक बार विधान सभा में ये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य........ (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : एक बार विधान सभा में + + +

श्री सभापति : माननीय मोदीजी, अपने आसन पर विराजें ।

श्रीमती बीना काक : पहले तो + + + (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मोदीजी, अपने आसन पर विराजें ।

श्रीमती बीना काक : आप + + + (व्यवधान)

श्री सभापति : सीमाओं में रहें । माननीय मोदीजी, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : जो इन्होंने आरोप लगाया, क्या आप इसकी जांच कराएंगे ? (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री सभापति : माननीय मोदीजी ने अकारण आरोप लगाया था, वह गलत था। माननीय मोदीजी को ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए, व्यक्तिगत आरोप, बिना नोटिस दिए हुए।

श्री मोहनलाल मोदी : कभी नहीं गया वहां .. (व्यवधान)

श्री सभापति : पैसे खा गए, यह कर दिया। मैं उसको कार्यवाही से हटाता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : आप मंत्री हो और इस तरह की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, आरोप ऐसे नहीं लगाए जाते, व्यक्तिगत आरोप बिना नोटिस के। (व्यवधान) उन्होंने आरोप लगाया माननीय मंत्री पर कि सारे पैसे खा गए। ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कार्यवाही से निकाला जाता है उसको।

माननीय भाटीजी, आगे बढ़ाएं। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : ये निराधार आरोप लगा देते हैं, (व्यवधान) मोदीजी ने आरोप लगाया, निराधार आरोप लगाया और इस बारे में (व्यवधान).... ये निराधार आरोप लगा देते हैं।

श्री सभापति : विराजिए। ऐसा आरोप नहीं .. (व्यवधान) माननीय भाटीजी, कृपया आगे बढ़े। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी) : (व्यवधान) इन्होंने कैसे कह दिया कि जैसा करम करेगा वैसा फल देगा भगवान। +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : कैसे समझ में आएगा, वे भी बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार : आपके मंत्री जी ने कल जो इल्जाम लगाया, वह वाजिब है क्या?

श्री रामनारायण चौधरी : आपने किस मामले में क्या व्यवस्था दी है?

श्री सभापति : माननीय विराजिए आप, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री श्रवणकुमार : आपके समाज कल्याण मंत्री .. (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठें आप। माननीय मोदीजी ने यह कहा, अकारण बीच में उठ कर, कि जो मंत्रीजी हैं, ये समाज कल्याण का सारा पैसा खा गए। इस तरह का आरोप इनको नहीं लगाना चाहिए। (व्यवधान) किसी मंत्री के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा सकते।

श्रीमती बीना काक : किसी और मंत्री को तो नहीं कहा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्रीजी ने कहा कि मोदीजी मेरे पास आए जबकि मोदीजी इनके पास नहीं गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं? मैंने तो वे शब्द हटाये जो कहे गए हैं (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मोहनलाल मोदी : रोजाना लगते हैं ये आरोप तो इनके ऊपर। आज कोई नयी बात है क्या ?

एक माननीय सदस्य : ये एक दिन के आरोप हैं क्या ? रोजाना आरोप लगते हैं इन पर। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : और मंत्री को क्यों नहीं कहा इन्होंने ? उन्हें ही क्यों कहा ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय भाटी जी।

श्री मोहनलाल मोदी : अगर आरोप लगाते हैं तो ये असत्य बात कहेंगे ?

श्री सभापति : ऐसा आरोप आप नहीं लगा सकते बिना नोटिस दिए हुए। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : यहां लगे हैं इस विधान सभा में। (व्यवधान)

श्री सभापति : लगाए हैं तो गलत हैं। (व्यवधान) मैंने व्यवस्था दे दी, आप कृपा करके विराजें। भाटीजी का भाषण सुनें।

माननीय भाटीजी ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं आपको अर्ज कर रहा था केसेज का। सभापति महोदय, 34 केसेज में 7 से 9 में एफ. आर. लग गयी मेरे पक्ष में (व्यवधान)

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : फिर व्यक्तिगत मामले उठाए जा रहे हैं। जब सभापति महोदय ने कह दिया (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं ? क्या व्यक्तिगत है ? व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत है। (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के खिलाफ एस. सी. का केस दर्ज हुआ है 4 तारीख को (व्यवधान)

श्री सभापति : उससे क्या मतलब है यहां पर ? आप क्या कहना चाहते हैं ? आप विराजिए न।

श्री उगमराज मेहता : मैं यह कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर इन्होंने हमला किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिए आप। डिबेट को आगे चलने दें।

श्री उगमराज मेहता : ... और उन्होंने इनके ऊपर केस लगाया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। मैं, माननीय भाटीजी, आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके पुलिस की मांग पर आ जाएं और व्यक्तिगत जो मामला है उसको यहां पर न लावें, क्योंकि इसमें जुडीशियल मामला भी है, आपका व्यक्तिगत प्रकरण भी है और यहां के नियम हैं कि इन व्यक्तिगत बातों को नहीं लाना चाहिए।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, मुझे सब नियमों का पता है। मैंने जो कटमोशन दिए थे उनके तहत मैं यह अर्ज करना चाह रहा हूं कि अगर अजमेर वाला ब्लैकमेलिंग कांड मुख्य मंत्रीजी द्वारा नहीं दबाया जाता, आपको पता है, सभापति महोदय, Politicians Involved, Officers Involved. मुझे कोई सिम्पैथी

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

नहीं है मधुकर टण्डन से, जो कि उसमें लिप्त थे। मुझे दर्द इसलिए होता है कि मेरी बहनें वहां पढ़ी हैं, हमारी बेटियां वहां पढ़ती हैं। उन मासूम बच्चियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जी. आर. पी. की सैलून काम में ली गयी। लड़कियों को किशनगढ़ ले जाकर सप्लाई किया गया। Officers Involved, Politicians Involved. उन बच्चियों का क्या हाल हुआ होगा ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपकी कांग्रेस इन्वाल्व्ड।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरी कांग्रेस इन्वाल्व्ड, चलो मान लिया। मैं तो कह रहा हूं....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : हाउस में तो लाओ, याद है कैला देवी (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार : माननीय सदस्य रेल में पकड़े गए थे। मालूम नहीं है क्या आपको ? (व्यवधान) रेल वाली घटना भूल गए क्या ? (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : बरी होकर आया हूं कोर्ट से। (व्यवधान) वह भी आप लोगों का षड्यंत्र था।

श्री परसादीलाल मीणा : हो गये लेकिन रेल वाली घटना याद है ? याद कर लो दोबारा, आचरण याद करो। मंत्री बन जाते अगर रेल वाली घटना नहीं होती तो न हारते और आज मंत्री होते आप। अपने कर्मों से भोग रहे हो। (व्यवधान) ..

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर पहला अजमेर वाला कांड दबाया नहीं जाता तो शालिनी शर्मा कांड नहीं होता, लोगों के हौसले नहीं बढ़ते। जे.सी. बोस छात्रावास कांड नहीं होता लोगों के हौसले नहीं बढ़ते। नीलू राणा कांड नहीं होता, लोगों के होसले नहीं बढ़ते। लेकिन क्या हुआ ? आज जालोर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे हैं कि कांग्रेसमैन इन्वाल्व्ड हैं। मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस मैन इन्वाल्व्ड हैं तो उनको पनिश करना चाहिये, उनको दण्डित करना चाहिये, उनको सदस्यता से हटाना चाहिये भले ही वे किसी लेवल के हों। लेकिन मैं इस ब्लैकमेलिंग के इसलिए खिलाफ हूं, वे भैरोंसिंहजी शेखावत नहीं हैं, **he is the Chief Minister of Rajasthan. The people of Rajasthan have laid trust in him.** आज उनकी पब्लिक रिलेशनशिप बड़ी अच्छी होती होगी लेकिन आप एडिटोरियल पढ़िये। जिन मैग्जींस को उन्होंने खरीद रखा था न, सभापति महोदय, इण्डिया टुडे का एडिटोरियल पढ़िये, दूसरी मैगजीन्स में आउटलुक का एडिटोरियल पढ़िये। आज **who is he playing with** ? वे खेल रहे हैं हम लोगों की जनता से। पुलिस का एक ए.एस.आई. बना हुआ आदमी बाई नेचर, आज अगर आप भैरोंसिंहजी का नेचर देखें तो थानेदार का नेचर है। वे + + + देंगे .

श्री महावीरप्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालिये, पाइंट ऑफ आर्डर को शांति से सुन लीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कितने पाइंट ऑफ आर्डर ? होंगे, सभापति महोदय ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : 272 के तहत सदस्य द्वारा सदन को सम्बोधित करने की रीति। इसमें मुझे प्रसन्नता होती ...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : महावीरजी, 119 का नोटिस मेरे में हिम्मत थी इसलिए दिया। बात करते हो यहां पर। दबा दिया आप लोगों ने उसको। कितना दबाओगे ? तीन महीने और दबा लो, तीन महीने बाद देखना क्या होगा। है आप में ? बात करते हो। जीत कर आ जाना आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता होती है कि जन-कल्याण के और लोगों के दर्द के मामले हैं, वे उठाये जाते तो मैं समझता हूं कि मैं उनका बहुत आभारी होता।

श्री सभापति : पाइंट ऑफ आर्डर क्या है आपका ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि नियम 272 के 7 में आप पढ़िये-अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानि के शब्द नहीं कहेंगे। यह अपनी प्रक्रिया के नियम 272 के 7 में है। मैं इसके माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की गरिमा, राजस्थान के सदन की गरिमा....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, जितना ये समय ले रहे हैं वह आपको देना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजस्थान में सदन की गरिमा आज तक माननीय सदस्यों ने बनाये रखी है और यहां पर ऐसे सवाल खड़े किये गये हैं जिनमें जन समस्या निहित है। काल्पनिक आधार पर या राजद्रोहात्मक का मनगढंत आरोप यदि मान लो लगाये जाएं किसी को बचाने का मेरा न तो कोई इरादा है... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मराओ उन लड़कियों को। बात करते हो।

श्री बनवारीलाल बैरवा : इसका उत्तर तो माननीय गृह मंत्रीजी देंगे, ये क्यों तकलीफ पा रहे हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उत्तर नहीं है, यह तो पाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : यह कोई पाइंट ऑफ आर्डर है ? यह तो स्पीच हो गयी इनकी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन विधिवत रूप से, निश्चित रूप से कोई इस प्रकार के....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह कोई पाइंट ऑफ आर्डर है ?....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : काल्पनिक आधार पर इस प्रकार के आरोप लगाये जाएं और उस काल्पनिक आधार पर मुख्य मंत्री का चरित्र हनन किया जाए तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इसलिए जो राजद्रोहात्मक,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अभिद्रोहात्मक और मानहानिकारक शब्द हैं उनको कार्यवाही से भी निकाला जाए और उनको रोका भी जाए। यदि तथ्यों के आधार पर कोई आरोप हो तो लगाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जिसका जवाब स्वयं मुख्य मंत्रीजी भी दे सकते हैं या यहां के कोई भी माननीय सदस्य या गृह मंत्रीजी दे सकते हैं, देंगे। लेकिन इस सदन की गरिमा बनाये रखें और इन नियमों का पालन करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : मेरा निवेदन है आप सब से और माननीय भाटीजी से कि गरिमा बनाये रखें और शांत चित्त से तथ्यों पर बोलें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, एक-एक विवरण जो मैंने कांडों का दिया है उन सब पर आपके मुख्य मंत्रीजी की टिप्पणी हुई है इस सदन में उन्होंने कहा है कि ये मेरी बहन-बेटियां हैं, इनकी इज्जत बचाना मेरा दायित्व है। और आप मुझे शिक्षा दे रहे हो। पढ़ो थोड़ा नियम।

श्री सभापति : कृपया आसन को सम्बोधित करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : गृह मंत्रीजी, आप उस पाइंट ऑफ आर्डर से संतुष्ट हैं ?

श्री सभापति : कृपया संयत भाव से आसन को सम्बोधित करें, भाटीजी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इनको+++ (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ आप खुद हो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : +++तो आप हो। बातें करते हो। आप और आपके मुख्य मंत्री हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं किसी की जमीन पर... (व्यवधान).. अतिक्रमण करने नहीं गया।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : +++बातें करते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अतिक्रमण करने नहीं गया।... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप जैसे बहुत देखे हैं मैंने। मैं देख लूंगा। बातें करते हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं नौकर की हैसियत से जमीन की रखवाली करने भी नहीं गया और मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब पर आक्रमण करने भी नहीं गया। मैं वहां अपनी ठकुराई करने के लिए भी नहीं गया। (व्यवधान) आप बताना चाहते हो, वह उचित नहीं है।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, विराजिये। (व्यवधान) माननीय भाटीजी, गुस्सा नहीं कीजिये, संयम से और सीधे आसन को सम्बोधित कीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, वे+++में रहें, नहीं तो इनके नेताओं के....

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : मेरी आपसे प्रार्थना है कि गरिमा बनाये रखिये और गरिमा के आधार पर अपनी बात शांत चित्त में बिलकुल तथ्यों पर आधारित कहिये ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अर्ज करना चाह रहा था कि जब हैड ऑफ दी स्टेट+++हो या+++हो या उन पर आरोप लगें या वे+++देवें या+++देवें या वे+++करें तो, माफ कीजियेगा, यह पुलिस क्या करेगी ? इनके इशारे पर नाचती है । आप उदाहरण के रूप में क्राइम ब्रांच या डिपार्टमेंट देख लें । क्राइम ब्रांच के जब इनके चहेते अफसर प्रमोट हो जाते है तो क्राइम ब्रांच की पोस्ट डी.जी. की हो जाती है, जब चहेते अफसर उस रैंक में नहीं मिलते तो वो एडिशनल डी.जी. की हो जाती है और अगर एडिशनल डी. जी. में भी नहीं मिलें तो वह आई.जी. की हो जाती है । यह सब कमाल है, यह राजस्थान में देखा है मैंने । मतलब it is a clear indication कि मेरे लोगों को दबाव से मैं प्रोटेक्ट करूंगा और मेरे इशारे से क्राइम ब्रांच को यूज करूंगा, भले ही वे एम.एल.एज. हों । आज यहां ऐसे एम.एल.एज. की संख्या कम से कम 20 होगी+++है, इनको अन्दर धरने की पूरी साजिश हुई है । राधेश्यामजी का क्या कसूर है ? इनका सिर्फ एक कसूर है कि इन्होंने मुख्य मंत्रीजी को गंगानगर से हरा दिया था । इन्होंने जाकर मुख्य मंत्रीजी के पास अपनी चोटें भी दिखायीं । इनको कहा सांत्वना दिलवायी । मैंने तो इनको कहा कि किस गलतफहमी में आ रहे हो, उस आदमी को अगर आप अभी भी नहीं समझ पाये तो, माफ करना, आपको अपने बारे में बड़ी गलतफहमी है । इतने, इतने, क्या वर्ड यूज करूं ? टोटल+++देख लेश्यू ।

श्री सभापति : यह शब्द कार्यवाही से निकाल दीजिये ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : टोटल असत्य वचन करने वाले सी.एम. । अब निकालो ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब निकालो आप । अब बताओ क्या होगा ?

श्री सभापति : जो उचित समझूंगा मैं करूंगा, आपकी राय नहीं चाहिये ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, मै डिक्सनरी पकड़ना नहीं चाहता नहीं तो+++is not unparliamentary. एनीवे, आपकी रूलिंग सर माथे । मैं तो उनको यह अर्ज करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आप सरकार में रह चुके हो और पोलिटिक्स में पधारे हो, आपने कभी भी उदाहरण सुना है कि स्टेट का डाइरेक्टर जनरल रात को 12 बजे स्वीयर-इन होता है, अनाउंस होता है ? Have you ever heard of it ? स्टेट के डी. जी. ऑफ पुलिस को रात को 12 बजे शपथ क्यों मिलती है ? स्टेट को धन्यवाद है, डी.जी. साहब की तरफ से, होना भी चाहिये लेकिन मैं एम.एल.ए. की हैसियत से धन्यवाद देता हूं चतुर्वेदीजी, आपको, कौशलजी, आपको, भामड़ाजी, आपको ...

एक माननीय सदस्य : भंवरलालजी को ।

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : भंवरलाल जी नहीं थे उस मीटिंग में। रामदास जी अग्रवाल को कि आपने एक बहुत अच्छी प्रथा की जाकर उनको समझाया। मुझे पता है कि उस मीटिंग में क्या हुआ और वे किस तेवर में थे जो कि उस मीटिंग में से गये। आपने उनको रोका और आपने कहा कि साहब, राइट फुल आदमी को आपने किसी और रूप से समझाया होगा कि साहब, गलत मैसेज जाएगा लेकिन आप लोगों ने यह कहा था कि मैसेज यह जाना चाहिए कि डिजर्विंग आदमी को आप डी. जी बनाइये। मैं आपका आभारी हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह गलत है, मना कर दो। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हमारे मुंह में कोई शब्द डालकर आप न बोलें। आप अपनी बात कहते जाएं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, पुलिस डिपार्टमेंट का रनिंग का; कल हम आवें पावर में या ये वापस आ जाएं, दोनों को बधाई। मैं अर्ज कर रहा हूं चूंकि मैं भुगतभोगी हूं इस प्रक्रिया का। पुलिस डिपार्टमेंट को, कोई भी सी. एम. आवे, कोई भी गवर्नमेंट आवे, पब्लिक सरवेन्ट्स के खिलाफ मिसयूज नहीं करना चाहिए। बिकाज हमारा दायित्व क्या है? बड़ी डिफिकल्टी है। हम जनता के सेवक हैं. हम चुनकर आते हैं। सभापति महोदय, आप रिटायरमेंट के बाद चुनकर आये। अनेकों काम करने हैं। अब कल आपसे कोई मंत्री नाराज हो जाए या गृह मंत्रीजी नाराज हो जाएं और उसकी वे रंजिश निकालें, आपकी कांस्टीट्यूएंसी से उसकी रंजिश निकालें कि क्यों साहब, शर्माजी क्यों बोल गये मेरे खिलाफ? ये भाटी क्यों बोल गया मेरे खिलाफ? तो इसको मारो। ठीक है। मैंने आज की तारीख में आकलन किया है करीब सात–साढ़े सात करोड़ से नीचे गया हूं लेकिन मालिक की कृपा रही है कि मैं जिन्दा हूं। इनके पौने पांच साल तो निकल गये, अब ये लोग कहां जाएंगे? ये आफिसर आज आप इनको अंकुश में रखें कि मेरा जो कहना है वह करना पड़ेगा, तो, माफ करना, भंवरलालजी साहब, महर्षि साहब थे आपके जे. डी. ए. के चेयरमैन, उन्होंने दो महीने का अवकाश क्यों लिया? दो महीने का अवकाश लेकर उनकी पलटी हुई वही से, उनके खुद के आग्रह पर। क्योंकि पृथ्वीराज नगर योजना में जो ये लोग चाहते थे इनके चहेतों के काम, वे नहीं कर रहे थे। अब राजीव महर्षि की क्या गलती है? वह एक आई.ए.एस. अफसर, आपने उसको लगा दिया। आप खुद तो गलती करना नहीं चाहते, आप तो साफ-सुथरा रहना चाहते हो कि साहब, जनता के बीच में तो हम ही हैं, और आफिसर्स को यूज करते हो। कुछ नेक आफिसर्स अभी भी हैं। सभापति महोदय, अगर आपकी सरकार की सही दिशा रही जो कि मैं नहीं सोच सकता कि इन मुख्य मंत्रीजी के साथ हो सकती है, इनको जनता हटा देगी लेकिन कोई भी सरकार आवे, please, don't use the bureaucracy for personal gains. Please, don't.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नौकरशाही राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, आप खुद बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, मुझे तो आपके शासन को

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

देखकर बहुत खुशी होती है, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। आप तो यह खुद जानते हैं कि ये राजनीतिक दाव-पेच से अफसरों से कितना काम करवाते हैं, क्या-क्या गलतियां करवाते रहते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसीलिए आपको मंत्री नहीं बनाया।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : यह+++ लगाने से काम नहीं चलेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, आप तो खुशकिस्मत हो जो आपको मंत्री नहीं बनाया। अगर आपने शपथ ले ली होती तो थानागाजी में सफाया हो जाता। बिलकुल। अभी तो चांस है आपका।

सभापति महोदय, इसीलिए मैं आपका और गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गृह मंत्रीजी भू–माफिया में जो लिप्त हैं, मैंने भू–माफिया का विवरण दिया है, मेरे पास मौजूद है, भू–माफिया में लिप्त जो मुख्य मंत्री से सम्बन्ध रखता हो, उनके दामाद साहब से सम्बन्ध रखता हो, अनेकों विधायकों से सम्बन्ध रखता हो या मंत्रियों से सम्बन्ध रखता हो, वे तो बचाये जाते हैं, पुलिस हैल्प मिलती है। उनके केसेज में उसी हिसाब से एफ. आर. लग जाती है जिस हिसाब से मेरे खिलाफ एफ. आई. आर. लगती है। और एफ.आर. तो मजबूरन लगती है।

सभापति महोदय, मैं तो बहुत चुन–चुन कर चल रहा हूं। पौने पांच साल हो गये। देखिये, I believe in the theory. हम लोग इधर बैठे हैं, हम सब बिलीव करते हैं और उसका उदाहरण है। ये बार-बार कहते हैं न कि 40 साल। मुख्य मंत्री जी वर्तमान ने इस पहली पंक्ति में विराज कर, रामनारायण जी चौधरी विटनेस हैं, सुखाड़ियाजी से लेकर, जोशीजी से लेकर, बरकत साहब से थोड़े वे भयभीत थे कि वे कुछ कर देंगे बिकाज वे सुखाड़िया स्कूल के नहीं थे, पहाड़ियाजी से लेकर, माथुर साहब से लेकर वापस जोशी जी, माथुर साहब तक इन्होंने पता नहीं कितने–कितने आरोप लगाये है। और आप ये दे रहे हैं कि पाइंट आफ आर्डर। इनको आप पूछो कि अगर इनके वचनों पर पाइंट आफ आर्डर उठने लगें न, इन्होंने जोशीजी को इस सदन में मेरे सामने क्या–क्या नहीं कहा। उन्होंने जोशीजी को +++ कहा है, उन्होंने जोशीजी को +++ कहा है, +++ जमीन का। लेकिन कांग्रेस कल्चर 108 साल का, 110 साल का क्या बताता है?

सभापति महोदय, मैच्योरिटी एक्सपीरियेन्स से आती है। मैच्योरिटी कोई राज से नहीं आती है, मैच्योरिटी आती है एक्सपीरियेन्स। आज गांव का एक बड़ा आदमी होगा, एक गांव वाला होगा जिसको हम बड़ा कहते हैं भले ही वह किसी भी जाति का हो, उसमें बिज्डम है आपसे और मेरे से ज्यादा। माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, आपने भी अनेकों बार चार्जेज लगाये हैं, तिवाड़ीजी, आपने भी

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

लगाये । आप मुझे एक उदाहरण दे दो अन्तरात्मा की आवाज से पूछकर कि हमारे किसी मुख्य मंत्री ने उसको पर्सनली लिया। एक का भी उदाहरण दे दो आप । और, सभापति महोदय, लेना भी नहीं चाहिए । क्यों लेवें ? आखिर अपन विपक्ष में बैठे हैं तो हम क्या करें ? क्योंकि सरकार तो उनके पास है, पावर उनके पास और हम अगर मुद्दे यहां नहीं उठाएं तो जनता हमें पूछ लेगी जमीन पर ।

आज लक्ष्मणसिंह जी हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं । परसादीलाल जी हैं, शैलेन्द्रजी हैं और राजेन्द्रजी चौधरी हैं । राजेन्द्रजी ने एक सुमन कंवर का मामला उठाया 632/4 में । कम्पनसेशन का मामला था । लीगल था या नहीं था, छोड़िये । लीगल नहीं होता तो सुनील अरोड़ा साहब पर्सनली जाकर चैक नहीं देते । तो कुछ न कुछ सत्य में था । नतीजा क्या मिला इनको ? इनकी कांस्टीट्युएंसी में इन पर कातिलाना हमला हुआ । यह तो अच्छा हुआ कि इनको....

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : आप किसको एन्डोर्स कर रहे हो ?....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : देखिये, आप इस कन्ट्रोवर्सी में मत पड़िये ।

श्री रामनारायण डूडी : आप किसके बारे में कह रहे हैं ? आप इसको क्यों कोट कर रहे हो ? आप अपनी बात कहिये । क्या लेना-देना है आपको ? आप जिस गांव की बात कर रहे हैं वह मेरा गांव है और आप बार-बार उठकर जो फिजूल की बात कर रहे हो, ये बातें अच्छी नहीं है । यदि राजेन्द्रजी चौधरी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है तो, राजेन्द्रजी यहां बैठे हुए हैं, ये कह दें, खुला कह दें कि मेरे ऊपर अमुक आदमियों ने कातिलाना हमला किया है ।

एक माननीय सदस्य : आप क्यों बोल रहे हैं ? आपका नाम किसने लिया ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : मैं खुद बोल रहा हूं । मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आप ठहरिये....

श्री सभापति : कृपया माननीय सदस्य, विराजें । मैं इनको निवेदन कर रहा हूं । माननीय भाटीजी, मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आपके भाषण के दौरान आपको ध्यान नहीं रहा होगा, आपके 40 मिनट अब तक हो चुके हैं....

श्री रामनारायण डूडी : सभापति महोदय, मैं आपसे माफी मांगता हूं । यदि आप यह कहना चाहते हैं कि कातिलाना हमला हुआ है तो आप इस बात पर बहस करवाइये और विधान सभा की एक कमेटी बनायी जाए....

श्री सभापति : अब बाकी सबको बोलना है इसलिए आप कंक्लूड कीजिये और निवेदन यह है कि दूसरों के बारे में चर्चा नहीं करें, अपनी बात करें ।

श्री रामनारायण डूडी : जिसके अन्दर यह भी मिला लें कि जिस लड़के को, एक सैनिक को मारा है, उसके धारिया से चोटें आयी हैं । वह यहां बोल नहीं सकता ।

(श्री रामनारायण डूडी)

जिनके एफ.आई.आर. के अन्दर झूठे नाम दर्ज कराये हैं वे यहां बोल नहीं सकते। इसलिये कि हमें अधिकार है, इसलिये हम यहां कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं। आप पर हमला हुआ है आप बता दीजिये मगर यह बात बिलकुल असत्य है और जिन लोगों के एफ. आई. आर. के अन्दर नाम लिखाये गये हैं वह बैठकर एक कांस्पिरेसी करके लिखाये गये है, यह मैं कहना चाहता हूं। जो बातें यहां बार बार कही जाती है कि कातिलाना हमला हुआ है, इसको कहां से जोड़ रहे हैं वे ?

श्री सभापति : विराजिये। राजेन्द्रसिंह जी से सम्बन्धित जो बात कही गयी है वह कार्यवाही से निकाल दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, अभी सदन में स्वर्गीय मुख्य मंत्री, माननीय हरिदेव जी जोशी के बारे में उनके लिये माननीय शेखावत साहब के मुंह से + + + शब्द का प्रयोग हुआ है वह हमारे सबके लिये बहुत ही दुःखद है और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा हुआ भी नहीं है और कहा भी नहीं। किसी वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु के पश्चात उनके बारे में सदन में + + + शब्द आएं, यह हमारे लिये शर्मनाक है। इसलिये इनको कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : धन्यवाद। मैं भी यह निर्णय देने वाला था ये बीच में रुकते तो। कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तिवाड़ी साहब, अब आप मेरा मुंह क्यों खुलवाते हो ?

श्री सभापति : माननीय भाटीजी, इस प्रकरण में आप दुबारा नहीं आएं। जब उस वक्त भी कह दिया गया होगा तो निकाल दिया गया होगा। कार्यवाही में ये शब्द नहीं रह सकते। निकाल दिये जाने चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : निकालते हैं आप। घनश्याम जी को मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि क्या–क्या उन्होंने नहीं कहा, आपको याद है, आप पूछ लो अपनी आत्मा को। मेरे को दर्द हो रहा था।

श्री सभापति : मेरा नम्र निवेदन है कि करीब एक घण्टा होने आ रहा है, कृपया कन्क्लूड करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, एक घण्टे में तीस मिनट तो आपने (व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने टाइम लिख रखा है यहां पर। तीन बजकर चार मिनट पर आपने प्रारम्भ किया था अब चार बजकर नौ मिनट हैं। स्वयं देख लीजिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अब, सभापति महोदय, मैं आना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, मेहरबानी करके भू–माफिया को, अब तीन महीने रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, बड़े फस्ट्रेशन होंगे, बड़े डेस्परेशन होगी। दोनों तरफ होगी। दोनों तरफ यूं होगी कि जिस जिस कान्स्टीट्युएंसी में जो एम. एल. ए.

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

हारा है, वह सोचेगा कि अब मेरा क्या होगा। हां, जैसे आप हारे हैं ना, मुझे खुशी नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप वापस जीत कर आएं क्योंकि आप एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं और हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। पोलिटिक्स में हमें जरूरत है। पुलिस डिमांड पर मैं बोल रहा हूं। हमें जरूरत है कि आफिसर्स में कांफिडेंस आएं, एक सैल्फ कांफिडेंस रहे और आप अगर उनको टार्चर करोगे, आप अगर उनको यूज करोगे, सभापति महोदय, then you have experienced bureaucracy yourself.

श्री भंवरलाल शर्मा (जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : बाई कांग्रेस, दोनों तरफ से, आपके राज में थे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : दोनों तरफ, अब आपके साथ हैं। गलती उन्होंने यह की कि आपको ज्वाइन कर लिया। कुछ मिला नहीं।

देयरफोर, गृह मंत्रीजी, मेहरबानी करके, आपकी कितनी चले, कितनी नहीं चले मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेहरबानी करके भू-माफिया में किसी को टार्चर न करें। यह तो बिलकुल ही मत होने दो और जो बिजनैस कर रहे हैं, जो दोषी हो उनको आप बचाओ मत और जो दोषी हमारी तरफ के हो उनको भी आप ठोको। लेकिन यह नहीं हो सकता कि धर्मीचन्द जैन ने आपको प्लाट नहीं बेचा, गृह मंत्रीजी, धर्मीचन्द जैन को आप भू-माफिया कहते हैं। तीन महीने, तीन महीने को डबल करके 6 महीने जेल में टेक दिया। उसने क्या कसूर किया? उसने कसूर सिर्फ यह किया, गृह मंत्रीजी, कि आपने उसको एक क्रास चैक दिया था अमुक अमाउण्ट का और उसको आपने कैश नहीं होने दिया और आपने प्लाट भी दबा लिया। अब, गृह मंत्रीजी, मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है, मैंने तो इनको समझाने की अनेकों बार कोशिश कर ली भैरोंसिंह जी को, आपकी कसम, मजाक नहीं है ..

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : भैरोंसिंह जी को आप क्या समझाओगे?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : +++ .... (व्यवधान) .. अब भंवरलाल जी कहेंगे, नाम मत बताओ। मैंने मेरे बहनोई, आंग्रे साहब को कहा। आपके आर. एस. एस. के मैम्बर हैं, मेरे बहनोई हैं। मैंने उनको, वरिष्ठ आंग्रे साहब को कहा कि मेरी बोलचाल जसवन्तसिंह जी से कम ही है, पहले बड़े अच्छे और मधुर सम्बन्ध थे, इन्होंने जसवन्तसिंह जी की भी अक्ल गांठ ली। मुबारक हो इनको दोस्ती की। आंग्रे साहब को मैंने कहा कि इनको समझाओ। मतलब आज इस आदमी का पार्लियामेंटेरियन कैरियर, सभापति महोदय, मैं कहता हूं इट इज प्रशसनीय। He has been one of the best parliamentarians in the country. मुख्य मंत्रीजी के लिये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। पार्लियामेंटेरियन का मतलब यह नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर भी बैस्ट हो गये। इस गलतफहमी

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

में मत रहना। बैस्ट पार्लियामेंटेरियन का मतलब यह भी नहीं है कि आप करप्शन से बच जाओगे।

एक माननीय सदस्य : ये आ गये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ये तो आते ही रहेंगे। ये तो टोंक से वापस आ जाएं तो इनको बधाई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको निमन्त्रण है मेरा टोंक आने का।

श्री सभापति : अब कृपया समाप्त कीजिये। बाकी लोगों को बोलना है। रात के ग्यारह बज जाएंगे उनके लिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक-दो बिन्दु और, सभापति महोदय,

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कुछ गृह मंत्रालय पर तो बोलो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : गृह मंत्री जी, प्लीज आपसे रिक्वैस्ट है।

श्री सभापति : ओपनिंग बैट्समैन हैं इसलिए समय का ध्यान रखना पड़ता है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : गृह मंत्री जी और आप इनसे भी सीनियर हैं। हम तो चाहते हैं भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री बने रहें। हमें आठ-दस सीट और मिलेंगी इस असेम्बली चुनावों में। तो आप इनको हटाओ मत, हमें फायदा रहेगा लेकिन बुढापे में इनको कहो कि इनके जवांई साहब को समझा दो। राजनीति में, सभापति महोदय, अर्थशास्त्र में एक एडवाइज होती है। यह होती है एडवाइज कि दोस्त भले ही कम हों लेकिन दुश्मन अगर आपने ज्यादा कर लिये ना तो मालिक इनको खूब उम्र देवे भैरोंसिंह जी को, मैं तो कहता हूं ये 100 साल जिएं लेकिन जिस दिन यह कुर्सी से हट गये ना तो जवांई साहब के लोग कपड़ें फाड़ देंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपको फिक्र क्यों हो रही है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : फिक्र यह हो रही है कि जागीरदार और राजा-महाराजाओं की जमीनें नहीं रहीं। गृह मंत्री जी, राजा-महाराजा जो अहंकार में बैठे रहते थे ना

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिये। पुनः आप हरेक मामले के अन्दर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए समाप्त कीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्या आरोप लगाया मैंने ? राजा-महाराजाओं और ठाकरों की जमीनें भी एक लाइन से हट गयीं, गृह मंत्री जी आप उसके अनुभवी हो। एक जमींदारी एक्वीजिशन एक्ट आया और वह तलवार बताने वाले यहां एम.एल.एज आते थे ना 1952 में और जो इनको ग्रेटन करते थे when he was a very dynamic, young Jan Sangh member....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जागीरदारी उन्मूलन तो उन्होंने करवायी थी। जागीरदारी उन्मूलन के भैरोंसिंह जी पक्ष में थे। आप लोग उस समय जागीरदारों के पक्ष में थे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं नहीं था, कांग्रेस पार्टी नहीं थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप कांग्रेस पार्टी में थे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसलिये, गृह मंत्रीजी, इनको समझाओ।

अन्त में, अब मैं आप पर आता हूं। मेरा सुझाव है आपको, गृह मंत्रीजी, और आपके मुख्य मंत्री जी को, आप अनेक-अनेक जगह से भाषण ठोकते हो बार्डर पर स्मगलिंग हो रही है बहुत। वहां दिल्ली की मीटिंग में पधारते हैं, इंटरस्टेट मीटिंग्स में तो मुख्य मंत्रीजी भले ही कांग्रेस का राज था उस समय और अब वाजपेयी जी आ गये हैं तो I am sure कि उन्होंने जो पिछले 1952 से लेकर करीब 1970—72 तक जो मेहनत की, वह उनको अभी तक काम आ रही है। जब यहां बैठे रहते थे तो कोरा कागज लेकर, घनश्यामजी विटनेस हैं इस बात के, कोरा कागज लेकर खड़े हो जाते थे, कि मैं पढ़कर सुना दूं तो हमारे मंत्री भयभीत हो गये, नहीं-नहीं।

एक माननीय सदस्य : यह कारीगरी है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हां, कारीगरी है। आपको मुबारक हो यह कारीगरी लेकिन वह कारीगरी अब मुख्य मंत्री की सीट से अब नहीं करें क्योंकि हम अलाउ नहीं करेंगे। आपको भी अलाउ नहीं करना चाहिए, यह मेरी अर्ज है आपसे।

अब गृह मंत्रीजी, मेरा आप पर आरोप है और मुख्य मंत्रीजी पर आरोप है, मुख्य मंत्रीजी बार्डर की बात करते हैं, जैसलमेर कभी गये नहीं (व्यवधान).... जैसलमेर जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वे आ गये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वह तो इनको पधारना ही था। हमारे लंच क्लब के अध्यक्ष थे एक समय।

(16.00 बजे)

लेकिन, गृह मंत्रीजी, बार्डर पर आप कितनी बार पधारे? आप गृह मंत्री हैं राजस्थान के, आप बता दीजिये छाती पर हाथ धर के कि मैं इतनी बार गया, इस तारीख को गया। मैं अर्ज यूं कर रहा हूं कि आप अगर एग्जाम्पल सैट नहीं करोगे तो आपके जो डिपार्टमेंट के हैड हैं ना यह सिर्फ आपकी +++ यहां पुलिस हैड क्वार्टर पर करते हैं। सैक्रेटेरियट तक काट लेते हैं चक्कर। आपके डी.आई.जी. नार्म्स के तहत ट्यूर नहीं करते, आपके एस.पीज नार्म्स के तहत आउट स्टेशन ट्रिप्स नहीं रखते। टी ए., डी.ए. बना लेते हैं। भले ही जेनुअनली बनाते हों लेकिन आपने दौरा ही नहीं किया तो आप टी.ए., डी.ए. कैसे उठा रहे हो? छोटी सी बात है लेकिन करप्शन वहीं से शुरू होता है। क्योंकि स्टेनो को पता है, पी.एस. को पता है कि एस.पी., डी.जी., या आई.जी. साहब ने टी.ए., डी.ए. उठा लिया, वह भी मौज-मस्ती करेगा।

अब एक प्रथा और लाइये आप और आपके मुख्य मंत्रीजी। तीन महीने रह गये

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

हैं। सुचारू रूप से इस सरकार को चलाइये, ग्रोनेस्टली चलाइये। जो पाप पहले किये थे, हम दोहराते हैं ग्रापको कि चलो आपको छोड़ा, ग्रब तो मत करो....

श्री सभापति : माननीय भाटीजी को धन्यवाद। मैं दूसरे का नाम बुला रहा हूं। धन्यवाद। माननीय श्री शांतिलाल जी खोईवाल।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, ग्रापने मुझे समय दिया, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान).... **Please do not intervene. It is not warranted from your side.** ग्राज मांग संख्या 16 पुलिस विभाग ग्रौर मांग संख्या 17 कारागार विभाग पर इस हाउस में चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय, मैं जिस विषय पर ग्रपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं, मुझे पिछले नौ साल से इस हाउस में बैठने का मौका दिया मेरे क्षेत्र की जनता ने, लेकिन उस विषय पर सामान्यतः किसी के द्वारा चर्चा की हुई मुझे ग्रहसास नहीं हुई ग्रौर वह है कारागार विभाग। इसका सीधा-सीधा मतलब यह निकलता है कि कारागार विभाग पर माननीय सदस्यों का चिन्तन बहुत अधिक नहीं है या उसके बारे में ज्यादा वह चाहते नहीं हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण ग्रापके समक्ष है, माननीय भाटीजी ने एक घंटे से भी ज्यादा समय तक भाषण दिया ग्रौर कारागार विभाग के बारे में एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। यह तो एक उदाहरण है लेकिन सामान्यतः मैं 9साल की बात कह रहा हूं। इस बात को कहने का मेरा आशय यह है कि मुझे ग्रपनी बात कहने के लिए ग्राप पर्याप्त समय देंगे, इस तरह की मुझे उम्मीद है।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में राजस्थान प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां कारागार विभाग ग्रपने क्षेत्र में ग्रपनी हैसियत रखता है। रिफोर्मेटिव एक्टिविटीज, कल्याणकारी गतिविधियां इतनी ज्यादा हैं कि यदि बाहरी व्यक्ति उन गतिविधियों के बारे में जानकारी ले तो शायद उसकी भी तबियत होती होगी कि काश इस तरह की गतिविधिया बाहर भी हों। सभापति महोदय, इसी धारणा को मद्देनजर रखते हुए ग्रौर जिस तरह की एक्टीविटीज कारागार विभाग में संचालनरत है, 1977 में जब जनता रेजीम शासन में ग्रायी, जनता पार्टी शासन में ग्रायी ग्रौर 1978 में जस्टिस कृष्णा ग्रय्यर, जज ग्राफ सुप्रीम कोर्ट ने सैन्ट्रल जेल, जयपुर का निरीक्षण किया तब उनके आब्जर्वेशन इस तरह के थे The management and activities of this prison are ahead in the rest of the country. इसका मतलब यह है कि पूरे देश में राजस्थान के कारागार विभाग का संचालन एक नम्बर पर है ग्रौर जब 1978 में साल भर बाद फिर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने सैन्ट्रल जेल, जयपुर का निरीक्षण किया तो उन्होंने फिर एक लाइन में ग्रपना सारा इंस्पेक्शन नोट लिख दिया- The observation made by me last year, I still stand on. मतलब यह है कि जिस स्टेट में कारागार संस्थाग्रों की एक्टिविटीज इतनी

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

अच्छी हों, व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हों लेकिन हाउस इसके बारे में ज्यादा चिन्तन नहीं करे, चर्चा नहीं करे, हो सकता है सारी चीजें अच्छी नहीं हो सकती। हर काम में सुधार की पोटेंशियलिटी रहती है, स्कोप रहता है। उस स्कोप और पोटेंशियलिटी के बारे में इस हाउस में कभी चर्चा नहीं हुई।

आज कारागार की स्थिति यह है कि खुले शिविर हैं। खुले शिविर में अच्छे आचरण के बंदियों को भेजा जाता है और उनको अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलता है। अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मेहनत मजदूरी करके अपने स्तर पर आजीविका कमाने का मौका मिलता है। यह राजस्थान के कारागार विभाग की देन है। आज कारागार विभाग में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। कारागार विभाग में राजस्थान स्टेट स्तर के टूर्नामेंट आयोजित किये जाते हैं। अन्य प्रदेशों को भी राजस्थान की एक्टिविटिज से प्रेरणा मिलती है और यहां के बाद वहां भी इस तरह की एक्टिविटीज को संचालित करने की जो उन्होंने प्रेरणा ली हैं, यह राजस्थान सरकार की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है।

यही नहीं आज शिक्षा की दृष्टि से हमारा सोच यह बना है कि इस प्रदेश के सारे लोग शिक्षित हों या नहीं हों लेकिन साक्षर जरूर हो जाएं, अपने हस्ताक्षर कर लें। छोटी-मोटी किताबों की पढ़ाई-लिखाई कर लें। यह अपना सोच विकसित हुआ है और मैं राजस्थान सरकार और मुख्य मंत्री जी का इस बात के लिये आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजसमंद और झुंझुनूं को अनिवार्य शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये चयन किया है। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि राजस्थान कारागार में भी बंदियों को जो इनमेट्स हैं जेलों में उनको भी हर व्यक्ति को यह कम्पलसरी कर दिया कि कम से कम वह साक्षर हो जाएं और अपने यहां जो चिट्ठियां आएं अपने परिवारजनों की वह स्वयं पढ़ लें और अपने परिवारजनों को चिट्ठी लिखते समय कारागार में क्या हो रहा है उसके बारे में अभिव्यक्ति व्यक्त करें।

यही नहीं जो काम-काज किया जाता है, कारागार में जो उनसे काम लिया जाता है उनके पेटे में मजदूरी दी जाती है और उस मजदूरी को वह अपने घर पर अपने परिवारजनों की उदर पूर्ति के लिए भेजने के लिये वह स्वच्छंद है। वह पैसा भी कारागार विभाग अपने परिवार के लिये रेमिट कर सकता है, भेज सकता है। यह सारी चीजें इसलिये हैं कि रिफोर्मेटिव एक्टिविटीज, करेक्शनल एक्टिविटीज, सुधारवादी रवैया इसको अपनाने से यहां बहुत ज्यादा स्कोप है इन सारी एक्टिविटीज के लिए जो इन संस्थाओं को संचारित करते हैं, सभापति महोदय, उनको इनके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन जिस कारागार विभाग का इस तरह का इतिहास रहा हो और उस कारागार विभाग के आला अफसर इस तरह के विभागों से पदस्थापित कर दिये जाते हैं कि उनको करेक्शनल एक्टिविटीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

इनको रिफोर्मेटिव एक्टिविटीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दुर्भाग्य से आज तो महानिरीक्षक कारागार के पद पर पुलिस का अधिकारी बैठा रखा है। माफ करें मुझे गृह मंत्रीजी, पुलिस के ऐसे अधिकारी को आम तौर से बैठाने की प्रथा हो गयी है जो अधिकारी पुलिस विभाग में अपने आपको एडजस्ट नहीं कर पाता है उसको वहां पदस्थापित किया जाता है और उस पदस्थापन से आप अन्दाज लगा सकते हैं कि कितनी इच्छाशक्ति होगी उसमें काम करने की? करेक्शनल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिये किस तरह की वह मेहनत करेंगे। यह मेहनत करने का तो एक आपसे पास नमूना है कि कारागार विभाग का जो आय-व्ययक का यह विवरण प्रस्तुत किया है, यह सात पेज का स्टेंसिल कटवा कर हमारे सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिया है। मेहनत नहीं की यहां तक कि जो बजट प्रावधान रखा जाता है कारागार विभाग में उसका सदुपयोग करने, उपयोग करने का भी उन अधिकारियों को समय नहीं मिलता... प्लीज, आप मेरी बात सुन लीजिए। वह करेक्शनल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिये अच्छे अधिकारी जो इसमें इंट्रेस्टेड हों, विभागीय अधिकारी जो प्रशिक्षण प्राप्त हों, ऐसे अधिकारियों का पदस्थापन होना निहायत जरूरी है। तभी इस स्तर को मेन्टेन किया जाना सम्भव है।

सभापति महोदय, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आधुनिकीकरण के लिये 1997–98 में 30 लाख रुपये, छोटा महकमा है छोटी राशि होती है कोई खास बात नहीं, 20 लाख रुपये का कांट्रीब्यूशन सेन्ट्रल गवर्नमेंट का और 10 लाख रुपये का स्टेट गवर्नमेंट का। महानिरीक्षक, कारागार अपनी रिपोर्ट में यह एडमिट करते हैं क्योंकि मार्च, 1998 में यह स्वीकृति आयी है इसलिए इसका उपयोग नहीं हुआ। अब बताइये, दूसरे बजट का उपयोग तो करना ही करना है, वेतन देना ही देना है, बंदियों को भोजन की व्यवस्था करनी ही करनी है और रख-रखाव की व्यवस्था, कपड़े-लत्ते की व्यवस्था करनी है उनको नंगे रखना तो सम्भव है नहीं। लेकिन जो एक्सट्रा एक्टिविटीज, जो सुधारवादी तौर तरीके जरूरी है उस तरीके का चिंतन आज कारागार विभाग में बैठे हुए अधिकारियों का बिलकुल नहीं है इसका मुझे बड़ा खेद है। मुझे खेद इसलिए है कि 14 वर्ष पहले मुझे भी कारागार सेवा करने का मौका मिला, उसी समय जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस तरह के आब्जर्वेशन इंस्ट्रेक्शन में दिये थे। आज मैं चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटिज मेनटेन हों और प्रशिक्षणशुदा अधिकारियों का पदस्थापन वहां पर हो और वह अधिकारी इस कारागार की एक्टिविटिज को और आगे बढ़ाए।

सभापति महोदय, इसी तरह से अस्पताल और भवन निर्माण के लिये भी जो पैसा मिला है, लगभग 56 लाख रुपया, उसका भी इस विभाग ने उपयोग नहीं किया। वह उपयोग करते भी कैसे? एक आर.ए.एस. अफसर बैठा रखा है, एक स्टेट कैडर का पुलिस अफसर बैठा रखा है और एक आई.पी.एस. कैडर का अधिकारी

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

महानिरीक्षक पद पर बैठा रखा है। ऐसी स्थिति में इन लोगों से करेक्शनल एक्टिविटिज, वैलफेयर एक्टिविटिज, सुधारात्मक दृष्टिकोण और आगे बढ़ाएं, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो भी एक्टिविटिज इस समय चल रही हैं, जिस समय कारागार विभाग में विभागीय अधिकारी इंचार्ज हुआ करते थे उस समय की देन हैं और उसको थोड़ा–थोड़ा मेनटेन कर रखा है लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश में राजस्थान के कारागार विभाग की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में बेहतर है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध यही है कि इस विभाग के बारे में कोई भी व्यक्ति सोचे कि इसमें तो सारे के सारे क्रिमिनल हैं, यह बात सही है कि क्रिमिनल हैं इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन वह क्राइम किन परिस्थितियों में करता है इसके बारे में लोगों को चिन्ता करनी चाहिए, चिन्तन करना चाहिए। सभी व्यक्ति प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते। मुश्किल से एक परसेन्ट व्यक्ति ही प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं, 99 प्रतिशत प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते हैं। किसी ने किसी के थप्पड़ मार दी, मौत हो गयी। ऐसे सेंसेटिव पार्ट पर लग गयी और वह 302 का केस बन जायेगा और 14 वर्ष तक वह जेल में सजा भुगतेगा। किसी की आपस में कहासुनी हो गयी, झगड़ा हो गया, उसमें कई तरह के सेक्शंस लग जायेंगे और उसको जेल भुगतनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति से उनको मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें सुधरने का पूरा मौका दिये जाने के लिए प्रशिक्षण शुदा अधिकारियों के पदस्थापन की आवश्यकता है। इसलिए यदि प्रशिक्षण शुदा अधिकारियों का पदस्थापन नहीं होता है तो जो कुछ अभी तक हुआ है वह सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। मुझे इस विभाग के बारे में इतना ही निवेदन करना था।

अब मैं मांग संख्या–16 पुलिस विभाग के बारे में अपनी बात कहूंगा। पुलिस महकमा बड़ा विचित्र है। इनको नाना प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। आज कहीं मेला लग रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी, आज कहीं वी.आई.पी. का दौरा हो रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी, छात्रों की परीक्षाएं हो रही हैं तो वहां भी पुलिस की आवश्यकता होती है नाना प्रकार के कामकाज जिसका सीधा पुलिस से कोई ताल्लुकात नहीं है, सम्बन्ध नहीं है वहां पर पुलिस को अपनी ड्यूटियां अंजाम देनी पड़ती हैं और ऐसी स्थिति में हम उनसे इतनी अपेक्षाएं कर लें कि सारा अलादीन का चिराग जलाकर सारा का सारा कामकाज कर लेंगे क्योंकि प्रतिपक्ष के वक्तागण अभी पुलिस के कामकाज की खामियों के बारे में, माननीय भाटी जी ने अपनी बात कही थी। इसी तरह अब बोलने वाले माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय गृह मंत्री जी से कि इस महकमे को चुस्त बनाने के लिए, आधुनिकीकरण में किसी तरह की कमी नहीं रखें। इनको जितनी सुख–सुविधाएं देनी हों वह सुख-सुविधाएं दे, इनको ज्यादा एक्टिवेट करें और इनसे 8 घण्टे से ज्यादा की ड्यूटी नहीं लें। इनको 24 घण्टे पुलिस को कामकाज करना पड़ता है। विभिन्न तरह की ड्यूटियों को अंजाम देना पड़ता है। वह ड्यूटी मैं समझता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं कर

(149)

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

सकते हैं, 24 घण्टे की ड्यूटी । ऐसी स्थिति में इनकी ड्यूटी के, कामकाज के सम्बन्ध में भी कहीं न कहीं एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए ताकि यह अपनी एफिशिएंसी अपने स्तर पर प्रदर्शित कर सकें । यह बहुत जरूरी है ।

हमारे स्टेट के अधिकारी प्रशिक्षण के लिए अन्य देशों के पुलिस अधिकारियों के साथ हर वर्ष बोस्नियां जाते हैं । वहां जिस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो मुझे जानकारी मिली है हो सकता हैं यह बिलकुल सत्य नहीं हो, लेकिन असत्य भी नहीं होगी, अधिकारी, पुलिसकर्मी 8 घण्टे से ज्यादा ड्यूटी नहीं देते और 8 घण्टे जो पुलिसकर्मी ड्यूटी देगा वह निश्चित रूप से सही तौर-तरीके से देगा, नतीजतन ड्यूटी देगा और जो पुलिस से अपेक्षाएं हम करते हैं उन अपेक्षाओं के प्रति वह खरे उतरेंगे । आप एक कांस्टेबल को कहिये सुबह यूनिफार्म पहनेगा और रात को 12 बजे तक उस यूनिफार्म में अटका रहेगा, न आराम से बैठ सकता है, न आराम से सो सकता है, न भोजन कर सकता है आराम से और न ही अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है । ऐसी स्थिति में उनसे हम यह उम्मीद करें कि पुलिस विभाग सारे के सारे कामकाज कर दे, पुलिस विभाग अच्छे नतीजे दे दे । फिर प्रतिपक्ष के नेता, वक्तागण जिस तरह विचार व्यक्त करते हैं कि पुलिस में ये खामियां हैं, यह गलती कर दी, वह गलती कर दी, मैं समझता हूं यह अवसर नहीं मिलेगा । इसलिए पुलिस में सुदृढ़ीकरण करना बहुत जरूरी है । ड्यूटी के समय निर्धारित करना भी बहुत जरूरी है । इनको खास एक्टिविटिज में लिप्त करने के लिए सुख-सुविधाएं देना जरूरी है । यह सारी बातें होने के बाद जो हमारी अपेक्षाएं होंगी पुलिस से, मैं समझता हूं वह अपेक्षाएं पूरी की पूरी मिल जायेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है । सभापति महोदय, कई बार सभी तरह के अच्छे अधिकारी होते हुए भी विभाग की मंशा अच्छी होते हुए भी कुछ अधिकारी इस तरह के होते हैं जो पुलिस विभाग के क्रिया-कलापों को बदनाम करने में तुले हुए हैं । मैं सभी अधिकारियों की बात नहीं करता । इसके लिए मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा भंवराराम पुत्र दल्लाराम, निवासी सोनायवाला, तहसील पाली, राजस्थान इसने एक एफ.आई.आर. राजनगर थाने में 17/98 दर्ज करायी और वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है । उसने राजसमन्द में जिला कलेक्ट्रेट के पास गीता भवन निर्माण के लिए जमीन खरीदी ।

जमीन खरीदने के बाद उसके कन्वर्सन के प्रार्थना पत्र नगरपालिका और एस. डी. एम. को दिये । स्थिति उसकी कन्वर्ट करने जैसी आ गयी लेकिन वह जमीन इतनी कीमती है कि उसके पास वाले खातेदार ने, जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से जमीन खरीदी थी, उसने देखा कि यह जमीन तो बहुत कीमती है यह जमीन है राजनगर में और रहने वाला पाली जिले का है इसलिए इस जमीन को येनकेन प्रकारेण अपने कब्जे में ले लेना चाहिए । आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि दल्लाराम को उसके गांव के एक वर्ग विशेष के लोग गये, फरार करके लाए, जबर्दस्ती उसको जीप में बैठाकर लाए, उसको यह कह करके जीप में बैठाया कि तेरी घास बहुत है, हम घास खरीदना चाहते हैं । बैठाने के बाद

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

राजसमंद लाकर कल्ला खेड़ी ले गये और वहीं के भीमसिंह नाम के व्यक्ति ने अपने मकान में रखा। जबर्दस्ती उसको डराया-धमकाया और मारने की तड़ी दी और उससे कहा कि अब तुझे कुछ नहीं बोलना है, यह रजिस्ट्री करवानी है, सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो तुझे जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। एक पैसा नहीं दिया, सभापति महोदय, और इसकी एफ. आई. आर. दर्ज करायी तो पुलिस ने इसमें कोई इमदाद नहीं की आज दिन तक। छह महीने हो गये हैं, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है यह बात कहते हुए, बड़ी पीड़ा है मुझे। यही बात नहीं जो भू-माफिया ग्रुप इसमें इन्वाल्वड हैं उसने एक जगह इस तरह के कृत्य नहीं किये हैं, देवाणा में स्कूल की जमीन को हड़पा है। एक गैंगसा मार्बल फैक्ट्री का जो क्रय किया था उसमें भी, उनको डरा-धमकाकर जबंदस्ती रजिस्ट्री कराने का, तो यह उनका धन्धा है।

सभापति महोदय, मेरा मकसद इसके पीछे यह है कि इस तरह के माफिया ज्यादा डवलप नहीं हो और उस क्षेत्र को बिगाड़े नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध हैं कि जो जांच वहां के अन्वेषण अधिकारी कर रहे है वह बिलकुल बायस्ड है, उन्होंने 40 हजार रुपये भंवराराम नामक व्यक्ति से इस बात के लिए थे कि यह जमीन बड़ी कीमती है, इसकी रजिस्ट्री करा दो फिर वापस तुम्हारे नाम कर देंगे। जब मैंने वे 40,000 रुपये वापस भंवराराम के आदमी को दिलाने के लिए अधिकारी को मजबूर किया तो उस अधिकारी ने इस सारे प्रकरण को मटियामेट करवा दिया। पिछले सात साल में सभापति महोदय, रिश्वत के रूप में साढ़े 14 लाख रुपये विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों ने लिए थे, मैंने वह वापस लोटाने की व्यवस्था की थी लेकिन आम सूरत यह बनी हुई थी कि यह आदमी यदि रिश्वत का पैसा वापस लौटवा देता है तो काम भी हाथ का हाथ जायज काम करवा देता लेकिन इस काम में उस हिम्मत वाले अधिकारी ने रोड़ा अटका दिया और जानबूझकर इस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

(16.24 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

अब 161 के बयानात जिस अधिकारी ने इसके बारे में लिए थे, 161 के बयानात पर कोई हस्ताक्षर तो होते नहीं, जब हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो वह अपनी मर्जी से कलमबंद कर लेता और वह इस तरह पूरे प्रकरण को संधारित करेगा कि इसमें जो भी रजिस्ट्री करवायी है उसने अपनी स्वेच्छा से करवायी है, मेरा कहना यह है कि दल्लाराम ने बार-बार स्टेटमेंट दिया है, लिखित स्टेटमेंट दिया है, लेकिन वह स्टेटमेंट 161 में कुछ और तरीके से संधारित करके प्रस्तुत किया जाता है जिसके कारण वह कहते हैं कि वह तो सही हुई है, यदि सही होती तो इस तरह की परेशानी नहीं होती।

इस प्रकरण में मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस प्रकरण को स्वयं देखें और किसी उच्च अधिकारी से जांच कराएं अन्वेषण कराएं और सही दूध का दूध, पानी का पानी, कर न्याय दिलाएं और अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

जमीन है, उस जमीन को उसको स्वयं को वापस लौटवाएं, यही मेरी गुजारिश है माननीय गृह मंत्रीजी से, यदि ऐसा नहीं होगा तो लोगबाग इस तरह की एक्टिविटीज में और लिप्त होना प्रारम्भ हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण को गम्भीरता से देखें। जिस अधिकारी ने यह अन्वेषण किया है, छह महीने तक फाइल को अपने पास लिये बैठा रहा जानबूझकर इस उम्मीद में कि मुझे बहुत बड़ी राशि मिल जाए। यहां तक कि इसमें सब रजिस्ट्रार भी लिप्त है, सब रजिस्ट्रार लालसिंह देवड़ा, जिसने छह तारीख को रजिस्ट्री की इसकी और वहां तहसीलदार का पद और सब रजिस्ट्रार का पद अलग-अलग है। उन दिनों तहसीलदार अवकाश पर थे, सब रजिस्ट्रार के पास तहसीलदार का चार्ज भी था, तहसीलदार की हैसियत से उन्होंने आठ तारीख को म्यूटेशन ही खोल दिया, इतनी जल्दी म्यूटेशन खोलने की कहां जरूरत पड़ रही थी? लेकिन उसको मालूम था कि यदि इसमें देरी की गयी तो कहीं न कहीं से व्यवधान पैदा हो जाएगा, ऐसी स्थिति में मेरा गृह मंत्रीजी से यह निवेदन है कि वे इस प्रकरण को अपने स्तर पर देखें और उच्चाधिकारियों से जांच कराएं। वहां के सारे अधिकारी इस प्रकरण में लिप्त है इसलिए उच्च अधिकारियों से इसकी जांच कराएं और जांच कराकर अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की जमीन जो हड़पी जा रही है, यद्यपि वह जमीन किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम से ही उन भू–माफिया ने खरीदी है क्योंकि आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की जमीन अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति के नाम से ही ट्रांसफर हो सकती है, दूसरा सवर्ण जाति का व्यक्ति इसको परचेज नहीं कर सकता। आप जांच की बात करें तो जिस कल्ला खेड़ी में उसको जिस मकान में रखा गया था वहीं पर उसके फोटो भी खिचवाए थे, क्रेता के फोटो भी वहीं खिचावाए थे और विक्रेता के फोटो भी वहीं खिचवाए थे। 50–50 हजार रुपये में दो रजिस्ट्रियां टुकड़ों में करवायी थी। सिर्फ 50–50 हजार रुपये ही इसमें दर्शाए थे जबकि वह जमीन बड़ी कीमती है। इसमें यह भी स्पष्ट है लालसिंह देवड़ा, सब रजिस्ट्रार, वह भी इस कुकृत्य में लिप्त है इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो–जो भी व्यक्ति इस प्रकरण में लिप्त है उनके खिलाफ कार्यवाही करें, उचित जांच करें और जांच करने के बाद यह तय करें कि किस तरह भू–माफिया ग्रुप इस तरह की एक्टिविटीज में लिप्त है। मैं इतनी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं पुलिस की डिमाण्ड में अपनी भागीदारी करते हुए आपके माध्यम से हमारे गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पुलिस की जो कार्यवाही सारे राजस्थान में चल रही है। उससे मेरे ख्याल से न तो इधर के और न उधर के विधायक प्रसन्न है। हर सेशन में, इन चार, साढ़े चार सालों में जितने भी सेशन हुए, हमने देखा है कि तमाम तरफ से, इधर से भी अभी कोई खोईवालजी बोल रहे थे। पहले उन्होंने पुलिस की तारीफ की, मैं भी पुलिस की तारीफ जरूर करूंगा और उसके

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

साथ उन्होंने कहा कि कहीं-कहीं केस दर्ज नहीं हुए। ऐसी घटनाएं नहीं घटे, इस बात का प्रबन्ध हमारे गृह मंत्रीजी को करना चाहिये। समय रहते अगर हम नहीं चेतेंगें तो कोई वक्त ऐसा आ जाएगा कि गृह मंत्रीजी की बात भी कोई पुलिस वाला नहीं मानेगा। अगर आपने लगाम इतनी ढीली छोड़ दी, यह तो अरबी घोड़े हैं, अगर अरबी घोड़े पर आपको सवारी करनी आती है तो वह सवार को बहुत मजा देता है, पहले वह कोशिश करता है, कूद-काद कर गिराने की। अगर गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी मेरी बात सुन रहे हो तो राजस्थान की इस वक्त हालत बहुत नाजुक है। खासकर गृह मंत्रीजी आपका जो विभाग है। 3–4 महीने आपके चुनाव में रह गये, आप मुस्तैदी से जीत जाएंगे ऐसी आशा है लेकिन आप इस तरह करोगे तो इन चार महीनों में कहीं न कहीं कष्ट भी आपको पाना पड़ सकता है। अगर आप स्थिति को सुधार लें।

आज राजस्थान की वह हालत है मेरा ख्याल है ऐसी किसी प्रदेश में नहीं हैं। हम कभी सुना करते थे यू.पी., पंजाब, बिहार, हरियाणा के लोग हमें मिसाल दिया करते थे। हम कहते थे कि राजस्थान में तो कोई ऐसी बात नहीं, राजस्थान की पब्लिक भी बहुत अच्छी है और राजस्थान की पुलिस का भी कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन धीरे–धीरे यह स्तर गिरता जा रहा है। उस स्तर को गिराने के जिम्मेदार हम लोग है, केवल अधिकारी ही नहीं हैं, कर्मचारी नहीं हैं, इसमें हमारा योगदान ज्यादा है। मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आप लोग समय रहते राजस्थान की जनता का हित चाहते हैं तो गरीबों के साथ, हरिजनों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, हमारे गंगानगर में कम से कम 14 बलात्कार के केस हुए और 15–15 दिन तक 16 साल की बच्ची का डाक्टरी मुआयना नहीं। मेरे प्यारे गृह मंत्री महोदय, 16 दिन तक हमारी 16 साल की हरिजन गरीब बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और प्यारासिंह थानेदार, ए. एस. आई. प्यारासिंह, डी. आई. जी. को मैंने शिकायत की। डी. आई. जी. साहब वहां पधारे थे। मैंने उनसे निवेदन किया। उन्होंने मेरी बात बड़े प्यार से सुनी, लेकिन शायद वह व्यस्त हो गये और वह बात उनके दिमाग से निकल गयी। इसी प्रकार केसरीसिंहपुर के अन्दर 19 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, इसी तरह घड़साना के अन्दर 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, इसी तरह गंगानगर के अन्दर लालगढ़ थाने के अन्दर एक ब्याही हुई लड़की के साथ बलात्कार। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आखिर हम प्रदेश को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आखिर यह क्यों हो रहा है? रोज इस तरह बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही है? इस हाउस में बलात्कार को डिसकस करना पाप होना चाहिए। एक भी केस इस तरह का नहीं आना चाहिए। हम सबको शर्म आनी चाहिए। हमारी बहू–बेटियां, हमारी बच्चियां जब अखबार में रोज पढ़ती है कि फलानी जगह बलात्कार हो गया और हम यहां भाषण देकर चले जाते हैं और इसके ऊपर हम गम्भीरता से नहीं सोचते। हम इधर बोल लेते हैं, आप सुन लेते हैं और लिख लेते हैं तथा वहां पुलिस को दो

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

चिट्ठियां भेज दी या कोई फैक्स भेज दिया। लेकिन इससे इस बात का निर्णय होने वाला नहीं है।

माननीय गृह मंत्री जी, जब आप वहां पधारे थे तो आपके सामने कई लोग पेश हुए। कितने लोगों ने दुहाई दी, आपने कितने लोगो को विश्वास दिलाया, उसमें कुछ काम भी हुए, मैं यह नहीं कहता कि सारे काम ही आपने नहीं किये। लेकिन उनमें कई महत्वपूर्ण मामले थे हरिजनों के, वह मामले आपके समक्ष विचाराधीन है अभी। उनके ऊपर पुनर्विचार कीजिए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

प्रताप मार्केट, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर सरेआम 40–40 दुकानों में एक दिन में चोरी हो गई और उसका पता नहीं चला। यह कितने जुल्म की बात है। नोहर के अन्दर भी इसी तरह का मामला हो, श्रीविजयनगर में इसी तरह का मामला हो तो क्या हम इसको राज कहेंगे? यह राज नहीं है। अगर राज कहना है तो राज तो लोगों की सुरक्षा करना है। लोगों के मन में यह भावना होनी चाहिए कि यह हमारी सरकार है। यह भावना कौन पैदा करेगा? आप और हम सब मिलकर करेंगे। हो सकता है कई जगह हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हों, क्योंकि एक मिनट में कोई डकैत, कोई चोर, कोई जेबकतरा पकड़ा जाता है तो राजनैतिक लोगों के टेलीफोन खड़कते हैं और पुलिस अधिकारी थोड़ी देर हल्ला करते हैं फिर छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो फिर हम यहां चिल्लाते हैं। पब्लिक को इससे कोई लाभ नहीं मिलता। आप इस बात का प्रबन्ध कीजिए कि नाजायज कोई व्यक्ति नहीं फंसे और जो कोई इस तरह की घटना करता हो, फिर उसके लिए चाहे मुख्य मंत्री कहे, चाहे गृह मंत्री कहे वह नहीं छूटना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। वह व्यवस्था हमारे राज में नहीं है।

सभापति महोदया, गंगानगर में भारी पुलिस बल तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में रहते हुए पैट्रोल पम्प मालिक धर्मचंद नागपाल से 50 हजार रुपये छीन लिए गए। यह अभी की ताजी घटना है और वह भी शाम के सात बजे। पुलिस वाले पीछे भागे भी, लेकिन चोर गोली चलाकर निकल गए। यह कितने कष्ट की बात हैं। पब्लिक को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस तरह हम कैसे कहेंगे कि हमारा राज ठीक है। गृह मंत्री जी इस बात को नोट कीजिए। यह चोरी मिलने वाली है। यह डकैती है। सरेआम स्कूटर पर आए। आपके पास रिपोर्ट होगी, क्योंकि यह हफ्ते–दस दिन पहले की बात है। आई. जी. साहब मीणा जी वहां मौजूद थे, डी. आई. जी. मौजूद थे, पुलिस बल वहां मौजूद था, उनकी देखरेख में इस तरह की घटना हुई।

4 जून की रात को एक पत्रकार रामकुमार तंवर के भाई और शंकर शर्मा की चाकुओं से हत्या कर दी गई, रौंद दिया गया। आज तक कातिल का पता नहीं चला। पुरानी आबादी में एक महीने में कम से कम चार कत्ल हुए। एक भी कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। इससे ज्यादा पुलिस की नाकामयाबी और क्या होगी? यह बात बिलकुल दुरुस्त है कि

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हमारे पुलिस अधिकारी बाकी जगहों से बहुत अच्छे हैं, कर्मठ हैं, जो भी ड्यूटी इनके जिम्मे लगती है उसको पूर्ण रूप से निभाते हैं, लेकिन जब हम खुद राजनैतिक लोग उनको प्यादे की तरह नचाते हैं तो फिर वह कार्य बीच में अटक जाता है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से बार–बार हाउस से प्रार्थना करना चाहता हूं और खासकर गृह मंत्रीजी से कि आपको इस मामले में गम्भीरता बरतनी चाहिए। आप एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाकर राजस्थान का पूरा नक्शा लेकर कि कहां क्या हो रहा है, क्यों घटनाएं हो रही है, इसके लिए क्या कारण है, उसकी मूल जड़ के अन्दर जाना चाहिए। जब तक आप जड़ में नहीं जाएंगे तब तक यह कार्य डे-बाई-डे बढ़ता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि न आपकी डी. जी. मानेगा, न डी.आई.जी., न एस.पी. और न पुलिस का एक कांस्टेबल। ऐसा वक्त आ रहा है। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, राजनैतिक द्वेष से मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ इन चार सालों में कम से कम 20 केस लगाए गये। आज सुबह की घटना बताता हूं। गृह मंत्री महोदय गौर से सुनिये, आंख से आंख मिलाकर बात कीजिये। आज सुबह 5 बजकर 48 मिनट पर राधेश्याम, आपके भाई के टेलीफोन आता है कि मैं सी. एम. हाउस से बोल रहा हूं। हालांकि यह बिलकुल गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। कहा मैं सी. एम. हाउस से बोल रहा हूं, आप यह खींची-बींची और किसानों के मामले उठाते हो, क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। यह बात मुझे यहां नहीं कहनी चाहिए थी, मेरी भी आत्मा नहीं मानती, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मैंने इसलिए बताया है कि एक्सचेंज के अन्दर टेपरिकार्डर लगा हुआ है। जिस समय जिस टेलीफोन पर वार्ता होती है वह उस एक्सचेंज में टेप हो जाती है। कृपया आप इसका पता लगाएं और कल तक सदन को बताएं कि वाकई जो राधेश्याम ने वाकया कहा है वह सही है, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। अगर सी. एम. हाउस से टेलीफोन आया है तो मुझे मेरी जान का खतरा है और मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ है। जिस बदमाश ने ऐसा किया है उसको पकड़ना चाहिए, उसको धमकाना चाहिए। मैं नींद में एकदम हड़बड़ाकर उठा मैंने कहा इस तरह की बात कैसे हुई? माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे खिलाफ जो कुछ भी किया है राजनैतिक तौर पर, मैं उनको बिना नोटिस दिए कोई भी सदन की परम्परा नहीं तोड़ूंगा, मैं नोटिस देकर अपनी बात कहूंगा, बहुत लम्बी बात है। उसको मैं इस पुलिस डिमाण्ड के साथ नहीं जोड़ना चाहता। मैं ऐसे तरीके से आपके सामने सत्य बात रखूंगा और ऐसी–ऐसी चीजें पेश करूंगा कि इस तरह बड़े पद पर बैठे हुए राज्य के मुख्य मंत्री इस तरह से लोगों से बदला लेने की भावना रखें वह राज कभी चल नहीं सकता। इस राज का अन्त होने वाला है।

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : श्री अर्जुनदास मदान।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाना है, क्या आपकी सहमति है ?

(**स्वीकृत**)

सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया गया।

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : आदरणीय सभापति महोदया, अभी जिस विषय पर परिचर्चा चल रही है मैं अपने आपको केवल मात्र किन्हीं और सीमाओं से परे लांघकर पहले तो उन बातों का जवाब देना चाहूंगा जो समय-समय पर मैंने सुनी। बजट की बात चली तो यह कहा गया कि बलात्कार हुए। उससे पहले भाटी साहब बोले तो बलात्कार हुए। मेरे आदरणीय और बराबर के मेरे भाई गंगानगर से पधारने वाले राधेश्यामजी बोले तो उन्होंने कहा कि बलात्कार हुए। मैं छोटा-सा एक निवेदन करना चाहूंगा कि क्या पुलिस कहती है कि बलात्कार करो ? एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक प्रश्न उठता है। बलात्कार करने के लिए कौन प्रेरित करता है ? यह समाज का दोष है। आज से नहीं, मैं तो कहता हूं आप समाज के पुराने इतिहास को देखें तो बलात्कार के केस काफी मिलेंगे। मैं तो यहां तक कहता हूं प्रारम्भ से लेकर आज तक किसी भी समय तक, विश्वामित्र जी की तबीयत क्या मेनका पर नहीं फिसली ? उसके बाद क्या नारद मुनि, जो इतने महामुनि थे उन्होंने विश्वमोहिनी को देखकर अपने आपको सम्भालकर रखा ? क्या द्रोपदी को जांघ पर बैठाने का प्रस्ताव दुर्योधन ने नहीं रखा ? क्या इन्द्र के ऊपर दोषारोपण नहीं हुआ ? कहना नहीं चाहता था। एक भावनात्मक विषय है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। चाहे देश के प्रधान मंत्री रहे हों, चाहे मुख्य मंत्री रहे हों कहीं न कहीं अटकलबाजियां सबके बारे में होती रही हैं और होती रहती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं संसार में रहने वाला कोई भी आदमी ऐसा तो नहीं कि सभी महात्मा बुद्ध हों, जो काम के तीक्ष्ण प्रहार से अडिग रहे, महोदया, सभी दयानन्द नहीं होते जो छल से किसी वेश्या के घर पहुंचा दिये जाने के बाद भी उसको मां का सम्बोधन देने लगे। सभी रामकृष्ण परमहंस नहीं होते जो किसी देवी के शरीर से स्पर्श हो जाने पर मनोविकारों की सम्भावित आंधी से अपनी साधना की रक्षा के लिए घोर प्रायश्चित करें और सभी ऐसे नहीं होते, महोदया, जिन्हें किसी सुन्दरी के रूप में परमात्मा की सुघड़ रचना के दर्शन होते हों। हम सब इन्सान हैं। कोई व्यक्ति नहीं कहता कि आप बलात्कार करो, बलात्कार के नाना प्रकार के केस चले हैं लोगों के बीच और नाना प्रकार की प्रवृत्तियां आयी मेरे को समझ में नहीं आता फिर दोष यह लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कार किये, इनके बच्चों ने किये। यह निर्दोष हैं तो क्या मर्द इधर ही बैठे हैं ?

श्री रामकिशन वर्मा (रामगज मण्डी) : कोटा में हुए या नहीं हुए ?

श्री अर्जुनदास मदान : हुए। श्रीमान् जी मेरा एक निवेदन सुन लें, आगे वाला सुन लो उसके बाद आपको बुरा नहीं लगेगा। यह जो बात कही जाती है कि सारा दोष बी.जे.पी. के लोगों का है तो क्या मैं यह मानूं कि मर्द इधर ही बैठे हैं उधर नामर्द बैठे हैं ? मैं तो नहीं मानता इस बात को। उधर भी आदमी हैं, उनमें भी दोष होगा। कमियां किसमें नहीं होतीं, लेकिन विवेचन करना होगा। माननीया, मैं निवेदन करता हूं कि यह सामाजिक दोष है, पुलिस की करनी इसमें कहीं नहीं आती। आज समाज में कितने लोग इस बात के ऊपर, अपने बच्चों पर नियन्त्रण रखते हैं ? आज जितने भी बलात्कार के केस हुए हों, बोस कांड चला आपके सामने, हमारे कोटा में नीलू कांड चला, सरकार क्या कर सकती है ? सी.बी.आई. को दे दिया, अगर आपको पुलिस पर विश्वास नहीं हो तो सी.बी.आई. उसकी जांच कर लेगी। यह बलात्कार मानो वासनाओं के बीच के आवरण में घिरा हुआ एक शब्द हो गया। बलात्कार का अर्थ होता है, महोदया, जो मैं समझता हूं, जितनी हिन्दी मेरे को आती है, ऐसा प्रत्येक कार्य जिसमें बल....

श्री खेतसिंह राठौड़ : बलात्कार तो हुए हैं लेकिन आपकी रेजीम में ज्यादा हुए हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : ऐसा है खेतसिंह जी, यह विषय आपसे सम्बन्धित है इसलिए इसके आंकड़े आपको ही ज्यादा याद होंगे, मुझे तो याद है नहीं। मैं तो अपनी ही बात कह सकता हूं। मुझे याद नहीं है। किसके समय में ज्यादा हुए और किसके समय में कम हुए, यह आप क्यों भूल जाते हो कि अगर बलात्कार के केसों में सरकार उसको दबाना चाहती और सरकार की नीयती यह होती कि बलात्कार के केसों को दबाये तो एफ.आई.आर. क्यों दर्ज करती ? हो सकता है कि आपके टाइम पर बलात्कार के केस होते हों और एफ. आई. आर दबा दी जाती हो, आप दर्ज ही नहीं करवाते हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बुराई करके आप अच्छे नहीं बन जाएंगे समाज में। मुझे तो अच्छा बनना पड़ेगा मेरे कर्मों से। मैं आपकी बुराई करके क्या अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा ? क्या मेरे दोष समाप्त हो जाएंगे ? अपने कर्मों से इन्सान अच्छा बनता है। अपने कर्मों से नीचा बनता है मान्यवर, मैं यह निवेदन करता हूं। फिर बलात्कार के कितने केस आज प्रमाणित हुए ? एफ.आई.आर. दर्ज करना ही तो बलात्कार नहीं है। आज कोर्ट में कई केस जाते हैं, कितने केस में एप्रूव हुआ, बलात्कार हुआ ? आप बलात्कार उसको मानियेगा कि एफ.आई.आर. दर्ज हुई, केस रजिस्टर हुआ, कोर्ट में गया, वहां पर कोर्ट ने उसका कोग्नीजेंस लेकर यह निश्चित किया कि यह बलात्कार है। हम चाहे जिसको बलात्कार, बलात्कार करके ऐसा होव्वा खड़ा कर देते हैं जैसे यह सरकार केवल मात्र इसी काम के लिए बैठी है। मान्यवर, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है। हम समाज के प्रतिनिधि हैं। जो लोग आज विधि और विधान का, चारदीवारी में बैठकर निर्माण करते हैं, जिन लोगों पर विधानों को बनाने की जिम्मेदारी हो और यदि इस प्रकार के प्रकरण होते हैं तो क्या उस पर अंकुश हम

(श्री अर्जुनदास मदान)

नहीं लगा सकते ? हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है क्या ? लेकिन आज हम मौन हैं। हम समझौतावादी हो गये सारे के सारे लोग। आज लोगों की आंखों के तेवर देखकर हम अपनी जिन्दगी के फैसले करने लग गये और यही स्थिति हो गयी कि दुनिया में पापाचार, अनाचार, दुराचार, व्याभिचार बढ़ता चला गया। आज किसी आदमी ने हिम्मत नहीं की कि वह खड़ा होकर कह दे कि यह बात गलत है। हम ही समझौतावादी हो गये। परसों की ही बात है, गंगानगर के खींचीजी का यहां केस उठा, किसी में यह मन्थन होता, यह चिन्तन होता, यह मनन होता कि आखिर क्या कारण थे कि खींची को आत्मदाह करना पड़ा। इस पर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ। हर आदमी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकीं। मैं तो यहां तक निवेदन करता हूं कि किसी भी आदमी ने यह चिन्ता नहीं की। क्या यह हमारे काम हैं ? क्या यहीं सिमट कर हम रहना चाहते हैं समाज में ? समाज के प्रतिनिधि होने के नाते, उस जनता जनार्दन के प्रति जिसने चुन कर के हमें इस पवित्र सदन में भेजा है उसके प्रति हमारा क्या कोई उत्तरदायित्व नहीं है ? लेकिन इसके लिए कोई मन्थन नहीं, कोई चिन्तन नहीं, किसी प्रकार की कोई गतिशीलता नहीं। इस प्रकार की स्थिति समाज में ज्यादा दिन चलेगी नहीं।

सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कभी-कभी इन्सान को यह अदालतें तो बख्श देती हैं, कभी-कभी आदमी कुकर्म करता है तो भीतर की बैठी हुई आत्मा की आवाज और आत्मा का न्याय भी आदमी को माफ कर देता है लेकिन समय एक ऐसी अदालत है जो कभी किसी पापी और किसी अपराधी को माफ नहीं करती। यह मैं सदन में आज बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

इस बात को समाप्त कर देने के बाद मैं यह निवेदन और करूंगा कि आखिर पुलिस का आचरण भी हम देखें तो किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहार होता है वह परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। मैं आदमी हूं, कोई सबल आदमी गाली देगा तो हो सकता है कि मैं चुपकर के चला जाऊं, सुनूं और उसका कोई प्रतिरोध न करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह तगड़ा आदमी है। कमजोर गाली देता है तो हो सकता है कि मैं थप्पड़ मार दूं। क्यों बदला मेरा व्यवहार ? क्योंकि परिस्थितियां बदलीं। अपनी तो बात छोड़ दीजिये, सभापति महोदया, मैं तो यहां तक निवेदन करता हूं कि जंगल के जानवर भी अपना व्यवहार परिस्थितियों को देखकर बदलते हैं। एक शेर को अगर बकरी जंगल में मिल जाए तो वह फाड़ खाये। लेकिन सर्कस में वही बकरी शेर की पीठ पर बैठ जाती है। बकरी का धर्म नहीं है शेर की पीठ पर बैठने का और शेर का भी धर्म नहीं है बकरी को अपनी पीठ पर बिठाने का लेकिन परिस्थितिवश शेर बिठाता है बकरी को अपनी पीठ पर, हण्टर की वजह से, गोश्त की वजह से, सर्कस की वजह से। परिस्थितियां बदलती हैं तो व्यक्ति का आचरण भी बदलता है और यही कारण है कि आज पुलिस का आचरण भी बदला। क्योंकि आज पुलिस को किस-किस जगह जाना पड़ता है, माननीय शांतिलालजी खोईवाल बिलकुल ठीक कह रहे थे, आज

(श्री अर्जुनदास मदान)

कथा वाचन हो तो पुलिस को बुलाओ, सामूहिक विवाह हो तो पुलिस को बुलाओ, खेल का मैदान हो तो पुलिस को बुलाओ, एक समय था जब केवल मात्र कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। आज परिस्थितियां बदलती चली गयीं और छोटे-छोटे कामों में भी पुलिस के ऊपर ज्यों-ज्यों जिम्मेदारियां बढ़ती गयीं तो उसके व्यवहार में भी तब्दीलियां आती गयीं। लेकिन परीक्षा व्यक्ति की ऐसी स्थिति में ही होती है जब वह किसी परीक्षा की घड़ी में होता है। वह अपना संतुलन खोता है या नहीं खोता, यह उसकी परीक्षा की घड़ी निर्धारित करती है।

महोदया, मैं उसके बाद निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में जो कुछ भी स्थिति आज पुलिस के बारे में बतायी जाती है, मेरी ऐसी मान्यता है कि समाज में आज उच्छृंखलता बढ़ी है, समाज भयमुक्त हो गया है। पहले जितना मैं अपने पिता से डरता था, मेरी औलाद मेरे से नहीं डरती। जितना मैं पहले भगवान से भय खाता था, आज की सन्ततियां उस भगवान के भय से मुक्त होती चली जा रही हैं। समाज के हुक्के-पानी का किसी को डर नहीं रहा। पहले आदमी सोचता था कि मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं कुकर्म करूंगा। आज पड़ोसी का डर नहीं रहा, समाज का डर नहीं रहा, भगवान का भय नहीं रहा, मास्टर का भय नहीं रहा अगर भय रहा हैं तो थोड़ा बहुत पुलिस का रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि मैं कोई उनका सबेड़ी नहीं हूं, मैं न तो भांड हूं या चारण हूं, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि यदि कोई भय रहा है समाज में तो केवल मात्र पुलिस का है और जिस दिन....

श्री शैलेन्द्र जोशी : डंडे का है।

श्री अर्जुनदास मदान : डंडे का ही सही, साहब। डंडे का है वही बात है न। मैं निवेदन करता हूं कि मैं आप और अपने लिए कहता हूं, आज अगर पुलिस का कोई सिपाही चौराहे पर नहीं खड़ा हो तो हो सकता है कि मेरे जैसा आदमी भी गाड़ी लेकर निकल जाय। वह दुर्भाग्य हो गया है न। लालबत्ती को देखकर के कितने लोग रूकते हैं? (व्यवधान) क्या फरमा रहे हैं साहब?

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह कोई क्लास नहीं है, आपसे ज्यादा जानते हैं सब।

श्री अर्जुनदास मदान : देखिये, शैलेन्द्र जी, मेरे से ज्यादा तो आप भी समझते हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : नैतिकता का, मतलब और सब अनैतिक हो गये। यह ही नैतिक हैं। इनको ही पाठ आता है, औरों को नहीं आता है।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री अर्जुनदास मदान : देखिये, मैंने कोई आपके लिए नहीं कहा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सब्जेक्ट पर बोला जाए।

श्री सभापति : आप विराजिये। आप कौन से सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं? विराजिये आप।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं एक निवेदन करूं, इस मदान ने, जब-जब भी आप बोले हैं, कभी व्यवधान नहीं डाला। मेरी याचना है, प्रार्थना है, अर्चना है अभ्यर्थना है, आपसे कि मैंने कभी किसी व्यक्ति पर दोष नहीं लगाया और मैं यह भी नहीं कहता हूं कि मेरे में कमियां नहीं हैं, मेरे में आपसे ज्यादा कमियां होंगी, मैं यह तो नहीं कहता। मैं सदन के सामने कह सकता हूं कि कई चीजों में आप मुझसे पीछे होंगे, कई चीजों में मैं आपसे आगे होऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो आप कहते हैं, मैं नैतिक उपदेश क्या दे रहा हूं आपको अब आपको बुरा कैसे लगा यह मेरी समझ में नहीं आता, कोई ऐसा विषय तो मैंने नहीं उठाया और अगर आपकी भावनाओं को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो मै उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज समाज भयमुक्त हो गया और इस भय को बनाये रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पुलिस को ज्यादा कमजोर नहीं होने दें। मैं यह भी नहीं कहता कि वह अपनी मनमानी करे। मैं यह भी नहीं कहता कि वह बगैर किसी कारण से मुठभेड़ बताकर के बेकसूर इन्सानों कि हत्या करें, मैं यह भी नहीं कहता कि जेल में रहते हुए इन्सान मारे जाएं। मैं उसकी वकालत नहीं करता लेकिन मैं इस बात की जरूर वकालत करता हूं कि आज अगर समाज में पुलिस ज्यों-ज्यों ज्यादा कमजोर होती जा रही है, समाज में उच्छृखलता बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, पाप और अनाचार की वृत्ति बढ़ रही है और उसके कारण से अपराध ज्यादा होंगे। अगर कोई आदमी इस पर सोचे कि इसमें अच्छाई लायी जा सकती है तो वह केवल मात्र हमारे आचरण से लायी जा सकती है, हमारे व्यवहार से लायी जा सकती है।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दो प्रकार के विवेक हैं। एक आत्म विवेक और एक सामाजिक विवेक। मेरा विवेक मुझे कहता कि भैया तू गलत काम कर रहा है। भीतर की अन्तरआत्मा कचोटती हैं जब मैं कोई कुकर्म करता हूं। लेकिन जब व्यक्ति भावप्रधान हो जाता है तो कभी-कभी भावावेश में आकर बुद्धि अपना काम करना कम कर देती है तो भाव के बीच में वह गलत काम भी करने प्रारम्भ कर देता है। लेकिन सही और गलत का निर्णय करने का उत्तरदायित्व, यही विवेक है। इसी तरह एक सामाजिक विवेक है इसलिए पुलिस को मैं सामाजिक विवेक की संज्ञा देता हूं। कौनसा अच्छा है, कौनसा बुरा है, इसका तो मेरा विवेक निर्णय करेगा। समाज में बुराई के ऊपर अंकुश देखिये, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे आप सुन लें। आप मेरी बात का बड़ी खुशी से कटाक्ष करे, जवाब दें अगर आप उचित समझते हैं तो। मैं यह निवेदन कर रहा था सभापति महोदया, एक तो भीतर का विवेक, एक आत्मा का विवेक और एक सामाजिक विवेक। आत्मा के विवेक के बारे मे मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं और यह पुलिस को मैं सामाजिक विवेक की संज्ञा देता हूं। अच्छा कार्य करे, बुरे के ऊपर प्रताड़ना पड़े, यह सामाजिक विवेक है। पुलिस का काम है। मैं बुरा काम करूंगा तो उसका निर्णय मेरे भीतर का विवेक करेगा, मेरी अन्तरात्मा का काम है इसलिए इसको सामाजिक विवेक के नाम पर सम्बोधित होने वाली पुलिस का भी यह धर्म

(श्री अर्जुनदास मेदान)

बनता है, उसका भी फर्ज बनता है कि अच्छाई और बुराई के प्रति भली प्रकार से नियंत्रण करने के उपरान्त, मंथन और चिन्तन करने के उपरान्त दोषी को सजा दे और यदि कोई निरपराधी व्यक्ति उसके दरवाजे पर आये, खटखटाये क्योंकि वह चोट खाकर आया है, मन को दुःखी करके आया है, आर्तभाव लेकर आया है । कहीं से पिटा हुआ इन्सान है, यदि उसको भी आपने दुत्कार दिया, फटकार दिया तो बेचारा क्या समझेगा, उसको संरक्षण कहां मिलेगा । इस सारे संसार में बिलकुल उसके प्रति उसकी भावना नष्ट हो जायेगी, वह सोचेगा कि इसमें रखा क्या है, कोई तो मेरी मदद करने वाला नहीं है । आज उस स्थिति में जो भी व्यक्ति दुःखी होकर परेशान होकर, व्यथित होकर, वह पीड़ा लेकर पुलिस के दरवाजे पर जाता है तो मैं निवेदन करूंगा गृह मंत्री महोदय से कि आप अपने नीचे के अधिकारियों को निर्देश दें । ऐसा कई बार देखने में आया है, आदमी जाता है बेचारा रोता हुआ, धोता हुआ । वह सोचता है मुझे यहां मदद मिलेगी लेकिन बजाय मदद के उसको प्रताड़ना मिलती है । इस पर नियंत्रण निश्चित रूप से होना चाहिये ।

उसके बाद मैं निवेदन करूंगा, मैं यह भी मानता हूं, जहां मनीषी, साधु, जिज्ञासु अपने किसी प्रवचन में आकर समाज को कुछ उपदेश देता है । अब उसके पास में तो एक पात्र होता है । लोगों को पता है कि तुम पाप करोगे तो नरक में जाओगे, यदि तुम पुण्य करोगे तो उसको प्रलोभन, उसको बैकुंठ में जाने की बात करता है । लेकिन सरकार के पास में, पुलिस के पास में बहुत बड़ा हथियार है । वह उपदेश देता है समाज को नियन्त्रण करने के लिए कि अच्छे कर्म करो । पुलिस को इस प्रकार से कि उसके पास तो कानून की सत्ता है । इस कारण से वह समाज को मना सकती है, उनको इस बात के लिए बाध्य कर सकती है, चिन्तित कर सकती है कि वे अच्छे कर्म करें । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस जिम्मेदारी को पुलिस को अपने ऊपर लेना चाहिए, उसका भली प्रकार से निर्वहन भी होना चाहिए । आज अच्छाई की रक्षा हो, बुरे को सजा मिले, सज्जनों की सुरक्षा हो, दुर्जनों का दमन हो, यह पुलिस का उत्तरदायित्व है और इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा हमारे गृह मंत्रीजी से और यहां पर बिराजे हुए अधिकारियों से कि वे नीचे के स्तर पर इस बात को सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के लोग जो समाज से प्रताड़ित होकर और समाज से संवेदना संजोकर आपके दरवाजे पर आते हैं, वह भिठलके न जायें, वह किसी प्रकार से दुःखी होकर के, आर्तभाव लेकर ज्यादा यहां से न जायें, यह देखना पड़ेगा । आज मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, मेरी ऐसी मान्यता है मान्यवर, पुलिस समाज का प्रतिबिम्ब है । आज का व्यक्ति पुलिस का जो व्यक्ति तैनात है चौराहे पर या किसी के दरवाजे पर, वह भी हमारे बीच में से किसी न किसी का बेटा है, समाज का प्रतिबिम्ब पुलिस है । आज लोग कहते हैं कि पुलिस रिश्वत लेती है । मैं थोड़ा सा निवेदन करता हूं कि क्या आज पैसे के प्रति आदमी का प्रलोभन नहीं बढ़ा ? आज वे लोग कहेंगे कि मैं तो नैतिक उपदेश देने के लिए खड़ा हूं । मैं यह भी नहीं कहता कि मैं उससे बड़ा

(श्री अर्जुनदास मदान)

हूं, यह भी मैं नहीं कहता। ऐसा भी मैं कहता हूं, "पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे एच रहिते नर न घनेरे" यह मेरी मान्यता नहीं है। मैं उपदेश देने के लिए खड़ा नहीं हुआ लेकिन मैं यह मानता हूं, आज पैसे के प्रति समाज के एकत्रीकरण की वृत्ति समाज के हर कोने में आई हैं और यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं समाज का। आज हर आदमी सोचता है कि मेरा सुख का साथी कौन, पैसा। मेरे दुःख का साथी कौन, पैसा क्योंकि मेरा बेटा, मेरा बड़ा भाई, मेरा चाचा, मेरा मामा, अगर दुःख की घड़ी आ जायेगी तो कोई पूछेगा नहीं। पूछने वाला कौन है, पैसा, इसलिए वह धीरे धीरे पैसे से जुड़ा और अब इससे धीरे-धीरे टूटा। महोदया, यही कारण है कि आज आदमी पैसे के संकलन के पीछे पड़ गया है। आज आदमी सोचता है कि जितने एकत्र कर सकते हो कर लो, चाहे किसी भी साधन से करो और यह प्रवृत्ति समाज के अन्दर आई है, पुलिस के अन्दर भी आई है। आज उसके प्रति हम लोग कहते हैं कि कोई आदमी मन में भीतर के कचोट कर तो करे। आज एक महिला अगर खड़ी होकर कह दे कि महोदया, मुझे फलां आदमी ने छेड़ा है तो कोई 100-50 आदमी जायेंगे, क्योंकि कोई थप्पड़ मारेगा, कोई उसको बदमाश कहेगा, कोई कहेगा साले तुझको शर्म नहीं आती है, लोग उसको मारना प्रारम्भ करेंगे लेकिन उन 60-70 आदमियों में से मैं यह कहता हूं, धर्म ईमान से 10-15 आदमी तो ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे कुकर्म या पाप किसी अंधेरे कमरे में जरूर किये होंगे क्या वह पहला थप्पड़ अपने गाल पर मारता है? क्या वह सोचता है उसे मारने से पहले कि यह कुकर्म जिसके लिए मैं एक आदमी को मार रहा हूं वह अपराध तो मैंने स्वयं ने कर रखा है। नहीं सोचता केवल मात्र समाज में हमारी जो वास्तविकता है, उसको छिपाकर एक नया मुखौटा पहन कर समाज के दरवाजे पर आता है और यही कारण है कि आज परिस्थितियों पर कोई अंकुश नहीं रहता है, और अंकुश नहीं रहेगा। महोदया, दुर्भाग्य तो यह हो गया कि मेरी करनी और मेरी कथनी में बहुत अन्तर आ गया। यहां पर बैठे हम लोग भी, मैं क्षमा चाहूंगा मैंने जैसा आपसे कहा कि विधि और विधान के निर्माता हम जैसे लोग भी आज समझौतावादी हो गये हैं और हम यह सोचते हैं कि भई, मैं ही ऐसी बात करूंगा तो फलां आदमी नाराज हो जायेगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरी टिकट कट जायेगी, पता नहीं अगली बार मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार की विचारधारा और हम, जैसे यह माइक हैमहोदया, मैं क्षमा चाहता हूं, इस माइक में अगर मैं भाइयों कहूंगा तो इसकी ताकत नहीं कि मेरी आवाज को यह बदल दे, यह भाइयों ही बोलेगा, बहिनों नहीं बोल सकता क्योंकि यह खरीदा हुआ है। इसी तरह से हम भी संगठन के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं यहां पर। आज संगठन जो हमसे कहता हैं हो सकता है, अभी तक इधर बैठे हुए लोगों के भीतर और उधर बैठे हुए लोगों के भीतर भी कोई काम करने की श्रद्धा, कोई काम करने की भावना, मेरे में नहीं हो, मैं उसका विरोध करना चाहता हू लेकिन केवल मात्र इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं संगठन की परिधि

(श्री अर्जुनदास मदान)

में बंधा हुआ हूं और उसके कारण मैं अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता लेकिन भीतर की आत्मा मुझे भी कचोटती है कि तू गलती तो कर रहा हैं, यह तुझे करना तो नहीं चाहिए लेकिन हम करते हैं तो मैं इन शब्दों के साथ आपने घण्टी भी बजा दी, मुझे कहना तो बहुत था, मैं तो ज्यादा .

श्री सभापति : नहीं, यह तो आपको चेतावनी दी है । आप पूरा कर सकते हैं ।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं एक निवेदन यह करूंगा, आपने जैसे कहा कि पुलिस रिश्वत लेती है । मैंने पहले भी निवेदन किया था महोदया, मेरी दृष्टि में जो रिश्वत है, तीन प्रकार की रिश्वत होती है । तीन प्रकार की रिश्वत में एक तो होती है नजराना दूसरी होती है शुक्रियाना और तीसरी, जबराना । पहली तो होती है नजराना, जैसे राजा महाराजा के टाइम के अन्दर आदमी कोई जाता था तो 5 रुपये का नोट, एक रुपये का नोट जितना रखता था, राजा की मर्जी होती थी, एक रुपया उठा लेता था । वह नजराना का मतलब यह है कि मान्यवर, मैं आपकी नजर में बंधा रहूं । मुझे आप भूलो नहीं, इस बात की रिश्वत का नाम है नजराना । शुक्रियाने का मतलब यह है कि मैंने किसी का काम किया, ट्रांसफर करवाया और शाम को मिठाई का डिब्बा लेकर आ गया मेरा शुक्रियाना अदा करने के लिए । मैंने किसी का काम किया और उसने मेरा शुक्रियाना अदा करने के नाम पर किसी भी माध्यम से कोई भी चीज मुझे दे दी, यह शुक्रियाना है । नजराना बता दिया, शुक्रियाना बता दिया और एक जबराना रिश्वत होती है । जबराना का मतलब है कि मैं दोषी हूं, मेरे पिताजी को बैठा लिया, मेरे घर वाले को बैठा लिया कि साला शाम को आयेगा, 10–5,000 रुपये देकर जायेगा । यह जो स्थिति समाज में बनती चली जा रही है, महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जबराना, जो जबरदस्ती की जाती है आज की पुलिस के द्वारा या आज लोगों को मजबूर करके रिश्वत लेने की स्थिति बनती चली जा रही है। मेरा आग्रह हैं, मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे गृह मंत्री महोदय से, इसके ऊपर थोड़ा बहुत नियन्त्रण रखें । मेरे थोड़े सुझाव भी हैं कि जो परिस्थिति बनी हैं वह चिन्ताजनक नहीं है । जैसा कि पुलिस हिरासत में मृत्यु के आंकड़े बता दिये । 1994 में 12 लोगों की मृत्यु हुई पुलिस हिरासत में, 1995 में 6 लोगों की, 1996 में 6 लोगों की, 1997 में 7 लोगों की हुई और 1 जनवरी, 1998 से 21.6. 1998 तक एक भी मृत्यु नहीं हुई । यह पुलिस के आंकड़े हैं, निश्चित रूप से आप यह शो करते हैं कि आज पुलिस के कामकाज में बढ़ोतरी हुई है । अब आप संज्ञा ले लीजिये प्राथमिक अपराधों में, आई.पी. सी. के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे 94 में 133019 थे, 1995 में 148266 थे और यह आप देखेंगे कि 94–95 में 11.6 प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई है चाहे पंजीकरण के कारण से हुई हो । मैं यह नहीं कह रहा हूं लेकिन अपराधों के आंकड़े यह बताते हैं कि 1994 में जितने अपराध हुए, 1995 में जितने अपराध हुए, उसमें 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन 96–97 में यह केवल मात्र 2.38 प्रतिशत वृद्धि हुई क्योंकि 1996 में 161621 मुकदमे दर्ज हुए और

(श्री अर्जुनदास मदान)

1997 में 165469 मुकदमें दर्ज हुए। तो 2.38 प्रतिशत की वृद्धि होना निश्चित रूप से यह शो करता है कि स्थिति इतनी दूमर नहीं है, जिस प्रकार का वर्णन किया गया है।

(17.00 बजे)

बाकी आंकड़े भी है, जो निश्चित रूप से यह दर्शाते हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जहां तक उपलब्धियों का सवाल है, मैं यह निवेदन करूं कि सौहार्द्रपूर्ण वातावरण रहा है, दो जगह हिन्दू-मुस्लिम तनाव हुए, झगड़े हुए हैं लेकिन फिर भी टोटल यदि हम देखें तो इन पांच वर्षों में आज हिन्दू–मुस्लिम सौहार्द का वातावरण जितना भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में रहा, लोग दोष दें, मैं यह जानता हूं, दोष दे सकते हैं महोदया, चढ़े हुए सूरज–चांद को ग्रहण लगता है। सूरज ऊपर आता है, चांद ऊपर आता है तो उसको राहू भी पकड़ता है, केतु भी पकड़ता हैं, और यदि अस्त हो जाय तो उसको कोई ग्रहण नहीं लगता। आज जो भी आदमी सामने आएगा, उसके ऊपर आक्षेप तो उठेंगे। लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी है, मैं वह आंकड़े बता रहा हूं जिसकी प्रतिलिपि आपके पास भी उपलब्ध है और मैं निवेदन करूंगा कि यदि नहीं पढ़ें हों तो आज शाम को जाकर पढ़ लें।

मैं निवेदन कर रहा था, महोदया, कि साम्प्रदायिक वातावरण अनुकूल रहा है इन परिस्थितियों में और पांच केन्द्रों पर जो क्षमता में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन्स हैं, उसमें दो हजार पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी उसकी जगह 3904 लोगों को आज ट्रेनिंग दी गई। क्या यह एक साधुवाद का विषय नहीं है गृह मंत्री महोदय के लिए। या यह यह शो नहीं करता कि जो क्षमता करने की स्थिति में हम थे, उससे हम आगे बढ़े। पुलिस में नोटों की, आपने देखा था पिछली दफा, चलन था सौ और पांच सौ के नोटों का, गलत नोटों का चलन हुआ, जैसलमेर में हुआ, बाड़मेर में हुआ, कोटा में भी कुछ लोग, अपराधी पकड़े गये और उन अपराधियों को पकड़ने के लिए, आज इसके ऊपर भी अंकुश सरकार ने लगाया और उसमें भी सफलता प्राप्त हुई। डकैतों से मुठभेड़ में भी 1997 में 9 डकैत तो मारे गये और 121 लोग पकड़े। यह कुछ आंकड़े हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्य मंत्री महोदय को, अभी सोनिया आई, उन्होंने कहा कि बाहर से दल आना चाहिए, जो यहां पर लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन देखे, और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बिलकुल कह दिया कि बड़ी खुशी से मैं चाहूंगा कि अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो उसकी भी जांच करवा ली जाय कि यहां पर व्यवस्था ठीक है या अन्य राज्यों की तुलना में हम कहीं पीछे तो नहीं है। लेकिन आज यह कहा जाता है कि यहां तो बड़ी खराब स्थिति है, केवल मात्र यही है कि हमें तो दोष लगाना ही है। कुछ नहीं तो, कुम्हार पर बस नहीं चलता तो उसके जानवर को ही ठोकना है, इस प्रकार की स्थिति आज हो गई है।

श्री राजेन्द्र पारीक : जानवर कौन है?

श्री अर्जुनदास मदान : हां, वह ठीक है, आप तो नहीं हो। वह आप नहीं हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : वहां बस नहीं चल रहा, हम यहां लड़ रहे हैं तो कौन है वह?

श्री अर्जुनदास मदान : अच्छा। अन्त में मेरे कुछ सुझाव हैं महोदया, मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले तो मेरा सुझाव है गृह मंत्रीजी आपसे। मेरे क्षेत्र में, आपको ध्यान होगा कि पुलिस में एक बार हड़ताल हुई थी और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 174 लोगों को आपने निकाल दिया था। आज 174 लोग, जिन सिपाहियों ने हड़ताल की थी, आज उनमें से 6 लोग छोड़ करके, 168 लोग ऐसे हैं जिनको आपने या तो पेंशन दे दी या वापस काम पर ले लिया। 6 लोगों में चार लोग हमारे कोटा के है, जिन +++ को आज भी आप नौकरी नहीं दे पाये हैं। जिन लोगों के पास कोई साधन थे, जिनका कोई राजनीतिक दवाब था शायद उनको तो ले लिया गया। पिछले तीन वर्षों से लगातार, मैं यह कहता हूं जब भाटीजी थे या दूसरे डी. जी. साहब थे, आज डी. जी. साहब के पास मैंने पत्र भेजा, आपको दिया, हमारे मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव महोदय अरूण कुमार जी को दिया, पिछली बार भी मैंने दिये। मेरे ऊपर सहानुभूति तो प्रत्येक व्यक्ति ने दी। मैं जैरथ साहब से भी मिला, मैं अभी व्यक्तिगत रूप से डी. जी. साहब से नहीं मिल सका हूं, बाकी मैं सब से मिल लिया। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जो बचे हुए 6 लोग हैं जिनमें से चार कोटा के हैं, जब सारे लोगों की समस्या का निराकरण आपने कर भी दिया, आज हमारा एक रघुवीर सिंह सिपाही है, छावनी में रहता है महोदया, मेरे साथ हैं तीन बच्चियां हैं उसके, +++ पचास साल की उम्र में श्री व्हीलर चलाते हुए आज अपनी जवान बेटियों का बोझा लेकर चौराहे पर खड़ा है और राजपूतों के घराने में शादियां किस प्रकार से होती है, उसकी कल्पना आप कर सकते। यदि आप न्याय देना चाहते हो तो मैं निवेदन करूंगा कि जैसे 167 लोगों का आपने मामला सुलटाया है, पांच–छह लोग बचे हैं, रिटायरमेंट की वर्ज पर हैं, आपसे पैसे लेकर के आज जाना चाहते है, उनको दे दिलाकर नक्की कीजिये और जाने दीजिये। जब 168 लोगों को आप अभय दान दे सकते हैं तो बाकी छह लोगों ने क्या अपराध किया है? उसमें से भी चार हमारे कोटा के हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है.... (व्यवधान) नहीं, पिछली बार इस केस को मैंने रिप्रजेन्ट किया था, तब दो साल बाद एक आदमी का केस तो आपने सुलटा दिया और एक आदमी का केस अभी भी बाकी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सारे इन्तजाम करेंगे। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : हां, वही कह रहा हूं। टोटल कह रहा हूं मैं आपसे। अब इसमें दूसरा मेरा आपसे निवेदन है सुझावों के अन्तर्गत, कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग बना था एक 1980 में, उसने अपनी सिफारिशें दे दीं, उसमें पुलिस के प्रति कुछ सहानुभूतिपूर्वक आपको सुझाव दिये गये हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। केसेज का निपटारा अविलम्ब हो तो बहुत उचित होगा। पुलिस के व्यवहार में आप को परिवर्तन निश्चित रूप से लाना पड़ेगा,

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अर्जुनदास मदान)

जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था। मैं मानता हूं मान्यवर, आदमी–आदमी है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निश्चित रूप से उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुझाव ही दें, रिपीट नहीं। सुझाव दें।

श्री अर्जुनदास मदान : दो मिनट। उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, आदमी कोई आम का झाड़ नहीं है कि लोग उसे भाटे मारे और वह मीठे–मीठे आम दे। हम सब इन्सान है, प्यार मिलता है तो समाज को प्यार देते हैं, कड़वाहट मिलती है तो कड़वाहट देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि समाज को पुलिस के प्रति और ज्यादा कड़वाहट नहीं लगे, इसके लिए बहुत उचित होगा कि एक इन्सान से इन्सान के तरीके से व्यवहार किया जाय। जो आदमी आपके पास आया है उसकी अगर आप मदद नहीं कर सकते, अगर उसका आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान मत कीजिये, यदि सत्कार नहीं कर सकते तो तिरस्कार मत कीजिये।

आज मुख्य चौराहों पर, मेरा ऐसा निवेदन है, अगर सम्भव हो और आपके फण्ड्स आपको परमिट करें तो आप क्लोज सर्किट टी.वी. लगायें ताकि इसके ऊपर जो पुलिसकर्मी वहां पर खड़ा होता है, जो भी यातायात के ऊपर गलत आचरण करता है उसकी बिलकुल रिपोर्ट आ जाय, पता चल जाय कौन सा आदमी है, और उसके खिलाफ आप केस करना चाहें, क्योंकि आज यातायात की स्थिति इतनी दूभर हो गई है पर्यावरण के कारण से कि यदि आप चौराहे पर खड़े हुए सिपाहियों का थोड़ा सा एग्जामिनेशन करायेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह बाकी बचे हुए सुझाव मैं आपकी सेवा में पेश कर दूंगा, समय का अभाव है, मुझे बार–बार घण्टी यह चेतावनी देती है कि मैं अब समाप्त करूं। आपने मुझे समय दिया और शांतिपूर्वक मेरी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भीमसेन जी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदया, मैं मांग संख्या 16 पुलिस व मांग संख्या 17-जेल पर अपने कटौती प्रस्ताव संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं।

सभापति महोदया, नवम्बर, 1993 में थाना बज्जू के अन्तर्गत विदेशी हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, वह पाकिस्तान के आतकवादियों के लिए लाए गए थे तस्करों द्वारा। उन पुलिसकर्मियों को, जिन्होंने वह जखीरा पकड़ा, राज्य सरकार ने उनको किसी भी तरह का इनाम, पुरस्कार या पदोन्नति नहीं दी। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने इतना बड़ा जखीरा पकड़ा, उनको आपको पुरस्कृत करना चाहिए था। इसके अलावा, हमारी इन्टेलीजेंस ब्रांच है बोर्डर पर, आज ही पत्रिका में हमने पढ़ा कि पोकरण तक विदेशी असला, आरडी–एक्स और दूर तक मार करने वाली टेक्नीकल चीजें वहां पर लाई गई और हमारी बोर्डर इन्टेलीजेंस, सेना की इन्टेलीजेंस को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। इसी तरह

(श्री भीमसेन चौधरी)

से महाजन रेंज, बीकानेर, वहां पर टैंकर, टैंक को डिसमेंटल किया गया, डिसमेंटल करके ट्रक में लदान करके ले गये और हमारी इन्टेलीजेंस ब्रांच, हमारी सेना का सारा अमला देखता रहा। यह सारी बातें बड़ी खतरनाक है और हमारी गुप्तचर संस्थाएं उनकी नाकामियों की तरफ इशारा करती है। बोर्डर इन्टेलीजेंस पर जो कार्य करते हैं उन्हें बोर्डर अलाउंस, आज से जो बीस साल पहले मिलता था 25 रुपये, वही बोर्डर अलाउंस उनको मिल रहा है। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए और वहां पर कोई ए. एस. आई. पोस्ट किया जाता है उस पोस्ट के लिए यह भत्ता भी स्वीकृत नहीं किया जाता।

इसी तरह से, मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में गांवों में सिंचित क्षेत्र का इलाका है, किसान अपनी अपनी ढाणियों में बैठे हैं, वह अपनी रक्षा के लिए लाइसेंस चाहते हैं लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती। उनकी समस्याओं के लिए, उनकी फसल की रक्षा के लिए, वहां पर रोज बराबर फिरते रहते हैं रात को और किसानों को उनसे रक्षा के लिए चाहिए। इसलिए उनको हथियारों की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में आपको विचार करने की आवश्यकता है। दूसरे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाई हैं, किसान है उनकी सैकड़ों टोपीदार बन्दूकें थी उनको आपने जब्त कर रखा है, उनके लाइसेंस जब्त कर रखे हैं। आखिर वे अपनी फसल की रक्षा के लिए कम से कम टोपीदार बन्दूकें भी नहीं चाहते। इसके बारे में यह मामूली बात है और किसान बराबर दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं और उनके हथियारों के लाईसेंस जब्त कर रखे हैं उनको नहीं मिल रहे हैं इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदया, हमारे एक दहेज प्रकरण का मामला है माननीय गृह मंत्री स्वयं उसमें व्यक्तिगत दिलचस्पी रखते हैं। जिस थानेदार के खिलाफ दहेज प्रकरण, गंगाशहर थाने में दर्ज था। माननीय गृह मंत्री जी उस थानेदार को उसी थाने में तैनात कर एस.एच.ओ. बनाया ताकि वह वहां पर गवाहों को डरा सके, धमका सके और आज कई बार इस मुकदमें की जांच हुई। उसमें थानेदार को दोषी करार दिया गया लेकिन वह फाइल माननीय गृह मंत्री ने दबाकर रखी है और उस पर यह गृह मंत्री महोदय ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में इनके विरुद्ध हाई कोर्ट में केस भी पेंडिंग है जिसमें इन को जवाब देना है। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस मामले में इतनी व्यक्तिगत्त दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? जब आपका मुल्जिम दोषी करार दिया गया और सी.आई.डी. से सब तरह से फाइल पर मौजूद है कि यह मुलजिम है तो उस फाइल को दबाकर क्यों बैठे हैं आप?

इसी तरह से जेल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर सेन्ट्रल जेल की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है। वह बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। वह शहर के बीच में है। वहां की जनता की बराबर लम्बे अर्से से मांग चली आ रही है कि इस जेल को कहीं दूर शिफ्ट करके

(श्री भीमसेन चौधरी)

यहां पर एक नया माडर्न मार्केट बनाया जाए। बीकानेर शहर में कोई अच्छा मार्केट नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह जो बिल्डिंग जहां अभी है उस जगह अच्छा मार्केट बन सकता है, उसकी सरकार को अच्छी कीमत मिल सकती है और नये लोगों को रोजगार के साधन भी मिल सकेंगे। यह नया मार्केट डवलप होना चाहिए और यह जेल दूर चली जाएगी तो उससे जनता की मांग की पूर्ति होगी। मैं समझता हूं सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी।

मेरे नयी मण्डी छत्तरगढ़ के पास है आर. डी. 465 उस मण्डी में पिछले मार्च के महीने से लेकर जून तक दुकानों में कई बार चोरिया हुई लेकिन वहां की पुलिस ने न चोरियों का माल बरामद किया, न उन चोरों को पकड़ा। ऐसा लगता है कि पुलिस के संरक्षण में वहां चोरियां की जा रही हैं और वहां जो नयी मंडी विकसित हो रही है, वहां के व्यापारी वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने को माल की कोई रक्षा वहां पर नहीं है इसलिए इस तरफ बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं संक्षेप में मैंने अपनी बात कही है, मैं समझता हूं आप इस सम्बन्ध में विचार करेंगे।

श्री सभापति : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री भीमसेन चौधरी : एक प्रकरण मैं भूल गया....

श्री सभापति : हां बोलिये-बोलिये।

श्री भीमसेन चौधरी : हमारे शहर के अन्दर एक होटल में गंगाराम नाम के व्यक्ति की वहां पर हत्या हुई। उस हत्या से मामले में जो जांच है वह सही दिशा में चल रही है लेकिन अब भी वह जांच अधूरी है और उस जांच को जो मुल्जिम बाकी रह गये हैं उनके लिए चालान पेश करना आवश्यक है तो मैं समझता हूं इसके बारे में आप ध्यान देंगे। यह एक बहुत गम्भीर बात है। वहां पर जिस हालात में वह मुकदमा दर्ज हुआ वहां के एस. एच. ओ. ने, मैं पूरे तथ्यों में जाना नहीं चाहता लेकिन जो हालात हैं उसके मुताबिक एस. एच. ओ. से मिलकर यह वारदात हुई। इस घटना में एस. एच. ओ. ने किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की और दूसरे दिन मुकदमा बनाया गया उसी व्यक्ति के खिलाफ जो मर गया है कि उसने आत्महत्या की, आत्महत्या का केस बनाया। यह एस. एच.ओ. की मिली भगत से कार्य हुआ तो मैं समझता हूं कि इस ओर एस. एच. ओ. ने जो भी उनकी बरामदगी हुई जो उनको निकाला था लाश को उसके सामने उनके परिजनों को नहीं बुलाया। दूसरे दिन असत्य मुकदमा दर्ज किया और यह सारी लापरवाही एस. एच. ओ. की थी। एस. एच. ओ. के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। मैं समझता हूं कि आपको इनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति जी, बॉल इधर से उधर जा रही है गोल से जब तक नहीं आएगी, काम नहीं निकलेगा और हम निर्दलीयों के भरोसे यह सरकार

(श्री शिवनाथ सिंह)

टिकी हुई है इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान तो इधर भी दीजिये आप ।

श्री सभापति : मैं तो आपकी तरफ ही देख रही हूं पर आपने जो नाम दिया है पहले वह एब्सेंट है ।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं तैयार खड़ा हूं । मैं स्वयं तैयार खड़ा हूं ।

श्री सभापति : अभी आपकी तरफ बॉल आ जाएगी । बिराजिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां नाम बोलो ।

श्री सभापति : श्री किशनगोपाल कोगठा ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सभापति महोदया, आज मांग संख्या–16 जेल और मांग संख्या 17, 19 पर चर्चा पर हो रही है। मैं सबसे पहले जेल पर दो शब्द बोलूंगा । सभापति महोदया, पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी का राज 1990 में आया तब 3–4 जेलों का निरीक्षण करने का मुझे अवसर मिला और ये स्थिति थी कि बैरिक्स जिसमें कहीं सो की संख्या रहने की है डेढ़–डेढ़ सौ, दो–दो सौ की संख्या में वहां अपराधी रखे गये हैं। मैं लगातार हनुमानगढ़ भी गया हूं, कोटा भी गया हूं, अन्य अन्य स्थानों पर भी पर आज अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध के साथ साथ न्यायिक फैसले जिसमें सजाएं यह सारी होती हैं तो ये जो संख्याएं बढ़ी हैं,बढ़ रही हैं इसलिए मेरी इसमें मांग है कि जहां-जहां भी सेन्ट्रल जेल्स और उप जेल्स हैं वहां बैरिक्स बढ़ाई जाएं अपराधियों की संख्या की दृष्टि से जिससे सुविधाएं बढ़े । इसके साथ–साथ जेल का जो वातावरण है वह धीरे–धीरे निश्चित रूप से सुधर रहा है । इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से जेल मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । मैं अभी अचानक अजमेर जेल में गया किसी व्यक्ति से मिलने के लिए पर वहां जेल में संत सुदर्शन मुनिजी के प्रवचन चल रहे थे और जिस प्रकार से वहां का वातावरण देखा, मैंने कहा कि निश्चित रूप से अब इस राज में जेल का जो वातावरण होना चाहिए जिस कल्पना से इस राज ने जो कल्पना की वह निश्चित रूप से हो रहा है । अभी राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि जेलों में खेल–कूद प्रतियोगिताएं भी होती हैं और अन्य–अन्य काम सारी एक्टीविटीज होती हैं वह निश्चित रूप से सराहनीय हैं ।

सम्माननीया, अब मैं मांग संख्या–17 पर बोलूंगा । राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से हिन्दुस्तान में मध्य प्रदेश के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र है और उसके साथ पाकिस्तान की सीमाएं भी लगी हैं। पाकिस्तान की सीमाओं के साथ पंजाब जो पिछले वर्षों से आतंकवाद का बहुत बड़ा सेन्टर था उसकी सीमाएं भी गंगानगर से जुड़ी हुई हैं । ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में जो इस राज में कानून–व्यवस्था रही उसके लिए निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत और गृह मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद है कि ऐसी स्थिति में बॉर्डर और पंजाब में आतंकवाद की घटनाएं नित्य हो रही हैं फिर भी बहुत शांतिप्रिय और ठीक ढंग से सारी कानून-व्यवस्था है उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद ।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

इसके साथ-साथ आज पक्ष और विपक्ष ने बलात्कार की घटनाओं के बारे में चर्चा की लेकिन ये घटना क्यों होती है इसके लिए घटना के बेकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पश्चिमी संस्कृति और टी. वी. कल्चर और आपराधिक साहित्य, जिस प्रकार से इसके चलन में और बढ़त हो रही है जिस प्रकार से समाज में स्लो पाइजन की तरह यह बढ़ रहा है। उसी का परिणाम है कि बलात्कार और ऐसी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। यह बात निश्चित है लेकिन फिर भी इस पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ-साथ इस समाज में जो यह बीमारी फैल रही है इस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इस ढंग का जो षड़यंत्र हो रहा है इस पर अगर कंट्रोल किया तो निश्चित रूप से इन घटनाओं में कमी आएगी। एक कारण यह भी रहा अपराध बढ़ने का कि जब से राजस्थान में ब्राडगेज ट्रेन्स बढ़ी हैं तो अपराधी का क्षेत्र भी बढ़ा है। ट्रेन से जम्मू कश्मीर या आसाम हो या बम्बई, मद्रास के अपराधी आता है और उसी ट्रेन से वापस चला जाता है। पहले कभी मीटरगेज थी उसका स्टेशन भी तय था और पुलिस व्यवस्था भी वर्षों से यह थी कि निश्चित रूप से इस ट्रेन में बैठा होगा या आने वाला होगा तो पकड़ा जाएगा। अब आजकल पूरे हिन्दुस्तान में इसके आवागमन का हो गया, साधन-व्यवस्थाएं बढ़ गई इसलिए यह अपराधीकरण ज्यादा बढ़ा है इस पर भी अपने को ध्यान देना है समापति महोदया, अजमेर में ..

श्री हरिसिंह (महुआ) : अपराधीकरण कितना हुआ है ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : हां बता दूंगा। अपराधीकरण पिछले साल से कम हुआ है। सन् 1994-95 में अपराधीकरण में वृद्धि 11.6 पर्सेंट है लेकिन 1996-97 में यह घटकर 2.85 पर्सेंट हुई। जितने भी अपराधीकरण की एफ. आर. दर्ज होती है, रिपोर्ट दर्ज होती है उसमें अपराधीकरण का धीरे-धीरे औसत कम हो रहा है। आपकी जानकारी के लिये बता दूं। सम्मानीय उपाध्यक्ष महोमहोदय, अजमेर में जब फरवरी में दंगा हुआ ..

श्री समापति : माननीय सदस्य, सभापति महोदया।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सभापति महोदया, मैं पहले ही बोल गया। आज नहीं तो कल बनने वाले हैं ही। सभापति महोदया, अजमेर में फरवरी में दंगा हुआ और यह दंगा जिस षड्यन्त्र से, जिस योजना से हुआ, मैं राज्य प्रशासन, गृह मंत्री जी और पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगणों को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा, जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से उसको कंट्रोल किया और बहुत बड़ा दंगा फैलाने का जो षड्यन्त्र था, योजना थी उसको कंट्रोल किया और ऐसे समय में जब इलेक्शन हुए ही थे लोक सभा के, उसके दूसरे दिन एक बहुत बड़े षड्यन्त्र को रोका है। इसके साथ-साथ इस दंगे के पीछे कुछ तत्व सामने आये जो मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं। बंग्ला-देश के आपराधिक तत्व सड़क के माध्यम से आकर प्रोपर अजमेर में दरगाह के आसपास बसे हैं। वह सब लोग रोजगार की दृष्टि से यहां आये और आपराधिक दृष्टि से उनका

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

उपयोग लिया जा रहा है। यह इस दंगे में भी स्पष्ट नजर आ रहे थे। जब करीब 100 से ज्यादा अरेस्टिंग हुईं, गिरफ्तारियां हुईं तो उनमें अधिकांश लोग बंगला देश से आये हुए थे लेकिन वे अपराधी नहीं हैं। उनके माध्यम से करते थे, ऐसी षड्यंत्र की बात, उनका उपयोग लेते थे, उनका दुरुपयोग लेते थे। आते हैं वे गरीब रोजी-रोटी के लिये। कई नौकरी कर लेते हैं, कई रिक्शा चला लेते हैं, कई क्या करते हैं। लेकिन वहां के जो बिजनेसमैन हैं, वहां के जो हाकिम लोग हैं उन्होंने उनका इस दंगे के लिये दुरुपयोग किया। मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से आग्रह है कि जो वहां दो-ढाई हजार बंगलादेशी शरणार्थी या बंगलादेशी आकर वहां बसे हैं उनके परिवार पहाड़ी के नीचे बसे हैं

श्री सभापति : बंगलादेशी।

श्री किशन गोपाल कोगटा : बंगलादेशी, उनको पहचान कर उनको वापस निकाला जावे। अजमेर को सुरक्षित रखना है, पूरे जिले को सुरक्षित रखना है तो निश्चित रूप से इन आपराधिक तत्वों को निकालना चाहिये। स्थिति यह है कि उनके राशन कार्ड भी बन गये हैं। उनके जो कच्चे मकान हैं उनमें बिजली के कनेक्शन भी हो गये लेकिन उनकी नागरिकता बंगलादेशी है तो उसकी भी जांच निश्चित रूप से होकर उनको निकालने की कार्यवाही करें। इसके साथ-साथ अजमेर जिले में ....

श्री हरिसिंह (महुआ) : पिछले आठ साल से राजस्थान में आपका शासन है और यह बंगलादेशी अपराधियों के बार-बार गीत गाये जाते हैं, आप अपनी सरकार से कहिये उनको चिन्हित करे और निकाल कर बाहर करे।

श्री किशन गोपाल कोगटा : किसी के घटना होगी तो पता लगेगा। नहीं, अब मैं आपको बता दूं यह राशन कार्ड की सुविधाएं और जो बिजली के कनेक्शन वगैरह हैं उनमें सिफारिश आप लोगों की है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आठ साल से आप राज कर रहे हैं और वे आपसे बाहर नहीं निकले ? गवर्नमेंट आपकी है, आप किससे सिफारिश कर रहे हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : गवर्नमेंट आपकी है, आप निकालिए, किसने मना किया है ? आपकी गवर्नमेंट को मना थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री सभापति : यह गवर्नमेंट को ही सुझाव दे रहे हैं, आप विराजें। वे गवर्नमेंट को ही सुझाव दे रहे हैं, विराजिए।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं आपको सुझाव दूं, आप लोगों ने ही सपोर्ट किया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कहीं ऐसा तो नहीं है बंगलादेश में और पश्चिमी बंगाल में कोई फर्क नहीं निकाल पा रहे हो आप, फर्क है।

श्री सभापति : विराजिये आप।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आप लोगों ने ही सपोर्ट किया है उसी का

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

वातावरण है और आज भी आप लोगों ने ही सपोर्ट किया तो एक माननीय सदस्य ने जितनी भी असत्य बातें कही आपने उनको एप्रिशिएट किया और धन्यवाद दिया। ऐसा लगा जैसा हमारे नेता माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत और उनके बाकी रिश्तेदार तो सब+++हैं, अकर्मण्य हैं। मैं उसका नमूना देकर आपको बताऊंगा कि आप लोगों की स्थिति क्या है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, 1990 में पैदा हुआ आपका बच्चा अब स्कूल की तीसरी क्लास में पढ़ रहा है। अब हमारे ऊपर....(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : जिस प्रकार से जोधपुर नगर निगम के सीवरेज फार्म का 18 साल से अवैध कब्जा कर रखा है और करोड़ों रुपये का+++है राजनीतिक प्रभाव से, उसका नमूना देखने से आपको पता लगेगा कि आप लोगों ने केवल बंगलादेशी लोगों को ही सपोर्ट नहीं किया और यहां बैठे हुए भी गलत और असत्य बातों को सपोर्ट करके आपने यह सोचा कि हम लोग तो सब+++है या जो सपोर्ट कर रहे हैं वे सब+++हैं।

सभापति महोदय, सन् 1975 में जोधपुर नगर निगम ने सीवरेज फार्म के लिये एक टेण्डर निकाला। टेण्डर का नियम यह है कि .

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आठ साल से आपका राज है, आपने निकाल क्यों नहीं दिया उनको?

श्री किशन गोपाल कोगटा : पूरा सुन लीजिए, फिर आप बताइए। मैं आपको पूरा सुनूंगा। सभापति महोदय, 1975 में

श्री शैलेन्द्र जोशी : जब बर्तन मंजवाते हो, घर की सफाई करवाते हो तब तो बंगलादेशी याद नहीं आते। जब वे सस्ते में नौकरी कर जाते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिए आप। आपकी बारी आये तो बोल लेना।

श्री किशन गोपाल कोगटा : हम लोग तो सब पहचानते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह बता रहा था 1975 में जोधपुर नगर निगम में सीवरेज फार्म के टेण्डर निकाले। अब नियम यह है कि जब बहुत बड़ा टेण्डर होता है तो राजस्थान के बड़े-बड़े अखबारों में उसका टेण्डर निकलना चाहिए और टेण्डर के लिये जानकारी भी होनी चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य समझिये उस टाइम में किस प्रकार से राजनीतिक दुरुपयोग हुआ उस दुरुपयोग का नमूना मैं बताता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जो यह विवरण दे रहे हैं जरूर देवें लेकिन साथ-साथ नाम जरूर लेवें। कोई स्वर्गीय आदमी का नाम यहां ले रहे हैं जो यहां मौजूद नहीं है संसार में। सीवरेज फार्म आपने ले लिया है और आज आप उनका नाम लेना चाहते हो, जरूर लेओ, अवश्य लेओ .

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं उस किस्से को बता रहा हूं। जिस तरह आपने

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

इस बहस को प्रारम्भ करते टाइम ऐसा वातावरण बनाया है जैसे हमारे सदन के नेता माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत अकर्मण्य हों या सब काम उन्होंने ऐसे किये हों और....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सीवरेज फार्म आपके जसवंतसिंह जी के श्वसुर ने लिया था, बुलाओ जसवंत सिंह जी को यहां, बात करते हो।

श्री किशन गोपाल कोगटा : केवल एक किस्से से पता चल जायेगा कि आपने किस प्रकार राजनीति का दुरुपयोग किया और किस प्रकार से आपके कांग्रेस के टाइम में, आपके राज में, राज्य को+++है। करोड़ों रुपये का+++है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जसवंत सिंह जी के श्वसुर आपके क्या लगते हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरे पिताश्री, स्वर्गीय। यह कागज बता रहे हो यहां पर।

श्री किशन गोपाल कोगटा : एक मिनट, सुन तो लीजिए आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्या सुनूं मैं, आप नोटिस दीजिए। सभापति महोदय, अगर आपने यह किया तो मैं भी बोलूंगा।

श्री सभापति : आपका नाम तो नहीं लिया अभी तक। आप समझते हैं कि यह आप ही का प्रकरण है तो फिर ठीक है। बिराजें, बोलने दीजिए उनको

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं तो कह रहा हूं नाम बोले।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आप सुनिये हम भी सुन रहे थे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप कैसे सुन रहे थे, मुझे पता है। नाम तो लेओ, आप नाम से क्यों डर रहे हो ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : आप बिना नाम के ही पहचान गये कि+++कौन है। मन में आ जाता है आपके।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हां-हां, मैं+++हूं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : +++ तो पता लग जाता है कि कौन चोर है। मैंने नाम नहीं लिया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : चोर हूं तो गृह मंत्री जी को कहो कि मुझे फांसी लगवाये। राज आपके पास, काम करना आये नहीं आपको और यहां मुख्य मंत्रीजी की+++

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं यह कह रहा हूं, सभापति महोदय, मैं यह बता रहा था कि 1975 में नगर निगम, जोधपुर में एक टेण्डर निकाला सीवरेज फार्म का और सीवरेज फार्म की

श्री राजेन्द्र गहलोत : सभापति महोदय, यह जो+++शब्द कहा है वह कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सभापति महोदय, जब कोई टेण्डर निकलता है तो

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

राजस्थान के बड़े–बड़े अखबारों में उसका विज्ञापन दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक दुरुपयोग किया और राजनीतिक फायदा उठाने के लिये राजनीतिक इम्प्रेशन से, अपना व्यक्तिगत फायदा उठाने के लिये केवल जयपुर के लोकल अखबार जो केवल मोहल्ले में चलते हैं, पूरे जोधपुर में भी नहीं चलते, उनमें विज्ञापन निकाला। नाम बताऊं, 1975 में तरुण राजस्थान, बढ़ते चरण, ललकार, कंट्रोल, जनगण। सभापति महोदय, जोधपुर के नगर निगम के सीवरेज फार्म का जो टेण्डर निकाला वह केवल लोकल अखबारों में, राजस्थान लेवल में कुछ नहीं, फिर दुर्भाग्य देखिए कि किस योजनाबद्ध षड़यन्त्र से जब टेण्डर की तारीख आई तो बोली लगाने में केवल तीन जने, खाली तीन लोगों ने, केवल तीन जने, एक तो बाप–बेटे और एक अन्य व्यक्ति ने इतना बड़ा टेण्डर, केवल तीन जने और तीन दिन तक बोली लगती रही। किसी को भी पता नहीं लगा कि इस प्रकार का टेण्डर हो रहा है सीवरेज फार्म का और अन्त में जो सबसे ज्यादा बोली लगी उनके वह छूटा। चलो भाई छूट गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विषय पर ही।

श्री किशन गोपाल कोगटा : बिलकुल कहूंगा, उसका राजनीतिक दुरुपयोग और दुरुपयोग इसलिए कि मैं आज पुलिस की डिमांड पर बोल रहा हूं और किस प्रकार से मैनीपुलेट करके राज का दुरुपयोग किया गया। उसका एक नमूना बता रहा हूं। सभापति महोदय, उसके बाद दो साल का टेण्डर हुआ, पैसे भर लिये। उस पर लाइसेंस दो साल का मिला। लेकिन 1975 से दो साल का टेण्डर हुआ, वह आज तक कब्जे में है अवैध रूप से। दो साल के बाद वहां की नगर निगम ने उसको, टेण्डर खतम हो गया, उसको खाली कराने का नोटिस दिया, उस नोटिस पर आपने अवैध रूप से....

श्री सभापति : विषय पर आइए आप।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सभापति महोदय, अवैध रूप से लीज लिखवा दी। टेण्डर होता है म्युनिसिपैलिटी का, नगर निगम का....

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, यह किस विषय पर बोल रहे हैं क्या डिमाण्ड हैं, किस बात पर बात कर रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। जो वस्तुस्थिति है इस पर बात करनी चाहिए।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, यह श्रीमान् जी नहीं बोल रहे हैं तो वे अभी तक क्यों बोल रहे हैं ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : उनका भाषण हुआ तो+ + +उस वक्त बोलते (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : उनके भाषण में तो उन्होंने अपनी बात कही (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : काफी समय तक कब्जा रहा।

श्री सभापति : आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार बैठें आप।

+ + +शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : वह किराया उसका है वह जमा नहीं हुआ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : वह उनका राजनीतिक संरक्षण रहा और वह संरक्षण नहीं रहना चाहिए था जिससे जोधपुर शहर को और नगर निगम को भारी नुकसान हुआ है (व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार : माननीय सभापति जी, यह खुद नहीं बोल रहे हैं इनको बुलाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : राजनैतिक दुरुपयोग इस ढंग से राजनीतिक कारणों से करोड़ों रुपये का + + + और वह इस ओर से कि मैं तो सही हूं, बाकी सब चोर हैं। अभी एक नमूना है, आपके सब नमूने और हैं आप कहें तो मैं बताऊंगा तो सब पता लगेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आज कह ही दो। लाओ, लाओ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अभी तक + + + कोगटाजी। 1975 का मामला है, 1977 में आपकी सरकार आ गयी थी, यही कुल कमेटी के, 1977 से 1980 तक आप + + + और 1990 से आज तक + + + ये यों ही कागज दिखा–दिखा करके....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। आप क्यों जबरदस्ती लेना चाहते हैं। आप यह कहना चाहते हैं कि मैं ही हूं वह शख्स तो कह दीजिये आप।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हरिसिंह जी, 1977 से 1980 तक इनकी चौकसी थी।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं बताता हूं।

श्री सभापति : अगर आप स्वीकार करते हैं तो करिये नहीं तो बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं स्वीकार करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, आप बोल चुके, आपका विषय गया। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : गलत लीज डीड लिखवाकर, अवैध रूप से गलत लीज डीड लिखाकर और उस पर अवैध कब्जा किया और कोर्ट से स्टे ले आये और उसमें भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया। राजनीतिक का उसने दुरुपयोग किया, उसके इम्प्रेशन से जो आज तक उनके कब्जे में है और ये दुआएं दे रहे हैं कि मैं तो सही हूं, बाकी सब चोर हैं। मैं तो एक नमूना बता रहा हूं।

श्री ओमप्रकाश भाटी : पॉइंट ऑफ आर्डर।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको भी राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है नहीं तो आपको टिकट ही नहीं मिलता, इस लायक ही नहीं हो।

श्री सभापति : बिराजिए।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भीमराज भाटी : सभापति महोदया, पाइंट आफ आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये, बोलने दीजिये इनको। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री सभापति : उनका भाषण चल रहा है, क्या फायदा ? (व्यवधान) विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : निर्दलीय विधायक के साथ अन्याय हो रहा है और आप पाइंट आफ आर्डर लिये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : पाइंट आफ आर्डर का दुरुपयोग .. (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : राजनीति इम्प्रेशन का, पद का दुरुपयोग जिस प्रकार से किया और व्यक्तिगत फायदा पहुंचाया और यह चीज भी आपके... (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : पाइंट आफ आर्डर। मैडम, आन द वर्ड....

श्री सभापति : हां जी, बोलिये।

श्री भीमराज भाटी : मेरा निवेदन है, सभापति महोदया, कि जब व्यक्तिगत प्रकरण के बारे में माननीय मुख्य सचेतक ..

श्री सभापति : आप बोलिये, क्या कहना चाह रहे हैं।

श्री भीमराज भाटी : बोल ही तो रहा हूं, सुन तो लीजिये।

श्री सभापति : हां।

श्री भीमराज भाटी : जब मुख्य सचेतक जी ने यह कहा था कि कोई व्यक्तिगत मामला यहां नहीं उठाया जायेगा।

श्री सभापति : इसमें व्यक्तिगत कौन-सा नाम लगा है ? (व्यवधान) कौन-सा नाम व्यक्तिगत आया ? विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : क्या बात कर रहे थे।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया।

श्री भीमराज भाटी : ये आपके आपको क्यों नहीं रोक लें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैंने इस सारे प्रकरण में किसी का भी नाम नहीं लिया। मैं तो हिस्ट्री बता रहा हूं।

श्री भीमराज भाटी : बिना नाम लिये ही सब कह रहे हो न। तो फिर इसको आज का दिन ही समर्पित कर दो न।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं केवल इसलिए कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजें। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : आज का दिन समर्पित कर दो भाटी जी को।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री भीमराज भाटी : और कर दीजिये समर्पित भाटी जी को। उसमें क्यों सदन का टाइम निकाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : सदस्यों ने यह कहा कि जब आपका राज था तो फिर बांग्लादेशियों को आपने क्यों नहीं हटाया। (व्यवधान) क्योंकि आज बांग्लादेशी होगा ही नहीं, संरक्षण आप लोगों ने....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह किसकी बात बोल रहे हैं, यह तो बता दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विषय पर आइये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : भाटी जी, ये किसके खिलाफ बोल रहे हैं, यह तो बता दो।

श्री भीमराज भाटी : इनको खुद को ही पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं पूछ रहा हूं भाटी जी, वे किसके खिलाफ बोल रहे हैं?

श्री भीमराज भाटी : इनको खुद को ही पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : नहीं, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। नाम तो बता दो।

श्री भीमराज भाटी : हां, पूछो तो बता देंगे। इनको खुद को पता ही नहीं है। (व्यवधान) यह तो अन्दर से दे दिया कि यह बोलना है हाउस में जाकर, वह बोल रहे हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा ही बोलता तो मेरे साथी मंत्री महोदय राजेन्द्र जी इस बात को आगे नहीं बढ़ाते। यह सही तथ्य है, सही व्यवस्था है। यह तो एक है, आप कहो तो 10 प्रकरण माननीय सदस्य के और बता दूंगा और राजनीति और पद का दुरुपयोग किया।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप बोल ही दो, पूरा समय आपको, अच्छी तरह उजागर करो।

श्री किशन गोपाल कोगटा : और आज तो बिल्ली सौ चूहे खाकर और हरिद्वार जा रही है तो यह नहीं चलेगा। आप अपने गिरेबान में झांकिये कि हम क्या हैं, हम किस जगह खड़े हैं, हम किस पर चार्जेज लगा रहे हैं, उसके पहले हमारी स्थिति क्या है। बिल्ली सौ चूहे खाकर हज को जाए, जिनको पता ही नहीं, यह वह वाला किस्सा है।

सभापति महोदया, आज जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन में सबसे बड़ी जो कमियां हैं, उनमें एक स्टाफ की कमी है। आज स्थिति यह है कि दो पुलिस वाले थाने में, दो तो कोर्ट में चले जाते हैं, कोई एस.पी. या डी.आई.जी. या अधिकारी या मिनिस्टर साहब के अरेंजमेंट चले जाते हैं, दो छुट्टी चले जाते, बीमार हो जाते हैं। नफरी या स्टाफ सन 1952–54 का है, उस टाइम जो पोपुलेशन थी उसके बाद पोपुलेशन तो डबल हो गयी लेकिन पुलिस की नफरी बढ़नी चाहिए व्यवस्था के लिए, क्राइम बढ़ा है, उसके लिए बढ़नी चाहिए संख्या। लेकिन मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

हूं इस बजट में यह जो पद बढ़ने की व्यवस्था की, 6456 पद सृजित किये उसके लिए धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी को लेकिन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और यहां की जो बढ़ती हुई अव्यवस्था या यह समझ लीजिये कि जनसंख्या बढ़ रही है और यातायात के साधन बढ़ रहे हैं और कितने ही ऐसी व्यवस्थाएं हैं उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहता हैं तो यह आवश्यकता क्या है। मैं यह चाहता हूं, आपके माध्यम से, सभापति महोदय, कि यह संख्या 10 हजार की जानी चाहिए। कम से कम पहली बार आपने साहस किया लेकिन यह संख्या ऐसी हो कि कम से कम 3-4 साल अगर नहीं बढ़े तो वह राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की दृष्टि से व्यवस्था की जाय। माननीय सभापति महोदया, पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए भी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप अपने सुझाव पेश करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : हां, सुझाव।

सभापति महोदया, पुलिस का आधुनिकीकरण होना भी आवश्यक है। आजकल आधुनिक शस्त्र और आधुनिक ऐसी संचार व्यवस्था हुई कि आजकल जो क्राइम हैं, चोर हैं वे आधुनिक टेक्निक से, इनका मुकाबला करने के लिए आधुनिकीकरण होना बहुत जरूरी है और इसके लिए इस बजट में 30 करोड़ रुपये रखे गये हैं। उसके लिए धन्यवाद। आज ही जानकारी मिली है कि सारे हिन्दुस्तान में सभी पुलिस स्टेशन पर कम्प्यूटर लगाने की योजना केन्द्र सरकार की है और उसके लिए राजस्थान प्रदेश का चुना लेकिन बहुत–बहुत धन्यवाद केन्द्र सरकार को, राज्य सरकार को जिससे सारे हिन्दुस्तान में कोई भी सूचनाएं लेनी हों तो नेटवर्क पर कम्प्यूटर में लेंगे उसके लिए केन्द्र सरकार को, राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।

इसके साथ-साथ, अपन सारी बुराइयां पुलिस के कर्मियों की कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की कर रहे हैं लेकिन उनके दुविधा की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा कि क्या व्यक्तिगत रूप से मन से काम करने की स्थिति में हैं कि नहीं। उनको अगर कोई कष्ट है, उनके पारिवारिक दृष्टि से रहने में और उनके बच्चों के पढ़ने में और मानसिक रूप से अगर वह संतुलित रहें तो निश्चित रूप से स्टेट और क्षेत्र की सुरक्षा कर सकेंगे और अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य का निर्वाह कर सकेंगे। इसके लिए इस बजट में उनके आवास के लिए जो 600 करोड़ की जो योजना बनी उसके लिए तो बहुत–बहुत धन्यवाद और इस बजट में 156 करोड़ रुपये रखे हैं उसके लिए तो बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं बोले। विराजें आप। बिना अनुमति के नहीं बोलेंगे।

श्री किशन गोपाल कोगटा : इस दृष्टि से भी इस बजट में प्रावधान किया गया है उसके लिए भी बहुत–बहुत धन्यवाद और आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए भी बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर। मैं तो सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि ...

श्री किशन गोपाल कोगटा : अभी तो और मुद्दे हैं, आप आज्ञा दें तो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सन् 1971 में

श्री सभापति : सन् 1971 का कौन सा पाइंट आफ आर्डर हुआ ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सन् 1971 में भंवरलाल जी शर्मा की मेहरबानी से स्वर्गीय कर्नल मोहनसिंह जी

श्री सभापति : दिस इज नॉट पाइंट आफ आर्डर। विराजिये आप।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आप ही जान ले रहे है। मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया।

श्री सभापति : विराजिये, यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। दिस इज नॉट पाइंट आफ आर्डर।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 16 पुलिस पर आज बहस हो रही है। राजस्थान में चोरी डकैती, बलात्कार और हत्याएं इतनी हो रही हैं, इनके बारे में तो मैं कहना नहीं चाहता, मेरे और बहुत सारे साथी भी कहेंगे। मैं तो सिर्फ गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 19 जुलाई, 1996 को मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था।

टोडा के अन्दर, जीवन राम एस. सी. का, रहने वाला था। वह डाक्टर हरिसिंह का पोलिंग एजेन्ट बना, 1996 के चुनाव में। देवकीनन्दन वैद्य और टोडरमल पुत्र मोहनलाल उसके घर जाकर शाम को उसको धमकाया और उससे मारपीट की। इसके बारे में मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था। उस पर माननीय गृह मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि सी.बी.आई. से जांच करवाकर इसमें कार्यवाही करेंगे। मुकदमा नम्बर 138/96, गृह मंत्रीजी को मैं याद दिलाना चाहता हूं। अब इसमें आज तक क्या कार्यवाही हुई ? मैं नहीं समझता कि उसमें कुछ कार्यवाही हुई है। ये पूरे अपराधी हैं। मैंने उसमें कहा था कि ये हत्यारे हैं उनको हत्या में सजा हो चुकी है। हाई-कोर्ट में उसकी अपील चल रही है और ये जमानत पर हैं। इनका एक भाई जो महाराष्ट्र में जलगांव के सैक्स-स्कैंडल में, कमलनाथ शास्त्री जो उनका भाई है, वह वहां मुजरिम है। वहां गिरफ्तार हुआ है। इनके पिता जो मोहनलाल वैद्य हैं, ये भीलवाड़ा के अन्दर मरीजों का इंजेक्शन लगाते हैं। उसके अन्दर एक आदमी का मर्डर हो गया। उसमें वैद्य मोहनलाल और उसकी धर्म पत्नी पर केस चल रहा है। वे वहां भी गिरफ्तार हो गये। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यह ऐसा परिवार है कि जो सारे काम ऐसे करता है कि वहां टोडा के अन्दर लोग इतने भयभीत है उनसे कि कोई भी उनके सामने नहीं बोलना चाहता असामाजिक तत्व इनके उनके साथ में हैं कि वे पूरी तरह से लोगों को परेशान करते हैं।

पुलिस का जहां तक सवाल है। वहां की पुलिस जो है, उसको तो मुख्य मंत्रीजी वहां जाकर के वरदान दे आए। वहां पर जो शराब माफिया है वहां जाकर उनका

(श्री मोहनलाल मोदी)

कद इतना ऊंचा कर दिया कि आज पुलिस-राज नहीं है वहां । आज माफिया का राज है और जो माफिया कहता है वह वहां चलता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको थोड़ा कण्ट्रोल कीजिए और इस देश को बचाइए ।

सभापति महोदया, सी. आई. डी. (सी. बी.) में आज तक उसमें क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है । अभी आपको कहना चाहूंगा कि अब चतुर्वेदी जी को जानकारी थी या नहीं थी । चतुर्वेदी जी वहां 15 जून को जो मर्डर करने वाले, हत्यारे हैं, स्कैंडल कांड में अपराधी है, उनके यहां एक धर्मशाला का उद्घाटन करने के लिए गये । उनको क्यों ले गये । मेरे को जानकारी नहीं है कि उनको कोई जानकारी थी या नहीं थी । लेकिन उनके जाने से उनका कद बड़ा हो गया । वहां के अधिकारी, जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं उनकी पूरी की पूरी तरफदारी करेंगे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस सरकार के मंत्री ऐसे लोगों के यहां जाकर इस देश को बर्बाद न करें ।

उसके बाद वहां इतनी चोरियां बढ़ गयीं, इतनी गुण्डागर्दी, डकैतियां मैं निवेदन करना चाहूंगा । टोडा के अन्दर गृह मंत्री जी, बहुत सही बात कह रहा हूं कि किसी आदमी की बोलने की हिम्मत नहीं है । सरे-आम किसी की पिटाई कर दें, जबे जिस पर झूठा मुकदमा लगा दें क्योंकि पुलिस को जो यह शराब माफिया कहता है, पुलिस आपका आदेश नहीं मानती है, पुलिस तो इनका आदेश मानती है ।

मेरे यहां खेतड़ी मोड़ पर एक मर्डर हो गया था । जो मर्डर किया गरदन से, आप देखिये, उन्होंने आत्म-हत्या का केस बना लिया । आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको टेलीफोन किया । आपने एस. पी. को भेजा । एस. पी. वहां गया और उसने जानकारी करके, अब जो असली मुलजिम थे वे तो पकड़े नहीं गये लेकिन दो को गिरफ्तार किया । मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर इस तरह की हालत है कि, वहां जो हुआ वह बता रहा हूं मैंने इनसे बात की, इन्होंने एस पी. को भेजा । तो जो असली मुलजिम थे उसकी तो एक आदमी ने जमानत देकर उसको उसी दिन पहले ही छुड़वा लिया । वह आज तक नहीं आया । तो जो जमानती है उसको आप पकड़िये । उसको कहिये कि वह उसको लाए, राजसिंह कोई सरदार है । तो ऐसी स्थिति वहां पैदा हो रही है कि सारा इलाका भयभीत है । पुलिस अपने आपको कमजोर समझ रही है । अब लोग तो जगह-जगह कई तरह की बातें करते हैं लेकिन मैं सही बात कहना चाहता हूं कि पुलिस अपनी मर्जी से वहां कुछ नहीं कर सकती है । वहां हमारे इस माफिया गिरोह का आदेश चलता है, हर किसी मामले में ।

मैं आपको एक और उदाहरण बता देता हूं, 5-1-98 को जीप नम्बर आर.जे. 23-सी 2071 से दिन में साढ़े तीन बजे दीपक पुत्र लालसिंह, नीमकाथाना, का एक्सीडेंट कर दिया । उसमें उसकी मृत्यु हो गयी । इसमें छह महीने होने को आ गये, आज तक पुलिस ने उस जीप के ड्राइवर की शिनाख्त नहीं की, उस जीप ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया । उन्होंने दूसरा जीप का ड्राइवर पेश किया जो पहले उस जीप

(श्री मोहनलाल मोदी)

पर था। उसने जाकर एस.पी. के यहां कह दिया कि मैं नहीं था उस वक्त। अब आपकी पुलिस की यह कार्यवाही रह गयी कि आज तक, दिन में एक्सीडेंट हो और जीप ड्राइवर का आप पता नहीं कर सकें, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकें, आखिर क्या राज है यह आपका? ये डकैतियां, बलात्कार, हत्याएं, यह तो इतनी हो रही हैं।

मैं तो गृह मंत्रीजी इतना कहना चाहता हूं कि यह जो ध्यान आकर्षण दिया था, आपने सी. आई. डी. (सी. बी.) में भेजा उसका क्या हुआ? उस पर कहीं हमारे चतुर्वेदी जी के जाने का प्रभाव नहीं पड़ जाए। मैं तो इस बात से चिन्तित हूं कि उनको क्यों ले गये कहां टोडा, कहां जयपुर। वहां पर उनको ले जाकर अपना कद बढ़ाया है कि मंत्री वहां गये हैं और उसमें वे मौजूद थे। उसका बाप मोहनलाल वैद्य, जो भीलवाड़ा में मुजरिम है, कमलनाथ शास्त्री जो वहां ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आप इसको रिपीट न करें। (व्यवधान) सब रिपीट हो रहा है।

श्री मोहनलाल मोदी : एक मिनट, बस मेरा लास्ट ही है।

वह जलगांव में जो था, कमलनाथ शास्त्री, वह मौजूद था। मैं यह कह रहा हूं कि वहां मौजूद था। जब चतुर्वेदी जी वहां गये तो उनकी अगवानी में ये सारे मौजूद थे। तो मेरा यह कहना है कि कम से कम इन मंत्रियों को इतना तो चाहिए कि जरा जाएं ऐसी जगह....इस मामले पर तो विधान सभा में कोई दो घण्टे तक बहस हुई है 19 जुलाई को। यह भी नहीं कह सकते हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है। हमारे कई साथी इसके अन्दर बोले थे। तो ऐसी जगह जाकर उसके बाद तो और कई कबाड़े करने शुरू कर दिये उन्होंने वहां मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस जान-माल की रक्षा करने के लिए पुलिस को जरा मुस्तैद करिये और ऐसे लोगों का उन पर आतंक मत रखिये कि जिनसे पुलिस भी डरे। पुलिस वहां उनके बिना कुछ नही कर सकती है। किसी मुकदमे में चले जाओ, उनका फोन चला जाए, ये भेज दें क्योंकि इनके पास दारु के, बिना कमाई के पैसे, सारे कुछ हैं। आपने ऐसा हिसाब इनको दे रखा है कि ये जो मर्जी चाहे जैसे करें। तो मेरा तो सविनय निवेदन है, गृह मंत्री जी, कि इस नीमकेथाने की सुरक्षा के लिये, थोड़ा-सा इस राजस्थान को बचाने के लिये आप इन शराब माफियाओं पर कुछ कण्ट्रोल कर सकें तो करिये, नहीं तो भगवान ही कुछ करे। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती शशीदत्ता।

श्रीमती शशीदत्ता (टोंबी) : माननीय सभापति महोदया, आप पिछले कई दिनों से.... (व्यवधान) लास्ट सेशन है, कह तो लेने दीजिये। पता नहीं बनाओगे कि नहीं?

(17.50 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपने कहते ही उठा दिया उनको।

(श्रीमती शशीदत्ता)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पिछले please dot't intervene.

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से इस सदन में भिन्न-भिन्न विषयों पर वाद-प्रतिवाद हो रहा है। आज क्योंकि एक महत्वपूर्ण डिमांड इस सदन में पेश है, पुलिस डिमांड। जब से यह हमारी कल्याणकारी सरकार, संवेदनशील सरकार सत्ता में आयी है, तब से मैं यह नहीं कहूंगी कि सारे गलत काम ही किये, बहुत से अच्छे काम भी किये हैं और सबसे ज्यादा आभारी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की हूं कि उन्होंने हर काम नीति के अनुरूप किया, नीतिबद्ध किया चाहे वह सड़क नीति हो, चाहे पर्यटन नीति हो, चाहे भ्रष्टाचार निरोधक नीति हो, तो एक नीति आज और घोषित कर दें, वह+++ नीति। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई भी मामला उठाया जाए, चाहे वह किसी सदस्य से सम्बन्धित हो, चाहे किसी महिला से सम्बन्धित हों, तो उस मुद्दे को न तो कोई राजनीतिक रूप देना चाहते हैं, न उसको डिस्कस होने देना चाहते हैं। सिर्फ उसको यह कहते हैं कि यह कांग्रेस का है, यह भाजपा का है, हमारी सरकार ने यह कर दिया, हमारी सरकार ने यह कह दिया और हमारा+++ बीच वाले लोगों का। यह क्या मतलब हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि किसी भी बात को जो इस सदन में उठाई जाती है, उसका हमेशा राजनीतिकरण कर दिया जाता है कि यह इससे सम्बन्धित है, यह इस दल से सम्बन्धित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्री जी की क्योंकि यहां पर बार-बार मुद्दा उठाया जाता है कि अनुसूचित जाति के, मेरी ही जाति के गृह मंत्री बनायें। गृह मंत्री विराजमान हैं। मेरे सामने विराजमान हैं। मैं उनका बहुत आदर करती हूं। मेरा घर भी उनके बिलकुल सामने है लेकिन माननीय गृह मंत्री जी, मैं इस सदन के माध्यम से यहां मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, साथ ही आपको आरोपित करना चाहूंगी कि आपने कम से कम इस पद पर बैठकर इस पद की जो गरिमा थी या जो होनी चाहिये थी, अगर गलत लगे तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस के बहुत सारे बड़े-बड़े अधिकारी यहां विराजमान हैं, आज आप उसमें देखिये कि जो हमारी प्रणाली है, हमारा कैडर कहां स्टैण्ड करता है ? हमारा कैडर चीफ सैक्रेटरी और डी. जी. पी. के ऊपर आता है, विधायकों का। लेकिन आज मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक विधायक को अगर अपनी एफ. आई. आर. लॉज करानी पड़ती है तो वह एक एस.एच.ओ. के पीछे घूमता है कि थानेदार जी मेरे केस में क्या हुआ और जिसकी मैं भुगतभोगी हूं और उसको यहां मजाक का विषय बना देते हैं कि साहब, यह कांग्रेस पार्टी है, यह बी. जे. पी. हैं, यह निर्दलीय है। मैं पूछती हूं कि महिलाएं सबकी सांझे की होती हैं, कभी आपने※न्याय देने की बात की ? कभी आपने※यह बात

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

※ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्रीमती शशीदत्ता)

कहीं कि इसके साथ अन्याय क्यों हुआ ? मैं उसकी भुगतभोगी हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी के सामने मैं उनके ऊपर आरोप लगाती हूं कि इस पांच साल में जितने अत्याचार माटी जी की तरह मेरे पर हुए, शायद ही किसी अनुसूचित जाति की महिला पर हुए हों। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरी पीठ थपथपाई होगी, मेरे आंसू पोछें होंगे, गृह मंत्री जी ने भी आंसू बहुत बार पोछें होंगे लेकिन मैं यह कहती हूं कि आज तक किसी भी मुकदमे में माननीय गृह मंत्री जी ने न्याय नहीं किया।

दूसरी बात, मेरे खुद के घर में चोरी हुई। माननीय गृह मंत्री जी विराजमान हैं। मैं यहां पर रहती हूं, मेरा सारा परिवार यहां रहता है। मेरे जिले के एस. पी. मुझे कहते हैं कि मैडम, आप पर्चा दर्ज मत करवाइये, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई मैं किसी एस.एच.ओ से कहकर करवा दूंगा। तो मैंने बड़े दुःखी हृदय के साथ गृह मंत्री जी को कहा कि गृह मंत्री जी चोरी तो मेरे हो गयी, मैं तो यहां थी लेकिन मैं भरपाई नहीं चाहती हूं। दूसरी अहम् समस्या, मैं मेरी बात नहीं कहूंगी। मैंने पांच साल तक झेला है और तीन महीने और झेलूंगी मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन किया था कि गृह मंत्री जी एक आर्म्स का, हथियार का लाइसेंस मुझे आल इंडिया का दे दो ताकि मैं मेरी सेफ्टी खुद कर सकूं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं कि आप मुझे कोई न्याय देंगे और भला हो बी. जे. पी. सरकार का कि इन्होंने एक-एक हथियार हमको जरूर दे दिये, जिससे हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नीतियों का निर्धारण किया। कितने आयोग बनाये ? मैं जब मिनिस्टर थी तो मेरे समय में एक आयोग बना, विधि आयोग। विधि आयोग की बहुत सारी रिपोर्ट मेरे सामने लाते, लम्बी चौड़ी। मैं उन रिपोर्ट्स को लेकर पता नहीं कितनी बार माननीय मुख्य मंत्री जी के पास गयी। पता नहीं कितनी बार उनसे चर्चा की कि साहिब इनका क्या करना है ? उन्होंने कहा कि इनको रख दो। तो हमें बड़ा दुःख हुआ कि करोड़ों रुपये जिस विधि आयोग पर हमने खर्च किये, उन रिपोर्ट्स का अगर कुछ करना ही नहीं था तो फिर वह आयोग किसलिये गठित किया ? इन आयोगों का फायदा क्या है ? आज दूसरी बात मैं आपके बीच में कहना चाहूंगी कि जब भी कोई मुद्दा उठाता है तो मेरे भाई खड़े हो जाते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ कि शशीदत्ता बोल रही है, यह देख तेरे खिलाफ, यह एक सोची-समझी साजिश है। उनकी साजिश का नमूना है अगर हमारे खिलाफ

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आरोप है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, यह बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप घण्टी नहीं बजाएं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य, कि आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती शशीदत्ता : पांच मिनट में।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट नहीं, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती शशीदत्ता : हां, एक मिनट में ही करती हूं। आप तो +++ मत कीजिये, आप तो अनुसूचित जनजाति के हैं, हुक्म। आप तो ऐसे मत करो। आप क्या कर रहे हो ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन कोई अनुसूचित जाति, जनजाति का नहीं है, आसन तो आसन है।

श्रीमती शशीदत्ता : मेरे पर मत कीजिये +++ मैं उनसे यह कह रही हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके बीच में कहना चाहूंगी कि हम पर आरोप-प्रत्यारोप लगते रहे। हमने उनके जवाब भी दिये। आज भी मैं कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, जिनका मै बहुत आदर करती हूं, वे इस +++ नीति को कम से कम अब खतम कर दें, इसका पटाक्षेप कर दें। अगर हमारे खिलाफ आरोप है, मै आपके माध्यम से, मुख्य मंत्रीजी सुन रहे होंगे, उनसे कहना चाहूंगी कि एक एजेन्सी खोल दी, किन लोगों की ? आज मुझे यहां डिस्कस नहीं करना चाहिये मैं किसी का नाम नहीं लूंगी लेकिन मै कहना चाहती हूं कि ऐसे लोग हमारी जांच करेंगे जो खुद सन् 1977 में भ्रष्टाचारों के आरोपों से रिवर्ट हुए उन लोगों से आप हमारी जांच करवाएंगे ? आज हम दो-दो, तीन-तीन लाख जनता पर चुनकर आये हैं और अगर हमारे खिलाफ आरोप है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो इस सदन के पटल पर आज अन्तिम सत्र है, क्यों नहीं वो रिपोर्ट यहां पर रखी जाती हैं ? अगर हम दोषी है, जनता के बीच में आप हम लोगों को गुमराह करते हो कि शशीदत्ता दोषी हैं, शशीदत्ता +++ खिलाफ यह लोकायुक्त की जांच है, यह फलाने राम की जांच है, मै कहती हूं, गृह मंत्रीजी....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है ? इस सदन में आज पुलिस की डिमांड है, इसके ऊपर आप बोलिये कि मेरे यहां पर यह चाहिये। एस.पी. चाहिये, डी.आई.जी. चाहिये, वो चाहिये....

श्रीमती शशीदत्ता : हमको वह नहीं चाहिये। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह क्या बात हो गयी ? बात किधर की किधर घूम कर जा रही है ?

श्रीमती शशीदत्ता : न हमको एस. पी. चाहिये, वह आप ले जाइये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह क्या बात हुई, डिमांड के ऊपर बोलो न।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस पर डिमांड है और पुलिस से सम्बन्धित बात ही रही है। बीच में इण्टरप्ट क्यों कर रही हैं यह, बोलने दीजिये उनको। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप डिमांड के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रही

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(184)

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

बात कहां की कहां ले जा रही हैं। डिमांड के ऊपर बोलो न।

श्रीमती शशीदत्ता : एस. एच. ओ., एस. पी. आप ले लें। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप खुद न्याय मंत्री रही हुई हैं। आप खुद इस सरकार के अन्दर न्याय मंत्री रही हुई हैं, आपको कितना अनुभव है, आप अपना अनुभव बताओ न। आप यह बताइये कि हमारे को यह डिमांड है, डिमांड के ऊपर बोलना है। आप डिमांड्स पर बोलो न, जो कुछ बोलना हैं कि हमारी यह डिमांड है। यहां वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं। (व्यवधान) आप डिमांड पर बोलो न, कौन मना कर रहा है, जो कुछ बोलना है।

(18.00 बजे)

श्री शैलेन्द्र जोशी : महिलाओं के मामले में तो बोलो।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय, अगर आपको तकलीफ है तो आप मुझसे सदन के बाहर मिल लें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी। और जिस तरह से चाहें उस तरह से मिल सकते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इसमें मिलने की क्या बात हुई ?

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसे आरोप हैं जिनकी जांच चल रही हैं बजाय +++ करने के, यह अन्तिम सत्र है, मुख्य मंत्रीजी यहां डिसाइड करें कि फलां दिन में जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, जिनके खिलाफ आरोप हैं, जिनकी जांच चल रही है, सदन की मेज पर रखवा दें ताकि हम जनता में बार–बार यह जवाब नहीं दें कि मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया और अगर है तो मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, हमारे खिलाफ कार्यवाही करवाइये। यह कोई मतलब नहीं है आत्मिक रूप से हम लोग इतने हैल्पलेस हो जाते हैं कि एक-एक आदमी को अगर हम यह जवाब देना चाहें कि हमने कुछ नहीं किया और अगर किया है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन की मेज पर रखवाइये और हमारे खिलाफ आप कार्यवाही करवाइये।

माटीसाहब अभी कह रहे थे कि पिछले पांच सालों से भुगत रहे हैं : पांच साल में तीन–चार महीने और बचे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बा–चौड़ा नहीं कहूंगी। मैं पीड़ित हूं इसलिए आपके सामने कह रही हूं वरना मैं गृह मंत्रीजी के घर पर लगभग रोज जाकर +++ उसका फायदा नहीं हुआ।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहूंगी कि भगवान करें आपकी सरकार दुबारा आये। मैं यह नहीं कहूंगी कि आपकी सरकार दुबारा नहीं आये, आपकी सरकार दुबारा आये और (व्यवधान) नहीं, मुझे नहीं बनना, मैं तो बहुत दुःखी हूं और दुःख में छोड़कर गयी हूं। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती शशीदत्ता)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को लास्ट मैसेज देना चाहूंगी। हो सकता है मैं भी दुबारा सदन में न आऊं। मेरी यह शुभकामना है माननीय गृह मंत्रीजी को, अगर पुलिस किसी को सिपाही बनाती है तो एक डण्डा जरूर देती है कि बेटा, इससे अपनी सेफ्टी कर लेना वरना तो उससे कौन डरे। ऐसा गृह मंत्री जरूर बनाइये, अनुसूचित जाति का जरूर बनाइये लेकिन उसको अधिकार जरूर दे दीजिएगा, ऐसा + + + मत बनाना जो हमको पिटवाये। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है। मैं आभारी हूं आपने मुझे समय दिया। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमल कोली (अनुपस्थित)। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नम्बर 16 और 17 के सम्बन्ध में चर्चा में भाग लेते हुए निवेदन करूंगी कि राज्य की पुलिस का दायित्व राज्य की जनता की कानून व्यवस्था सम्भालना व सुरक्षा प्रदान करना है इसके लिए राज्य की पुलिस इस ओर अग्रसर है कि हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान की पुलिस का प्रशासन अपना महत्व रखता है। पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने कई कामों में सफलता हासिल की है। राज्य की पुलिस में काम करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, उन बिन्दुओं की ओर मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है। इसी रीढ़ की हड्डी के कारण सरकार चलती है। यह रीढ़ की हड्डी कमजोर और विकृत हो तो सरकार चलने लायक नहीं रहती। जान-माल की सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर विभाग के अन्दर अपना–अपना एक महत्व होता है। इस विभाग से हर तरह के काम लिये जाते हैं। कोई भी मेला हो तो पुलिस की जरूरत, कोई जुलूस हो तो पुलिस की जरूरत, कोई मरता हो तो पुलिस की जरूरत, चोरी हो तो पुलिस की जरूरत, हर काम में पुलिस की जरूरत रहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगी कि कुछ जमाने पहले जो पुलिस की नफरी थी, वही की वही आज है। अब तो जनसंख्या काफी बढ़ गयी है तो मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि नफरी को बढ़ायें। जनसंख्या को देखते हुए अगर आपने नफरी नहीं बढ़ायी तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस के ऊपर कई तरह की जिम्मेवारियां आती हैं। उन जिम्मेवारियों को निभाने में वह असक्षम हो जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र के कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जोधपुर शहर राजस्थान में जयपुर के बाद में दूसरे नम्बर का शहर है। जोधपुर शहर में जिस हिसाब से मुकदमों का पंजीकरण हो रहा है इससे जोध-

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(१८८)

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पुर शहर में पुलिस थानों का क्रमोन्नत होना अति आवश्यक है। सिवांची गेट पुलिस चौकी, मेड़ती गेट पुलिस चौकी, नागौरी गेट पुलिस चौकी और सोजती गेट पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करना आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय को अजनेश्वर महाराज के आश्रम सिवांची गेट के अन्दर अजनेश्वर स्थायी पुलिस चौकी बनाने के लिए निवेदन करती हूं कि वहां पर आश्रम में बाइजी महाराज के आश्रम के नाम से लोकप्रिय है, यह लगभग 100 वर्षों से पहाड़ी पर स्थित है। महान चित्त साधक सन्त की प्रेरणा में हजारों नर-नारियों को आध्यात्मिक धारा से उपकृत किया गया है। इस आश्रम में सैकड़ों महिलाएं दर्शन करने पहुंचती हैं। अजनेश्वर महाराज के चारों ओर अन्य आश्रम भी बने हुए हैं। जैसे गणेशगढ़, रामऋषि संत आश्रम, गबरनाथ महादेव आश्रम, भूतनाथ आश्रम, कलजी महाराज का आश्रम उकेश्वर महादेव आदि पवित्र एवं धार्मिक स्थान वहां पर स्थापित हैं। इसी क्षेत्र में बाइजी महाराज के आश्रम में जाने वाली महिलाओं को परेशानी होने के साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती है और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक क्षेत्र में मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस क्षेत्र में भाईचारा व प्रेम भावना रहे, इसके लिए पुलिस चौकी आवश्यक है। वहां पुलिस की नफरी भी बढ़ायी जाय।

जोधपुर शहर में पुराने पुलिस थानों व पुलिसचौकियों के भवनों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है। उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी मरम्मत व रंगाई-पुताई की व्यवस्था की नितांत आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जोधपुर शहर के अन्दर कई ऐसे एस.पी., डी.आई.जी. आ गये, क्योंकि मैं स्वयं पुलिस अधिकारी की लड़की हूं, मुझे इसका बहुत भारी अनुभव है, कई अधिकारी आ गये होंगे। मगर अभी दो साल के अन्दर वहां पर एस.पी. और डी.आई.जी. ने जो कार्य किये हैं, वास्तव में सराहनीय कार्य किये हैं। मैं उन एस.पी. साहब, जो कि सुधीर प्रतापसिंह जी हैं मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं कि उन्होंने थानों का निर्माण कराया और गृह मंत्री को भी बधाई देती हूं मैं आपसे जरूर कहूंगी कि न्याय के आप इस कि आपने महिला थाना खोलकर महिलाओं के साथ में न्याय किया है। मगर एक बात महिला थाने के अन्दर किसी अच्छी महिला को लगायें जिससे कि वह उस कार्य को देख सके और जो महिला आ रही है, महिला अपनी बात महिला को कह सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे यहां पर सुधीर प्रतापसिंह जी एस. पी. थे, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। हर जगह तो जलगृह बनवाये। थानों की मरम्मत के लिए अपने सम्बन्ध से जैसा कि मदान साहब बता रहे थे कि व्यवहार बदलना, वास्तव में उनका व्यवहार बहुत अच्छा था उनके पहले अजीत सिंहजी थे। जब वह गये तो लोगों ने कहा कि क्या मालूम, यह बिहार का है, और कैसा एस. पी. होगा? लोग बड़े घबरा रहे थे। मगर जब जोधपुर के अन्दर इन्होंने अपनी ड्यूटी बजायी और उनका लोगों से सम्पर्क हुआ

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

तो लोगों ने उनका नाम सुधार प्रताप सिंह रख दिया।

अभी-अभी 10 तारीख की बात बता रही हूं, इनका पहले ट्रांसफर हो गया था उस समय मेरे पास काफी महिलाएं और लोग आये। मैं तो घबरायी क्योंकि हम को तो एक ही बात दिखती है कि या तो कहीं गन्दगी होगी या पानी नहीं आया। मैंने ऊपर से ही देखकर कहा कि अब तो आपके पानी खूब आ रहा है. अब क्या बात है ? उन्होंने कहा, नहीं, आप नीचे आओ। उन्होंने मेरे घरेलू नाम से आवाज दी, कहा कि नीचे आ। नीचे गयी तो कहा, यह क्या कर दिया ? मैंने कहा कि मैंने क्या कर दिया ? उन्होंने कहा कि एस. पी. साहब का ट्रांसफर क्यों करवाया ? मैंने कहा कि मैंने ट्रांसफर नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां अच्छा काम होता है, तुम नहीं होती हो तो भी हम जाकर मिल लेते हैं नहीं तो किस की हिम्मत है कि पुलिस वालों के पास जाय। मगर हम जाकर मिलते हैं, हमारी बात सुनते हैं, ऐसे को आपने क्यों हटवा दिया? मैंने कहा कि उनका प्रमोशन हुआ है। वे काफी बुजुर्ग महिलाएं थीं, उन्होंने कहा कि प्रमोशन क्या होता है ? मैंने कहा प्रमोशन उनकी तरक्की हुई है

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : + + + अशोक जी गहलोत न हरवा नहीं सक्या इण वास्ते ट्रांसफर हुई हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : वे तो अपने कर्मों से हार गये होते, 50,000 से पांच हजार पर चले गये। वे तो हार के बराबर ही थे। आपको खुशी हो रही है इसकी वैसे तो हारे हुए हैं। मैं आपके अशोक गहलोत को जीता हुआ मत समझो आप। मैं इसको हार ही समझ कर चल रही हूं। वे आपके ही एम.पी. नहीं हैं सारे जोधपुर के एम.पी. हैं। आपने बात का लिंक तोड़ दिया, मैं अपनी बात भूल जाती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वह फिर दूसरे दिन डी. आई. जी. साहब के बंगले गये। वे बुजुर्ग हैं, उनको क्या मालूम कि डी.आई.जी. साहब भी चेंज हो गये। इन्होंने डी.आई.जी साहब को भी चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि हो क्या गया ? मैंने कहा कि यह ट्रांसफर तो होते रहते हैं, तुम्हारा कोई काम हो तो बोलो। तो उन्होंने काफी कुछ बातें उनके बारे में कहीं और मेरे को यह अच्छा लगा। अगर कोई पुलिस के बारे में प्रशंसा करता है तो मेरे को तो अच्छा लगता है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि मेरे स्वर्गीय पिताजी मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखते थे, जब कभी पुलिस की बात आती और वो तारीफ करते तो मेरे पिताजी इनको पत्र लिखते कि आप से मैं बहुत खुश हूं कि आप पुलिस वालों की तारीफ करते हैं। क्योंकि पुलिस वालों को तो दोनों तरफ से मार पड़ती हैं, करते हैं तो भी मार खाते हैं और नहीं करते हैं तो भी मार खाते हैं। इनको तो हर तरह से मार ही मार पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस अगर वास्तव में काम करती हैं तो इनकी पीठ थपथपानी चाहिये। अगर घोड़ा अच्छी तरह चलता है और उसकी पीठ थपथपाते हैं तो उसको खुशी होती हैं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ और बातें कहना चाहूंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप घण्टी क्यों बजा रहे हो ? मैं तो वैसे ही कम बोलती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर के बाद जोधपुर दूसरे नम्बर का शहर है, वहां पुलिस अधीक्षक की एक ही पोस्ट हैं। जोधपुर की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए एक नयी पोस्ट पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण की व्यवस्था हो ताकि शहर के ग्रामीण क्षेत्र में कानून–व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपकी वास्तव में बहुत–बहुत आभारी हूं और मैं यह चाहूंगी, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कि मैंने जो–जो बातें कहीं हैं उनको बड़ी गम्भीरता से लेवें और पुलिस की नफरी बढ़ाने के अन्दर आप अपना पूरा सहयोग करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल जी शर्मा।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस और जेल विभागों की मांगों पर बहस हो रही है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने पुलिस के फेवर में या पुलिस के खिलाफ अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो निश्चित है कि राजस्थान में चाहे वो बलात्कार की घटना हो चाहे वह अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की घटना हो चाहे अन्य प्रकार की घटना हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस के खिलाफ असन्तोष है और आपको और हम को गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि आखिर इस असन्तोष का कारण क्या है ? सिर्फ यह चार्ज लगाकर कि पुलिस के खिलाफ असन्तोष है, इससे हम और आप अपनी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं। मेरी राय में, गृह मंत्री जी, पुलिस के खिलाफ असन्तोष के चार कारण हो सकते हैं। पहला, पुलिस के कर्मचारियों का, अफसरों का खुद का व्यवहार और उनकी कार्यशैली। अगर खुद की कार्यशैली अच्छी हो तो हो सकता है कि जितना असन्तोष पुलिस के खिलाफ बढ़ रहा है उसमें कुछ कमी आ सकती है। दूसरा, आपकी आर्थिक और फाइनेंशियल स्थिति। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको पुलिस अधिकारी सोल्व करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उन पर काबू नहीं पा सकते। तीसरा, कानूनी अड़चनें हैं। हमारे कई कानून ऐसे है कि जिनमें संशोधन होना बहुत ही आवश्यक है जिसकी वजह से भी पुलिस के खिलाफ असन्तोष पैदा होता है। चौथा, राजनीतिक हस्तक्षेप। इस राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी हो जाय तो शायद हो सकता है कि पुलिस के खिलाफ असन्तोष कम हो जाय।

मेरा निवेदन है कि जहां तक पुलिस कर्मियों के व्यवहार का सवाल है, इसमें आपको चाहिये कि उनको इतनी ट्रेनिंग दें कि व्यवहार में वे इतनी अच्छी लायें और इस प्रकार का लोगों से व्यवहार करें तो मेरे ख्याल से असन्तोष स्वतः ही कम हो जायेगा। मसलन, कोई एफ.आई.आर. दर्ज

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

कराने जाता है, थाने में पहुंचता है, तो पुलिस का जो अधिकारी होता है वह मेज पर पैर रख कर और दारू पीकर इस प्रकार का व्यवहार करता है कि मां, बहन से नीचे ही नहीं आता। अगर उसको आप इस प्रकार से बाध्य करें, अपने व्यवहार में उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग दें तो हो सकता है कि पुलिस के खिलाफ जो असंतोष बढ़ता है उसमें कमी आवे।

दूसरा, 109, 110 की धारा के तहत आप लोग एक अभियान चलाते हैं। गृह मंत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या 109 और 110 का टारगेट फिक्स होता है या कोई एक मंथ होता है उसी में 109 और 110 के अपराधी व्यक्ति पाये जाते हैं या पूरे साल में 2 अधिकारियों के ऊपर से सर्कुलर चला जाता है कि 109 के, 110 के केसेज ज्यादा बनाइये। चाहे व्यक्ति सिनेमा देखकर जा रहा है, चाहे वह रेल्वे स्टेशन से उतर कर जा रहा है, चाहे कोई भला आदमी है चूंकि उनको अपने नम्बर बढ़ाने हैं, अपने टारगेट्स बढ़ाने हैं। आपने कहा कि 109, 110 के 12 हजार केसेज को हमने कर लिया, सात हजार के खिलाफ हमने इस्तगासा पेश कर दिया, अब स्थिति देखिये कि वास्तव में उसमें 109, 110 के कितने अपराधी थे, कितने लोग थे कि जिनका 109 में आपको चालान करना आवश्यक था। लेकिन चूंकि आपके यह भी टारगेट्स हैं, आपके अफसर इस प्रकार उनको बाध्य करते हैं तो वे कहते हैं कि हम क्या करें, साहब, हम को तो टारगेट दे दिये हैं। हो सकता है कि ऐसा मौका नहीं हो कि वो आपको जानते नहीं हों, अगर आप मिल गये तो आपका भी 109 में कहीं चालान नहीं कर दें।

तफतीश के दौरान यह स्वाभाविक है कि पुलिस को अनुसंधान और तफतीश के लिए किसी भी व्यक्ति को थाने में बुलाना पड़ता है लेकिन थाने में बगैर कसूर के सिर्फ जांच के दौरान तीन-तीन, चार-चार दिन बैठा लेना और अगर उनके लिए कहीं कोई कार्यवाही भी करें, पुलिस से कोई सर्चवारन्ट भी लायें तो इस थाने से उस थाने में पहुंचा दिया, उस थाने से उस थाने में पहुंचा दिया और उसका पता ही नहीं लगने देते हैं और इस प्रकार उनको नाजायज रूप से परेशान किया जाता है। इसलिए पुलिस के खिलाफ असन्तोष बढ़ रहा है। मेरा यह कहना है कि इस प्रवृत्ति को रोकें। यह सही है कि जांच करने के लिए आपको बुलाना पड़ता है लेकिन आप दूसरे दिन बुला लें जब आपको जरूरत हो। आपके थानेदार को फुर्सत नहीं है वह आदमी चार दिन से थाने में टप्पे खा रहा है और उसको परेशान किया जा रहा है। मेहरबानी कर के अगर इस प्रवृत्ति को रोकेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस के खिलाफ जो असन्तोष बढ़ रहा है उस पर कुछ चैक होगा।

पुलिस के खिलाफ अगर कोई बोल भी जाय तो उससे बदले की भावना रखी जाती है। अगर किसी ने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई सत्य बात भी कह दी यहां के हालात को देख कर तो उसको पुलिस इस प्रकार से लेती है। मेरा यह निवेदन है कि अपने को अमेंड करें। बजाय अमेंड करने के उनको बदले की भावना से लेकर

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

इस मौके की तलाश में रहते हैं कि यह बहुत नेतागिरी करता है, इसकी नेतागिरी निकालनी है और किस तरीके से उसको गलत फंसाया जाए, किस तरीके से उसको परेशान किया जाय इस प्रकार की भावना है। मेरे ख्याल से इस भावना से पुलिस के खिलाफ ज्यादा असन्तोष बढ़ रहा है।

भ्रष्टाचार तो है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई एस.पी. पहुंचता है, या कोई भी नया अधिकारी पहुंचता है, तो जुए, सट्टे का उस समय तो ऐसा अभियान चलता है जैसे यह पूरे जुए, सट्टे को समाप्त कर देगा। तो क्या वो अधिकारी जब पहुंचता है उस समय जुए, सट्टे होते हैं और बाकी के उसके पीरियड में वो समाप्त हो जाते हैं? भ्रष्टाचार के लिए यह एजेन्सीज पुलिस के विभाग के लिए ऐसी एजेन्सीज हो गयी है। एक नये तो यह दारू के ठेकेदार हो गये हैं, टोल टैक्स के ठेकेदार हो गये हैं, माइन्स के चैक पोस्ट के ठेकेदार हो गये हैं और यह सोर्स इनकी एजेन्सीज के भ्रष्टाचार के लिए एक और हैं। मेहरबानी कर के मेरा यह निवेदन है कि जुआ और सट्टा बन्द होना चाहिये। जुए और सट्टे का जब नया अधिकारी जाता है उसी समय अभियान चलता है उसके बाद में क्या उस शहर में जुए, सट्टे का काम बन्द हो गया? निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूं कि जुए, सट्टे का काम बन्द नहीं होता है। वह सट्टे वाले, जुए वाले या दारू वाले अपने सम्पर्क कर के उन अधिकारियों से सांठ-गांठ कर लेते हैं और वह अभियान बन्द हो जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको रोकने के लिए इस एजेन्सी पर भी आप ध्यान रखिये और इस प्रकार का रखिये जिससे कि असन्तोष नहीं बढ़े।

गृह मंत्रीजी, मेरा एक निवेदन है। होता क्या है कि डिस्पोजल के चक्कर में आपका दिसम्बर का महीना आया, आपकी डिस्पोजल ईयर खतम हो रही है और जो डिस्पोजल के केसेज पड़े हैं उनका चालान करना है। अब चालान करने में हेफेजर्ड-वे में जल्दबाजी में असलियत में तो जाते नहीं हैं और स्वर्ग के नरक में और नरक के स्वर्ग में असत्य चालान कर दिये जाते हैं और अल्टीमेटली वो फेल होते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि जो आपकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत पूरी छान-बीन के साथ में, सिर्फ यह नहीं कि इस साल का और मन्थ का एण्ड है, हमें ज्यादा से ज्यादा चालान पेश करने हैं और उस हेफेजर्ड-वे में चालान पेश करते जाते हैं और निर्दोष लोगों के खिलाफ चालान पेश हो जाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति को आप रोकें।

जहां तक आर्थिक कारणों का सवाल है, आज जनसंख्या का इस प्रकार से प्रेशर है, क्राइम का पैटर्न इतना बढ़ गया है कि उसके कम्परेटिवली देखते हुए हमारी जो पुलिस फोर्स है, वह बहुत कम है। मेहरबानी करके, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से पापुलेशन आफ क्राइम्स का पैटर्न बढ़ रहा है उसी प्रकार से आप फोर्स को बढ़ायें। फोर्स में आप आफिसर्स की तादाद तो ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और जो वास्तव में पुलिस कर्मी हैं, जिनकी आवश्यकता है उनके कम्परेटिवली अगर फोर्स को देखा जाए तो उनके अनुपात में वह

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

संख्या नहीं बढ़ रही है तो मेरा तो आपसे निवेदन है। यह सही है कि जहां अधिकारियों की आवश्यकता है वहां आप बढ़ाइये लेकिन इसके साथ-साथ जहां क्राइम्स बढ़ रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ठहर तो जाइये, उपाध्यक्षजी, मैं तो बोलता ही बहुत कम हूं। आप बार-बार में घण्टी बजा देते हैं। एक-एक घंटे लोग बोल लेते हैं तब तो नहीं बजाते।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा : एक मिनट में कर रहे हैं, साहब। अगर आप कहें तो वैसे ही बैठ जाएं हम तो।

गृह मंत्रीजी, थानों में आज मुश्किल क्या है, खास तौर से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में धौलपुर की समस्या के बारे में बताता हूं। वहां डकैती की समस्या है या अन्य कोई समस्या है। आज आपके कई थाने ऐसे हैं जिनमें जीप नहीं है। आज कम्युनिकेशन का सवाल है या ट्रांसपोर्टेशन का सवाल है, क्राइम्स पर कन्ट्रोल करने के लिए इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज कई थाने ऐसे हैं जिनमें जीप नहीं है और अगर जीप हैं तो कहीं वायरलैस सैट नहीं हैं या कई अन्य साधन हैं, जैसे टेलीफोन नहीं हैं। इस प्रकार की सुविधा नहीं है जिससे जल्दी से क्रिमिनल्स हैं या दोषी हैं. उनका पीछा किया जा सके। जहां जीपें प्रोवाइड करा दी हैं, बहुत-सी इस प्रकार की हैं कि डकैत हीरोहोण्डा पर बैठकर आते हैं तो इनकी जीप धक्का देकर चलती है तो उनका कहां तक पीछा करोगे, कहां से उनका मुकाबला कर पायेंगे। वे तो क्राइम्स करके भाग जाते हैं।

हमारे यहां पर, पांच-सात साल पहले की बात है। एक डकैत ने शमसाहबाद के थाने में अटैक किया। उनके पास साधन थे और तीन-चार घण्टे के अन्दर वह मध्य प्रदेश के सुपर सम्मलगढ़ पहुंच गया। वहां की पुलिस मुकर जाती है। मेरा यह कहना है कि आप साधन बढ़ाइये। अफसर तो बहुत से चाहते हैं कि क्राइम्स रुकें लेकिन साधनों की वजह से असंतोष बढ़ता जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : वह डाकू किसके ग्रुप का था ?

श्री बनवारी लाल शर्मा : वह आपके ग्रुप का था।

जहां तक हथियारों का सवाल है, मेरा यह निवेदन है कि आपके पास थ्री नॉट थ्री की बन्दूकें हैं। ऐसी बन्दूकें हैं जिनमें थानों में जंग लग रही है। यह तो भगवान ही मालिक है कि कभी ऐसा मौका नहीं पड़ता कि जिनकी कहीं एन्काउण्टर की आवश्यकता पड़े वरना अगर पड़े तो उनके बोल्ट हाथ में ही रह जायेंगे। और उनमें कोई काम ही नहीं होगा। अब आप अन्दाजा लगाइये कि क्रिमिनल्स के पास में मोडर्नाइज्ड वीपन्स हैं, जहां ए.के. 47 हैं, थ्री नॉट थ्री हैं, स्टेनगन हैं और अन्य हथियार हैं और आप उस बाबा आदम के जमाने की बन्दूकों को लेकर, वह भी स्वचालित नहीं हैं, वे काम नहीं कर रही हैं, वे भी जंग

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

जाती हैं और उनसे आप उनका मुकाबला करना चाहते हो। मेरे ख्याल से इससे तो आपका मुकाबला नहीं हो पायेगा। आपको निश्चित तौर पर इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए।

स्टेशनरी का सवाल है, असंतोष बढ़ने का है, आप बजट देते नहीं हैं, आज एफ. आई. आर. दर्ज कराने जाते हैं तो कहते हैं कि दस्ता ले आओ, एक पैन का सेट ले आ, दस रुपये दे या कार्बन दे जा। आपको मालूम है कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है कि पापुलेशन बढ़ रही है। उसके कम्पेरेटिवली आप बजट बढ़ाइये न। अनूनेसेरी पुलिस को वह कर रहे हो। आप भी जानते हो और ऊपर के अधिकारी भी जानते हैं। एक अधिकारी गया, वह कह गया कि एक कापी मेरे को भेज देना और डी. आई. जी. ने कहा कि इसकी एक कापी मेरे को भेज देना। एस.पी. ने कहा कि एक कापी मेरे को भेज देना। अब भेजे कहां से? तो आज स्टेशनरी इतनी नहीं है तो यह डिस्सेटिस्फेक्शन का कारण है। आप मेहरबानी करके इस पर गम्भीरता से विचार करें।

थानों का पुनर्गठन, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने थाने हैं, आप थाने बना देते हो, इनका रिआर्गेनाइजेशन करके पुराने थाने चल रहे हैं। अब भी नये थाने बनाते हैं, बता दिया कि इस चौकी को आपने पूरा कर दिया। मेहरबानी करके आप देखें, गम्भीरतापूर्वक थानों के पुनर्गठन को, कि कहां पर कौन सा इलाका वास्तव में आना चाहिए। वहां के एस.पी. वगैरह दिमाग तो लगाते नहीं हैं, बाबुओं के जरिये से ही होता है। थाना क्रिएट कर दिया और इस चौकी का इलाका है वह पूरा भेज दिया। चाहे वह उस चौकी का इलाका है ही नहीं। इलाका कौन से में रहना चाहिए। मेरा निवेदन है कि थानों का पुनर्गठन करें। थानों का पुनर्गठन करने के अलावा गम्भीरतापूर्वक देखें कि पुनर्गठन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री बनवारी लाल शर्मा : दो मिनट और लूंगा, साहब।

जहां तक धौलपुर की समस्याओं का सवाल है।....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप रिपीटेशन नहीं करें।

श्री बनवारी लाल शर्मा : मैं रिपीटेशन कहां कर रहा हूं? एक भी पाइन्ट तो रिपीटेशन किया नहीं मैंने। जहां तक राजनीतिक हस्तक्षेप की बात है, मेरा निवेदन है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण डिस्सेटिस्फेक्शन बढ़ता है आप डाइरेक्ट पोस्टिंग थानों में लगा देते जो कि आपका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस पर आप मेहरबानी करें। अनफारचुनेट क्या है कि जाति के आधार पर पोस्टिंग की जाती है। आज मैं किसी पर चार्ज नहीं लगाना चाहता। धौलपुर के 15 थानों में अगर आप गिनती करें तो शायद एक ही वर्ग के 12 आदमी मिल जायेंगे। आप निश्चित तौर पर मालूम करिये। दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों से आज अतिवाद

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

का जहर हमारे समाज में फैल गया है और एक ही जाति के अधिकारियों को, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही वर्ग के लोग लगे हुए हैं। अगर एक ही वर्ग के लोगों को लगायेंगे तो निश्चित तौर पर उससे डिस्सेटिस्फेक्शन फैलेगा। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपसे कोई निवेदन करे तो आप हाथ खड़े कर देते को कि मैं क्या करूं ? मेरे हाथ में नहीं है। मैं माफी चाहता हूं। अब दादा क्या अपनी+++कराये ? हम आपसे कहते हैं कि अन्याय हो रहा है। दादा ने हाथ खड़े कर दिये। हम किसके पास जाएं? आप इसको गम्भीरतापूर्वक देखें।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि अदालत में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जो कि आप पी. पी. लगाते हैं, अदालत में आप वकील अपाइण्ट करते हैं वह एक्सपीरियेंस्ड तो होता नहीं है और राजनीति के आधार पर लगाते हैं। आपने उसका दस साल का एक्सपीरियेंस तो काउन्ट कर लिया। उसकी वकालत उन दस सालों में क्या चली है, शायद वे काला कोट पहन कर ही चले गये हैं लेकिन आपके राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सिफारिश की वजह से ऐसे नाकाबिल वकीलों को आप अपाइन्ट कर देते हो जो कि कानून नहीं जानते हैं और इसलिए केस फेल होता है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। चूंकि उन पर कोई सी. आर. पी. की 116 और 117 सी. सी. का कोई चार्ज तो लगता नहीं है उन पर, कोई कन्ट्रोल नहीं है इसलिए वे लोग केस की परवाह नहीं करते हुए दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं और कानून में वे अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए आपके केस फेल होते है और पुलिस इसके लिए बदनाम होती है।

पुलिस और प्रोसीक्युशन का डिपार्टमेंट सन् 1973 से पहले एक ही था। अब यह काम्बीनेशन नहीं है। मेहरबानी करके इस काम्बीनेशन को आप इस प्रकार करिये जिससे आपको क्राइम्स पर कन्ट्रोल करने में सहयोग मिलेगा।

अन्त में मैं आपसे धौलपुर की कुछ प्रोब्लम्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आपकी हथियारों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया ऐसी है, बहुत जटिल है और लोग परेशान हो रहे हैं। आज दुर्भाग्यवश वहां के प्रशासन ने यह मान लिया है कि हथियार तो देने ही नहीं हैं और लाइसेंस होल्डर्स के जो मृतक हो गये हैं उनके परिवारों को उनके आश्रितों को तीन–तीन साल हो गये, उनकी बन्दूकें एक–एक लाख रुपये की हैं और 80-80 हजार रुपये की आती हैं, वे जंग खा रही हैं और उनको लाइसेंस दिया नहीं जा रहा है। क्या कारण है ? डीवाई.एस.पी. ने कर दिया, थानेदार ने कर दिया और एस.पी. ने कर दिया लेकिन कलक्टर लाइसेंसिग आथोरिटी है और वह कैंसिल कर देता है और कारण क्या है कि जनहित में आपके लिए उपयोगी नहीं है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि कलक्टर ने वह जनहित कहां से देख लिया। थानेदार ने रिपोर्ट कर दी, एस. पी. ने रिपोर्ट कर दी, डीवाई. एस. पी. ने रिपोर्ट कर दी तो उन्होंने जनहित कहां से देख लिया। अगर डीवाई. एस.पी. और एस.पी.

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

ने गलत रिपोर्ट दी है तो उसके खिलाफ एक्शन लो लेकिन फिर भी आप उसके लाइसेंस को नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है? आप लाइसेंस प्रणाली को देखिये।

धौलपुर शहर में चोरियां बढ़ रही हैं। मवेशी की चोरियां बढ़ रही हैं। आप डकैती की तरफ ध्यान दे लेते हो लेकिन मवेशी की तरफ नहीं देते हो। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह बड़ा गम्भीर मामला है। उस इलाके में अगर डकैती का मामला आ गया तो वह हाइलाइट हो जाता है, कोई कत्ल का मामला आ जाता है तो हाइलाइट हो जाता है लेकिन मवेशी की चोरी, गरीब आदमी जो कि अपने रोजगार का साधन सिर्फ मवेशी से करता है और आज उसकी कीमत 10–10, 15–15 हजार रुपये हो गयी है। उस इलाके में मवेशी चोरी की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। आपकी पुलिस कोई चैक नहीं कर पा रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें, एक अभियान चलाकर, कि मवेशी की चोरी पर रोक लगाने की कार्यवाही हो। खान बन्द होकर रह जाती हैं, सरेआम चौथ वसूल की जा रही है। यह डेड रेंट आपके माइन्स डिपार्टमेंट में एक और सैल्स टैक्स दें, एक को डैड रेंट दें, आपकी तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं। बंदूक का लाइसेंस आप माइन्स की रायल्टी बढ़ाने की, डैड रेंट बढ़ाने की तो आप बात करते हैं लेकिन आप चूंकि गृह मंत्री के साथ-साथ माइन्स मिनिस्टर भी हैं इसलिये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? क्या आपने आज तक जो पुलिस उनको संरक्षण नहीं दे पायी तो क्या आपने यह कोशिश की कि आप अपनी तरफ से रिकमंड करके वहां के लीज होल्डर्स को बंदूक या अन्य हथियार दें लेकिन आपने कभी महसूस ही नहीं किया। आप सोचते ही नहीं हैं। जो अधिकारियों ने रिपोर्ट दे दी आप उनकी बात मान लेते हो। कांग्रेस समर्थकों को निश्चित तौर पर नाजायज परेशान किया जा रहा है। नन्दलाल जी मैं ऐसी गलत बात नहीं करता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि ठीक है। अब वह पालिटिकल लोगों के उससे किया जाता है। अधिकारी को इस प्रकार के इन्सट्रक्शन दिये जाते हैं। अगर आज मान लीजिये रा. सु. का. में बन्द है तो आपका एक मैटर्न होना चाहिये। कानून के हिसाब से होना चाहिये कि इतने अपराध किसी ने किये हों तो रा.सु.का. में आ गया। तो कांग्रेस वाले ही रा.सु.का. में आने के लिये हैं क्या? एक एस.पी. ने बी.जे.पी. के किसी कार्यकर्ता को अगर रा.सु.का. में बन्द करने के लिए किया और उसी के लिए एक एस.पी. हिस्ट्रीशीटर है उसकी हिस्ट्रीशीट को बन्द करने के लिए उसको लाइसेंस देने के लिए रिकमंड करता है। दो वर्ष पहले एक एस.पी. तो रा.सु.का. में बन्द करने की बात करता है और एक एस.पी. उसको लाइसेंस देने की बात करता है यह पक्षपात नहीं है तो और क्या है कांग्रेस के मेरे यहां एक सरपंच की मारपीट कर दी उसको रा.सु.का. में बन्द कर दिया। मेरा निवेदन है कि आप मेहरबानी करके अपने प्रशासन से यह बात करें कि इस प्रकार का पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिये। एक एट्रोसिटीज एक्ट की प्राब्लम आयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री बनवारी लाल शर्मा : एक सेकण्ड, विदिन ए मिनिट । यह एट्रोसिटिज एक्ट का बड़ा मुश्किल हो गया है। आज यह जरूरी है कि शोषण से जिन पर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस को या प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिये लेकिन इसके बहाने लाटरी खुल गयी है वहां के अधिकारियों की। दो आदमियों से करा दी, दो आदमियों से रिपोर्ट करा दी और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही तो हुई नहीं, लेकिन चूंकि नोन बेलेबल ओफेंस है और उसको पुलिस के डर की वजह से कि मेरे को बेल नहीं होगी इसलिए पुलिस वाले सरेआम उसको एट्रोसिटिज एक्ट के नाम से लूटते हैं और वहां पर उन लोगों को तो लाभ नहीं मिल पाता हैं। पुलिस के अधिकारियों को जरूर इसका लाभ मिल जाता है। तो मेरा यह निवेदन है इसको आप देखें।

मेरा एक सुझाव और है आपसे कि मेहरबानी करके जो आर.ए.सी. की हमारे यहां बटालियन हैड क्वार्टर रखा है वह नाम से तो बटालियन हैडक्वार्टर है लेकिन वहां पर पूरी बटालियन नहीं रहती है। आप अन्य जगह पर व्यवस्था की दृष्टि से भेज देते हैं। तो, मेरा यह निवेदन है कि वहां पर इतने क्राइम्स हैं, इतनी ही पुलिस की आवश्यकता है तो पहली बात तो बटालियन हैडक्वार्टर अन्य जगह के लिए और क्रियेट करें। धौलपुर के लिए भी वहीं की वहीं ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स रखें।

मेरा एक सजेशन और है कि कभी भी वहां पर आई.पी एस. अधिकारी कमांडेंट को नहीं लगायें क्योंकि वह कमांडेंट आई. पी.एस. अधिकारी होता है और वह एस.पी भी आई.पी.एस. होता है और उसमें फ्रस्ट्रेशन की भावना आ जाती है और वह को-आर्डिनेशन जो होना चाहिये आर.ए.सी. में और वहां के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, वह नहीं हो पाता है और इसकी वजह से वहां पर आपसी अन्दरूनी तनाव इस प्रकार हो जाता है कि जो जिले की स्थिति, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को मेन्टेन करने के लिए आवश्यक है वह नहीं हो पाती है। तो, मेरा यह सुझाव है आपसे कि आप जब भी पोस्टिंग करें इस प्रकार का जरूर ध्यान रखें। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं उसके लिए आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष जी, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। एक मिनट .

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-16 व मांग संख्या-17 पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार रखने और मंत्रीगण द्वारा जवाब देने व मतदान होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री कालूलाल गूजर।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं मंत्री जी को एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं। जैसा बनवारी लाल जी ने कहा, जैसा आम तौर से मिसयूज होता है, पुलिस कहती है हमने बुलाया है। आप तो स्वयं वकील हैं क्रिमिनल के, मैं तो चालीस साल पहले था। सी.आर.पी.सी. में कोई प्रावधान नहीं है कि थानेदार जी ने बुलाया हैं, या तो वह गिरफ्तार कर सकता है अगर केस बनता है तो लिखित में। बहुत समय की बात है। 39, 40, 41 सी.आर.पी.सी में अन्य किसी कार्य के लिए लिखित के अन्दर थाने में बुलाना पड़ता है। जुबानी बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे मिसयूज और मिसचीब का कारण यह है। कृपया आप अध्ययन करवाकर अपने उत्तर में इस बात का जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या–16 और 17 पर अपने विचार रखता हुआ मैं यही निवेदन करूं कि अभी धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरीके से सुझाव दिये और जिस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र का वर्णन किया है उसी तरीके से सम्पूर्ण राजस्थान की यह स्थिति है कि आज एक हजार चालीस किलोमीटर सीमा तो हमारी अन्तरराष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान, इधर गुजरात से उसकी सीमा मिलती है, इधर मध्यप्रदेश से, उत्तरप्रदेश से, इधर पंजाब और हरियाणा से। स्थिति यह है कि आज राजस्थान में जितने अपराध होते हैं उनमें से अधिकतर ऐसे अपराधियों को ढूंढने के लिए राजस्थान की पुलिस को अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। आज उदयपुर गुजरात से जुड़ा हुआ है तो शराब की तस्करी और जिस तरीके से अपराध, महाराष्ट्र और गुजरात का असर उदयपुर और मेवाड़ के उन क्षेत्रों पर पड़ रहा है। आज चित्तौड़ हमारे नजदीक है। मध्यप्रदेश में तो इस तरीके से जो सीमाएं हमारी हैं और जो अन्य प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की वजह से इधर आप देखियेगा पाकिस्तान से हेरोइन की, गांजे की तस्करी जिस तरीके से हो रही है, आर डी एक्स जिस तरीके से आ रहा है। जिस तरीके से आतंकवादी देश में आतंक पैदा करने के लिए, अपराध बढ़ाने के लिए और हमारे यहां के जो प्रतिष्ठित और राजनीतिक लोग हैं उनकी हत्या के षड़यन्त्र जिस तरीके से किये जा रहे हैं, तो राजस्थान की पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राजस्थान के गृह विभाग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस उन अपराधियों को जिस तरीके से पकड़ती है और आज पुलिस जिस माहौल में काम कर रही है तब पता लगता है कि यह ह्यूमन राइट कमीशन, यह अल्प संख्यक आयोग, महिला आयोग, जनजाति आयोग, इन सारे आयोगों के दबाव के बावजूद भी जिस तरीके से राजस्थान की पुलिस काम कर रही है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

राजस्थान की पुलिस जिस तरीके से लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन राज्य में बनाये हुए है। आज अन्य राज्यों से अगर हम तुलना करें तो हमारे यहां की स्थिति उससे ज्यादा बेहतर है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरह का माहौल हमारे यहां पर राजस्थान में है। एक बहुत बड़ी बात कही

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

गयी कि हमारे यहां अत्याचार बढ़े हैं, हमारे यहां अपराध बढ़े हैं तो उस हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ी है और उन सारे अपराधों का अगर विश्लेषण करके देखें तो आप पाएंगे कि अन्य स्टेट से आने वाले लोगों की वजह से यह अपराध बढ़े हैं लेकिन उसके बावजूद भी मैं उदयपुर जिले का उदाहरण दे सकता हूं कि जिस तरीके से शराब की तस्करी हो रही है, जिस तरीके से लोगों के अपहरण किये जा रहे हैं। हमारे यहां पर दो महिलाओं के पैर केवल इसलिए काट लिये गये कि उनके चांदी के कड़े थे और वह खुल नहीं रहे थे। उनकी हत्या कर दी गयी लेकिन पुलिस मुस्तैदी के साथ लगी रही और लम्बे समय बाद पुलिस ने उन अपराधियों को पकड़ा, उन अपराधियों तक पहुंची। इसी तरीके से अगर अपहरण करने की हालत पैदा हुई तो बहुत जल्दी पुलिस हरकत में आयी और उन अपराधियों को पकड़ा और उस आदमी की जान जा सकती थी। उस आदमी की जान नहीं गयी। तो इस तरीके से पुलिस जिस तरह से काम कर रही हैं लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि हम जो कुछ भी करते हैं, कोर्ट्स के सामने जाते हैं तो वह अपराधी छूट जाते हैं उनकी जमानतें होती हैं, पुलिस को चेलेन्ज करते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह जो कानून बने हुए हैं यह उस ब्रिटिश राज के कानून हैं जब पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था। आज अगर विदेशों में पुलिस के ऊपर इतना विश्वास किया जा सकता है तो हमारे यहां कानून में यह बदलाव क्यों नहीं हो सकता। पुलिस के सामने जो बयान अपराधी देता है वह हत्या कबूल करता है कि मैंने हत्या की है। वह कबूल करता है कि मैंने इस हथियार से हत्या की है सब कुछ कबूल करने के बाद में भी अदालत में पुलिस के बयान को सही नहीं माना जाता। इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए कि आखिर अपराधी छूट कैसे जाते हैं। अपराधी कई बार तो पुलिस का जो अनुसंधान होता है उसमें कमियां रह जाती हैं, अनुसंधान की उन कमियों के कारण उन अपराधियों को लाभ मिलता है और कई बार ऐसे अपराधी जो बिलकुल जघन्य अपराधी माने जाते हैं, राजस्थान में ऐसे अपराधी जो आदतन अपराधी हैं ऐसे अपराधियों को सजा दी गयी हैं लेकिन बहुत से आदतन अपराधी हैं जो रोज अपराध करते हैं लेकिन कानून की किसी न किसी बारीकी के कारण से वह छूट जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासन को इस बात पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि अपराधी छूट न जाएं। बनवारी लालजी कह रहे थे प्रोसीक्युशन करने वाले लोगों और इनमें तालमेल नहीं रहता है। पी. पी. ऐसे लग जाएं और वह पी. पी. भी ऐसा लगना चाहिए जो एक्सपीरिएंस्ड हो और तभी अपराधियों को सजा मिल सकती है। तो इन सब बातों के ऊपर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पुलिस का पुनर्गठन किया है और पुनर्गठन में हमने रुपया भी खर्च किया है और अब पुनर्गठन के लिए हमने आज्ञा दे दी है लेकिन जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग दी जाती है निश्चित रूप से इस तरह की ट्रेनिंग के प्रोग्राम में परिवर्तन करना चाहिए कि वहां की पुलिस संवेदनशील

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

बन सके। वह किसके साथ में क्या व्यवहार करे, इस व्यवहार के प्रति भी उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और जब उनकी ट्रेनिंग होगी, कुछ पढ़े-लिखे लोग भी आज कल पुलिस में आ रहे हैं तो उस तरीके से जो ट्रेनिंग का पार्ट है। हमारे देश में, हमारे राज्य में, सब जगह ऐसे कभी-कभी वातावरण पैदा किये जाते हैं कि उससे साम्प्रदायिक वातावरण बनता है। लेकिन मैं पुलिस की सराहना करना चाहता हूं कि जो संवेदनशील लोग होते हैं, हमारे यहां अभी उदयपुर के अन्दर ऐसी ही एक स्थिति पैदा हुई लेकिन पुलिस, प्रशासन और सरकार ने जो हमारे यहां मस्तान बाबा गुलाब बाग के अन्दर बैठे हुए थे उनको किस तरीके से पुलिस और प्रशासन ने अपनी संवेदनशीलता का एक प्रदर्शन किया। कई लोगों का सहयोग लिया और उससे जो लोग साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ना चाहते थे तो वह बिगाड़ नहीं सके। यह राजस्थान की ही देन है। मैं सोचता हूं सी. एम. इब्राहिम जैसा आदमी उदयपुर आता है और राजस्थान पुलिस की सराहना करके जाता है कि किस तरीके से पुलिस ने संयम बरत कर उस माहौल को बिगड़ने नहीं दिया, पुलिस की यह प्रशंसा करनी चाहिये। जब पुलिस इस तरीके से काम करती है और ऐसे अपराधियों को बाहर से पकड़कर लाती है, हालांकि उनको अन्य राज्यों की पुलिस मदद नहीं करती लेकिन उसके बावजूद भी वह वहां पर जाती है, अपराधियों को लाते हैं तो ऐसे पुलिस आफिसर्स को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुझाव के तौर पर, कि एक तरफ तो एक पुलिस आफिसर गुप्तचर विभाग में लगाते हो, इंटेलीजेंस में एक आदमी लगाते हैं, एक आदमी आप थाने पर लगाते हैं। वही पुलिस का आदमी वहां लगा हुआ है। वही पुलिस का आदमी वहां लगा हुआ है। आदमी गुप्तचर विभाग से सिविल पुलिस में जाना चाहता है क्योंकि उसे वहां कोई फैसेलिटीज नहीं है। आपने गुप्तचर विभाग में उसे लगा दिया। सिविल वाले को तो आप व्हीकल अलाउंस भी दे रहे हैं लेकिन गुप्तचर विभाग के आदमी को आप कोई अलाउंस नहीं दे रहे हैं। जबकि गुप्तचर विभाग का आदमी तो आपको सब तरह की रिपोर्ट लाकर देता है। वह तो अन्दर घुस करके उन सब लोगों के बारे में मालूम करके आपको बताता है और जब भी कोई बहुत बड़ा हादसा घटित हो जाता है तो पुलिस कह देती है कि गुप्तचर विभाग ने इसकी तो हमको सूचना ही नहीं दी। आपने गुप्तचर विभाग के लोगों को सुविधाएं क्या दे रखी हैं। अगर वह सुविधाएं दी जाएं तो निश्चित रूप से गुप्तचर विभाग जिस तरह का उसे इंटेलीजेंस का काम करना चाहिए, वह निश्चित रूप से करेगा और बाकी तो वह ट्रांसफर मांगता रहेगा सिविल में। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको कुछ न कुछ आप देने की कोशिश करें जिसकी वजह से वह इंटेलीजेंस तरीके से अपना काम कर सकें और उनके अन्दर किसी भी तरह का फस्ट्रेशन पैदा न हो।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर और वैसे तो राजस्थान में जितने पर्यटन के क्षेत्र हैं, जितने पर्यटन के स्थान है, वहां विदेशी पर्यटक भी बहुत तादाद में आते हैं। देशी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

भी बहुत तादाद में आते हैं और वहां पर जिस तरह से कंवेंसर्स उनकी ठगी करते हैं। जिस तरह टैम्पो, या व्हीकल वाले आने वाले पर्यटकों को जिस तरीके से परेशान करते हैं और जिस तरीके से विदेशियों के साथ आज हरकतें हो रही हैं, चोरी की, छीना-झपटी की। यह हम लोगों को बदनाम करके रख देंगे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पर्यटन केन्द्र हैं, उदयपुर तो एक ऐसा स्थान हो गया है कि वहां पर्यटक ही नहीं, तमाम लोग आते हैं, बड़े-बड़े वी.आई.पीज. कभी कोई जज साहब आ रहे हैं, कभी कोई मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, सारी पुलिस उनके इन्तजाम में लग जाती है और थाना खाली हो जाता है। ट्राफिक का जो चौराहा है वह खाली हो जाता है क्योंकि वी.आई.पी. साहब आये हैं उनके साथ में जाना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक पर्यटक थाना और, जिस हिसाब से वी.आई.पी. आते हैं और पर्यटन केन्द्र है उस हिसाब से पुलिस की और पुलिस आफिसर्स की नफरी भी बढ़ाये जाने की कृपा करें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्रीजी कि सुखेर क्षेत्र है। यह औद्योगिक क्षेत्र हो गया है। काफी उद्योग बढ़ गये हैं और वहां पर जो मार्बल की कटाई होती है उसके अन्दर डायमंड का जो कटर होता है उससे लोग डायमंड की चोरी करके ले जाते हैं। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है बाहर से भी लोग आकर वहां पर काम करते हैं और वहां अपराध बढ़ने की गुंजाइश है। इसलिए ऐसे स्थानों पर पुलिस थाना खोलना चाहिए ताकि यह अपराध नहीं बढ़े।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां गोड़वाली में कभी एक पुलिस चौकी होती थी वह किन्हीं कारणों से बन्द कर दी गयी। आज भी उस क्षेत्र में आवश्यकता है कि वहां पर पुलिस चौकी हो। आप एक पुलिस चौकी जो बन्द की गयी है उस पुलिस चौकी को मेहरबानी करके खोलने की कृपा करें।

मैं, गृह मंत्रीजी उदयपुर के ही हैं और इसलिए मैं सोचता हूं कि यह निश्चित रूप से इन सब बातों पर गौर करेंगे, यही निवेदन करता हुआ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण सिंह (अनुपस्थित)। श्री खेत सिंह (अनुपस्थित)। श्री बनवारी लाल बैरवा।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग पुलिस विभाग की मांग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं उनकी पुनरावृत्ति तो नहीं करूंगा सरसरी तौर पर उनका जिक्र करना चाहूंगा कि हरिजनों के साथ में जो अत्याचार जिस दौर में हुए हैं, वह प्रकाशित हुए हैं, वह अखबार में भी आए हैं, आपके सामने भी आये हैं और खास तौर से आप मुलाहिजा फरमाएं कि युवक की नाक में नकेल डालकर खूंटे से बांधा। आपके बी.जे.पी. के ही मंत्री हैं दिल्ली के मिस्टर रावतवाल साहब, राजस्थान में दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार उन्होंने स्वीकार किया। इनकी पार्टी के

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

आदमी हैं। हम लोग अगर कोई बात कहें तो यह कहते हैं कि हम पर लांछन लगाये जाते हैं लेकिन चूंकि इनकी पार्टी के बी.जे.पी. की सरकार के माननीय सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान के अन्दर हरिजनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और दूल्हे को घोड़ी से उतार कर उनके साथ मार–पीट करना, बारात से मार पीट करना एक साधारण बात हो गयी है। मेरे अपने क्षेत्र के अन्दर ही इस तरीके की वारदात हुई, घोड़ी के ऊपर से उतार दिया, दूल्हे को मारा, बारात को मारा, बड़ी मुश्किल से रात की रात जब पुलिस को इतला हुई, पूरा प्रशासन आ गया तब जाकर के वहां पर वापस उनको पहुंचाया गया। खैर, वहां पहुंचा दिया गया तो उसके बाद में उस दिन तो पहुंचा दिया लेकिन दूसरे दिन भी स्थिति यही की यही बनी रही। उसके बाद में भी जो हरिजनों की औरतें थी उनके सामने, क्योंकि वे लोग तो डर के मारे निकल नहीं पा रहे थे और जो अपराध करने वाले लोग थे वे उनकी औरतों के सामने खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। यह शिकायतें प्रशासन के सामने भी आयी लेकिन कोई भी इसका इन्तजाम नहीं हुआ। खैर, वह तंग आकर के दिल्ली भाग गये।

इसी प्रकार से, थावला चाकसू के अन्दर एक गांव है, उसके अन्दर भी बारात को नहीं चढ़ने दिया गया और वहां दूल्हे के घर से नहीं चढ़ने दिया गया। जब पूरा प्रशासन वहां आकर के पड़ा तो उन्होंने दूल्हे को बैठाकर घोड़ी के ऊपर, बारात को निकाला लेकिन जब वह दुल्हन को लेकर आया तो उसके साथ फिर वही पथराव, वही धूलबाजी, वही गुण्डागर्दी जो भी कर सकते थे सब किया। यह तमाम कुछ चीजें यहां पर हो रही हैं।

डी.आई.जी. ने अलवर की स्थिति का जायजा लिया। गांव के बीच में उसे तड़पा–तड़पा कर मार डाला। यह तमाम स्थिति है। अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़ी से उतारा। भाजपा के विधायक के पिता की हत्या। यह तो सबसे ज्यादा विकट बात है। हमारे इस सदन के माननीय सदस्य हैं उनके पिता की हत्या कर दी इससे ज्यादा अराजकता और क्या हो सकती है? खैर, मैं उन तमाम चीजों को दुबारा तो नहीं जाना चाहूंगा। सरसरी तौर पर मैंने बात को आपको अर्ज किया है। मैं अपनी बात को अपने जिले में और मेरे वर्ग तक महसूस करके कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उनियारा क्षेत्र में बारेठी एक गांव है। अच्छा गांव है। सभी तरीके के लोग रहते हैं उसके अन्दर, मुसलमान समुदाय के लोग भी रहते हैं। 20–25 मकान मुसलमानों के हैं। एक पीर बाबा का मजार है जो बहुत पुराना मजार है, उसके पास में कुछ जमीन दर्ज है जो सरकारी रिकार्ड में है। उसके ऊपर वह पीर बाबा का मजार था। उसके ऊपर उनकी मस्जिद बनी हुई थी। उन्होंने पिछले 40 साल से मस्जिद बना रखी थी। 1980 के अन्दर इन लोगों ने लाइट एप्लाई की और 1984 में लाइट मिल गयी। तब से वह लाइट का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों कुछ लोग एक षड़यन्त्र रचकर के, पहले तो वहां प्रभूदयाल शर्मा,

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

दीनदयाल शर्मा ने उस जमीन के ऊपर जो जमीन उनकी थी, 769/1 जो पहले का खसरा नम्बर था, 11 बिस्वा अब नया उसका खसरा नम्बर 544 है और यह 1·3 हैक्टेयर भूमि है। इसके ऊपर उन्होंने मकान बनाया, लेट्रीन बनायी। उन्होंने बहुत मना किया कि आप ऐसा नहीं करें। हमारी भावनाओं को आघात मत पहुंचाएं। इस बात को उन लोगों ने नहीं माना बल्कि कुछ और शरारती तत्व उनके साथ लग गये। उनके अन्दर मुख्य रूप से चुन्नीलाल मीणा, प्रहलाद मीणा, रामजी लाल मीणा, लक्ष्मीनारायण माली, लड्डू माली, प्रभुदयाल शर्मा, दीनदयाल शर्मा, रूपनारायण खाती, रामावतार नाई, प्रहलाद, माधोलाल, नारायण माली, नारायण खाती, गोपाल पुत्र मोहन, नाथू खाती, छीतर नायक, दीनदयाल नाई, पुरुषोत्तम शर्मा हैं। इन सब लोगों ने एक गिरोह बनाकर यह षड्यंत्र किया कि इनका वजूद ही मिटा दें। और वजूद कैसे मिटा दें कि उस मस्जिद को तोड़ डालो। मस्जिद जो उनके नमाज पढ़ने की जगह थी। उस मस्जिद के अन्दर उन्होंने आकर के उत्पाद करना चालू कर दिया। उनको मना कर दिया कि आप इसके अन्दर कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने कहा यह हमारी मस्जिद है यह पीर बाबा का मजार है जिस पर आप लोग भी आते हैं, यहां अकीदत के फूल चढ़ाते हैं, यहां अगरबत्ती जलाते हैं, आप सब भी जलाते रहिये लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो हमारे तरीके का यहां करेंगे और हुड़दंग वहां करना चालू कर दिया। उनका नमाज पढ़ना तो बंद कर दिया। मैं स्वय ही मौके पर गया। वहां समझाने की कोशिश की कि भाई, ऐसा मत करें। गांव के अन्दर 10 मंदिर हैं आप उन मंदिरों का उपयोग करें। वहां जितनी पूजा कर सकते हैं, करें। कौन मना करता है ? और इनके इस पीर बाबा के मजार के ऊपर भी अगर आप आना चाहते हैं तो इनकी जो अकीदत है, जो इनके तौर तरीके हैं उस तरीके से आप यहां पूजा कीजिये। यहां व्यवस्था कीजिये लेकिन वह नहीं मानकर के, उन्होंने वह व्यवस्था की जो कि उनके मजहब के खिलाफ थी। जिससे उन लोगों को एक भावनात्मक ठेस पैदा होती थी। उन्होंने उसको मानने से इंकार कर दिया। यह जमीन, मान्यवर, जो मैंने आपको खसरा नम्बर बताया है, वक्फ के रिकार्ड के अन्दर दर्ज है और वक्फ की जमीन है तो दूसरा उस पर कब्जा कर नहीं सकता। इसके अन्दर सरकार को रेस्क्यू के लिए मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। वे यहां प्रशासन के पास भी गये। थानेदार को उन लोगों ने इस तरीके से दबाया और दबाकर के इस बात की कोशिश की कि यह उसके ऊपर से कब्जा छोड़ दें लेकिन चूंकि उन लोगों के पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था, कोई जगह नहीं थी दूसरी, जहां जाकर के मस्जिद बनाते या जहां जाकर नमाज पढ़ते तो मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यानाकर्षित किया है इस तरफ और आप खास तौर से इस बात पर तवज्जोह देंगे कि इसकी आप किस तरीके से व्यवस्था करते हैं, यह बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले के अन्दर

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

मालपुरा कस्बा है। उस कस्बे के ग्रन्दर 31–12–1995 की बात है, ग्रार.ए.सी. का टोरड़ी के ग्रन्दर कैम्प लगा था। इत्तफाक से कैम्प के अन्दर जो लोग प्रशिक्षित होने के लिये गये थे, उनकी बस निकल गयी। ग्रब उनके पास उपचार नहीं रहा कि क्या करें। तो वह सड़क पर खड़े हुए थे। इत्तफाक से उस समय सलीमुद्दीन नाम का एक ड्राइवर ग्रपनी बस लेकर उधर से गुजरा। उसने देखा कि यह सब लोग खड़े हैं- लाओ, मैं बैठा लेता हूं। तो उन्होंने हाथ दिया उसने बैठा लिया। बैठाकर के उनको जिसके कि वे हकदार नहीं थे, उनकी यह इंसानियत थी, उसकी शराफत थी कि उसने उन लोगों को बैठा लिया ग्रौर बैठाकर के, चलिये मैं ग्रापको वहां पर छोड़ देता हूं मालपुरा। अब उन्होंने बीच के ग्रन्दर कुछ ऐसी बातें कहीं तो उसने कहा कि ग्राप ऐसी बात नहीं करें, यह भड़काने वाली बात है ग्रौर रास्ते में ऐसे मुहल्ले आ रहे हैं जहां पर ग्रगर ग्राप यह नारेबाजी करेंगे तो इससे हुड़दंग हो जायेगा, हल्ला हो जायेगा ग्रौर मेरी बस को भी नुकसान पहुंच जायेगा। उन्होंने उस बात को माना नहीं ग्रौर उसको मारा ग्रौर मारपीट करके भी उसको ले गये कहां पर बस स्टैण्ड के ऊपर, दिन दहाड़े लाकर वहां पर उसकी हत्या कर दी। ग्रापको ताज्जुब होगा इस बात का कि दिन-दहाड़े हत्या कर दी। इस तरीके से ग्रातंकित कर दिया पूरे कस्बे को कि वहां पर एकदम हड़ताल का वातावरण कर दिया और कोई दवा देने के लिए तैयार नहीं, अब जिन लोगों ने ... मैं वही बात कह रहा हूं जो हो रही है। इस राज की बात कह रहा हूं जिस राज की यह बात कहते हैं कि हमारा बहुत ग्रच्छा राज है। वह ऐसा राज है कि जिसके ग्रन्दर एक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। दिन-दहाड़े जब बस स्टैण्ड पर हत्या हो रही है ग्रौर आप मुलजिमान को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ग्राज तक कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया उसके ग्रन्दर। उसी तरह से डिग्गी के ग्रन्दर पुलिस तो उन डकैतों को पकड़ने नहीं गयी थी। जिसके बारे में सदन के ग्रन्दर जिक्र ग्राया था। वहां के गांव के लोगों ने उनको पकड़ा था ग्रौर गांव के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर पकड़ा था। शकुंतला बाई, उसने ग्रपनी जान दे दी, लक्ष्मण जिसकी बाद में डैथ हो गयी। उन दोनों परिवारों के ग्रन्दर एक मातम का वातावरण बना हुआ है। जो बात यहां पर की गयी थी कि उनको मुग्रावजा ठीक से दिया जायेगा। दोनों में से किसी को कोई मुग्रावजा ग्राज तक, 50 हजार रुपये शायद, इससे ज्यादा कोई मुग्रावजा नहीं दिया गया। जबकि उसके ग्रन्दर इनके ग्रलावा 4 ग्रौर व्यक्ति थे जिन्होंने बहादुरी का सबूत दिया था। जिसके बारे में यह बात तय हुई थी यहां पर कि गेलेंटरी अवार्ड दिया जायेगा। लेकिन न तो गेलेंटरी ग्रवार्ड दिया गया ग्रौर न ही तो कंपनसेशन दिया गया। न उनको पैसा दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, चूंकि सदन के ग्रन्दर जो बात कही गयी थी इस बात का ग्रानर करना चाहिये ग्रौर ग्रानर करने से ही साख बनती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे जिले के कुछ

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

केसेज हैं जो मर्डर हो गये हैं और उन मर्डर्स में आज तक कोई तफ्तीश नहीं हो सकी है और उनके मुलजिमान आज तक गिरफ्तार नहीं कर सके। मेरे फार्म के ऊपर बाबू नाम का एक लड़का था 23 मई, 1995 को उसको गोली मार दी गयी। रिपोर्ट की गयी, पुलिस वहां पर पहुंची। लेकिन आज तक कोई मुलजिम उसके अंदर गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। बरूनी थाने से एक किलोमीटर की दूरी पर महिला थी छोटी नाम की, उसका कत्ल कर दिया गया। उसके मुलजिम शिनाख्त भी किये गये लेकिन पता नहीं कैसे बात दबा दी गयी। वह बात खतम हो गयी। आयी-गयी हो गयी। आज तक किसी मुलजिम को इसके लिए पकड़ा नहीं गया। तो मेरे जिले के तीन केस हैं जिसके अन्दर मुलजिमान पकड़े ही नहीं गये। एक केस पिछले चुनावों के दौरान ताजरा के अन्दर, एक गुर्जर समाज का नौजवान लड़का था उसको गाड़ी कुचलकर के चली गयी और उसका केस भी दर्ज हुआ लेकिन आश्चर्य होगा आपको कि यह दिन-दहाड़े की बात है, गाड़ी पर केस शायद दर्ज ही नहीं हुआ मेरे ख्याल से, या दर्ज हुआ तो बहुत लेट हुआ होगा। आज तक न तो गाड़ी को पकड़ा गया, न गाड़ी को बरामद किया गया है और न मुलजिम के ऊपर केस बनाया गया और उसके घर वाले आज तक रोते रहते

(19.00 बजे)

हैं। तो इस तरह की व्यवस्था अगर माननीय गृह मंत्री जी करेंगे तो आपका राज कैसे चलेगा ? आपको शिड्यूल्ड कास्ट का समझकर तो गृह मंत्री नहीं बनाया था, आपकी काबिलियत को देखकर आपको गृह मंत्री बनाया था तो आपको अपनी काबिलियत पूरी शो करनी चाहिए और अपनी बात को एक्जैक्ट करना चाहिए, बात कहनी चाहिए।

अभी आपने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें जिक्र किया है डोडा पोस्त के एक केस का कि टोंक के अन्दर आपने डोडा पोस्त बरामद किया है, पांच सौ और कुछ बोरियां हैं, जो आपने पकड़ी हैं, उसमें मुलजिम पकड़े हैं। मेरे ख्याल से एक गाड़ी में इतनी बोरिया आ भी नहीं सकती, कम से कम 2-3 गाड़ियां तो होंगी ही होंगी। अगर कोई गोदाम होगा तो उसका मालिक भी होगा, खरीदने वाले भी होंगे। जानकारी यह हुई कि सिर्फ 3 आदमियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। उस केस में अगर तफतीश करनी है तो पूरी-पूरी करो, जानकारी करो, अगर आप नहीं करो, उससे क्या होगा कि जो शहर का वातावरण है वह विषाक्त होगा और जो दो नम्बर के धंधे हैं उनमें इजाफा होगा उनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। मेरा यह निवेदन है कि उन तमाम चीजों पर आपको इफेक्टिवली बात करनी चाहिए।

अभी हरिजन एट्रोसिटी एक्ट के बारे में बात कही गई। हो सकता है कि किसी पर ज्यादती भी हुई हो, चूंकि यह एक सेफगार्ड है जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कानून ने दिया है। जैसे हर जाति के लिए, वर्ग के लिए कुछ न कुछ विशेष रियायतें या विशेषाधिकार लेकर के लोग खड़े

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

हैं, इस तरह का उनको विशेषाधिकार है कि आपको बेइज्जत नहीं किया जाय, समाज में आपको रूसवा नहीं किया जाय, समाज में आपकी दुर्गति नहीं की जाय, मारपीट नहीं की जाय, आपके साथ बुरा व्यवहार न किया जाय, उसको रोकने के लिए यह हथियार दिया गया था कुछ लोग कहते हैं कि इसका दुरुपयोग होता है बुरी बात है अगर वह दुरुपयोग करते हैं। लेकिन जहां होता है, जहां हुआ है जैसे कि कुए के अन्दर विष्टा डाल दी गई हो, घोड़ी से उतार कर लोगों को मारना चालू कर कर दिया गया हो, मकान को जला दिया गया हो, मां-बहनों की इज्जत से खिलवाड़ चालू कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में उस केस को लगाना बहुत जरूरी है और वहां पर अगर आप नहीं लगाते हैं तो यह आपके अन्दर कम हिम्मत मानी जाएगी, आपकी क्षमता नहीं मानी जाएगी।

मेरे जिले में और पूरे राजस्थान में रिकार्ड है, पूरे स्टेटिस्टिक्स आपके सामने मौजूद हैं, मैं आपको क्या बयान करूं, आप स्वयं देखें। इसमें आपको इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए, नहीं तो उससे एक अराजकता का वातावरण पैदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हां, कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस समाज के लिए एक बहुत आवश्यक चीज मानी गई है, है भी। चूंकि सामान्य और असामान्य स्थिति में हमें पुलिस को ही आह्वान करते हैं, उसको ही दिखाते हैं। गरीब से गरीब आदमी का आधार तो पुलिस ही होता है, अगर पुलिस का सेफगार्ड न हो तो गरीब को तो जिंदा ही नहीं रहने देंगे, छोटे आदमी को जिंदा ही नहीं रहने देंगे। (व्यवधान) उनकी अपनी पीड़ा है, चूंकि मैं तो गरीबों की बात कर रहा हूं तो गरीबों की स्थिति यह है कि पुलिस उनके लिए बहुत आवश्यक है।

इस समय राजस्थान की जनसंख्या पांच करोड़ के करीब होगी। चूंकि 1991 में चार करोड़, इकतालीस लाख थी तो उसमें दस प्रतिशत और लगा लो तो इतनी तो हो ही जाती है। जो जनसंख्या हो गई है उस हिसाब से पुलिस की नफरी बहुत कम है। मुझसे पहले स्वनामधन्य बनवारी लाल जी कह रहे थे कि आज अपराधी लोग बहुत नए–नए आग्नेयास्त्र लेकर के, नई–नई टैक्नॉलोजी लेकर के, नई–नई हरकतें लेकर यहां पर अपराध जगत में उतरे हैं तो उनका मुकाबला करने के लिए अगर पुलिस के पास मुकाबले की फोर्स नहीं हो, बल नहीं हो, शक्ति नहीं हो तथा ऐसे हथियार नहीं हों तो मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए आज उनकी बढ़ोतरी बहुत आवश्यक है।

पिछले दिनों 3 जुलाई की बात है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र निवाई में एक शेर आया था और उसने 3 आदमियों को झपट्टा मारकर घायल कर दिया। घायल करते ही त्राहि–त्राहि मच गई चारों तरफ.... (व्यवधान) .. उसके बाद इत्तिला हुई तो पुलिस फोर्सेज पहुंच गई। हमारे पूरे जिले के लोग पहुंच गये और यहां के भी बड़े-बड़े आफिसर्स चले गये, वन विभाग के भी

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

चले गये, जानकारी है महावीरजी, मुख्य सचेतकजी भी वहां चले गये थे लेकिन शेर को न तो भगा सके और न पकड़ सके, न बेहोश कर सके, कुछ नहीं कर सके। वह तो अपनी सुविधा से निकला और खरामा-खरामा चला गया। मेरा कहना यह है कि उस रोज तमाम पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। दूसरे थाने जैसे मीरा चौक के लोगों ने कहा कि हमारी यह परेशानी है, मैंने कहा कि भई जाकर थाने में बात करो तो बोले कि साहब वहां है ही नहीं थाने में कोई, इस तरह से सब वहां चले गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : वह तो मुख्य सचेतकजी को देखा नहीं होगा नहीं तो वह भाग गया होता।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह तो नाम सुनते ही भाग गया।

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह तो वहां पर पहुंचे ही नहीं, खैर, सावधानी बरती आपने, अच्छा किया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : निवाई रोक लेता हूं, मैं वहां का वोटर हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक सैकण्ड साहब, मुझे यह बात कहने दीजिए। जो नफरी इस समय पुलिस की है वह बहुत कम है, उसको भी बढ़ाना चाहिए और जो नए-नए आयुद्ध आ रहे हैं, हथियार आ रहे है, उनसे उनको लैस किया जाना चाहिए। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े समय में अपने सुझाव ही पेश करूंगा। मान्यवर, पुलिस हमारे समाज का आवश्यक अंग है, प्रशासन का भी बहुत अनिवार्य अंग है और हमें उसी दृष्टि से पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। आज कोई भी अवसर नहीं जब हम पुलिस की तरफ नहीं देखते। कल्पना कीजिए समाज के उस वक्त की जब पुलिस नहीं होगी, कितनी अराजकता हो जाएगी। मैं इसी दृष्टि से पुलिस के सम्बन्ध में कुछ बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां आज से 20-30 साल पहले जो पुलिस प्रशासन था, हमारे समाज की जो आवश्यकताएं थी और जिस प्रकार का प्रशिक्षण पुलिस को दिया जाता था वह अलग बात है, उस वक्त वैसा प्रशिक्षण काफी था लेकिन आज जैसे अपराधों का आधुनिकीकरण हो गया है उसी हिसाब से पुलिस फोर्स को तैयार किया जाना चाहिए और तैयार करने से ही पुलिस के प्रति लोगों की आस्था बनेगी।

मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन पुलिस प्रशिक्षण और पुलिस को आधुनिक साधन देना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस की हम आलोचना करें और बहुत समय तक आलोचना करना जरूरी भी है, अच्छे काम जो हैं उनकी हम सराहना करते हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुलिस फोर्स के जितने भी

(श्री शिवनाथ सिंह)

जवान अधिकारी आये हैं उन्होंने पुलिस का सम्मान बढ़ाया है, लोगों की आस्था उसमें बनी है। हमारे जिले में हमने खास तौर पर देखा है जितने भी जवान पुलिस अधिकारी एस.पी. के पद पर आये उनके व्यवहार से लोगों की आस्था जमी है लेकिन उसके बाद जो नीचे का तबका है और जिसका जनता से सीधा सम्पर्क है वहां भी माननीय गृह मंत्रीजी किस प्रकार का सुधार कर सकते हैं, करने की चेष्टा कीजिए। माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे यहां पुलिस थानों पर भारी वजन है, संख्या कम है और इसलिए सबसे बड़ी शिकायत पुलिस के खिलाफ यह होती है कि जो इन्वेस्टीगेटिंग वर्क है, उसकी शिकायत होती है ज्यादा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने प्रोसीक्यूशन ब्रांच को पुलिस से अलग कर दिया उसी तरह से आप एक इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी रखिये और उसमें जवान, अच्छे लड़के आपको मिलेंगे, एम.एस.सी., एम.ए., बहुत क्वालीफाइड, उनको अच्छी तनख्वाह पर आप रखिये और आज जो समाज का दूषित वातावरण है वह उसके दिमाग में नहीं बैठ पाया है इसलिए बिलकुल फ्रेस आपको मिलेंगे, उनको उसी प्रकार का प्रशिक्षण आप दें तो मेरे खयाल से बहुत सी कमियां और बहुत से दुःख हैं, वह दूर हो सकते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, पुलिस के अत्याचार भी होते हैं और पुलिस की तरफ से ज्यादतियां भी होती हैं। मैं इनको प्रसव पीड़ा के रूप में लेता हूं। प्रसव पीड़ा दुःखदायी भी होती है और अन्त में सुखदायी भी होती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने महसूस तो नहीं की ?

श्री शिवनाथ सिंह : आपने कर रखी है। आपसे ज्ञान लिया है मैंने। माननीय उपाध्यक्षजी, पुलिस से पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा को हमें सहन करना पड़ेगा, इस पुलिस को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्षजी, कोई कठिनाई नहीं है। आज हमारे पुलिस के अधिकारी कहीं सी.बी.आई. में जाते हैं और उनको भी इन्वेस्टीगेशन करना पड़ता है। वहां कोई थर्ड डिग्री मैथर्ड एप्लाई नहीं किया जाता है। आज तक मैंने कहीं नहीं सुना कि सी. बी. आई. में थर्ड डिग्री हुई हो। वे मनोवैज्ञानिक असर डालते हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : सी.बी.आई. में भी होती है। कल्पनाथ राय को बर्फ में लिटाया था।

श्री शिवनाथ सिंह : मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन वहां एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टीगेशन किया जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी को मजबूत कीजिये और वहां आप जवान आदमी को लाएं। जब उनका रिक्रूटमेंट करें और रिक्रूटमेंट के बाद जो ट्रेनिंग देने का काम है उसमें पुराने छोटे बांसधारियों को नहीं लगाएं। उनका एक ही गुरु मंत्र होता है सबसे पहले गाली। कड़ी से कड़ी जो गाली हो सकती है उसकी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। इसलिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए आप अच्छे अधिकारी रखें ताकि वे समाज के प्रति सद्भावी हों और सद्भावी होने के साथ वे उस पीड़ा को समझें कि हमारे काम से समाज को क्या पीड़ा हो रही है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय उपाध्यक्षजी, अभी एट्रोसिटी की बात चली। यह जो तबका है उसको विशेष रूप से संरक्षण देना आवश्यक था। यह ढाल के रूप में होना चाहिए और ढाल के रूप में ही इसका उपयोग करने के लिए कानून बना था, लेकिन अफसोस है कि ढाल की जगह इसको तलवार के रूप में काम में लिया जा रहा है। आज कहीं भी थोड़ी-बहुत राजनैतिक दुश्मनी निकालनी हो तो एक हरिजन भाई को ले आओ। वह इनोसेंट हैं, राजनैतिक पार्टियां उससे रिपोर्ट कराती हैं और अगले रड़क निकालती हैं। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार के जो मामले आएं उसमें इन्वेस्टीगेशन सही हो और यह छुपा नहीं रहता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत पहले की बात है। हमारे एक जिले में डी. वाई. एस.पी. उम्मेद सिंह हुआ करते थे। उनके सामने एक महिला की रिपोर्ट आई कि मेरी बच्ची को अमुक ने मार दिया। वह अफसर गया, इन्वेस्टीगेशन उसने किया और इस तथ्य पर पहुंचा कि जिस महिला ने रिपोर्ट की है कि मेरी बच्ची को अमुक ने मार दिया उस महिला के खिलाफ ही उसने 302 का चालान पेश कर दिया। इसलिए पुलिस चाहे तो सही इन्वेस्टीगेशन हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक-दो बात अपनी कांस्टीट्यूएंसी के बारे में भी कहना चाहूंगा। पिछले डेढ़-दो साल में, गुढा मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हैडक्वार्टर है। मैं उस अधिकारी का नाम लेकर उसको यहां हीरो नहीं बनाना चाहता। वहां के लोगों ने पीड़ित होकर माननीय गृह मंत्रीजी के यहां फरियाद की, डी आई.जी. साहब के यहां फरियाद की, डी.जी. साहब के यहां भी फरियाद की। माननीय गृह मंत्रजी ने बहुत जोर लगाकर उसकी बदली तो कर दी। मैंने निवेदन किया था कि हम बदली नहीं चाहते, हम इसको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इन्होंने बदली कर दी और इंक्वायरी के आदेश दिये थे। वे आदेश आज भी ठण्डे बस्ते में हैं। नाम नहीं लूंगा, मैंने अपने कट मोशंस में उसका विवरण दे दिया है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से आशा करता हूं कि जो भी शिकायतें लोगों की थीं उन शिकायतों का इन्वेस्टीगेशन करेंगे। इन्वेस्टीगेशन कराने के बाद वह अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसको दण्ड देंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, कारागार मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो जिले के स्तर पर जेल हैं, अभी-अभी एक अनुभवी माननीय सदस्य जो जेल में रह चुके हैं उन्होंने काफी बड़ाई की सैन्ट्रल जेल की व्यवस्था काफी अच्छी है। लेकिन जिला स्तर पर जो जेल है उनमें बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं खासतौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट झुन्झुनूं की जेल है उसका कभी चुपचाप निरीक्षण करें। वहां जो भी नया कैदी जाता है उसको गेट के ऊपर पीटा जाता है और वे ही पीटते हैं जो पहले से जेल में हैं। उसमें जेल के अधिकारियों की मिलीभगत होती है। वे उनसे रुपये वसूल करते हैं। जेल के अधिकारी को भी मिलता है और वे आपस में लड्डू बांटते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को आप ठीक कीजिए।

(श्री शिवनाथ सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां कोर्ट्स कायम हैं। उन कोर्ट्स में कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और रास्ते में उनके भागने का खतरा होता है। इस खतरे को बढ़ावा देने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने आदेश निकाल दिये कि किसी भी व्यक्ति को हैण्ड कफ्ड नहीं किया जाएगा। उपाध्यक्षजी, आदमी की स्वतन्त्रता का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में जहां जिसको रखा जाता है उसको उसी रूप में रखने की इजाजत होनी चाहिए। आज पुलिस पर जोर पड़ता है कि आपके कब्जे से मुल्जिम कैसे भाग गया। हैण्ड कफ्ड कर नहीं सकते। हैण्ड कफ्ड कर लिया तो अदालत उसको नोटिस देकर गड़बड़ कर सकती है। इसलिए वह समस्या है, उस तरफ भी ध्यान दें।

माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा एक सुझाव है। मानवाधिकार आयोग और महिला संगठन दोनों ही हमारी पुलिस को तंग करने में कसर नहीं रख रहे हैं। मानवाधिकार आयोग देखता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा के.पी.एस. गिल पंजाब में नहीं होते तो आज पंजाब में शांति नहीं होती, यह मैं नही कहता, लेकिन उसका योगदान बहुत बड़ा है। लेकिन आज वे मानवाधिकार आयोग के सामने मुल्जिम बने हुए खड़े हैं। जो जिस तरह का व्यक्ति होता है उसको उसी तरह से ट्रीट करना पड़ता है। आज मानवाधिकार आयोग छोटी-छोटी बातों के लिए इस तरह की कार्यवाही करता है जिससे पुलिस फोर्स का मनोबल गिरता है। हमारी मिलिटरी का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, हालांकि हमारी सरकार ने उसको अलग कर दिया है। लेकिन वे मनोबल गिराने की चेष्टा करते हैं। किसी भी अधिकारी ने सही रूप में किसी के साथ में कुछ कर लिया तो मानवाधिकार आयोग तैयार बैठा है, महिला आयोग है। ये संगठन तो बिना किसी जांच के थोड़ा-बहुत भी कहीं महिला का नाम आ गया तो चाहे गलत हो या सही हो बड़ी चौपड़ पर बैठ कर भाषण देने लग जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सारी एक ही जाती हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा इसमें कोई भी सत्यता हो सकती है। जहां सत्यता है वहां तो इन संगठनों को, हमको, हम पुरुष भी महिलाओं से अलग नहीं हैं। ये हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, इनकी रक्षा करना, इनकी इज्जत को कायम रखना हमारा धर्म है, लेकिन जहां इस प्रकार का काम, जो कहीं उसका नामो-निशान नहीं है उन कामों को लेकर ये धरने और प्रदर्शन करते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक असर पुलिस फोर्स पर पड़ता है और सही तरीके से वे उसका इन्वेस्टीगेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं महिला संगठनों और माननीय सदस्यों को भी निवेदन करना चाहूंगा कि सही-गलत का थोड़ा-बहुत ध्यान रखकर पुलिस का मनोबल गिराने की चेष्टा नहीं करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस फोर्स की हमें जरूरत है, पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए और पुलिस को जितनी भी अधिक सहूलियत आप देना चाहेंगे उसका हम स्वागत करेंगे।

(श्री शिवनाथ सिंह)

एक सिपाही को बैरक में रहने की जगह नहीं है। 24 घण्टे की उसकी ड्यूटी है। उसके लिए भी आप कुछ करें और पुलिस थानों को अच्छे संयंत्र से, अच्छी गाड़ियों से लैस करें। उसके लिए कुछ कर भार जनता पर करना पड़े तो हम उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरत सिंह।

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल हमारा पुरुष समाज महिलाओं के आरक्षण से, महिलाओं के बढ़ते अधिकारों से, महिलाओं के जागरूक होने से इतने चिंतित और दुःखी हैं कि कोई भी बात करना शुरू कर दो तो बात करने वाले को क्या कर दें पता नहीं, इस तरह के गुस्से में आजकल यह समाज है। उसी वातावरण में ये बोले हैं। न्याय का यह सिद्धान्त है कि 100 अपराधी चाहे छूट जाएं लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से यह भी मानिये कि महिला आयोग और महिला संस्थाएं अगर किसी मामूली बात को गम्भीर बताकर खड़ी हो जाती हैं तो आप इसको यह मानिये कि वे अपने जागरण के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हुई हैं, जो कुछ अतिशयोक्ति की तरफ वह जा रही हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह हड़बड़ाहट आप बन्द करिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : घर पर जाते हैं तो डर के मारे खाने के लिए भी नहीं कहते। महिलाओं के आगे हम तो हाथ जोड़ते हैं, घरवाली के आगे तक।

श्रीमती कमला : यह नाटक तो आपको खूब आता है। कहते हो कि लक्ष्मीजी हो और फिर क्या लक्ष्मीजी बनाते हो, यह सब जानते हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : अधिकारों की बात आती है तो विरोध करते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बुजुर्ग आदमी विरोध कर रहे हैं, जवान नहीं कर रहे हैं।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि आज की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती अव्यवस्था, बढ़ती अनुशासनहीनता, इस माहौल के अन्दर और बिगड़ी हुई व्यवस्था में क्राइम्स का बढ़ना स्वाभाविक है। गृह मंत्री की कुर्सी पर पर चाहे कांग्रेस का आदमी बैठे चाहे भारतीय जनता पार्टी का आदमी बैठे, यह बहुत चुनौतीपूर्ण कुर्सी है। ऐसे हालत में मैं उन बातों के ऊपर ध्यान दिलाऊंगा जो थानेदार से या कोई जिले के अधिकारी से सम्बन्धित नहीं है। मैं उस व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाऊंगा जिसको यह सदन और हम बनाते हैं और हम बिगाड़ते हैं। मुझे इस सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष काम करते हुए हो गये, लोगों ने कहा है कि यदि आपको राजनीति करनी है तो अपना थानेदार या अपना तहसीलदार लगाओ उससे राजनीति चलेगी और जिले को चलाना है तो अपनी मनपसंद के अधिकारी को लगाओ ताकि जिला आपके कहने से चले। अभी जो व्यापक स्तर पर तबादले हुए हैं यह उसी का प्रतीक है और इससे ही व्यवस्था बनती है और इससे ही व्यवस्था बिगड़ती है। यह मैं इसलिए कहता हूं कि यदि हम थानेदार अपनी पसंद का लगायेंगे

(श्री भरत सिंह)

तो थानेदार का उद्देश्य यह है कि जिस आदमी ने मुझे लगाया है, जिसकी चलती है राज में उसको राजी रखें और दुनिया को लूटे और तहसीलदार को भी हम लगायेंगे तो वह भी वही व्यवस्था करेगा। आज यह जो प्रथा चल गयी है यह प्रजातंत्र के हित में नहीं है और वह व्यवस्था यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए अधिकारियों को पीटो। ये घटनाएं जो बढ़ी हैं इसके लिए कुछ हद तक अधिकारी स्वयं दोषी हैं और कुछ वे लोग–बाग हैं जो राजनीति में बहुत जल्दी ऊपर चढ़ना चाहते हैं। वह मारपीट करते हैं और यह घटनाएं राजस्थान में बढ़ती जा रही हैं। रोज समाचार पत्रों में आप पढ़ेंगे कि कहीं न कहीं अधिकारी पिट रहे हैं। इस व्यवस्था पर और इस प्रकार की चीज पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

मैं जिस बात पर ध्यान दिलाऊंगा वह सीधी इस व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए इस सदन में बैठे लोग–बाग जिम्मेदार हैं उसकी ओर दिलाऊंगा। अखबारों के अन्दर मैं उस जिले से आता हूं जिसमें सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, जहां अधिकारी जाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं कोटा सम्भाग की बात कर रहा हूं, कोटा जिले की बात कर रहा हूं। मैं दो तीन घटनाओं की ओर ध्यान दिलाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं अखबार में से कुछ पढ़ दूं ताकि पूरी बात गृह मंत्रीजी के समक्ष में आ जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़कर आये हैं न इसको।

श्री भरत सिंह : मैं पढ़ देता हूं। एक खबर यह है–गिरफ्तारी करने के बजाय पुलिस अफसर वारंटी नेताओं से हाथ मिलाते रहे। यह घटना 1988 की है। सत्ता पक्ष के नेता एक अधिकारी के दफ्तर में जाकर मारपीट करते हैं, दफ्तर तोड़ते हैं। 1988 से उनके वारंट हैं, उनकी तामील नहीं हो रही है। न्यायालय ने आदेश किया कि इनको गिरफ्तार किया जाय और उसके बाद उसकी पालना नहीं हुई। एक केस में गिरफ्तार होते हैं, 6 मुकदमे अन्य हैं उनके खिलाफ, उनको पुलिस के अधिकारी नहीं पकड़ते हैं और उन नेताओं से डीवाई.एस.पी. और वहां के थानेदार हाथ मिलाते हैं कि आपने यहां आने की क्यों रिस्क ली। कहा कि मैं तो नहीं आ रहा था, तीन गवर्नमेंट तो पलट गयी, लोगों ने कहा चले जाओ जमानत करवा लो। राजनीतिक नेता, इस देश के आने वाले भविष्य, इस प्रकार की बात करें।

दूसरी खबर है, भवानी सिंह के गिरफ्तारी वारंट की तामील अब जयपुर पुलिस करेगी। कोटा की पुलिस ने जिसकी तामील नहीं की उसके लिए आदेश हुए कि जयपुर की पुलिस उसकी तामील करे। जब जयपुर की पुलिस पर तामील का अदालत का शिकंजा कसने लगा तो गृह मंत्रालय से आदेश जाते हैं कि उन लोगों के ऊपर जो 6 मुकदमे हैं उनको विथड्रा कर लिया जाय जनहित के अन्दर। मैं कहता हूं कि उनके अकेले के ही क्यों करते हैं पूरे राजस्थान के मुकदमे विथड्रा कर लीजिये। क्या एग्जाम्पल हम सैट कर रहे हैं? क्या चाहते हैं हम लोगों से? माननीय गृह मंत्रीजी, आप जब उत्तर दें तो इसके बारे में आप यह

(श्री भरत सिंह)

बतायें कि 6-6 मुकदमे, कत्ल में जो शामिल हैं उनके केसेज आप विथड्रा करेंगे। क्या एग्जाम्पल हम लोगों के सामने पेश करेंगे ? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बोलना है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज पुलिस विभाग और जेल विभाग की मांगें यहां विचाराधीन हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कौनसी पसन्द करेंगे ? जेल विभाग की या पुलिस की ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सुझाव दूंगा, भाषण नहीं दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय मैं भाषण कला में प्रवीण नहीं हूं। मैं तो आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी, आप इस बात का ध्यान दें कि प्रदेश में और जयपुर शहर में, पूरे राजस्थान में चोरियों की रिकवरी बहुत कम है। डकैतियों के मामले में आपकी पुलिस तत्पर है, रिकवरी भी करती है, पकड़ती भी है, झटपट भी पकड़ती है, समय भी लगता है लेकिन डकैतियों के मामले में जिस तरह का हम अखबारों में पढ़ते हैं और देखते हैं, सामने आते हैं मामले, उनसे भी पता चलता है कि इसमें तत्परता है और इस मामले में हम सन्तोष व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन चोरियों के मामले में कितना बड़ा असन्तोष जाहिर किया जाय वह गृह मंत्री जी मेरा रिकार्ड कर लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक चोरियों और डकैतियों की बात है, पुलिस के व्यवहार की बात है, पुलिस की तत्परता और इन्वेस्टिगेशन की बात है, यह आफिसर-टू-आफिसर फर्क है। जहां अच्छा आफिसर है, अच्छा एस.पी. है, होशियार है, अकेले ईमानदारी ही काफी नहीं है, वह कितना व्यावहारिक है, ईमानदारी अफसर के अधीन हो जाएगी तो बहुत बड़ी बीमारी हो गयी और सिफारिश नहीं माने, यह बहुत बड़ी बीमारी है। जन-प्रतिनिधि अपना केस लेकर जाएगा उसको अधिकारी सिफारिश क्यों मानता है ? उपाध्यक्ष महोदय, उसको फैक्ट्स फाइण्डिंग्स के रूप में क्यों नहीं लेता है वह ? वह क्यों नहीं लेता कि मुझे को-आपरेट करने के लिए आया है ? उससे सीखने की कोशिश क्यों नहीं करता है ? उसे बिठाकर पूछिये, उसकी राय पूछ लीजिये, वह कहता है कि ऐसा कर दो तो सुन लीजिये उसमें आपका क्या जाता है ? उसको अदरवाइज क्यों लेते हैं ? उससे झगड़ते क्यों हो कि हमारे पास सिफारिश है, दबाने के लिए। कौन दबाता है ? कोई आई. जी., डी. जी. को दबा सकता है ? कोई एस पी. को दबा सकता है ? कौन दबा सकता है ? लेकिन एक मीनिया बन गया बड़े अफसरों में कि हमारे पास सिफारिश लेकर दबाते हैं। हमारा हस्तक्षेप हो रहा है। कौन हस्तक्षेप कर रहा है ? आज की एग्जीक्यूटिव के अन्दर किसी का हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप है तो या तो बहुत बड़े आदमी, चीफ मिनिस्टर, का है वरना पैसे का है। यह स्थिति है आज के एडमिनिस्ट्रेशन की। पैसे का हस्तक्षेप है, कहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

कहीं है । इसके अलावा बहुत बड़ा असर या तो व्यर्थ का है, मनी का है या बहुत बड़ी पावर चीफ मिनिस्टर का या बहुत बड़े अफसर का है । उपाध्यक्ष महोदय, कुछ भी कह देंगे, आप कुछ भी कह दीजिये, आपने जिस किसी को कहा है किसी बात के लिए कि यह बात वाजिब है और बहुत बड़ा अफसर कह देगा कि यह मामला ठीक नहीं है तो वही होगा जो उन्होंने कहा है । आपकी बात नहीं चलेगी । यह स्थिति है । यह स्थिति है आपके प्रशासन की । होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी तरफ से बहुत लेप्सेज रहे हैं । आप बहुत भाग्यशाली होम मिनिस्टर रहे हैं । सी.एम. साहब का आप पर बहुत कोंफिडेंस है और आपके कोई लाग–लपेट नहीं है । न आप पारिवारिक आदमी हैं, न आप समाज के आदमी हैं लेकिन आपके बहुत बड़े लेप्सेज रहे हैं । आप राजस्थान के एक मामले में इनएक्टिव होम मिनिस्टर रहे हैं । आपने कहीं कभी जिलों का दौरा नहीं किया है और आपके डी. जी., आपके आई. जी., ये भी दोनों आपके सुस्त रहे हैं, बहुत आइडल रहे हैं । उनके कोई इंस्ट्रक्शन्स नहीं हैं, कोई सुपरवीजन नहीं है । कहीं जाते नहीं हैं, जाते हैं तो औपचारिकता करते हैं । डी. जी. और आई. जी. का इंसपेक्शन होता है, मान्यवर, सारा फोर्मल है । उसमें कुछ भी नहीं है फैक्ट्स फाइण्डिंग में और इन्वेस्टिगेशन करने या तो उनकी टीम पहले चली जायेगी और फोर्मेलिटी करके, डाइट लेकर, सेल्यूट लेकर आ जाये । उसका ऐसा सेरेमोनियल बनाते हैं कि जैसे राष्ट्रपति की विजिट हो रही है, गवर्नर की विजिट हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो रही है, चीफ मिनिस्टर की विजिट हो रही है । इस तरह से सेरेमोनियल बनाते हैं, वह ऐसा ओकेजन मनाते हैं और उस सेरेमनी को देखकर उनका सीना फूलता है और उनके खून में, भावना में शांति की भावना की संतुष्टि आती है और जिले में जाकर, तकलीफ सुनकर दिल नहीं पसीजता है । अगर ये आफिसर अपनी टेंडेंसी में चेंज नहीं लायेंगे, होम मिनिस्टर साहब, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई सुधार नहीं होने वाला है । डी. जी. इंसपेक्शन नहीं करे, आपके पास क्या अभी तक, मैं पूछता नहीं हूं लेकिन आपके कभी डी.जी., आई.जी. की या डी.आई.जी. की कोई रिपोर्ट आई है इंसपेक्शन की कि क्या किया इन्होंने जाकर के । कितने केसेज में बरामदगी में मदद की, कितनी उन्होंने गाइडेंस दी, कितनी उन्होंने एडवाइस किया, क्या उन्होंने सुपरवीजन किया ? (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आ रहा है, आ रहा है । उनके पास सारी रिपोर्ट है ।

श्री रामनारायण चौधरी : कुछ नहीं आ रहा है । मैं आपको कहता हूं चन्दन मलजी, (व्यवधान) इस मुल्क में यही तो घाटा है । तो कब तक सुपरवीजन, इन्वेस्टिगेशन, इंस्ट्रक्शन –

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इस हल्के स्तर के हस्तक्षेप की आपसे उम्मीद नहीं करता चन्दन मलजी ।

श्री चन्दनमल बैद : आप तो सरताज हो इनके ।

श्री रामनारायण चौधरी : बहुत बड़े, इस सदन के एक माननीय वरिष्ठ सदस्य

(श्री रामनारायण चौधरी)

जिक्र कर रहे थे कि आज की पुलिस की महिला कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनोरिटी कमीशन, इन कमीशन्स ने जान निकाल दी । ये कमीशन रहेंगे और ये मजबूत होंगे लेकिन इनके रहते हुए भी आपके पुलिस प्रशासन को, आपकी पुलिस को रहना होगा, इनके साथ एडजस्ट करना होगा । समाज की सेवा के अन्दर आपको रोल अदा करना होगा । अब आप समझते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हम और यह कहकर कि माइनोरिटी कमीशन, मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग के अधिकारों को कम करवा देंगे यह होने वाली बात नहीं है । आज संसार में क्या हो रहा है ? आज सोवियत यूनियन टूट गया, आज कम्युनिस्ट कंट्री सब टूट गये । आज वह आयरन रूल संसार में कहीं भी नहीं है और जहां पर थे वह टूट गये । आज तो किस प्रकार से बदले हुए माहौल के अन्दर कैसे हम शासन चला सकते हैं, कैसे हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक्जिस्टेंस में हम रह सकें, भला आदमी कैसे जिन्दा रह सकता है । इसके अन्दर ही आपको रास्ता निकालना पड़ेगा और वह आप ही निकाल सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अपने अधिकारियों के साथ बैठकर, होम मिनिस्टर का यह काम है लेकिन होम मिनिस्टर ने यह लाइजन नहीं रखा है । मेरे मित्र हैं, मुझे उनकी आलोचना करते हुए दुःख होता है लेकिन अब तो समय आ गया है, चार महीने की बात है, आगे जो हालात बन रहे हैं, उसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा । जहां तक मुझे दिखता है कि यह अदला-बदली चार महीने के बाद हो जायेगी । आपने बहुत बड़ा समय गंवा दिया ।

मान्यवर, एट्रोसिटीज के बारे में कह रहा था, मेरे बहुत लायक मित्र हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी इज्जत करता हूं, वह आउट-लुक हैं, उनका विजन बहुत लोड है लेकिन एट्रोसिटीज के मामले में चाहे कमलाजी बैठी हैं, मुझे उनसे डर भी लगता है । यह एट्रोसिटीज और महिला, एट्रोसिटीज और एस.सी. एस.टी. को देखिये, इसमें अधिकारी अधिकारी का फर्क पड़ता है । हमारे जिले के अन्दर एक बहुत अच्छा एस पी. आया । वह एस.सी. का था और जब वह आया था एट्रोसिटीज का जोर हो रहा था । सब लोग घबरा गये । बोले, यह एस.पी. कहां से आया है ? बोले, हरियाणा से आया है । बोले, यह मारेगा । कैसे मारेगा । बोले, सब झूठे मुकदमे बनेंगे । मैं आपको ठीक कहता हूं, डिप्टी-स्पीकर महोदय, वह ढाई-तीन साल तक रहा । किसी को उनसे शिकायत नहीं हुई । उसने न एट्रोसिटीज वालों को होने दी और न ही एट्रोसिटीज जिनके ऊपर लगा रहे थे, उनको होने दी । जो कोई भी आता, उससे बैठकर बात करते थे कि भाई, क्या बात है । अधिकांश मामलों में उस आदमी से, उससे पूछ लिया करता था और पता लगा लेता था, समझा देता था तो मामला अफसर के ऊपर निर्भर करता है । ढाई साल रहा । हर आदमी, एस.सी के भी उससे खुश थे, एस.टी. के भी उससे खुश थे और अपर क्लास वाले भी खुश थे । कोई शिकायत नहीं महसूस होने दी कि एक एस.सी. का आई.पी एस. आफिसर है । इतना अच्छा रहा । और हमारे एक मित्र कह रहे थे कि यंग जनरेशन,

(214)

(श्री रामनारायण चौधरी)

यंग जनरेशन पर ही मत कहिये आप । यंग जनरेशन में भी बहुत बड़ा अन्तर है । एक एस. पी. आफिसर था झुंझुनूं जिले में वह बहुत यंग था, बहुत ईमानदार था और एक वाकया हुआ डकैती का, रेलवे डकैती का । थानेदार नहीं पहुंचा उससे पहले वह झुंझनूं से पहुंच गया तो उससे फर्क पड़ता है और एक डी.आई.जी. बड़े बुजुर्ग हैं । जिनको मैंने देखा है । नये एस पीज. से भी डी. आई.जी. से भी उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता । वह अभी थे जयपुर के अन्दर, अब उनको चेंज कर दिया लेकिन बहुत उम्र के थे, अनुभव देखा था लेकिन बहुत संजीदा आदमी थे और उससे पहले एक डी.आई जी. और थे, उनका नाम मुझे नहीं मालूम क्या था । वह यंग मैन है । वह बहुत व्यावहारिक आदमी था । उनको कोई सजेशन देता तो फौरन उसको पकड़ा । कभी उन्होंने महसूस नहीं किया कि हमें दबा रहे हैं या हमारे लिए कह रहे हैं । यह तो मैन टू मैन फर्क पड़ता है तो, मान्यवर, होम मिनिस्टर साहब, आपसे निवेदन यह है कि आप इस थोड़े से समय में कुछ करिये, पुलिस को सुविधा दीजिये, किसी को कोई एतराज नहीं है लेकिन आप सुविधा नहीं दे सकते । आज तो आंतरिक सुरक्षा पुलिस के हाथ में है, देश की सुरक्षा फौज के हाथ में है । फौज को तो सुविधा दे दी, पुलिस को आप नहीं दे सकते लेकिन इन हालात में आप क्या कर सकते हैं, वह करने की कोशिश कीजिये । अफसरों से कोर्डिनेशन बैठाइये, अफसरों से कहिये, चोरियों से देश बरबाद हो रहा है, समाज टूट रहा है । कोई आज सुरक्षित नहीं है । रात को सोता है, उसको तसल्ली नहीं होती । गाड़ी हमारी बाहर खड़ी रहती है, पता नहीं, सही समय पर मिलेगी कि नहीं । उठते ही सबसे पहले गाड़ी के टायर सम्भालता हूं । यह स्थिति है । शिवनाथ सिंह जी मुझे कह रहे थे, बोले इन गाड़ियों का कोई भरोसा नहीं है । मैंने कहा कि भरोसा तो भगवान पर रखो । अपनी है तो कोई ले जायेगा नहीं और ले जायेगा तो वापस आयेगी नहीं । यह सन्तोष रखो । रात में तसल्ली से सोओ । अपना है, अपना सिर है । उसमें भगवान का भरोसा है । यही सबसे बड़ी चीज है, सबका सहायक वही है कमजोर का, तो तसल्ली रखो तो मान्यवर, जयपुर में कितनी चोरियां बढ़ रही हैं । मैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन को बदनामी नहीं देता । आज आप होम मिनिस्टर हैं, आपकी बदनामी है, पर्सनली आपकी कोई बदनामी नहीं है लेकिन आपने जयपुर के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे सर्कल आफिसर, थानेदार, एस.एच.ओ. लगा रखे हैं जिनका कोई रूतबा नहीं । आप रोबदार आदमी को लाइये । मार्शल कास्ट के लोगों को लाकर थाना दीजिये । आप ऐसे आदमी, कमजोर आदमी, जिन्होंने अपनी दुकानों के ऊपर या जिनके घर वालों ने आटा तोला है, अनाज तौला है । उन आदमियों को थाने दे देंगे तो काहे से थानेदारी कर लेंगे, वह नहीं कर सकते । थानेदारी वही करेगा जिसकी भुजाओं में बल होगा, आवाज में बल होगा, आत्मा में बल होगा, डंडे में बल होगा तो आप यह तौलने वाले को थानेदार बना दिया, जयपुर में थाने दे दिये तो इससे तो कोई सुधार नहीं आयेगा और अगर आयेगा तो देख लीजिये । होम मिनिस्टर साहब, थानों की लिस्ट लीजिये, आप तब्दीली करके देखिये । जिस थाने के अन्दर

(श्री रामनारायण चौधरी)

तौलने वाला आदमी है, उनको आप चेंज करके देखिये, उसमें परिवर्तन आता है या नहीं आता है । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप जयपुर पर ध्यान दीजिये, जयपुर राजस्थान की राजधानी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसका असर सारे राजस्थान पर पड़ता है । तो इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं कोई इस बात की चेष्टा नहीं कर रहा हूं कि मैंने इस डिबेट में कितने नम्बर बनाये । मेरा यह इरादा नहीं है, मेरा इरादा यह है कि आप, मान्यवर, राजस्थान के 5 करोड़ लोगों के कस्टोडियन हैं और सारा इंफ्रा-स्ट्रक्चर आपके पास में है । जयपुर राजधानी है, यह आपका दर्पण होगा, जयपुर एक दर्पण है । आप इस पर ध्यान दीजिये और सी.एम. साहब से बात कीजिये कि साहब, मेरी यह राय है, ऐसा करिये । अगर करेंगे तो यह रिजल्ट होगा । नहीं करेंगे तो आपकी मरजी है, थोड़ा सुझाव दीजिये । इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं । आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर ।

श्री राजेन्द्र पारीक : डिप्टी होम मिनिस्टर साहब, मूंछे तो कम्पलसरी कर दीजिये, पुलिस में मूंछे कम्पलसरी कर दीजिये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये न ।

श्री भंवरसिंह डांगावास (राज्य मंत्री, गृह) : डिप्टी नहीं, स्टेट होम मिनिस्टर.... (व्यवधान)

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या 16 और 17 के ऊपर चर्चा हो रही है, मैं भी इस चर्चा में भाग लेना चाह रहा हूं । राजस्थान की पुलिस का कार्य और संचालन बहुत ही उत्तम तरीके का है....

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह जो अभी माननीय रामनारायणजी चौधरी कुछ बोले हैं, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनकी बात काटना नहीं चाहता, लेकिन किसी जाति विशेष का आदमी योग्य होगा और दूसरी जाति का योग्य नहीं होगा, यह मैसेज इस हाउस से जाना उचित नहीं है । मैं इस बात को....

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने कोई जाति का नाम नहीं लिया है, तौलने वाले आप भी हो सकते हो, तौलने वाला जाट भी हो सकता है, तौलने वाला ब्राह्मण भी हो सकता है

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपने तौलने वाला और वह जो बोला है, वह ठीक नहीं है । आई डिसएग्री (व्यवधान)

श्री अर्जुनलाल जीनगर : माननीय उपाध्यक्षजी, अन्य प्रदेशों के मुकाबले में राजस्थान की कानून-व्यवस्था बड़ी ही उत्तम है... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी जैसी भावना है वैसा ही आपने अन्दाजा लगा लिया ।

(216)

श्री रामप्रताप कासनियां : नहीं, आज खेत सिंहजी ने चालीस गधों का नाम ले लिया तो भी हम नहीं बोले। खेत सिंहजी ने आज यहां हाउस में चालीस गधों का जिक्र किया तो था भी हम नहीं बोले।

श्री रामनारायण चौधरी : अब बोल रहे हो न एक। अब एक बोल रहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अब बोल कर क्या सिद्ध कर रहे हो?

श्री अर्जुनलाल जीनगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है, वास्तव में सराहनीय है और यहां के अधिकारी, इनकी कार्यकुशलता, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय शेखावत साहब, हमारे गृह मंत्री मेघवाल साहब, के हम आभारी हैं कि यह कानून-व्यवस्था में जो चुस्ती लाये हैं वह बहुत सराहनीय है। राजस्थान का चहुंमुखी विकास हुआ है। विकास के साथ साथ औद्योगीकरण हुआ है, प्रगति हुई है देश की, प्रदेश की। जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ समाज में बुराइयां भी बढ़ी हैं और बुराइयों के साथ-साथ अपराध की मात्रा, अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन क्या इसके लिए मात्र पुलिस जिम्मेदार है? इन अपराधों के लिए मात्र पुलिस जिम्मेदार नहीं है, हम सभी जिम्मेदार हैं, हमारा पूरा समाज जिम्मेदार हैं, हम सब जन प्रतिनिधि जिम्मेदार है। मात्र पुलिस को ही इसका जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। जो भी पार्टी आयेगी, जो सत्ता में होता है उस पर आरोप-प्रत्यारोप लगता है कि आपके शासनकाल में इस प्रकार के अपराध बढ़े हैं लेकिन अपराध एक सामाजिक बुराई बनता जा रहा है? हम सब को यह प्रयास करना चाहिए जिससे कि यह बुराई हमारे समाज से निकले और हम सभी इसके प्रति जिम्मेदार रहें कि हमें हमारे समाज को व्यवस्थित और सुन्दर बनाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, वह हमारी सब की जिम्मेदारी है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस मौके पर मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में जिक्र करूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है। मेरा क्षेत्र एक अफीम उत्पादन क्षेत्र है और एक तस्करी का क्षेत्र बना हुआ है। मैं कई बार हाउस में कह चुका हूं, गृह मंत्रीजी से अनुरोध कर चुका हूं कि जब तक पुलिस को अच्छे साधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक तस्करी को हम रोक नहीं पायेंगे। थानों के अन्दर गाड़ियां पुरानी हो गई हैं, वायरलेस सैट नहीं है, जीप है जो पुरानी है, उसके अन्दर स्टेपनी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से तस्करों का मुकाबला करेंगे। तस्करों के पास आधुनिक हथियार हैं, हमारे सिपाहियों के पास नहीं हैं, फिर भी मैं इस पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे पास जो पुराने साधन है, उनसे भी मुकाबला करके आये दिन तस्करों से मुठभेड़ होती है और आये दिन क्विंटलों मात्रा में अफीम पकड़ी जाती है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एस.पी. को कि वह इतनी मुस्तैदी से इन तस्करों का मुकाबला करते हैं। चित्तौड़ जिला पूरा तस्करी में माहिर है चाहे प्रतापगढ़ लें, चाहे चित्तौड़ लें

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलीपित की गयी।

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

निम्बाहेड़ा लें. गंगरार लें, राशमी लें, चाहे छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी लें, हर तहसील के अन्दर अफीम की खेती होती है और तस्कर हर जगह मौजूद हैं। मैं इस मौके पर गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे थानों के अन्दर सिपाहियों की संख्या बढ़ाई जाय, फोर्स बढ़े और अच्छे साधन उनको दिये जाएं। दूसरी समस्या मेरे वहां क्षेत्र में कंजरों की है। यह चोर जाति है और राशमी क्षेत्र, गंगरार क्षेत्र के पास, कपासन विधान सभा क्षेत्र है और कपासन विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है, पूरा कंजर खेड़ा है, उसको मवदा के नाम से जानते हैं, उधर बेगूं के अन्दर भी एक गांव है जहां पर एक हजार परिवार कंजर रहते हैं, कपासन के अन्दर पांच सौ परिवार रहते हैं एक साथ और वहां एक चौकी कायम है और उस चौकी के अन्दर मात्र दो सिपाही हैं। वह दो सिपाही उस पूरी कंजर कालोनी को कैसे कन्ट्रोल करेंगे। मैं यह चाहता हूं इस मौके पर कि उस चौकी के अन्दर सिपाहियों की संख्या बढ़े और कंजरों पर कंट्रोल करने के लिए बस्ती में एक थाना जो प्रस्तावित है, प्रथम सत्र में कहा था कि बस्ती के अन्दर थाना कायम किया जायेगा, अपराधों को रोकने के लिए बस्ती के अन्दर एक थाना हो और मातृकुण्डिया में एक पुलिस चौकी हो ताकि इन कंजरों पर लगाम लगाई जा सके।

अन्त में मैं, उपाध्यक्ष जी एक घटना की बात कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र का व्यक्ति था बद्रीलाल जाट, पावली का निवासी था। अपने मित्र के साथ राजसमंद जिले के कुंवारिया गांव में कोई रिश्तेदारी में मिलने गया। एक वर्ष पुरानी बात हो गई है. यह बात सदन में दूसरी बात बता रहा हूं। कुंवारिया में वहां रात्रि को वह अपने मित्र के घर रुकता है। सुबह उसकी लाश सड़क पर मिलती है। थाना कुंवारिया में एफ. आई. आर. दर्ज होती है। लाश का पोस्टमार्टम होता है, मुकदमा दर्ज होता है, तफतीश की जाती है। लेकिन जिन पर शक की सुई अटकती है उनको मामूली पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इसकी तफतीश हो। मुकदमा नम्बर 132/97 है और आज वह फाइल डी. वाई. एस. पी., राजसमंद श्री खमेचा के पास शायद ठण्डे बस्ते में पड़ी है। मैं गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको गहराई से लें ताकि वास्तविक जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। अन्त में, मैं पुनः हमारे मुख्य मंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, उसमें मुस्तैदी लाने के लिए सराहनीय कदम उठायें। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से नहीं, आपके माध्यम से मैं तो गृह मंत्री जी से, इस डिबेट में भाग न लेते हुए, चार–पांच स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह बाद में पूछ लेना।

(218)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बाद में कब, कल ? डिबेट तो आज हो रही है। आप भी गजब करते हो।

श्री उपाध्यक्ष : आपका काफी ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गृह मंत्री महोदय, कोटा में 20 मई को नीलू की हत्या हुई।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप उधर क्या देखते हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नीलू राणा काण्ड, हत्या बलात्कार। लोकल पुलिस ने उसकी जांच की, तफतीश चालू कर दी। मुझे तो यह बताने का कष्ट करें आप कि 20 मई को उसकी हत्या होने के बाद जब लोकल पुलिस तफतीश कर रही थी तो किसने मांग की थी कि सी.आई.डी. (सी.बी.) को इन्क्वायरी दे दी जाय, आपने इन्क्वायरी क्यों दी ? मेरा स्पेसिफिक आरोप है कि आपने इन्क्वायरी इसलिए दी जो रियल कलप्रिट्स है जिनके लिए वह लड़का आज तक कहता है कि असली आरोपी है अंकुश बाधवा.... उसने यह बात लोकल पुलिस के तफतीश कुनिंदाओं से भी कही है सी.आई.डी. (सी.बी.) के तफतीश कुनिन्दाओं से भी कही और सी. बी.आई. को जब वह तफतीश ट्रांसफर हो गई तो आज भी वह कहता है कि दो युवक थे जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी और बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं। उस अंकुश बाधवा को बचाने के लिए और सारे मौके के सबूतों को मिटाने के लिए जिस पुलिस अफसर पर लोकल पुलिस ने 120 (बी) लगाया आपकी सी.आई.डी. (सी.बी.) ने वहां जाकर 119 में जमानत ले ली। यह सबसे बड़ा सबूत था कि आपने यह तफतीश चेंज इरादतन की, क्योंकि उसमें अंकुश बाधवा के साथ-साथ राजनेताओं के लड़के फंसे हुए थे और उन लड़कों को बचाने के लिए आपने यह सब कुछ किया। जब जनता ने आक्रोश दिखाया, कोटा बंद रहा, जगह-जगह हड़तालें हुईं, धरने लगे, भूख हड़तालें हुईं उसके प्रेशर में आकर आपने फिर माननीय चतुर्वेदी जी साहब ने आडवानी जी से बात की और वह सी.बी. आई. में गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : और यहां सर पटक-पटक कर मर जाएं तब भी आप न भेजो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह राजनीतिक हस्तक्षेप, जब तक पुलिस के ऊपर बंद नहीं होगा तब तक कितनी भी बातें आज यहां माननीय सदस्यों ने अपने सुझावों के बतौर इस सदन में कहीं हैं मैं नहीं मानता कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार अमल कर पाएंगे। जगह-जगह राजनीतिक हस्तक्षेप है। अभी मामला भरतसिंह जी ने उठाया। +++ का। +++ कौन? भारतीय जनता पार्टी की एक तोप। सन्, 1988 में उन्होंने तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर में जाकर तोड़-फोड़ की वह केस अभी तक चल रहा है। भरतसिंह जी ने जैसा बताया है कि पुलिस ने उनको आज तक तामील ही नहीं किया और आखिरी में जाकर कोटा के ए डी. जे. को डी.जी. को लिखना पड़ा कि

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आप इसकी तमील करके उसको गिरफ्तार करके लाइये। आज सभी हाउसिंग बोर्ड के अफसर के साथ मार-पीट करने वाले इस +++ को आपकी सरकार ने हाउसिंग बोर्ड का डाइरेक्टर बना दिया (व्यवधान) वे डाइरेक्टर हैं आज की तारीख में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाधा नहीं डालना चाहता किन्तु जो सदन में उपस्थित नहीं हो उसका नाम तो डिफाइन कर नहीं सकते इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्होंने भी कहा है तो ठीक नहीं और आप भी कहें तो ठीक नहीं और सभी तो सी.बी.आई. से जांच चल रही है वह प्रभावित होगी। आप ज्ञानवान हैं, वकील भी हैं, समझदार भी हैं और हमारे सहयोगी हैं। ऐसा ठीक नहीं है मेरा आपसे निवेदन है। कम से कम नाम तो निकाल लिया जाय इस तरह तो बहुत गलत परम्परा बन जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री शांति कुमार धारीवालजी, नियमों का ध्यान रखें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने कोई गलत बात बोली है.... हां साहब। नियमों का पूरा ध्यान रख रहा हूं। आप बताइये मैंने नियम कहां तोड़ा? कौन सा तोड़ा आप बता दें। नहीं आप बता दो.... (व्यवधान).... जो आपने यह कहा कि जो आदमी यहां का सदस्य नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि जितने भी डिस्कशंस यहां पर होंगे हम 200 आदमियों के बीच में ही होंगे। एक-दूसरे के डिस्कशंस होते रहेंगे। 201वें आदमी का तो हम नाम ले ही नहीं पाएंगे यहां पर। यह मतलब है क्या नियमों का?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह रूल 269 का है। आप पढ़ लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बैठ जाओ, बैठ जाओ आप। +++

श्री महावीर प्रसाद जैन : बैठ जाओ, बैठ जाओ क्या होती है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम खान-दानी वकील रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....मर्जी आवे जिसको ही... (व्यवधान).... सिखाना पड़ेगा आपको, यहां हाउस को +++ नहीं बना सकते आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल :... (व्यवधान) .. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई लम्बा भाषण नहीं है मेरा मैं तो सिर्फ दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं। आप चिन्ता ही मत करो।

श्री टीकमचन्द कान्त : (व्यवधान) ... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच को प्रभावित करने वाला वक्तव्य है .. (व्यवधान) . .

श्री रामप्रताप कासनियां : ये शेम शब्द पर भी रोक लगायी जाय।

+++ नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

बार–बार आप उकसा रहे हैं। शशीदत्ता जी को।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, उस सारे कांड में असलियत यह थी कि....

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब आप मंत्री हैं—(व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : कि वास्तव में ....(व्यवधान).... फिर पता नहीं मुल्जिम इनसे मिलने गये और दूसरे दिन से इन्होंने चर्चा करना ही बंद कर दिया और पता नहीं कहां जाकर छुप गये। यह जघन्य हत्या कांड हुआ है उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए लेकिन एक बार धारीवाल जी बोलने के बाद दुबारा गायब हो गये फील्ड से....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ये व्यवहार है इनका।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह 302 के आरोपित लोग जो हैं जा करके डी.जी. से और हाउस में इस तरह से बैठ करके बात करेंगे तो फिर हाउस की क्या सेंक्टिट रह जाएगी ?

श्री मदन दिलावर : . (व्यवधान) .. आखिर में इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने दुबारा चर्चा क्यों नहीं की ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप आगे चलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो वैसे भी समाप्त कर रहा हूं मुझे ज्यादा बात करनी भी नहीं है। आज हमारे सौभाग्य की बात है कि आप विराजमान हैं यहां पर....

एक माननीय सदस्य : पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब ? +++

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं +++ नहीं हैं वे। +++ तो रघुवीरसिंह जी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में चार महीने पहले जितने भी थाने थे और उनके ऊपर जो सर्किल इंसपेक्टर लगे हुए थे उनके आपस में तबादले हो गये गुमानपुरा वाले को नयापुरा लगा दिया और नयापुरा वाले को किशोरपुरा लगा दिया वगैरह–वगैरह, वह किस तरह से हुआ ? कोटा के एक हिस्ट्रीशीटर जिसकी फोटो आज भी दादाबाड़ी के थाने में लगी हुई है उसने अपनी बगीची में बैठ कर डिप्टी मैयर के साथ लिस्ट तैयार की और तैयार करके पुलिस के आला अफसरों को दी और दूसरे रोज उनके तबादले हो गये। यह आपकी जानकारी में है और आपकी रजामंदी के साथ हुए हैं....

श्री टीकमचन्द कान्त : नहीं, इसके क्या गवाह हैं (व्यवधान).... यों ही कहे जा रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा निश्चित तौर पर आरोप है आप पर कि

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

इस तरीके के लोगों को आपका प्रोत्साहन प्रोटेक्शन है और उसी वजह से आज कोटा लॉ एण्ड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। नीलू राणा कांड के बाद में डॉ. बीना की हत्या हुई। आज के चार रोज पहले जसवीर सिंह की हत्या हुई। रोज हत्याएं, रोज बलात्कार हो रहे हैं कोटा में और इसमें सब कुछ जो कुछ भी रत्ती भर और बड़े से बड़ा दोषी कोई है तो आप लोग हैं, आपकी पार्टी है और आपके राजनीतिक हस्तक्षेप हैं। धन्यवाद।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि या तो आपको जानकारी भी होगी कि जिस समय तबादले हुए मैं तो पुलिस के किसी बात में चक्कर में, मैं लगातार अपने चुनाव कराने के लिए हिमाचल प्रदेश में 12–13 दिन के लिए वहां गया हुआ था इसलिए जरा जानकारी को ठीक कर लें और अपनी जानकारी में ऐसी बात कहते हुए उसी दृढ़ता से बोलें। मेरा कहना यह है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा अगर यह बात साबित नहीं कर दूं और बल्कि आपने उस हिस्ट्रीशीटर को सर्किट हाउस में बुलाकर के 10 आदमियों के बीच डांटा भी और यह भी कहा आपने कि तुमने यह, सब कुछ अखबारों में छप गया, पत्रिका ने छाप दिया, दूसरों ने छाप दिया, तुमने यह क्या किया? आपने यह भी कहा लेकिन यह कब कहा आपने....(व्यवधान) ...

श्री टीकमचन्द कान्त : (व्यवधान) ....इसका मतलब क्या हुआ ? इसका मतलब सीधा-साधा हुआ न कि आप कांट्रडिक्शन फिलिंग कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ... जब वह अपना काम कर चुका था क्योंकि उस पर आपका पूरा हाथ है आपका पूरा प्रोटेक्शन है उस पर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराज जाएं। श्री भवानी जोशी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं यह साबित करने के लिए तैयार हूं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या साबित करेंगे आप ?

श्री टीकमचन्द कान्त : धारीवाल जी ने कह दिया ....(व्यवधान) ... गजब हो जाएगा।

श्री किशनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान विधान सभा का सर्वोच्च हाउस है, हाउसरी गरिमा, आसन की गरिमा भी होवे है। चुनाव हुए राजस्थान के पांच करोड़ जनता के सामने आये, घोषणा पत्र के आधार पर पार्टियां चुनाव लड़े बहुमत जीं को होवे है वह हां पक्ष में आ जावे, आपरो नेता चुनकर ना पक्ष में आवे वो आपरो नेता चुनर विरोध करने को एक तरीको होवे है। जियां धारीवाल जी फरमावें कि + + + ये शब्द, वकील साहब हैं और हाउस में यदि ऐसी बातां करें तो बहुत दुःख होवे। विरोध करने को बहुत तरीको होवे है लेकिन ये

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री किशनाराम नाई)

थोड़े कि+++ अखबारों में शो करने रे वास्ते राजस्थान की जनता आज कोई बेवकूफ कोन रही कि जित्तो काम करो है राजस्थान और या 8 साल में जितनो काम हुओ है ये अपने जीवन में नहीं करे सकें और चालीस साल तक . (व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने क्या कहा आपको मैंने तो एक मुहावरा है, उपाध्यक्ष महोदय, +++ अब इसमें क्या गलत कहा, मुहावरा है। +++

श्री किशना राम नाई : राज को मरो किये लेकिन आज हाउस की एक गरिमा है और आशन री गरिमा है फिर भी कोई परवाह ही नहीं और नाच-कूदर रोब दिखा लो मेरे कने आखिर थें वकील हो पढ़े-लिखे आदमी हो ई तरह की भाषा को प्रयोग करनो कद तक री उचित बात है ?

श्री टीकमचन्द कान्त : कितने सम्मान से बोले हैं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें। श्री भवानी जोशी। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें उसके बाद सरकार की ओर से उत्तर आएगा।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव था मैंने नाम दिया ...(व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष जी महिला विरोधी कब से हो गये। एक महिला को तो बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अकेले हैं रोज बोलना पड़ेगा, कल बोल लेना।

श्री अमराराम (धोद) : मैंने पुलिस की मांग पर ... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, आज पुलिस पर बोलना है। महिला अत्याचार पर बोलना है। कल शिक्षा में कैसे पुलिस का बोल दूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, एक महिला को नहीं बोलने देंगे आप ऐसा नहीं होगा। ऐसा +++ मत करिये। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी ज्यादती मत करिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : पुलिस की सुविधाओं के ऊपर हम भी बोलना चाहते हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपके बाहर तो+++ हो रहा है यहां तो मत करिये एक महिला के ऊपर।

श्री रामस्वरूप मीणा : . (व्यवधान) महिलाओं को अवसर नहीं मिल रहा है (व्यवधान) आप आप कहते हैं कि आप अब मत बोलें।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान).....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें समय बरबाद नहीं करें। श्री भवानी जोशी।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(20 00 बजे)

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16 पुलिस पर आज जो सदन में चर्चा हो रही है, उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय गृह मंत्रीजी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि अन्य प्रदेशों से राजस्थान प्रदेश की कानून-व्यवस्था बिलकुल संतोषजनक है। अभी पुलिस प्रशासन के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने कई बातें सदन में कहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के बारे में भी कहा गया और यह भी कहा गया कि उनके द्वारा ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग होता है, मुकदमे दर्ज करवाये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन 1982 में इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने मेरे ऊपर 32 मुकदमे दर्ज करवाये, जो आज यहां है नहीं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जब मैंने 1993 में चुनाव लड़ा तो मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मैंने मतदान केन्द्र पर जाकर जबरदस्ती मतदान किया, मत पेटियों की चोरी की गई। धारा 171, 153, 394, 332, 353, 135 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत मेरे खिलाफ कार्यवाही की गई। आज तक मेरे खिलाफ केस पेंडिंग है। यह कांग्रेस सरकार के करतूत थे। वह पावर में थे तो उन्होंने पावर का दुरुपयोग किया... (व्यवधान) नहीं, 1993 में तो हमारी सरकार आई थी उसके पहले ही हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिये थे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे बात न करें आप।

श्री भवानी जोशी : माननीय सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के केस या मुकदमे विदड्रा कर दिये जाते हैं। मैं उन माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्ष से मेरे खिलाफ यह केस पेंडिंग है और विदड्रा नहीं हो पा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग का मनोबल और इच्छाशक्ति को मजबूत बनाने की आज आवश्यकता है और उसके लिए माननीय सदस्यों को प्रयास करना चाहिए। आज हम लोग भी कभी कहते हैं कि पुलिस प्रशासन चोर को नहीं पकड़ता। लेकिन पुलिस प्रशासन अगर कहीं एक डंडा भी चला देता है तो 50 लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोलना चालू कर देते हैं। आज कोई भी चोरी करने के बाद यह नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की है। उसको टार्चर करने का कोई तरीका हमें पुलिस प्रशासन के हाथ में देना चाहिए, उससे कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी और पुलिस पर जो यह आरोप लगते हैं कि बरामदगी नहीं कर पा रही है, वह बरामदगी भी कर पायेगी। मैं तो पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने सारी मूर्तियों की बरामदगी की और 3 लाख 97 हजार रुपये के मूल्य के सोने के आभूषण उन्होंने बरामद किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा एक जनजाति क्षेत्र है और यह क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाओं से लगा हुआ है। आज कल एक नया ढंग हो गया कि बड़े-बड़े कैन में शराब

(श्री भवानी जोशी)

मध्य प्रदेश से आती है और बांसवाड़ा से गुजर कर वह गुजरात पहुंचती है। पुलिस प्रशासन को उसके लिए सतर्क करना चाहिए, उससे अपराध बढ़ते हैं।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : मध्य प्रदेश में सरकार कौन सी पार्टी की है ?

श्री भवानी जोशी : कांग्रेस की। वहीं तस्कर हैं सारे और वे सारे तस्कर गुजरात में शराब की सप्लाई करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। दो मिनट का समय तो पूरा हो गया।

श्री भवानी जोशी : मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन है कि बांसवाड़ा में महिला थाना खोला जाये। मुझे आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम। लास्ट वक्ता, आखिरी वक्ता।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : हमें भी बोलने दें, दो-दो मिनट ही बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : दो-दो मिनट से एक घण्टा लगेगा... (व्यवधान)—

श्री रामस्वरूप मीणा : ये+++में बहस करते रहते हैं और हम सच बोलें तो हमें बोलने नहीं देते। इन्होंने ही+++ लिया है क्या ?

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : बोलने का+++तो भाजपा के लोगों ने ही ले रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम जी। दो मिनट, इन्दिरा जी। श्रीमती इन्दिरा जी बोल रही हैं, आप विराज जायें।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्यों नहीं बोलने का अवसर दिया जा रहा ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए, माननीय सदस्य। इन्दिरा जी, बोलिये आप। एक मिनट खराब हो गया आपका।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यह निवेदन करना चाहती हूं, ज्यादा नहीं बोलना चाहती... (व्यवधान)... अब आप कहेंगे कि दो मिनट खराब हो गये। मैं क्या कर सकती हूं ? (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : यह लगातार टाइम को खराब कर रहे हैं इधर के लोग और हमको बोलने के लिए दो मिनट नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो-दो मिनट में हरेक बोल जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आप इस तरह से बाई पास करके डिमांड पास कराना चाहो।

श्री किशन मोटवानी : आई कैन रिलीव यू। एक घण्टे के लिए मैं आपको रिलीव कर सकता हूं, डिबेट चला लीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक घण्टे तक और डिबेट चला दीजिए। दो-तीन मिनट, दो-तीन मिनट से ज्यादा मत दीजिए.... (व्यवधान)....

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : कट मोशन दिये हैं हमने। आप हमारा नाम देख लें इसमें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : 12 बजेंगे इस तरह से, बैठना पड़ेगा आपको।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पुलिस की डिमांड में हमेशा ही 12 बजते हैं, इसमें कौन सी नई बात है ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ आपको यह निवेदन करना चाहती हूं कि महिलाओं के साथ किस प्रकार से दिनों-दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं आज ही का अखबार बता रही हूं, ससुराल में विवाहिता की संदिग्ध मृत्यु, इसी पेज पर, एक ही पेज पर पुत्र और पत्नी की गला घोंट कर हत्या। ऐसी ही मेरे पास सारी कटिंग्स हैं पर आप अभी घण्टी बजा देंगे, इसलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि रोजाना दहेज के नाम पर जिस तरह महिलाओं की हत्या की जा रही है अगर यही काम होता रहा तो, गृह मंत्रीजी, आप अपनी तरह बहुत से पुरुषों को कुंवारा रहने के लिए मजबूर कर देंगे। क्योंकि महिलाएं मरती चली जायेंगी तो कहां से आयेंगी। दिन-पर-दिन महिलाओं के ऊपर अन्याचार होते रहते हैं। गृह मंत्री जी एक मेरा निवेदन है कि केवल आप अपनी संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा मत कीजिए, और इन महिलाओं की रक्षा करें जिनके साथ बलात्कार के केस दिन-पर-दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप ही की एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 5 साल में राजस्थान में बलात्कार और महिलाओं पर हो रहे अपराध दोगुने हो गये हैं। मैं आपको एक बात यहां पर बता रही हूं कि जो अभी हमारे गवर्नर साहब हैं "पुलिस की कार्य प्रणाली में तुरन्त सुधार की आवश्यकता", यह उन्होंने बोला है। इसलिए मैं

(20.08 बजे)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति पदासीन)

सिर्फ आपसे यही निवेदन करूंगी कि जो पुलिस में सारी कठिनाइयां महिलाओं के साथ हो रही हैं और जो दिन-पर-दिन अपराध बढ़ रहे हैं उनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वह एक कारण यह है, जैसे नीलू हत्याकांड हुआ, शिवानी हत्याकांड हुआ, या शिवानी के ऊपर जो फैंका गया उसका हुआ, या शालिनी के साथ जो बलात्कार हुआ, उसका हुआ, इस तरह के जो मामले आ जाते हैं उनके बारे में क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचार हो जाता है, महिला आयोग भी उठा लेती है। आप कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी जैसे शिवानी जडेजा का मामला है, उसकी नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया और इसके लिए कितना ज्यादा कहा कि इसकी सी.बी आई. को जांच दे दी जाय, आपने नहीं दी। जैसा हमारे माननीय सदस्य बता रहे थे कि नीलू हत्याकांड का आपने एकदम से बिना किसी के कहे हुए दे दिया। जिसमें आप यहां बचाना चाहते हैं, यहां केस रख लेते हैं, जिसमें आप सी.बी आई. से बचाना चाहते हैं, सी.बी.आई. में दे देते हैं। आप इस प्रकार से बचाते रहेंगे तो महिलाओं के अपराधियों को कभी सजा नहीं मिलेगी और महिलाओं के अपराध बढ़ते रहेंगे।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

(226)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : गृह मंत्री जी, एक बात मैं ग्रापको ग्रौर बता दूं कि पुलिस इतनी खराब नहीं है, जैसा हम समझ रहे हैं। पुलिस वाले चाहते हैं कि वो ग्रच्छा काम करे, लेकिन पुलिस वालों को ग्रच्छा काम करने नहीं दिया जाता। जब पुलिस की भर्ती की जाती है तो एक-एक ग्रादमी से पैसा लिया जाता है, वह +++कहीं जेवर बेचकर ग्राता है, कोई घर बेचकर ग्राता है ग्रौर फिर यहां भर्ती होकर ग्रायेगा तो ग्राखिर वह कहीं न कहीं से तो पैसा लेगा ग्रौर पैसा लेगा तो कुछ न कुछ गलत काम करेगा। इसलिए एक तो मेहरबानी करके जो ग्रापका भर्ती करने का तरीका है, इसको बदलिये ग्रौर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार जो भर्ती में हो रहा है, उसको रोकियेगा।

श्री सभापति : श्री अमराराम जी। प्लीज सिट डाउन नाउ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं दो मिनट, मैंने देखिये...

श्री सभापति : एनफ, नो, नो। ग्रब को-आपरेट करिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ग्रापने सबको 10 मिनट दिये हैं, मेरे 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं।

श्री सभापति : ग्राप को-ग्रापरेट करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरे पांच मिनट भी नहीं हुए हैं।

श्री सभापति : पांच मिनट हो गये न।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, मुझे दो मिनट ग्रौर दीजिए।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा पर्टिकुलरली ना पक्ष से, मैंने ग्राप लोगों की भावनाग्रों को देख कर ग्रागे बढ़कर यह स्वीकार किया ग्रौर यह कहा कि दो-दो मिनट बोलने दिया जाय। ग्राप पांच मिनट से बोल रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा दो मिनट।

श्री सभापति : प्लीज को-आपरेट नहीं करेंगे तो चलेगी नहीं, प्लीज। ग्रमराराम जी।

श्री खंगारसिंह चौधरी : सभापति महोदय, मुझे भी बोलना है।

श्री सभापति : ग्रभी बुलाऊंगा।

श्री ग्रमराराम (धोद) **:** सभापति महोदय, ग्राज सदन में पुलिस की मांग संख्या–16 ग्रौर कारागार की मांग संख्या-17 पर चर्चा चल रही है।

श्री सभापति : माननीय श्री खंगार सिंह जी, मैं ग्रापको ग्रभी बुलाऊंगा, प्लीज। मान-सम्मान के साथ बुलाऊंगा ग्रापको। ग्रमराराम जी, हरि-ग्रप प्लीज, जल्दी करें।

श्री ग्रमराराम (धोद) **:** उनको बोल लेने दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महिलाग्रों के साथ इतना ज्यादा भेद–भाव क्यों हो रहा है ?

श्री खंगारसिंह चौधरी : मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं, एक ए.एस.आई.

+++ शब्द ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

था, उसका नाम था कस्तूर सिंह, जो बालोतरा में था, जिसकी रिटायरमेंट तारीख 30 जून, 98 थी और उसे रिटायरमेंट पहले ही दे दिया । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और उसका जो रिकार्ड था पुराना, उसको बराबर देखा नहीं गया है, स्कूल का सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी वह भर्ती के समय हुआ होगा, पूरा रिकार्ड देख लिया होता तो वह वापस इस दो साल के पीरियड में आ जाता ।

श्री सभापति : धन्यवाद। अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, जो पुलिस की मांग संख्या-16 और कारागार की मांग संख्या-17 पर चर्चा चल रही है उसमें सम्मिलित होते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता का जो पैसा पुलिस महकमे पर खर्च होता है, उसका जो कानूनी हक है, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो खर्च हैं, उसमें, सभापति महोदय, आज हालत यह है कि राजस्थान के थानों में, बेरोकटोक, बेखटके से राजस्थान के शराब माफिया, राजस्थान के जुआ माफिया, राजस्थान के भू-माफियां, राजस्थान के जो सटोरिये हैं, इनके अलावा जो हुण्डी के कारोबार करने वाले हैं वे बेघड़क जा सकते हैं, लेकिन राजस्थान की पांच करोड़ में से चार करोड़ जनता, जो गरीब जनता है, चाहे वह गांव में बसती है, चाहे शहर में, वह थाने में जाते हुए भी डरती है । आज यह हालत है किसी भी थाने में गरीब व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किसी न किसी की सिफारिश कराने की आवश्यकता होती है आज हालत यह है कि गरीबों के मामले में कोई कार्यवाही नहीं होती और जो रक्षक, भक्षक हो जायं तो उसका कोई रखवाला नहीं रहेगा । आज सीकर जिले के दांतारामगढ़ में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल का छात्रावास है, जो वहां के लोगों ने 25 साल पहले बनाकर स्कूल को सौंपा था, 23 साल तक उसमें विद्यार्थी रहे, आज वहां की पुलिस उसको चौकी बनाकर बैठी हुई है और वहां का एस.पी. कहता है कि जिन्होंने बनाया था, 25 साल पहले दिया था, उन्होंने पुलिस को लिखकर दे दिया है । एक तरफ हम शिक्षा के प्रसार की बात करते हैं, दूसरी ओर पुलिस उन छात्रावासों पर जाकर बैठ जाय और विद्यार्थियों के आन्दोलन करने के बाद, एस.पी. के आश्वासन के बाद, शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद भी नहीं निकलती । सीकर में तीन डकैतियां और हत्याएं हुई । आज दो साल पूरे हो गये, फतेहपुरा में, लोसल थाने में जहां दो मर्डर हुए, डकैती हुई, कोई नहीं पकड़ा गया। धूपा में डकैती हुई, महिलाओं के साथ इतनी मारपीट हुई कि मुश्किल से ही वह बच पायी, खातीवास में तीन डकैतियां हुई, और केवल तीन वहीं सीकर में हुई । चूरू और झुंझुनूं में एक-डेढ़ साल पहले ऐसा माहौल हो गया था कि एक-एक गांव के लोग रात-रात भर पहरा देते थे लेकिन उनके किसी के भी एक भी डकैत को आज तक पुलिस नहीं पकड़ पा रही है । आज यह हालत है । जहां तक पूरे राजस्थान की बात है, मैं तो यह समझता हूं कि इस पुलिस का उपयोग, चाहे वह महिला बलात्कार के मामले में हो, चाहे हत्याओं के मामले में हो, जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्त्ता फंसता है तो उस

(श्री ग्रमराराम)

केस की फाइल को गृह मंत्री जी या पुलिस विभाग के ग्राला ग्रफसर यहां लाकर रख देते हैं। रींगस का एक केस, जिसमें 164 के बयान दिये कि मेरे को मारा–पीटा गया ग्रौर जहर पिलाया गया ग्रौर उसके बाद ग्राज 6 महीने से उसकी पुलिस में फाइल यहां पड़ी हुई है। निश्चित रूप से समाज में जो विकृतियां हैं वह हैं, लेकिन यह सरकार ग्रौर उसके ग्रधिकारी जिस तरह से राजनीतिक ग्रौर ब्लैक मेलिंग, उनके बारे में ग्रपने लोगों को बचाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं समझता हूं कि ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। ग्राज यह हालत है।

ग्राज राजस्थान में जब भी मजदूर ग्रपने हकों के लिए ग्रावाज उठाता है, ग्रकेले जयपुर में ग्रॉटोपाल के मजदूरों पर, एक साल तक ग्रान्दोलन चला, सैकड़ों मुकदमे पुलिस केवल या तो ब्लैक मार्केटरों की, भू–माफियाग्रों की या बड़े–बड़े पूंजीपतियों की हित–सुरक्षा के लिए उपयोग ले रहे हैं जब कि ग्राम जनता के लिए, आज जहां गरीब को हक है, उसकी कोई नहीं सुनता। ग्रभी हमारे मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि वह रास्ता बदल दिया, बुजुर्ग लोग हैं, क्या 50 साल की आजादी के बाद उनको हक नहीं है कि घोड़ी पर चढ़ें ग्रौर केवल बुजुर्ग जो ग्राज तक ग्रपमान सहते ग्राये हैं, क्या वे सहते रहेंगे। उनके लिए पुलिस खड़ी नहीं होगी। पुलिस पहले कहने के बाद भी उपस्थित नहीं हो और उपस्थित हो जाय तो रास्ता बदला ले तो इससे बुरी कानून व्यवस्था की धज्जियां ग्रौर राजस्थान में उड़ नहीं सकती।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री ग्रमराराम (धोद) : आज यह हालत है। पुलिस में, मैं समझता हूं, बड़े ग्रफसरों को कोई फिक्र नहीं है। पुलिस में जो नफरी है उसमें सबसे बुरी कांस्टेबल की हालत है। ग्राज जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, ग्राई.जी. ग्रौर डी.ग्राई.जी. अगर पुलिस लाइन की दाल ग्रौर रोटी एक महीने खा लें तो मैं मान लूंगा कि वह वे सही सलामत रह जायेंगे। कोई नहीं खा सकता। ग्राज पुलिस के इस कांस्टेबल की यह हालत है। ग्रभी ग्राप खिला दें एक महीने ग्रौर फिर बता दें, एक महीने के बाद वह खाकर रह सकते हैं। आज उसकी किस तरह की हालत है, 24 घण्टे निकलते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री ग्रमराराम (धोद) : हार्ड उनकी ड्यूटी होगी ग्रौर उनके रहने के लिए क्वार्टर नहीं होगा। थाने में 24 घंटे ड्यूटी होगी, उनके क्वार्टर नहीं होगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ग्रमराराम (धोद) : अफसरों का तो फिर भी ग्राप सर्वे करवा लीजिये। ग्रापके ग्रफसरों के पेट ग्रागे ग्रा गये ग्रौर जितने सिपाही हैं उनके आधे से ज्यादा के टी.बी. हो गयी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री ग्रमराराम (धोद) : इसलिए मेरा यह ग्रापसे निवेदन है कि जो भी खर्चा है उसमें जो सिपाही है, नफरी में सबसे ज्यादा है, जनता के सबसे ज्यादा करीब है, उसका पेट भूखा है तो वह जा नहीं सकता। कम से कम ग्राज फ्री कांस्टेबिल जा सके, ग्रफ-

(श्री अमराराम)

सरों के पास तो गाड़ी है। रोडवेज में आधे से ज्यादा अभी भी जाते हैं और रिक्वेस्ट करके जाते हैं। तो क्यों नहीं सरकार, वह जब भी जाते हैं तो, कम से कम रोडवेज में तो फ्री कर दे। जब उसके दिमाग में परेशानी होगी तो कोई भी उसको मिलेगा तो वह डण्डे से बात करेगा। इसलिए आज सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है। जनता के सामने सबसे ज्यादा कांस्टेबिल आता है, जो सबसे बड़ी संख्या में है, अगर उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो कितने ही कम्प्यूटर लगा लें....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री अमराराम (धोद) : कितना ही धन दें दें, उससे पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ सकता है।

दूसरा मेरा सुझाव कारागार के बारे में है। आज कारागार की भी वही हालत होती जा रही है। जो गरीब व्यक्ति उसके अन्दर जाता है उसके पास, जो अभी शिवनाथसिंह जी ने कहा, (व्यवधान) ...

श्री सभापति : नहीं, नहीं, माननीय खेतसिंह जी, I am noting the time. पांच मिनट ही हुए हैं। मैं अभी करता हूं समाप्त। आप ऐसे क्वेश्चन मत कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : सेन्ट्रल जेल में जो गरीब जायेगा, डिस्ट्रिक्ट और उप जेल में, उनमें हालत यह है कि 50 साल के बाद आज तक हम उनको रसोइया नहीं दे पाये, जो सबसे पहले जायेगा उसे पांच दिन तक, अगर इन्नोसेंट भी चला जाय तो उसको पांच दिन तक रोटियां बनानी पड़ेंगी। आज हालत यह है जेल की और जेल में जो माफिया किसी जनता के दबाव से अगर चला भी गया तो उनके लिए सब सुविधाएं राजस्थान की जेलों के अन्दर हैं, चाहे वह शराब माफिया चला जाय, कोई भू-माफिया चला जाय, कोई राजनेता पकड़ा जाय तो उनको सब सुविधाएं मिलेंगी।

श्री सभापति : समाप्त करें। You have carried the things, श्री परसादी लाल जी।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि उनके साथ न्याय किया जाय और पुलिस का जो राजनैतिक उपयोग किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से बन्द किया जाय। जनता का पैसा है, जनता के हकों के लिए, जो अधिकार हैं, इनको सुरक्षित करने में इनका उपयोग किया जाय। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री परसादी लालजी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, जब से कैलाश जी मेघवाल गृह मंत्री बने हैं, राजस्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति और पुलिस का मनोबल, सारी ही चीजों में गिरावट आयी है चाहे आप डकैती के मामले देख लो, चाहे लूट के देख लो या हत्या के देख लो बलात्कार के देख लो, सभी अपराधों में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हुई है।

पुलिस थानों में जिस तरह की मौतें हुई, पुलिस हिरासत में 1997 में 10 मौतें हुई। वह तो इनके पुलिस डी जी. के अनुसार 10 मौतें हुई। मैं, गृह मंत्रीजी, आपसे

(श्री परसादीलाल मीणा)

जानना चाहूंगा कि जो मौतें हुई, क्या आपने उनमें चालान कर दिया। थाना मकराना में दलबीरसिंह की, थाना कोटगेट (बीकानेर) में अशोकसिंह की बड़ी सादड़ी में प्रभूलाल बावडी की, परबतसर में फूसाराम की, सुभाष चौक थाने में हनुमान प्रसाद शर्मा की, टोडारायसिंह थाना में सूरज करण की, गडरा रोड बाड़मेर में मेवा मेघवाल की, थाना महुआ में मेघकंवर की और थाना झुंझुनूं में उस्मान छीपा की मौत हुई।

इससे पहले 1994 में सलीमपुर थाने में, महुआ थाने में मौत हुई। उसका चालान पेश किया गया। वह मामला हाउस में उठा। इसके बाद मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि थाने में जो मौतें होंगी उसके लिये पुलिस अधीक्षक और सम्बन्धित थाने का स्टाफ जिम्मेदार होगा और मृतक का जो परिवार प्रभावित हुआ है हम उसको 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देंगे। यह सहायता राशि उन पुलिस अधिकारियों से वसूल करेंगे जो इनके लिये जिम्मेदार होंगे। मेहरबानी करके आप यह बताएं कि क्या आपने इन सभी 10 मामलों में चालान पेश कर दिया है।

मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि बौंली थाने में जो हुसैन तेली का 94-95 में मर्डर किया, उसको मारा गया, थाने में डीवाई.एस.पी. था कोई वहां पर, मानवाधिकार आयोग ने आपको सिफारिश की है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और प्रभावित के परिवार को मदद दी जाए। आज तक उसको कोई मदद नहीं दी गयी। आप मेहरबानी करके यह बताएं कि क्या इन मामलों में चालान किया, किन किन लोगों का चालान किया और किन मामलों में चालान नहीं किया।

दूसरी बात, आप कानून और व्यवस्था की बहुत बात करते हैं। बांसवाड़ा के चीतड़ी थाना के गांव में बांकेलाल की कैसे हत्या की गयी। सभापति महोदय, जिस तरह उसको चौराहे पर पीट–पीट कर मारा, बेहोश हो गया। बेहोशी के बाद उसको आग लगा दी। खुद को अग्नि से छुड़ा भागने लगा वह उठकर, फिर उसकी टांग पकड़कर डाल दिया। कहां गयी आपकी लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन, कहां गया आपका प्रशासन, कहां गयी आपकी पुलिस। इस तरह के जो हालात हैं, आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। सभापति महोदय कैलाश सैनी हत्याकाण्ड हमने यहां हाउस में उठाया मार्च में, हरिसिंहजी, ने हमने, शैलेन्द्रजी ने। आज तक उसकी इन्वेस्टीगेशन नहीं हुई। आज तक उस फाइल को वहीं का वहीं डाल रखा है। उससे स्पष्ट है, गृह मंत्रीजी, हमने आपको पहले भी कहा कि आपकी नीयत इसमें साफ नहीं है। आप इसमें मुल्जिमों को पकड़ा नहीं चाहते, इसका इन्वेस्टीगेशन आप तैयार नहीं करना चाहते। तो आप इसको सी.बी.आई. को मेहरबानी करके दे दीजिए। आज वह परिवार बर्बाद हो गया। उस फाइल की अगर जांच होगी तो इनकी पार्टी के लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वे सारे लोग, बड़े–बड़े पूंजीपतियों के लोग, लड़के उस कैलाश सैनी, वीडियोग्राफर की हत्या में पकड़े जाने का उनको भय है। मैं आपको कहना

(श्री परसादीलाल मीणा)

चाहूंगा कि इस तरह आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, थानों मे मौतें हो रही हैं। इस तरह के हालात आज प्रदेश में हो गये हैं।

दूसरे, आपकी नाक में नकेल डालकर जिस तरह से लोगों को घुमाया गया, बारातों को रोका गया, आज एम. एल. ए. भी सुरक्षित नहीं है। राकेश मेघवाल के पिता की हत्या हो गयी, मुल्जिम नहीं पकड़े गये, मुल्जिम भाग गये। जिला प्रमुख की हत्या हो गयी मुल्जिम नहीं पकड़े गये, मुल्जिम भाग गये। इस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति क्यों कमजोर है।

सभापति महोदय, आज थानों में ऐसी जीपें दे रखी हैं कि जो 40 से ज्यादा की स्पीड नहीं पकड़ती हैं। आज डकैती या अपराध करने वालों की जीपें सौ–अस्सी–नब्बे की स्पीड से दौड़ती हैं थानों को मजबूत करने के लिये आप इस तरह की व्यवस्था करें। मेरे वहां लालसोट थाने में एक भैंस चोरी का मामला हुआ। आप कहो तो आपको मुकदमा नम्बर बता सकता हूं। मेरे पास उसकी एफ. आई. आर है।

श्री सभापति : अब आप आगे बढ़ें। प्लीज फिनिश इट। अब समाप्त करें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, बहुत जरूरी है।

मुकदमा न 475/97 है,थानालालसोट तीस रेड़ों की चोरी, ट्रक में भरकर रात्रि को ले गये। उनका पाकेट, बटुआ वहां पर गिरा। उसमें ट्रक के नम्बर उन अपराधियों के नम्बर, हमने वह सारे पुलिस को दिये। पुलिस ने उन गाड़ियों को आज तक नहीं पकड़ा। ट्रक यूनियन का जो मालिक था, आज तक उसकी जांच नहीं की और वहां पर पुलिस दो बार जाकर आ गयी, पर अपराधी नहीं पकड़े गये। दूसरा मुकदमा भी लालसोट थाने का है 406/97। सभापति महोदय, रात को किसान अपने ट्रेक्टरों से काम करते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ट्रेक्टर की चोरी की गयी। ड्राइवर को पकड़कर जबरदस्ती उसमें डाल दिया। उसके हाथ–पैर बांधकर कहीं रास्ते में पेड़ के बांध गये। वह खुलकर आ गया। अपराधियों के नाम आपकी पुलिस को हमने दे दिये। ट्रेक्टर को हरिसिंहजी के गांव के पास से, हमारे कम से कम 100 लोग जाकर उठाकर ले आये।

श्री सभापति : अब समाप्त करें। श्री कन्हैयालालजी पाटीदार।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, एक मिनट और, ज्यादा नहीं।

हमने अपराधियों के नाम, आपकी पुलिस के डीवाई.एस.पी. और थानेदार को दे दिये। आज उनकी हिम्मत नहीं है। इनके हाथ लगा दें। आज उनको पोलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आप कहो तो नाम आपको भी भिजवा दूं, अगर आप कार्यवाही करें, आपका डी.जी. कार्यवाही करें।

आज सारे जयपुर की हीरो होण्डा मोटर साइकिलें, जीपें सारी, जयपुर में लोगों ने मोटर साइकिलें रखना छोड़ दिया सारी दौसा जिले में गयीं, कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की ? (व्यवधान) आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। श्री कन्हैयालालजी पाटीदार, नाऊ, प्लीज गो-ऑन। अब आप बैठें।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पुलिस प्रशासन बिलकुल संतोषप्रद है। हम राजस्थान के सर्वोच्च सदन के सदस्य यदि पुलिस की क्रिटिसाइज करें, या पुलिस की भर्त्सना करें, उससे मैं समझता हूं, पुलिस से हम समुचित सेवा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से यदि हमारे घर के नौकर को हम रोजाना डाटेंगे, रोजाना उसको भला बुरा कहेंगे, गालियां देंगे तो कतई वह हमारी अच्छे ढंग से सेवा नहीं कर पाएगा, उल्टा नुकसान करेगा। इसी तरह से यदि हम पुलिस के सुख-दुःख में शामिल होंवे, उनके दुःख-दर्द को पूछें और उनको सहयोग करें तो निश्चित रूप से पुलिस हमारे प्रदेश की बहुत बढ़िया सेवा करेगी।

हत्या, डकैती, बलात्कार, लूट, यह केवल राजस्थान प्रदेश में ही नहीं है, अपितु सम्पूर्ण देश के अन्य प्रदेशों में भी ऐसे अपराध व्याप्त हैं। ये अपराध आज ही हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बरसों से अपराध चले आ रहे हैं। इसी किस्म के अपराध बरसों से होते आ रहे हैं। समाज कंटक हमेशा समाज को दुःख देते आ रहे हैं और जितना सम्भव होता है हर सम्भव पुलिस की कोशिश रहती है कि अपराधियों को पकड़े। कुछ केसों में पुलिस नाकाम भी रहती है। लेकिन कुछ केसों में नाकामी की वजह से पुलिस के ऊपर सारा दोष मंढ दें, यह उचित नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने जिले की समस्याएं बताना चाहूंगा। हमारे झालावाड़ जिले का डग और चौमहला क्षेत्र मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है। साथ ही वहां बीहड़ इलाका भी काफी है। अपराधी मध्य प्रदेश से आकर, हमारे यहां अपराध करके मध्यप्रदेश भाग जाते हैं, राजस्थान के अपराधी भी अपराध करके भाग जाते हैं, जिससे अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को असमर्थता होती है इसके लिए आवश्यक है, मान्यवर, अभी-अभी आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे जिले के जिला उप प्रमुख साहब श्री करणसिंहजी की हत्या कर दी गयी और अपराधी मध्य प्रदेश में भाग गये। आज दिन तक अपराधी पकड़े नहीं गये। मैं चाहूंगा कि उन्हेल–नागेश्वर, जो बॉर्डर के ऊपर बसा हुआ कस्बा है उसमें एक थाने की स्थापना हो और डग जो पंचायत समिति मुख्यालय है उसके ऊपर एक डीवाई.एस.पी. कार्यालय खोला जाए। (व्यवधान) ताकि उस क्षेत्र में पनप रहे अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस सक्षम हो सके।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री महादेव सिंह जी। (अनुपस्थित)।

श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, आज हम राजस्थान की कानून–व्यवस्था और मानव सुरक्षा के महत्वपूर्ण दायित्व को जो वहन करती है, उस पुलिस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आलोचना तो दिन भर हो रही है, शर्म मुझे भी महसूस हो रही है। इसलिए हो रही है कि गृह मंत्री जी हमारे जिले से सम्बन्ध रखते हैं। भगोड़े हैं, कभी हमारे आ जाते हैं, कभी नहीं रहते हैं।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसलिए ज्यादा मैं आलोचना नहीं करके कुछ सुझाव देना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : वेरी ब्रीफ।

श्री रतनलाल ताम्बी : अब वे समझ गये मन में कि वास्तव में कितने सुधार की आवश्यकता हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं पुलिस पर दोष इसलिए भी नहीं देना चाहता हूं कि राजस्थान में जन-संख्या की वृद्धि के साथ अपराधों में नयी तकनीक और नये तौर-तरीके होते चले जा रहे हैं और पुलिस का सोच और चिन्तन ज्यादा पुराने तौर-तरीके अपनाये हुए है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा, प्रशिक्षण पर भी आप ध्यान दें। कुछ ट्रेनिंग स्कूल रखते हैं, ट्रेनिंग स्कूलों में जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, वे कितने ट्रेंड स्वयं हैं, उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है, इस बारे में मैं समझता हूं कि नये तौर-तरीकों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित करके प्रशिक्षण अच्छे ढंग से दिया जाए। एक तो मेरा यह सुझाव है जिससे आधुनिक तौर तरीके से जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन पर किसी तरह से नियंत्रण हो सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में अपराधवृत्ति बढ़ रही हो, उन क्षेत्रों में पुलिस का विस्तार करने की बड़ी आवश्यकता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारे इलाके में पचास साल पहले भी तीन पुलिस स्टेशन थे और आज भी तीन पुलिस स्टेशन हैं जबकि जनसंख्या उस समय से सात गुणी ज्यादा बढ़ गयी है। जहाजपुर बहुत बड़ा कस्बा है, तीन चार जिलों से जुड़ा हुआ है, वहां सी.ओ. का आफिस स्थापित करने की बात मैं हर बार कह रहा हूं आपको। साहब, अभी पांच

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मिनट नहीं हुए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं। दो तीन मिनट में ही खत्म कर रहा हूं।

श्री सभापति : सुझाव आपका आ गया न, जहाजपुर वाला।

श्री रतनलाल ताम्बी : कहां आ गया? जहाजपुर आते ही आ गया सुझाव? मैं सुझाव और भी दे रहा हूं।

श्री सभापति : प्रशिक्षण के लिए भी कह दिया।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं एक दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। आज लम्बा बोलने का मूड भी नहीं है। मेरा वैसे....

श्री सभापति : तो बस खत्म करें न, औरों को बोलने दें आप आज।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जहाजपुर क्षेत्र में एक खजूरी, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र पालोरी, तहसील कोटडी में एक थाने की आवश्यकता है और टिकड़, जहां पर अभी बहुत बड़ा, कल मैं बताऊंगा कि जहां आतंकवादियों से मुकाबला करके जयराम सिंह मीणा अभी पांच दिन पहले वीर गति को गया, उस टिकड़ क्षेत्र में जो अपराध बढ़ रहे हैं, वहां हालात खराब है, वहां पर मैं चौकी की बात करना चाहता हूं और इसके साथ जेल के बारे में एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मान्यवर सभापति महोदय, जेल में आधुनिक व्यवस्था हो और अच्छा खाना-पीना मिले, वह बात काफी सदस्य कह चुके हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वन–फोर्थ आपके वार्डन जेलों के नहीं हैं और आपके होम गार्ड के लोगों को वहां पर लगा रखा है और जिस तरह से उन जेलों का वहां का नियंत्रण, व्यवस्था होनी चाहिये, वह नहीं होती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बात को आप देखें और प्रत्येक जेल में वार्डन की नियुक्ति करें और होम गार्ड्स के आधार पर आपकी जो व्यवस्था चरमरा रही है, उसको ठीक करें। यही मुझे निवेदन करना है। पुलिस के छोटे कर्मचारियों की सुविधाओं पर भी विशेष तौर से ध्यान देंगे, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री महेन्द्र कुमार मीणा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, आज प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से प्रदेश के अन्दर कानून–व्यवस्था की दयनीय स्थिति है, जिस तरह से प्रदेश के अन्दर जब से श्री कैलाश जी मेघवाल साहब रिजर्व कोटे में गृह मंत्री बने हैं, तब से रिजर्व वर्ग के लोगों पर, एस. टी., एस.सी. के लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। मान्यवर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में हरिजन दूल्हों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, उन्हें बैंड-बाजे नहीं बजाने दिये जाते, महिलाओं पर बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, जिस तरह से हरिजनों के जो पेयजल के स्रोत होते हैं, उनके अन्दर गोबर मिला दिया जाता है, पेशाब कर दिया जाता है, इस तरह के अत्याचार आज भारतीय जनता पार्टी के राज में और एस. सी. के गृह मंत्री के राज में हो रहे हैं। बहुत ही कष्टजनक है। पीड़ा जनक है। जिस तरह से केन्द्र की सरकार ने जो टीम भेजी है बिहार के अन्दर और वेस्ट बंगाल के अन्दर, अगर वह टीम राजस्थान के अन्दर आये और जांच करें तो मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह की दयनीय कानून–व्यवस्था हमारे राजस्थान के अन्दर है।

मान्यवर, मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर लगातार मर्डर हो रहे हैं, काफी मर्डर हुए हैं, उनके बारे में समय समय पर बोला हूं, लेकिन अभी ज्वलंत ही चौथमल नाई की हत्या मेरे विधान सभा क्षेत्र के भाण्डारेज कस्बे के अन्दर कर दी गयी। दिन-दहाड़े कर दी है और हत्यारों की नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी आज तक मर्डरर पकड़े नहीं गये हैं। मान्यवर, बहुत ही पीड़ादायक बात है। इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र के रिश्तेदार कैलाश सैनी की हत्या कर दी गई जो कि विडियोग्राफर था। बीयर की बोतल से उसकी हत्या करके लाश को कुए में डाल दिया, लेकिन आज तक नामजद हत्यारों को जिनमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के रिश्तेदार और बेटे हैं, नहीं पकड़ा गया है।

मान्यवर, इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बेरावंडा के अन्दर एक दस हजार वर्ष पुरानी मूर्ति श्री जगदीशजी

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

महाराज की थी, भारत के अन्दर तीन ही जगह जगदीशजी के मन्दिर हैं, एक सवाई-माधोपुर कमेरी, एक गौनेर जगदीशजी और एक बेरावंडा के अन्दर जगदीशजी महाराज की बहुत ही प्राचीन और परिचय देने वाली मूर्ति थी। उनको भी 20 दिसम्बर को चोर चुराकर ले गये। लोगों ने प्रदर्शन किया। दौसा जिला बन्द रहा, सिकराय तहसील बन्द रही लेकिन वह मूर्ति आज तक नहीं मिली है। मान्यवर, रक्षक, भक्षक भी होते हैं लेकिन एक मामला छोटा–सा मै बताऊं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : एक मिनट लूंगा कि किस तरह पुलिस, पुलिस को खा जाती है। एक मामला डूंगरपुर का है, जो मैं आपकी सेवा में पेश करूंगा। डूंगरपुर के अन्दर, मान्यवर, 20 अप्रेल की घटना है। डूंगरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वर्गीय गोपालनारायण मीणा की हत्या कर दी गयी, वहां के एस.पी. पी.आर. जेवरिया जो वहां पर वर्तमान में तैनात हैं, षड़यन्त्र से गोपाल नारायण मीणा की हत्या कर दी गयी। बहुत ही गम्भीर मामला है। डूंगरपुर जिला गुजरात की बोर्डर पर है, वहां पर हमेशा शराब की तस्करी होती है, गुजरात में शराब बन्द है और वहां पर वेश्यावृत्ति कराने वालों को, शराब–माफिया को एस. पी. जेवरिया का संरक्षण प्राप्त है और एस.पी. जेवरिया ने उन गुण्डों के माध्यम से, उन माफियाओं के माध्यम से लाखों रुपये इकट्ठे कर लिये हैं और वहां पर यह एडिशनल एस.पी. गोपालनारायण मीणा तैनात थे, जो कि एक ईमानदार और अच्छा आदमी था....

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय श्री चुन्नीलाल जी गरासिया।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : लेकिन उसने जब विरोध किया तो उस जेवरिया एस.पी. ने भू–माफिया के द्वारा उस एस.पी. की हत्या करवा दी। हत्या करने के बाद उसको घर में ले जाकर पंखे से टांग दिया।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : और यह साबित कर दिया कि यह हत्या का मामला नहीं, आत्महत्या का मामला है। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, आप बैठें। बैठे आप। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप ?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : हम चाहते हैं कि एस पी. को वहां से तुरन्त हटाया जाए, उसका ट्रांसफर किया जाए, उसको निलम्बित किया जाए और मान्वयर, इस पूरे केस की सी. बी. आई. से जांच करायी जाए, यह मेरी पुरजोर मांग है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल गरासिया आप बोलें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व के कई वक्ताओं ने इस विभाग के बारे में अच्छे कार्यों का मत, भावना व्यक्त की है और साथ ही साथ पुलिस में जो कमियां हैं, उसके बारे में बताया गया है।

श्री सभापति : तुरन्त गति से करें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : केवल क्या सजेशन ही देने हैं ?

श्री सभापति : तुरन्त गति से, हां, सजेशन दे दें आप ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय गृह मंत्रीजी, जो कि सदन में विराजमान हैं, वैसे उनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए हैं और पुलिस की छवि बनी भी है लेकिन विशेष रूप से राजस्थान में जो जनजातीय क्षेत्र है, राजस्थान का दक्षिणी भाग है, जहां पर पुलिस को सेन्सेटिव होना, पुलिस का उस क्षेत्र में उस वर्ग के प्रति एक अपनत्व होना जरूरी है, क्योंकि वहां अशिक्षा, गरीबी है और पुलिस के प्रति जिस तरह की भ्रांतियां वहां के लोगों में हैं, पुलिस के अधिकारियों में, पुलिस के कर्मचारियों में व्यावहारिक रूप में अपनत्व अगर वहां पर आ जाए तो पुलिस की अच्छी छवि बनेगी।

मैं समझता हूं कि आदिवासी केवल तीन विभागों में लुटता है। उसमें पुलिस विभाग है, उसके बाद न्याय विभाग आता है और फिर रेवेन्यू विभाग आता है। तीनों विभाग ट्राइबल बन्धुओं के प्रति अपनत्व अपनाए तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ उनके प्रति हमदर्दी हम यहां सदन में बैठकर कर सकेंगे।

मैं तो केवल पुलिस अधिकारियों और हमारे गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो अधिकारी लगें, सम्भव हो सके तो उसी समुदाय के लगें। वह नहीं लगें तो कम से कम उस क्षेत्र के रहने वाले, चाहे वह उस समुदाय के न हो, लेकिन उनकी परम्परा, उनके रंग-ढंग, उनके आचार-विचार, जो जानते हों, परिचित हों, ऐसे अधिकारी लगें तो कम से कम आज ट्राइबल की क्या संस्कृति है, हमारे जनजाति आदिवासी भाइयों की क्या संस्कृति है, उसके बारे में जानकर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकें।

जनजाति क्षेत्र के गत बजट में मेरे क्षेत्र में कुछ थानों की घोषणा हुई थी। माननीय गृह मंत्रीजी बिराज रहे हैं। एक इन्दसेरिया सुखेर जहां थाना खोलने का आपने बजट में रखा था लेकिन पता नहीं, क्यों उसको आप व्यवहार रूप में नहीं ला सके।

उसी तरह नेशनल हाइवे नम्बर-आठ जाता है टिड़ी-खैरवाड़ा-केशोरायजी, वास्तव में वहां से असंख्य गाड़ियां निकलती हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, आए दिन वहां अपराध होते हैं, आए दिन राहगीरों को लूटा जाता है। वहां पर भी एक थाने की घोषणा आपने की थी, लेकिन उसे अभी व्यवहार रूप में नहीं लाया गया।

माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि जितने इन्वेस्टीगेशन होते हैं और जो इनवेस्टीगेटिंग आफिसर होते हैं, वह जिस तरह का इन्वेस्टीगेशन करते हैं और कोर्ट जिस तरह का कमेंट्स करते हैं, पुलिस विभाग के अधिकारियों इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैंने कई न्यायाधीशों के कमेंट्स पढ़े हैं। न्यायाधीश लिखते हैं कि अधिकारी मन से इसका इन्वेस्टीगेशन करता तो आज अपराधी कोर्ट से बचते नहीं। मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो इन्वेस्टीगेशन अधिकारी तय

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

हुए हों, नोट किए जाएं। जो वास्तविक में दोषी हैं, अपराधी हैं, जो जघन्य अपराध करते हैं, उनकी इन्वेस्टीगेशन में वह कम से कम इस तरह की गलतियां, खामियां न छोड़े ताकि कोर्ट से वह बरी न हों।

(20.42 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्रीजी, अगर जांच करवाएंगे तो कई इस तरह के जघन्य अपराधी छूटते हैं और इस के पीछे बहुत बड़ा कारण इन्वेस्टीगेशन में खामियां हैं। अगर इन खामियों पर थोड़ा-सा ध्यान दिया गया तो कई अपराधियों को सजा मिल सकती है। हमारा जो कानून है वह बहुत लचीला है, जिस तरह से अपराधियों को दोष सिद्धि के लिए जो प्रत्यक्ष गवाही चाहिए, गवाह नहीं होते या गवाह तोड़ लिये जाते हैं तो जिस तरह का उनको दण्ड मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है और साथ ही साथ इन्वेस्टीगेशन में अगर कमी रख दी जाती है तो कानून इसे सजा नहीं दे पाता है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय .. (व्यवधान) बिराजें-बिराजें। कृपया विराजें माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : .. (व्यवधान) आप खुद कहकर गए थे कि बोलने का समय मिलेगा। हरियाणा और दिल्ली पुलिस की तरह राजस्थान पुलिस वालों को रोडवेज के पास दिए जावें।(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : रामस्वरूप जी को मौका दें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों के साथ+ + +हो रहा है। हमें बोलने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है, इससे बड़ा+ + + और क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रवण कुमार : सबको पांच मिनट दिए जाएं। हम इसीलिए बैठे है कि हमें टाइम नहीं दिया गया। आपने कहा था कि पांच मिनट आपको देंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : रोडवेज के पास दिए जावें इनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामस्वरूप जी। आप कार्यवाही थोप रहे हैं।... (व्यवधान) आप विराज जाएं। कृपया विराजें। (व्यवधान) कृपया विराजें माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हो। हम चाहते हैं कि आपको सच्चाई बताएं। आप हमारी वहां की पुलिस को बचाना चाहते हो। आप सच्चाई छिपाना चाहते हो (व्यवधान) पुलिस क्या करती है ? आपने हमारी सच्चाई को छिपाया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा . क्या बात है ? (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री श्रवण कुमार : हम चाहते हैं, ग्राप कुछ बोलें....(व्यवधान)... हमें पांच मिनट का समय दिया जाना चाहिए था। आप अनुसूचित जाति के विधायकों के साथ +++कर रहे हो....(व्यवधान) .

श्री परसादीलाल मीणा : तीन-चार लोग ग्रौर हैं....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : हम पुलिस वालों के हित के लिए बोलना चाहते हैं, ग्राप समय नहीं देते। हरियाणा और दिल्ली के ग्रन्दर उनको रोडवेज के पास दिए जाते हैं....(व्यवधान)...रहने के लिए मकान हैं। यहां+++के लिए रहने के लिए मकान नहीं हैं....(व्यवधान) ...

श्री श्रवण कुमार : हम चाहते हैं ग्रापकी पुलिस के बारे में....(व्यवधान).... जिसके साथ ग्रन्याय कर रही है और ग्रापके गृह मंत्री क्या ग्रन्याय कर रहे हैं दूसरे जिले के लोगों के साथ में, पर हमारी सच्चाई को छिपाया जा रहा है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चार-पांच ग्रौर हैं, इनको बोलने दिया जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो-दो मिनट दे दीजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर): चार-पांच ग्रादमी हैं, इनको थोड़ा-थोड़ा-सा समय दे दें, बुलवा दें ग्रौर ऐसा भी समय ग्राया है कि रात के एक-एक बजे, दो-दो बजे तक डिमाण्ड पर बहस चलती रही है, ऐसी सरकार को क्या जल्दी हो रही है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : हम +++हमारा फण्डामेंटल राइट है, कांस्टीट्यूशनल राइट है। पांच लाख की पब्लिक से जीतकर आए हैं। किसी के रहम-करम पर नहीं आए हैं। हमने कट-मोशन दिए हैं। इस ग्रसेम्बली को+++ नहीं बनाया जाए। यहां की+++नहीं उड़ायी जाएं। ग्रसेम्बली को असेम्बली रहने दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : ग्राप मेहरबानी करके दो-दो मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य ग्राप ग्रपनी बात एक-एक मिनट में समाप्त करें (व्यवधान) ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्यों करें ? नहीं करेंगे (व्यवधान) यह क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी, ग्राप बोलिए।

श्री परसादीलाल मीणा : एक-एक मिनट भी कोई टाइम होता है।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी, ग्राप बोलिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : +++

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : एक-एक मिनट में क्या होता है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम कोई+++ हैं, जो मांगें ? हमारे राइट्स पर अतिक्रमण नहीं किया जावे (व्यवधान)... +++ (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : यह क्या बोल रहे हैं ?

+++शब्द/ग्रभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपसे न्याय की उम्मीद है । आप न्याय कीजिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें । मैंने रामस्वरूप जी को समय दिया है । आप विराज जाएं ।

श्री किशन मोटवानी : आप सत्ता पक्ष के दबाव में बिलकुल मत आओ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अन्दर . (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : अगर 12 बजते हैं तो बजेंगे । एक-एक एम.एल.ए. बोलेगा । इस तरह+ + +यह हाउस नहीं चलने वाला है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप समय क्यों बरबाद कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : पुलिस विभाग सारे देश व प्रदेश की रक्षा करता है । पुलिस विभाग का सिपाही, कर्मचारी सब विभागों के अन्दर जाकर अपनी ड्यूटी देता है । जिस समय एक्सीडेंट करके कोई गाड़ी आती है, उसको मैसेज मिलता है कि तुरन्त गाड़ी को रोक लिया जाए, मेरी आंखों देखी बात है, वह+ + +गाड़ी को रोक रहा था और वह अपराधी उसके ऊपर से उस गाड़ी को निकालकर ले गए और वह शहीद हो गया आपके लिए । आज ही शहीद हो जाने वाले पुलिस वालों को लोग ठुल्ला के नाम से पुकारते हैं । यह भी हमारे भाई हैं । क्यों इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है । अगर हमारे भाइयों की रक्षा नहीं की जाएगी, इसी प्रकार गर्त में जाएगा तो कौन मंत्रियों की रक्षा करेगा ? आप अपने ससुराल में जाते हो, रोजाना रात-दिन घूमते हो अपने क्षेत्र के अन्दर, यही पुलिस वाले आपकी रक्षा करते हैं । इन्हीं की ड्यूटी लगती है । यह अपराधियों को पकड़े या आपके साथ-साथ घूमें ? आप अपनी ससुराल में जाना कम कर दो ताकि यह अपनी सही ड्यूटी दे सकें ।

आज इनको सरकार क्या दे रही है ? पांच पाइंट हैं सामने, मात्र एक मिनट और लूंगा । आज सरकार इनके लिए क्या दे रही है ? हरियाणा और दिल्ली के अन्दर इनको पास दिए जाते हैं रोडवेज के । आज तक राजस्थान की सरकार ने इनको कोई पास नहीं दिया । यह कहीं जाते हैं तो दूसरों पर मेहरबान रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं और इनको कई बार रोडवेज के अन्दर से उतार दिया जाता है ।

मेरा दूसरा निवेदन है, जो आयु सीमा बढ़ाई है । उसके बारे में पुलिस वालों की आयु सीमा कैसे बढ़ा दी ? 60 साल का बुड्ढा कैसे पकड़ेगा अपराधी को ? अपराधियों को कैसे पकड़ सकता है ? इसलिए आयु सीमा बढ़ाने का जो निर्णय आपने किया है, इस आयु सीमा को यहां लागू न करें ।

तीसरा मेरा निवेदन है..(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आवाज में थोड़ी सी मधुरता लाइए ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : इनकी तो आवाज ही ऐसी है ।

\+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मधुरता मेरे प्रति होगी तो आवाज में मधुरता आ जाएगी। आप मधुर हो गए तो हम भी मधुर हो जाएंगे, ठीक है। मेरा तीसरा निवेदन है, जो पुलिस विभाग के अन्दर पदोन्नति की जाती है वह एक-छह के हिसाब से की जाती है। जबकि यह नियम हटाकर इनके बैठने की पूर्ण स्वीकृति पदोन्नति में दी जाए। इसी प्रकार मैस भत्ता जो 210 रुपये दिया जाता है, मैस भत्ता बी.एस.एफ. के बराबर देना चाहिए। गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि रहवास, मकान बनाए जाएं एवं इनको जो छुट्टियां मिलती हैं, उन छुट्टियों को बढ़ाया जाए।

राजस्थान के अन्दर मेरे टोडाभीम क्षेत्र में जो थाना है वह 1947 का बना हुआ है। मूसलाधार वर्षा हो रही है, थाने की बिल्डिंग नीचे गिर चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि आज वहां का रिकार्ड भीग चुका है। सरकार ने आज वहां हमको थाने की बिल्डिंग नहीं दी है। मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार तुरन्त इसके लिए व्यवस्था करे।

अन्त में, आपका एक मिनट और लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि राजस्थान की पुलिस अपने लोगों की क्या रक्षा नहीं कर रही है तो दूसरे लोगों की रक्षा करेगी ? डूंगरपुर का एडिशनल एस.पी., जो मीणा था, उस मीणा के साथ क्या व्यवहार हुआ ? कह दिया कि यह तो फांसी लगाकर मर गया। मैं पूछता हूं कि वह फांसी लगाकर क्यों मर गया ? क्या परिस्थितियां थीं उस एस पी. के सामने ? लेकिन इस प्रकार का लांछन लगाया जाना पुलिस के लिए... (व्यवधान)... वह फांसी लगाकर नहीं मरा। इस विभाग के लोगों ने उसके फांसी लगा दी, मीणा भाई के। यह शर्म की बात है। इनका एक एस.पी. फांसी लगाकर मर जाए, यह कभी नहीं हो सकता। पुलिस वाले लोग बहुत बहादुर होते हैं, इस तरह कायरता का काम नहीं कर सकते। उसको मरवाया गया।

इसी प्रकार मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। कल ही का अखबार में

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

था कि एक सिपाही ड्यूटी पर था, उसने ट्रिगर दबाकर आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली आत्महत्या ? जो ड्यूटी देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : ....(व्यवधान) ...पाबन्द किया जाता है, इससे उनकी रक्षा की जाए।

अन्त में, मैं एक बात कहूंगा। सवाई-माधोपुर जिले का जो जिलाध्यक्ष है यूथ कांग्रेस का... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : विराजें अब आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय गृह मंत्रीजी, आप स्वयं ने अपराधियों को यह कहा है, आपके जो वह लोग आए थे, कि मारो साले को, कर दो जान से खतम, क्यों ले आये वैसे ही मेरे पास आप (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी। माननीय, श्री रामस्वरूपजी...(व्यवधान) ...

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या यह कहा है ?....(व्यवधान).... गृह मंत्रीजी, आपने उसके प्रति ऐसे शब्द क्यों कहे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मूलसिंह जी का नाम है।

श्री रामस्वरूप मीणा : कहे कि नहीं, यह आप स्पष्ट करें इस सदन के अन्दर, वरना उसको पिटवाने वाले आप हो, क्योंकि वह यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है और आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको पीटा है। आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, 28 मई को राज्य सभा में हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री माननीय लालकृष्ण आडवाणीजी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि महिलाओं के उत्पीड़न में राजस्थान का दूसरा स्थान है और दहेज हत्या में पांचवां स्थान है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अपराधियों को सजा का कोई खौफ नहीं है, अपराधी ज्यादा से ज्यादा मुकदमों में बरी हो रहे हैं और आननफानन में जमानत होती जा रही है। राजस्थान में पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स हैं उनके पास हैबिचुअल ऑफेंडर होने की लिस्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स के पास लेटेस्ट लाइब्रेरी नहीं है। और तो और, एम.जे.एम. कोर्ट तक तो राजस्थान की कम्पीटीटिव एग्जाम में पास किये हुए ए.पी.पी. ही पैरवी करते हैं किन्तु ए.डी.जे., डी.जे. और हाई कोर्ट में, भले ही कांग्रेस हो बी.जे.पी. हो, इनमें राजनीतिक नियुक्तियां की जाती हैं जिससे मट्टा बैठ रहा है, जिससे अपराधी बरी हो रहे हैं। यह एक तरह का जो तरीका है इसको रोकना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मेरा एक यह निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव गुड़लिया की 17वर्षीय बच्चीमंजु कोली परीक्षा देने गयी 26 अप्रेल को। उसके बाद उसका अपहरण हो गया। इसकी शिकायत की गयी और माननीय गृह मंत्रीजी से मिला गया। गृह मंत्रीजी ने कहा कि मैं टास्क फोर्स बनाता हूं। एक महीना हो गया, वह टास्क फोर्स बन गयी ? कोई काम नहीं हुआ। 20 आदमियों को लेकर मैं आपके शासन सचिवालय में आया। इस तरह से संवेदनशील की जगह संवेदनहीन मंत्री हैं।

आज राज्य में रोजाना चार हत्याएं हो रही हैं, तीन बलात्कार हो रहे हैं। 1997 में 1255 बलात्कार हुए, 1996 में 1162 हुए और 1995 में 1036 हुए। इसी तरह से 1995 में 1485 हत्याएं हुई 1996 में 1622 और 1997 में 1758 हुई। इसी तरह से लूट की घटनाएं 1995 में 1150 हुई, 1996 में 1183 हुई और 1997 में 1347 हुई। इसी तरह से डकैती की घटनाएं 1995 में 88 हुई, 1997 में 96 हुई और 1997 में 149।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आ चुकी है यह बात।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा यह कहना है कि यह सब आंकड़े यह बताते हैं कि हम

(242)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब रहे हैं। यह ठीक है कि मैटेरियलिस्टिक एप्रोच आफ सोसाइटी है। यह बात भी है कि आज अपराधियों के पास मोबाइल फोन हैं। इसलिए आप पुलिस को नये से नये, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित कीजिये, नये-नये उपकरणों से सुसज्जित कीजिये, तेज गति से चलने वाले वाहनों से सुसज्जित कीजिये, उनको भी आप टेलीफोन दीजिये, कोर्डलैस टेलीफोन दीजिये जिससे वो कहीं से भी फोन कर सकें। क्योंकि अपराधियों से ज्यादा त्वरित साधन पुलिस के पास नहीं होंगे तो पुलिस कुछ नही करेगी।

मेरा यह भी सुझाव है कि आप राजस्थान में इन्वेस्टीगेशन सैल की पुलिस अलग रखें और ला एण्ड आर्डर की पुलिस अलग रखें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं, माननीय सदस्य। डा. मूलसिंह जी।

डा. मूलसिंह शेखावत (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16 पर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 16, 17 तो हो गयी, आगे चलिये।

डॉ. मूलसिंह शेखावत : माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एफ.एस एल, की जो रिपोर्ट आती हैं वह बहुत देर से आती हैं। मेरे जिले के एक-दो केस हैं जिनमें दो-तीन साल से इस तरह की रिपोर्ट नहीं आयी हैं। दूसरा, हमारे जिले में पुलिस थानों की संख्या बहुत कम हैं। एक तो मुकंदगढ़ का पुलिस थाना और एक मंडावा क्षेत्र में एक और पुलिस थाना हो। इनके अन्दर स्टाफ भी बहुत कम है। इस कमी के कारण बहुत चोरियां होती हैं और उन पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती जिला होने के कारण इसमें तस्करी काफी होती है, तो मैं पुनः गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस बारे में पूरी-पूरी कार्यवाही करें और इन तस्करी और चोरियों को रुकवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेत सिंहजी .. (व्यवधान)....आप नहीं बोलना चाहते मं ? (व्यवधान) .. तो बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बोलेंगे ? खेत सिंहजी को तो बोलना नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं सैक्रिफाइज करूं या दो-दो मिनट इनको बुलाईयें।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना समय उनको दे दो....(व्यवधाम)

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे को दो मिनट दे रहे हैं तो मैं दो मिनट में ही अपनी बात खतम करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस विभाग की अच्छाइयों और बुराइयों पर नहीं जाना चाहता हूं। आपने मेरे को दो मिनट का समय दिया है इसके अन्दर दो-तीन बातें

(श्री दयाराम परमार)

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं।

आपने ऋषभदेव में डीवाई. एस. पी लगाने के लिए, वहां पर भवन बनाने के लिए, गरीब आदिवासी जो झोंपड़े बना कर 20 साल से रह रहे थे, उस जमीन को लेकर आपने भवन बना दिया और आपका वहां डीवाई. एस. पी. लगाने का कोई ठिकाना ही नहीं था। यदि आप वहां डीवाई. एस. पी. नहीं लगाना चाहते थे, ना हमने कोई मांग की थी, आप अपनी व्यवस्था के अनुसार लगाते हैं, तो क्यों नहीं वहां पर डीवाई. एस. पी. की नियुक्ति की और वहां पर आफिस नहीं खोला ?

दूसरी बात, इसी तरह से आपने परसाद में थाना खोलने के लिए घोषणा कर दी और हम से कहा कि आप जमीन की व्यवस्था करो। हम पटवारियों को लेकर कई दिनों तक घूमते रहे पर आपका वह थाना कहां गया, पता नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरे खेरवाड़ा में एम. बी. सी. हैं, 1838 की अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश की हुई है, इसकी बहुत सारी जमीन है। वहां पर पंचायत और एम. बी. सी., दोनों के आपस में झगड़ा चल रहा है और एम. बी. सी. के साथ फिर उन्होंने वहां टी. टी. एस. और खोल दिया। उनके पास जो जमीन है वह जमीन, पंचायत कहती हैं, हम को दे दो और एम. बी. सी. की भी है यह। अब यहां पर एम. बी. सी. और सारे अधिकारियों ने मिल कर उनका अलाटमेंट करने के लिए फाइल लगायी तो दो साल से वह घूम रही है। पंचायत वाले आकर किसी न किसी को मिल कर कह देते हैं कि जमीन एम. बी. सी. को अलाट नहीं की जाय। अगर आपने उस जमीन को अलाट नहीं किया तो फिर आपको वह पी. टी. एम. वहां से हटाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई जमीन नहीं हैं, सारी बस्ती हो गयी है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने दो–तीन बातें कहीं हैं, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, एम. बी. सी. में हम आपको बार-बार डिप्टी कमांडेंट लगाने के लिए कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब वहां कभी कमांडेंट नहीं होता है या वह छुट्टी जाता है तो आप एस. पी., डूंगरपुर को चार्ज दे देते हैं। वहां पर 1200 जवान हैं उनको किसी को छुट्टी जाना है, किसी को तनख्वाह लेनी है, फिर वह फाइल लेकर डूंगरपुर और खैरवाड़ा घूमते रहते हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि मैंने जो कुछ भी निवेदन किया, उनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिये। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट का ध्यान रखें।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : हां उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस और कारागार की मांग पर चर्चा हो रही है। राजस्थान प्रदेश में कानून और व्यवस्था वास्तव में डगमगा गयी है। यह निश्चित है कि आये दिन चोरी, डकैती, लूटमार हो रही हैं (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : जो आपको आखरी बात कहनी है वह शुरू कर दीजिये।

श्री शंकर लाल अहारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। विशेष तौर से यह निवेदन है कि हमें मौका मिला जनजाति समिति के साथ प्रदेश में घूमने

(श्री शंकर लाल ग्रहारी)

का, तो हमने देखा कि थानों में जो पुराने भवन बने हुए हैं वह बिलकुल जर्जर अवस्था में हैं, नये भवनों की आवश्यकता है, उसमें भी कई प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता है।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी का चार साल से बार-बार ध्यान दिला रहा हूं कि डूंगरपुर जिले में रामसकड़ा कर के एक गांव हैं, वहां एक पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता है क्योंकि वहां आये दिन घटनाएं घटती रहती हैं।

दूसरा, हमने एक निवेदन किया और मेरा सुझाव है कि जहां पर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आये दिन झगड़ा होता है, लूट-खसोट होती है, मारकाट होती है उस स्थान पर आपको चौकियां कायम करनी चाहिये। मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी दो-चार जगह चौकियों की आवश्यकता है। जहां गुजरात बोर्डर है वहां तो आपको चौकियां लगा ही देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र में सरकार के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा शराब की दुकानें खोल दीं। हम लोग भगत लोग हैं, हम दारू, मांस का सेवन नहीं करते हैं। उस एरिये में शराब की दुकानें खोल दीं और उन दुकानों के खोलने से वहां के लोग जो भगत हैं, उन्होंने भी दारू पीना चालू कर दी। अब वहां भी लूट-खसोट और चोरियां नहीं होंगी तो और क्या होगा? तो हमारी मांग है कि आपने दारू की दुकानें जहां-जहां खोली हैं वहां भी चौकियां कायम करिये।

एक मेरा यह निवेदन है कि हमारे डूंगरपुर जिले में 444 की सिपाहियों की संख्या है और डूंगरपुर जिले की 8 लाख की आबादी है, अब 444 सिपाही क्या करेंगे? तो वहां सिपाहियों की संख्या बढ़ायी जाए।

तीसरा, जो सिपाही हैं उनके मैस भत्ते बढ़ाये जाएं, तनख्वाह बढ़ायी जाए। जहां नियुक्तियां शेष हैं वहां नियुक्तियां दी जाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट वक्ता। आखरी वक्ता (व्यवधान)

(21.00 बजे)

श्री महावीर प्रसाद जैन : गृह मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक सुझाव है कि....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये क्या बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। मान्यवर, इनकी खुद की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप दिन में कितने मिनट ले लेते हो? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले आप मेरे सुझाव सुन लें। फिर बाद में आप कह लेना।

श्री राजेन्द्र पारीक :... (व्यवधान) मैं एक मिनट ही लूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने यह रिपोर्ट दी है । आपने खुद ने यह बतलाया है कि आपके यहां पर एक डी.जी. है, चार एडीशनल डी.जी. हैं, आठ आई.जी. हैं और पन्द्रह डी.आई.जी. हैं । यह रिपोर्ट तो फिर भी पुरानी है, मैं आपसे कहता हूं कि इससे ज्यादा आपने हैड क्वार्टर में शामिल कर रखे हैं । सबको लाकर हाजरी गार्ड में शामिल कर रहे हैं । दूसरे सारे डिपार्टमेंट तो विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं और आप यह केन्द्रीकरण कर रहे हैं । मेरा आपको सुझाव है कि आप मेहरबानी करके यहां डी. जी. और एडीशनल डी.जी. को ही रखिये । आपके जो डिवीजनल हैड क्वार्टर्स हैं उन पर आप आई. जी. को लगाइये । आई जी. को पावर्स दीजिये । आपके यहां आज जो इन्वेस्टीगेशन के लिए शिकायतें होती हैं वो शिकायतें कम हो जायेंगी, और निश्चित तौर पर उससे एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा । इसी प्रकार से रेंजेज बढ़ा दीजिये । आप कह रहे हो डी.आई.जी., यहां 13 डी. आई.जी. शामिल कर दिये ।

एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं । मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक कोई ए. ईएन. था । उसने कोई रिश्वत ली । वह पकड़ा गया और उसी वक्त में उसको मुखबिरों के सामने पकड़ लिया गया और सारा काम हो गया । अब उसने आगे जाकर, डीवाई. एस.पी. ने तफ्तीश बिलकुल ठीक की थी, एस.पी. साहब के पास सिफारिश लगायी । वह फाइल एस.पी. साहब के पास पहुंच गयी । एस.पी. ने कहा कि यह तो चालान होगा । वह पहुंच गया डी.आई.जी. के पास । वहां से वह पहुंच गया एडीशनल डी.जी. के पास । अब छह महीने हो गये । वह फाइल इधर–उधर घूम रही है । इस प्रकार आपकी हजारों फाइलें घूम रही हैं इन अफसरों के बीच में । इसलिए आप आई जी. लेबल के आफिसर को डिवीजनल हैड क्वार्टर पर लगाइये । उनको कुछ अधिकार दीजिये ताकि वहां का वहां सोल्यूशन हो जाए, यहां तक आना नहीं पड़ें । इसी प्रकार से जो बड़ी रेंजेज हैं उनको छोटा कीजिये । पाली, जालौर और सिरोही की क्यों नहीं अलग करते हो ? ताकि आपके काम में और बंटवारा हो जायेगा । ये अफसर यहां बैठे रहते हैं । यहां ग्रुपबाजी होती हैं । सगे भाई भी होते हैं और वे लगातार ज्यादा साथ में रहते हैं तो उनकी भी ग्रुपबाजी शुरू हो जाती है । आपने इतने बड़े–बड़े आफिसर्स को शामिल करके रखा है । कोई काम इनके पास नहीं । ये एक के यहां चाय पीयेंगे तो दूसरे की बुराई करेंगे और वह उनके यहां चाय पीयेंगे तो वे उनकी बुराई करेंगे । नतीजा यह होगा कि ये धीरे–धीरे जाकर पुलिस में ग्रुप कर देंगे । यहां ग्रुप हो जायेगा और इस ग्रुप से आप मारे जाओगे । आप तो जाओगे जो जाओगे लेकिन आने वालों को भी मारोगे । इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेहरबानी करके इसके लिए सुझाव दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधान सभा में पुलिस पर चर्चा हो रही है इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, झुंझुनूं जिले की पुलिस की चर्चा मैं करना चाहता हूं और वह सत्यता से दूर नहीं है । आपको मालूम है कि 25 मार्च, 1998 को जो

(246)

(श्री श्रवण कुमार)

चिनी काण्ड हुआ था उसकी 12, 13 और 10 तारीख को मैं डी.आई.जी. के यहां सूचना कर चुका था कि डी आई.जी साहब चिनी के अन्दर हरियाणा से गुण्डे आयेंगे और बदमाशी होगी। डी आई.जी. साहब ने कहा कि कोई बदमाशी नहीं होगी। मैंने एस.पी. को कहा, एडीशनल एस.पी. को कहा और उसके बाद जब 25 तारीख को चुनाव हुआ तो वहां हरियाणा के 500 गुण्डे आये और पुलिस के साथ मुठभेड़ की और पुलिस को वे जब मारने लगे तो पुलिस ने मजबूर होकर उन पर गोलियां चलायीं। हरियाणा से एक हजार से ज्यादा गुण्डे, शराबी और तस्कर आये। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो रखा गया था, सरपंच को वहां से भगाकर ले जाने के लिए षड़यंत्र किया जा रहा था। उसके बाद पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया और उसके बाद वहां के डीवाई.एस.पी. ओ पी. सैनी को बगैर चार्ज शीट दिये, और डी.आई.जी. ने अपनी गलती को छिपाने के लिए, सस्पैण्ड कर दिया। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। डी.आई.जी. ने दो थानेदारों को मेरे पास घर भेजा और उन्होंने यह कहा कि हमें पांच आदमी दे दो, उन्हें 151 में बन्द कर देते हैं, उसके बाद राजस्थान में शोरगुल बन्द हो जायेगा और पांच निर्दोष आदमियों को ले गये। 151 का नाम लेकर बन्द कर दिया। सुबह उन्होंने कहा कि उनको 307 में बन्द करना पड़ेगा, ऊपर से दबाव आ गया है। मैंने गृह मंत्री जी से बात की। गृह मंत्रीजी जवाब देते हैं कि इसी सम्बन्ध में मीटिंग हो रही है। गृह मंत्रीजी, कोई मीटिंग नहीं हो रही है। मैं तो कहूंगा कि झुन्झुनूं जिले की पुलिस का आपने मोरल डाउत कर दिया, राजस्थान की तो मैं नहीं कहूंगा और मै तो कहूंगा कि राजस्थान में आपने पुलिस का भट्टा बैठा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री श्रवण कुमार : मैं कहूगा। सच्चाई को छिपाऊंगा नहीं। मुझे तकलीफ हो रही है इस बात की। समय समाप्त कैसे होगा, मुझे तकलीफ हो रही है। उसके बाद इनकी पुलिस ने अपनी गलती को छिपाने के लिए श्रवणकुमार विधायक का नाम लिया, उसके बेटे का नाम लिया उसके भाई का नाम लिया, उसके साले का नाम लिया। उसका साला वहां भात थोड़े ही भरने के लिए आया था, क्या भात था वहां। वहां साला भी नहीं था, श्रवण कुमार भी नहीं था और उसका बेटा भी नहीं था, कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि आप नाम लिखवा दो उन्हें ही मुलजिम बनायेंगे लेकिन भला हो डी.जी.पी. का जो उन्होंने न्याय दिलाया। जो मुलजिम थे उनको मुलजिम बनाया। जो बरी होने थे उनको बरी कराया। अब राजस्थान के किस आदमी ने नियुक्ति की है डी.जी. साहब की। राजस्थान में जब-जब भी पुलिस से न्याय के लिए कहा है, अन्याय हुआ है। डी.जी.पी. ने न्याय किया है।

हमारे क्षेत्र में एक हरिजन महिला के साथ दो गुण्डों ने बलात्कार किया और तीन महीने तक उन गुन्डों को नहीं पकड़ा गया। मैंने डी.जी.पी. किशन लालजी को कहा कि डी.जी. साहब, अन्याय हो रहा है। एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार हुआ है। आरोपी आज तक नहीं

(श्री श्रवण कुमार)

पकड़े गये। भला हो उन डी.जी. साहब का, उन्होंने कहा मिस्टर थानेदार, कल तक मुझे मुलजिम चाहिए। रात को मुलजिम आ गये। उन्होंने तीन हजार रुपये गरीब आदमी के चुराये। 3 महीने तक नहीं पकड़े गये। डी.आई.जी. एन.के. जैन थे। मैंने उनको कहा कि न्याय दिलाओ, राजस्थान में पुलिस के नाम पर कलंक लग रहा है। उन्होंने थानेदार को बुलाया। थानेदार मेरे घर गया। वहां जाकर बोलता है कि मेरी नौकरी चली जायेगी, मुझे बचाओ कैसे भी। डी.आई.जी. साहब को कहो कि तीन हजार रुपये मिल गये। तीन हजार रुपये मेरे नहीं थे, किसी गरीब आदमी के थे और वह गरीब हैण्ड टू माउथ हरिजन था। झुन्झुनूं मीटिंग में डी.आई.जी. साहब गये। थानेदार को बोले कि 24 घंटे में मुलजिम अरेस्ट होना चाहिए। इस प्रकार के मुलजिमों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जिनके खिलाफ आठ:आठ, दस-दस मुकदमे हैं उनका आज तक कुछ नहीं हुआ है और आपकी पार्टी के नेताओं ने उनको शरण दी है। लानत है इस पुलिस पर, जो पार्टी के नेताओं की बात मानती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डी.जी. और यहां के डी.आई. जी. का कसूर नहीं है। यहां के नीचे के जो सरकण्डे हैं जो पुलिस के नाम पर जिन्दा रहना चाहते हैं, थाने के बिना जिन्दा नहीं रह सकते, वे नेताओं की शरण में रहना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मुझे इस बात के लिए गर्व है कि हिन्दुस्तान में राजस्थान के डी.जी.पी. को मैं एक नम्बर का मानता हूं जिसने न्याय दिलाया। लेकिन आपके थानेदार, डीवाई. एस. पी. और एस.पी. और यहां के डी.आई. जी. सिरवी साहब मुझे बोलते हैं कि श्रवण कुमारजी, शोर मत करो, मैं आपको न्याय दिला दूंगा लेकिन मुझे न्याय डी.जी. के यहां से मिला जिन्होंने फाइल को यहां मंगवाया। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे बचाना नहीं चाहिए, लेकिन जो आदमी अपराधी नहीं होता है....

श्री टीकमचन्द कान्त : ये आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री श्रवण कुमार : बैठिये एक मिनट। आप बहुत अच्छा बोलना जानते हो।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं। माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं मैंने सुन ली आपकी बात। मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रहा हूं। कृपया अब आप विराज जाएं। मंत्री महोदय।

श्री श्रवण कुमार : मुझे शर्म आ रही है। जो आदमी अपराधी नहीं होता है उसको....(व्यवधान)....मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पुलिस न्याय नहीं करती है।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुबह 11.00 बजे हम यहां पर आते हैं, रात को नौ बजे यहां बैठे रहते हैं, आपकी पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं और फिर एक-एक मिनट के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप दो मिनट देंगे तो मैं दो ही मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बोलिये।

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी की दया पर नहीं आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डेढ़ मिनट बोलिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : मैं एक ही मिनट में समाप्त कर दूंगा, बहुत मेहरबानी आपकी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के इस पवित्र सदन में आज इस पुलिस महकमे के बारे में माननीय गृह मंत्रीजी को बता देना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, मैं उस जिले से आता हूं जिस जिले से मुख्य मंत्रीजी आये। मुख्य मंत्रीजी का पाली जिले में जाने का कार्यक्रम बनता है, वायरलैस मैसेज आ जाता है, सड़कें बन जाती हैं और मुख्य मंत्रीजी महज इसलिए नहीं आते है कि जिस आदमी की शादी में आना चाहते थे उस आदमी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, के नवाबजादे ने किसी बच्ची को गायब कर दिया था। वह उड़ाकर लेकर चला गया। वह डेढ़ साल पुराना किस्सा पुलिस को मुख्य मंत्रीजी को बताना पड़ा। तब वहां शहर में इतनी गड़बड़ हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी को कहना चाहता हू कि गृह मंत्री जी, आपके नाम से आपका चेला वहां बैठा है जो हर महीने पाली जिले के सभी थानेदारों से पैसा लेता है और आप भी उसको जानते हैं, सारा शहर उसको जानता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 18 एस.पी. बदले गये पूरे राजस्थान के, वह 18 एस पी. उन्हीं जिलों में बदले गये जिन जिलों में बी.जे.पी. हारी है। सिर्फ उन्हीं जिलों के एस.पी. बदले गये। चाहे वह कितने ही समय से थे। माननीय उपाध्यक्षजी, क्यों नहीं राजस्थान के मन्दिरों में हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियों की चोरियां खुलतीं ? क्योंकि वह अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह है और उस अन्तराष्ट्रीय गिरोह को बड़े-बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। मैं मेरे जिले की बात करता हूं। वहां बड़ी-बड़ी चोरियां हुई, पुलिस को पता है। पुलिस का मोरल आपने इतना डाउन कर दिया है, आपके जो नेता हैं, आपके जब कार्यक्रम बनते हैं, आप नेताओं के आजू-बाजू घूमते हैं। वह नेता उन चोरियों के आधे पैसे ले लेते हैं और आधे पैसे लेकर पुलिस के अफसरों की हिम्मत नहीं है, चोर उनकी निगाह में है। पुलिस के अफसर इतने गये-गुजरे नहीं हैं लेकिन आप लोगों ने अपने जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनको ऐसा संरक्षण प्रदान कर रखा है कि उस संरक्षण के मार्फत उन अपराधियों के जमानतें हो जाती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह+++ आरोप है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात ही कह कर चुप बैठ रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, एक ही मिनट में बात कहूंगा। आप आदेश दें तो बोलूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बा भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं तो गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि जयपुर–सीकर रोड पर पलसाना से लेकर लक्ष्मणगढ़ तक आये दिन इतने ज्यादा एक्सीडेन्ट्स होते हैं कि औसतन दो-तीन एक्सीडेंट में डेथ होती है करीब-करीब। इसलिए मेहरबानी करके मोबाइल ट्रेफिक

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

की ऐसी ऐसी व्यवस्था करें ताकि वहां पर जो डैथ हो जाय तो समय पर अगर कोई बचाने वाला हो, उनको जयपुर आप भिजवा दें और उनकी सूचना समय पर मिल जाय तो व्यवस्था हो सके, जैसी आपने दिल्ली रोड पर कर रखी है। जयपुर सीकर रोड पर अप-टू-लक्ष्मणगढ़ तक आप ऐसी व्यवस्था करें।

साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा कि पुलिस बल में जिस तरह से आप भर्ती कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पुलिस बल में कांस्टेबल्स की भर्ती में भी एम.ए. और बी.ए. पास लड़के आये थे, इसी तरह से आप पुलिस बल की भर्ती में स्पोर्ट्स कोटा यदि तय करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या–16 पुलिस विभाग के बारे में चर्चा हुई। कुल मिलाकर 113 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और आज की इस डिबेट में कुल मिलाकर 36 विधायकों ने भाग लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से आभारी हूं कि आज के वाद-विवाद का स्तर बहुत अच्छा था। अच्छे सुझाव आये, मार्ग-दर्शक के रूप में आये। कुछ अपवादों को छोड़कर सभी माननीय सदस्यों ने राजस्थान के पुलिस बल का मनोबल सुधरे, राजस्थान के पुलिस बल की कार्य प्रणाली में सुधार हो, राजस्थान के पुलिस बल की जो कमियां हैं वे दूर हों, इस तरह के सुझाव दिये, उसके लिये मैं हृदय से उन सबका आभार प्रदर्शित करता हूं कि आज उन्होंने बहस के स्तर को बहुत ही सार्थक रखा, उच्च स्तरीय रखा और अच्छे सुझाव दिये जो कि इस मंच के एक सामूहिक सोच के रूप में, एक कलैक्टिव विज्डम के रूप में हमको पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली को सुधारने में, उसको सही दिशा में लाने में और उसको ऊंचे स्तर पर ले जाने में मदद करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, अभी आखिर में जो वक्ता थे, उन्होंने मेरे पर एक आरोप लगाया और मुझे अफसोस है, अफसोस इसलिये कि शायद सब आरोप मेरे पर लग सकते हैं लेकिन मैंने कहीं पैसा खाया हो पुलिस स्थानान्तरण का, या मेरे नाम से किसी ने पैसा खाया हो और मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया हो मालूम होने पर, ऐसा आरोप पिछले साढ़े चार साल में मेरा ऐसा ख्याल है कि ना तो किसी ने लगाने का साहस किया है, ना लगाया जाना चाहिए। कोई व्यक्तिगत नाराजगी उनकी हो सकती है मेरे से, लेकिन यह जो आरोप लगाया इन्होंने, राजनीतिक दृष्टि से बिलकुल अनर्गल और मिथ्या आरोप लगाया है। मैं इसकी भरपूर भर्त्सना करता हूं और इसका विरोध करता हूं (व्यवधान) उन्होंने मेरे पर आरोप लगाये दिये और मैं उसका स्पष्टीकरण भी नहीं दूं। मैंने स्पष्टीकरण दे दिया। मुझे इससे आगे कुछ नहीं कहना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस की कार्य पद्धति आज सारे देश में प्रशंसा की पात्र है। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं, यहां कई बार आता है

(श्री कैलाश मेघवाल)

कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है और अपराध भी बढ़ रहे हैं। मैं इसको मना नहीं करता। अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है, अपराधियों के तौर-तरीके भी बढ़ रहे हैं और अपराधी जो हैं आधुनिक हथियारों से लैस होकर और आधुनिक तौर-तरीकों से, आधुनिक साधन-सुविधाओं से अपराध करते चले जा रहे हैं लेकिन हमारी पुलिस उसमें बड़ी मुस्तैदी से लगी हुई है, यह बात सच है।

यहां एक बात कही गयी कि पुलिस की अनुसंधान शाखा अलग होनी चाहिये एवं कानून एवं व्यवस्था के आधार पर नियुक्त होने वाले स्टाफ को अलग होना चाहिये। इस पर गम्भीरता से विचार चल रहा है और यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि केन्द्रीय स्तर से लगाकर नीचे के स्तर पर आज इस बात को गम्भीरता से सोचा जा रहा है कि पुलिस के दायित्व जिस तरह से बढ़े हैं, उन दायित्वों में अनुसंधान पक्ष जो है उसकी कई बार उपेक्षा हुई है, उसमें ढिलाई आ जाती है और उसके कारण अनुसंधान देरी से होने के कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। राजस्थान पुलिस भी इस बारे में सोच रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुत जल्दी हम इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करके, माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर भी इस बारे में विचार हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि अनुसंधान त्वरित गति से हो और अनुसंधान करने वाले अधिकारी ठीक ढंग से अनुसंधान करें, ऐसी कोशिश की जाएगी। लॉ एण्ड ऑर्डर की जो दूसरी व्यवस्थाओं में लगते हैं आदमी, वह भी लगें। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा हमारा ध्यान जो जा रहा है वह प्रशिक्षण की ओर जा रहा है। यहां पर यह बात कही गयी कि तौर-तरीके पुराने हैं। यहां पर यह बात भी कही गयी कि अनुसंधान के तौर-तरीके आज भी पुराने ढंग से चल रहे हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान में सबसे पहले प्रशिक्षण पक्ष को सबसे ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इसका कारण है कि जो एक ऐतिहासिक धरोहर पुलिस की रही है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं ऐतिहासिक धरोहर की हिन्दुस्तान में पुलिस की दो विरासत हैं। एक तो फैडरल स्टेट्स की विरासत है और फैडरल स्टेट्स में पुलिस का क्या स्वरूप था, यहां बैठे हुए करीब-करीब सभी लोग जानते हैं और ब्रिटिश रूल्ड जो स्टेट्स थे उनमें पुलिस का क्या स्वरूप था। क्योंकि ब्रिटिश की, अंग्रेजों की जो पुलिस थी वह अपनी जनता को अपना गुलाम समझती थी और फैडरल सिस्टम में तो फैडरल की सुरक्षा पुलिस इसलिए होती थी कि फैडरल्स की सुरक्षा हो और जिस तरह की सारी व्यवस्था थी तो यह एक पृष्ठभूमि हमारी रही। इसके साथ ही हम आगये, आजादी प्राप्त कर ली और आजादी प्राप्त करने के बाद जनतान्त्रिक व्यवस्थाएं हमारे यहां हमने खड़ी कीं। सविधान के अनुसार सारे देश की शासन पद्धति को हमने एक नये ढंग से खड़ा किया और उस नये ढंग से खड़ा करने के साथ ही पुलिस के ऊपर इस तरह का आया, प्रशिक्षण का नये ढंग से सोच चालू हुआ। इस जनतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस

(श्री कैलाश मेघवाल)

को किस ढंग से काम करना चाहिए, वह सोच लगातार चल रहा है। पुलिस कमीशन बैठे। कई स्तरों पर मीटिंग हुई और कई स्तर पर यह चिन्तन लगातार चल रहा है और मैं निवेदन करना चाहता हूं, there is never a saturation in perfection. यह हमेशा चिन्तन चलता रहेगा। राजस्थान में भी चल रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर भी चल रहा है। पुलिस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भी चल रहा है और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस जनतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस को किस तरह से कार्य करना चाहिये क्योंकि आज पुलिस, They are public servants, और जनतन्त्र में प्रत्येक जन प्रतिनिधि चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, यह सब जनता के प्रतिनिधि हैं और यह सब एक तरह से, मैं कहता भी हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता के निगराकार हैं। और इसलिये यह जरूरी है कि इन सारे निगराकारों की दृष्टि में पुलिस की कार्यवाही सही चले, पुलिस का व्यवहार ठीक हो। यह एक बहुत प्रबल पक्ष है जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातों को हम नजरदाज करके नहीं चल सकते हैं। वह इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 50 साल में क्रांतिकारी परिवर्तन, जो परिवर्तन विश्व के अन्य देशों में खूनी क्रांति के बाद आया है वह परिवर्तन पिछले 50 साल में क्रमश: हिन्दुस्तान में आए हैं और तरफ मैं इसलिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अपनी 50 साल पहले की समाज-रचना की ओर हम देखें। 50 साल पहले के सत्ता के केन्द्रों को हम देखें। आज भी यहां पर कई बार होती है कि जाति पंचायतें आज भी नियंत्रित करती हैं। हमारे देश में परम्परा से पंच परमेश्वर की जो व्यवस्था चलती थी उसमें जाति पंचायतें भी नियंत्रित करती थी, अनुशासित करती थी व्यक्ति के व्यवहार को, अपनी कौम की समस्याओं को। ग्राम पंचायतें भी, जो कम्युनिटी लाइफ हमारे यहां थी, वह कम्युनिटी लाइफ व्यवस्था इस देश में सैकड़ों साल तक हमारी समाज व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में कारगर रही है। लेकिन जो परिवर्तन आए, परिवर्तन आए तो सत्ता के केन्द्र बदले। पहले जिस तरह के सत्ता केन्द्र थे, परिवर्तन आए समाज की रचना में, पहले जिस तरह की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को जिस तरह से लाया गया है, अब उसमें मैं कई बार एक बात कहता हूं और मेरे अपने परिवार में भी कई बार देखता हूं कि हम जो जीवन जीते हैं जीवन भर, हम वो जीवन जीते हैं जो 5 साल से 15 साल की उम्र में हमारे दिमाग पर छाप दिया जाता है। संस्कार जिसको कहते हैं। यह ऐसी गुलामी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस गुलामी के हम सब गुलाम हैं और गुलामी समझ में नहीं आती है और वह है संस्कारगत गुलामी। अब उस संस्कारगत गुलामी में जिस तरह के संस्कार हमारे पड़ गये, उस तरह के संस्कारों का हमारी कार्य प्रणाली पर, पद्धति पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है और यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि यहां बार-बार एक बात उठायी जाती है कि हरिजनों पर अत्याचार होता है और यह सही है। मैं 1957 या 1958 से राजनीति में हूं और हमारे पुराने

(श्री कैलाश मेघवाल)

वरिष्ठ नेता गुलाम सिंहजी यहां हैं, मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि जातिवादी जो व्यवस्था है इसमें छुआछूत ऊंच-नीच की जो व्यवस्था है इसको समाप्त करने के लिये साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा और इसलिये सबसे बड़ा सवाल आज यह खड़ा करना चाहता हूं कि 50 साल में जब हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं उस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हम अपने आपको टटोलें, यह सबके लिये आवश्यक है । हम राजनीतिक पार्टियां चलाते हैं । हम शासन में आते भी हैं, शासन से जाते भी हैं, जन प्रतिनिधि बनते भी हैं । लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम किस उद्देश्य के लिये यह सारा कर रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति होने के नाते मुझे यह कहने में कोई एतराज नहीं है कि जिस तेज गति से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिये था, उस तेज गति से वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ है । मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता, और लाते हैं सब कई बार । मैं भी लाता हूं, मैं इसको मना नहीं करता....

श्री रामनारायण चौधरी : यह कमजोरी की बात कह गये कि मैं एस. सी. का हूं ।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, मेरा अध्ययन है । मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि मेरा अध्ययन है शिड्यूल्ड कास्ट की समस्याओं के बारे में । वह इसलिये कहना चाहता हूं कि यहां कई बार जब हम राजनैतिक चश्मे की दृष्टि से देखना चालू करते हैं, जैसे मैंने आज सवेरे कह दिया कि पहली बार उस गांव में घोड़ी पर चढ़े थे और प्रतिक्रिया होनी वाजिब थी । मैं इसको एक समाजशास्त्रीय फिनोमिना मानता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब भी यथास्थितिवाद पर चोट पड़ेगी क्योंकि स्टेटस-को फोर्सेज व प्रोग्रेसिव फोर्सेज हमेशा लड़ रही होंगी और जब-जब भी यथास्थितिवाद पर चोट पड़ेगी तब-तब, अब मेरे गांव का उदाहरण दूं, मेरे गांव में हम तो आज से 40-50 साल पहले घोड़ी पर चढ़े थे, थोड़ा विरोध हुआ । उस विरोध के कारण से हमको गांव भी छोड़ना पड़ा । लेकिन 50 साल पहले जब एक बार विरोध हुआ, पहली बार चढ़े तो हमको विरोध झेलना पड़ा । वह चाहे 50 साल पहले हो । हमारे फादर भी शिक्षित थे, ग्रांड फादर भी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : गुलाब सिंह जी, आपके कारण इनको शादी का इरादा छोड़ना पड़ा ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह मेरे कारण नहीं, किसी और के कारण हुआ । यह किसी और जागीरदार के गांव में रहते थे, मेरे यहां नहीं रहते थे । यह गलत कह गये हैं । इनके जागीरदार ने माखेड़ा राव साहब । उनके यहां रहते थे । मेरा तो यों ही नाम ले रहे हैं यह जबरदस्ती से ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप ही के कारण शादी का इरादा छोड़ना पड़ा ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ईमानदारी से कहना चाहता हूं । हमको सब कुछ प्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा कि हम समाज को किस दिशा में ले जाना

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस देश में स्वतंत्रता का आन्दोलन चला। स्वतंत्रता के आन्दोलन की महात्मा गांधी ने अगुवाई की थी। जब महात्मा गाधी ने अगुवाई की, उन्होंने समाज की नस को पहचाना था। महात्मा गांधी हरिजनोद्वार आन्दोलन भी चलाते थे। महात्मा गांणी हरिजन सेवक संघ भी चलवाते थे। महात्मा गांधी खादी की संस्था भी चलाते थे। खादी का चरखा, जो केवल बलाइयों का होता है उसको उन्होंने घर–घर में इन्ट्रोड्यूज किया। तो महात्मा गांधी वैचारिक आधार पर, भावना के आधार पर, प्रतिबद्धता के आधार पर इस देश में दलित वर्ग को उठाने में लगे हुए थे, जो कि अछूत माना जाता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं उस समय धार्मिक संस्थाएं भी ऐसी थीं, आर्य समाज का नाम ले लें, राजा राम मोहन राय का नाम ले लूं, विवेकानन्द जैसे किसी संत का नाम ले लूं कि लोग अछूतों को गले से लगायें, वरना यह लाल गेरू के हो जाएंगे। और यह भी बड़ी तेजी से, अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो आज हमको नहीं दिखता उस तरह का। लेकिन सारे देश में आर्य समाज और इस समाज को जो सुधारवादी संस्थाएं थीं उनकी एक धारा चलती थी। जो वैचारिक आधार पर समाज को विचार दे रही थी, एक भाव दे रही थी (व्यवधान) सुन लीजिये। इसलिये आवश्यक है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं, आज इस बात पर हमको सोचना पड़ेगा कि आजादी के बाद क्या उस तरह की प्रतिबद्ध भावना से अछूत भाई हो, या शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब को उठाने के प्रयत्न हो रहे हैं और ईमानदार कोशिश हो रही है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह सी.पी.एम. वाले कामरेड हैं, एक शब्द आया था इस देश में कामरेड का और कामरेड शब्द, यह अपने आप में ही एक फिलासफी थी। यह तो बिखर गये हैं और समाप्त होते चले जा रहे हैं लेकिन कामरेड शब्द अपने आप में एक फिलासफी थी। उस समय कोई पंडित नहीं, कोई सेठ नहीं, कोई ठाकुर नहीं, सब कामरेड होते थे। कामरेड राठौड़, कामरेड यह, कामरेड यह, कामरेड यह, लेकिन वह विचार भी इस पृथ्वी पर नहीं चल सका और जब हम इस मुकाम पर खड़े हैं आज हम सब अपने आपको टटोलें कि आज की राजनीतिक व्यवस्था में.... (व्यवधान)

श्री अमरराम (धोद) : बंगाल में 21 साल से चल रहा है, न इनसे हट रहा है। न आपसे हट रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो एक के एक ही हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बंगाल का उदाहरण देते हैं। मैं बहस में नहीं जाना चाहता हूं 1952 का कांग्रेस का घोषणा पत्र और आज का सी.पी.एम. का वैस्ट बंगाल का घोषणा पत्र, एक ही घोषणा पत्र है। कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आप नहीं लाए हो। हेकड़ेबाजी करके चीन के आधार पर अपनी राजनीति जमाकर आज भी आप वहां चल रहे हो। आप में जिस तरह तंत्र और वोटों को पटाने की कला है उससे आप बैठे हुए हो। लेकिन जिसको कहते हैं कोई

(श्री कैलाश मेघवाल)

क्रांतिकारी परिवर्तन, वहां बिलकुल ऊंच-नीच का भेद, या छोटे-बड़े का भेद मिट गया हो, ऐसी स्थिति वेस्ट बंगाल में आज भी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बात निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कि आज की राजनीति में हमने राजनीतिक लाभ लेने के लिये जिस जातिवाद से लड़ने के लिये इस देश का आन्दोलन हुआ, इस देश के नेता लड़े, जिस जातिवाद को समाप्त करने के लिये इस देश में लम्बे समय से एक चिंतन की प्रक्रिया चल रही थी,आज इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज की राजनीति जिस मुकाम पर खड़ी है उसने इस जातिवाद को मजबूत किया है और यह देश के लिये बड़ा घातक है । हम सबको सामूहिक सोच लाना पड़ेगा कि इस जातिवाद को कैसे समाप्त किया जाए और आज की राजनीति में जातिवाद सुदृढ़ हो रहा है जातिवाद के आधार पर। यहां कहा गया है, यह सही है नियुक्तियां हो रही है, पास-पड़ौस के राज्यों में जिस तरह से उसमें जातिवादी नेताओं का कितना किस तरह से हाथ होता है, वह आपको भी मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, और एक बात के लिये सबको बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान में उस बुराई से हम अभी बचे हुए हैं और इसके पहले कि यह बुराई हमको जकड़ें, हमारे पर हावी हो, उसके पहले हम इस बुराई को नहीं आने दें और नये चिंतन के साथ राजस्थान का निर्माण करने में एक जातिविहीन समाज, एक छुआछूत रहित समाज बनाएं और इसलिये यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर....

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप हमारे साथ आ जाइये, मुख्य मंत्री बनाएंगे आपको । मुख्य मंत्री बनाएंगे, इधर आ जाओ । बहुत अच्छा बोल रहे हो ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजनीतिक भाषण भी दे सकता था लेकिन जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि आज इस सदन में जिस तरह के विचार आए, वह राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान की कानून और व्यवस्था में सुधार करने के लिये, राजस्थान के पुलिस बल को ठीक दिशा में लाने के लिये दिये गये थे और उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर में भी यह कुछ चिंतन के मुद्दे सबके सामने रख रहा हूं । मैं इस पक्ष को यहीं छोड़ देता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी का कारण है, आज हम सब मिलकर कहें, क्रेडिट किसी को दें, आज हमारे यहां कुल मिलाकर जातिवादी तनाव नहीं है । यह छोटे-मोटे खड़े हो रहे हैं जिसको हम खतम करने की कोशिश करेंगे सब मिलकर। आज हमारे यहां मजदूरों की बात आपने थोड़ी बहुत कर ली, लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान में औद्योगिक शांति है और वह औद्योगिक शांति हमको रखनी पड़ेगी। अगर राजस्थान के हित, राजस्थान के भविष्य को, राजस्थान की खुशहाली को हम ध्यान में रखेंगे तो हमको औद्योगिक शांति रखनी पड़ेगी और औद्योगिक शांति के साथ ही हमको मजदूरों के हितों का भी पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, जो रख रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों में नया खून होता है । यह माननीय गुलाब सिंहजी और मैं, हम भी विद्यार्थी जीवन में वही कुछ करते थे जो आज कुछ प्रति हो रही

(श्री कैलाश मेघवाल)

है । नये यूथ को (व्यवधान)... मैं कहां–कहां था जो तो छोड़ों लेकिन यह जवान खून है, आज कुल मिलाकर हमारा छात्र जगत भी शांत है और एक दिन में चुनाव हो जाते हैं छात्र संघों के और वहां कोई ज्यादा हिंसा नहीं हो पाती, कुछ अपवाद-स्वरूप घटनाएं होती हैं । यह भी हमारे समाज की एक अच्छी बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले लोक सभा के चुनाव हुए, वह लोकसभा के चुनाव भी इस बात के प्रमाण हैं, हमारे यहां राजस्थान अपवादस्वरूप कुछेक घटनाएं हुई हों, बाकी लोकसभा के चुनाव बड़ी शांति से समाप्त हुए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो 113 कटौती प्रस्तावों में, जो कोई भी कटौती प्रस्ताव आये हैं उसकी मेरे पास पूरी तैयारी है लेकिन वह तैयारी पढ़ने में बहुत समय लग जायेगा । कुछ सदस्यों ने प्रकरणों के बारे में ध्यानाकर्षित किया है और मैं उन माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन प्रकरणों के बारे में मैं मेरे अधिकारियों के साथ बैठकर के, और बिलकुल निष्पक्षता से कार्यवाही हो, किस मंतव्य से और सही तफ्तीश के उद्देश्य से जो दिया गया है कटौती प्रस्ताव, उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कहीं पर थाने खोलने के लिये, कहीं पर सी. ओ. आफिस खोलने के लिये, कहीं पर चौकी खोलने के लिए, कहीं पर यातायात की नफरी बढ़ाने के लिए, कहीं पर किसी तरह की नफरी बढ़ाने के लिए जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, मैं आपके द्वारा सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने उदारतापूर्वक 30 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बात के लिए किया है कि हम पुनर्गठन की योजना को ठीक ढंग से लागू करें और उस पुर्नगठन की योजना में, हम नये इन सबको सी. ओ. आफिस, इंस्पेक्टर आफिस, नये थाने, नई चौकी और जो कटौती प्रस्ताव आये हैं उन पर विचार करेंगे और देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक का जवाब नहीं देने जा रहा... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें । मामला बहुत गम्भीर है । रामस्वरूप जी, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है । गम्भीरता से सुनने की आवश्यकता है ।

श्री कैलाश मेघवाल : दो–तीन बातें हैं । सिकराय और टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्यों ने एक आरोप लगाया है । मैं इस आरोप का पुरजोर शब्दों में खण्डन करता हूं कि हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल नारायण मीणा की जो आत्महत्या हुई है उसकी आई जी.पी. स्तर के एक अधिकारी से जांच करा ली गयी है और जांच कराने के बाद वह शुद्ध रूप से आत्महत्या का प्रकरण बनता है और अब उसकी पृष्ठभूमि और कारण कुछ भी रहे हों लेकिन आई.जी.पी. स्तर से उसकी जांच हो गयी है और जांच होने के बाद वह आत्महत्या का मुकदमा है । यहां पर एस.पी. जेवरिया पर यह जो आरोप लगाया है (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मर्डर कराया है । उससे यह

(श्री परसादीलाल मीणा)

हत्या करायी है। यह उस तरह से उसको रहे है ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जायें माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय,जिस तरीके की आपने जांच करवायी है, हमने भी उसकी वीडियोग्राफी पूरी देखी है। देखने पर कहीं पर वह नहीं लगता कि दिन के एक बजे, खुले ओपन कोई दरवाजा बन्द नहीं, कोई खिड़की बन्द नहीं, आपने पुलिस से वीडियोग्राफी करवाई है। मेहरबानी करके आप पहले वीडियोग्राफी देख लें उसके बाद में अपना बयान दें। गलत कह रहे हैं आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज शाम का ही टाइम रख लिया जाये वीडियोग्राफी देखने का, शाम का टाइम रख लो.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उसका मर्डर कराया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। इन्होंने अपनी बात कहीं

श्री परसादीलाल मीणा : आज देख लीजिये वीडियोग्राफी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में व्यवधान नहीं माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : फिर क्या है इसमें ? 131 का मोशन लगा रखा है उससे पहले,जवाब देने से पहले ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनका भाषण पूरा होने दीजिये। आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपना एक आरोप लगाया है। मैंने अपनी जांच के आधार पर उस आरोप का खण्डन किया है। इसके आगे और कोई बात है तो आप अन्य तरीकों से उठा सकते हैं। बाकी जेवरिया जो एस.पी. डूंगरपुर है, उसके ऊपर यह जो आरोप लगाया गया, वह बिलकुल मिथ्या आरोप है। हमारी जांच से यह शुद्ध रूप से आत्महत्या का प्रकरण ही सिद्ध होता है। अब मैं उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय,सांगानेर से आने वाली माननीय विधायिका ने यहां एक आरोप लगाया कि भर्ती में पैसा लिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, कभी यह चर्चाएं रहीं होंगी लेकिन हमने पिछले सालों से जब से भर्ती चालू की हैं, हमने 50 नम्बर की, जो पहले नहीं था, 50 नम्बर की लिखित परीक्षा, 25 नम्बर की फिजिकल की, 15 नम्बर की एक्सट्रा की और केवल 10 नम्बर 3 अधिकारियों का बोर्ड है उसके इंटरव्यू के सुरक्षित हैं, एक डी.आई. जी. और दो एस.पी सारे राजस्थान में इसी प्रक्रिया से भर्तियां हुई हैं। मेरे पास तो आज तक शिकायत ही नहीं आयी है। पहली बार सांगानेर की विधायिका ने इस प्रांगण पर आज कहा है कि पुलिस की भर्तियों में पैसा खाया गया। मैं इसका खण्डन करता हूं। यह आरोप निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। भर्ती की जो प्रक्रिया हमने चालू की है, वह शुद्ध प्रक्रिया है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत जवाब नहीं देना चाहता लेकिन ओसियां से आने वाले माननीय विधायक ने स्पेसिफिकली कहा था कि आप मेरी बात का जवाब देना। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में भैरोंसिंह जी शेखावत के मुख्य मंत्री काल में प्रकरणों की तफतीश निष्पक्ष होगी। उनके प्रकरण की तफतीश डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी दिनेश शर्मा कर रहे हैं। जिस दिनेश शर्मा को सारे राजस्थान के लोग जानते हैं, और उनके रिश्तेदार शैलेन्द्र जोशी उधर भी बैठे हैं, जिसकी ईमानदारी पर किसी तरह का कोई शक नहीं है। ऐसा व्यक्ति उनके प्रकरणों की जांच कर रहा है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निष्पक्ष तफ्तीश के आधार पर जो भी नतीजे होंगे, वह सामने आयेंगे। मैं उन्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि वे एक अच्छे विधायक हैं, लेकिन व्यक्तिगत वैमनस्यता से वे ऊपर नहीं उठ सके, जो उनके बार–बार के भाषण में प्रकट भी हुआ था।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने इन्वेस्टीगेशन पर कोई आंच नहीं लगायी है। मंत्री महोदय, उस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है तो बैठ जाएं आप, बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप मेरा भाषण पढ़ लें।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने कहा था निष्पक्ष नहीं होगी। माननीय मुख्य मंत्री यूं करना चाहते हैं, माननीय मुख्य मंत्री यूं करना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मुख्य मंत्री + + + हैं तो हैं, आप कैसे छिपा सकते हो। दोनों चीजों को जोड़ो मत।

श्री कैलाश मेघवाल : यह आरोप जो लगाया था, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका इस तरह का सोच गलत सोच है। राजस्थान के मुख्य मंत्री राजनैतिक दृष्टि से राजनीति में निपटना जानते हैं। वह ऐसा भ्रष्ट.. (व्यवधान) सहारा नहीं लेते। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : दिनेश शर्मा जी का नाम लेकर आप मुख्य मंत्रीजी को मत बचाइये। राजनीति में हैं तो... (व्यवधान) अपने आपको बचायेंगे। हां, मैं भी कहना चाहता हूं कि आप गलत आदमी का मत डिफेंस करें।

श्री कैलाश मेघवाल : इस तरह का एलीगेशन। आपकी पारिवारिक वैमनस्यता से आप ऊपर नहीं उठ सके, इसका मुझे अफसोस है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप जैसे + + + नहीं हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का मूड मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी उठना चाहता है लेकिन यह मौका एक ऐसा है कि जिस मौके पर सारे

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

राजस्थान का, जैसलमेर में बैठा हुआ कांस्टेबल भी, कुशलगढ़ में बैठा हुआ कांस्टेबल भी इस बात की इन्तजार करता है कि पुलिस विभाग की अनुदान मांगों के मौके पर हमारे लिए सरकार ने क्या किया है और इसलिए मैं यह घोषणा करना आवश्यक समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं पढ़ दूंगा इसलिए कि कहीं आंकड़े बाजी में गलती नहीं हो जाये। पुलिस विभाग में, मैं यह घोषणा इस समय कर देना चाहता हूं, पुलिस में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रथम कड़ी है आदमी जब पुलिस में एफ.आई.आर. कराने जाता है और जाते ही एस.एच.ओ साहब या जो थाना प्रभारी, कागज नहीं है जा कागज ला, यहीं से चालू होती है जलालत और इसलिए इस बार हमने यह कोशिश की है कि सारे राजस्थान के जितने भी थाने हैं, आवश्यकता के अनुरूप उनको यहां से छपवाकर स्टेशनरी दे दी जाये और इस स्टेशनरी को वह इसी काम में ले सकेंगे। इसलिए मुवक्किल जो भी जायेगा, फरियादी, उससे इस तरह की मांग नहीं करेंगे। पुलिस विभाग में थाने पर प्रथम सूचना दर्ज कराने हेतु जाने वाले व्यक्ति की एक आम शिकायत रही है कि थाने में सर्वप्रथम उनसे एक कागज रिम मांगी जाती है। पुलिस का जनता से यह प्रथम सम्पर्क बिन्दु है जहां भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें होती हैं। स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष में मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस वर्ष पुलिस विभाग की स्टेशनरी की सम्पूर्ण मांग पूरी करने का निर्णय लिया, 4 करोड़ 29 लाख रुपये विभाग को प्रदत्त किये हैं। अतः अब किसी भी थाने में स्टेशनरी की कमी नहीं होगी। इस हेतु पुलिस प्रेस में अतिरिक्त स्टाफ व नई मशीन क्रय करने हेतु 35 लाख भी प्रदत्त किये जा रहे हैं। वर्तमान में कांस्टेबल एवं हैड कांस्टेबल को 210 रुपये प्रतिमाह मैस भत्ता मिलता है। इसे 90 रुपए प्रतिमाह बढ़ाकर दिनांक 1.8.98 से 300 रुपए प्रतिमाह किया जाता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि उनको अब भोजन ठीक मिलने लगेगा। घोद से आने वाले माननीय विधायक ने चिंता व्यक्त की थी और यहां कहा था कि आप खाओ तो सही।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पुलिस बल के जो वेतनमान थे उनको हमने केन्द्र के समान कर दिया है और पुलिस का सिपाही संतुष्ट रहे, उसको पर्याप्त पगार और भत्ते मिलें, इस बात के लिए राज्य सरकार चिंतित है।

वर्तमान में वर्दी रख-रखाव भत्ता कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल को देय 90 रुपए वार्षिक को बढ़ाकर 100 रुपए वार्षिक दिनांक 1.8.98 से किया जाता है, 10 रुपए बढ़ाकर 90 का 100 रुपए कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर.ए.सी. के जवानों की यह भी बड़ी मांग थी, उनको वर्तमान में देय विशेष भत्ते में वृद्धि कर 1.8.98 से निम्न प्रकार से प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा—डिप्टी कमाण्डेंट को 150 रुपए से 200 रुपए किया जा रहा है, सहायक कमाण्डेंट को 100 रुपए से 150 रुपए किया जा रहा है, एडजुटेंट को 75

(श्री कैलाश मेघवाल)

रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए किया जा रहा है, कम्पनी कमाण्डर को 50 रुपए से 100 रुपए किया जा रहा है, प्लाटून कमाण्डर को 30 रुपए से 60 रुपए किया जा रहा है, हैड कांस्टेबल को 20 रुपए से 50 रुपए किया जा रहा है और कांस्टेबल को 15 रुपए से 40 रुपए किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेवाड़ भील कोर के जवानों को वर्तमान में कोई विशेष भत्ता नहीं मिलता है जबकि आर.ए.सी. के जवानों को यह भत्ता मिलता है। मेवाड़ भील कोर द्वारा आदिवासी इलाकों में दुरुह परिस्थितियों मे कार्य किया जाता है अतः आर.ए.सी. के जवानों के बराबर इन्हें भी दिनांक 1.8.98 से विशेष भत्ता प्रदत्त किया जाएगा।

पुलिस विभाग को राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में 33 लाख रुपए, खेलकूद निधि में 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विभाग को उत्सवों के आयोजन हेतु भी 10 लाख रुपए प्रदत्त किए जाते हैं।

वर्तमान में श्वान रख-रखाव हेतु कोई भत्ता देय नहीं था। पेचीदा प्रकरणों में श्वान दल पर निर्भरता बढ़ने के कारण उनके रख-रखाव की बेहतर व्यवस्था हेतु श्वान भत्ता देने का निर्णय लिया है। दिनांक 1.8.98 से निरीक्षक को 200 रुपए, उप निरीक्षक को 150 रुपए, सहायक उप निरीक्षक को 130 रुपए, हैड कांस्टेबल को 125 रुपए, कांस्टेबल को 100 रुपए और कैमल बॉय को 75 रुपए प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। कोई कुत्तों में जाता ही नहीं था, अब जाएंगे, भत्ता इसलिए दिया है।

वर्तमान में पुलिस बैण्ड हेतु कोई भत्ता देय नहीं है। पुलिस बैण्ड को प्रोत्साहित करने के लिए निरीक्षक को 200 रुपए, उप निरीक्षक को 150 रुपए, हैड कांस्टेबल को 125 रुपए एवं कांस्टेबल को 100 रुपए दिनांक 1.8.98 को प्रतिमाह भत्ता दिया जायेगा।

संविदा पर नियुक्त अंशकालीन रसोइयों को वर्तमान में 800 रुपए प्रतिमाह पारिश्रमिक मिल रहा है जिसमें वृद्धि कर दिनांक 1.8.98 से 1000 रुपये प्रतिमाह किया जाता है।

वर्तमान में घुड़सवारों के लिए कोई भत्ता देय नहीं है। राज्य सरकार ने घुड़सवारी को प्रोत्साहित करने के लिए भत्ता निरीक्षक को 200 रुपये, उप निरीक्षक को 150 रुपये, हैड कांस्टेबल को 150 रुपये एवं कांस्टेबल को 100 रुपये दिनांक 1.8.98 से प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है।

पुलिस विभाग की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था व कार्यदशा की स्थिति में सुधार हेतु 50 नये गैस कनेक्शन पुलिस लाइनों व थानों में लगाने हेतु तथा छत के पंखे, वाटर कूलर्स, डेजर्ट कूलर्स एवं एक्जास्ट फैन उपलब्ध कराने हेतु 45 लाख रुपये प्रदत्त किये जा रहे हैं। यानि व्यवस्था हेतु रुपये 120 लाख, विद्युत फिटिंग की व्यवस्था हेतु 50 लाख रुपए, शौचालय एवं स्नानगृहों के लिए 70 लाख रुपये प्रदत्त किये जाते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : घोड़े वालों को तो अलाउन्स दिया है, ऊंट वालों का क्या होगा ?

श्री कैलाश मेघवाल : घुड़सवारों को जो दिया है, ऊंट सवारों को भी उसी अनुसार भत्ता दिया जाएगा अगर चूक गए तो। आपका सुझाव मान्य है क्योंकि आपके उधर ऊंट ही ऊंट हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आई.जी. भेजो डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर।

श्री कैलाश मेघवाल : नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा के आरक्षी व मुख्य आरक्षी को देय 210 रुपए प्रतिमाह मैस भत्ते में वृद्धि कर 1–8–98 से 300 रुपए प्रतिमाह किया जा रहा है। विभाग के स्वयंसेवकों को होमगार्ड्स को वर्तमान में 50 रुपए प्रतिदिन का ड्यूटी भत्ता दिया जाता है जिसे बढ़ाकर दिनांक 1–8–98 से 60 रुपए प्रतिदिन किया जाता है। इन स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण हेतु भत्ता एक परेड के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए दिनांक 1–8–98 से किया जाता है तथा एक सप्ताह ड्यूटी के लिए इन स्वयंसेवकों को धुलाई भत्ता 7 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति सप्ताह, अधिकतम 50 रुपए प्रतिमाह दिनांक 1–8–98 से किया जाता है। नागरिक सुरक्षा एवं गृहरक्षा विभाग की कार्य दक्षता में सुधार हेतु भोजनशालाओं में 8 गैस कनेक्शन, छत के पंखें, वाटर कूलर्स हेतु 3 लाख 10 हजार रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के कल्याण कोष में 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

संविदा पर नियुक्त अंशकालीन रसोइयों को पारिश्रमिक 800 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह किया जाता है। इसके साथ ही जो 30 करोड़ रुपए हमको मिले हैं उनमें हम आधुनिक हथियार, व्हीकल, प्रशिक्षण और दूसरी तरह की साधन सुविधाएं और वैज्ञानिक आधार पर जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमने एफ. एस. एल. की 3 यूनिट्स स्थापित कर ली हैं। आज उदयपुर, जोधपुर में एफ. एस. एल. की यूनिट्स स्थापित हो गई है, अब ठीक ढंग से काम करना चालू कर रही है, प्रारम्भ में कुछ दिक्कतें आती हैं, जिससे कि हमको त्वरित गति से अनुसंधान करने में मदद मिले।

इस तरह राजस्थान पुलिस के ढांचे को सम्पूर्ण रूप से नए परिवेश में ढालने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए, प्रशिक्षण पर ध्यान देते हुए राजस्थान की जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकें और पुलिस जो आरक्षी विभाग के नाम से है, वह वास्तव में आरक्षी के रूप में प्रत्येक नागरिक इसको महसूस करे, इस तैयारी के साथ राजस्थान का पुलिस विभाग चल रहा है। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरी इस अपील को स्वीकार करते हुए वे, मैंने यह जो मांग रखी है उसको स्वीकार कराए। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : कारागार मंत्री महोदय।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपराध करने वाले और न्यायालय से सिद्धदोष, ऐसे सब बंदियों को कारागार में रखा जाता है और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे कारागार

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

में आ गया या वह बंद हो गया तो उसका जीवन समाप्त नहीं हो गया। इस नाते उस व्यक्ति का, जो हमारे यहां आया है, मानवीय विकास हम कैसे कर सकें और उसने जो अपराध अज्ञानता में किया है उस अज्ञानता से हम कैसे मुक्ति दिला सके, इस सब के लिए हमारा विभाग निरन्तर चाहे सुधारात्मक प्रयास हों, चाहे शिक्षा के प्रयास हों, उनकी प्रतिभा विकसित करके हम कैसे उनके मानवीय गुणों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात के लिए कारागार विभाग अपने प्रयास निरन्तर कर रहा है और आज मुझे यह बात कहते हुए बहुत खुशी है कि आज राजस्थान की जेलें भारत में इस बात के लिए ख्याति प्राप्त कर चुकी है और आज उनका उदाहरण दिया जाता है इस हिन्दुस्तान में कि अगर कहीं की जेलें देखनी है या कहीं के खुले शिविर देखने हैं या कहीं के बंदी शिविर देखने हैं तो वह राजस्थान की जेलों में जाकर देखें। यह सारा आज हम सब के लिए इसलिए संभव हुआ कि चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे सुरक्षा कर्मचारी हों, उन सबने निरन्तर प्रयास किया, उस वजह से यह सारी स्थिति आई है।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति बुरा होता है उसको भी अवसर दिया जाए तो वह महा मानव बन सकता है। यह हमारा एक नीति वाक्य है जिसको लेकर हम कारागार विभाग में अपने कामों को आगे गति के साथ करना चाहते हैं और इस नाते हमने कोशिश की है कि कारागार में हम लोगों को कैसे साक्षर करें, इस नाते हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम संपूर्ण रूप से, जिला स्तर की जेलों में कैदियों को साक्षर करें। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि निरन्तर शिक्षा चलती रहे, व्यक्ति का यहां आकर मानसिक विकास, शैक्षणिक विकास न रुक जाए, इसके लिए हम कारागार में यह कोशिश करते हैं कि उसकी शिक्षा निरन्तर चालू रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा के पिछले 5 वर्षों में हमने उच्च प्राथमिक परीक्षाओं में 186 बंदियों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराया है। ऐसे ही उच्च शिक्षा, मैट्रिक, एम. ए., इनमें करीब सैकड़ों की तादाद में हमारे यहां बंदी शिक्षित हुए हैं। इन सबकी फीस और पाठ्य पुस्तकों के लिए 32 हजार रुपये अभी हमारे विभाग ने खर्च किए हैं। यही नहीं, व्यक्ति के मानसिक और शैक्षणिक विकास के साथ–साथ वे अच्छे संस्कारयुक्त बनें इसके लिए उसके मन की शांति, क्योंकि व्यक्ति जेल में आता है तो वह अवसाद से ग्रस्त हो जाता है, व्यक्ति जेल में आता है तो वह निराशा में चला जाता है और उसके साथ कई ऐसे कुसंस्कार उसकी पृष्ठभूमि, उसके बैकग्राउण्ड की वजह से उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो हम उनको कैसे संस्कारयुक्त कर सकें इन सबके निरन्तर राजस्थान की जेलों में काम हो रहे हैं। इसके लिए हमारे यहां जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे वह रोटरी क्लब हो, चाहे लायंस क्लब हो, चाहे भारत विकास परिषद हो, चाहे श्रीराम सत्संग मण्डल हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्माकुमारी हो, जितनी भी संस्थाएं आज समाज में काम कर रही हैं उन सबका सहयोग लेकर हम चाहे यज्ञ के माध्यम से, चाहे प्रेक्षाध्यान के माध्यम से चाहे योग के माध्यम से, चाहे विपश्यना के शिविर आयोजित कराकर

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

इस तरह के बहुत सारे बहुआयामी काम करके यह कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति का विकास हम कर सकें, क्योंकि यह व्यक्ति समाज का एक उपयोगी व्यक्ति है, उसने किसी क्षण में, किसी कारण से अपराध कर दिया होगा, मगर वह समाज का उपयोगी नागरिक होकर निकले, वह समाज का उत्तरदायी नागरिक बने, इसके लिए हमने जेलों में स्काउट गाइड संस्था के माध्यम से कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं। इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास करने की हम कोशिश करते हैं और इन सबके पीछे जो भाव है वह यह है कि व्यक्ति का मन जब शांत होगा, व्यक्ति जब चित्त से शांत होगा तो निश्चित तौर से उसको यह महसूस होगा कि जो कुछ किया है, मैंने गलती की है तो वह फिर अनुशासन में रहेगा और इसी कारण अपने यहां जेलों का अनुशासन संयमित है। इन सबके बाद भी हम यह सोचते हैं कि यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उनका मन भी स्वस्थ रहेगा। उस व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए हमारी जितनी भी सेन्ट्रल जेलें हैं उनमें हमारी डिस्पेंसरीज चलती हैं, जिला स्तर पर हमने डाक्टर नियुक्त किए हुए हैं, नीचे तक हमने कम्पाउण्डर नियुक्त किए हुए हैं और यह कोशिश करते हैं कि हम कैसे उनको स्वस्थ रख सकें। इन सबके बाद भी समय-समय पर ऐसे कैम्प हम जेलों में लगवाते हैं जिनको हम कह सकते हैं चाहे आंखों का कैम्प हो, चाहे वह नाक, कान, गले की बीमारी का हो, चाहे अस्थमा का हो, ये सारे कैम्प हमने जेलों में लगवाए हैं। इसका एक सुपरिणाम यह आया है कि आज हमारे बंदी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक हैं, उनका मन भी ठीक हैं। यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता था, स्वास्थ्य, चिकित्सा के क्षेत्र में कई दफे ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं कि वहां ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आज इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि हमारे यहां कोई बंदी यदि गम्भीर रूप से बीमार हो जाता है तो चाहे कितनी भी राशि खर्च हो, सरकार और यह विभाग यह कोशिश करते है कि उसका इलाज कराया जाए। एक बन्दी वीरू, जिसा हृदय का वाल्व खराब हो गया था, के लिए 45 हजार रुपये इस विभाग ने देकर उसका वाल्व बदलवाया। एक बंदी नारायण पुरी के, जिसका पेस मेकर, जो 35 हजार रुपये का लगा था, वह लगाकर हमने उसको जिन्दा रखने की कोशिश की है। इसलिए इस नाते हम यह सब सोचते हैं।

हमारी जेलों के बारे में कई ऐसी भ्रांत धारणाएं हैं, कई ऐसी बसवनी बातें कही जाती हैं, लेकिन हमने जेलों को बहुत खुला किया है और खुला करने के साथ-साथ हमने यह सोचा हैं कि क्या हम और सुधार करें कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो सके। हमारे यहां जो जेलों के बारे में एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता था कि आटा गुथवाया जाता है, एक आरोप यह भी लगाया था कि लंगर में घोर धुएं में बंदियों को लगाया जाता है। उससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है। मैं आज आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने राजस्थान की जिला स्तर की सभी जेलों में गैस कनेक्शनों की व्यवस्था कर दी है और बड़े-बड़े गैस के चूल्हों पर बहुत अच्छी चपातियां, बहुत अच्छी सब्जी बनती है, जो आप देखकर दंग रह सकते हैं। यही

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

नहीं, इन सबके साथ व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराने की जेलों में पूरी व्यवस्था की गई है।

जहां तक मैं वस्त्रों की बात करूं, व्यक्ति जब सजा होकर हमारे पास आ जाता है तो निश्चित तौर पर उसका सारा रख-रखाव, उसकी सारी दिनचर्या और उसके सारे कार्यक्रम हम कैसे व्यवस्थित कर सकें इसके लिए वस्त्रों की महत्ती आवश्यकता होती है। देश की आजादी के बाद उनको जो वस्त्र मिलते थे वे अपर्याप्त होते थे। हमने पिछले वर्ष से उनके वस्त्रों में वृद्धि की है और आज मैं कह सकता हूं कि उनको डेढ़ गुना वस्त्र मिल रहे हैं। पहले वस्त्र जितने मिलते थे, अगर पहले दो पाजामे मिलते थे तो एक और बढ़ाया। पहले अगर एक बनियान मिलता था तो एक और बढ़ाया। इस तरह वस्त्रों में भी हमने वृद्धि की है।

जेलों को संचार माध्यमों से जोड़ने के लिए जिला स्तर की जेलों को हमने टेलीफोन से जोड़ा है। इन सबके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां बन्दी है उसका जीवन जैसे परिवार में रहना चाहिए वैसा अगर रहता है तो उसके मन में पश्चाताप, पश्चाताप तो आखिर अपराध किया है इसका होगा, मगर उसको यह तो महसूस होना चाहिए कि उसको जो मानवीय सुविधाएं मिलनी चाहिए वे मिल रही हैं। इस राजस्थान में वर्षों तक, आज हम जब आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं और आज जब उस स्थिति को 50 वर्ष हो गए हैं तो उसके स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं की। हमने यह कोशिश की कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन उसको मंजन की आवश्यकता है, व्यक्ति को सिर में और शरीर पर तेल लगाने की आवश्यकता है, व्यक्ति को इन सबके बाद नहाने के साबुन की आवश्यकता है, व्यक्ति को कपड़े धोने के लिए साबुन की आवश्यकता है, ये तेल, साबुन और मंजन इस सरकार ने जेलों में लागू किए हैं और जो दण्डित दोषी हैं, जो सिद्धदोष बन्दी हैं उन सबको यह मिलता है।

इन सबके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्ति में बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। उन प्रतिभाओं को जिन्दा रखने के लिए हमारी जेल में जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति के लिए हम यह चाहते हैं कि वह व्यस्त रहे, चाहे वह अध्ययन के माध्यम से रहे तो हमने अच्छी लाइब्रेरियां सेन्ट्रल जेलों में स्थापित कर रखी हैं जहां वह अपना अध्ययन करता है, उसको पढ़ने के लिए समाचार-पत्र मिलते हैं। इन सबके बाद उसमें और गुण कैसे आ सकें, व्यक्ति की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, व्यक्ति तनाव से मुक्त हो तो अगर उसको संगीत का शौक हो तो उसको संगीत भी सिखाते हैं, वाद्य यंत्र भी उपलब्ध कराते हैं। मैं आज आपको एक जानकारी देना चाहता हूं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब तो आप जाने के लिए प्रोत्साहित हो जाओ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल ही जेल का निरीक्षण करके आया। जो माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं,

(श्री श्रवण कुमार)

वह वास्तव में आधा असत्य कह रहे हैं। मैं कल जेल में जाकर देखकर आया हूं। वहां बड़ी दयनीय स्थिति है। इनको क्या पता है, ये सरासर असत्य बोल रहे हैं।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : हमारे यहां छह सेन्ट्रल जेलें हैं। उन सेन्ट्रल जेलों में....

श्री शिवनाथ सिंह : ऐसा लगता है सोनगरा जी ने पूरी तैयारी करली है सत्ता पक्ष को जेल में ले जाने की। ऐसा लगता है इसलिए पूरे साधन जुटा रहे हैं।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आप आन्दोलन करते हैं इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह चांस अगर आप लेना चाहो तो लो, अगर नहीं लोगे तो पछताओगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इतनी सुविधाएं मत बढ़ाइए, अपराध बढ़ जाएंगे।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : वहां भी हममें से ही, इसी समाज के बंधु आते हैं। उनकी चिन्ता करना भी अपना ही दायित्व है।

राजस्थान में छह सेन्ट्रल जेलें हैं। इन छह सेन्ट्रल जेलों में आप यह देखेंगे कि हमने बैण्ड स्थापित किए हैं और आज हमारी जेलों के बैण्ड एक चर्चा का विषय है और बहुत अच्छी धुनें वे बजाते हैं। इन सबके बाद भी हमने बंदियों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किये हैं। इस सरकार ने बंदी कल्याण के लिए हर बजट में राशि उपलब्ध करायी है और उसके माध्यम से, क्योंकि जितनी सेन्ट्रल जेलें हैं, जितनी जिला जेल हैं उनमें टी. वी. उपलब्ध कराए हैं, टेपरिकार्डर भी उपलब्ध कराए हैं, खेलकूद का सामान भी उपलब्ध कराया है और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वे समाज से जुड़े रहें, समाज की गतिविधियों से जुड़े रहें और उनकी स्वाभाविक प्रक्रियाएं चलती रहें इसके लिए उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कराते हैं। आज सारे देश में इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती है कि देश में वृक्षारोपण हो, देश हराभरा बने। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप निर्भीकता से आंदोलन करो और जेल में जाने की तैयारी करो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप और सुविधा जुटा लो, आपको ही जाना है जेलों में। (व्यवधान) आप और सुविधाएं बढ़ा लो, कूलर भी लगा लो उसमें। फिर यह मत कहना कि हमने हमारी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा था। जो चाहे वह कर लो। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपको बधाई हो। जेलों को तो आप स्वर्ग बना रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप अपनी जेल की सफाई तो करा दो। आपके ही काम आएगी जेल। हम तो जेल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सोचें कि आप कौनसी जेल में जाओगे। (व्यवधान)

(22.00 बजे)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम व्यक्ति के विकास को सुसंस्कृत करने में, उसको संस्कारित करने में, उसको शिक्षित करने में कर रहे हैं, वहां वह उद्यमी बने, वह काम-धन्धे के लायक बने, इस सबके लिए भी जेलों में हमने कई ऐसे उद्योग चला रखे हैं जो दरी, निवार जेलों के नाम से मशहूर थे, उससे भी अलग हटकर हमने जेलों में पावरलूमें लगाई हैं, हमारी जेलों में कम्बल बनाने की पावरलूमें लगायी हैं। उन पावर-लूमों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वर्दी का टेरीकोट का कपड़ा हमारे बन्दी बनायें और वह अपना जो वस्त्र पहनता है वह भी बनाये। इस सबके बाद जो कम्बलों की आवश्यकता है, जेलों में वह कम्बल बनें। एक तरह से हमने कोशिश की है कि हम जेलों को आत्मनिर्भर बना सकें। इन सबके लिए यह सारी योजनाएं हाथ में ली हैं।

इन सबके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बीकानेर जेल में ऐसे गलीचे और कालीन बनते हैं जिनकी आज पूरे देश और विश्व में चर्चा है और इसके लिए आप चाहें तो अप्रेल 6, 1998 की इण्डिया टुडे पढ़ लें जिसने बहुत ही बढ़िया इस सन्दर्भ में लेख दिया है। उसने हमारी जो बीकानेर की जेल में गलीचे बनते हैं, उनके बारे में लिखा है।

इन सबके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जेल में जो बन्दी आते हैं, आप जयपुर की सैन्ट्रल जेल में पधारें, मैं आप सबको आमन्त्रित करता हूं, आप देखें कि वहां किस तरह से काम हो रहे हैं। आप काम को देखें कि आज बन्दियों ने कितने सुन्दर आदमकद चित्र बनाये हैं। आज उन सबकी चर्चा पत्र-पत्रिकाओं में आती है। मैं जो इण्डिया टुडे की बात कर रहा था, मई 25, 1998 का इण्डिया टुडे का अंक आप देखें, उसमें यह लेख छपा है और पूरा देश इस बात को पढ़ रहा है।

इस सबके बाद भी हमने यह कोशिश की है कि राजस्थान में जो महिला बन्दी हैं उनको हम कैसे प्रशिक्षित कर सकें, इस नाते उनको सिलाई का डिप्लोमा समाज कल्याण के सहयोग से दे रहे हैं। यह एक साल का कोर्स है और इस नाते उन 25 महिलाओं को एक साल बाद सिलाई का डिप्लोमा मिल जाएगा और वह टेलरिंग में एक तरह से पारंगत, प्रशिक्षित हो जाएंगी। इसके अलावा जब वह छूटेंगी तो उनको एक-एक सिलाई मशीन भी साथ में देंगे। यही नहीं, इस सबके बाद भी ...

श्री अमराराम (धोद) **:** नीमकाथाना और झुन्झुनूं की जेल में जेलर ने जो किया वह भी बता दो।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मैं आ रहा हूं। माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गलतियां...(व्यवधान)...मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यहीं तक नहीं सोचा है, हम निरन्तर इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात की जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आगामी 15 अगस्त, 1998 से हम जेल में कम्प्यूटर का कोर्स बन्दियों को करायेंगे और उसके लिए हमारे डी.जी. दुग्गल साहब ने बम्बई की एक संस्था स्टारलाइट फाउंडेशन से बात की है। 15 अगस्त, 1998 से यह कोर्स जेल में प्रारम्भ

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

हो जाएगा। यह इतना अभिनव कार्यक्रम है क्योंकि आज तक देश की किसी जेल में प्रारम्भ नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सबके बाद भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्ति जो हमारा जेल में आया है वह समाज के लिए निरर्थक नहीं हो जाए, वह समाज के लिए बेकार न हो जाए, उसके मन में निराशा नहीं आ जाए और वह उस निराशा के भाव से ग्रसित नहीं हो जाए, इस समाज के साथ वह आत्मसात होता रहे, यह बात तो जरूर है कि इस समाज से दूर रखने की व्यवस्था जेल है, लेकिन हमारी जेलों को इतना खुला किया है कि व्यक्ति समाज के साथ आत्मसात हो जाए। इसके लिए हमने राजस्थान में 6 खुले बन्दी शिविर स्थापित किये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यहां ये बन्दी चाहे वह सांगानेर खुला शिविर हो, चाहे दुर्गापुरा हो, चाहे और जहां कहीं भी हो, वहां वह अपनी आय करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वह अपनी आय करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं और पिछले दिनों जब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इस जयपुर की धरती पर आये थे तो वह खुला बन्दी शिविर में गये थे। उन्होंने जब बन्दियों से पूछा तो बताया गया कि दो बन्दी हमारे खुला बन्दी शिविर में स्वअर्जित आय इतनी करते हैं कि हम इन्कम टैक्स देते हैं। यह अपने आपमें देश में एक अनूठा उदाहरण है।

इस सबके बाद भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जेलों के आधुनिकीकरण के लिए भी हमने बहुत प्रयास किये हैं। इस आधुनिकीकरण में आप देखेंगे कि हमने क्लोज टी.वी. सर्किट जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में स्थापित किये हैं जहां से बैठे-बैठे किसी भी कैदी की, किसी भी बन्दी की गतिविधि मालूम कर सकते हैं। यह जेलों का आधुनिकीकरण हमने किया है।

इस सबके बाद भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान की जेलें ही हैं देश में जिन पर भारत सरकार विश्वास कर सकती है। आज मुझे यह बात कहते हुए गर्व है कि राजस्थान की इन जेलों में चाहे पंजाब के आतंकवादी हों, चाहे जम्मू-कश्मीर के आतंकवादी हों, चाहे असम के अलगाववादी हों, चाहे मिजोरम के पृथकतावादी हों, इस तरह के जितने भी खतरनाक बन्दी हैं उनको अगर कहीं विश्वास के साथ भारत सरकार भेजती है तो वह राजस्थान की जेलों में भेजती है और देश के ऐसे खतरनाक बन्दी राजस्थान की जेलों में हैं। यह राजस्थान की जेलों की पैठ और विश्वसनीयता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जगह कम पड़ जाएगी, ज्यादा प्रोत्साहित हो जाएंगे लोग।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : अब आप कह रहे हैं कि जगह कम पड़ जाएगी। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने हमको बहुत बड़ी राशि दी है और हम उदयपुर और भरतपुर की दो जेलों को अतिसुरक्षित जेलें बना रहे हैं। आप इस बात की चिन्ता नहीं करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह वर्ष स्वर्ण जयन्ती वर्ष है और इस नाते,

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

आजादी के इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष की अपनी बहुत बड़ी महत्ता है । आजादी से लेकर....

श्री राजेन्द्र पारीक : स्वर्ण जयन्ती वर्ष में जितनी भर्ती करनी है, करो ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : तो राजस्थान की सरकार ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार एक योजना हाथ में ली कि स्वर्ण जयन्ती वर्ष में बन्दियों को रिहा किया जाए और 109 बन्दियों को इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में विशेष रियायतें देकर आजाद किया । यह स्वर्ण जयन्ती वर्ष के उपलक्ष में बन्दियों को हमारी तरफ से हमने एक तोहफा दिया ।

इस सबके बाद हमने कर्मचारियों के लिए, बन्दियों के लिए, सबके लिए बहुत सारे काम किए हैं । इस सबके बाद अगर मैं यह बात नहीं करूं... (व्यवधान)....मैं इस सबके बाद सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक मिनट शांति से सहयोग करें । अपनी जेलों में, अपने राजस्थान की जेलों में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय एम.एन. वेंकटचलैया जी, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश भी रहे, वह 30.10.97 को यहां जयपुर सेन्ट्रल जेल में पधारे थे तो उन्होंने इस जेल को देखने के बाद वहां विजिट बुक में क्या लिखा, वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : वहां पर रहने की इच्छा जाहिर की क्या ?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मेरी बात शांति से सुनो । आपके राजस्थान के गौरव की बात कर रहा हूं मैं...(व्यवधान)... उन्होंने लिखा—"यह एक ऐसा संस्थान है कि जहां बन्दियों के जीवन एवं नजरिये में परिवर्तन लाने हेतु अर्थपूर्ण मानवीय विकास के वास्तविक प्रयास हो रहे हैं ।" इसके बाद उन्होंने लिखा है—"बन्दियों में प्रतिभा एवं सृजनशीलता के भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं । विभाग के गम्भीर प्रयासों से मैं प्रभावित हुआ हूं । बन्दियों को प्रशिक्षित कर भविष्य के लिए उनमें विश्वास पैदा किया जा रहा है । जेल विभाग की समस्याओं के बारे में खुला और विकसित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है । वस्तुतः यह बहुत ही प्रशंसनीय मेरी यात्रा रही, मेरा अनुभव रहा ।" इसी तरह से इसके पहले....

श्री किशन मोटवानी : माननीय मंत्री जी, अंग्रेजी में लिखा था या हिन्दी में ? हिन्दी तो जानते ही नहीं । आपने हिन्दी की है क्या उसकी ? अंग्रेजी पढ़ लें आप । वह हिन्दी नहीं जानते ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : यह हिन्दी अनुवाद है जो अभी मैं बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : सारांश यही है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कुछ लोगों को तो विधान सभा की बजाय वहां ही जाना पड़ेगा ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र, जो वेंकटचलैया जी के पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, उनकी टिप्पणी क्या थी जेल के बारे में, वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : वहां शाखा तो नहीं लगा रहे हो ? माननीय उपाध्यक्ष

(268)

(श्री राजेन्द्र पारीक)

महोदय, इतनी सुख-सुविधाएं जुटा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर कोई आप शाखा लगा रहे हो।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अब जेलों में शाखा लगाओगे (व्यवधान)....

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने 24.3.96 को जयपुर सैन्ट्रल जेल का विजिट किया तो लिखा है कि-"मैंने कुछ बन्दियों को योगिक क्रिया, भजन में भागीदारी (व्यवधान).... उनके व्यक्तिगत संगीत एवं संवाद को सुना व देखा है। बन्दियों में रचनात्मक सुधार हेतु गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं।" यह रंगनाथन जी की टिप्पणी थी।

आज बहुत बातें होती हैं महिलाओं को लेकर, कई तरह की चर्चाएं जब से सदन चल रहा है, महिलाओं को लेकर बहुत की जाती रही हैं और मैं महिला आयोग के अध्यक्ष की टिप्पणी जेलों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमती मोहिनी गिरि जी हमारे यहां विजिट करने जयपुर सैन्ट्रल जेल पधारी थीं तो उन्होंने लिखा है-"आज मुझे विश्वास नहीं होता है कि कारागर घर की तरह लगे, ऐसा प्रावधान महिलाओं के लिए उपलब्ध है जिससे महिलाओं की मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। मैं कामना करती हूं कि भारत के सभी कारागार इसी स्तर के हों।" यह है हमारे राजस्थान की जेलों की स्थिति। यह किसी राजनैतिक व्यक्ति ने नहीं दी है, यह कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। यह राजस्थान के लिए जो टिप्पणी दी गई है न्यायमूर्तियों के द्वारा, यह मैंने सामने रखी है और मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय भाटी साहब....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ....और छात्रावास की टिप्पणी पर भी तो सोचो।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आप भी मंत्री रहे थे थोड़े से दिनों के लिए मगर आज आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि जो आप छोड़कर गये हैं उनको तेजी के साथ काम हमने बढ़ाया है, हमारे अधिकारियों ने बढ़ाया है, हमारे सुरक्षाकर्मियों ने बढ़ाया है। ये सुरक्षाकर्मी शिक्षक का भी काम करते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको बहुत-बहुत बधाई, बजट कितना है फरमाओ ना।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : इस नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपकी जोधपुर जेल के बारे में क्या लिखकर गई हैं, यह भी सुनो....(व्यवधान)....

मैं बजट की घोषणाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वर्तमान में विभाग के प्रहरी एवं मुख्य प्रहरी को देय मैस भत्ता 210 रुपये से बढ़ाकर 300रुपये प्रति माह 1.8.98 से किया जा रहा है और इसमें 90 रुपये की वृद्धि की है। कारागार कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि में साढ़े 7लाख रुपये तथा बन्दी कल्याण कोष में साढ़े 7 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसी तरह अजमेर स्थित कारागार प्रशिक्षण संस्थान एवं बोस्टल स्कूल में 1.80 लाख रुपये के गैस कनेक्शन स्थापित किये जायेंगे। कारागार में पानी की व्यवस्था हेतु साढ़े सात लाख रुपये तथा शौचालय एवं स्नानघर हेतु साढ़े सात लाख रुपये दिये जा रहे हैं। इन सबके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्ति जैसे

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

घर में रहता है, जेल में भी उसको थोड़ी बहुत सब चीजें उपलब्ध हों तो प्रातः काल की चाय तो दी जाती थी और आज के बाद सायंकालीन चाय देने की भी हम घोषणा करते हैं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री राजेन्द्र पारीक : जेलों में अब सामूहिक विवाह के बारे में भी तो कहो।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : उपाध्यक्ष महोदय से और सभी माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विभाग के लिए जो मांग रखी गयी है बजट की, उसको स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करावें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष विकलांग बन्धुओं के लिए एक आई.टी.आई. की स्थापना की गई थी। इस बार सर्वश्रेष्ठ जेल में एक आई.टी. आई. की स्थापना की जायेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : लगता है कि आर.एस.एस. की शाखा लगाने का पक्का मन है आपका. (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

मांग संख्या 16 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,97,02,32,000/- (पांच अरब सत्तानबे करोड़ दो लाख बत्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,59,52,000/- (छब्बीस करोड़ उनसठ लाख बावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 1998 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 22.15 बजे, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 27 की सूची)

1996–97 में जिन विभागों द्वारा संशोधित अनुमानों की तुलना में एक करोड़ से अधिक व्यय किया गया, उनकी सूची

1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
2. भू–जल विभाग
3. समाज कल्याण विभाग
4. उद्योग विभाग
5. गृह विभाग
6. खान एवं भू–विज्ञान विभाग
7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
8. राजस्व विभाग
9. सार्वजनिक निर्माण विभाग
10. विधि विभाग
11. सिंचाई विभाग

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राजस्थान देशीय चिकित्सा बोर्ड का निर्वाचन प्रकरण

32. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) : क्या आयुर्वेदिक राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर बोर्ड का नियमानुसार सामान्य निर्वाचन द्वारा पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बोर्ड का निर्वाचन जून, 1971 में 5 वर्ष के लिये हुआ था ? यदि हां, तो इसके बाद इसका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया और किसके आदेश से ?

(3) क्या यह सही है कि बोर्ड के निर्वाचन का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त निर्वाचित बोर्ड को सरकार ने भंग कर दिया था ? यदि हां, तो कब और किस कारण ?

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार ने बोर्ड के सामान्य निर्वाचन नहीं कराकर मनोनयन द्वारा बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है, जबकि उक्त अधिनियम में मनोनयन द्वारा सम्पूर्ण बोर्ड का पुनर्गठन करने का प्रावधान ही नहीं है ?

(6) क्या सरकार नियम विरुद्ध गठित किये गये उक्त बोर्ड को तत्काल भंग कर बोर्ड का निर्वाचन कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प. 8 (23) चि./स्वा./72 दिनांक 16.7.76 द्वारा बोर्ड की अवधि दिनांक 10.6.76 से 19.9.79 तक बढ़ाई गई थी ।

(3) जी, नहीं ।

(4) जी, हां । राज्य सरकार ने राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के अन्तर्गत गठित बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसन राजस्थान की अधिनियम 53के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने के कारण अधिसूचना क्रमांक एफ 8 (8) आयुर्वेद/87 दिनांक 5.10.87 द्वारा भंग कर दिया था ।

(5) राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 7 के अन्तर्गत बोर्ड का गठन किया गया है ।

(6) जी, नहीं । बोर्ड का गठन नियमानुसार किया गया है । भंग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

पर्यटन निगम द्वारा संचालित होटल्स/मिडवे

33. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(272)

(श्री परसादीलाल मीणा)

(1) राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा कुल कितने होटल्स व मिडवे संचालित किए जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त होटल्स एवं मिडवे में से किस–किस को लाभ एवं हानि की क्या स्थिति रही ? मिडवेवार लाभ व हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि निगम ने इस आशय का कोई सर्वे किया है कि निगम की कौन–कौनसी गतिविधियां देश के पर्यटन विकास में कितना–कितना योगदान कर रही है ? यदि हां, तो कब व किस रूप में और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य में कुल 35 होटल्स एवं 15 मोटल्स संचालित किये जा रहे हैं । सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है ।

(2) गत तीन वर्षों में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटल्स व मिडवे के लाभ व हानि का विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है ।

(3) सर्वे नहीं किया गया है । लेकिन राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित शाही रेलगाड़ी अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन बाजार में अत्यधिक प्रसिद्धि लिये हुए हैं, जिससे राजस्थान प्रदेश का नाम विश्व पर्यटन मानचित्र पर उभरा है । साथ ही निगम द्वारा प्रदेश के विभिन्न इलाकों में नई इकाईयां समय–समय पर खोली गई है, जिससे प्रदेश में उक्त स्थानों का पर्यटन की दृष्टि से विकास हुआ है ।

परिशिष्ट–"अ"

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में संचालित होटल्स की सूची

क्रम संख्या	होटल का नाम
1	2
1.	गणगौर, जयपुर
2.	स्वागतम, जयपुर
3.	तीज, जयपुर
4.	झील टूरिस्ट, विलेज, रामगढ़
5.	टूरिस्ट होटल, जयपुर
6.	खादिम, अजमेर
7.	सरोवर, पुष्कर
8.	टूरिस्ट विलेज, पुष्कर

1	2
9.	खिदमत, अजमेर
10.	गोकुल, नाथद्वारा
11.	कजरी, उदयपुर
12.	गवरी, ऋषभदेव
13.	शिल्पी, रणकपुर
14.	पन्ना, चित्तौड़गढ़
15.	शिखर, माउन्ट आबू
16.	मूमल, जैसलमेर
17.	समढ़ाणी, जैसलमेर,
18.	चम्बल, कोटा
19.	घूमर, जोधपुर
20.	सारस, भरतपुर
21.	टाइगर डैन, सरिस्का
22.	लैक पैलेस, सिलिसेढ़
23.	झूमर बावड़ी, सवाईमाधोपुर
24.	विनायक, सवाईमाधोपुर
25.	ढोलामारू, बीकानेर
26.	चन्द्रावती, झालावाड़
27.	हवेली, फतेहपुर
28.	वृन्दावती, बून्दी
29.	चेतक रैस्ट हाउस, हल्दीघाटी
30.	मीनल, अलवर
31.	पणिहारी, पाली
32.	यात्रिका, नाथद्वारा
33.	कुरंजा, नागौर
34.	खड़ताल, बाड़मेर
35.	जयसमन्द, उदयपुर (अनुबन्ध पर)

(274)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में संचालित मोटल्स की सूची

क्रम संख्या	मोटल का नाम
1.	मोटल, बहरोड़
2.	मोटल, महुआ
3.	मोटल, देवगढ़
4.	मोटल, रतनपुर
5.	मोटल, पोकरण
6.	मोटल, गुलाबपुरा
7.	मोटल, शाहपुरा
8.	मोटल, रतनगढ़
9.	मोटल, धौलपुर
10.	मोटल, वैर
11.	मोटल, डीग
12.	मोटल, दौसा
13.	मोटल, देवली (लाइसेन्स पर)
14.	मोटल, गोगुन्दा (लाइसेन्स पर)
15.	मोटल, बालोतरा (लाइसेन्स पर)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में संचालित होटल्स एवं मोटल्स की सूची एवं गत तीन वर्षों की परिचालित लाभ हानि की स्थिति का विवरण

		परिचालित लाभ/हानि (वर्षवार)		(रुपये लाखों में)
क्र.सं.	होटल/मोटल का नाम एवं स्थान	1995–96	1996–97	1997–98 (अनुमानित)
1	2	3	4	5
	होटल्स			
1.	होटल गणगौर, जयपुर	+88.23	+68.86	+77.19
2.	होटल तीज, जयपुर	+54.20	+59.21	+46.43
3.	स्वागतम, जयपुर	+15.89	+ 8.36	+ 9.65
4.	होटल खादिम, अजमेर	+45.15	+65.60	+52.48

275

1	2	3	4	5
5.	होटल कजरी, उदयपुर	+24.37	+27.66	+32.13
6.	शिखर, माउन्ट आबू	+13.48	+17.37	+14.35
7.	होटल मूमल, जैसलमेर	+25.20	+18.03	+21.17
8.	होटल घूमर, जोधपुर	+97.26	+59.30	+61.38
9.	टाइगर डैन, सरिस्का	+ 8.31	+ 8.44	+12.14
10.	होटल लैक पैलेस, सिलिसेढ़	— 0.48	— 2.23	+ 2.62
11.	होटल, झूमरबावड़ी, सवाईमाधोपुर	+ 5.08	+ 4.88	+ 3.89
12.	होटल सरोवर, पुष्कर	+ 8.74	+ 6.36	+ 1.95
13.	होटल पन्ना, चित्तौड़गढ़	+ 9.28	— 0.14	+ 2.03
14.	होटल चम्बल, कोटा	+30.64	+28.64	+27.74
15.	होटल सारस, भरतपुर	+13.12	+ 6.22	+ 6.16
16.	हो. विनायक, स.माधोपुर	+ 3.26	+ 5.37	+ 2.36
17.	हो. ढोलामारू, बीकानेर	+15.43	+ 8.49	+12.78
18.	हो. हवेली, फतेहपुर	+ 2.73	+ 0.87	+ 3.13
19	होटल मीनल, अलवर	+12.53	+ 4.10	+ 6.47
20.	होटल गवरी, ऋषभदेव	+ 1.07	— 0.10	+ 2.08
21.	होटल टूरिस्ट, जयपुर	+19.95	—52.38	+23.43
22.	झील पर्यटक ग्राम, रामगढ़	— 2.72	— 5.67	— 3.08
23.	पर्यटक ग्राम, पुष्कर	+ 0.48	— 3.16	— 0.41
24.	होटल गोकुल, नाथद्वारा	+ 2.22	— 0.10	+ 1.91
25.	होटल शिल्पी, रणकपुर	— 0.26	— 0.69	+ 1.44
26.	होटल चन्द्रावती, झालावाड़	— 0.03	— 1.84	— 1.13
27.	होटल वृन्दावती, बून्दी	+ 1.19	+ 0.90	— 0.02
28.	होटल खिदमत, अजमेर	+ 3.15	+ 1.94	+ 0.72
29.	होटल समढ़ाणी, जैसलमेर	+ 0.70	+ 0.07	+ 1.21
30.	होटल पणिहारी, पाली	+ 5.23	+ 7.48	+ 5.05
31.	होटल कुरंजा, नागौर	—	— 1.37	+ 2.23

(276)

1	2	3	4	5
32.	होटल खड़ताल, बाड़मेर	—	— 0.51	+ 2.38
33.	होटल चेतक रेस्ट हाउस, हल्दीघाटी	— 0.27	— 1.27	— 0.45
34.	होटल यात्रिका मंगरा, नाथद्वारा	—	— 0.27	— 1.05
35.	होटल जयसमन्द (अनुबन्ध पर)			
मोटल्स				
1.	मोटल, बहरोड	+ 34.04	+ 47.90	+ 47.75
2.	मोटल, महुआ	+ 1.51	— 0.12	+ 4.78
3.	मोटल, पोकरण	+ 0.64	— 3.72	— 3.25
4.	मोटल, रतनगढ़	— 0.99	— 2.75	— 2.19
5.	मोटल, देवगढ़	— 0.31	— 1.00	+ 0.35
6.	मोटल, शाहपुरा	+ 1.79	+ 0.13	+ 2.50
7.	मोटल, धौलपुर	+ 0.45	— 2.45	— 0.96
8	मोटल, बर	— 0.42	— 2.60	+ 4.72
9.	मोटल, रतनपुर	+ 4.37	+ 9.04	+ 7.20
10.	मोटल, गुलाबपुरा	+ 4.59	+ 4.70	+ 5.03
11.	मोटल, दौसा	—	— 1.51	— 1.71
12.	मोटल, डीग	— 2.04	— 3.04	— 2.06
13.	मोटल, देवली (लाइसेन्स पर)			
14.	गोगुन्दा (लाइसेन्स पर)			
15.	मोटल, बालोतरा (लाइसेन्स पर)			

राजमार्गों पर संचालित निगम की बसों से प्राप्त यात्री कर

34. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने प्रतिशत राज मार्गों पर वर्तमान में परिवहन निगम की बसें संचालित हैं तथा राजमार्गों पर निगम की बसें संचालित होने से गत तीन वर्षों में औसतन कितनी कितनी राशि यात्री कर के रूप में प्राप्त हुई ?

(श्री विष्णु मोदी)

(2) राजमार्गों पर अवैध वाहनों के संचालन को रोकने के संबंध में क्या कारगर कदम उठाये गये हैं?

(3) गत तीन वर्षों में अनधिकृत शेष मार्गों पर चलने वाली निजी वाहनों से यात्री कर के रूप में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है?"

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य के कुल 22.33 प्रतिशत सड़क मार्गों (राष्ट्रीयकृत) पर राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसें संचालित हैं। निगम द्वारा गत तीन वर्षों में यात्री कर (विशेष पथ कर) के रूप में निम्नानुसार राशि राजकोष को जमा कराई गई है :–

वर्ष	विशेष पथ कर की जमा कराई गई राशि (लाखों में)
1995–96	5202.38
1996–97	4914.19
1997–98	6352.00 (प्रोवीजनल)

(2) वाहनों के अवैध संचालन की रोकथाम हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये हैं :–

1– जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने पर बल दिया गया है। इसी प्रकार सम्भागीय स्तर पर संभागीय आयुक्त एवं उप महानिरीक्षक (पुलिस) को अपने मार्ग दर्शन में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को जिलों में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु कहा गया है।

2– वाहनों की चैकिंग हेतु विशेष जांच अभियान चलाये जाते हैं। माह अगस्त, 1995 से सभी जिलों में प्रतिमाह 7 से 10 दिन तक वाहनों की जांच हेतु संयुक्त अभियान चलाया जाता है, जिसमें पुलिस, परिवहन, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

3– वाहनों की नियमित चैकिंग भी की जाती है। इस हेतु परिवहन विभाग के मुख्यालय एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों के अधीनस्थ तैनात उड़नदस्तों द्वारा वाहनों की सतत् जांच की जाती है। वित्तीय वर्ष 1997–98 में मार्च, 98 तक कुल 875697 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 184311 वाहनों के विरुद्ध चालान बनाये गये तथा 30,875 वाहन सीज किये गये। इस अवधि में वाहनों से कर एवं कम्पाउंडिंग राशि के रूप में 59.08 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई।

4– वर्ष 1998–99 में 15 से 30 अप्रैल तक विशेष संयुक्त चैकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में 13604 वाहन चैक किये गये। 5454 वाहनों के चालान बनाये गये, 2403 वाहन सीज किये गये ऐसे वाहनों के इस अभियान से 50,91

(राज्य मंत्री, यातायात)

लाख रुपये की राशि वसूल की गई। इसी प्रकार माह मई, 1998 में एक सप्ताह का विशेष चैकिंग अभियान चलाया जाकर 5000 वाहन चैक किये गये 2128 चालान बनाये गये तथा 20.01 लाख रुपये की राशि वसूल की गयी।

(3) प्रश्न का तात्पर्य स्पष्ट नहीं है, क्योंकि राज्य में कोई अनधिकृत मार्ग नहीं है। वाहनों का संचालन अवैध रूप से पाये जाने पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में वाहनों पर यात्री कर लागू न होकर विशेष पथ कर लागू है। अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाले निजी वाहनों से गत तीन वर्षों में प्राप्त की गयी विशेष पथकर की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	प्राप्त की गई विशेष पथकर की राशि (रुपये लाखों में)
1995–96	2882.54
1996–97	3347.49
1997–98	3683.61

डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्र में शराब की दुकानें

35. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार डूंगरपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र में शराब की सरकारी दुकानें बन्द करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं।

अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनुसूचित जाति कारपोरेशन से ऋण अनुदान

36. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति कारपोरेशन से विभिन्न योजना (ट्रक, ट्रेक्टरों, बसों, अन्य वाहनों तथा निजी उद्योगों) के लिये ऋण/अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत किन-किन निजी उद्योगों, वाहनों के लिये कितना कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जिस प्रकार ऋण/अनुदान देती है उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भी ऋण/अनुदान देती है ? यदि हां, तो किस किस उद्योग व साधन के लिये कितना-कितना और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम से विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों एवं अन्य आर्थिक कार्यक्रमों के लिये ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। एन. एस. एफ. डी. सी. योजनान्तर्गत ट्रेक्टर्स एवं अन्य वाहनों के लिये इकाई की कुल लागत का 85 प्रतिशत ऋण एवं 10 प्रतिशत निगम स्तर से मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाता है, शेष 5 प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है अनुदान की अधिकतम सीमा रु. 6000/– है, गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को ही अनुदान दिया जाता है अनुदान की राशि मार्जिनमनी में सम्मिलित है।

(2) अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी अनुसूचित जाति के परिवारों की तरह ही एन. एस. डी. सी. योजनान्तर्गत ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु जिलेवार लक्ष्य आबंटित किये जा चुके हैं।

व्यावसायिक शिक्षा योजना को आबंटित बजट

37. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा योजना पर कितना-कितना बजट आबंटित किया गया ? वर्षवार बजट आबंटन तथा वास्तविक व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत गत तीन वर्षों में कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया तथा कितने-कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के प्रारम्भ से अब तक आबंटित बजट का पूर्ण उपयोग नहीं होने तथा पर्याप्त स्टाफ व साधन विद्यालयों को मुहैया नहीं कराये जाने के कारण उक्त योजना अव्यावहारिक होने से राज्य सरकार ने आगामी शिक्षण सत्र से विभिन्न चरणों में इस योजना को बन्द करने का निर्णय लिया है तथा शिक्षण सत्र 1998–99 से 11वीं कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश बन्द करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा का अध्यापन कार्य अंशकालीन अध्यापकों से करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त योजना बन्द कर देने से वे बेरोजगार नहीं हो जाएंगे ? क्या सरकार अंशकालीन अध्यापकों को राज्य में शिक्षक/व्याख्याताओं के पदों पर नियुक्ति के समय उनके द्वारा की गयी सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट तथा नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) व्यवसायिक शिक्षा योजना मद में गत 3 वर्षों में निम्न प्रकार के बजट

(शिक्षा मंत्री)

आबंटन किया गया तथा राशि व्यय की गई है :-

वर्ष	आबंटित राशि	व्यय की गई राशि
95-96	757.49 लाख	490.02 लाख
96-97	420.99 लाख	504.95 लाख
97-98	131.29 लाख	485.06 लाख

पूर्व वर्षों के बजट को आगे ले जाने के प्रावधानों के फलस्वरूप आबंटन के विरुद्ध उक्त तीन वर्षों में अधिक व्यय हुआ है।

(2) व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत गत 3 वर्षों में प्रवेश लेने वाले एवं उत्तीर्ण हुए छात्रों का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	प्रविष्ठ छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या
94-95	7922	3988
95-96	9663	5371
96-97	11124	6609

(3) आबंटित बजट लगभग व्यय किया गया है तथा जिन विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है उन विद्यालयों को आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध करवाये जाकर साजोसामान से सुसज्जित किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा संचालन के अनुभव से पाठ्यक्रम पूर्ण करलेने के बाद छात्रों के शैक्षणिक क्षेत्र की ओर ही रुझान होने, बी. एस. टी. सी. में प्रवेश के लिये अधिक रुचि रखने तथा स्वरोजगार की ओर अभिमुख नहीं होने की प्रवृत्ति देखी गयी। भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में ऑपरेशन रिजर्व ग्रुप द्वारा मूल्यांकन करवाया गया। इस ग्रुप द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की सिफारिश की गई। अतः इस योजना को विभिन्न चरणों में बन्द किया जाकर इस योजना में उपलब्ध राशि का उपयोग तकनीकी शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़िकरण हेतु लिया जायेगा। इस निर्णय के फलस्वरूप सत्र 98-99 में कक्षा 11वीं में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4) व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के वाणिज्य, कृषि विज्ञान तथा गृह विज्ञान आधारित पाठ्यक्रमों के अध्यापन की व्यवस्था सम्बन्धित विषय अध्यापकों/व्याख्याताओं द्वारा की गई। शेष विषयों हेतु एक वर्ष में रुपये 80/-प्रति घण्टा मानदेय के हिसाब से 200 घण्टे के कालांश अध्यापन की व्यवस्था सम्बन्धित विषय में दक्षता रखने वाले सेवानिवृत अध्यापकों/व्याख्याताओं तथा अन्य दक्ष व्यक्तियों से छात्र/छात्राओं का अध्यापन करवाये जाने का प्रावधान है। अंशकालीन अध्यापकों के राज्य सेवा में नियुक्ति के समय आयु सीमा में छूट प्रदान करने तथा प्राथमिकता दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति के कनिष्ठ लिपिकों का पदोन्नति प्रकरण

38. **श्री रामकिशन वर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति तथा जिला परिषदों में 20 वर्ष तक कनिष्ठ लिपिक पद का कार्य करते रहने पर उन्हें उच्च लिपिक बनाने की योजना है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ऐसे लम्बी सेवा अवधि के कनिष्ठ लिपिकों को उच्च लिपिक बनाने के निर्देश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो उनकी पालना कहां-कहां हुई तथा कोटा जिले में ऐसी सेवा के कितने लिपिकों को उच्च लिपिक बनाया गया ? उच्च लिपिक बनाये गये लिपिकों की सूची सदन की मेज पर रखें । उक्त जिले में लम्बी सेवा के कितने ऐसे कनिष्ठ लिपिकों को उच्च लिपिक अभी तक नहीं बनाया गया ? सूची कारण सहित सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । वित्त (ग्रुप–2) विभाग के परिपत्र नम्बर एफ 17(10) एफ.डी. (ग्रुप-2) 85/पार्ट–1/जयपुर, दिनांक 23 नवम्बर, 1990 द्वारा विभागों में ऐसे कनिष्ठ लिपिकों की जो नियमित नियुक्ति के पश्चात् 1 नवम्बर, 1990 तक 20 वर्ष की सेवा कर चुके थे, के पदों को वरिष्ठ लिपिक के पद में क्रमोन्नत करने का निर्णय किया गया ।(परिपत्र की प्रति संलग्न) विकास विभाग द्वारा 28 जिला परिषदों से नियमित नियुक्ति के पश्चात् 1 नवम्बर, 1990 तक 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ लिपिकों की सूची प्राप्त होने पर वित्त विभाग की सहमति से पत्र क्रमांक एफ 37 (ग्राविप)/ प्रशा. 2/91/2132/ जयपुर, दिनांक 19 दिसम्बर, 1991 एवं दिनांक 13 मई, 1992 द्वारा 582 कनिष्ठ लिपिकों के पदों को वरिष्ठ लिपिक के पदों में क्रमोन्नत कर निर्धारित प्रक्रिया से पदोन्नति देने हेतु जिला परिषदों को लिखा गया ।

(2) जी हां । विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 37 ( ) ग्राविप/प्रशा. 2/91/2132 जयपुर, दिनांक 19 दिसम्बर, 1991 दिनांक 13 मई, 1992 जारी कर 582 कनिष्ठ लिपिकों के पदों को वरिष्ठ लिपिक के पदों में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किये, उक्त आदेश की पालना में 27 जिला परिषदों द्वारा पात्रता रखने वाले कनिष्ठ लिपिकों को निर्धारित प्रक्रिया से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी । कोटा जिले में नियमित नियुक्ति के पश्चात् 1 नवम्बर, 1990 तक 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 14 कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई है । पदोन्नत किये गये लिपिकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । अब कोटा जिले में दिनांक 1 नवम्बर, 1990 तक 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक बनाने का कोई प्रकरण शेष नहीं है ।

(प्रति एवं सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

282

करौली में कृषि उपज मण्डी यार्ड का निर्माण

39. श्री हंसराम गुर्जर (करौली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला करौली में कृषि उपज मण्डी यार्ड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। करौली जिले में निर्माण कराये जाने वाले मुख्य मण्डी/गौण मण्डी यार्डों की वस्तुस्थिति का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

परिशिष्ट "अ"

करौली जिले में निर्माण कराये जाने वाले मुख्य मण्डी/गौण मण्डी यार्डों की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	नाम जिला	मण्डी समिति	निर्माण कराये जाने वाले मुख्य/गौण मण्डी यार्ड	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	करौली	हिण्डौन	1. मुख्य मण्डी प्रांगण हिण्डौन	अवाप्तिधीन भूमि का कब्जा प्राप्त होने पर परियोजना के तहत निर्माण प्रारम्भ कराया जा सकेगा।
			2. गौण मण्डी करौली	
			(अ) अनाज	भूमि अवाप्ति हेतु मण्डी समिति ने मा. उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर कर दी है। भूमि प्राप्त होने पर ही गौण मण्डी प्रांगण का निर्माण सम्भव हो सकेगा।
			(ब) फल सब्जी मण्डी	भूमि प्राप्त कर चार-दीवारी का निर्माण कराया जा चुका है। निर्माण कार्य परियोजना के अन्तर्गत

(283)

1	2	3	4	5
				कराया जाना प्रस्तावित है।
			3. गौण मण्डी टोडाभीम	निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।

राज्य की औषध निर्माण शाला भरतपुर में अनियमितताएं

40. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितनी राजकीय आयुर्वेद औषध निर्माणशालाएं हैं ? वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में किस-किस औषध निर्माणशाला में कितने मूल्य की औषधियों का निर्माण किया गया ? निर्मित औषधियों की सूची मय मूल्य के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय औषध निर्माणशाला भरतपुर में घटिया किस्म की संजीवनीवटी के निर्माण की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस प्रकरण की जांच करवायी गई ? जांच में दोष सिद्ध अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जानी प्रस्तावित है ?

(3) भरतपुर रसायनशाला में निर्मित घटिया संजीवनीवटी की कितनी मात्रा थी एवं इसके निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(4) राजकीय रसायनशाला, भरतपुर में कौन-कौन विषय विशेषज्ञ वैद्य पदस्थापित हैं ? क्या विभागीय नीति के अनुरूप अपेक्षित योग्यता धारक व्यक्ति औषध निर्माणशाला में पदस्थापित हैं ? रसायनशाला के प्रभारी अधिकारी सहित पदस्थापित अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की सूची मय शैक्षणिक योग्यता के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में चार राजकीय आयुर्वेद रसायनशालायें संचालित हैं। वर्ष 1995–96 व 1996–97 में निर्मित औषधियों की सूची मय मूल्य के, रसायनशालावार, सदन की मेज पर परिशिष्ट–"क" में रख दी गई है।

(2) जी हां। रसायनशाला, भरतपुर में निर्मित "संजीवनीवटी" की निर्माण प्रक्रिया सही नहीं होने की सूचना प्रभारी अधिकारी, रसायनशाला अजमेर द्वारा व्यवस्थापक, रसायनशालाएं, अजमेर को दी गई थी। निर्माण प्रक्रिया सही होने अथवा नहीं होने के प्रकरण की जांच व्यवस्थापक, रसायनशाला ने की है। दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 में अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है तथा रसायन-

(284)

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

शाला, भरतपुर से अन्यत्र स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

(3) भरतपुर रसायनशाला में वर्ष 1997-98 में 1012 किलो 250 ग्राम संजीवनीवटी का निर्माण किया गया, जिसका मूल्य 12,85,166.75 रुपये है।

(4) रसायनशाला, भरतपुर में वर्तमान में निम्न आयुर्वेद चिकित्सक पदस्थापित है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता उनके नाम के सम्मुख अंकित है—

1. श्री निर्मल कुमार एम. डी. आयुर्वेद (रसशास्त्र)

2. श्री बृजबिहारी मिश्रा एम. डी. आयुर्वेद (विकृति विज्ञान)

विभागीय रसायनशालाओं में आयुर्वेद चिकित्सक को सहायक प्रभारी के पद पर पदस्थापित करने की परम्परा रही है, किसी विशेष योग्यताधारी को यथासंभव पदस्थापित करने की विभागीय मंशा रहती है।

परिशिष्ट "क"

विभागीय रसायनशालाओं द्वारा वर्ष 1995-96 व 1996-97 में निर्मित औषधियों का विवरण

वर्ष 1995-96

क्र.सं.	नाम औषधि	राशि (रुपयों में)	क्र.सं.	नाम औषधि	राशि (रुपयों में)
1	2	3	1	2	3
		राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, अजमेर			
1.	शुद्ध गन्धक	241200.00	13.	पुनर्नवादि क्वाथ	39690.00
2.	रामबाण रस	304679.00	14.	आंवला चूर्ण	133392.00
3.	अर्क वटी	87612.50	15.	हरितकी	334800.00
4.	लिम्बुक वटी	403387.50	16.	नारायण तेल	115830.00
5.	कर्पूर धारा	1920114.00	17.	रजत भस्म	45832.62
6.	मृत्युंजय रस	1206331.50	18.	बहेड़ा चूर्ण	101887.50
7.	विषम ज्वरादि वटी	88193.00	19.	त्रिफला चूर्ण	35200.00
8.	शिवा गुटिका	57750.00	20.	हब्बे कबीर नोसादरी	22206.25
9.	अंगरादि धूप	552770.00	21.	हब्बे कबीर करंजवा	139160.00
10.	च्यवनप्राश	280854.00	22.	हब्बे कबीर रसोत	74025.00
11.	निशा तैल	266356.40	23.	हब्बे कबीर मुफिद	18584.00
12,	करपर्पादि वटी	64510.00	24.	शर्बत उनाव	30830.00

1	2	3	1	2	3
25.	शर्बत शहतूत	11850.00	29.	अर्क अजवाइन	35813.00
26.	शर्बत बनफशा	33125.00	30.	अर्क मकोय	15904.00
27.	रोगन गुल	104490.00	31.	जोशान्दा	25725.00
28.	अर्क सोंफ	31500.00	32.	सफुफ त्रिया केसिकम	67187.50

राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, उदयपुर

1.	आनंद भैरव रस	777594.00	10.	जात्यादि तेल	168064.00
2.	कर्पूर रस	106846.00	11.	नेत्र बिन्दु	19200.00
3.	रस माणिक्य	502242.00	12.	कृष्ण मरहम	501479.00
4.	श्वास कुठार रस	98646.00	13.	वेदना नाशक	297528.00
5.	चन्द्रप्रभा वटी	115050.00	14.	जन्मघूटी क्वाथ	70380.00
6.	लवंगादि वटी	378744.00	15.	अर्क विशुचिकान्तक	150120.00
7.	संजीवनी	77400.00	16.	द्रदुदावानल	45810.00
8.	गोजिवादि क्वाथ	80678.50	17.	विषमज्वरादि वटी	18605.50
9.	दशमूल क्वाथ	21740.00	18.	द्राक्षावलेह	190966.40

राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, जोधपुर

1.	अविपतिकर चूर्ण	129375.00	6.	अग्निसंदीपन चूर्ण	47800.00
2.	अश्वगंधा चूर्ण	546040.00	7.	दशनसंस्कार चूर्ण	588956.00
3.	तरूणी कुसमाकर चूर्ण	711450.00	8.	त्रिकटु चूर्ण	389002.50
4.	लवणभास्कर चूर्ण	779187.50	9.	शांतिवर्धक चूर्ण	1104160.00
5.	शतावरी चूर्ण	170800.00	10.	वृसिहर चूर्ण	29757.00

राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, भरतपुर

1.	प्रवाल भस्म	1724820.00	4.	ताम्र भस्म	43397.40
2.	बालसुधा	575720.00	5.	ईसबगोल भूसी	1184853.00
3.	शंखभस्म	112932.10	6.	विषाण भस्म	1808100.00

वर्ष 1996–97

राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, अजमेर

1.	तिन्दुक वटी	1471280.00	5.	नेत्र बिन्दु	16000.00
2.	विषम ज्वरादि वटी	115793.60	6.	निशा तेल	124393.40
3.	च्यवनप्राश	430164.00	7,	अर्क वटी	277027.50
4.	आनंद भैरव रस	159228.00	8.	अंगरादि धूप	183700.00

1	2	3	1	2	3
9.	शुद्ध गंधक	488052.00	23.	हब्बे जिमादशाह	87700.45
10.	आरोग्यवर्द्धनी वटी	526680.00	24.	एतेफाल	7037.00
11.	करंजादि वटी	142600.00	25.	सफूफ हाफिजेदम	14800.00
12.	हरितकी चूर्ण	367605.75	26.	सफूफ तीन	7298.00
13.	सफूफ त्रिया केसिकम	35475.00	27.	सफूफ इकसिरेजिगर	10665.00
14.	दवाए दौराने रास	6713.00	28.	सफूफ मुद्दीर	62800.00
15.	उदावर हर चूर्ण	350930.25	29.	सफूफ चुटकी	5460.00
16.	विश्वगिरी चूर्ण	98800.00	30.	शर्बत बनफशा	38800.00
17.	स्मृतिवर्द्धक चूर्ण	48750.00	31.	लऊक बिहदाना	58700.00
18.	पुष्टिकर चूर्ण	268275.00	32.	तवीख फलादेखून	138210.00
19.	वायुनाशक तेल	126488.00	33.	मरहम सफेद काफूरी	145625.00
20.	विषम ज्वरादि धूप	378000.00	34.	कतूरे चश्म	9888.00
21.	हब्बे करंजवा	107600.50	35.	रोगने नीव	16099.00
22.	हब्बे जिकूनफस	19743.75	36.	जोशान्दा	130350.00

राजकीय रसायनशाला, उदयपुर

1.	विषम ज्वरादि वटी	24172 50	11.	जात्यादि तेल	37208.40
2.	रस माणिक्य	190849.90	12.	श्वास कुठार रस	27017.50
3.	वेदना नाशक	587647.20	13.	अमर सुन्दरी वटी	75645.00
4.	अर्क बिशुचिकान्तक	152250.00	14.	द्राक्षावलेह	10578.90
5.	कर्पूर रस	686811.00	15.	मारिच्यादि वटी	5418.00
6.	लवंगादि वटी	595206.00	16.	सोथहर क्वाथ	355625.00
7.	नेत्र बिन्दु	98003.20	17.	वेदनाहर तेल	787760.00
8.	क्षारसूत्र	38710.20	18.	काक्षावलेह	85050.00
9.	गोजवादि क्वाथ	344662.50	19.	बुधगध लेप	78346.00
10.	संजीवनी वटी	104596.10			

राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, जोधपुर

1.	आमलकी चूर्ण	357600.00	9.	विषाण भस्म	693310.00
2.	तालिसादि चूर्ण	1307670.00	10.	पुष्करमूल चूर्ण	12487.50
3.	लवण भास्कर चूर्ण	345735.00	11.	कुटज चूर्ण	355626.00
4.	अग्नि संदीपन चूर्ण	489400.00	12.	प्रदरहर चूर्ण	241730.25
5.	जन्मघूटी क्वाथ	898040.00	13.	मूत्रकर चूर्ण	73280.00
6.	अश्व गंधा चूर्ण	987800.00	14.	दन्तशूल हर चूर्ण	308400.00
7.	बालातिसार चूर्ण	36225.00	15.	शातावरी चूर्ण	147750.00
8.	रक्तप्रदर हर चूर्ण	41730.00			

1	2	3	1	2	3
		राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, भरतपुर			
1.	गोदन्ती भस्म	957570.00	6.	बालसुधा	531763.00
2.	कृष्ण मरहम	233229.00	7.	अकीक भस्म	60000.00
3.	संजीवनी वटी	123936.00	8.	अभ्रक भस्म	82000.00
4.	जात्यादि तैल	664841.40	9.	शंख भस्म	194999.00
5.	शुभ्रा भस्म	250428.00	10.	गोदन्ती भस्म	125000.00

टौंक जिले के पर्यटन स्थल

41. श्री बनवारी लाल (निवाई) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन विभाग विभिन्न जिलों में पर्यटन स्थल चिन्हित कर उनका विकास कर रहा है ? यदि हां, तो जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या टौंक जिले में भी कोई स्थान चिन्हित किये गये हैं ? यदि हां, तो कहां–कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1998–99 में राज्य योजनान्तर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी, हां। टौंक जिले में सुनहरी कोठी के संरक्षण का कार्य शुरू किया जा रहा है।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1998–99 में राज्य योजनान्तर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों का विवरण

क्र.सं.	जिला	विकास कार्य	राशि लाख रु.
01	जोधपुर	i–ओसियां मंदिर का विकास	10.00
		ii–रॉयल छतरियां मण्डोर, जोधपुर	30.00
02	झुन्झुनूं	i-किरोडी का विकास	35.00
		ii–खेतड़ी किले का विकास	30.00
03	बीकानेर	i–जूनागढ़ मोटवाल मरम्मत कार्य, बीकानेर	15.00
		ii-करणी माता मंदिर विकास	02.00
04	सीकर	i–हर्ष मंदिर पर पीने के पानी की आपूर्ति	28.00
05	जयपुर	i–मोटवाल, जयपुर की मरम्मत	40.00
		ii–जन्तर मन्तर पर लैण्ड स्केपिंग	05.00
		iii–चौपड़, जयपुर का विकास	10.00
		iv–जलेब चौक का विकास	01.00
		v–आमेर में पार्किंग सुविधा का निर्माण	15.00
06	सवाईमाधोपुर	i–शिल्प ग्राम. सवाईमाधोपुर का निर्माण	30.00
07	बाड़मेर	i–किराड़ू मंदिर बाड़मेर का संरक्षण कार्य	30.00
08	कोटा, बूंदी, झालावाड़	i–हाड़ौती सर्किट का विकास	50.00

वाहनों के पंजीयन एवं लाइसेन्स मामलों में अनियमितताएं

42. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में स्कूटर, कार के पंजीयन और लाइसेंस के मामलों में अनियमितताएं हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या रजिस्ट्रेशन, परमिट फिटनेस कर चुकता प्रमाण पत्र व अन्य कार्यों की निर्धारित फीस अन्य प्रदेशों की तुलना में ज्यादा है ? यदि हां, तो कितनी ? अब तक राज्य में ऐसे कितने मामले पकड़े गए है ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में स्कूटर पंजीयन के मामलों में कोई अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । कार के पंजीयन के एक मामले में अनियमितता पाये जाने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही हैं । ड्राइविंग लाइसेन्स के दो मामलों में अनियमितता पाये जाने पर लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये हैं ।

(2) रजिस्ट्रेशन तथा फिटनेस प्रमाण-पत्र के लिए फीस केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 81 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है । यह फीस सभी राज्यों के लिए समान है कर चुकता प्रमाण पत्र के लिए राजस्थान राज्य में कोई फीस निर्धारित नहीं है । परमिट की अलग–अलग राज्यों में राज्य सरकार अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है । परमिट फीस की जानकारी उत्तरप्रदेश, पंजाब, उड़ीसा एवं जम्मू-कश्मीर राज्यों से प्राप्त हो गयी है, जिसका राजस्थान से तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है । तुलनात्मक विवरण के अनुसार राजस्थान राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा परमिट फीस कम है । प्रश्न का शेष भाग स्पष्ट नहीं है ।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान एवं अन्य राज्यों से वसूल की जा रही परमिट फीस का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	श्रेणी	पंजाब	जम्मू कश्मीर	उडीसा (एक वर्ष के लिए)	उत्तरप्रदेश (पांच वर्ष के लिए)	राजस्थान (पांच वर्ष के लिए)
1.	कार–जीप	1500.00	500/–	50/–	750/–	100/–
2.	मारुति कार	1010.00	—	—	—	—
3.	मिनी बस	1010.00	5000/– (शहरी क्षेत्र) 3000/– (ग्रामीण क्षेत्र)	150/–	3000/–	100/–

1	2	3	4	5	6	7
4.	बस	1010.00	10,000/–	100/–	3000/–	300/–
5.	ट्रक	3000.00	5,000/–	100/–	3000/–	300/–
6.	ऑटो-रिक्शा	—	1,000/– (शहरी क्षेत्र) 500/– (ग्रामीण क्षेत्र)	50/–	750/–	50/–

आबकारी निरीक्षकों के रिक्त पद

43. **श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आबकारी निरीक्षकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं और कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि मंत्रालयिक संवर्ग से आबकारी निरीक्षकों के पद भरे जाने हेतु पद आरक्षित किये हुए हैं ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत और उक्त कोटा अब तक नहीं भरे जाने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या सरकार आबकारी निरीक्षकों के लिये निर्धारित कोटे को निकट भविष्य में भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग में वर्ष 95–96 में 2 पद 96–97 में 5 पद 97–98 में 10 पद का98-99 में 5 पदों का मांग पत्र कार्मिक विभाग को भेजा गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 22 पद आबकारी निरीक्षक के रिक्त हैं।

(2) मंत्रालयिक संवर्ग के लिए नियमों में 12 1/2% पद सीधी भर्ती के लिए आरक्षित हैं जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग से कोई भी कर्मचारी चयनित नहीं हुआ है। इस कारण कोटे के विरुद्ध नियुक्ति नहीं हुई।

(3) मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार चयन हेतु कर्मचारियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। मंत्रालयिक वर्ग से तदर्थ आधार पर कार्यरत आबकारी निरीक्षकों को स्क्रीनिंग हेतु राज्य सरकार आदेश क्रमांक प. 2 (2) कार्मिक/क–2/93 दिनांक 6.9.93 की अनुपालना में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 5.1.94 को निश्चित की गई थी, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका संख्या 24/94 शंकरलाल बनाम राज्य मे दिनांक 4.1.94 को पारित आदेश की पालना में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं की जा सकी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् तद्‌नुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिला राजसमंद में तय शुदा अनिवार्य शिक्षा नीति का क्रियान्वयन

45. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

नोट : माननीय सदस्य श्री महावीर भगोरा के राज्य मंत्री बन जाने के कारण प्रश्न संख्या 44 हटाया गया।

290

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

क्या राजसमंद जिले में तय शुदा अनिवार्य शिक्षा नीति के अनुसार, इसी शैक्षणिक सत्र से अध्ययन कार्य चलाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो किस योजना के तहत वांछित तैयारियां की जा चुकी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, नहीं। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन होने तक फिलहाल राजसमंद जिले में इस हेतु वातावरण निर्माण व आवश्यक ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

पंचायत समिति पाली व रीहट (जिला पाली) में प्रारम्भिक विद्यालय की स्थापना

46. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मठ पचायत समिति पाली एवं गूजरों की ढाणी, कानावास मार्ग, पंचायत समिति रोहट, जिला पाली में प्रारम्भिक विद्यालय खोलने के आदेश जारी किए थे ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेशों की पालना में उक्त दोनों प्रारम्भिक विद्यालय कब–कब प्रारंभ कर दिये गये एवं दोनों प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रारम्भ किये जाने के बाद से प्रति माह कितने बच्चे कौन-कौन सी कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ? प्रत्येक प्रारम्भिक विद्यालय में कितने कितने अध्यापक कब से कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति रोहट एवं पाली में कार्यरत प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालय में कुल कितने छात्र एवं कितने शिक्षक कार्यरत है ? प्रत्येक विद्यालयवार छात्रों की संख्या एवं शिक्षकों की संख्या का विवरण सदन की मेज रखें।

(4) सरकार के मानदण्डानुसार छात्र-अध्यापक का क्या अनुपात होना चाहिए ? इस अनुपात के विपरीत कम पड़ रहे अध्यापकों की नियुक्तियों के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–1) अ, ब, स,

(2) प्राथमिक विद्यालय मठ दिनांक 1–4–98 को प्रारम्भ की गई एवं प्राथमिक विद्यालय गुजरों की ढाणी कानावास मार्ग, बगड़िया 3–7–98 को प्रारम्भ की गई। प्राथमिक विद्यालय मठ में दो अध्यापक हैं। पहला अध्यापक दिनांक 1–4–98 से एवं दूसरा अध्यापक दिनांक 1–7–98 से कार्यरत हैं। कक्षा प्रथम में 40, कक्षा द्वितीय में 16, कक्षा तृतीय में 11, कक्षा चतुर्थ में 3, एवं कक्षा पंचम में 8 छात्र हैं। विद्यालय कुल छात्रों की संख्या 78 है।

प्राथमिक विद्यालय गूजरों की ढाणी में 16 छात्र व एक अध्यापक हैं। अध्यापक दिनांक 29–6–98 से कार्यरत है।

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

शाला में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया जारी है।

(3) पंचायत समिति रोहट एवं पंचायत समिति पाली में कार्यरत प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालय में छात्र एवं अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार है :–

पं. स.	प्राथमिक शिक्षा		माध्यमिक शिक्षा	
	छात्र	अध्यापक	छात्र	अध्यापक
रोहट	9092	174	1163	49
पाली	8969	188	3289	72

प्रत्येक विद्यालयवार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–2)

(4) सरकार के मानदण्डानुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्र–अध्यापक अनुपात का विवरण इस प्रकार है :–

1. 49 या इससे कम छात्रों पर 1 अध्यापक
2. 50 से 89 छात्रों पर 2 अध्यापक
3. 90 से 129 छात्रों पर 3 अध्यापक
4. 130 से 169 छात्रों पर 4 अध्यापक
5. 170 से 209 छात्रों पर 5 अध्यापक

इस अनुपात के विपरीत कम पड़ रहे अध्यापकों की नियुक्तियों के लिए कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्र सरकार द्वारा (फव्वारा एवं ड्रीप सिंचाई) स्वीकृति अनुदान

47. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) केन्द्र सरकार द्वारा फव्वारा एवं ड्रीप सिंचाई हेतु गत दो वर्षों में राज्य सरकार की कितनी राशि अनुदान के रूप में स्वीकार की गई ?

(2) क्या सरकार उन किसानों को जिनके द्वारा गत तीन वर्षों में फव्वारा सैट क्रय किये गये एवं जिन्हें पूर्व में अनुदान नहीं दिया गया है, को अनुदान उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा जिला सीकर, नागौर एवं झुंझनू के किसानों को क्रय किये गये फव्वारा सैटों पर अनुदान उपलब्ध कराया गया ? यदि हां, तो किस तिथि तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा फव्वारा सिंचाई में विभिन्न योजनान्तर्गत वर्ष 1996–97 में 3189.28 लाख एवं 1997–98 में 2708.209 लाख कुल 5897.489 लाख तथा ड्रिप सिंचाई हेतु गत दो वर्षों में राज्य सरकार को वर्ष 1996–97 में रुपये 45.68 लाख एवं वर्ष 1997–98 में रुपये 270.62 लाख की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई।

(2) जी, हां। जिन किसानों के द्वारा

(कृषि मंत्री)

गत तीन वर्षों में फव्वारा सैट क्रय किये गये हैं तथा जिन्हें पूर्व में अनुदान नहीं दिया गया है। यदि उनकी पत्रावलियों का पंजीकरण कृषि विभाग में हुआ है तो उनको कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में अनुदान केन्द्र सरकार से बजट प्राप्त होने पर उपलब्ध कराना संभव होगा।

(3) जी, हां। सरकार द्वारा जिला सीकर, नागौर एवं झुंझुनूं के जिन किसानों की फव्वारा पत्रावलिया कृषि विभाग में पंजीकृत हुई उन्हें बैंक द्वारा ऋण वितरण एवं भौतिक सत्यापन के उपरान्त फव्वारा सैट क्रय कर स्थापित किये जाने के बाद निम्न तिथियों तक पंजीकृत की गई, फव्वारा पत्रावलियों पर अनुदान विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसका जिले/उपजिलेवार विवरण निम्नप्रकार है :–

जिला	उप जिला	पत्रावलियों के पंजीकरण का दिनांक जिस तक अनुदान दिया जा चुका है
1. झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	27.3.98
	चिड़ावा	7.2.98
2. सीकर	सीकर	30.11.97
	श्रीमाधोपुर	30.3.98
3. नागौर	कुचामनसिटी	29.3.98
	मेड़तासिटी	27.3.98

यूनानी औषधालय के सम्बन्ध में भनोत कमेटी की सिफारिशें

48. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भनोत कमेटी ने अपनी सिफारिशों में दस प्रतिशत यूनानी औषधालय खोलने व इसी अनुपात में पदोन्नति देने की सिफारिशें की थी? क्या उनकी पालना की गई है? यदि हां, तो कितने पदों पर यूनानी चिकित्सकों को पदोन्नतियां दी गई? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त प्रकरण में निदेशक, आयुर्वेद के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

(2) राजस्थान में आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथिक के कितने-कितने राजकीय कालेज हैं? क्या यह सही है कि यूनानी चिकित्सा का राजकीय स्तर पर का एक भी कालेज नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार यूनानी चिकित्सा के महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि आयुर्वेद के जिला अधिकारी व उपनिदेशक यूनानी औषधालयों के नर्स/कम्पाउण्डर/चपरासी के आयुर्वेद और आयुर्वेद औषधालय से यूनानी औषधालय में स्थानांतरण व पद स्थापन के आदेश प्रदान कर सकते हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अधिकार यूनानी चिकित्सा के एक मात्र अधिकारी सहायक निदेशक को नहीं है जिसके कारण यूनानी औषधालयों की प्रशासनिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि पूर्व में सहायक निदेशक को यूनानी औषधालयों के

(श्री भीखा भाई)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारों को रिक्त पदों पर नियुक्ति के अधिकार थे ? क्या वर्तमान में यह अधिकार वापस ले लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब पुनः यह अधिकार उक्त सहायक निदेशक (यूनानी औषधालय) को देना चाहती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि मनोत प्रशासनिक सुधार समिति ने नवीन खोले जाने वाले औषधालयों में 10 प्रतिशत औषधालय यूनानी के खोलने की सिफारिश की है, किन्तु समिति ने पदोन्नति देने हेतु इसी अनुपात को रखें जाने की सिफारिश नहीं की है। औषधालय खोलने के प्रकरण में इस सिफारिश की पालना कर वर्ष 1995–96 में 20 नवीन स्वीकृत औषधालयों में से 2 औषधालय यूनानी पद्धति के स्वीकृत किये गये हैं। मनोत प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश संख्या 170 की पालना में गठित केडर रिव्यू समिति ने निम्न पद यूनानी चिकित्सकों से पदोन्नति हेतु क्रमोन्नत/सृजित करने की अभिशंषा की थी जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर राज्यादेश दिनांक 7.11.96 द्वारा निम्न पद क्रमोन्नत/सृजित किये गये :–

1. उपनिदेशक (यूनानी) एक पद
2. सहायक निदेशक (यूनानी) दो पद
3. वरिष्ठ चिकित्सक (यूनानी) 17 पद

सेवानियमों में पदोन्नति के पद समायोजित नहीं होने से, अभी तक किसी भी यूनानी चिकित्सक को पदोन्नति नहीं दी गई है। अब राज्यादेश दिनांक 12.5.98 (वित्त विभाग, जयपुर) द्वारा वरिष्ठ चिकित्सक यूनानी के पद समाप्त किये जा चुके हैं। सेवानियमों में संशोधन की कार्यवाही कार्मिक विभाग में अन्तिम चरण में विचाराधीन है। अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(2) राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का एक राजकीय कॉलेज है। यह सही है कि राज्य में यूनानी चिकित्सा पद्धति का राजकीय कॉलेज नहीं है। फिलहाल नवीन राजकीय यूनानी कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं। सहायक निदेशक (यूनानी) अपने अधीन कार्यरत केवल परिचालकों के स्थानांतरण एक यूनानी औषधालय से दूसरे यूनानी औषधालय में करने हेतु अधिकृत है।

(5) जी, हां। वर्तमान में अधिकार यथावत हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में वृद्धि प्रकरण

49. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में कब–कब कितने–कितने प्रतिशत वृद्धि की गई ?

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह सही है कि किराये में वृद्धि की घोषणा के उपरान्त किराये में कमी की भी घोषणा की गई ? यदि हां, तो किस–किस श्रेणी में, कब–कब एवं कितने प्रतिशत ?

(3) निगम द्वारा प्रदेश में कितनी द्रुतगामी बसें कितने किलोमीटर प्रतिदिन संचालित की जा रही हैं ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों (93–94 से) में राज्य शासन द्वारा मंजिली वाहनों की किराया दरों में की गई किराया वृद्धि का विवरण निम्नानुसार है :–

किराया वृद्धि की दिनांक	किराया वृद्धि का प्रतिशत
1.8.94	8.5
21.11.96	18
3.12.97	30

दिनांक 28.12.97 से राज्य शासन द्वारा 60 कि.मी. तक की दूरी की साधारण सेवाओं की किराया वृद्धि 30 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत की गई । राज्य सरकार के निर्णय के उपरान्त दिनांक 24.5.98 से निगम द्वारा संचालित सभी साधारण सेवाओं का किराया कम कर 24 पैसे प्रति यात्री प्रति कि.मी. निर्धारित किया गया है ।

(2) जी, हां । राज्य शासन के आदेशानुसार दिनांक 28.12.97 से 60 किमी. तक की दूरी की साधारण श्रेणी की सेवाओं की किराया वृद्धि 30 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत की गई । राज्य सरकार के निर्णय के उपरान्त दिनांक 24.5 98 से निगम द्वारा संचालित सभी साधारण श्रेणी की सेवाओं का किराया कम कर 24 पैसे प्रति यात्री प्रति कि.मी. निर्धारित किया गया है ।

(3) निगम द्वारा वर्तमान में 1365 द्रुतगामी बसों के माध्यम से औसतन 6.00 लाख कि.मी. एवं 2730 साधारण बसों के माध्यम से 7.25 लाख कि.मी. का संचालन प्रतिदिन किया जाता है ।

जिला अलवर के उद्योगों को पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रकरण

50. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के बहुत से उद्योगों के पास पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे कितने उद्योग हैं तथा कौन–कौन से ?

(2) क्या सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां. तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार अलवर जिले में ऐसा कोई भी उद्योग नहीं है जिसने पर्यावरण विभाग से पर्यावरणीय स्वीकृति/स्थल सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त नहीं की है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला बांसवाड़ा के संस्कृत विद्यालय

51. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में संस्कृत निदेशालय के अन्तर्गत चलने वाले विभिन्न स्तरों के संस्कृत विद्यालयों में छात्र संख्या की दृष्टि से पर्याप्त अध्यापक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो सरकार ऐसे विद्यालयों में संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, नहीं । राज्य सरकार रिक्त पदों को नियुक्ति/पदोन्नति प्रक्रिया से भरने के लिए प्रयत्नशील है ।

भाकरों की ढाणी एवं सिन्धीपुरा (जिला जोधपुर) में राजकीय सुविधा का अभाव

52. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में ग्राम पंचायत सिन्धीपुरा का गठन सरकार द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या विभाग के नियमों के अन्तर्गत 6 माह की समयावधि में चुनाव होने चाहिए ? क्या वहां पर चुनाव सम्पन्न हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक चुनाव करा दिये जायेंगे ?

(3) ग्राम पचायत सिन्धीपुरा की कितनी जनसंख्या है ? क्या वहां पर ग्राम पंचायत मुख्यालय के सम्बन्ध में पूर्व में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जोधपुर द्वारा एवं तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा सर्वे रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) ग्राम पंचायत सिन्धीपुरा में कितनी गोचर एवं आबादी भूमि कहां–कहां पर स्थित है ? मय नक्शे के विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या भाकरी की ढाणी, सिन्धीपुरा में सभी प्रकार की राजकीय सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उक्त सुविधायें क्या–क्या और कहां–कहां पर स्थित है ?

(6) क्या सरकार भाकरी की ढाणी को पंचायत मुख्यालय बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । अधिसूचना क्रमांक 2249–55 दिनांक 1.5.97 को ग्राम पंचायत, सिन्धीपुरा का गठन किया गया ।

(2) विभाग के नियमों के सम्बन्ध में चुनाव हेतु कोई समय सीमा का विशिष्ट प्रावधान नहीं है । ग्राम पंचायत, सिन्धीपुरा के चुनाव अभी तक नही कराये गये हैं । ग्राम पंचायत, सिन्धीपुरा के चुनाव हेतु चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ कर जिला कलक्टर, जोधपुर को पत्र क्रमांक 6567 दिनांक 26.11.97 के द्वारा वार्डों का

296

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

पुनर्गठन कर राज्य सरकार को भेजने हेतु लिख दिया गया है। रिपोर्ट आने पर चुनाव की कार्यवाही की जावेगी।

(3) ग्राम पंचायत, सिन्धीपुरा की जनसंख्या 2754 है। तहसीलदार बिलाड़ा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सर्वे रिपोर्ट में नवगठित ग्राम पंचायत, सिन्धीपुरा का मुख्यालय माकरी की ढाणी में नवगठित ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति राजकीय भवन एवं सड़क से जुड़े हुए होने के कारण रखे जाने की सिफारिश की है। सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) ग्राम पंचायत सिन्धीपुरा में 796 बीघा 14 बिस्वा गोचर एवं 46 बीघा 18 बिस्वा आबादी भूमि है। नजरी नक्शा सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) सिन्धीपुरा ग्राम पंचायत की माकरी की ढाणी में चिकित्सा विभाग का क्वार्टर, जन स्वास्थ्य अभियन्ता विभाग का सरकारी क्वार्टर बना हुआ एवं ट्यूब वैल खुदा हुआ है। दूरभाष सुविधा उपलब्ध है, सरकारी उचित मूल्य की दुकान है, ग्रेवल रोड बनी हुई है। यह सुविधायें माकरी की ढाणी में ही उपलब्ध है।

(6) यह प्रश्न निर्णय अधीन है। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर की रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला परिषद जोधपुर

क्रमांक पंचायत/नवगठन/97/8238 दिनांक 10.7.97

उप शासन सचिव (विधि)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर

विषय—नवगठित ग्राम पंचायत सिन्धीपुरा का मुख्यालय बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके अधिसूचना सं. एफ 15 (7) ग्राविप/विवि/95/2249/55 दिनांक 1.5.97 अनुसार नगरपालिका पीपाड शहर से पृथक किये गये राजस्व गांव सिन्धीपुरा को राज. पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 10 (1) के तहत राजस्व गांव सिन्धीपुरा को ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। नवगठित ग्राम पंचायत सिन्धीपुरा के मुख्यालय बाबत विकास अधिकारी प.स. बिलाड़ा की जांच रिपोर्ट सं. 555 दिनांक 19.6.97 एवं तहसीलदार बिलाडा की जांच रिपोर्ट सं. 1554 दिनांक 26.6.97 एवं नजरी नक्शा एवं प्रस्तावित दस्तावेजी सबूतों की छायाप्रति संलग्न कर नवगठित ग्राम पंचायत सिन्धीपुरा का पंचायत मुख्यालय बाबत आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर निवेदन है कि उक्त दोनों जांच रिपोर्ट में नवगठित ग्राम पंचायत सिन्धीपुरा का मुख्यालय माकरी की ढाणी में नवगठित ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति राजकीय भवन एवं सड़क से जुड़े हुए होने के कारण रखे जाने बाबत सिफारिश की है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जोधपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.प्र.) बिलाड़ा, जिला–जोधपुर (राज.)

क्रमांक/भू.अ./पंचायत/सिन्धीपुरा/97/1554 दिनांक 25.6.97

प्रेषित :–श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जोधपुर

विषय :–नवगठित ग्राम पंचायत सिन्धीपुरा पं. स. बिलाड़ा के मुख्यालय के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :–आप श्रीमान् का आदेश क्रमांक/पंचायत/पुनर्गठन/97/7081 दिनांक 17.6.97 के सन्दर्भ में ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विशिष्ट शासन सचिव पदेन निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ 15(7) ग्रामीण/विधि/95/2249–55 दिनांक 1–5–97 द्वारा राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा जो नगरपालिका पीपाड़ शहर सीमा से पृथक कर नया राजस्व ग्राम घोषित किया गया था, को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 9(1) के अन्तर्गत नयी ग्राम पंचायत सिन्धीपुरा घोषित की गयी है । उक्त नव घोषित ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में श्रीमान् द्वारा प्रासंगिक पत्र द्वारा वांछित जांच के सम्बन्ध में जांच करवायी गयी । तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन बिन्दुवार इस प्रकार है :—

1– ग्राम पंचायत जो नव गठित हुई है उसकी कुल जनसंख्या अनुमानित 3750 है ।

2– नवगठित ग्राम पंचायत का भौगोलिक क्षेत्रफल 1909 हैक्टेयर है । तथा इसमें निम्नलिखित ढाणी हुई हैं । 1–भाकरी की ढाणी 2–दुदेलियों की ढाणी 3–खियाणिया की ढाणी 4–ज्याणियों की ढाणी 5–इदेणियों की ढाणी 6–जालूखां की ढाणी 7–मागाणियों की ढाणी 8–मगड़ावतों की ढाणी 9–धवाणियों की ढाणी 10–बेरों पर बसी आबादी ।

3– भाकरी की ढाणी के 1(एक) किलोमीटर की परिधि में पास-पास खियाणियों की ढाणी, ज्याणियों की ढाणी, दूदूलियों की ढाणी बसी हुई है, इसके अतिरिक्त बेरों पर बसी ढाणियां भी भाकरी की ढाणी से 1 किलोमीटर की परिधि में है । शेष ढाणियां भाकरी की ढाणी से 3 व 4 किलोमीटर की दूरी पर है ।

4– भाकरी की ढाणी से होती हुई बसें मलार मुण्डाणा, पीपाड़शहर, पीपाड़ रोड जाती-आती है । यहां ग्रेवल रोड बनी हुई है तथा उक्त भाकरी की ढाणी से तहसील के लिए साधन उपलब्ध है ।

(298)

5– राजकीय भवन :–भाकरी की ढाणी में चिकित्सा विभाग का क्वार्टर, प्राथमिक विद्यालय सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालय है। सरकारी क्वार्टर पी. एच. ई. डी. का बना हुआ है तथा ट्यूब वेल खुदा हुआ है। दूरभाष सुविधा भी उपलब्ध है। वन विभाग की तारबन्दी है तथा 132 के.वी. का विद्युत सब स्टेशन का प्रस्ताव विचाराधीन होना बताया गया है। महाविद्यालय भाकरी की ढाणी के पास ही बनाने का प्रस्ताव भेजा हुआ है। सरकारी उचित मूल्य की सामग्री की दूकान भी भाकरी की ढाणी में है। उक्त दूकान वर्तमान में चल रही है, सभी ढाणियों के उपभोक्ता इसी ढाणी में आकर उचित मूल्य की सामग्री ले जाते रहे हैं।

6– कुल जनसंख्या—3750 लगभग जिसमें 149 अनुसूचित जाति, 340 पिछड़ी जाति, अन्य सामान्य जाति 3261 व अनुसूचित जन जाति नहीं है। पुरुष 1944 व स्त्रियां 1806 है।

7– नजरी नक्शा :–नजरी नक्शा संलग्न है।

सिन्धीपुरा ग्राम के मुख्यावास का जहां तक प्रश्न है इसमें दो प्रस्ताव सामने आये हुए हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो वर्तमान सुविधाओं को मध्य नजर रखते हुए पंचायत मुख्यावास "भाकरी की ढाणी" चाहते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो सरकारी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय जहां चल रहा है उसके पास (जालूखां की ढाणी) में मुख्यावास चाहते हैं। जहां तक मुख्यालय "भाकरी की ढाणी" का प्रश्न है वहां सभी प्रकार की जन सुविधाएं उपलब्ध है। वहां पर सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग का क्वार्टर तथा आबादी भूमि 27 बीघा तथा राशन की दूकान, डाकघर प्रस्तावित एवं मदरसा में टेलीफोन सुविधायें भी उपलब्ध हैं। भाकरी की ढाणी के पास दूदूलियों की ढाणी, इनडाणियों की ढाणी, मदीना कालोनी, खियाणियों की ढाणी, चौकीदारों की ढाणी एवं भाटियों की ढाणियां दो किलोमीटर की दूरी पर है तथा इन ढाणियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के परिवार भी निवास करते हैं। दूसरी तरफ जालूखां की ढाणी, तालाब की ढाणी की कुछ आबादी, फताजियों की ढाणी, भगड़ावतों की ढाणी 3(तीन) किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर सरकारी स्कूल के अतिरिक्त कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। यह ढाणियां करीब 2-2 किलोमीटर के फासले पर बसी हुई है। शुरू से ही यह ढाणियों में निवास करते हैं तथा भलार व मुण्डाणा की कांकड़ के पास है जो तहसील का अन्तिम छोर है। वहां पर सरकारी भूमि भी उपलब्ध नहीं है। भाकरी की ढाणी में पंचायत का मुख्यालय रखने के ठोस सबूतों की छाया प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

अतः मेरी राय में पंचायत मुख्यालय "भाकरी की ढाणी" रखना उचित रहेगा। वास्तविक स्थिति की जांच रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :–उक्तानुसार सोलह (16) पेज नक्शा व प्रतियांवि

तहसीलदार (भू.अ.) बिलाड़ा,
जिला जोधपुर (राज.)

राज्य की कृषि उपज मण्डियों हेतु निविदा प्रकरण

53. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी) एवं **डा. मूलसिंह** (झुंझनू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकारी कार्य करवाने के लिये निविदा आमन्त्रित किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इसकी नीति क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि उपज मण्डी में सम्पूर्ण धनराशि किसानों की ही होती है ? यदि हां, तो कृषि उपज मण्डी में निविदा आमन्त्रित करने की क्या नीति है ?

(3) क्या यह सही है कि केवल कृषि उपज मण्डी ही ऐसी संस्था है जहां पर निविदा आमन्त्रित करने का तरीका भिन्न है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें परिवर्तन करने का विचार रखती है ।

उत्तर

(1) जी, हां । सरकारी कार्य को करवाने हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत निहित प्रावधानानुसार विज्ञापन दिया जाता है ।

(2) जी, नहीं । कृषि उपज मण्डी समितियों के द्वारा सजावटी विज्ञापन दिये जाने पर प्रतिबन्ध है एवं वर्गीकृत विज्ञापन जन सम्पर्क विभाग द्वारा अनुमोदित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाते है ।

(3) जी, नहीं ।

पंचायत समिति लूणकरणसर में बस स्टेण्ड की स्थापना

54. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पंचायत समिति मुख्यालय लूणकरणसर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का बस अड्डा बनाने के लिए निगम के अधिकारियों ने स्थान चयन के सम्बन्ध में अब तक निर्णय से जिला कलक्टर, बीकानेर को क्यों नहीं अवगत कराया ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ,

उत्तर

लूणकरणसर में बस स्टेण्ड निर्माण हेतु स्थान चयन के सम्बन्ध में निगम द्वारा पत्रांक : 172 दिनांक 5 3.97 के द्वारा जिला कलक्टर बीकानेर को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है कि आरक्षित भू-खण्ड खड्डे में हैं, सेम से प्रभावित स्थल है एवं उक्त भू-खण्ड एवं मुख्य सड़क के मध्य दुकानें निर्मित होने के कारण बसों का सुगमता से आवागमन सम्भव नहीं है, दुर्घटना की ज्यादा सम्भावना है । अत: बस स्टेण्ड हेतु भू-खण्ड उपयुक्त नहीं है । गुरुद्वारा एवं पुलिस थाना के मध्य स्थित राजकीय भूमि का शीघ्र आवंटन करने हेतु निगम द्वारा जिला कलक्टर, बीकानेर को प्रस्ताव प्रेषित किया हुआ है ।

(300)

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 36 की प्रतियां)

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–I) विभाग

मैसर्स सुपर स्पन (इण्डिया) लि.
(सदर बाजार, गुलाबपुरा)
ब्रांच ऑफिस सी–25, भगवानदास रोड,
जयपुर ।

क्रमांक : प. 4 (8) उ./1/94 जयपुर, दिनांक 20. 6. 94

विषय:–प्रस्तावित टैक्सटाईल स्पिनिंग यूनिट (उद्योग) की स्थापना हेतु ग्राम महला, तहसील दूदू, जिला जयपुर के खसरा नं. 312/2/1 की 84 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नं. 923 की 20 बीघा 12 बिस्वा कुल 105 बीघा राजकीय भूमि का आवंटन ।

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र दिनांक 22.3.94, 25.4.94, 20.5.94 तथा मैसर्स सुपर सिंकोटेक्स (इण्डिया) लि. खारी का लाम्बा, गुलाबपुरा के पत्र दिनांक 31.5.94 के प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आपके द्वारा प्रस्तावित टैक्सटाईल स्पिनिंग यूनिट (उद्योग) की स्थापना करने के लिये प्रथम चरण में ग्राम महला, तहसील दूदू जिला जयपुर के खसरा नं. 312/2/1 की 84 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नं. 923 की 20 बीघा 12 बिस्वा कुल 105 बीघा राजकीय भूमि आवंटित की जावे एवं जिला कलक्टर जयपुर के आदेश सं. आर. 18 बी (21)(23) आई./1289 दिनांक 19.2.94 के अन्तर्गत खसरा नं. 312/2/1 एवं 923 में से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई 200 बीघा की शेष 95 बीघा भूमि दूसरे चरण में एक वर्ष पश्चात उस समय की प्रचलित बाजार दर पर आवंटित की जावें ।

अतः उपर्युक्त निर्णय की अनुपालना में जिला कलक्टर, जयपुर के संशोधित आदेश सं. आर–18 बी. (21)93/आई./4844 दिनांक 26.6.94 के पृष्ठांकन संख्या 2 के प्रस्तावानुसार ग्राम महला, तहसील दूदू, जिला जयपुर के खसरा नं. 312/2/1 की 84 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नं. 923 की 20 बीघा 12 बिस्वा

कुल 105 बीघा राजकीय भूमि मैसर्स सुपर स्पन (इण्डिया) लि. को प्रथम चरण में टैक्स-टाईल स्पिनिंग यूनिट (उद्योग) स्थापित करने के लिए राज्य सरकार एतद् द्वारा आवंटित करती है। शेष 95 बीघा भूमि द्वितीय चरण में एक वर्ष पश्चात आवंटित 105 बीघा भूमि के वास्तविक उपयोग से संतुष्ट होने पर उस समय प्रचलित बाजार दर पर आवंटित की जावेगी।

भूमि आवंटन की अन्य शर्तें इस विभाग के सम संख्यक आवंटन पत्र दिनांक 22.4.94 के अनुसार ही होगी तथा मैसर्स सुपर स्पन (इण्डिया) लि. को मान्य होगी।

उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

भवदीय

ह०/–

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार

उद्योग (ग्रुप–I) विभाग

मैसर्स सुपर स्पन (इण्डिया) लि.
सदर बाजार, गुलाबपुरा–311021
जिला भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक प. 4(8) उद्योग/1/94　　जयपुर, दिनांक 11 जनवरी, 1995

विषयः– टैक्सटाइल स्पिनिंग यूनिट (उद्योग) की स्थापना हेतु भूमि आवंटन।

महोदय,

निर्देशानुसार विभाग के सम संख्यक स्वीकृति दिनांक 20.6.1994 के द्वारा ग्राम महला, तहसील दूदू, जिला जयपुर में 105 बीघा भूमि किस्म चरागाह उक्त स्वीकृति में वर्णित शर्तों पर टैक्सटाइल स्पिनिंग यूनिट (उद्योग) की स्थापना हेतु आवंटित की गई थी। स्वीकृति की शर्त संख्या 5 में 3 माह में लीज डीड निष्पादन करवाकर रजिस्ट्री करवाने की शर्त की अवधि दिनांक 15.1.95 तक बढ़ाए जानी की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय,

ह०/–

(डी. आर. जोधावत)

उप. शासन सचिव

(302)

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 39 का विवरण)

प्रश्न संख्या 84

वर्ष 1993 से मार्च, 1998 तक कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से निर्मित सड़कों का विवरण

क्र. सं.	कृ.उ.म.स. का नाम	सम्पर्क सड़कों के नाम	निर्माण का वर्ष
1.	टौंक	1. स. स. मिराना से छोटी हांडी	1993-94
		2. टौंक-सवाई माधोपुर सड़क से रुस्तमगंज	,,
		3. मेहन्दावास से मालियों की झौपड़ी	,,
		4. घास से खजूरियां	,,
		5. जयपुर टौंक रोड से जोला	1995-96
		6. सोलंगपुर से वजीरपुरा	1996-97
		7. टौंक डिग्गी रोड से चोगई	1997-98
2.	निवाई	1. स. स. गुन्शी से कुहास	1993-94
		2. स. स. जोधपुरिया से चतुरभुजपुरा	1997-98
		3. स. स. कोथुन लालसोट रोड से हरभावता	,,
		4. स. स. जोधपुरिया से चतुरभुजपुरा	,,
		5. स. स. जोधपुरिया से सुनारा	,,

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 43 की प्रति)

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

प्रेषक,

श्रम आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक 23.10.1990
क्रमांक : एफ 1 (3) श्रम/90

प्रेषिति,

सचिव,
राजस्थान साहित्य अकादमी,
हिरनमगरी सेक्टर नं.–4,
उदयपुर (राज.) 313001

विषय :—अकादमियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :—आपका पत्र क्रमांक रा.सा.अ./1707 दिनांक 6.7.90

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिस संस्थान में "इण्डस्ट्री" चलायी जाती है, वह संस्थान "औद्योगिक संस्थान" की परिभाषा में आती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (जे) (बी) (3) के अन्तर्गत शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान 'इण्डस्ट्री" की परिभाषा में नहीं आती हैं। चूंकि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, साहित्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान परक कार्य करती है। अतः यह "इण्डस्ट्री" की परिधि में नहीं आती प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत किसी संस्थान को इस अधिनियम से मुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं हैं। फलस्वरूप आपके पत्र पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं हैं।

भवदीय,
ह०/–
(आर. पी. तिवाड़ी)
श्रम आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 47 का विवरण)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या					
		I ग्रेड	कब से रिक्त	II ग्रेड	कब से रिक्त	III ग्रेड	कब से रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राउमा वि, सायपुर	3	7/97	1	7/97	—	—
2.	" महस्वा	3	7/97	1	10/97	—	—
3.	" मंडरायल	1	4/97	—	—	—	—
		1	11/97				
4.	" हिण्डौन	3	7/97	3	10/97	—	—
		1	2/97	3	1/98		
5.	" करौली	1	9/97	—	—	—	—
		2	11/97				
		1	1/98				
		1	2/98				
6.	" महावीरजी	1	5/97	—	—	—	—
		2	9/97				
7.	" मासलपुर	1	9/97	1	9/97	—	—
8.	" पुड़गांव	1	1/97	—	—	—	—
		1	1/98				
9.	" शेरपुर हिण्डौन	2	9/97	—	—	—	—
10.	" महुइब्राहिमपुर	1	7/97	—	—	—	—
11.	" करीरी	1	11/96	—	—	—	—
		1	12/97	—	—	—	—
12.	" गुड़ला	1	9/96	—	—	1	5/98
13.	" सपोटरा	1	7/94	—	—	1	5/98
		2	1/98				
14.	" टोडाभीम	1	9/97	1	6/97	—	—
		1	1/98	1	8/97		
				1	11/97		
				1	12/97		

2·8

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	" सुरोठ	2	9/97	—	—	—	—
16.	राउमावि, नादौती	1	12/97	—	—	—	—
17.	" रतन जिला	1	2/97	1	1/98	—	—
18.	" गुढ़ाचन्द्रजी	1	7/94	1	10/97	—	—
		1	11/97	1	10/97	—	—
19.	राबासीमावि हिण्डौन	4	9/97	—	—	—	—
20.	" मण्डरायल	—	—	1	12/97		
21.	" सपोटरा	—	—	—	—	1	11/97
22.	" टोडाभीम	1	7/94	—	—	—	—
23.	राबामावि नादौती	—	—	1	1/98		
24.	रामावि विजयपुरा	—	—	1	2/97	—	—
				1	8/97		
25.	" पदमपुरा	—	—	1	8/97	—	—
26.	" अडूदा	—	—	1	9/97	—	—
				2	11/97	—	—
27.	" केलादेवी	—	—	1	7/97	—	—
				1	10/97		
28.	" सुनेट	—	—	1	7/97	—	—
29.	" पटोदा	—	—	1	7/97	—	—
30.	" सोमला	—	—	1	12/97	—	—
31.	" मोरडा	—	—	1	6/98	—	—
32.	" कमालपुरा	—	—	1	12/97	—	—
33.	" गानोली	—	—	1	9/97	—	—
34.	" लखमीपुर	—	—	1	—	—	—
35.	" मोहनपुरा	—	—	1	12/97	—	—
36.	" बागौर	—	—	1	11/97	1	5/98
				1	12/97		
37.	" मिजोरा	—	—	1	—	—	—
38.	रामावि मण्डिया	—	—	—	—	1	5/98

(306)

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	रामावि गठमोरा	—	—	—	—	1	5/98
40.	" रोघई	—	—	—	—	1	6/98
41.	उप्रावि जाटव बस्ती हिण्डौन	—	—	1	2/97	—	—
42.	" बौली	—	—	1	10/97	—	—
43.	" मातासूलर	—	—	1	5/98	—	—
44.	" पीलूवा	—	—	1	5/98	—	—
45.	" निसूरा	—	—	1	4/98	—	—
46.	" करौली	—	—	1	5/98	—	—
47.	" ताली	—	—	1	7/97	—	—
48.	" महूं	—	—	1	10/97	—	—
49.	" तिमावा	—	—	1	5/98	—	—
50.	" ग्रमरगढ़	—	—	1	10/97	—	—
51.	" शेखपुरा	—	—	1	7/97	—	—
52.	" ग्रोण्ड	—	—	1	7/97	—	—
53.	" राहिर	—	—	1	10/97	—	—
54.	" निमोरा	—	—	1	10/97	—	—
55.	" बड़ादागजराजपाल	—	—	1	7/96	—	—
56.	उप्रावि सामली	—	—	—	—	1	4/98
57.	प्रावि शाहगंज हिण्डौन	—	—	—	—	2	1/98
58.	उप्रावि पाली	—	—	—	—	1	10/97
59.	" पटौदा	—	—	—	—	1	12/97
60.	" सनेट	—	—	—	—	1	12/97
61.	" डारावली	—	—	—	—	1	1/98
62.	" बौली	—	—	—	—	1	4/98
63.	" जातलीपुर	—	—	—	—	1	4/98
64.	" खोडी	—	—	—	—	1	4/98
65.	उप्रावि तालचिडा	—	—	—	—	1	4/98
66.	" जुहारखेड़ा	—	—	—	—	1	12/97

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	बाउप्रावि गुडली	—	—	—	—	1	12/97
68.	" सौप	—	—	—	—	2	12/97
69.	" मज्ञडीसा	—	—	—	—	2	5/98
70.	" मातासूला	—	—	—	—	1	5/98
71.	उप्राविनं. 5 करौली	—	—	—	—	1	4/98
72.	" केडर	—	—	—	—	1	10/97
73.	" मकनपुर	—	—	—	—	1	10/97
74.	" डांडा	—	—	—	—	1	10/97
75.	" लोहंरा	—	—	—	—	1	7/97
76.	" रघुवंशी	—	—	—	—	1	7/97
77.	" कंचनपुर तलेहट	—	—	—	—	2	7/97
78.	" मोलुपुरा	—	—	—	—	1	7/97
79.	" मावि गोडरा	—	—	—	—	2	7/97
80.	" मिझारा	—	—	—	—	1	7/97
		45	—	52	—	37	—

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 52 की सूची)

पंचायत समिति–माण्डल

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	जनसंख्या
1.	सरेड़ी खेड़ा	ममाणा	200
2.	बरांचलां का खेड़ा	गोरख्या	248
3.	राजपुरा	चिलेश्वर	172
4.	लाडों का खेड़ा	अमरी	66
5.	सरदारसिंह का खेड़ा	चिलेश्वर	119
6.	सांवलाजी का खेड़ा	चिलेश्वर	50
7.	जसवन्तपुरा	निम्बाहेड़ा जाटान	242
8.	फतहपुरा	कबराडिया	191
9.	सजानपुरा	सीडीयास	220
10.	बावली ग्रास	अंबोला (मा.)	208
11.	बाणजी की बापरी	धुवाला (मां.)	गैर आबाद
12.	गम्भीरपुरा	,,	84
13.	धोबका खेड़ा	लुहारिया	62
14.	सरस	बावलास	113
15.	मदनपुरा	बावलास	39
16.	सारणों का खेड़ा	गोडास	163
17.	बाघपुरा	टहुका	107
18.	खेड़ा देवपुरा	,,	208
19.	लक्ष्मणपुरा	,,	22
20.	समरपुरा	अमरगढ़	96
21.	अमरपुरा	करेडा	गैर आबाद
22.	ढेढवास	सुरास	,,
23.	खरणों का बाडिया	दिडीमाल	नवीन राजस्व ग्राम घोषित
24.	नवीन राजस्व ग्राम घोषित	नारैली	नवीन राजस्व ग्राम घोषित
25.	धोरिया का बाड़िया	डिडीमाल	नवीन राजस्व ग्राम घोषित
26.	तिरिया का बाडिया	नारैली	नवीन राजस्व ग्राम घोषित
27.	नया खेड़ा	चाखेड़	नवीन राजस्व ग्राम घोषित
28.	अखेपुरा	बावड़ी	नवीन राजस्व ग्राम घोषित
29.	सिजाड़ी का बाडिया	चित्ताग्या	नवीन राजस्व ग्राम घोषित
30.	केर का खेड़ा	मोटा का खेड़ा	नवीन राजस्व ग्राम घोषित
31.	बाबरी खेड़ा	मेजा	नवीन राजस्व ग्राम घोषित

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पंचायत का नाम	जनसंख्या
32.	दलिया खड़ी	रोसणदा	नवीन राजस्व ग्राम घोषित
33.	हीरा का बाडिया	राणूदा	नवीन राजस्व ग्राम घोषित
पंचायत समिति सुवाणा			
1.	चैनपुरिया		130
2.	कचोलिया		55
3.	कारोई खुर्द		121
4.	किरथपुरा		197
5.	खेतहजोरिया		गैर आबाद
6.	सालरिया		200
7.	टीलाखेड़ा		86
8.	धलों का खेड़ा		117
9.	कल्याणपुरा		181
10.	गोविंदपुरा		नवीन राजस्व ग्राम घोषित

परिशिष्ट–2

जिला परिषद भीलवाड़ा से पंचायत समिति सुवाणा एवं पंचायत समिति माण्डल में निम्न स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से जहां प्राथमिक शाला खोल दी गयी है, उनके नामों के आगे वित्तीय वर्ष अंकित है।

पंचायत समिति सुवाणा | **पंचायत समिति माण्डल**

क्र.सं.	शाला खोलने के प्राप्त प्रस्ताव	शाला स्वीकृति का वित्तीय वर्ष	क्र.सं.	शाला खोलने के प्राप्त प्रस्ताव	शाला स्वीकृति का वित्तीय वर्ष
1.	झोपड़िया	1996–97	1.	चैना का खेड़ा	—
2.	टापरिया खेड़ा	—	2.	केसरपुरा	1997–98
3.	फागणा का खेड़ा	1996–97	3.	सज्जनपुरा	—
4.	बसपुरी	—	4.	बलियाखेड़ा	—
5.	कुम्हारिया खेड़ा	1997–98	5.	राजपुरा	—
6.	बरडोद का खेड़ा	1997–98	6.	घनेरियो की नाड़ी	—
7.	सालरिया	—	7.	भावलास का खेड़ा	—
8.	रतनपुरा	—	8.	हीरा जी का बाडिया	—
9.	रायड़ा	1996–97	9.	बलाई खेड़ा	—
10.	कल्याणपुरा	—	10.	खेपड़िया खेड़ा	—
11.	कारोई खुर्द	—	11.	गंगा का खेड़ा	1997–98
12.	किशनपुरा	—	12.	बानियास	—
			13.	मालीखेड़ा	—

(310)

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 53 की सूची)

कार्यालय जिला परिषद, टौंक (राज०)

पंचायत समिति, टोडारायसिंह (टौंक)

सूची सरपंचों के निजी संरक्षण में पंचायत कोष की नकद पोता राशि

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच के पास नकद पोता
1.	दतोब	5000–00
2.	मान्दोलाई	40–00
3.	गैहूर	500–00
4.	ईन्दोकिया	4500–00
5.	छाण बास डूर्गा	1000–00
6.	बरवास	1200–00
7.	दाबड़दुम्बा	—
8.	कूवड	—
9.	बोटुन्दा	—
10.	कवरावास	5110–00
11.	पंचालिया	8500–00
12.	थडोली	1000–00
13.	मावता	2000–00
14.	मासू	—
15.	लारेड़ा	15,000–00
16.	मोरमाटियाम	20,000–00
17.	गणोती	12,000–00
18.	हमीरपुर	250–00
19.	अलियारी	150–00
20.	रीडल्यारामपुरा	150–00
21.	मोर	200–00

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच के पास नकद पोता
22.	बरसी	—
23.	लक्ष्मीपुरा	—
24.	बारेड़ा	294–00
25.	गोपालपुरा	121–00
26.	लाम्बाकलां	500–00
27.	बावडी	300–00
28.	बनियारा खुर्द	13553–00 मार्च, 98 के निरीक्षण के आधार पर
29.	संवारिया	1271–70 दिस., 97 के निरी. के आधार पर
30.	कुहाड़ा बुजुर्ग	52–05 मार्च, 98 ,, ,,
31.	खुड़िया कलां	0–59 पै ,, ,, ,,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
जिला परिषद टोंक, टोडारायसिंह

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 57 की प्रतियां)

पर्यटन विभाग राजस्थान

वर्ष 1997–98 में प्रकाशित पर्यटन साहित्य का विवरण

क्र.सं.	प्रकाशन का विवरण
1.	राजस्थान मैप एण्ड गाईड (आर्ट पेपर)
2.	वाइल्ड वन्डर ऑफ राजस्थान
(कॉफी टेबुल बुक)	
3.	राजस्थान कॉफी टेबुल बुक (पुनः प्रकाशित)
4.	स्टैप वैल
5.	मेवाड़
6.	एन्चान्टिंग राजस्थान (जर्मन)
7.	डिस्कवर राजस्थान (हिन्दी)
8.	डिस्कवर राजस्थान (बंगाली)
9.	डिस्कवर राजस्थान (गुजराती)
10.	डिस्कवर राजस्थान (मराठी)
11.	डिस्कवर राजस्थान (तमिल)
12.	हाड़ौती हेरिटेज (बूंदी–कोटा–झालावाड़–बारां)
13.	टोंक–स. माधोपुर–महावीरजी–करौली
14.	पोस्टर (4 + 2) 10000 प्रत्येक
15.	पोस्टर–गढ़ पैलेस
16.	जयपुर विन्टेज कार रैली
17.	एड्रेस डायरी
राजस्थान अतिथि मैगजीन	
1.	जनवरी–अप्रेल, 97 (विशेष अंक)
2.	मई–जून, 97
3.	जुलाई–अगस्त, 97
4.	सितम्बर–अक्टूबर, 97
5.	नवम्बर–दिसम्बर, 97
6.	जनवरी–फरवरी, 98
सिटी मैप	
1.	अलवर, बून्दी, कोटा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा (5000 प्रति प्रत्येक)
2.	बीकानेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पुष्कर, भरतपुर (10000 प्रतियां प्रत्येक)

परिशिष्ट "ख"

वित्तीय वर्ष 1998–99 में प्रस्तावित प्रकाशनों की सूची

1. वैलकम टू राजस्थान
2. डिस्कवर राजस्थान
3. पोस्टर 10 प्रकार
4. जिला निर्देशिकाएं (16 प्रकार)
5. टूरिस्ट मैप एण्ड गाईड (4 शहर) जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर
6. लाईफ एण्ड पीपुल (कॉफी टेबुल बुक)
7. एन्चांटिंग राजस्थान (ट्रेवल एजेन्ट मैनुअल)
8. बुक ऑन पैलेस ऑन व्हील्स
9. नेचर टेल्स

314

परिशिष्ट-10 परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या 60 की प्रतियां)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक–एफ–4/प. (70) यात/लेखा/87/197 दिनांक 11.3.87

आदेश

निगम मण्डल के प्रस्ताव निर्णय 28/87 दिनांक 24.2.87 की पालना में राजस्थान मूल के स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर्ताओं तथा युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं एवं उन पर आश्रित अवयस्क संतानों को निगम की सेवाओं में 75% की किराये में छूट देकर रियायती यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है । ये रियायती यात्रा सुविधा निम्न प्रावधानों के अनुसार देय होगी :—

(1) राजस्थान मूल के स्वतन्त्रता सेनानी, जो स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करते हैं, वे राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र राजस्थान परिवहन निगम के मुख्यालय में प्रस्तुत कर निगम का परिचय पत्र प्राप्त करेंगे और केवल निगम के परिचय पत्र के आधार पर ही रियायती यात्रा हेतु अधिकृत होंगे ।

(2) राजस्थान मूल के युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं व उन पर आश्रित अव्यस्क संतानों को राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड, राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जावेंगे । सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को निगम के मुख्यालय में प्रस्तुत कर निगम के परिचय पत्र प्राप्त करेंगे और केवल निगम के परिचय पत्रों के आधार पर ही रियायती यात्रा हेतु अधिकृत होंगे ।

(3) राजस्थान मूल के स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले सेनानी तथा युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं तथा उन पर आश्रित अवयस्क संतानों को निगम की द्रुतगामी/साधारण/रात्रि सेवाओं में रियायती यात्रा सुविधा प्रदान की जायेगी ।

(4) पत्रक–वितरक/बस परिचालक इन्हें निगम द्वारा जारी परिचय पत्रों के आधार पर कुल किराये में 75% की रियायत का लाभ देते हुये मात्र 25% राशि प्राप्त कर टिकट जारी करेंगे और जारी टिकट पर स्वतन्त्रता सेनानी/युद्ध में मृत सैनिकों की विधवा/आश्रित को जारी परिचय पत्र का नम्बर अंकित करेंगे ।

(5) निगम द्वारा जारी किये जाने वाले परिचय पत्र का शुल्क 5/- रु. प्रति परिचय पत्र होगा तथा परिचय पत्र के गुम होने/चोरी हो जाने पर सम्बन्धितों द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। पुलिस थाने में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति के साथ 10/- रु. पृथक से जमा कराने पर "डुप्लीकेट" परिचय पत्र जारी किया जा सकेगा।

ये आदेश दिनाक 1.4.87 से प्रभावी माने जायेंगे।

ह०/-
प्रबन्ध निदेशक

परिशिष्ट '2'

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक-एफ 4/मु/याता/70/लेखा/87/716 दिनांक 25.8.87

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 4/मु./याता/70/लेखा/87/197 दिनांक 11.3.87 द्वारा राजस्थान मूल के स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेन्शन योजना के अन्तर्गत पेन्शन पाने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को निगम की वाहनों में 75 प्रतिशत की किराये में रियायत प्रदान की गई थी।

अब उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये स्वतन्त्रता सेनानियों को तुरन्त प्रभाव से निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जायेगी।

ह०/-
प्रबन्ध निदेशक

परिशिष्ट '3'

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक–एफ-4/29 (याता)/लेखा/88/42 दिनांक 13.1.88

आदेश

इस विभाग के आदेशांक एफ-4 (70) याता/लेखा/87/197 दिनांक 11.3.87 के द्वारा राजस्थान मूल के स्वतन्त्रता सेनानियों को निगम की द्रुतगामी/साधारण तथा रात्रि सेवाओं में रियायती यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी जिसे बाद में आदेश संख्या एफ–4/मु./याता/70/लेखा/87/718 दिनांक 25.8.87 के द्वारा पूर्णतया निःशुल्क कर दिया गया था।

अब राजस्थान मूल के स्वतन्त्रता सेनानियों को निगम की साधारण, द्रुतगामी तथा रात्रि सेवाओं के अतिरिक्त सुविधा वाहनों में भी निःशुल्क यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

ह०/–
प्रबन्ध निदेशक

परिशिष्ट '4'

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक–एफ-4/29 (याता)/लेखा/88/42 दिनांक 13.1.88

आदेश

इस विभाग के आदेशांक एफ-4 (70) याता/लेखा/87/197 दिनांक 11.3.87 के द्वारा राजस्थान मूल के स्वतन्त्रता सेनानियों को निगम की द्रुतगामी/साधारण तथा रात्रि सेवाओं में रियायती यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी जिसे बाद में आदेश संख्या एफ–4/मु./याता/70/लेखा/87/718 दिनांक 25.8.87 के द्वारा पूर्णतया निःशुल्क कर दिया गया था।

अब राजस्थान मूल के स्वतन्त्रता सेनानियों को निगम की साधारण, द्रुतगामी तथा रात्रि सेवाओं के अतिरिक्त सुविधा वाहनों में भी निःशुल्क यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

ह०/–
प्रबन्ध निदेशक

परिशिष्ट-5

केन्द्रीय बस स्टेण्ड, सिन्धी कैम्प स्थित प्लेट फार्म नं. 3 पर उपलब्ध ड्यूटी आफिसर शिकायत रजिस्टर में दिनांक 18.2.98 को श्री कृष्ण चन्द्र (स्वतन्त्रता सैनानी) 184, खारा कुआ ब्रह्मपुरी जयपुर द्वारा दर्ज की, शिकायत की टंकण प्रति ।

---

(1) दिनांक 11.2.98 को कृष्णचन्द्र संध्या का 1 बजे दिन के जयपुर से दिल्ली के लिये डीलक्स बस से (स्वतन्त्रता सेनानी) कोटे में आरक्षण (5-6 सीट) था । और बस में सवार होने के उपरान्त नारायण सिंह सर्किल पर ले जाकर जबरन दुर्व्यवहार करके बस से नीचे उतार दिया गया । और इन 2 सीटों पर अन्य किन्ही व्यक्तियों को बैठाकर दिल्ली ले जाया गया ।

(2) नारायण सर्किल पर जीप में बैठे स्टाफ (चैकिंग) अधिकारी जय को, यह भी जानकारी नहीं कि स्वतन्त्रता सैनानियों को डीलक्स बस सुविधा का प्रावधान है, की जानकारी का न होना आश्चर्य प्रकट करता हैं ।

(3) इस दुर्व्यहार पूर्ण घटना के फलस्वरूप दिल्ली जाने के लिये 2 व्यक्तियों का 100/- रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करना पड़ा जो अनुचित था । फलतः 200/- रुपये की खर्च की भरपाई कराई जावें और भविष्य में निगम के चैकिंग स्टाफ को हिदायत दी जायें ।

प्रशासक (प्रशा०)
रा० रा० प० प० निगम
सी० पी० एस०, जयपुर

एस० डी०
(कृष्ण चन्द्र)
184, खारा कुआ, ब्रह्मपुरी, जयपुर
फोन नम्बर :-314990

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 61 का विवरण)

परिशिष्ट–1

वर्ष 1996 से 97 तक गुजरात राज्य में चलने वाली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों पर वसूल किया गये अधिभार एवं प्रशमन राशि आदि का विवरण।

क्र. सं.	जब्त की गई बसों की संख्या	आगार का नाम	सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक का नाम	वाहन जब्त रहने की अवधि	अधिभार एवं प्रशमन राशि	वाहन जब्त किये जाने का कारण
1.	2	चित्तौड़गढ़	श्री हेमन्त श्रीमाली	19/20.4.97 से 14/15.5.97	74,364/-	वैध अनुज्ञा पत्र न होने से
2.	1	अजयमेरू	श्री महेन्द्र सिंह परिहार	25.4 97 से 6.5.97	3,100/-	,,
3.	1	उदयपुर	श्री हेमन्त श्रीमाली	8.11.97 से 13.11.97	2,100/-	,,
4.	1.	बांसवाड़ा	श्री सोहन लाल यादव	17.10.97 से 5.11.97	2,000/-	,,

नोट:– वर्ष 1997 के दौरान बांसवाड़ा आगार की 9 वाहनों पर बिना वैध अनुज्ञा-पत्र के संचालन पर 6919/– रुपये प्रशमन राशि वसूल की गई। ये वाहनें जब्त नहीं की गई थी।

319

परिशिष्ट–2

श्री चिरंजीलाल शर्मा, तत्कालीन प्रबन्धक, सी. बी. एस. अहमदाबाद के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण

क. सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	शिकायत प्राप्त होने की दिनांक	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री सुरेश मेहता	श्री चिरंजीलाल शर्मा द्वारा मार्च, 97 में 1,11,600 रु. का भ्रष्टाचार बाबत	10.7.98	निगम के सतर्कता व सुरक्षा विभाग द्वारा जांच कार्यवाही प्रगति पर हैं।
2.	श्री आजाद सिंह श्री भीमराज मीणा, विधायक व श्री आशुतोष शर्मा	श्री चिरंजीलाल शर्मा के टी. ए. बिल एवं टेलीफोन बिल में अनियमितता, अहमदाबाद आगार द्वारा यात्रियों से अत्यधिक चार्ज करने बाबत।	1.9.97	निगम के सतर्कता व सुरक्षा विभाग द्वारा जांच कार्यवाही की जा रही है।
3.	श्री राजेन्द्र कुमार गांधी, व समस्त अहमदाबाद चलने वाले परिचालकगण आदि	श्री चिरंजीलाल शर्मा द्वारा बिना टिकिट यात्रियों के बयान लेने के पश्चात गाड़ी को सही होना बताना व टिकिट राशि में हेराफेरी करना।	20.12.97	निगम के सतर्कता व सुरक्षा विभाग द्वारा जांच कार्यवाही प्रगति पर हैं।
4.	श्री नन्दलाल, भारतीय नागरिक	श्री चिरंजीलाल शर्मा द्वारा पद का दुरुपयोग करने बाबत।	14.10.97	निगम के सतर्कता व सुरक्षा विभाग द्वारा जांच कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5
5.	कर्मचारीगण, रा. प. निगम	श्री चिरंजीलाल शर्मा द्वारा कर्मचारियों को जांच के पक्ष में बयान देने हेतु डराने व धमकाने बाबत ।	19.10.97	निगम के सतर्कता व सुरक्षा विभाग द्वारा जांच कार्यवाही की जा रही हैं ।
6.	श्री प्रद्युम्न मेहता	श्री चिरंजीलाल शर्मा द्वारा रिमार्क्स वगैरह लिखकर सी.सी. ओं के सिफारिश हेतु पत्र लिखना व टिकिट रिफण्ड राशि में अनियमितता करने बाबत ।	15.1.98	निगम के सतर्कता व सुरक्षा विभाग द्वारा जांच कार्यवाही की जा रही हैं ।
7.	निगम कर्मचारी गुमनाम (तीन शिकायतें)	श्री चिरंजीलाल शर्मा द्वारा मनमानी कर निगम को हानि पहुंचाना, कैश में रोटेशन चलाना, गलत अनुपस्थिति	6.3.98 9.3.98 9.3.98	निगम के सतर्कता व सुरक्षा विभाग द्वारा जांच कार्यवाही की जा रही हैं ।
8.	श्री अखिल [illegible]वाल, व [illegible] के समस्त कर्मचारीगण व श्री भीमराज मीणा व श्री भीखा भाई, विधायक	श्री चिरंजीलाल शर्मा द्वारा भ्रष्टाचार करने एवं आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने बाबत ।	12.3.97	जांच पूर्ण करली गई हैं । श्री चिरंजी लाल शर्मा को स्पष्टीकरण चाहा गया है ।
9.	श्री आनन्द चौधरी	श्री चिरंजीलाल शर्मा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज व कर्मचारियों के प्रति लापरवाही के सम्बन्ध में ।	17.10.97	जांच पूर्ण कर ली गई है । एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं ।
10.	समस्त कर्मचारी	श्री चिरंजीलाल शर्मा द्वारा पारीवारिक निःशुल्क पास के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में ।	18.10.97	जांच पूर्ण कर ली गई हैं । श्री चिरंजी-लाल शर्मा का स्पष्टीकरण [illegible] गया है।

321

1	2	3	4	
11.	समस्त परिचालकगण, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर. आबूरोड	श्री चिरंजीलाल शर्मा द्वारा ड्यूटी के सम्बन्ध में कर्मचारियों को परेशान करने व भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में। परिचालकों से दिपावली के सीजन पर 500/– रु. चौथ वसूली बाबत। तथा गुजरात परिवहन के अधिकारियों के लिए महंगा सामान शराब की बोतलें आदि मंगवाने बाबत।	7.11.97	जांच पूर्ण कर ली गई है। एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं।
12.	श्री मुकेश कुमार जैन बुकिंग एजेन्ट, अहमदाबाद एवं समस्त परिचालकगण	श्री चिरंजीलाल शर्मा द्वारा बुकिंग एजेन्टों को टिकिट जारी नहीं करने व परेशान करने के सम्बन्ध में।	7.11.97	जांच पूर्ण कर ली गई है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं।
13.	श्री शंकरलाल सोनी, पत्रक वितरक, अहमदाबाद	1– दिनांक 4.4.98 को 30,000/– रु. की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में नहीं करना। 2– दिनांक 19.4.98 को 76701/– रु. की चोरी की रिपोर्ट कैशियर से न करवा कर स्थान प्रभारी द्वारा करवाई गई। 3– दिनांक 14.4.98 को डुप्लीकेट चाबियों	2.6.98	शिकायत प्राप्त होने से पूर्व ही दिनांक 30.4.98 को ऑडीट पार्टी भेजकर प्रारंभिक जांच करवा ली गई। बिन्दु संख्या 1 से 3 की जांच प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में हो चुकी है तथा सम्बन्धितों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करली गई है (निलम्बित कर दिया गया है) एवं आरोप पत्र जारी किए जा रहे हैं। बिन्दु संख्या

1	2	3	4	5
		के सम्बन्ध में लिखकर दिये जाने के बाद भी जानकारी नहीं करवाना ।		4, 1982 से सम्बन्धित है एवं राजस्व जमा हो चुका है । बिन्दु संख्या–5 के क्रम में डबल लॉक का ताला बदलवाया जा चुका है । बिन्दु संख्या 6 एवं 7 का प्रारम्भिक जांच में कोई उल्लेख नहीं हैं । क्योंकि शिकायत बहुत बाद में प्राप्त हुई है ।
		4– मार्च 82 में कैशियर द्वारा 3490/– रु. के लगभग राजस्व राशि जमा नहीं करवाना ।		
		5– दिनांक 27.5.98 तक डबल लॉक का लॉक नहीं बदलवाना ।		श्री चिरंजीलाल शर्मा, प्रबन्धक को आरोप पत्र जारी किया जा रहा है । श्री यशपाल जैन, पत्रक वितरक का स्थानान्तरण व आरोप पत्र जारी किया जा रहा है । श्री छगनलाल खण्डेलवाल, स्थान प्रभारी एवं श्री शंकरलाल सोनी, पत्रक वितरक को निलम्बित किया जा चुका है एवं आरोप पत्र जारी किये जा रहे हैं ।
		6– शर्मा द्वारा जबरन परेशान किया जाना ।		
		7– दिनांक 17.5.98 को श्री चिरंजीलाल शर्मा द्वारा पुलिस वालों के साथ अपशब्दों का प्रयोग करना ।		

(323)

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 65 की सूची)

विगत चार वर्षों (1994–95 से 1997–98 तक) में नवीन स्वीकृत आयुर्वेद औषधालयों का विवरण

क्र.सं.	स्थान औषधालय	जिला
1994–95		
1.	पन्डावा	चित्तौड़गढ़
2.	धमोतर	,,
3.	कतिमोर	डूंगरपुर
4.	कोटड़ा	उदयपुर
1995–96		
1.	सिहुड़ा	जोधपुर
2.	डाबड़ा	नागौर
3.	जोगा	जैसलमेर
4.	इन्द्राणा	बाड़मेर
5.	ठाकुरड़ा	पाली
6.	नादाना भाटान	,,
7.	ईसाली	,,
8.	जूना जोगापुरा	सिरोही
9.	मावल	,,
10.	बढाना	बांसवाड़ा
11.	डोडावली	उदयपुर
12.	सलूम्बर	,,
13.	गढा जसराजपुर-	डूंगरपुर
14.	सीमलवाड़ा	,,
15.	बजरंगगढ़	चित्तौड़गढ़
16.	कुलथाना	,,

वर्ष 1996–97 व 1997–98 में कोई नवीन आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत नहीं किया गया।